بلوغ المرام

(باللغة الهندية)

बुलूग़ुल मराम

लेखकः

हाफ़िज़ इब्ने हजर असक़लानी

अनुवादः

रिसर्च एवं इल्मी विभाग मकतबा दारुस्सलाम

दारुस्सलाम

بلوغ المرام

(باللغة الهندية)

बुलूगुल मराम

First Edition: October 2008

Supervised by:

Abdul Malik Mujahid

HEAD OFFICE

P.O. Box: 22743, Riyadh 11416 K.S.A.Tel: 00966-1-4033962/4043432 Fax: 4021659
E-mail: darussalam@awalnet.net.sa, riyadh@dar-us-salam.com Website: www.dar-us-salam.com

K.S.A. Darussalam Showrooms:
Riyadh
Olaya branch: Tel 00966-1-4614483 Fax: 4644945
Malaz branch: Tel 00966-1-4735220 Fax: 4735221
Suwailam branch: Tel & Fax-1-2860422

- **Jeddah**
  Tel: 00966-2-6879254 Fax: 6336270
- **Madinah**
  Tel: 00966-04-8234446, 8230038
  Fax: 04-8151121
- **Al-Khobar**
  Tel: 00966-3-8692900 Fax: 8691551
- **Khamis Mushayt**
  Tel & Fax: 00966-072207055
- **Yanbu Al-Bahr** Tel: 0500887341 Fax: 04-3908027
- **Al-Buraida** Tel: 0503417156 Fax: 06-3696124

U.A.E
- **Darussalam, Sharjah U.A.E**
  Tel: 00971-6-5632623 Fax: 5632624
  Sharjah@dar-us-salam.com.

PAKISTAN
- **Darussalam,** 36 B Lower Mall, Lahore
  Tel: 0092-42-724 0024 Fax: 7354072
- **Rahman Market, Ghazni Street,** Urdu Bazar Lahore
  Tel: 0092-42-7120054 Fax: 7320703
- **Karachi,** Tel: 0092-21-4393936 Fax: 4393937
- **Islamabad,** Tel: 0092-51-2500237 Fax: 512281513

U.S.A
- **Darussalam, Houston**
  P.O Box: 79194 Tx 77279
  Tel: 001-713-722 0419 Fax: 001-713-722 0431
  E-mail: houston@dar-us-salam.com
- **Darussalam, New York** 486 Atlantic Ave, Brooklyn
  New York-11217, Tel: 001-718-625 5925
  Fax: 718-625 1511
  E-mail: darussalamny@hotmail.com

U.K
- **Darussalam International Publications Ltd.**
  Leyton Business Centre
  Unit-17, Etloe Road, Leyton, London, E10 7BT
  Tel: 0044 20 8539 4885 Fax:0044 20 8539 4889
  Website: www.darussalam.com
  Email: info@darussalam.com
- **Darussalam International Publications Limited**
  Regents Park Mosque, 146 Park Road
  London NW8 7RG Tel: 0044- 207 725 2246
  Fax: 0044 20 8539 4889

AUSTRALIA
- **Darussalam:** 153, Haldon St, Lakemba (Sydney)
  NSW 2195, Australia
  Tel: 0061-2-97407188 Fax: 0061-2-97407199
  Mobile: 0061-414580813 Res: 0061-2-97580190
  Email: abumuaaz@hotamail.com

CANADA
- **Nasser Khattab**
  2-3415 Dixie Rd, Unit # 505
  Mississauga
  Ontario L4Y 4J6, Canada
  Tel: 001-416-418 6619
- **Islamic Book Service**
  2200 South Sheridan way Mississauga, On
  L5J 2M4
  Tel: 001-905-403-8406 Ext. 218 Fax: 905-8409

MALAYSIA
- **Darussalam**
  Int'l Publishing & Distribution SDN BHD
  D-2-12, Setiawangsa 11, Taman Setiawangsa
  54200 Kuala Lumpur
  Tel: 03-42528200 Fax: 03-42529200
  Email: darussalam@streamyx.com
  Website: www.darussalam.com.my

FRANCE
- **Editions & Librairie Essalam**
  135, Bd de Ménilmontant- 75011 Paris
  Tél: 0033-01- 43 38 19 56/ 44 83
  Fax: 0033-01-43 57 44 31
  E-mail: essalam@essalam.com.

SINGAPORE
- **Muslim Converts Association of Singapore**
  32 Onan Road The Galaxy
  Singapore- 424484
  Tel: 0065-440 6924, 348 8344 Fax: 440 6724

SRI LANKA
- **Darul Kitab 6, Nimal Road, Colombo-4**
  Tel: 0094 115 358712 Fax: 115-358713

INDIA
- **Islamic Books International**
  54, Tandel Street (North)
  Dongri, Mumbai 4000 09, INDIA
  Tel: 0091-22-2373 4180
  E-mail: ibi@irf.net

SOUTH AFRICA
- **Islamic Da'wah Movement (IDM)**
  48009 Qualbert 4078 Durban, South Africa
  Tel: 0027-31-304-6883 Fax: 0027-31-305-1292
  E-mail: idm@ion.co.za

बुलूगुल मराम

लेखक:

हाफ़िज इब्ने हजर असक़लानी

अनुवाद:

रिसर्च एवं इल्मी विभाग मकतबा दारुस्सलाम

DARUSSALAM

दारूस्सलाम

इस्लामी किताबों के लिए विश्व निर्देशक संस्था

بسم الله الرحمن الرحيم

King Fahd National Library Catalog-in-Publication Data
Ibn Hajar As-qalani, Ahmad bin Ali
Bulug Al-Maram (Hindi) Ahmad bin Ali -Riyadh-2008
557p, 14x21 cm
ISBN: 978-603-500-058-1
1-Hadis II-Title
237.3 dc 5546/1429

Legal Deposit no.5546/1429
ISBN: 978-603-500-058-1

विषय सूची

3- जनाज़े के मसायेल

4- ज़कात के मसायेल

5- रोज़े के मसायेल

6- हज के मसायेल

7- ख़रीदने और बेचने के मसायेल

8- निकाह के मसायेल का बयान

9- जरायेम के मसायेल

10- हुदूद के मसायेल

11- जिहाद के मसायेल

12- खाने के मसायेल

13- क़समों और नज़रों के मसायेल

14- क़ाज़ी (जज) वग़ैरा बनने के मसायेल

15- आज़ादी के मसायेल

16- अलग-अलग मज़ामीन की हदीसें

प्रकाशक की ओर से

दारुस्सलाम, रियाध इस्लामी पुस्तकों के प्रकाशन का एक विश्व प्रसिद्ध संस्था है जो अब तक विश्व की २१ भाषाओं में एक हज़ार से अधिक पुस्तकें और इलैक्टरानिक बुक्स उम्मत के सामने पेश कर चुका है। इस का क्षेत्र न केवल अरब दुनिया है बल्कि अम्रीका, यूरोप, इन्डो-पाक और दूसरे द्वीप भी हैं।

दारुस्सलाम की किताबें कुरआन व सुन्नत पर आधारित होती हैं। वह हर प्रकार की फ़िकरी गुमराही और मन्हज के खोट से पाक होती हैं। अल्लाह की कृपा से मकतबा ने बुलूगुल मराम का अनेक भाषाओं में अनुवाद किया है और प्रकाशित किया है। यह किताब इमाम हाफ़िज़ इब्ने हजर की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है जो अहादीस रसूल ﷺ का फ़िक़्ही बाबों पर सम्मिलित एक उत्तम संकलन है और विश्व में हर स्थान पर पढ़ी जाती और पढ़ाई जाती है बल्कि भारत-पाक उप महाद्वीप के हज़ारों मदरसों में यह कोर्स में शामिल है। हिन्दी भाषा में इस के अनुवाद की बहुत दिनों से जरूरत महसूस की जा रही थी। उर्दू में इस किताब के अनेक अनुवाद उपलब्ध हैं, परन्तु हिन्दी भाषा में इस पर कोई काम नहीं हुआ था।

हम इस विषय में हाफ़िज़ मो. ताहिर साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन के प्रयास से हिन्दी में यह कार्य शुरू हुआ और अन्त को पहुंचा।

दुआ है कि अल्लाह तआला हमारी इस कोशिश को कुबूल फ़रमाये और हिन्दी जानने वाले भाईयों को रसूल ﷺ की सुन्नतों को जानने और समझने में इस से सहायता मिले और हमारे इस काम को परलोक की कामयाबी का साधन बनाये।

अब्दुल मालिक मुजाहिद
प्रबन्धक दारुस्सलाम
रियाध, सउदी अरब

मुसन्निफ़ की संक्षिप्त जीवनी

अबुल फ़ज़्ल शहाबुद्दीन अहमद बिन अली बिन मुहम्मद कनानी जो हाफ़िज़ इब्ने हजर असकलानी के नाम से प्रसिद्ध हैं, सुन्नते नबवी के इमाम और इल्मे हदीस का झंडा बुलन्द करने वाले हैं। वह १० शाबान ७७३ हिजरी को मिस्र में पैदा हुए और वहीं उनका पालन-पोषण हुआ। नौ साल की आयु में कुरआन मजीद हिफ़ज़ किया और अनेक किताबें याद कीं, फिर उन्होंने कुछ लोगों के साथ मक्का मुकर्रमा की यात्रा की, वहां कुछ विद्वानों से इल्म हासिल किया, फिर आप को हदीस का इल्म सीखने का शौक़ हुआ तो हिजाज, शाम और मिस्र के प्रसिद्ध और बड़े उलमा से इस इल्म को हासिल करने में व्यस्त हो गये और दस साल तक इसको प्राप्त करते रहे। आप ने ज़ैन इराक़ी, बलकीनी, इब्ने मुलक़्क़न और दूसरे फ़ुक़हा से फ़ुक़ाहत हासिल की और उस समय के प्रसिद्ध उलमाये हदीस से हदीस का इल्म प्राप्त किया। आप ने किताब व सुन्नत के अलावा दूसरे उलूम इज़्ज़ बिन जमाआ से लुग़त फ़िरोज़ाबादी से अरबी भाषा अम्मारी से और उलूम कुरआन तनूखी से पढ़ा।

इल्मे हदीस के प्रचार और प्रसार पर ख़ास ध्यान दिया, और लिखने, पढ़ने, इफ़ता और दर्स देने के साथ जामे अज़हर, जामे मस्जिद अम्र बिन आस आदि अनेक स्थानों पर खुत्बा और दर्स दिया, उन्होंने अपने सीने में सुरक्षित इल्म के ख़ज़ाने को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए दूसरों को पढ़ाया लिखवाया और किताबों में महफ़ूज़ किया। जिस प्रकार आप ने बड़े-बड़े आलिमों से फ़ायदा उठाया उसी तरह आप के इल्मी चश्में से सैराब होने के लिए दूर-दूर से लोग आते रहे।

आप के द्वारा लिखी गई किताबों की संख्या १५० से ज़्यादा है। इल्में हदीस के फ़न में शायद ही कोई ऐसा फ़न हो जिस में आप ने कोई भारी और बड़ी किताब न लिखी हो। आप की यह सारी किताबें आप के जीवन में ही प्रकाशित हो गयीं और बादशाह एवं उमरा उनको एक-दूसरे को तोहफ़े के तौर पर दिया करते थे।

अगर आप की किताबों में बुख़ारी शरीफ़ की शरह "फ़त्हुल बारी" के अलावा दूसरी किताबें न भी होतीं तो आप की शुहरत और इल्मी मर्तबा के लिए यही किताब काफ़ी थी।

इस में कोई शक नहीं कि आप की यह किताब सुन्नत नबवी के लिए समुन्दर का दर्जा रखती है। यह किताब आप ने २५ साल में मुकम्मल किया और इसको मुकम्मल करने के बाद आप ने एक बड़ी दावत का प्रबन्ध किया जिस में आम और ख़ास सब मुसलमान शामिल हुये।

अल्लाह तआला सुन्नत नबवी की इस सेवा पर आप को अच्छा बदला अता करे। आमीन इसी प्रकार हदीस की किताबों में उनकी यह किताब है जो आप के हाथों में है। अगरचे यह किताब मुख़्तसर है लेकिन यह बहुत शानदार किताब है जो फ़िकही बाबों के एतबार से तरतीब दी गयी है।

हाफ़िज़ इब्ने हजर सात बार चीफ़ जस्टिस बने और सात बार उस पोस्ट को छोड़ा और अन्तिम बार उसे जुमादी सानी ८५२ में छोड़ा। उसी साल ८ ज़िलहिज्जा ८५२ में इशा की नमाज़ के बाद वफ़ात पा गये। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिउन।

बुलूग़ुल मराम की ख़ुसूसियात

हाफ़िज़ इब्ने हजर असक़लानी रह. की उपरोक्त किताब अपने विषय में निम्न ख़ुसूसियात के कारण बहुत ही बेहतरीन और मुम्ताज़ हैसियत रखती है।

१. मुसन्निफ़ ने इस में अहकाम की अहादीस में से ऐसी अहादीस जमा की हैं जो आम तौर से सही और उस विषय में ज़ोरदार हैं।

२. बड़ी और लम्बी हदीसों का शानदार अन्दाज़ में इख़्तिसार किया है।

३. हदीसों को उनके इमामों और रावियों की ओर मन्सूब करने में खुले दिल से काम लिया है।

४. सहीह, हसन और ज़ईफ़ अहादीस का दर्जा बयान कर दिया है। इसी प्रकार अहादीस की इल्लतों को भी बयान कर दिया है।

५. हदीस बयान कर देने के बाद इस से सम्बन्धित दूसरे तरीक़ों में आये अनेक टुकड़ों को भी बयान कर देते हैं जिस से मुतलक़ को मुकय्यद और मुजमल को मुफ़स्सल बनाने और मुग़लक के वाज़ेह तआरुज़ को ख़त्म करने और एक-दूसरे अहादीस के बीच मतभेद दूर करने का फ़ायदा देते हैं, बल्कि कभी-कभी ये इज़ाफ़ा, इख़्तिलाफ़ के मौक़ा पर ऐसा नस्स और वाज़ेह दलील होता है जो तावीलात और ग़लत मआनी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। उपरोक्त ख़ुसूसियात की बिना पर अल्लाह तआला ने इस किताब को प्रसिद्ध और मक़बूल बना दिया है और उप महाद्वीप के अधिकतर मदरसों ने इसे अपने यहां निसाब में दाख़िल कर रखा है।

1- तहारत (पवित्रता) की किताब

١ - كتاب الطَّهارةِ

1. पानी का बयान

١ - بابُ المِيَاهِ

1. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने समुद्र के पानी के बारे में फ़रमाया: "उसका पानी पवित्र (पाक) और उसका मैता (मुरदार) हलाल (वैध) है।" (इस हदीस को अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा और इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया है। हदीस के शब्द (अलफ़ाज़) इब्ने अबी शैबा के हैं और इब्ने खुज़ैमा तथा तिर्मिज़ी ने सहीह कहा है, और इस हदीस को मालिक, शाफ़ई और अहमद ने भी रिवायत किया है।

(١) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قال رسولُ الله ﷺ في البَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ والحِلُّ مَيْتَتُهُ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ وَابْنُ أبي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ والتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ.

फ़ायेदा :

यह हदीस एक सवाल का जवाब है। मुअत्ता वग़ैरह में है कि एक आदमी रसूलुल्लाह ﷺ के पास आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल हम समुद्र में यात्रा (सफ़र) करते हैं, हमारे साथ थोड़ा पानी होता है, अब अगर हम इस पानी से वुज़ू करें तो प्यासे मर जायेंगे, तो क्या हम समुद्र के पानी से वुज़ू कर सकते हैं? फ़रमाया: "वह पानी पाक है"

यह हदीस प्रमाण (दलील) है कि समुद्र का पानी बिना किसी विवरण (तफ़सील) के पाक है और समुद्र के सभी जानवर (जीव) हलाल (वैध) हैं चाहे वह कुत्ता और सुअर जैसा हो। इस हदीस से यह भी साबित होता है कि समुद्र के पानी का पाक होना, उससे वुज़ू करना और उसे अपने इस्तेमाल में लाना सही है। इसी प्रकार इस हदीस से यह भी साबित होता है कि जो जानवर केवल समुद्र के हैं यानी समुद्र के बाहर ज़िन्दा नही रह सकते वह सब हलाल है।

2. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "पानी पाक है उसे कोई चीज़ नापाक (अपवित्र) नहीं करती।" (इस हदीस को अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और नसाई ने रिवायत किया है और अहमद ने इसे सहीह कहा है)

(٢) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ.

फ़ायेदा :

हदीस का अर्थ यह है कि अपवित्र (नापाक) चीज़ उस में पड़ जाये तो वह नापाक नही होता, चाहे वह ज़्यादा हो या कम।

यह हदीस प्रमाणित (दलालत) करती है कि जब पानी मात्रा (मिक़दार) में ज़्यादा हो तो नापाक चीज़ गिरने से वह नापाक नही होता।

(٣) وعَنْ أَبِي أُمامَةَ البَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ». أَخرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِم، وَلِلْبَيْهَقِيّ: الماءُ طَهُورٌ إِلَّا إِن تَغَيَّر رِيحُه أو طَعْمُه أو لَونُه بِنَجَاسَةٍ تَحدُثُ فِيهِ.

3. अबु उमामा बाहिली ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "पानी को कोई चीज़ नापाक (अपवित्र) नहीं करती, मगर जो उसकी गंध और स्वाद (ज़ायक़ा) तथा रंग पर ग़ालिब हो जाये।" (इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है और अबू हातिम ने 'ज़ईफ़' कहा है) बैहक़ी में है कि "पानी पाक है" मगर जबकि उसकी गंध, स्वाद या रंग किसी गंदगी (नजासत) के गिरने से बदल जाये।

फायेदा :

केवल नजासत का पानी में गिर जाना उसे नापाक नहीं बनाता, यह उस हालत (अवस्था) मे है जब पानी की मिक़दार (मात्रा) ज़्यादा हो, यानी दो बड़े मटकों की मिक़दार के बराबर हो। लेकिन नजासत गिर कर उसकी बू (गंध), ज़ायेका और रंग में कोई तबदीली कर दे तो पानी नापाक हो जायेगा, चाहे वह कम हो या ज़्यादा।

(٤) وعَنْ عَبدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «إذَا كَانَ المَآءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحمِلِ الخَبَثَ». وفي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجُسْ». أَخرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

4. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब पानी की मिक़दार (मात्रा) दो बड़े मटकों के बराबर हो तो वह नजासत को क़बूल नहीं करता।" एक दूसरी रिवायत के यह शब्द हैं: "पानी नापाक नहीं होता।" (इसे अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है, इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा :

यह हदीस पानी की कम और ज़्यादा मिक़दार (मात्रा) के बीच सीमा (हद) और अंतर (फ़र्क़) को वाज़ेह करती है। इन तमाम अहादीस से मालूम होता है कि अगर पानी दो मटकों से कम हो तो मात्र उस में नजासत पड़ जाने से नापाक (अपवित्र) हो जाता है चाहे उसका गुण (औसाफ़) बदले

या न बदले। और जब दो मटके या उससे ज़्यादा हों तो सिर्फ़ नजासत पड़ने से नापाक नही होता बल्कि पाक रहता है, फिर अगर नजासत पड़ने से उसके तीनों गुणों (औसाफ़) में से कोई बदल जाये तो वह नापाक हो जाता है।

जहाँ तक "बीर बुज़ाआ" वाली हदीस का तअल्लुक़ है, उसका तुम्हें इल्म (ज्ञान) है कि उसका पानी दो मटकों से बहुत ज़्यादा था।

(٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ». أخرجه مسلم. وللبخاري: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المآءِ الدَّائِمِ الَّذي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ». ولِمُسْلِمٍ «منه» وَلأَبِي دَاوُد «وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ».

5. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से जो व्यक्ति सहवास (जनाबत) से नापाक हो वह ठहरे हुए पानी में स्नान (ग़ुस्ल) न करे।" (इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है, और बुख़ारी के शब्द (अलफ़ाज़) यह हैं : "तुम में से कोई भी ठहरे पानी में पेशाब न करे और फिर उस में ग़ुस्ल करे" और मुस्लिम के अलफ़ाज़ 'फीह' के बजाय 'मिन्हु' हैं यानी इस से कुछ पानी लेकर स्नान (ग़ुस्ल) करे, और अबु दाऊद के अलफ़ाज़ यह हैं : "जनाबत (सहवास) की हालत में उस में ग़ुस्ल न करें।"

फ़ायेदा :

मुस्लिम की रिवायत का मतलब सिर्फ़ ग़ुस्ल करने की मनाही निकलती है, और बुख़ारी की रिवायत में उस में पेशाब करने और उस में ग़ुस्ल (स्नान) करने दोनों की मनाही है। सारी रिवायतों से यह हासिल हुआ कि दोनों अमल निषेध (ममनूअ) हैं, यह इस बिना पर कि ठहरा हुआ पानी अगर मिक़दार (मात्रा) में कम है तो फिर वह नापाक हो जायेगा और अगर ज़्यादा मिक़दार (मात्रा) में है फिर उसमे पेशाब (मूत्र) और ग़ुस्ल (स्नान) करना उस के किसी एक गुण (औसाफ़) को बदल देता है तो उस से वह नापाक (अपवित्र) हो जाता है।

(٦) وعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ المَرأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعاً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

6. एक ऐसे आदमी से रिवायत है जो नबी ﷺ के साथ रहा, उसने कहा: रसूलुल्लाह ﷺ ने मना फ़रमाया है कि: "औरत मर्द के बचे हुए ग़ुस्ल के पानी से और मर्द औरत के बचे हुए ग़ुस्ल के पानी से ग़ुस्ल करे, हाँ! दोनों इकट्ठे चुल्लू से ले ले (तो कोई हरज नहीं) (इसे अबू दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है और इसकी सनद सहीह है)

फ़ायेदा :

इस हदीस में नही से मुराद नहीं तन्ज़ीही है। आने वाली हदीस में इस का जवाज़ मौजूद है ताकि कोई यह न समझ बैठे कि औरत के ग़ुस्ल से बचा हुआ पानी अपने ग़ुस्ल के लिए इस्तेमाल नही कर सकता।

7. इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ अपनी पत्नी मैमूना रज़ि अल्लाहु अन्हा के बचे हुए ग़ुस्ल के पानी से ग़ुस्ल कर लिया करते थे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है, और अस्हाबे सुनन की रिवायत में इस तरह है कि नबी ﷺ की किसी एक पत्नी ने एक लगन में ग़ुस्ल किया, नबी ﷺ उससे ग़ुस्ल करने के लिए आये तो उसने आप से कहा कि मैंने इस में हालते जनाबत (सहवास) से ग़ुस्ल किया है तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "पानी नापाक नहीं होता।" (इस रिवायत को तिर्मिज़ी और इब्ने ख़ुज़ैमा ने सहीह कहा है)

(٧) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضي الله تعالى عنها. أخرجه مسلم. وَلِأَصْحَابِ السُّنَنِ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَغْتَسِلَ مِنها، فَقَالَتْ له: إِنِّي كُنْتُ جُنُباً، فَقَالَ: «إِنَّ المَاءَ لَا يَجْنُبُ». وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابنُ خُزَيْمَةَ.

फ़ायेदा :

इस का अर्थ है कि किसी पानी वाले बर्तन से पानी लेकर नहाने की वजह से वह पानी नापाक नहीं होता।

इस हदीस से किसी को यह शक पैदा न हो कि यह हदीस पहली के मुख़ालिफ़ (विपरीत) है, असल में उम्मत की सहूलत और आसानी के लिए ऐसा फ़रमाया है और ख़ुद अमल करके बता दिया, दोनों अहादीस अपनी जगह सही हैं।

8. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : "तुम में से किसी के बर्तन में जब कुत्ता मुँह डाल दे तो उसे सात बार धोये, सबसे पहले उसे मिट्टी से मल कर धोये" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है, और मुस्लिम के ही शब्द (अलफ़ाज़) हैं कि "उसे गिरा देना चाहिए" और तिर्मिज़ी में है कि पहली या आख़िरी बार मिट्टी के साथ साफ़ करना चाहिए।

(٨) وعَنْ أبي هُرَيرَةَ رضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَفِي لَفْظٍ لَهُ «فَلْيُرِقْه». وَلِلتِّرمِذِيِّ: «أُخْرَاهُنَّ أَوْ أُولَاهُنَّ بالتُّراب».

फ़ायेदा :

यह हदीस इस बात पर दलालत करती है कि कुत्ते का मुँह, थूक और उस का झूठा नजिस व नापाक है, और यही उस के सारे बदन के नजिस व नापाक (अपवित्र) होने का सुबूत है और बर्तन को सात बार धोना तथा मिट्टी से साफ़ करना भी वाजिब (अनिवार्य) है।

आज के दौर में कुछ चिकित्सक (डाक्टर) बतलाते है कि ज़्यादातर कुत्तों की आँतों में बहुत छोटे-छोटे कीटाणु होते हैं जो चार मिली मीटर लम्बे होते हैं, और जब कुत्ता पायखाना करता है तो बहुत से अंडे निकलते हैं और पायखाना करने की जगह के इर्द-गिर्द बालों के साथ इन में चिपक जाते हैं और जब वह अपनी ज़ुबान से खुद उसे साफ़ करता है तो यह अंडे उसकी ज़ुबान और मुँह में लग जाते हैं। फिर जब वह किसी बर्तन में मुँह डालता है या पानी पीता है या जब कोई इस के मुँह का चुम्बन (बोसा) लेता है, जैसाकि यूरोपियन लोग अकसर ऐसा करते हैं तो यह अंडे इन चीज़ों से चिमट जाते हैं और खाने-पीने के वक़्त आसानी से उस के मुँह तक पहुँच जाते हैं, मुँह तक पहुँचने के बाद पेट तक पहुँच जाते हैं, और उनसे कीड़े पैदा होकर आँत की दीवारों में सूराख़ करके खून की नालियों में पहुँच जाते हैं, और इस तरह दिल, दिमाग़ और फेफड़े में बहुत से रोग पैदा कर देते हैं। इन सब चीज़ों का यूरोपियन डाक्टर अपने देश में तर्जबा कर चुके हैं।

(٩) وعن أَبِي قَتَادَةَ رضي اللهُ تعالى عنه أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قَالَ في الهِرَّةِ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

9. अबु कतादा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बिल्ली के बारे में फ़रमाया: "वह नापाक (अपवित्र) नहीं है क्योंकि यह हर समय आने जाने वाला घरेलू जानवर है" (इस हदीस को चारों यानी अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और इब्ने खुज़ैमा ने सहीह कहा है)

फ़ायेदा :

इस रिवायत से यह साबित होता है कि बिल्ली का झूठा नापाक नहीं है, मगर यह कि उस के मुँह पर गंदगी न लगी हो।

(١٠) وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي اللهُ تعالى عنه قال: جَآءَ أَعْرابِيٌّ فَبَالَ في طَآئِفَةِ المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ رَسولُ اللهِ ﷺ، فلمَّا قَضَى بَولَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ من مَآءٍ فأُهْرِيقَ عَلَيْه. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

10. अनस बिन मालिक ؓ से रिवायत है कि एक गँवार आया और मस्जिद के कोने में पेशाब करना शुरू कर दिया तो लोगों ने उसे डाँटा, लेकिन नबी ﷺ ने उन्हें ऐसा करने से मना फ़रमाया, जब वह गँवार पेशाब कर चुका तो आप ﷺ ने एक डोल पानी का मँगाया और उस जगह पर बहा दिया (जहाँ उसने पेशाब किया था) बुख़ारी और मुस्लिम।

फ़ायेदा :

इस हदीस से यह बात वाज़ेह हुई कि आदमी का पेशाब नापाक है, उम्मते मुस्लिमा का इस पर इजमा है, इसके अलावा यह भी मसला साबित हुआ कि ज़मीन अगर नापाक है तो पानी से पाक हो जाती है, चाहे ज़मीन सख़्त हो या नर्म। इसके अलावा इस हदीस से मस्जिद की अज़मत और उस का एहतेराम, नादान आदमी के साथ नर्मी करना, सख़्ती न करना आप ﷺ का हुस्ने अख़लाक और बेहतरीन तरीक़ा से दीन की तालीम (शिक्षा) देना आदि बहुत सी बातें ज़ाहिर हैं।

(١١) وعن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَتَانِ: فَالجَرَادُ وَالحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالكَبِدُ وَالطِّحَالُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وابْنُ مَاجَه، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

11. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हमारे लिए दो मरी हुई चीज़ें और दो ख़ून हलाल कर दिये गये हैं, दो मरी हुई चीज़ें (जिन्हे ज़ब्ह न किया गया हो) एक टिड्डी दूसरी मछली, और दो ख़ून तो वह कलेजी और तिल्ली है।" (इसे अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इस (की सनद) में कमज़ोरी है)

फ़ायेदा :

मुसन्निफ़ (लेखक) ने इस रिवायत को पानी के बाब (अध्याय) में इसलिए बयान किया है कि अगर मछली और टिड्डी पानी में मर जाये तो पानी नापाक नहीं होता चाहे वह कम मात्रा (मिक्दार) में हो या ज़्यादा।

यह हदीस दलील (प्रमाण) है इस की कि टिड्डी हलाल है, चाहे वह अपनी मौत मरे या किसी दूसरी वजह से। यही हाल मछली का है, चाहे वह पकड़ने के बाद मरी हो या पानी की लहरों के बाहर फेंकने के बाद मरी हो, दोनों सूरतों में हलाल है।

(١٢) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الآخَرِ شِفَاءً». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَزَادَ: «وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ».

12. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम्हारे किसी पीने की चीज़ में मक्खी गिर जाये तो उसे उस में डुबोकर निकालना चाहिए, इसलिए कि उसके एक पंख में रोग और दूसरे में शिफ़ा और इलाज होता है" (इस हदीस को बुख़ारी और अबू दाऊद ने रिवायत किया है, और अबू दाऊद की हदीस में इतना ज़्यादा है कि मक्खी अपना वह पंख डुबाती है जिस में बीमारी (जरासीम) है)

फ़ायेदा :

यह हदीस इस बात की दलील है कि मक्खी अगर किसी पीने वाली चीज़ में गिर कर मर जाये तो वह नापाक नहीं होती है। इस से यह हुक्म भी निकाला गया है कि जिस में बहने वाला खून ही जिस्म (शरीर) में मौजूद न हो, मिसाल के तौर पर मक्खी, मकड़ी और भिड़ वग़ैरह और इन्ही से मिलते जुलते दूसरे परिन्दे। तो इन के किसी भी पेय पदार्थ (मशरूब) या बहने वाली चीज़ में गिर कर मर जाने से वह नापाक नहीं होता।

इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि नुक़सान से बचने के लिए मक्खी का मारना जायेज़ है वर्ना बग़ैर किसी ज़रूरत के किसी को मारना सही नहीं है। बहरहाल पीने की चीज़ में मक्खी के गिरने से वह चीज़ नापाक नहीं होती बल्कि इस सूरत में इसे डुबकी देकर बाहर फेंक देना चाहिए।

(١٣) وعَنْ أَبِي واقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ، وَهِيَ حَيَّةٌ، فَهُوَ مَيِّتٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

13. अबू वाक़िद लैसी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ज़िन्दा जानवर में से जो कुछ काट लिया जाये वह मुरदार है" (इसे अबू दाऊद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, और यह शब्द तिर्मिज़ी के हैं और तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा है

फ़ायेदा :

जाहिल लोग ज़िन्दा जानवरों से कुछ गोश्त काट कर खाया करते थे, इस हदीस में उनके इस काम का बयान है कि ऐसा काटा हुआ गोश्त मुरदार और नापाक है, इसलिए इस का खाना हराम है।

2. बर्तनों का बयान

٢ - بَابُ الآنِيَةِ

(١٤) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

14. हुज़ैफ़ा बिन यमान ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सोने और चाँदी के बर्तनों में न पिया करो और इन के प्यालों में खाया भी न करो, दुनिया में यह काफ़िरों के लिए हैं और आख़िरत में सिर्फ़ तुम्हारे लिए।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा :

बर्तनों के अहकाम बयान करने से यह बताना मक़सूद है कि शरीअ़त इस्लाम में कुछ बर्तन ऐसे हैं जिन्हे इस्तेमाल करना जायेज़ है और कुछ ऐसे हैं जिन का इस्तेमाल करना जायेज़ नहीं है।

इस हदीस से यह मालूम हुआ कि सोने चाँदी के बर्तनों में खाना, पीना, वुज़ू करना और गुस्ल (स्नान) करना हराम है।

15. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हुमा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो व्यक्ति चाँदी के बर्तनों में पीता (खाता) है वह अपने पेट में जहन्नम की आग डालता है" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٥) وعن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالَى عَنها قالت: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में भी सोने चाँदी के बर्तनों में खाने-पीने से मना किया गया है, मना करने के बावजूद भी इस पर अमल करने वालों के लिए जहन्नम (नरक) की आग की वईद है कि ऐसे लोग जहन्नम का ईधन होंगे।

16. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब (कच्चे) चमड़े को (मसाला लगा कर) रंग दिया जाये तो वह पाक हो जाता है" (इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है, और चारों ने यह बयान किया है कि "कोई भी चमड़ा रंगा जाये।"

(١٦) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَعِنْدَ الأَرْبَعَةِ «أَيُّما إِهابٍ دُبِغَ».

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह मतलब निकलता है कि हर तरह के जानवर के चमड़े इस में शामिल हैं, सुअर और कुत्ते का चमड़ा इससे मुस्तसना (अलग) है, और कुछ उलमा के नज़दीक इन तमाम जानवरों का चमड़ा भी इस में शामिल है जिन का गोश्त खाया नहीं जाता।

17. सलमा बिन मुहब्बिक ﷺ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुर्दा जानवरों के चमड़ों का रंगना ही उन की पाकी है।" (इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(١٧) وعن سَلَمَةَ بْنِ المُحَبِّقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قال رسولُ الله ﷺ: «دِبَاغُ جُلُودِ المَيْتَةِ طُهُورُهَا». صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

18. मैमूना रज़ि अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ एक मरी हुई बकरी के पास से गुज़रे, जिसे लोग घसीटते हुए ले जा रहे थे, आप ﷺ ने उन से फ़रमाया: "काश तुम ने इसकी खाल ही उतार ली होती" इस

(١٨) وعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِشَاةٍ يَجُرُّونَها، فَقَالَ: «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَها» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «يُطَهِّرُهَا المَاءُ والقَرَظُ». أَخرَجَه أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

पर वह बोले, यह तो मरी हुई है, आप ﷺ ने (यह सुनकर) फ़रमाया (फिर क्या हुआ?) "इसे पानी और बबूल की छाल पाक कर देती है।" (इसे अबु दाऊद और नसाई ने रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

यह और इस से पहली दोनों अहादीस इस पर दलालत करती हैं कि मरे हुए जानवर के चमड़े रंगाई से पाक हो जाते हैं, तो फिर इन के बर्तनों से वुज़ू वग़ैरह भी जायेज़ है।

(١٩) وعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَومٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

19. अबू सालबा ख़ुशनी ﷺ बयान करते हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हम अहले किताब यहूद व नसारा के इलाक़े में रहते हैं, क्या हम उन के प्रयोग (इस्तेमाल) किये हुए बर्तनों में खा सकते हैं? उत्तर में आप ﷺ ने फ़रमाया: "उन के बर्तनों में न खाओ, लेकिन उन के अलावा और बर्तन न मिल सके तो फिर उन को धोकर उस में खा सकते हो। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि अहले किताब यानी यहूद व नसारा के इस्तेमाल किये हुए बर्तनों में खाना, पीना और इन के बर्तनों से वुज़ू वग़ैरह करना जायेज़ नहीं। इस की वजह वाज़ेह (स्पष्ट) है कि यह लोग नापाक चीज़ें इस में पकाते और खाते तथा पीते हैं, जैसे सुअर का गोश्त पकाते हैं और इन में शराब पीते हैं।

(٢٠) وعَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وأَصْحابَه تَوَضَّؤُوا مِن مَزادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

20. इमरान बिन हुसैन रज़ि अल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी ﷺ और आप के सहाबा (सहचरों) ने एक मूर्तिपूजक (काफ़िर) औरत के मशकीज़े (पखाल) से पानी ले कर वुज़ू किया। (बुख़ारी, मुस्लिम, यह एक लम्बी हदीस का टुकड़ा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से यहूद व नसारा (ईसाई) के अलावा मुशरिकों के भी इस्तेमाल किये हुए बर्तनों के पाक

होने की तरफ राहनुमाई मिलती है, और यह इस पर भी प्रमाणित (दलालत) करती है कि मरे हुए जानवरों की खाल रंगाई के बाद पाक हो जाती है, क्योंकि जिस मशकीज़े से आप ﷺ ने पानी लिया वह एक मुशरिक औरत का था।

21. अनस बिन मालिक ؓ बयान करते हैं कि नबी ﷺ का प्याला टूट गया तो आप ﷺ ने इस टूटी जगह पर चाँदी का तार लगवा दिया। (इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है)

(٢١) وعن أَنَسِ بْنِ مَالِك رَضِيَ الله تعالى عنه: أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात की दलील (प्रमाण) है कि ज़रूरत और मतलब के लिए थोड़ी सी चाँदी का इस्तेमाल करना जायेज़ है। यानी कि अगर खाने पीने के बर्तनो में ज़रूरत पड़ने पर अगर थोड़ी तादाद (मात्रा) में सोना चाँदी लगा हो तो ऐसे बर्तनो में खाना, पीना, वुज़ू और ग़ुस्ल करना जायेज़ है। सोने और चाँदी के बर्तनो में खाने पीने से तकब्बुर और घमंड का अमल दख़ल होता है, और यह अल्लाह तआला को पसन्द नहीं, इसलिए इन का इस्तेमाल नाजायेज़ किया गया है।

3. नजासत (नापाकी) को दूर करने का बयान

٣ - بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيانِها

22. अनस बिन मालिक ؓ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ से शराब से सिर्का बनाने के बारे में पूछा गया तो आप ﷺ ने ऐसा करने से मना फ़रमाया। (इस हदीस को मुस्लिम, तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी ने इसे हसन और सहीह कहा है)

(٢٢) عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قال: «لَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

फ़ायेदा:

इस में यह प्रमाण (दलील) पाया जाता है कि शराब का सिर्का बनाना अवैध (हराम) है। लेकिन इस मामले मतभेद (इख़्तिलाफ़) है कि शराब जब सिर्का बन जाता है तो उस की हुरमत के बारे में क्या राय है। सहीह बात यह है कि ऐसी हालत में इस की हुरमत पर कोई स्पष्ट (वाज़ेह) प्रमाण नहीं और यह हक़ीक़त मालूम है कि एक चीज़ की हालत बदलने से उस का हुक्म भी बदल जाता है, लेकिन शराब का सिर्का बनाना अवैध है।

23. अनस बिन मालिक ؓ बयान करते हैं कि जिस दिन जंगे ख़ैबर थी रसूलुल्लाह ﷺ ने अबू तलहा ؓ को आदेश (हुक्म) दिया (कि लोगों को ख़बर कर दें) तो उन्होंने एलान (घोषणा)

(٢٣) وعَنْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَومُ خَيْبَرَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى: أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فإِنَّها رِجْسٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

किया कि अल्लाह और उस का रसूल ﷺ तुम्हें घरेलू गदहों का गोश्त खाने से मना करते हैं, क्योंकि वह नापाक है। (बख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

गदहे का गोश्त हराम होने पर सब का इत्तेफ़ाक़ है, सिर्फ़ इब्ने अब्बास رضي الله عنه इसे जायेज़ समझते हैं, गदहे का झूठा चारों इमाम के नज़दीक पाक है, कुछ लोग जैसे इमाम हसन बसरी और इमाम औज़ाई वग़ैरह इसे नापाक कहते हैं, इस बारे में अईम्मये अरबा (चारों इमाम) की राय ज़्यादा सहीह है।

(٢٤) وعن عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسولُ الله ﷺ بِمِنًى وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

24. अम्र बिन ख़ारिजा رضي الله عنه बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी सवारी पर मिना में ख़िताब (भाषण) फ़रमाया और उस (ऊँटनी) का थूक मेरे कन्धों पर बहता था। (इसे अहमद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात की दलील है कि उन जानवरों का थूक पाक है जिन का गोश्त खाया जाता है।

(٢٥) وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رسولُ الله ﷺ يَغْسِلُ المَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الغَسْلِ فِيهِ. متفق عليه. ولمسلم: «لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُه مِنْ ثَوبِ رَسولِ اللهِ ﷺ فَرْكاً، فَيُصلِّي فِيهِ. وَفِي لفظٍ لَهُ: «لَقَد كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِساً بِظُفرِي مِنْ ثَوْبِهِ».

25. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी ﷺ (कपड़े पर लगी हुई) वीर्य (मनी) को धोया करते थे, फिर उसी कपड़े को पहन कर नमाज़ पढ़ लेते थे, और मैं धोने के निशान और असर को साफ़ (अपनी आँखों से) देखती थी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

और मुस्लिम की रिवायत में है कि मैं रसूलुल्लाह ﷺ के कपड़े से वीर्य (मनी) को खुरच दिया करती थी, फिर आप ﷺ उसी कपड़े में नमाज़ पढ़ लिया करते थे।

और मुस्लिम की एक रिवायत में इस तरह है कि जब वीर्य (मनी) सूख जाती तो मैं अपने नाख़ुन से इसे खुरच कर आप के कपड़े से निकाल देती थी।

फ़ायेदा:

इस बारे में तमाम रिवायात इस पर दलालत करती है कि मनी (वीर्य) को मुतलक़न कपड़े से धोना वाजिब नहीं, चाहे वह गीली हो या सूखी, बल्कि इस को ख़त्म करने के लिए जब वह सूख जाये तो उसे साफ कर देना काफ़ी है। एक गिरोह ने इन अहादीस की रौशनी में यह इस्तेदलाल (दलील हासिल) किया है कि मनी पाक है, मगर इस में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो यह साबित करती हो कि मनी पाक है।

(٢٦) وعَن أَبِي السَّمْحِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسائِيُّ، وَصَحَّحَه الحَاكِمُ.

26. अबू सम्ह ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है लड़की के पेशाब से कपड़ा धोया जायेगा और लड़के के पेशाब से कपड़े पर पानी के छींटे मारे जायेंगे। (इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और हाकिम ने इस को सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

हदीस से यह साबित हुआ कि लड़के और लड़की के पेशाब में शरई हुक्म अलग-अलग है। लड़की के पेशाब से कपड़े को धोने और लड़के के पेशाब के लिए पानी का छिड़कना उस वक़्त तक है जब तक कि दोनों की ग़िज़ा दूध है, दूध के अलावा ग़िज़ा खाने की सूरत में दोनों के पेशाब नजासत के एतेबार से एक तरह का हुक्म रखते हैं।

(٢٧) وعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ». مُتَّفَقٌ عليه.

27. अस्मा बिन्ते अबू बक्र रज़ि अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी ﷺ ने हैज़ (माहवारी) का ख़ून जो कपड़े को लग जाये के बारे में फ़रमाया : पहले उसे खुरच डालो, फिर पानी से मल कर धो लो, फिर उस पर खुला पानी बहाओ, फिर उस में नमाज़ पढ़ लो। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

ख़ून को पहले ख़ूब रगड़ने का हुक्म है, ताकि पानी का इसमे से गुज़रने का रास्ता बन सके, फिर इसे धोने का हुक्म है, ताकि ख़ून का असर ख़त्म हो जाये, सिर्फ़ धोने से ऐसी सफाई नहीं होती।

(٢٨) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ

28. अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि ख़ौला

عنه قال: قَالَتْ خَولَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِن لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكِ المَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ». أَخْرَجَهُ التِّرمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

रज़ि अल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! अगर (खून लगे हुए कपड़े को अच्छी तरह मल कर धोने के बावजूद) खून का निशान ख़त्म न हो तो फिर क्या किया जाये? आप ने फ़रमाया: "बस तेरा उस पर अच्छी तरह पानी बहाना काफ़ी है, उस का निशान तेरे लिए नुकसानदह (हानिकारक) नहीं।" इसे इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इस की सनद ज़ईफ़ (कमज़ोर) है

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात का सुबूत है कि नजासत ऐन (गन्दगी) को ख़त्म करने के बाद कपड़ा पाक हो जाता है, इस के बाकी असरात और निशानात को दूर करना कपड़े की पाकीज़गी के लिए शर्त नहीं है।

٤ - بَابُ الوُضُوءِ

4. वुज़ू का बयान

(٢٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه عن رسولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ». أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيقاً.

29. अबु हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अगर मुझे अपनी उम्मत को दुख और तकलीफ़ में पड़ जाने का ख़तरा न होता तो मैं हर वुज़ू के साथ उन्हें मिस्वाक (दातून) करने का हुक्म दे देता।" (मालिक, अहमद और नसाई ने इसे रिवायत किया है और इब्ने खुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है, और बुख़ारी ने इस को तालीक़न नक़्ल किया है।

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि जब भी वुज़ु किया जाये इस के साथ दातून करना मसनून है। मुस्लिम और अबू दाउद में मरवी है कि दातुम करना मुँह को साफ और अपने अल्लाह को राज़ी करने का मूजिब है, और यह कि दातून तमाम अम्बिया और रुसुल की सुन्नत है।

(٣٠) وعَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ

30. हुमरान मौला उस्मान ؓ रिवायत करते हैं कि हज़रत उस्मान ؓ ने वुज़ू का पानी

كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

मंगाया, पहले अपने हाथों की हथेलियाँ तीन बार धोयी, फिर मुँह में पानी डाल कर कुल्ली की, फिर नाक में पानी चढ़ाया और उसे झाड़ कर साफ किया, फिर तीन बार अपना चेहरा धोया, फिर अपना दायाँ हाथ कुहनी तक तीन बार धोया, फिर बायाँ (हाथ) को भी उसी तरह (धोया) अपने सर का मसह किया, फिर अपना दायाँ पाव टखनों तक तीन बार धोया, फिर बायाँ पाँव को भी उसी तरह (धोया) फिर फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इसी तरह वुज़ू करते देखा है जिस तरह अभी मैंने वुज़ू किया है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से आज़ाये वुज़ू में से हाथ, मुँह और पांव का तीन-तीन बार धोना साबित होता है। दूसरी रिवायत में दो- दो बार और कुछ रिवायात में एक-एक बार धोने का जिक भी आया है। मुहद्दिसीन फ़ुकहा ने इन रिवायात में इस तरह ततबीक़ दी है कि हर अंग (अज़ो) का एक-एक बार धोना वाजिब और तीन-तीन बार धोना मसनून है। दो-दो बार भी धो लिया जाये तो भी काफी है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर इजमा नक़्ल किया है कि वाजिब तो सिर्फ एक बार धोना ही है।

(٣١) وعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، بَلْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ.

31. अली ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ के वुज़ू के बारे में बयान करते हुए फ़रमाया: आप ﷺ ने अपने सर का मसह एक बार किया। (इसे अबू दाउद, नसाई और तिर्मिज़ी ने सहीह सनद के साथ रिवायत किया है, बल्कि तिर्मिज़ी ने तो यहाँ तक कहा है कि इस बाब में यह हदीस सब से ज़्यादा सहीह है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि सर का मसह एक बार ही फ़र्ज़ है। उम्मत के उलमा की ज़्यादातर तादाद का यही मसलक है, अलबत्ता इमाम शाफई रहमतुल्ल्ला अलैह मसह में तकरार के क़ायेल हैं और दूसरे आज़ा की तरह तीन बार मसह को मुस्तहब क़रार देते हैं।

(٣٢) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رضي الله تعالى عنه - فِي صِفَةِ الوُضُوءِ - قَالَ: وَمَسَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

32. अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम ﷺ से वुज़ू के बारे में मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने सर का मसह इस तरह किया कि दोनों हाथ सर के आगे से पीछे की तरफ ले गये और फिर पीछे से आगे की तरफ वापस ले आये। (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ.

एक रिवायत में जिसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है इस तरह है कि आप ﷺ सर के अगले हिस्से से शुरू करके हाथों को सर के पिछले हिस्से यानी गुद्दी तक ले गये और फिर उसी तरह दोनों हाथों को सर के बालों का मसह करते हुए उसी जगह वापस ले आये जहाँ से मसह शुरू किया था।

फ़ायदा:

इस हदीस से यह साबित हुआ कि सर के मसह की शुरूआत सर के अगले हिस्से से किया जाना चाहिए।

(٣٣) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله تعالى عنهما - في صِفَةِ الوُضُوءِ - قَالَ: ثُمَّ مَسَحَ ﷺ بِرَأْسِهِ وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْه. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

33. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से वुज़ू की कैफ़ियत के बारे में रिवायत है कि आप ﷺ ने अपने सर का मसह किया और अपने हाथों की दोनों अंगुलियों को कानों में डाला और अंगूठों से कानों के बाहर का मसह किया। (इस रिवायत को अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने ख़ुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात का सुबूत है कि नबी करीम ﷺ ने कानो के ज़ाहिर और बातिन दोनों पर मसह किया है। ज़ाहिर से मतलब कान का वह हिस्सा जो सर के साथ जुड़ा होता है और बातिन वह है जो मुँह के क़रीब होता है। तिर्मिज़ी ने कानों के ज़ाहिर और बातिन पर मसह की हदीस बयान करके कहा कि अहले इल्म का अमल इसी पर है।

34. अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से जब कोई नींद से बेदार हो तो तीन बार अपना नाक झाड़ कर साफ करे, इसलिए कि शैतान नाक के नथुनों की हड्डी पर रात गुज़ारता है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٣٤) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثاً، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

35. यह रिवायत भी अबू हुरैरा ﷺ ही से है, जिस में आया है कि: "तुम में से कोई नींद से जागे तो जब तीन बार धोने से पहले अपना हाथ पानी के बर्तन में न डाले, क्योंकि इसे यह मालूम नहीं कि रात भर हाथ कहाँ कहाँ जाता रहा है (और किस किस चीज़ को छूता और मस करता रहा है) (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

(٣٥) وعَنْهُ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

फ़ायेदा:

हदीस में मज़कूर अलफ़ाज़ फिल-इनाऐ इस पर दलालत करता है कि जो शख़्स दिन और रात में जिस वक़्त नींद से उठे तो उस के लिए मुस्तहब है कि किसी बर्तन में हाथ डालने से पहले उसे तीन वार धो ले। यह हुक्म हर तरह के बर्तन के लिए है, अलबत्ता नहर, बड़ा हौज़ और तालाब इस हुक्म से मुस्तसना है औरं उन में हाथ डालना जायेज़ है।

36. लक़ीत़ बिन सबेरह ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "वुज़ू अच्छी तरह पूरा करो और अंगुलियों का ख़िलाल करो, नाक में पानी अच्छी तरह चढ़ाया करो मगर रोज़े की हालत में (ऐसा न करो)" (इस हदीस को अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इब्ने ख़ुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है)

अबू दाउद की एक रिवायत के अलफ़ाज़ हैं: "जब तुम वुज़ू करो तो कुल्ली करो।"

(٣٦) وعَنْ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ».

फ़ायेदा:

वुज़ू के मक़ामात को पूरी तरह धोना, हाथों और पावों की अंगुलियों का ख़िलाल करना, ताकि कहीं कोई जगह सूखी न रह जाये।

(٣٧) وعَنْ عُثْمَانَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الوُضُوءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

37. उस्मान ﷺ बयान करते हैं कि नबी ﷺ वुज़ू करते हुए अपनी दाढ़ी का ख़िलाल किया करते थे। (इस हदीस को तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, और इब्ने ख़ुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

दाढ़ी का ख़िलाल नबी करीम ﷺ से साबित है और यह मसनून है वाजिब नहीं।

(٣٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِثُلُثَي مُدٍّ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

38. अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ﷺ रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ की ख़िदमत में दो तिहाई मुद पानी पेश किया गया तो आप ﷺ ने धोने के लिए बाज़ुओं को मलना शुरू किया। (अहमद ने इसे रिवायत किया है और इब्ने ख़ुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

दो तिहाई मुद की मिक़दार वाली हदीस बुख़ारी और मुस्लिम में है कि नबी ﷺ ने इतने पानी से वुज़ू किया और एक रिवायत में एक मुद से वुज़ू करने का ज़िक्र भी है। हिजाज़ी मुद अंग्रेज़ी सेर और किलो से कुछ ज़्यादा का होता है, इस से मालूम हुआ कि ज़्यादा मिक़दार में पानी बिना ज़रूरत इस्तेमाल करने से परहेज़ करना बेहतर है।

(٣٩) وعَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ المَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ. أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ أَيْضاً.

39. और उन ही (अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ﷺ) से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ को देखा कि आप ﷺ जो पानी सर के मसह के लिए लेते थे, कानों के मसह के लिए उस से अलग लेते थे। (इसे बैहक़ी ने रिवायत किया है और कहा है कि इस की सनद सहीह है, और तिर्मिज़ी ने भी इसे सहीह कहा है)

और मुस्लिम के यहाँ इसी सनद से यह रिवायत इन अलफ़ाज़ के साथ है : "आप ﷺ

وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الوَجْهِ بِلَفْظ: ومَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ. وَهُوَ المَحْفُوظُ.

ने सर का मसह किया मगर वह हाथों से बचा हुआ पानी नहीं था। यानी नया पानी इस्तेमाल किया और यही मुस्लिम की रिवायत महफ़ूज़ है।"

फ़ायेदा:

इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह की यही राय है कि कानों के मसह के लिए नया पानी लेना चाहिए। मगर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की राय यह है कि जब कान सर के साथ शामिल हैं तो फिर सर के मसह का पानी ही कानों के लिए काफ़ी है। ज़्यादातर अहादीस सहीहा इसी राय की ताईद करती है।

(٤٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

40. अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते हुए सुना है: "क़ियामत के दिन मेरी उम्मत के लोग ऐसी हालत में आयेंगे कि वुज़ू के असरात की वजह से उन के हाथ पाँव चमकते होंगे, तुम में से जो भी इस चमक और रौशनी को ज़्यादा बढ़ा सकता हो उसे ज़रूर बढ़ानी चाहिए। (बुख़ारी, मुस्लिम और अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस का मतलब है कि आज़ाये वुज़ू को फ़र्ज़ की हद से ज़्यादा तक धोना, जैसे हाथों को कन्धों तक और पावों को घुटनों तक। इस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा ने यही मफ़हूम समझा और इसी पर उन का अपना अमल था।

(٤١) وعَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله تعالى عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

41. हज़रत आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ जूता पहनने, बालों में कंघी करने और वुज़ू करने बल्कि हर काम के लिए दायें तरफ को पसन्द करते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

नबी करीम ﷺ हर अच्छे काम में दायें तरफ को पसन्द करते, जैसे मस्जिद में दाख़िल होने, नमाज़ से फ़ारिग़ होने के वक़्त सलाम फेरने, आ ज़ाये वुज़ू को धोने, खाने-पीने, मुसाफ़हा करने, दूध दूहने, लिबास पहनने, सुर्मा लगाने और मिस्वाक करने के वक़्त वग़ैरह। आज के दौर का मुसलमान इन अहम चीज़ों को भूल बैठा है और दूसरों की नक़्क़ाली में दायें की बजाय बायें को पसन्द करने लगा है, बड़े अफ़सोस की बात है।

(٤٢) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

42. हज़रत अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम वुज़ू करने लगो तो अपने दायीं तरफ से शुरु किया करो। (इसे अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई ओर इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इब्ने ख़ुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है

फ़ायेदा:

इस हदीस से भी यही साबित होता है कि आप ﷺ को दायाँ पहलू ही पसन्द और प्यारा था, ख़ुद भी इसी पर अमल करते रहे और उम्मत को भी हुक्म फ़रमाया कि दायें तरफ से शुरूआत करनी चाहिए।

(٤٣) وعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله تعالى عنه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعلَى العِمَامَةِ وَالخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

43. मुग़ीरह बिन शोबा ﷺ रिवायत करते हैं कि नबी करीम ﷺ ने वुज़ू किया तो अपनी पेशानी के बालों, पगड़ी और मोज़ों पर मसह किया। (इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

यह हदीस इस पर दलालत करती है कि सिर्फ पेशानी पर मसह करना काफी नहीं, और पगड़ी पर मसह के जुमहूर क़ायेल नहीं। मगर अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने ज़ादुल-मआद में बयान किया है कि आप ﷺ कभी सिर्फ नंगे सर पर मसह फ़रमा लेते और कभी पगड़ी और पेशानी समेत दोनों पर और सिर्फ पेशानी पर मसह करना आप ﷺ से साबित नहीं है। यह हदीस इस बात का भी सुबूत है कि मोज़ा पर मसह करना जायेज़ है, इसी तरह यह हदीस इस का भी सुबूत है कि पगड़ी पर मसह जायेज़ और सहीह है। इस की दो सूरतें मुमकिन हैं, पहली सूरत यह कि कुछ मसह सर पर किया जाये और कुछ पगड़ी पर, इस में इख़्तिलाफ़ नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि सिर्फ पगड़ी पर मसह किया जाये।

(٤٤) وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله تعالى عنهما - فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ﷺ: «ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ هَكَذا بِلَفْظِ الأَمْرِ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ الخَبَرِ.

44. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने नबी ﷺ के हज की तफ़सील बयान करते हुए कहा कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "शुरूआत इसी तरह करो जिस तरह अल्लाह तआला ने शुरू किया है। (नसाई ने अम्र के लफ़्ज़ के साथ रिवायत किया है यानी हुक्मन फ़रमाया कि (शुरू

करो) जबकि इमाम मुस्लिम ने खबर के अलफ़ाज़ में इसे बयान किया है, यानी हम शुरू करते हैं)

फ़ायेदा:

मुसन्निफ़ (लेखक) इस हदीस को वुजू के बाब में लाकर यह बताना चाहते हैं कि मक़ामाते वुजू के धोने में भी तरतीब का ख़्याल रखना चाहिए। कुरआन ने जिस मक़ाम को पहले धोने का हुक्म दिया है उसे पहले धोया जाये, जिस तरह कुरआन मजीद ने मनासिके हज की अदायेगी का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया यानी सई की शुरूआत सफ़ा से की जाये, इसी तरह वुजू की आयत में जो तरतीब मज़कूर है उस का ख़्याल रखा जाये और वुजू की आयत में चेहरों का धोना पहले आया है, हाथ और बाक़ी हिस्सों का बाद में है, उसी तरतीब से वुजू किया जाना चाहिए।

(٤٥) وعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَآءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِي بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

45. उन्हीं (जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ जब वुजू करते तो अपनी कुहनियों पर अच्छी तरह पानी डालते। (इसे दारे कुतनी ने रिवायत किया है, इस की सनद ज़ईफ़ है)

(٤٦) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ زَيْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ.

46. अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "वुजू की शुरूआत करते वक़्त जिस ने पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी उस का कोई वुजू नहीं।" (इस हदीस को अहमद, अबू दाउद, इब्ने माजा ने रिवायत किया है, मगर इन की बयान की हुई सनद ज़ईफ़ है, और तिर्मिज़ी ने यह हदीस सईद बिन ज़ैद से रिवायत की है और इसी तरह इसे अबू सईद से भी रिवायत किया है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का क़ौल है कि इस बारे में कोई चीज़ साबित नहीं।)

फ़ायेदा:

वुजू की शुरूआत में बिस्मिल्लाह पढ़ना मसनून है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और दाउद ज़ाहिरी के नज़दीक वुजू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना वाजिब है।

47. तलहा बिन मुसर्रिफ़ रहमतुल्लाह अलैह अपने बाप से वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को अपनी आँखों से देखा है कि आप ﷺ कुल्ली और नाक के लिए अलग अलग पानी लेते थे। (इस रिवायत को अबू दाउद ने ज़ईफ़ सनद के साथ रिवायत किया है)

(٤٧) وعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से कुल्ली के लिए अलग और नाक के लिए अलग पानी लेना साबित होता है। लेखक ने इस रिवायत को सनद के एतेबार से ज़ईफ़ कहा है।

48. अली رضي الله عنه से वुज़ू के बयान के बारे में रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने तीन बार कुल्ली की और नाक में पानी डाला। आप ﷺ कुल्ली और नाक में पानी उसी हाथ से दाख़िल करते जिस से पानी लेते थे। (अबू दाउद, नसाई ने इसे रिवायत किया है)

(٤٨) وعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي صِفَةِ الوُضُوءِ -: ثُمَّ تَمَضْمَضَ ﷺ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثاً، يُمَضْمِضُ وَيَنْثُرُ مِنَ الكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ المَآءَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि एक ही चुल्लू पानी मुँह और नाक दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है और यह भी साबित हुआ कि इस अमल को नबी करीम ﷺ तीन बार करते थे और नसाई की रिवायत में सराहत है कि आप ﷺ नाक बायें से झाड़ते थे, मुँह और नाक में पानी दायें हाथ से दाख़िल करते।

49. अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से वुज़ू के बयान के बारे में रिवायत करते हैं कि नबी करीम ﷺ ने अपना हाथ पानी में डाला, फिर कुल्ली की और नाक में पानी चढ़ाया, एक ही चुल्लू से, ऐसा आप ﷺ ने तीन बार किया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٤٩) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله تعالى عنه - فِي صِفَةِ الوُضُوءِ -: ثُمَّ أَدْخَلَ ﷺ يَدَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

दोनों हदीसें कुल्ली और नाक में पानी चढ़ाने के लिए एक ही चुल्लू के काफ़ी होने पर दलालत करती हैं।

50. अनस رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि नबी

(٥٠) وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله تعالى عنه

قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً وَفِي قَدَمِهِ مِثْلَ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ المَآءُ، فَقَالَ: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

करीम ﷺ की नज़र एक ऐसे आदमी पर पड़ी जिस के पाँव के नाखुन बराबर जगह पर पानी न पहुँचा, (यानी सूखा रह गया), आप ﷺ ने उसे हुक्म दिया कि वापस जाओ और अच्छी तरह से वुज़ू करो। (इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

यह हदीस इस पर साफ दलील है कि सारा पाँव धोना फ़र्ज़ है। एक दूसरी हदीस में जिसे मुस्लिम ने रिवायत किया है कि पाँव का जितना हिस्सा सूखा रह गया उस के लिए आग है।

(٥١) وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

51. उन्हीं (अनस ؓ) से यह भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ एक मुद पानी से वुज़ू और एक साअ यानी पाँच मुद तक पानी से ग़ुस्ल कर लिया करते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

वुज़ू और ग़ुस्ल के लिए उतना ही पानी इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए जितना नबी करीम ﷺ ने किया है, बिला वजह ज़रूरत से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना इसराफ़ (फ़ुज़ूल) में शुमार होगा, जो शरीअत की रू से पसंदीदा नहीं है।

(٥٢) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِين وَاجْعَلْنِي مِنَ المُتَطَهِّرِين».

52. उमर ؓ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से कोई भी ऐसा नहीं कि वह वुज़ू करे और बहुत अच्छी तरह करे, फिर इस तरह कहे कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उस का कोई साझी और शरीक नहीं, और इस बात की भी गवाही देता हूँ कि मुहम्मद ﷺ उस के बन्दे और रसूल हैं, मगर उस के लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खोल दिये जाते हैं कि अब जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाख़िल हो जाये" (मुस्लिम और तिर्मिज़ी ने इसे रिवायत किया है) और तिर्मिज़ी ने इतना बढ़ाया है कि "ऐ अल्लाह मुझे तौबा करने और पाक रहने वालो में से कर दे।"

5. मोज़ों पर मसह करने का बयान

٥ - بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

(٥٣) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَوَضَّأَ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

53. मुग़ीरा बिन शोबा ﷺ रिवायत करते हैं कि मैं नबी ﷺ के साथ था, आप ﷺ ने वुज़ू करना शुरू किया तो मैं आप ﷺ के मोज़े उतारने के लिए लपका, आप ﷺ ने फ़रमाया: "छोड़ दो, मैंने जब यह मोज़े पहने थे तो मैं वुज़ू से था" फिर आप ﷺ ने उन पर मसह किया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह साबित हुआ कि मोज़ों पर मसह उसी सूरत में सहीह और जायेज़ है जबकि वुज़ू करके पहने गये हों।

(٥٤) وللأَرْبَعَةِ عَنْهُ إِلَّا النَّسَائِيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

54. नसाई के अलावा बाक़ी सुनन की चारों किताबों में मुग़ीरा बिन शोबा ﷺ ही के यह अलफ़ाज़ हैं कि नबी ﷺ ने मोज़ों के उपर और नीचे दोनों तरफ मसह किया। (इस रिवायत की सनंद ज़ईफ़ है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मोज़ों पर मसह उपर और नीचे दोनों तरफ होना चाहिये, मगर यह रिवायत ज़ईफ़ है और सहीह हसन रिवायत के मुख़ालिफ़ है, जैसाकि आगे हदीस में आ रहा है।

(٥٥) وعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

55. अली ﷺ रिवायत करते हैं: अगर दीन का दारो मदार राय और अक़्ल पर होता तो फिर मोज़ों की निचली सतह पर मसह उपर के मुक़ाबिले में ज़्यादा क़रीने क़ियास था, मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह ﷺ को मोज़ों के उपरी हिस्से पर मसह करते देखा है" (अबू दाउद ने इस को हसन सनद के साथ रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस का मतलब यह है कि दीन के अहकाम की बुनियाद वह्यी इलाही पर है अक़्ल व राय पर नहीं, अगर अक़्ल पर उस का इंहेसार और दारोमदार होता तो मोज़ों की उपरी सतह पर मसह कभी

जायेज़ न होता, बल्कि निचली सतह पर होता, क्योंकि गंदगी लगा हुआ निचला हिस्सा होता है, इसलिए नस्से सहीह की मौजूदगी में अक़्ल और राय पर अमल करना ठीक नहीं।

(٥٦) وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنا إِذَا كُنَّا سَفْراً أَن لَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ولَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَولٍ وَنَوْمٍ. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ.

56. सफ़वान बिन अस्साल ؓ रिवायत करते हैं कि जब हम मुसफिर होते तो रसूलुल्लाह ﷺ हमे हुक्म देते कि "हम तीन दिन और तीन रातें मोज़े न उतारें, इल्ला यह कि हालते जनाबत लाहिक़ हो जाये, अलबत्ता पाख़ाना, पेशाब और नींद की वजह से उतारने की ज़रूरत नहीं" (इसे नसाई और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, यह अलफ़ाज़ तिर्मिज़ी के हैं, तिर्मिज़ी और इब्ने ख़ुज़ैमा दोनों ने इस को सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

मोज़ों पर मसह बिला इख़्तिलाफ़ (मतभेद) जायेज़ है, मोज़ों पर मसह की रिवायात बयान करने वाले सहाबा की तादाद अससी (80) के लगभग है, जिन में दस जन्नत की ख़ुशख़बरी पाने वाले भी शामिल हैं।

मुक़ीम और मुसाफिर की मुद्दत मुख़्तलिफ़ है, मुसाफिर के लिए तीन दिन और तीन रात और मुक़ीम के लिए एक दिन और एक रात शरई हद है। मुद्दत का आग़ाज़ (आरम्भ) वुज़ू टूटने के वक़्त से शुरू होगा, मोज़ा पहनने के वक़्त से नहीं, मिसाल के तौर पर एक शख़्स नमाज़ ज़ुहर के वक़्त वुज़ू करके मोज़े पहनता है और उस का वुज़ू शाम को जाकर टूटता है तो उस के लिए शुरूआत की मुद्दत शाम का वक़्त होगा। मसह का तरीक़ा इस तरह है कि हाथ की पाँचों अंगुलियों को पानी से तर करके इन के पोरों को पाँव की अंगुलियों से पिंडली के शुरूआत तक खींच कर ले जाये, हदस लाहिक़ होने की सूरत में अगर मोज़ा उतार लिया जाये जो मसह टूट जाता है और मुद्दत के ख़त्म होने के वाद भी मसह टूट जाता है।

(٥٧) وعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَومًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، يَعْنِي فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

57. अली ؓ फ़रमाते हैं कि नबी करीम ﷺ ने मुसाफिर के लिए मोज़ों पर मसह के लिए तीन दिन और तीन रात और मुक़ीम के लिए एक दिन और एक रात मुद्दत मुक़र्रर फ़रमाई है। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(٥٨) وعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً فَأَمَرَهُمْ أَنْ

58. सौबान ؓ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक सरिया (यानी एक

छोटा लश्कर) रवाना किया और उन्हें पगड़ियों और मोज़ों पर मसह करने का हुक्म दिया। (इसे अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

يَمْسَحُوا عَلَى العَصَائِبِ، يَعْنِي العَمَائِمَ، وَالتَّسَاخِينِ، يَعْنِي الخِفَافَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

फ़ायेदा:

पट्टियों से मुराद ऐसी पट्टियाँ भी हो सकती हैं जो ज़ख़्मियों के ज़ख़्मों पर बाँधी जाती है, या किसी का बाजू या टाँग टूटने की सूरत में लकड़ी की फट्टियाँ रख कर बांध देते हैं उन्ही को असायेब कहा जाता है। जंग के लिए रवाना करते वक़्त इस तरह का हुक्म देना यही माना रखता है कि लड़ाई के दौरान ज़ख़्मी होने वाले लोग आज़ाये वुज़ू धोने के बजाय ज़ख़्म की पट्टियों पर ही मसह कर लिया करें।

59. उमर ﵁ से मौकूफ़ और अनस ﵁ से मरफ़ूअ रिवायत है: "जब तुम में से कोई मोज़े पहन कर वुज़ू करे तो उन पर मसह कर लेना चाहिए और उन को पहने हुए नमाज़ पढ़ ले, अगर चाहे तो उन को न उतारे, इल्ला यह कि गुस्ल जनाबत की ज़रूरत पेश आ जाये।" (इसे दार क़ुतनी ने रिवायत किया और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٥٩) وعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَوْقُوفاً، وأنسٍ مَرْفوعاً: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

फ़ायेदा:

यानी मोज़ों को न उतारे और पाँव से इन्हें न निकाले।

60. अबू बकरा ﵁ ने नबी करीम ﷺ से रिवायत की है कि आप ﷺ ने मुसाफिर के लिए (मसह की मुद्दत) तीन दिन और तीन रातों की रुखसत फ़रमाई है और मुक़ीम के लिए एक दिन और एक रात। उस हालत में कि उस ने वुज़ू करके मोज़े पहने हों तो उन पर मसह कर लेना चाहिए। (दार क़ुतनी ने इसे रिवायत किया है और इब्ने खुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है)

(٦٠) وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِي الله تَعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْماً ولَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ، أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

61. उवैयी बिन इमारा ﷺ रिवायत करते हैं कि मैंने पूछा या रसूलुल्लाह! क्या मैं मोज़ों पर मसह कर सकता हूँ? फ़रमाया : "हाँ कर सकते हो" कहा एक दिन? आप ﷺ ने फ़रमाया "हाँ एक दिन" कहा दो दिन? आप ﷺ ने फ़रमाया "हाँ दो दिन" मैंने कहा क्या तीन दिन? आप ﷺ ने फ़रमाया: "हाँ (तीन दिन) और जब तक तू चाहे" (अबू दाउद ने इसे रिवायत किया है और साथ ही कहा है कि यह हदीस क़वी (मज़बूत) नहीं है)

(٦١) وعَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَوْماً؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: لَيْسَ بِالقَوِيِّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस को इस के ज़ईफ़ होने की बिना पर और सहीह व हसन अहादीस जो मुद्दत का तअय्युन करती है के ख़िलाफ़ वाक़ेअ होने की वजह से नहीं लिया गया, चूँकि हदीस की सनद सहीह नहीं और वह हदीस सहीह है जिस में मुसाफिर के लिए तीन दिन, तीन रातें और मुक़ीम के लिए एक दिन और एक रात की हद मुक़र्रर कर दी गई है, सहीह और क़वी हदीस के मुक़ाबिले में ज़ईफ़ को नज़र अंदाज़ कर दिया जाता है।

6. वुज़ू तोड़ने वाली चीज़ों का बयान

٦ - بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ

62. अनस ﷺ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ के ज़माने में सहाबये किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम नमाज़ इशा का इतना इंतेज़ार करते यहाँ तक कि नींद के ग़ल्बा की वजह से उन के सर झुक जाते, मगर वह नया वुज़ू किये बिना नमाज़ पढ़ लेते। (अबू दाउद ने इसे रिवायत किया है, दार क़ुतनी ने इसे सहीह कहा है और इस की असल मुस्लिम में है)

(٦٢) عَنْ أَنَسٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ. حتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُم، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَصْلُه فِي مُسْلِمٍ.

फ़ायेदा:

यह हदीस इस पर दलालत करती है कि जब तक इन्सान गहरी नींद न सो जाये उस वक़्त तक उस का वुज़ू नहीं टूटता, इस से पहले सफ़वान बिन अस्साल की रिवायत पिछले बाब (अध्याय) में गुज़र चुकी है जिस में मुतलक़ नींद से वुज़ू के टूटने पर दलालत होती है। इस रिवायत की रौशनी में उस को भी गहरी नींद पर महमूल समझा जायेगा।

63. आयेशा रज़ि अल्लाहु अनहा से रिवायत है कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश रज़ि अल्लाहु अनहा नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुई और उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह! मैं ऐसी औरत हूँ जो हमेशा इस्तेहाज़ा के ख़ून में मुब्तला रहती हूँ, पाक होती ही नहीं, क्या ऐसी हालत में नमाज़ छोड़ दूँ? आप ﷺ ने फ़रमाया: "नहीं, यह तो एक रग है (जो फट जाती है और ख़ून बहता रहता है) माहवारी का ख़ून नहीं है, हाँ जब हैज़ के दिन शुरू हों तो नमाज़ छोड़ दो और जब यह दिन पूरे हो जायें तो ख़ून धोकर नमाज़ पढ़ो।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

और बुख़ारी में यह अलफ़ाज़ हैं : "फिर हर नमाज़ के लिये वुज़ू कर लिया करो" और मुस्लिम ने कहा है कि मैंने यह लफ़्ज़ जान-बूझ कर छोड़ दिये हैं।

(٦٣) وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ». وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَىٰ أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمَداً.

फ़ायेदा:

औरत को तीन तरह के ख़ून से वास्ता पड़ता है, एक माहवारी का ख़ून, यह ख़ून हर महीना औरत के बालिग़ होने से लेकर बुढ़ापे तक हमल के दिनों के अलावा बराबर आता रहता है। इस का रंग काला होता है। और दूसरा निफ़ास का ख़ून, यह वह ख़ून है जो बच्चा की पैदाईश के बाद लगभग चालीस दिन या इस से कम या ज़्यादा आता रहता है। तीसरा ख़ून इस्तेहाज़ा का है, यह ख़ून बयान किये गये दोनों ख़ूनों से अलग तरह का होता है, यह एक आज़िल नामी रग के फटने से जारी होता है और लगातार जारी रहता है और बीमारी की सूरत इख़्तियार कर लेता है, इस का रंग लाल होता है, इस के जारी होने का कोई वक़्त मुक़र्रर नहीं है, सारी उम्र भी जारी रह सकता है।

64. अली ﷺ फ़रमाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मज़ी के ख़ारिज होने का मरीज़ था, मैंने मिक़दाद ﷺ से कहा कि वह नबी करीम ﷺ से इस के बारे में पूछे। मिक़दाद ﷺ ने नबी ﷺ से इस के बारे में पूछा (कि इस की वजह से वुज़ू करना होगा या ग़ुस्ल जनाबत) आप ﷺ ने फ़रमाया : "ऐसी हालत में वुज़ू ही है"

(٦٤) وعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ أَن يَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فِيهِ الوُضُوءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

(बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं)

फ़ायेदा:

मतलव यह है कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ी ख़ारिज होती रहती है, मज़ी क्या है? मज़ी सफेद, पतला लसेदार पानी है जो वीवी से छेड़छाड़ के वक़्त और जिमाअ के इरादे के वक़्त मर्द की शर्मगाह से निकलती है। मिक़दाद को मसअला के बारे में पूछने के लिए कहा, इस लिए कि अली ﷺ की वीवी रसूल अकरम ﷺ की बेटी फ़ातिमा रज़ि अल्लाहु अन्हा थीं, शर्म व हया की वजह से हज़रत अली ﷺ ने ख़ुद सवाल करने से परहेज़ किया।

(٦٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَآئِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ.

65. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी करीम ﷺ ने अपनी किसी बीवी का बोसा लिया और नमाज़ के लिए निकल गये और वुज़ू नहीं किया। (इसे अहमद ने रिवायत किया है और बुख़ारी ने इसे ज़ईफ़ कहा है)

फ़ायेदा:

हज़रत आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से यह रिवायत इब्राहीम तैमी करते हैं, मगर इब्राहीम ने हज़रत आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से कुछ नहीं सुना, इसलिए यह मुरसल और कमज़ोर है, मगर बुख़ारी में एक हदीस इस की ताईद करती है। इसलिये हज़रत आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा ही फ़रमाती हैं कि नबी करीम ﷺ रात के सन्नाटे में नमाज़ तहज्जुद पढ़ा करते थे, मेरे पाँव आप ﷺ की सज्दागाह में होते थे, सज्दा के लिए जाने से पहले मेरे पाँव को आप अपने हाथ से छूते तो मै पाँव दूर कर लेती, इस से मालूम हुआ कि औरत के जिस्म को छूने से वुज़ू नही टूटता, इसी तरह बोसा लेने से भी वुज़ू नहीं टूटता, चाहे शहवत से छूये या शहवत के बग़ैर।

(٦٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئاً فَأَشْكَلَ عَلَيْه، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

66. अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई अपने पेट में हवा की हरकत महसूस करे और फ़ैसला करना मुश्किल हो जाये कि पेट से कोई चीज़ निकली या नहीं, तो ऐसी हालत में (वुज़ू करने के लिए) वह मस्जिद से बाहर न जाये जब तक कि (यक़ीन न हो जाये) हवा के निकलने की आवाज़ का या वदबू सी महसूस करे।" (इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साफ़ मालूम हुआ कि शक की वजह से वुज़ू नहीं टूटता, इस मफ़हूम को ज़रा वसीअ करें तो इस से एक उसूल की तरफ़ इशारा भी मिलता है कि हर चीज़ अपने हुक्म पर बाक़ी रहती है, जब तक कि उस के ख़िलाफ़ यक़ीन न हो जाये, शक व शुब्हे का कोई एतिबार नहीं।

(٦٧) وعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسْتُ ذَكَرِي، أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ». أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ المديني: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةَ.

67. तल्क़ बिन अली ﷺ ने बयान किया कि एक शख़्स ने कहा मैंने अपनी शर्मगाह को हाथ लगाया है या यूँ कहा कि एक आदमी नमाज़ में अपनी शर्मगाह को हाथ लगाता है तो क्या उसे नये सिरे से वुज़ू करना चाहिए? तो नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "नहीं, वह तो तेरे अपने जिस्म का एक टुकड़ा है" (इसे अबू दाउद, नसाई, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा और अहमद ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है" इब्ने मदीनी कहते हैं कि बुसरा की हदीस से यह हदीस बहुत बेहतर है)

(٦٨) وعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رضي الله تعالى عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ البُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ.

68. बुसरा बिन्ते सफ़वान रज़ि अल्लाहु अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने अपनी शर्मगाह को हाथ लगाया उसे वुज़ू करना चाहिए" (इसे अबू दाउद, नसाई, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा और अहमद ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है, इमाम बुख़ारी की राय यह है कि इस बाब में यह सब से सहीह हदीस है)

फ़ायेदा:

यह हदीस साफ़ तौर से इस पर दलालत करती है कि शर्मगाह के छूने से वुज़ू टूट जाता है और यही राजेह क़ौल है, इसलिए कि कलाम में एक मुकर्रर हुक्म है, इजतिहाद का इस में कोई दख़ल नहीं।

(٦٩) وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ

69. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस को नमाज़ में क़ै आ जाये या नकसीर फूट जाये,

فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

या पेट के अन्दर की चीज़ मुँह के रास्ते से बाहर आ जाये, या मज़ी निकल जाये तो उसे नमाज़ से निकल कर वुज़ू करना चाहिए और जहाँ से नमाज़ छोड़ी थी उसी पर बिना कर ले, लेकिन शर्त यह है कि उस दौरान उस ने बातचीत न की हो।" (इब्ने माजा ने इसे रिवायत किया है, अहमद और दूसरों ने उसे ज़ईफ़ कहा है)

फ़ायेदा:

मज़ी के निकलने की सूरत में फ़ुक़हा इत्तेफ़ाकी तौर पर वुज़ू के टूट जाने के क़ायल हैं, अलबत्ता कै आने, पेट में खाने-पीने की कोई चीज़ मुँह के रास्ते से निकलने और नाक में से खून बहने यानी नकसीर फूटने की सूरत में एक गिरोह का ख़्याल है कि वुज़ू टूट जाता है, जबकि दूसरा गिरोह इस बात का क़ायल है कि वुज़ू नहीं टूटता।

(٧٠) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ. قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

70. जाबिर बिन समुरा ؓ से रिवायत है कि एक शख़्स ने नबी करीम ﷺ से पूछा, क्या मैं बकरी का गोश्त खाने के बाद वुज़ू करूँ? आप ﷺ ने फ़रमाया: "अगर दिल चाहे तो कर लो" उस शख़्स ने पूछा, क्या मैं उँट का गोश्त खाने के बाद वुज़ू करूँ? आप ﷺ ने फ़रमाया: हाँ" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

यह हदीस इस की दलील है कि उँट का गोश्त खाने के बाद वुज़ू करना चाहिए, आम तौर पर असहाब हदीस की राय यही है। इस के गोश्त के नाक़िज़े वुज़ू होने की हिक्मत और सबब मालूम होना ज़रूरी नहीं क्योंकि इबादत वाले अहकाम की हिक्मत का अक़्ल में आना ज़रूरी नहीं।

(٧١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ شَيْءٌ فِي هَذَا الْبَابِ.

71. अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने मैय्यत को गुस्ल दिया वह खुद भी गुस्ल करे और जिस ने मैय्यत को उठाया वह वुज़ू करे" (इस हदीस को अहमद, नसाई और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है और

अहमद का क़ौल है कि इस बाब में कोई भी हदीस सहीह साबित नहीं है)

फ़ायेदा:

सहीह यह है कि "जो मैय्यत को गुस्ल दे वह ख़ुद गुस्ल करे" में हुक्म इस्तेहबाब के लिए है, यानी मैय्यत को नहलाने वाले के लिए ख़ुद गुस्ल करना ज़रूरी नहीं, उस की दलील सुनन दार कुतनी और मुसनद अहमद में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा का यह बयान है कि हम मैय्यत को गुस्ल दिया करते थे फिर बाद में कुछ लोग गुस्ल कर लेते और कुछ नहीं करते थे।

(٧٢) وعَنْ عَبْدِ اللهِ بنْ أَبِي بَكْرٍ رضي الله تعالىٰ عنهما أَنَّ فِي الكِتَابِ الَّذي كَتَبَهُ رَسولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو بنِ حَزْمٍ: أنْ لَا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.

72. अब्दुल्लाह बिन अबू बक्र रज़ि अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अहकाम की जो तहरीर अम्र बिन हज़्म ؓ को लिख कर दी थी उस में लिखा था कि "कुरआन को पाक इन्सान (जिस ने वुज़ू किया हो) ही हाथ लगाये" (इमाम मालिक ने इसे मुरसल रिवायत किया है, नसाई और इब्ने हिब्बान ने इस को मौसूल बयान किया है, असल में यह हदीस मालूल है)

फ़ायेदा:

तहारत (पाकी) दो तरह की है, एक तहारत वह है जिस की ताबीर हदस अकबर से की जाती है और दूसरी हदस असग़र से। अगर हदस अकबर यानी जनाबत वग़ैरह हो तो ऐसी सूरत में कुरआन मजीद को छूना, हाथ लगाना मना और नाजायेज़ है, सिर्फ़ बेवुज़ू होने की सूरत में इख़्तेलाफ़ (मतभेद) है, बेहतर है कि वुज़ू करके हाथ लगाया जाये।

(٧٣) وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ.

73. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ हर हालत में अल्लाह तआला का ज़िक्र करते थे। (इसे मुस्लिम ने रिवायत किया और बुख़ारी ने इस को तालीक़न नक़्ल किया है)

फ़ायेदा:

मतलब इस का यह है कि जिमाअ, पेशाब पाख़ाना वग़ैरह की हालत में ज़िक्र से परहेज़ करना है, बाक़ी हालत में ज़िक्र की इजाज़त है। अहादीस से साबित है कि रसूलुल्लाह ﷺ जनाबत की हालत के अलावा कुरआन पढ़ा करते थे, ज़ुबान पाक है, ज़ुबानी ज़िक्र इलाही हर वक़्त किया जा सकता है।

74. अनस बिन मालिक ؓ बयान करते हैं कि नबी करीम ﷺ ने पछना लगवाया और वुजू किये बग़ैर नमाज़ पढ़ी। (इसे दार कुतनी ने रिवायत किया है और इसे कमज़ोर कहा है)

(٧٤) وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَلَيَّنَهُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि पेशाब पाख़ाना के कुदरती दोनों रास्तों के अलावा से ख़ून का निकलना नाक़िज़े वुजू नहीं।

75. मुआविया ؓ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "आँखों का खुला रहना रियाह ख़ारिज होने का बन्धन है, जब आँख सोने की वजह से बन्द हो जाती है तो बन्धन ढीला हो जाता है (खुल जाता है)" (अहमद, तबरानी ने रिवायत किया है, तबरानी ने इतना ज़्यादा अपनी रिवायत में बयान किया है कि "जिस शख़्स को नींद आ जाये वह फिर से नया वुजू करे"

और इतना इज़ाफ़ा अबू दाउद की इस हदीस में भी है जिसे उन्होंने अली के वास्ते से रिवायत किया है लेकिन "बन्धन खुल जाता है के" अलफ़ाज़ नहीं हैं और उन दोनों की सनद ज़ईफ़ है, और अबू दाउद में इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरफ़ूअ यह भी रिवायत है कि: "वुजू उस पर है जो चित लेट जाये" (और उस की सनद भी ज़ईफ़ है)

(٧٥) وعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ العَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الوِكَاءُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَزَادَ: «وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ».

وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ في هَذَا الحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاودَ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقَ الوِكَاءُ» وَفِي كِلَا الإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ.

وَلأَبِي دَاوُدَ أَيْضاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَرْفُوعاً: «إِنَّما الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعاً». وفي إسناده ضعف أيضاً.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि नींद स्वयं नाक़िज़े वुजू नहीं है बल्कि इस से वुजू के टूट जाने का गुमान पैदा हो जाता है।

हदीस में है कि लेट कर सोने की हालत में वुजू टूट जाता है और एक रिवायत में है कि मुतलक़ नींद से भी वुजू टूट जाता है, दोनों अहादीस में मुवाफ़िक़त इस तरह है कि पहलू के बल गहरी नींद आती है, ऐसी हालत में जिस्म के आज़ा ढीले पड़ जाते हैं, इस सूरत में रियाह ख़ारिज होने का गुमान ग़ालिब होता है, जबकि हलकी नींद में ऐसा नहीं होता। इस का यह मतलब नहीं कि सीधा या चित

लेट कर गहरी नींद की सूरत में भी वुज़ू नहीं टूटता, ऐसा नहीं। गहरी नींद जिस सूरत में हो वह नाक़िज़े वुज़ू होगी, पहलू के बल आम तौर से गहरी नींद आती है इसलिए इसका ख़ास ज़िक्र किया।

(٧٦) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي الصَّلَاةِ فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ، فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ، وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يَجِدَ رِيحاً». أَخْرَجَهُ البَزَّارُ.

وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه.

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَحْوُهُ.

76. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "नमाज़ में तुम में से किसी के पास शैतान आता है और उस की मक़अद में फूँक मारता है और उस के दिमाग़ में यह ख़्याल डाल जाता है कि वह बे वुज़ू हो गया है, हालाँकि वह बे वुज़ू नहीं हुआ होता, इसलिए तुम में से जब कोई ऐसा महसूस करे तो रियाह के ख़ारिज होने की आवाज़ सुनने या उस की बदबू पाने तक नमाज़ से न फिरे" (इसे बज़्ज़ार ने रिवायत किया है और इस हदीस की असल बुखारी में अब्दुल्लाह बिन ज़ैद और मुस्लिम में अबू हुरैरा ؓ से मौजूद है)

सहीह मुस्लिम में अबू हुरैरा ؓ से इन जैसे ही अलफ़ाज़ (शब्द) मरवी हैं।

وَلِلْحَاكِمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعاً: «إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: إِنَّكَ كَذَبْتَ». أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: «فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ».

और हाकिम ने अबू सईद के वास्ता से मरफ़ूअन बयान किया है कि "जब तुम में से किसी के पास शैतान आये और कहे कि तू बेवुज़ू हो गया तो यह शख़्स उसे जवाब में कहे कि तू झूठ बोलता है" इस को इब्ने हिब्बान ने इन अलफ़ाज़ से रिवायत किया है कि "वह शख़्स अपने दिल में कहे कि तू झूठा है।"

٧ - بَابُ آدَابِ قَضَآءِ الحَاجَةِ

7. क़ज़ाये हाजत के आदाब का बयान

(٧٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.

77. अनस बिन मालिक ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ जब क़ज़ाये हाजत के लिए जाते तो अंगूठी (अपने मुबारक हाथ से)

उतार कर अलग रख देते थे। (इसे अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और यह रिवायत मालूल है)

फ़ायेदा:

हदीस के मतन से मालूम हुआ कि शौचालय (बैतुल-ख़ला) वग़ैरह नापाक और गन्दी जगहों में ऐसी कोई चीज़ ले कर जान बूझ कर दाख़िल नहीं होना चाहिए जिस पर अल्लाह तआला के नाम या आयाते क़ुरआन मजीद वग़ैरह लिखी हुई हों।

(٧٨) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ قَالَ: «اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

78. उन्हीं (अनस बिन मालिक ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ क़ज़ाये हाजत के लिए जब जाते तो यह दुआ पढ़ते: "अल्लाहुम्म इन्नी अउज़ु बिक मिनल ख़ुबुसे वल-ख़बाईसे"

"ऐ अल्लाह! मै आप की पनाह पकड़ता हूँ, खबीस जिनों और ख़बीस जिन्नियों से" (इस को सातों यानी बुख़ारी, मुस्लिम, अहमद, अबू दाउद, नसाई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

गन्दी जगहों पर गन्दगी से मुहब्बत रखने वाले जिन्नात रहते हैं, इसलिए नबी करीम ﷺ ने क़ज़ाये हाजत के लिए बैतुल-खला में दाख़िल होने से पहले यह दुआ सिखाई।

(٧٩) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَّاءٍ، وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

79. उन्हीं (अनस बिन मालिक ﷺ) से यह रिवायत भी है कि रसूलुल्लाह ﷺ क़ज़ाये हाजत के लिए जब जाते तो मैं और एक मेरे हमउम्र लड़का पानी का एक बर्तन और एक छोटा सा नेज़ा लेकर साथ जाते, उस पानी से आप ﷺ इस्तिन्जा किया करते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से कई मसायेल निकलते हैं, मिसाल के तौर पर अपने से कम उम्र या कम मरतबे वाले से ख़िदमत लेना, पानी के साथ इस्तिन्जा करना, और पानी से इस्तिन्जा का अफ़ज़ल होना, ढेला और पानी दोनों से इस्तिन्जा करना तो बहुत अफ़ज़ल है, जैसाकि जमहूर उलमा का मज़हब है।

(٨٠) وعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: خُذِ الإِدَاوَةَ، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

80. मुग़ीरा बिन शोबा ﷺ रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ ने मुझे फ़रमाया: "पानी का बर्तन (साथ) ले चलो," फिर आप ﷺ रफ़अ हाजत के लिए (इतनी दूर) गये कि मेरी नज़र से ओझल हो गये, वहाँ आप ﷺ क़ज़ाये हाजत से फ़ारिग़ हुए" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

आप ﷺ का यह काम इस पर दलालत करता है कि क़ज़ाये हाजत करने वाले को पर्दा का इन्तेज़ाम करना चाहिए या किसी ऐसी जगह हो जहाँ से उस को कोई देख न सके।

(٨١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ». رَوَاه مُسْلِمٌ.

81. अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "दो लानत का सबब बनने वाली जगहों से परहेज़ करो, एक लोगों के रास्ता में, दूसरा (उन के बैठने आराम करने की) छाँव वाली जगह में क़ज़ाये हाजत करने से।" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

وَزَادَ أبو دَاوُدَ عَنْ مُعاذٍ: «وَالمَوارِدِ». وَلَفْظُه: «اتَّقُوا المَلاعِنَ الثَّلاثَةَ: البَرَازَ فِي المَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، والظِّلِّ». ولأحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهما: «أَوْ نَقْعِ مَآءٍ». وَفِيهِمَا ضَعْفٌ.

और अबू दाउद ने हज़रत मुआज़ ﷺ के वास्ते से जो रिवायत की है, उस में इस तरह है कि "लानत के तीन असबाब से इजतेनाब (परहेज़) करो, घाटों पर, आम रास्ते पर और साया के नीचे रफ़अ हाजत करने से" और इमाम अहमद ने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा के हवाले से जो रिवायत बयान की है उस में है "जहाँ पानी जमा होता हो वहाँ भी रफ़अ हाजत से बचना चाहिए" (यह दोनों रिवायतें कमज़ोर हैं)

وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ النَّهْيَ عَنْ قَضَاءِ الحَاجَةِ تَحْتَ الأَشْجَارِ المُثْمِرَةِ وَضَفَّةِ النَّهْرِ الجَارِي، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

और तबरानी ने इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से जो रिवायत बयान की है उस में है कि "फलदार और सायादार पेड़ के नीचे और बहती हुई नहर के किनारे पर क़ज़ाये हाजत न करे" (इस की सनद भी कमज़ोर है)

फ़ायेदा:

इन अहादीस में क़ज़ाये हाजत के आदाब की तालीम दी गई है, पाँच जगहें ऐसी हैं जहाँ पेशाब पाख़ाना करने से मना किया गया है, वह यह हैं आम रास्ता पर, सायादार पेड़ के नीचे, बहती हुई नहर के किनारे और चौराहे पर आम तौर से पेशाब पाख़ाना से मना किया गया है, अलबत्ता जो मतरूक हो चुका हो आम रास्ता न रहा हो तो वहाँ गुंजाईश है (यानी कर सकते हैं)।

(٨٢) وعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَا، فَإِنَّ اللّٰهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ وَابْنُ الْقَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ.

82. जाबिर ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब दो आदमी क़ज़ाये हाजत करे तो उन को एक-दूसरे से पर्दा में होना चाहिए और इस हालत में एक दूसरे से आपस में बातचीत भी न करे" इस लिए कि ऐसे काम पर अल्लाह तआला नाराज़ होते हैं। (इस हदीस को अहमद ने रिवायत किया है और इब्ने सकन और इब्ने क़त्तान ने इसे सहीह कहा है, मगर हदीस मालूल है)

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात का वाज़ेह सुबूत है कि शर्मगाह को छुपाना वाजिब है, और क़ज़ाये हाजत यानी पेशाब पाख़ाना के वक़्त आपस में बातचीत करना हराम है, इसलिए ऐसे काम पर अल्लाह तआला की नाराज़गी और सख़्त गुस्सा की सूरत में वईद फ़रमाई गयी है, अगर यह काम कुछ लोगों के क़ौल के मुताबिक़ मकरूह होता तो इतनी सख़्त वईद की ज़रूरत नहीं थी।

(٨٣) وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ: «لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

83. अबू क़तादा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ का फ़रमान है: "तुम में से कोई भी पेशाब करते वक़्त दायें हाथ से अपने हिस्सा ख़ास (लिंग) को हरगिज़ न छुये और क़ज़ाये हाजत के बाद दायें हाथ से इस्तिन्जा भी न करे, और पानी पीते वक़्त उस में साँस भी न ले।" (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस में दो मसअले बयान किये गये हैं। एक तो यह कि अपने दायें हाथ से अपने ख़ास अज़ो को पेशाब करते हुए न छूये और न पकड़े. ऐसा करना हराम भी है और सूये अदब भी. और

कमज़रफी भी, और दूसरा कोई मशरूब वग़ैरह पीते वक़्त बर्तन में साँस लेना। बर्तन में साँस लेने से इसलिए मना किया गया है कि साँस के ज़रिये निकलने वाले जरासीम पिये जाने वाले मशरूब में शामिल होकर मेदा में दाख़िल होंगे।

84. सलमान ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें मना फ़रमाया कि हम क़ज़ाये हाजत और पेशाब के वक़्त क़िब्ला रुख़ हों या दायें हाथ से इस्तिन्जा करें या तीन ढेलों से कम से इस्तिन्जा करें या गोबर, लीद और हड्डी से इस्तिन्जा करें। (मुस्लिम)

(٨٤) وعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِاليَمِينِ، أَوْ أَن نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

85. अबू अय्यूब अन्सारी ﷺ से रिवायत है कि "क़ज़ाये हाजत और पेशाब करते वक़्त क़िब्ला रुख़ न बैठो और न उस की तरफ़ पीठ करो, बल्कि मशरिक़ या मग़रिब की तरफ़ करो" (इस को सातों इमाम यानी बुख़ारी, मुस्लिम, अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है)

(٨٥) وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ: لَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلٰكِنْ شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا.

फ़ायेदा:

इस हदीस में क़िब्ला रुख़ न बैठो और न पुश्त करो का हुक्म ऐसी जगह के लिए है जहाँ कोई ओट वग़ैरह न हो और खुला मैदान हो, घरों में जहाँ आदमी के सामने दीवार वग़ैरह हो तो वहाँ के लिए यह हुक्म नहीं है।

86. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जो क़ज़ाये हाजत के लिए जाये उसे पर्दा करके बैठना चाहिए" (अबू दाउद ने इसे रिवायत किया है)

(٨٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله تعالى عنها، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَتَى الغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

87. उन्हीं (आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि नबी ﷺ जब क़ज़ाये हाजत से फ़ारिग़ होकर बैतुल-ख़ला (शौचालय) से बाहर आते तो फ़रमाते: (ऐ अल्लाह! तेरी बख़्शिश और पर्दा पोशी चाहता हूँ) (इस हदीस को पाँचों अहमद, अबू दाउद,

(٨٧) وعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ». أَخْرَجَهُ الخمسة وصححه أَبُو حَاتِمٍ وَالحَاكِمُ.

तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है, अबू हातिम और हाकिम दोनों ने इसे सहीह कहा है)

(٨٨) وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثاً، فَأَتَيْتُه بِرَوْثَةٍ، فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «إِنَّها رِكْسٌ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. وَزَادَ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ «ائْتِنِي بِغَيْرِها».

88. इब्ने मसऊद ﷺ रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ क़ज़ाये हाजत को चले तो मुझे हुक्म दिया कि मैं उन के लिए तीन पत्थर ले आउँ, मुझे दो पत्थर तो मिल गये मगर तीसरा न मिल सका, (तो उस की जगह पर गोबर का एक सूखा टुकड़ा ले आया, आप ﷺ ने दोनों पत्थर तो ले लिये और गोवर के सूखे टुकड़े को दूर फेंक दिया और फ़रमाया: "यह तो ख़ुद पलीद (नापाक) है" (इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है) अहमद और दार कुतनी ने इतना ज़्यादा किया है कि "इस के बजाय और ले आओ।"

फ़ायेदा:

इस से साबित हुआ कि जो चीज़ ख़ुद नापाक व नजिस हो उस से तहारत (पाकी) हासिल नहीं हो सकती, इसलिए इन से परहेज़ करना ज़रूरी है, तादाद के साथ सफ़ाई भी शर्त है, चाहे तादाद में इज़ाफ़ा ही करना पड़े।

(٨٩) وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ.

89. अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें हड्डी और गोबर से इस्तिन्जा करने से मना फ़रमाया है, और फ़रमाया कि "यह दोनों पाक नहीं कर सकते।" (दार कुतनी ने इसे रिवायत किया है और सहीह भी कहा है)

फ़ायेदा:

इमाम बैहक़ी ने यह रिवायत नक़ल की है कि एक बार हज़रत अबू हुरैरा ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ से सवाल किया कि या रसूलुल्लाह! हड्डी और गोबर से इस्तिन्जा करने की क्या हिक्मत है? आप ﷺ ने फ़रमाया नसीबीन के इलाक़े से जिनों का एक वफ़्द मेरे पास आया और उन्होंने मुझ से ख़ोराक के बारे में पूछा, तो अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह! इन को हड्डियों और गोबर वग़ैरह से ख़ोराक मिलती रहे, लेहाज़ा (दुआ क़बूल हुई) यह उन की ख़ोराक है, इसे गन्दा न

करो, बज़ाहिर इससे यही मालूम होता है कि हड्डी और लीद बज़ाते ख़ुद उनकी ख़ोराक है, लेकिन हक़ीक़त में ऐसा नहीं बल्कि क़ुदरती तौर पर इन के उपर कोई ग़ैर मरई खाने वाली चीज़ पैदा होती है जो इन की ख़ुराक होती है जिसे यह जिन्नात खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, गोया दोनों इन की ख़ोराक की पैदाईश का मुक़ाम है।

(٩٠) وعَنْ أَبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَلِلْحَاكِمِ: «أَكْثَرُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ البَولِ» وَهُوَ صَحِيحُ الإسْنَادِ.

90. अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "पेशाब (की छींटों) से बचो, अकसर अज़ाबे क़ब्र इसी की वजह से होता है" (दार क़ुतनी ने इसे रिवायत किया है)

और हाकिम की रिवायत में है अकसर अज़ाबे क़ब्र पेशाब की वजह से होता है। (इस की सनद सहीह है)

(٩١) وعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الخَلَاءِ أَنْ نَقْعُدَ عَلَى اليُسْرَى ونَنْصِبَ اليُمْنَى. رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

91. सुराक़ा बिन मालिक ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने क़ज़ाये हाजत की तालीम देते हुए हमे फ़रमाया: "हम बायें पाँव पर वज़न देकर बैठें और दायें को खड़ा रखें (इस पर बोझ कम डालें)" (इस को बैहकी ने कमज़ोर सनद के साथ रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

हकीम का कोई हुक्म हिक्मत से ख़ाली नही है, वह हिक्मत चाहे किसी की समझ में आये या न आये, इस हदीस में नबी करीम ﷺ ने बायें पाँव पर बैठने का हुक्म दिया है उस की वजह यह समझ में आती है कि इन्सान की आँत का झुकाव बायें तरफ़ होता है, बायें पाँव पर बैठने से पाख़ाना करने में आसानी होती है।

(٩٢) وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ (بُزْدَادَ) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

92. ईसा बिन यज़दाद ने अपने बाप से रिवायत बयान की कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से जब कोई पेशाब करे तो ख़ास अज़ो को तीन बार झाड़ ले" (इसे इब्ने माजा ने कमज़ोर (ज़ईफ़) सनद के साथ रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

पेशाब से फ़ारिग़ होने के बाद अज़ो ख़ास को तीन बार झाड़ना इसलिए है कि अगर पेशाब का

कोई क़तरा कहीं रुक गया हो तो वह निकल जाये और पूरी तरह इतमेनान हो जाये। यह रिवायत वैसे तो ज़ईफ़ है मगर पेशाब के क़तरो से महफ़ूज़ रहने की रिवायत इस की ताईद करती है।

(٩٣) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عَنهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُثْنِي عَلَيْكُمْ. فَقَالُوا: إِنَّا نُتبِعُ الحِجَارَةَ الماءَ. رَوَاهُ البَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَأَصْلُه فِي أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، بِدُونِ ذِكْرِ الحِجَارَةِ.

93. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी करीम ﷺ ने क़ुबा के रहने वालों से सवाल किया कि अल्लाह तआला ने तुम्हारी (पाकीज़गी के बारे में) बड़ी तारीफ़ फ़रमाई है उस की वजह क्या है? उन्होनें जवाब दिया कि हम ढेलों के इस्तेमाल के बाद तहारत के लिए पानी भी इस्तेमाल करते हैं। (इसे ज़ईफ़ सनद के साथ बज़्ज़ार ने रिवायत किया है, इस की असल अबू दाउद और तिर्मिज़ी में मौजूद है (इसी सिलसिले में) इब्ने खुज़ैमा ने अबू हुरैरा ؓ की रिवायत को सहीह कहा है, अलबत्ता इस में ढेलों का बयान नहीं है)

٨ - بَابُ الغُسْلِ وَحُكْمِ الجُنُبِ

8. गुस्ल और जुनबी के हुक्म का बयान

(٩٤) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «المَاءُ مِنَ المَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ.

94. अबू सईद खुदरी ؓ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "पानी का इस्तेमाल पानी निकलने से है" (यानी जब तक मनी न निकले उस वक़्त तक गुस्ल वाजिब नहीं होता) (इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है और असल रिवायत बुख़ारी में है)

फ़ायेदा:

इस हदीस को एहतेलाम के बारे में समझा गया है, जिमाअ से इस का कोई तअल्लुक़ (संबंध) नहीं, जमहूर उलमा की यही राय है। उबैई बिन कअब ؓ बयान करते हैं कि इस्लाम के शुरू में यह हुक्म भी था कि जिमाअ से उस वक़्त गुस्ल फ़र्ज़ होता है जव आदमी को इंज़ाल हो, लेकिन कुछ मुद्दत के बाद यह हुक्म ख़त्म हो गया, क़ाज़ी इब्ने अरबी ने कहा कि इस मसअले में तमाम मुसलमानों का इजमा है कि मर्द और औरत के आज़ाये मख़सूस एक दूसरे से मिलाप कर लें तो गुस्ल वाजिब हो जाता है चाहे इंज़ाल की नौवत पेश न आई हो।

95. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब (तुम में से कोई) औरत की चार शाख़ों के बीच में बैठे फिर अपनी पूरी कोशिश कर ले तो उस पर ग़ुस्ल वाजिब हो गया" (बुख़ारी, मुस्लिम)

और मुस्लिम ने इतना ज़्यादा नक़ल किया है कि "चाहे इंज़ाल न हुआ हो"

(٩٥) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَزَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».

फ़ायेदा:

मर्द का अज़ो ख़ास जब औरत की शर्मगाह में दाख़िल हो जाये चाहे हशफ़ा ही ग़ायब हो ऐसी सूरत में ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है, चारों ख़ुलफ़ा, चारों इमाम के अलावा अकसर सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम और ताबेईन का यही मज़हब है, उस को जिमाअ पर महमूल किया जाये तो इस हदीस को पहली हदीस का नासिख़ समझा जायेगा।

96. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि उम्मे सुलैम अबू तलहा की बीवी ने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा, या रसूलुल्लाह! अल्लाह तआला हक़ बयान करने से शर्म नहीं करता तो बताईये क्या औरत को जब एहतेलाम हो जाये तो उस पर भी ग़ुस्ल फ़र्ज़ है? फ़रमाया "हाँ! जब वह पानी देखे" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٩٦) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ - وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ - قَالَتْ: يا رسولَ اللهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ المَاءَ»، الحديث مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

97. अनस ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने उस औरत के बारे में फ़रमाया जो ख़वाब (सपना) में वही कुछ देखे जो एक नौजवान मर्द देखता है (एहतेलाम) फ़रमाया कि वह ग़ुस्ल करे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

और मुस्लिम ने इतना ज़्यादा नक़ल किया है कि उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने आप ﷺ के जवाब देने पर पूछा, क्या ऐसा (औरत) के साथ भी होता है? आप ﷺ ने फ़रमाया: "हाँ, अगर ऐसा न होता तो मुशाबहत कहाँ से होती।"

(٩٧) وعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي المَرأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَال: تَغْتَسِلُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْه، وَزادَ مُسْلمٌ: «فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَل يَكُونُ هَذا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟».

फ़ायेदा:

जिस तरह मर्दों को एहतेलाम होता है और उन पर गुस्ल फ़र्ज़ है उसी तरह औरतों को भी यह सूरत लाहिक़ होती है, उन को गुस्ल करना भी फ़र्ज़ है बाक़ी रहा कि बच्चा की मुशाबहत तो इस बारे में हदीस से साबित है कि जब मर्द का पानी ग़ालिब होता है तो बच्चे की मुशाबहत बाप पर होती है और जब माँ का पानी ग़ालिब हो तो बच्चों की मुशाबहत माँ से होती है।

98. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ चार चीज़ों की वजह से गुस्ल किया करते थे, जनाबत, जुमा के दिन, सींगी लगवाने के बाद और मैय्यत को गुस्ल देने की वजह से। (अबू दाउद ने इसे रिवायत किया है और इब्ने खुज़ैमा ने सहीह कहा है)

(٩٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيومَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में जिन चार चीज़ो से गुस्ल करने का बयान है उन में गुस्ल जनाबत बिला-इत्तेफ़ाक फ़र्ज़ है, जुमा के दिन गुस्ल जमहूर सहाबा, ताबेईन और अकसर अइम्मा के नज़दीक मसनून है, अलबत्ता इमाम अहमद और इमाम मालिक का एक क़ौल यह है कि वह फ़र्ज़ है, इमाम दाउद ज़ाहिरी और इब्ने खुज़ैमा का भी यही मसलक है और हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम का ज़ादुल मआद में इसी तरफ़ रुजहान है, सींगी लगवाने से गुस्ल मसनून है फ़र्ज़ नहीं, रहा मैय्यत को गुस्ल देने से गुस्ल, तो पहले इस के बारे में भी गुज़र चुका है कि यह मुस्तहब है।

99. अबू हुरैरा ؓ से सुमामा बिन उसाल ؓ के इस्लाम लाने के बारे में रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने उसे गुस्ल करने का हुक्म दिया। (अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने इसे रिवायत किया है और इस की असल बुख़ारी और मुस्लिम में मौजूद है)

(٩٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ عِنْدَمَا أَسْلَمَ - وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ، وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

काफ़िर जब इस्लाम लाने के लिए तैयार हो तो पहले उसे गुस्ल करना चाहिए यह गुस्ल वाजिब है या मसनून या मुस्तहब, उस में भी उलमा का इख़्तिलाफ़ है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वाजिब है, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इसे मुस्तहब समझते हैं।

100. अबू सईद ख़ुदरी ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जुमा के दिन

(١٠٠) وعَن أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

गुस्ल करना हर बालिग़ पर वाजिब है" (इस को सातों यानी बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा और अहमद ने रिवायत किया है)

قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

फ़ायेदा:

यह हदीस उन लोगों की दलील है जो जुमा के दिन गुस्ल को वाजिब करार देते हैं, क्योंकि इस में "वाजिब" का लफ़्ज़ सराहतन इस्तेमाल किया गया है, मगर जहाँ तक जमहूर का तअल्लुक है वह इसे मसनून क़रार देते हैं, और इस में वाजिब के हुक्म को ताकीद के लिए समझते हैं।

101. समुरा बिन जुनदुब ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जुमा के दिन जिस ने वुज़ू किया उस ने अच्छा और बेहतर किया और जिस ने गुस्ल किया तो गुस्ल अफ़ज़ल और बेहतर है" (इस को पाँचों यानी अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है)

(١٠١) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस की रौशनी में मालूम हुआ कि जुमा का गुस्ल वाजिब नहीं, इसलिए कि वाजिब को अफ़ज़ल नहीं कहा जाता, शायद इसी वजह से जमहूर उलमा ने वाजिब से लुग़वी माने मुराद लिए इस्तेलाही नहीं। लुग़वी माने को तक़वियत मुस्लिम की रिवायत से मिलती है जो इस के फ़र्ज़ न होने पर दलालत करती है, अलबत्ता सब से अच्छी और बेहतर बात यही है कि मुसलमान को जुमा के दिन गुस्ल करने में बहुत एहतेयात मलहूज़ रखनी चाहिए।

102. अली ﷺ रिवायत करते हैं कि नबी करीम ﷺ हालते जनाबत के अलावा हर हालत में हमें क़ुरआन मजीद पढ़ा दिया करते थे। (इस को पाँचों यानी अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है, हदीस के अलफ़ाज़ तिर्मिज़ी के हैं और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

(١٠٢) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْخَمْسَةُ، وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ، وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि जुनबी मर्द को गुस्ल से पहले क़ुरआन पाक की तिलावत नहीं करनी चाहिए, जबकि क़ुरआन की नीयत से एक आयत भी नहीं पढ़नी चाहिए।

103. अबू सईद ख़ुदरी ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ का फ़रमान है: "जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाये (यानी मियाँ बीवी का तअल्लुक़ क़ायेम करे) फिर दोबारा जाने का इरादा करे तो दरमियान में वुज़ू कर ले" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(١٠٣) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ، فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، زَادَ الحَاكِمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلعَوْدِ».

और हाकिम ने इतना ज़्यादा नक़ल किया है कि (यह वुज़ू) दोबारा मुबाशरत के लिए ज़्यादा बाइसे निशात है यानी फ़रहत बख़्श और ताज़गी पैदा करता है और सुनन अरबा (यानी अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा) में आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ हालते जनाबत में पानी को हाथ लगाये बग़ैर सो जाते। (यह रिवायत मालूल है)

وَلِلأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعالَى عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. وَهُوَ مَعْلُولٌ.

फ़ायेदा:

मुस्लिम की रिवायत से साबित होता है कि आप ﷺ खाने और पीने और मुबाशरत के लिए अज़ो ख़ास धोकर वुज़ू कर लेते थे, अकसर उलमाये उम्मत के नज़दीक यह वुज़ू वाजिब नहीं मुस्तहब है।

104. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ जब ग़ुस्ल जनाबत करते तो इस तरह से शुरूआत करते, पहले हाथ धोते, फिर दायें हाथ से बायें हाथ पर पानी डालते और अपना अज़ो ख़ास धोते, फिर वुज़ू करते, फिर पानी लेकर अपनी अंगुलियों के ज़रिये सर के बालों की तह (जड़ों) में दाख़िल करते, फिर तीन चुल्लू पानी के भरकर एक के बाद एक सर पर डालते, फिर बाक़ी सारे जिस्म पर पानी बहाते (सब से आख़िर में) फिर दोनों पाँव धोते। (बुख़ारी, मुस्लिम, हदीस के अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

(١٠٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: «ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ».

और बुख़ारी व मुस्लिम में मैमूना रज़ि अल्लाहु अन्हा की रिवायत में इस तरह है "फिर अपने ख़ास अज़ो पर पानी डालते और अपने बायें हाथ से उसे धोते और हाथों को ज़मीन पर मारकर मिट्टी से मलते (और साफ़ करते)"

وَفِي رِوَايَةٍ: «فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ». وَفِي آخِرِهِ: «ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ»، وَفِيهِ: «وجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ».

और एक दूसरी रिवायत में इस तरह है "फिर दोनों हाथ मिट्टी से मलकर अच्छी तरह साफ़ करते" इस रिवायत के आख़िर में है कि "मैंने आप ﷺ की ख़िदमत में रूमाल (तौलिया) पेश किया मगर आप ﷺ ने उसे वापस लौटा दिया और बदन पर जो पानी रह गया था उसे अपने हाथ से झाड़ना शुरू किया"

(١٠٥) وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرأَةٌ أَشُدُّ شَعَرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَلِلْحَيْضَةِ؟ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

105. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि मैंने कहा या रसूलुल्लाह! मैं अपने सर के बाल (यानी मेढियों की शक्ल में) बाँध लेती हूँ, क्या ग़ुस्ल जनाबत के मौक़ा पर उन को खोलूँ? और एक रिवायत में माहवारी से फ़ारिग़ होकर ग़ुस्ल के वक़्त अलफ़ाज़ हैं। आप ﷺ ने फ़रमाया: नहीं (खोलने की ज़रूरत नहीं) बस तेरे लिए यही काफ़ी है कि तू अपने सर पर तीन चुल्लू पानी बहा दिया करो" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

यह हदीस उस की दलील है कि जिसे जनाबत लाहिक़ हो जाये और जिसे हैज़ (माहवारी) आया हो उस के लिए ग़ुस्ल के लिए बालों का खोलना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा की रिवायत में है कि आप ﷺ ने बालों को खोलने का हुक्म फ़रमाया, मगर यह दोनों रिवायतें बाहम मुतआरिज़ नहीं, क्योंकि बाल खोलने का हुक्म सिर्फ इस्तेहबाब के लिए है।

106. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैं हायेज़ा औरत और हालते जनाबत में मुब्तला मर्द के लिए मस्जिद में दाख़िला हलाल नहीं करता (यानी उन दोनों को मस्जिद में दाख़िल होने की भी इजाज़त नहीं देता" (इस को अबू दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने ख़ुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है)

(١٠٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात की दलील है कि हायेज़ा औरत और जुन्बी मर्द दोनों मस्जिद में न क़ियाम कर सकते हैं और न आम हालत में मस्जिद में दाख़िल हो सकते हैं, अलबत्ता अगर मस्जिद के अलावा दूसरा कोई रास्ता गुज़रने का न हो तो इमामों में से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मस्जिद में से गुज़रना जायेज़ है।

107. उन्हीं (आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से यह रिवायत भी है कि मैं और रसूलुल्लाह ﷺ दोनों एक ही बर्तन से ग़ुस्ल जनाबत कर लिया करते थे, उस बर्तन में हमारे हाथ एक के बाद दीगरे दाख़िल होते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

और इब्ने हिब्बान ने इतना और ज़्यादा नक़ल किया है कि बसाऔक़ात दोनों के हाथ एक दूसरे से छू जाते थे।

(١٠٧) وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ، مِنَ الْجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَتَلْتَقِي أَيْدِينَا».

108. अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ का फ़रमान है: "हर बाल की तह (नीचे) में जनाबत का असर होता है इसलिए बालों को (अच्छी तरह) धोया करो और जिस्म को अच्छी तरह (मल कर) साफ़ किया करो" (अबू दाउद और तिर्मिज़ी दोनों ने इसे रिवायत किया है और साथ ही कमज़ोर

(١٠٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبَشَرَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَضَعَّفَاهُ، وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نَحْوُهُ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ.

भी कहा है। मुसनद अहमद में भी आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से इसी तरह रिवायत है और उस में एक रावी मजहूलुल-हाल है)

फ़ायेदा:

यह हदीस इस की दलील है कि ग़ुस्ल जनाबत की सूरत में सारा बदन धोना फ़र्ज़ है।

9. तयम्मुम का बयान

٩ - بَابُ التَّيَمُّمِ

109. जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "मुझे पाँच ऐसी चीज़ें अता फ़रमाई गयी हैं जो मुझ से पहले किसी को भी नहीं दी गयी, मुझे एक महीना की मसाफ़त (दूरी) से (दुश्मन पर) रोब व दबदबा से मदद दी गई है, सारी ज़मीन मेरे लिए सज्दागाह, तहारत और पाकीज़गी का ज़रिया बनाई गई है, अब जिस आदमी को (जहाँ भी) नमाज़ का वक़्त आ जाये उसे नमाज़ पढ़ लेनी चाहिए" और आगे पूरी हदीस बयान की।

(١٠٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَأَيُّما رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ». وذَكَرَ الحَدِيثَ.

मुस्लिम में हुज़ैफ़ा ﷺ से रिवायत है "जब हमें पानी न मिले तो ज़मीन की मिट्टी हमारे लिए तहारत और पाकीज़गी हासिल करने के लिए पाक बना दी गई है"

وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوراً، إِذَا لَمْ نَجِدِ المَآءَ».

मुसनद अहमद में अली ﷺ से रिवायत है "मिट्टी मेरे लिए तहारत हासिल करने का ज़रिया बनाई गई है।"

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِيَ طَهُوراً».

फ़ायेदा:

इस हदीस में मुसन्निफ़ (लेखक) ने ख़ास तौर से आप ﷺ को दिये जाने वाले दो ख़ुसूसीयात का बयान किया है और बाक़ी तीन यह है: ग़नायेम का हलाल किया जाना, शफ़ाअते कुबरा भी आप ﷺ ही फ़रमायेंगे और सारी ज़मीन के तमाम इन्सानों और जिन्नों के लिए आप ﷺ को नबी बनाकर भेजा गया है।

पानी न मिलने की सूरत में शरीअत इस्लामिया ने तयम्मुम की सहूलत देकर उम्मत मुस्लिमा के लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी है, ज़मीन के तमाम हिस्सों से तयम्मुम सहीह है, ज़मीन से निकलने वाली मादनियात जो ज़मीन का हुक्म रखती हों उन से भी तयम्मुम किया जा सकता है, शर्त यह कि मादनियात ग़ुबार (धूल) रखने वाली हो।

(١١٠) وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ، كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. متفق عليه وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

110. अम्मार बिन यासिर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मुझे नबी करीम ﷺ ने किसी ज़रूरत व हाजत के सिलसिले में भेजा, मैं जुनबी हो गया और पानी मुझे न मिला तो मै मिट्टी में इस तरह लोट पोट गया जिस तरह चौपाया लोट पोट जाता है (ज़रूरत से फारिग़ होकर) मैं नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और सारा वाक़ेआ आप ﷺ से बयान किया, आप ﷺ ने फ़रमाया: "तुझे अपने हाथ से इस तरह कर लेना ही काफ़ी था" फिर आप ﷺ ने अपने दोनों हाथों को एक बार ज़मीन पर मारा, फिर बायें को दायें पर मला अपने हाथों की पुश्त और चेहरे पर। (बुख़ारी, मुस्लिम, और हदीस के अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ «وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

और बुखारी की रिवायत में है कि अपनी दोनो हथेलियाँ ज़मीन पर मारी और फूँक मार कर गर्द व ग़ुबार उड़ा दिया फिर इन को अपने चेहरे और हाथों पर मल लिया।

फ़ायेदा:

यह हदीस क़ौल और फ़ेल दोनों एतेबार से यह फ़ायेदा दे रही है कि तयम्मुम के लिए एक बार हाथ मारना ही काफ़ी है और हथेलियों की बाहरी और अन्दरुनी हिस्से पर मसह करना है, कुहनियों तक नहीं। इस बाब में यह हदीस सहीह तरीन है, इस के मुक़ाबिले में जो दूसरी रिवायात हैं वह या तो ज़ईफ़ हैं या फिर मौक़ूफ़, जो इस हदीस का मुक़ाबला नहीं कर सकती।

इस हदीस से मालूम होता है कि तयम्मुम में चेहरे और हाथों के लिए एक ही ज़र्ब काफ़ी है। जमहूर मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा का यही

मज़हब है, अलबत्ता अहनाफ़ और शाफ़ई दो ज़रबों के क़ायेल हैं, एक ज़र्ब चेहरे के लिए और दूसरी हाथों के लिए। अम्मार बिन यासिर ﷺ से उपर बयान की गई हदीस जमहूर की दलील है, इस बाब में सहीह तरीन रिवायत होने के एतेबार से इसी पर अमल है।

111. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है: "तयम्मुम दो ज़रबों से (मुकम्मल) होता है (तयम्मुम में दो ज़रबें हैं) एक ज़र्ब चेहरे के लिए और एक ज़र्ब दोनों हाथों के लिए कुहनियों तक" (इस को दार कुतनी ने रिवायत किया है और दूसरे इमामों ने इस के मौकूफ़ होने को सहीह कहा है)

(١١١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ، ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.

112. अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मिट्टी मोमिन मुसलमान का वुजू है चाहे दस साल तक उसे पानी न मिले, मगर जब पानी मिल जाये तो फिर अल्लाह से डरना चाहिए और उसे अपने जिस्म पर पानी पहुँचाना चाहिए" (इस को बज़्ज़ार ने रिवायत किया है और इब्ने क़त्तान ने सहीह कहा है, लेकिन दार कुतनी ने इस के मुरसल होने को सहीह कहा है और तिर्मिज़ी में अबू ज़र ﷺ से भी इसी तरह रिवायत है जिसे तिर्मिज़ी ने सहीह कहा है और हाकिम ने भी सहीह कहा है)

(١١٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابنُ القَطَّانِ، وَلٰكِن صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِرسَالَهُ، وَلِلتِّرمِذِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوَه، وَصَحَّحَهُ وَالحاكِمُ أَيْضاً.

फ़ायेदा:

इस हदीस में तयम्मुम को वुजू कहा गया है, तो गोया तयम्मुम वुजू का क़ायेम मक़ाम और बदल है, जब यह पानी का बदल है तो फिर दोनों अहकाम भी एक जैसे होंगे, यानी एक वुजू से जितनी नमाज़े पढ़ सकता है तयम्मुम से भी उतनी पढ़ी जा सकती हैं।

113. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं कि दो आदमी सफ़र पर निकले, नमाज़ का वक़्त हो गया मगर उन के साथ पानी न था, दोनों ने पाक मिट्टी से तयम्मुम किया और नमाज़ पढ़ ली, फिर पानी मिल गया जबकि अभी नमाज़ का वक़्त बाक़ी था, उन में से एक ने वुज़ू भी किया और नमाज़ दोबारा अदा की, मगर दूसरे ने वुज़ू किया और न ही नमाज़ दुहराई, सफ़र से वापसी पर वह दोनों रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अपना वाक़ेआ सुनाया। आप ﷺ ने उस शख़्स को जिस ने नमाज़ दोबारा नहीं पढ़ी थी फ़रमाया "तूने सुन्नत के मुताबिक़ किया और तेरी नमाज़ काफ़ी हो गयी" और दूसरे से फ़रमाया: "तुझे दुगना अज्र (सवाब) मिलेगा" (अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है)

(١١٣) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالَى عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ، فَتَيَمَّمَا صَعِيداً طَيِّباً، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ، وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ»، وَقَالَ لِلآخَرِ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». رَوَاه أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسائِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर तयम्मुम करके नमाज़ अदा कर ली गई हो और बाद में दौराने वक़्त ही पानी मिल गया हो तो ऐसी सूरत में नमाज़ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, चारों इमाम का यही मज़हब है।

114. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन से अल्लाह तआला के इरशाद "व इन कुन्तुम मरज़ा औ अ़ला सफ़रिन" के मुतअ़ल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि जब किसी शख़्स को अल्लाह की राह में ज़ख़्म और घाव लगे और उसी हालत में उसे जनाबत लाहिक़ हो जाये और ग़ुस्ल करने की सूरत में मर जाने का ख़तरा हो तो वह तयम्मुम कर ले। (इस रिवायत को दार क़ुतनी ने मौक़ूफ़, बज़्ज़ार

(١١٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ﴾ قَالَ: إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَن يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ، تَيَمَّمَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفاً وَرَفَعَهُ البَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالحَاكِمُ.

ने मरफ़ूअ और इब्ने ख़ुज़ैमा और हाकिम ने सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो और तुम्हें पानी न मिले तो तयम्मुम करो, इस का मतलब यह है कि नमाज़ पढ़ना चाहो और वुज़ू या ग़ुस्ल में कोई अम्र (चीज़) मानेय हो तो तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ लो।

(١١٥) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعالَى عَنْهُ قَالَ: انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الجَبَائِرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّا.

115. अली ﷺ ने बयान किया कि मेरा गट्टा टूट गया तो मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से वुज़ू के बारे में पूछा (कि अब मैं क्या करूँ।) तो आप ﷺ ने पट्टियों पर मसह करने का हुक्म दिया" (इसे इब्ने माजा ने बहुत ही कमज़ोर सनद के साथ रिवायत किया है)

(١١٦) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالَى عَنْهُ، فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رَاوِيهِ.

116. जाबिर ﷺ से रिवायत है कि उस आदमी के बारे में जिस के सर पर ज़ख़्म आया था और उसी हालत में उस ने ग़ुस्ल कर लिया और मर गया, कि उसे तो तयम्मुम कर लेना ही काफ़ी था, अपने ज़ख़्म पर पट्टी बाँध कर मसह करता और बाक़ी बदन को धो लेता। (इस रिवायत को कमज़ोर (ज़ईफ़) सनद के साथ अबू दाउद ने रिवायत किया है और इस के रावियों में भी इख़्तेलाफ़ है)

(١١٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعالَى عَنْهُمَا قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جِدًّا.

117. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि सुन्नत यही है कि तयम्मुम करने वाला आदमी तयम्मुम से एक ही नमाज़ पढ़े और दूसरी नमाज़ के लिए नया तयम्मुम करे। (इस को दार कुतनी ने बहुत कमज़ोर (ज़ईफ़) सनद से रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

हदीस कमज़ोर (ज़ईफ़) है, इसलिए कि इस के रावी हसन बिन उमारह हैं और वह ज़ईफ़ हैं और पिछली हदीस नम्बर 130 इस के बज़ाहिर ख़िलाफ़ है, जिस से मालूम होता है कि तयम्मुम वुज़ू का क़ायेम मक़ाम है, इसलिए तयम्मुम से भी कई नमाज़े पढ़ी जा सकती हैं।

10. हैज़ (से मुतअल्लिक़ अहकाम) का बयान

١٠ - بَابُ الحَيْضِ

118. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश इस्तेहाज़ा की दायमी मरीज़ा थी, रसूलुल्लाह ﷺ ने उसे फ़रमाया: "हैज़ (माहवारी) के ख़ून (की रंगत) स्याह होती है, आसानी से पहचान हो सकती है, जिन दिनों में यह ख़ून आ रहा हो तो उन दिनों में नमाज़ छोड़ दो और जब कोई दूसरा हो तो वुज़ू करके नमाज़ पढ़ लिया करो" (अबू दाउद और नसाई ने इसे रिवायत किया है, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है और अबू हातिम के नज़दीक यह मुन्कर है)

(١١٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكِ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ.

अबू दाउद में मरवी असमा बिन्ते उमैस रज़ि अल्लाहु अन्हा की हदीस में है कि एक टब में बैठ जाये और जब वह पानी के उपर ज़रदी (पीला) देखें तो ज़ुहर और असर दोनों नमाज़ों के लिए एक ग़ुस्ल कर ले और इसी तरह मग़रिब और इशा की नमाज़ के लिये एक ग़ुस्ल कर ले और नमाज़ फ़ज्र के लिये अलग से एक ग़ुस्ल कर ले और उन के बीच में वुज़ू कर ले।

وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: وَلْتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ المَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالعَصْرِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِداً، وَتَتَوَضَّأُ فِي مَا بَيْنَ ذَلِكَ.

फ़ायेदा:

नौजवान औरत को तीन तरह के ख़ून से वास्ता पड़ता है, एक हैज़ (माहवारी) दूसरा दमे निफ़ास जो बच्चे की पैदाईश से लेकर चालीस दिन या कम व बेश जारी रहता है और तीसरा इस्तेहाज़ा, इस्तेहाज़ा का ख़ून उसे कहते है जो माहवारी के दिनों और निफ़ास के चालीस दिन के अलावा जारी रहे।

119. हमना बिन्ते जहश रज़ि अल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि मैं सख़्त क़िस्म के आरज़ा इस्तेहाज़ा में मुब्तला रहती थी, मैंने नबी ﷺ

(١١٩) وَعَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ

أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي، فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكِ يُجْزِئُكِ، وَكَذَلِكِ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ، فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ، وَتُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ، قَالَ: وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ البُخَارِيُّ.

की ख़िदमत में जानकारी हासिल करने के लिए हाज़िर हुई तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "यह तो शैतान की चूक (मार) है, इसलिए तुम छ: या सात दिन हैज़ के दिन शुमार करके फिर नहा लो, जब तुम अच्छी तरह पाक व साफ़ हो जाओ तो फिर चौबीस या तेईस दिन नमाज़ पढ़ो और रोज़ा रखो, यक़ीनन यह तुम्हारे लिये काफ़ी है, पस हर महीने इसी तरह कर लिया करो जैसाकि हैज़ वाली औरतें करती हैं, फिर अगर तुम में ज़ुहर को ज़रा मुअख़्ख़र करने और असर को ज़रा मुक़द्दम करने की हिम्मत व ताक़त है तो फिर ग़ुस्ल कर लो, जब पाक व साफ़ हो जाओ तो ज़ुहर और असर दोनों एक साथ पढ़ लो, फिर मग़रिब को मुअख़्ख़र और इशा को मुक़द्दम करके ग़ुस्ल कर लो और दो नमाज़ें जमा कर लो, तुम ऐसा कर लो (यानी ऐसा करने की इजाज़त है) और सुब्ह की नमाज़ के लिए अलग ग़ुस्ल कर लो और नमाज़ पढ़ लो" फिर फ़रमाया "दोनों बातों में से मुझे यह ज़्यादा पसन्द और महबूब है" (इस को नसाई के अलावा बाक़ी पाँचों ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी ने सहीह कहा है और बुख़ारी ने इसे हसन कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से हमना बिन्ते जहश रज़ि अल्लाहु अन्हा को दिन रात में तीन बार ग़ुस्ल करने का हुक्म दिया, एक ज़ुहर और असर के लिये, दूसरा मग़रिब और इशा के लिये और तीसरा फ़ज्र के लिये। इस से पहली हदीस में फ़ातिमा बिनते अबी हुबैश को हर नमाज़ के लिये वुज़ू का हुक्म दिया है इस से साफ़ मालूम होता है कि इस्तेहाज़ा के मर्ज़ में मुब्तला औरत पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं है अलबत्ता हर नमाज़ के लिये नया वुज़ू ज़रूरी है, ग़ुस्ल भी मुस्तहब है, वह भी सेहत और मौसम अगर साथ दे वर्ना कोई ज़रूरत नहीं।

(١٢٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا

120. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा बयान

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الدَّمَ، فَقَالَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي»، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. رواه مسلم.

करती हैं कि हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते जहश रज़ि अल्लाहु अन्हा ने रसूलुल्लाह ﷺ से इस्तेहाज़ा के खुन की शिकायत की, आप ﷺ ने फ़रमाया: "तुम्हारे माहवारी के दिन जिस तरह पहले से मुतअय्यन है उतने दिन में (नमाज़, रोज़ा) छोड़ दो, उस के बाद नहा धोकर नमाज़ पढ़ो" उम्मे हबीबा रज़ि अल्लाहु अन्हा उस के बाद हर नमाज़ के लिए ताज़ा गुस्ल किया करती थीं। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

وَفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ». وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.

और बुख़ारी की रिवायत में है कि "फिर हर नमाज़ के लिये नया वुज़ू कर लिया करो" (अबू दाउद वग़ैरह ने इस हदीस को दूसरे तरीक़े से रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

यह हदीस और इस बाब में बयान की गई दूसरी अहादीस का मतलब यह है कि मुस्तहाज़ा, इस्तेहाज़ा के ख़ून और हैज़ के ख़ून को फ़र्क़ करेगी।

(١٢١) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئاً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

121. उम्मे अतिया रज़ि अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि हम (माहवारी के दिन ख़त्म होने पर) नहा धोकर पाक व साफ़ होने के बाद गदले और ज़र्द रंग की चीज़ को (इस चीज़ के ख़ारिज होने को) कोई अहमियत नहीं देती थी (यानी ऐसी चीज़ के निकलने को हैज़ नहीं समझती थी) (बुख़ारी और अबू दाउद ने रिवायत किया है हदीस के अलफ़ाज़ अबू दाउद के हैं)

फ़ायेदा:

उम्मुल मोमेनीन आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा की रिवायत से मालूम होता है कि ज़र्द और गदले रंग के पानी को हैज़ समझा और शुमार किया जाता था और इस हदीस में है कि हमारे नज़दीक ऐसे पनाी की कोई अहमियत न थी, ज़ाहेरी तौर पर इन अहादीस में इख़्तिलाफ़ मालूम होता है लेकिन दर हक़ीक़त ज़रा ग़ौर करने से यह इख़्तिलाफ़ दूर हो जाता है, अगर बयान किये गये रंग का पानी

दौराने हैज़ ख़ारिज हो तो उसे हैज़ शुमार किया जायेगा और मुद्दत ख़त्म होने के बाद इस तरह के पानी की कोई अहमियत नहीं।

122. अनस ﷺ बयान करते हैं कि यहूदियों के यहाँ जब किसी औरत को हैज़ आता तो वह उस औरत के साथ खाना पीना छोड़ देते, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: (ऐ मुसलमानो!) तुम हमबिस्तरी के अलावा हर तरह का काम औरत के साथ कर सकते हो" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(١٢٢) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

नबी करीम ﷺ के फ़रमान की रौशनी में मुसलमानो के लिये हायेज़ा औरत के साथ बैठना, लेटना, खाना और पीना सब जायेज़ है, सिर्फ़ हमबिस्तरी से परहेज़ करना ज़रूरी है, यह छूत छात की बीमारी हिन्दूस और यहूदी के यहाँ है मुसलमानों के लिये इस की कोई अहमियत नहीं।

123. आयेशा रज़ि अल्लाहु अंन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ मुझे तहबन्द मज़बूती से बाँधने का हुक्म देते, फिर मेरे साथ चिमट कर लेट जाते, हालाँकि मैं उस वक़्त हैज़ की हालत में होती थी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٢٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

एक दूसरे के साथ अपना जिस्म लगाना, यह उस के लुग़वी माने हैं, मजाज़ी तौर पर उस से हमबिस्तरी के माने भी लिये जाते हैं, सितम ज़रीफ़ी देखिये कि मुन्केरीन हदीस की कि इन्होंने अवाम को नबी की हदीस से बदज़न और मुतनफ़्फ़िर करने के लिये उस का माना किया है कि नउज़ु बिल्लाह नबी करीम ﷺ हालते हैज़ में अपनी बीवियों से जिमाअ कर लेते थे, जबकि कुरआन मजीद में इस की सरीहन मुमानअत है। नतीजतन इस से यह बरआमद करते हैं कि अहादीस झूठी हैं, यह क़ाबिले एतबार नहीं, हालाँकि जैसाकि उपर बयान हुआ कि जिमाअ के माने जिस्म के साथ जिस्म लगाना है तो उस से जिमाअ के माने करना बद्दियानती नहीं तो और क्या है, शरीअत ने नाफ़ के नीचे के अलावा औरत के जिस्म से लज़्ज़त हासिल करना जायेज़ क़रार दिया है।

124. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने ऐसे

(١٢٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فِي

الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَابْنُ القَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيْرُهُمَا وَقْفَهُ.

आदमी के बारे में बयान किया है जो अपनी बीवी के पास ऐसी हालत में जाये जबकि वह हालते हैज़ में हो "वह एक दीनार या आधा दीनार सदक़ा व ख़ैरात करे" (इस हदीस को पाँचों अबू दाउद, नसाई, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा और अहमद ने रिवायत किया है, हाकिम और इब्ने क़तान दोनों ने इस को सहीह कहा है और इन दोनों के अलावा दूसरे मुहद्दिसीन ने इसे मौक़ूफ़ कहा है)

(١٢٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

125. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है: "क्या औरत जब हालते हैज़ में होती है तो नमाज़ और रोज़ा छोड़ नहीं देती" (बुख़ारी, मुस्लिम, यह लम्बी हदीस का टुकड़ा है)

(١٢٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

126. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि जब मक़ाम सरिफ़ में आये तो मुझे माहवारी शुरू हो गई (मेरे बताने पर) नबी ﷺ ने फ़रमाया: "मनासिक हज तुम भी उसी तरह अदा करो जिस तरह दूसरे हाजी करते हैं, अलबत्ता तवाफ़ बैतुल्लाह माहवारी से फ़ारिग़ होकर नहा धोकर करना" (बुख़ारी, मुस्लिम, यह लम्बी हदीस का टुकड़ा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस की रौशनी में हायेज़ा औरत बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकती, इसलिए कि तवाफ़ के लिए पाकीज़गी शर्त है, हालते हैज़ में औरत चूँकि नापाक हो जाती है, नापाक औरत तो मस्जिद में दाख़िल नहीं हो सकती ख़ानये काबा तो अफ़ज़लुल मसाजिद है, इसलिए तवाफ़ बदर्जा ऊला नहीं कर सकती, बल्कि ऐसी हालत में तो वह नमाज़ भी नहीं पढ़ सकती, इसी लिए मुसन्निफ़ (लेखक) ने इस हदीस को इस बाब में बयान किया है।

(١٢٧) وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ

127. मुआज़ बिन जबल ﷺ से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम ﷺ से सवाल किया कि

امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَآئِضٌ؟ فَقَالَ: «مَا فَوْقَ الإِزَارِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وضَعَّفَهُ.

जब औरत माहवारी के दिनों में हो तो औरत की अपने शौहर के लिये क्या क्या चीज़ हलाल है? आप ﷺ ने फ़रमाया: "पाजामा या तहबन्द में जिस्म का जितना हिस्सा है उसे छोड़कर बाक़ी हिस्सा उस के लिये हलाल है" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और कमज़ोर (ज़ईफ़) कहा है)

(١٢٨) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ على عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ.

128. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ के ज़माने में ओरतें बच्चे की पैदाईश के बाद चालीस दिन तक नापाक बैठी रहती थीं। (नसाई के अलावा पाँचो ने इसे रिवायत किया है और हदीस के अलफ़ाज़ अबू दाउद के हैं)

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

और इस की एक रिवायत में है कि नबी ﷺ ने निफ़ास के दिनों में छूटी हुई नमाज़ों की क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया। (इसे हाकिम ने सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि निफ़ास वाली औरत की अकसर मुद्दत चालीस दिन है, उसकी कम से कम मुद्दत कोई नहीं, हाँ अगर चालीस दिन से ज़्यादा आ जाये तो फिर वह हालते इस्तेहाज़ा शुमार होगी। उस हालत में नमाज़, रोज़ा छोड़े न जायेंगे, हमबिस्तरी भी हो सकती है, अलबत्ता निफास का हुक्म तो हैज़ की तरह है, निफ़ास वाली औरत नमाज़, रोज़ा छोड़ सकती, मस्जिद में दाख़िल नहीं हो सकती, तवाफ़े कअबा भी नहीं कर सकती, तिलावत कुरआन और कुरआन को छूने से परहेज़ करेगी, उस दौरान जितने रोज़े छूट गये थे उन की दूसरे दिनों में क़ज़ा ज़रूर देगी, नमाज़ की क़ज़ा नहीं देगी।

2- नमाज़ की किताब

٢ - كِتَابُ الصَّلَاةِ

1. नमाज़ के अहकाम नमाज़ के अवक़ात का बयान

١ - بَابُ المَوَاقِيتِ

129. अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "नमाज़ ज़ुहर का वक़्त सूरज के ढलने से शुरू होता है और नमाज़ असर के वक़्त की शुरूआत तक रहता है, और असर का वक़्त जब आदमी का असल साया उस के क़द के बराबर हो जाये (तब शुरू होता है) और नमाज़ असर का आख़िरी वक़्त सूरज की रंगत ज़र्द (पीला) हो जाने तक रहता है और नमाज़ें मग़रिब का वक़्त (सूरज के डूबने के साथ ही शुरू होता और) लाली के ख़त्म होने तक रहता है, इशा की नमाज़ का वक़्त आधी रात तक है और नमाज़ सुब्ह का वक़्त सुबह सादिक़ के आग़ाज़ से शुरू होकर सूरज के निकलने तक रहता है" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(١٢٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، وَوَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الأَوْسَطِ، وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

और उसी (मुस्लिम) में बुरैदा ﷺ से असर के बारे में रिवायत है कि "सूरज सफ़ेद और बिलकुल साफ़ हालत में हो" और अबू मूसा ﷺ से रिवायत है कि "सूरज बुलन्द हो"

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي العَصْرِ: «وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ» وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: «وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ».

फ़ायेदा:

सलात के लुग़वी माने दुआ के हैं और इस्तेलाह शरअ में मारूफ़ इबादत को कहते हैं।

इस हदीस से ज़ुहर का वक़्त एक मिस्ल तक साबित होता है उस के बाद असर का वक़्त शुरू हो जाता है, तीनों इमाम इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक, इमाम अहमद रहेमहुमुल्लाह के अलावा इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह अलैह और इमाम ज़ुफ़र रहमतुल्लाह अलैह का यही मज़हब है, एक रिवायत की रू से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की राय भी उसी तरह है लेकिन उन की तरफ़ जो मशहूर रिवायत मन्सूब है वह दो मिस्ल की है, उलमाये अहनाफ़ ने इमाम अबू

हनीफ़ा की इस रिवायत को क़बूल नहीं किया, किसी सहीह मरफ़ूअ हदीस से भी दो मिस्ल तक ज़ुहर का वक़्त साबित नहीं।

(١٣٠) وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى المَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ العِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

130. अबू बरज़ह असलमी ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ असर (ऐसे वक़्त) में पढ़ते कि हम में से कोई एक मदीना की आख़िरी हुदूद तक चला जाता फिर सूरज ज़िन्दा (रौशन, साफ़) होता और आप ﷺ नमाज़ इशा को ताख़ीर से पढ़ना पसन्द करते थे, नमाज़ इशा से पहले सोने और बाद नमाज़ इशा (ग़ैर ज़रूरी) बातें करने को नापसन्द और मकरूह ख़्याल करते और नमाज़ फ़ज्र से ऐसे वक़्त फ़ारिग़ होते जब नमाज़ी अपने साथ वाले शख़्स को पहचान लेता (आम तौर से) साठ से सौ आयात की तादाद तक तिलावत करते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَعِنْدَهُمَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «وَالعِشَاءَ أَحْيَاناً يُقَدِّمُهَا، وَأَحْيَاناً يُؤَخِّرُهَا، إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَؤُوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ.

और जाबिर की रिवायत में है कि आप ﷺ नमाज़ इशा कभी जल्दी पढ़ लेते और कभी देर से। उस की सूरत यह होती कि आप ﷺ देखते कि नमाज़ी जमा हो चुके हैं तो जल्दी पढ़ा देते और अगर देखते कि नमाज़ी देर से आते हैं तो देर करते (अलबत्ता सुबह की नमाज़ आप ﷺ अंधेरे ही में पढ़ते) (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: «فَأَقَامَ الفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً».

मुस्लिम में अबू मूसा ﷺ से रिवायत है कि सुब्ह की नमाज़ सुब्ह सादिक़ होते ही शुरू फ़रमा देते, यहाँ तक कि अँधेरे की वजह से सहाबा एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे।

फ़ायेदा:

इस हदीस में लफ़्ज़ ग़लस से मालूम होता है कि आप ﷺ नमाज़ फ़ज्र अव्वल वक़्त अँधेरे में पढ़ते थे और सुब्ह की नमाज़ में आप ﷺ साठ से सौ आयात तक तिलावत करते थे, और वह भी

तरतील से ठहर ठहर कर, इस से भी अन्दाज़ा कर लीजिये कि आप ﷺ नमाज़ की शुरूआत किस वक़्त में करते होंगे. इस से साफ़ मालूम हुआ कि नमाज़ फ़ज्र अववल वक़्त अँधेरे में पढ़नी चाहिये मगर सुब्ह सादिक़ का अच्छी तरह नुमायाँ होना ज़रूरी है, इसलिए कि उस से पहले तो नमाज़ का वक़्त ही नहीं होता।

(١٣١) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

131. राफ़ेअ बिन ख़दीज رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि हम नमाज़ मग़रिब नबी करीम ﷺ के साथ पढ़ते फिर हम में से कोई नमाज़ से फ़ारिग़ होकर वापस होता (तो इतनी रौशनी अभी बाक़ी होती थी) कि तीर के गिरने की जगह देख लेता। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

नमाज़ मग़रिब में ज़्यादा ताख़ीर जायेज़ नहीं, इस के अदा करने में जल्दी ही बेहतर है जैसाकि इस हदीस से ज़ाहिर होता है।

(١٣٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ، حَتَّى ذَهَبَتْ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا، لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

132. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी करीम ﷺ ने एक रात नमाज़ इशा इतनी देर से पढ़ी कि रात का अव्वल हिस्सा ज़्यादातर गुज़र गया था, आप ﷺ नमाज़ के लिए तशरीफ़ लाये और नमाज़ पढ़ी और फ़रमाया कि अगर मेरी उम्मत पर (यह व़क़्त) भारी न होता तो मैं नमाज़ इशा का यही वक़्त मुक़र्रर करता। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात का वाज़ेह सुबूत है कि नमाज़ इशा ताख़ीर से पढ़ना अफ़ज़ल है, ताख़ीर से अदायेगी की सूरत में अफ़ज़लियत का सवाब सिर्फ़ इसी नमाज़ के साथ मख़सूस है और किसी नमाज़ के साथ नहीं।

(١٣٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

133. अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब गर्मी की शिद्दत हो तो नमाज़ ठंडी कर के पढ़ो (यानी ज़रा इन्तेज़ार कर लो कि वक़्त ज़रा ठंडा हो जाये) क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की

साँस की लपेट से पैदा होती है'' (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मौसम गरमा में नमाज़ ज़ुहर ज़रा ताख़ीर से पढ़नी चाहिए।

(١٣٤) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

134. राफ़ेअ बिन ख़दीज ؓ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "नमाज़ फ़ज्र सुब्ह के ख़ूब वाज़ेह होने पर पढ़ा करो, यह तुम्हारे अज्र में इज़ाफ़ा का सबब होगा'' (इस को पाँचों अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

अहनाफ़ ने इसी हदीस की रौशनी में इसफ़ार को अफ़ज़ल कहा है, लेकिन आप ﷺ के दायमी अमल, ख़ुलफ़ाये राशिदीन, जमहूर सहाबा और ताबेईन के अमल की बिना पर यह इस्तेदलाल वज़नी नहीं रहता। अबू दाउद में अबू मसउद ؓ से रिवायत है कि आप ﷺ ने एक बार नमाज़े फ़ज्र ग़लस (तारीकी) में पढ़ी और एक बार इस्फ़ार में भी पढ़ी, उस के बाद वफ़ात तक हमेशा तारीकी में ही पढ़ते रहे, हदीस का मतलब सिर्फ़ इतना मालूम होता है कि सुब्ह वाज़ेह और साफ़ तौर पर मालूम होने लगे, किसी तरह का शक बाक़ी न रहे, जैसाकि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह ने फ़रमाया है।

(١٣٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

135. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "सूरज निकलने से पहले जिस ने नमाज़ फ़ज्र की एक रकअत पा ली उस ने सुब्ह की नमाज़ पा ली और जिस ने सूरज डूबने से पहले नमाज़ असर की एक रकअत पा ली उस ने असर की नमाज़ पा ली'' (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نَحْوُه، وَقَالَ: «سَجْدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةً» ثُمَّ قَالَ: وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ.

मुस्लिम में आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा की हदीस में भी उसी तरह बयान है मगर उस में रकअत की जगह (सज्दा) का लफ़्ज़ है, फिर कहा कि (सज्दा) से मुराद तो रकअत ही है।

फ़ायेदा:

सूरज निकलने और सूरज डूबने के वक़्त की नमाज़ की शुरूआत ममनूअ है, लेकिन अगर किसी ने नमाज़ पहले शुरू कर ली फिर सूरज के निकलने या डूबने का मौक़ा आ गया तो नमाज़ी को चाहिये कि दूसरी रकअत पूरी कर ले, उस की नमाज़ हो जायेगी।

136. अबू सईद ख़ुदरी ﷛ ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते सुना है कि "सुब्ह की नमाज़ अदा कर लेने के बाद सूरज निकलने तक कोई नमाज़ (जायेज़) नहीं और उसी तरह नमाज़ असर अदा कर लेने के बाद सूरज के डूबने तक कोई दूसरी नमाज़ (जायेज़) नहीं" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٣٦) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ».

और मुस्लिम के अलफ़ाज़ हैं कोई नमाज़, नमाज़ फ़ज्र के बाद नहीं, और मुस्लिम में उक़्बा बिन आमिर ﷛ से रिवायत है कि तीन अवक़ात ऐसे हैं जिन में नमाज़ पढ़ने और मैय्यत की तदफ़ीन से रसूलुल्लाह ﷺ हमें मना फ़रमाया करते थे, पहला यह कि जब सूरज निकल रहा हो जब तक कि वह बुलन्द न हो जाये, दूसरा जब सूरज आधे आसमान पर हो, जब तक कि वह ढल न जाये और तीसरा जिस वक़्त सूरज डूबना शुरू हो।

وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ.

दूसरा हुक्म इमाम शाफ़ई रहमुल्लाह ने अबू हुरैरा ﷛ से ज़ईफ़ सनद के साथ रिवायत किया है। मगर उसमें "इल्ला यौमलजुमुअते" के अलफ़ाज़ ज़्यादा हैं और अबू दाउद ने भी अबू क़तादा ﷛ से अबू हुरैरा ﷛ की तरह रिवायत नक़ल की है।

وَالْحُكْمُ الثَّانِي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ وَزَادَ: «إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ نَحْوُهُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में ममनूअ अवक़ात में जो काम ममनूअ हैं उन का बयान है, उन में पहला यह कि हम मैय्यत को उन तीन वक़्तों में दफ़न न करें, यहाँ तदफ़ीन से मुराद नमाज़ जनाज़ा भी है कि उस ममनुअ वक़्त में नमाज़ जनाज़ा न पढ़ी जाये और न मैय्यत को दफ़न किया जाये, अलबत्ता अगर

कोई उज़्र हो तो फिर जायेज़ है, और दूसरा हुक्म यह है कि दोपहर का वक़्त है जब सूरज बीचोबीच आसमान पर हो, मग़रिब की तरफ़ ढल न रहा हो तो ऐसे वक़्त में भी नमाज़ पढ़ना या नमाज़े जनाज़ा पढ़ना और मैय्यत को दफ़न करना मना है, लेकिन जुमा का दिन ऐसा है कि जिस में ज़वाल के वक़्त नवाफ़िल अदा किये जा सकते हैं।

(١٣٧) وعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهَذَا البَيْتِ، وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

137. जुबैर बिन मुतइम ؓ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऐ अबद मनाफ़ की औलाद! बैतुल्लाह का तवाफ़ करने वाले किसी को मत मना करो (कि वह तवाफ़ न करे) और न किसी नमाज़ पढ़ने वाले को (नमाज़ पढ़ने से मना करो) चाहे वह दिन व रात की किसी घड़ी में यह काम करे" (इसे पाँचों अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में बयान की गई वह कौन सी नमाज़ है जिसे अदा करने की इजाज़त हुक्मन दी जा रही है तो वह आम नवाफ़िल हैं।

(١٣٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الشَّفَقُ الحُمْرَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُه وَقْفَهُ.

138. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ का फ़रमान है: "शफ़क़ से मुराद सुर्ख़ी है" (दार कुतनी ने इसे रिवायत किया है और इब्ने ख़ुज़ैमा वग़ैरह ने कहा है कि सहीह यह है कि यह मौक़ूफ़ है)

फ़ायेदा:

शफ़क़ से मुराद वह सुर्ख़ी है जो सूरज के डूबने के बाद नमूदार होती है।

(١٣٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: «الفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ، أَيْ

139. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "फ़ज्र की दो क़िस्में हैं, एक वह फ़ज्र जिस में खाना हराम है और नमाज़ अदा करना जायेज़ व हलाल है और एक वह फ़ज्र

है जिस में (सुब्ह की) नमाज़ पढ़ना हराम है और खाना जायेज़ व हलाल है" (इसे इब्ने ख़ुज़ैमा और हाकिम ने रिवायत किया है और दोनों ने इसे सहीह कहा है)

और मुस्तदरक हाकिम में जाबिर ﷺ से भी इसी तरह रिवायत है, उस में इतना ज़्यादा है कि "जिस सुब्ह में खाना हराम है वह आसमान के किनारों और चारों तरफ़ फैल जाती है और दूसरी भेड़िये की पूँछ की तरह उँची चली जाती है।

صَلَاةَ الصُّبْحِ، وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ». رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ، وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: إِنَّه يَذْهَبُ مُسْتَطِيلاً فِي الأُفُقِ. وَفِي الآخَرِ: «إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ».

140. इब्ने मसउद ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अव्वल वक़्त नमाज़ पढ़ना सब आमाल से बेहतर है" (इसे तिर्मिज़ी और हाकिम ने रिवायत किया है और दोनों ने इसे सहीह कहा है, इस हदीस की असल बुख़ारी और मुस्लिम में मौजूद है)

(١٤٠) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا». رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَالحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ، وَأَصْلُه فِي الصَّحِيحَيْنِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में नमाज़ को अव्वल वक़्त पर पढ़ना तमाम आमाल से बेहतर बयान किया गया है, जबकि दूसरी हदीस में ईमान, सदक़ा और जिहाद को बेहतर आमाल बताया गया है। सारी अहादीस अपनेअपने मफ़हूम में सहीह हैं, उन में मुवाफ़क़त और तताबुक़ इस तरह होगा, ईमान का तअल्लुक़ क़ल्ब व ज़मीर से है, लेहाज़ा ईमान क़लबी आमाल में सब से बेहतर है और नमाज़ का तअल्लुक़ बदनी इबादत से है, यह बदनी आमाल में सब से बेहतर है और सदक़ा का तअल्लुक़ मालियात से है, माली आमाल में सदक़ा सब से बेहतर है और जिहाद जवानी व तवानाई, सेहत का सब से बेहतरीन और बेहतर अमल है, इस तरह उन में बाहमी मुनाफ़ात नहीं रहती।

141. अबू महज़ूरह ﷺ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "अव्वल वक़्त में (नमाज़ पढ़ना) रज़ाये इलाही का मूजिब है और दरमियानी वक़्त में (अदायगी नमाज़) रहमते इलाही का सबब है और इस को आख़िर वक़्त में अदा करना अल्लाह तआला से माफ़ी का मूजिब है" (दार क़ुतनी ने इसे

(١٤١) وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَوَّلُ الوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللهِ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا وَلِلتِّرمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ دُونَ الأَوْسَطِ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضاً.

बहुत ही कमज़ोर सनद के साथ रिवायत किया है और तिर्मिज़ी में इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की हदीस भी इसी तरह है लेकिन उस में बीच का लफ़्ज़ नहीं और वह भी कमज़ोर है)

(١٤٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ». أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

142. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है: "फ़ज्र के बाद सिर्फ़ दो सुन्नतों के अलावा और कोई (नफ़ल) नमाज़ नहीं" (इसे नसाई के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है)

وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَي الفَجْرِ» وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ.

और अब्दुर्रज़्ज़ाक़ की रिवायत में है कि "फ़ज्र होने के बाद सिर्फ़ फ़ज्र की दो रकअत हैं और दार कुतनी में इब्ने अम्र बिन आस رضي الله عنه से भी उसी तरह रिवायत है।"

(١٤٣) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ. فَقُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا قال: «لَا». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِمَعْنَاهُ.

143. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ असर पढ़ कर मेरे हुजरे में तशरीफ़ लाये और दो रकअत नमाज़ पढ़ी, मैंने पूछा यह दो रकअत कैसी हैं? आप ﷺ ने फ़रमाया: "जुहर के फ़रायेज़ के बाद की दो सुन्नतें पढ़ नहीं सका था, वह अब मैंने पढ़ी है" मैंने फिर पूछा कि अगर यह दो सुन्नतें क़ज़ा हो जाये तो क्या हम भी उन की क़ज़ा किया करें? फ़रमाया: नहीं, (इसे अहमद ने रिवायत किया है और अबू दाउद में हज़रत आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से भी इसी तरह की रिवायत है)

फ़ायेदा:

बयान की गई हदीस से मालूम होता है कि असर के बाद जुहर की छुटी हई सुन्नतों की क़ज़ा रसूलुल्लाह ﷺ का ख़ासा और इम्तियाज़ था। सहीह यह है कि असर के बाद क़ज़ा नमाज़ फ़र्ज़ हो या सुन्नत अदा हो सकती है।

2. अज़ान का बयान

٢ - بَابُ الأَذَانِ

144. अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बिह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने फ़रमाया कि ख़्वाब में मुझे एक आदमी मिला जिस ने मुझे कहा कि कहो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फिर उस ने सारी अज़ान कही, चार बार अल्लाहु अकबर कहा, बग़ैर तरजीअ के और इक़ामत में सिर्फ़ एक-एक बार कहा, मगर (क़द कामतिस्सलाह) को दो बार कहा, सुब्ह जब जागा तो मैं रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ (और अपना ख़्वाब आप ﷺ को सुनाया) आप ﷺ ने फ़रमाया "यक़ीनन यह ख़्वाब सच्चा है" (इस हदीस को अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और इब्ने ख़ुज़ैमा ने सहीह कहा है)

(١٤٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بنِ عَبْدِ رَبِّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: طَافَ بِي - وَأَنَا نَائِمٌ - رَجُلٌ، فَقَالَ: تَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ» فَذَكَرَ الأَذَانَ بِتَرْبِيعِ التَّكْبِيرِ بِغَيْرِ تَرْجِيعٍ، وَالإِقَامَةَ فُرَادَى، إِلَّا «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فقال: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ»، الحديث. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ التِّرمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

और अहमद ने इस रिवायत के आख़िर में बिलाल ﷺ की फज्र की अज़ान में "अस्सलातु ख़ैरुम्मिन्नौम" का वाक़िआ भी मज़ीद बयान किया है। और इब्ने ख़ुज़ैमा में अनस ﷺ से है कि उन्होंने फ़रमाया सुन्नत है कि जब मुअज़्ज़िन सुब्ह की अज़ान में "हय्या अललफ़लाह" कहे तो वह कहे "अस्सलातु ख़ैरुम्मिन्नौम"

وَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةَ قَوْلِ بِلَالٍ فِي أَذَانِ الفَجْرِ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ».

وَلابْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ المُؤَذِّنُ فِي الفَجْرِ: «حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ» قَالَ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ».

फ़ायेदा:

मदीना में हिजरत के पहले साल आप ने सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम से मशवरा किया कि नमाज़ बा जमाअत के लिए बुलाने का क्या तरीक़ा होना चाहिये, कुछ ने कहा नमाज़ के लिये घड़ियाल (नाक़ूस) बजाया जाये, कुछ ने उँचाई पर आग रौशन करने की सलाह दी, कुछ ने बिगुल बूक़ बजाने की सलाह दी, उसी दौरान उमर ﷺ ने मशविरा दिय कि नमाज़ों की तरफ़ बुलाने के लिये अज़ान दी जाये।

145. अबू महज़ूरा ﷺ से रिवायत है कि नबी

(١٤٥) وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ الأَذَانَ، فَذَكَرَ فِيهِ التَّرْجِيعَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَلٰكِن ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ، وَرَوَاهُ الخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعاً.

ﷺ ने उन को अज़ान सिखाई, उस में उन्होंने तरजीअ का बयान किया। (मुस्लिम ने रिवायत किया है लेकिन उस में पहली बार अल्लाहु अकबर को सिर्फ़ दो बार कहने का बयान है, अबू महजूरा ؓ से मरवी हदीस को पाँचों ने रिवायत किया है और उन्होंने अल्लाहु अकबर को पहली बार चार मरतबा कहने का ज़िक्र किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में इस बात की दलील है कि अज़ान की शुरूआत में अल्लाहु अकबर दो बार नहीं बल्कि चार बार कहना सहीह है और अज़ान के लिए मुअज़्ज़िन ऐसा चुना और मुक़र्रर किया जाये जिस की आवाज़ अच्छी और बुलन्द हो, इस सिलसिले में इंतिख़ाब के लिये मुक़ाबला अज़ान का सुबूत मिलता है।

(١٤٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلَّا الإِقَامَةَ. يَعْنِي إِلَّا «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الاسْتِثْنَاءَ، وَلِلنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالاً.

146. अनस ؓ से रिवायत है कि बिलाल ؓ को अज़ान के कलिमात दो-दो बार और तकबीर (क़द क़ामतिस्सलात) के अलावा बाक़ी जुमला कलिमात को एक-एक बार कहने का हुक्म दिया गया। (बुख़ारी, मुस्लिम) अलबत्ता मुस्लिम ने (क़द क़ामतिस्सलात) के इस्तिसना का बयान नहीं किया है और नसाई में है कि नबी करीम ﷺ ने बिलाल ؓ को हुक्म दिया था।

(١٤٧) وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالاً يُؤَذِّنُ، وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

147. अबू जुहैफ़ा ؓ फ़रमाते हैं कि मैंने बिलाल ؓ को अज़ान देते देखा कि वह अपना चेहरा इधर-उधर फेरते थे, उस वक़्त उन की दोनों अंगुलियाँ (शहादत की अंगुली) उन के कानों में थी। (अहमद और तिर्मिज़ी ने इसे रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

وَلِابْنِ مَاجَهْ: وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ. وِلِأَبِي دَاوُدَ: لَوَى عُنُقَهُ لَمَّا بَلَغَ «حَيَّ عَلَى

इब्ने माजा की रिवायत में है कि उन्होंने अपनी अंगुलियाँ अपने कानों में डाल ली और

الصَّلَاةِ» يَمِيناً وَشِمَالاً، وَلَمْ يَسْتَدِرْ. وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

अबू दाउद में है कि जब (हय्या अलस्सलात) कहते तो अपने दायें बायें ज़रा रुख़ मोड़ लेते, बिल्कुल घूमते नहीं थे, इस की असल सहीहैन में है।

फ़ायेदा:

अज़ान क़िब्ला रुख़ खड़े होकर कहना मसनून है, उसी तरह (हय्या अलस्सलात, हय्या अललफ़लाह) कहते वक़्त दायें बायें अपने चेहरे की हद तक फेरना मसनून है, अज़ान कहते हुए कानों में अंगुलियाँ डालने के दो फ़ायदे हैं, कानों में अंगुलियाँ डालने से आवाज़ बुलन्द हो जाती है।

(١٤٨) وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْجَبَهُ صَوْتُه فَعَلَّمَهُ الأَذَانَ. رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

148. अबू महज़ूरा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ को उन की आवाज़ बहुत पसन्द आई, चुनाँचि आप ﷺ ने उसे (अबू महज़ूरा ﷺ को) अज़ान की तालीम ख़ुद दी (अज़ान सिखाई) (इब्ने ख़ुज़ैमा ने इसे रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात का सुबूत है कि मुअज़्ज़िन के इंतेख़ाब और चुनाव और तक़र्रुर में आवाज़ का ख़्याल रखना चाहिये।

(١٤٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ العِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَنَحْوُهُ فِي المُتَّفَقِ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ.

149. जाबिर बिन समुरा ﷺ से रिवायत्त है कि मैंने एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार नबी करीम ﷺ के साथ नमाज़ ईदैन पढ़ी है, उस के लिए न अज़ान कही जाती थी और न ही इक़ामत। (इस को मुस्लिम ने रिवायत किया है और बुख़ारी व मुस्लिम में इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से भी उसी तरह मरवी है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि नबी करीम ﷺ के ज़माने में नमाज़े ईदैन वाजमाअत पढ़ी जाती थी, उस के बावजूद उन के लिए न अज़ान कही जाती थी और न इक़ामत, और उम्मत का भी इस पर अमल है।

(١٥٠) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

150. अबू क़तादा ﷺ (एक लम्बी हदीस में

عَنْهُ فِي الحَدِيثِ الطَّوِيلِ فِي نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ: ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

जिस में दौराने सफ़र नींद की ज़्यादती और थकावटे सफ़र की वजह से सो जाने का ज़िक्र है) से रिवायत है, जब नींद से जागे तो फिर बिलाल ﷺ ने अज़ान कही और नबी ﷺ ने उसी तरह नमाज़ पढ़ी जिस तरह रोज़ाना पढ़ते थे। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى المُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ.

وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ. وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: «لِكُلِّ صَلَاةٍ» وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

और मुस्लिम में जाबिर ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ मुजदलिफ़ा में पहुँचे तो वहाँ आप ﷺ ने मग़रिब और इशा की नमाज़ एक अज़ान और दो इक़ामतों से पढ़ी, और मुस्लिम ही में इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने मग़रिब और इशा दोनों नमाज़ें जमा करके एक ही इक़ामत के साथ पढ़ी। और अबू दाउद ने इतना इज़ाफ़ा नक़्ल किया है कि हर नमाज़ के लिये तकबीर कही गई और उसी की एक रिवायत में है कि उन दोनों नमाज़ों में से किसी के लिए भी अज़ान नहीं कही गयी।

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह मसअला साबित होता है कि नींद की वजह से नमाज़ का वक़्त फ़ौत हो जाये और नमाज़ बाजमाअत का इरादा हो तो फिर नमाज़ के लिए अज़ान कहनी चाहिये।

(١٥١). وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ.

151. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा और आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा दोनों से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बिलाल (ﷺ) रात को अज़ान कहते हैं, तुम लोग इब्ने उम्मे मकतूम (ﷺ) की अज़ान तक खा पी लिया करो" इब्ने उम्मे मकतूम (ﷺ) नाबीना आदमी थे जब तक लोग उन्हें यह न कहते कि (सुब्ह हो गई, सुब्ह हो गई) वह अज़ान न कहते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि सुब्ह होने से पहले भी अज़ान कहना मशरूअ है, लेकिन यह अज़ान उस ग़र्ज़ के लिए नहीं होती जिस ग़र्ज़ के लिए मामूल की अज़ान दी जाती है बल्कि उस से मुराद सोये हुए लोगों को जगाना कि वह उठे और नमाज़ की तैयारी करें।

(١٥٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُما: أَنَّ بِلَالاً أَذَّنَ قَبْلَ الفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي: أَلَا إِنَّ العَبْدَ نَامَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَّفَهُ.

152. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि (एक दिन) बिलाल ﷺ ने सुब्ह होने से पहले ही अज़ान कह दी तो नबी करीम ﷺ ने उन्हें दोबारा अज़ान कहने का हुक्म दिया (तो बिलाल ﷺ ने यह अलफ़ाज़ कह कर मुनादी की) "ख़बरदार! सुनो बन्दा को नींद आ गई थी" (अबू दाउद ने इसे रिवायत किया और कमज़ोर (ज़ईफ़) कहा है)

(١٥٣) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا: مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

153. अबू सईद खुदरी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम अज़ान सुनो तो तुम भी उसी तरह कहते जाओ जिस तरह मुअज़्ज़िन कह रहा है" (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلُهُ.

और बुख़ारी में मुआविया से भी उसी रिवायत है।

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، فِي فَضْلِ القَوْلِ كَمَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً سِوَى الحَيْعَلَتَيْنِ، فَيَقُولُ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ.

और मुस्लिम ने उमर ﷺ से रिवायत की है जो मुअज़्ज़िन के जवाब में इसी तरह एक-एक कलिमा कहने की फ़ज़ीलत है सिवाय (हय्या अलस्सलाह) और (हय्या अललफ़लाह) के कि उन कलिमात की जगह (ला हौला व ला कूव्वता इल्ला बिल्लाह) कहे।

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह साबित होता है कि जिस तरह मुअज़्ज़िन कलिमाते अज़ान कहे सुनने वाला उसी तरह कहता जाये और यह जवाब हर हालत में मशरूअ है चाहे इंसान पाक हो या नापाक, अलबत्ता पेशाब व पाख़ाना वग़ैरह में मसरूफ़ हो तो जवाब देना जायेज़ नहीं।

(١٥٤) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي العَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ

154. उस्मान बिन अबी आस ﷺ से रिवायत है कि उन्होंने कहा या रसूलल्लाह! मुझे मेरी

क़ौम का इमाम मुक़र्रर कर दें, आप ने फ़रमाया: "तुम उन के इमाम हो (तुम्हें तुम्हारी क़ौम का इमाम मुक़र्रर कर दिया गया) उन में कमज़ोर और ज़ईफ़ लोगों का ख़्याल रखो और मुअज़्ज़िन ऐसे आदमी को मुक़र्रर करो जो अज़ान कहने की मज़दूरी न माँगे" (इस को पाँचों अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है और हाकिम ने सहीह कहा है)

اللهِ! اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي، فَقَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا». أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

फ़ायेदा:

मुअज़्ज़िन का अज़ान की उजरत व मोआवज़ा लेना जायेज़ है या नाजायेज़, इस बारे में इख़्तिलाफ़ है, इस हदीस से मोआवज़ा की हुरमत साबित नहीं होती, अलबत्ता इस से मालूम होता है कि बग़ैर मोआवज़ा लिए अज़ान कहना बेहतर व मुस्तहसन है।

155. मालिक बिन हुवैरिस ﷺ का बयान है कि नबी करीम ﷺ ने हम से इरशाद फ़रमाया: "जब नमाज़ का वक़्त आ जाये तो तुम में से कोई एक आदमी तुम्हें बुलाने के लिए अज़ान कहे" फिर पूरी हदीस बयान की। (इसे सातों (अहमद, बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा) ने रिवायत किया है)

(١٥٥) وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» الحَدِيثَ، أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

156. जाबिर ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बिलाल ﷺ से फ़रमाया: "जब अज़ान कहो तो ठहर-ठहर कर कहो और तकबीर ज़रा जल्दी-जल्दी कहो, अज़ान और इक़ामत के बीच इतना वक़्फ़ा होना चाहिए कि खाना खाने वाला अपने खाने से फ़ारिग़ होकर जमाअत में शामिल हो सके" (फिर हदीस पूरी बयान की, इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और कमज़ोर (ज़ईफ़) कहा है)

(١٥٦) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِبِلَالٍ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ مِقْدَارَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ»، الحديث. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَضَعَّفَهُ.

وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ». وَضَعَّفَهُ أَيْضاً.

और अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "वुज़ू के बग़ैर कोई अज़ान न कहे" (तिर्मिज़ी ने इसे भी कमज़ोर (ज़ईफ़) कहा है)

وَلَهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ». وَضَعَّفَهُ أَيْضاً.

और तिर्मिज़ी ने ज़ियाद बिन हारिस ؓ से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो अज़ान कहे वही इक़ामत कहे।" (इसे भी कमज़ोर (ज़ईफ़) कहा है)

وَلِأَبِي دَاوُدَ من حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ، يَعْنِي الأَذَانَ، وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُه، قَالَ: فَأَقِمْ أَنْتَ. وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضاً.

और अबू दाउद में अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ि अल्लाहु अन्हो की रिवायत में है कि मैंने अज़ान को ख़्वाब में देखा था, मेरी तमन्ना थी कि मुझे मुअज़्ज़िन मुक़र्रर किया जाये, आप ﷺ ने फ़रमाया: "तुम तकबीर कहा करो" (इस में भी कमज़ोरी है)

(١٥٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالأَذَانِ، وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بِالإِقَامَةِ». رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ، وَضَعَّفَهُ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ.

157. अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुअज़्ज़िन अज़ान का ज़्यादा हक़दार है और इमाम तकबीर कहने का ज़्यादा हक़ रखता है" (इसे इब्ने अदी ने रिवायत किया है और कमज़ोर (ज़ईफ़) कहा है और बैहक़ी में भी अली ؓ से इसी तरह मन्क़ूल है)

(١٥٨) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

158. अनस बिन मालिक ؓ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह का फ़रमान है: अज़ान और इक़ामत के दरमियानी वक़्फ़ा में दुआ मुसतरद नहीं की जाती" (इसे नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने ख़ुज़ैमा ने सहीह कहा है)

(١٥٩) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ

159. जाबिर ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस आदमी ने अज़ान सुन कर यह दुआ की (अल्लाहुम्मा

रब्बा हाज़िहिद-दावतित्ताम्मति........... वअत्तूह) की तो उस के लिये क़ियामत के दिन मेरी शफ़ाअत हलाल हो गई, ऐ अल्लाह! ऐ इस कामिल दुआ व पुकार और क़ायेम होने वाली नमाज़ के मालिक! मुहम्मद ﷺ को वसीला (मक़ाम महमूद) और फ़ज़ीलत अता फ़रमा और मक़ाम महमूद पर जिस का तूने उन से वादा फ़रमाया है पहुँचा दे (खड़ा कर दे)। (इस को अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा चारों ने रिवायत किया है)

التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَّذِي وَعَدتَّهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि अज़ान सुनने के बाद इस दुआ का पढ़ना मसनून है और इस की फ़ज़ीलत भी बड़ी है, इस से बड़ा शरफ़ और फ़ज़्ल क्या होगा कि पढ़ने वाले के लिए नबी करीम ﷺ की क़ियामत के दिन शफ़ाअत होगी।

3. नमाज़ की शर्तों का बयान

٣ - بَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

160. अली बिन तल्क़ ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "नमाज़ के दौरान तुम में से किसी की हवा ख़ारिज हो जाये तो वह वापस जाये और (नया) वुज़ू करे और नमाज़ दोबारा पढ़े" (इसे अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

(١٦٠) عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: «إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

161. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा नबी करीम से रिवायत करती है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जिसे हैज़ आता है (यानी वह औरत जो बालिग़ा हो) अल्लाह तआला उस की नमाज़ ओढ़नी के बग़ैर क़बूल नहीं करता" (इसे नसाई के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है और इब्ने ख़ुज़ैमा ने सहीह कहा है)

(١٦١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

फ़ायेदा:

यह हदीस साबित करती है कि नमाज़ के वक़्त बालिग़ और नौजवान औरत का सारा जिस्म छिपा होना चाहिए, यहाँ तक कि सर के बाल भी छिपे हुए हों।

(١٦٢) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعاً فَالتَحِفْ بِهِ، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ». وَلِمُسْلِمٍ: فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

162. जाबिर ﷺ रिवायत करते हैं कि नबी करीम ﷺ ने मुझे फ़रमाया: "जब कपड़ा बड़ा और फ़राख़ हो तो (नमाज़ में) कपड़ा ख़ूब (जिस्म पर) लपेट लो"

और मुस्लिम की रिवायत में है कि कपड़ा कुशादा हो तो कपड़े के दोनों किनारों को कंधों पर दोनों तरफ़ डाल लो और अगर कपड़ा तंग और छोटा हो तो उसे तहबन्द की सूरत में बाँध लो। (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».

और बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि "तुम में से कोई एक कपड़े में नमाज़ न पढ़े जब तक कि उस कपड़े का कोई हिस्सा उस के कंधों पर न हो।

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि नमाज़ी के कंधे भी नमाज़ में नंगे नहीं होने चाहिये।

(١٦٣) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ: أَتُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ بِغَيْرِ إِزَارٍ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغاً يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.

163. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने नबी ﷺ से पूछा कि क्या कोई औरत तहबन्द के बग़ैर सिर्फ़ कुर्ते और ओढ़नी में नमाज़ पढ़ सकती है? आप ﷺ ने फ़रमाया: "कुर्ता अगर इतना लम्बा हो कि क़दम की पुश्त तक पहुँच जाता है तो जायेज़ है" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इमामों ने इस के मौक़ूफ़ होने को सहीह क़हा है।

फ़ायेदा:

औरत को नमाज़ पढ़ने के लिये सारा जिस्म छुपाना ज़रूरी है, एक लम्बे चौड़े कुर्ते और एक डोपट्टा के साथ भी नमाज़ पढ़ सकती है, शर्त यह है कि कुर्ता इतना लम्बा हो कि पाँव के नीचे का हिस्सा भी छुप जाये।

(١٦٤) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، فَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا، فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَضَعَّفَهُ.

164. आमिर बिन रबीआ ؓ रिवायत करते है कि एक तारीक व अँधेरी रात में हम नबी करीम ﷺ के साथ थे, क़िब्ला रुख़ मालूम करना हम पर दुश्वार व मुश्किल हो गया, हम ने (अन्दाज़ के मुताबिक क़िब्ला का रुख़ मुतअय्यन करके) नमाज़ पढ़ ली, जब सूरज निकला तो मालूम हुआ कि हम ने तो ग़ैर क़िब्ला की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ी थी, तो फिर यह आयत (फ़अैनमा तुवल्लू फ़सम्म वजहुल्लाह) नाज़िल हुई "पस जिधर तुम रुख़ करोगे उसी तरफ़ अल्लाह की ज़ात मौजूद है" (इस को तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और कमज़ोर (ज़ईफ़) कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि जानकारी न होने, या कोई और वजह से क़िब्ला का रुख़ सही तौर से अगर मालूम न हो सके और आदमी अपनी अक़्ल और ग़ौर व फ़िक और सोच के बाद यह फ़ैसला करके नमाज़ पढ़ ले कि क़िब्ला इस जानिब होगा, लेकिन दरअसल क़िब्ला उस रुख़ पर न हो तो सहीह सिम्त क़िब्ला मालूम होने पर उस नमाज़ का लौटाना ज़रूरी नहीं।

(١٦٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ الْبُخَارِيُّ.

165. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "रुख़ पूरब और पश्चिम के बीच क़िब्ला है" (तिर्मिज़ी ने इसे रिवायत किया है और बुख़ारी ने मज़बूत (क़वी) कहा है)

(١٦٦) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ الْبُخَارِيُّ: يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَصْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ.

166. आमिर बिन रबीआ ؓ फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को अपनी उँटनी पर नमाज़ पढ़ते देखा है, उँटनी जिस तरफ़ भी रुख़ करती आप ﷺ नमाज़ पढ़ते रहते। (बुख़ारी, मुस्लिम)

और बुख़ारी ने इतना ज़्यादा भी नक़ल किया है कि आप ﷺ सर मुबारक से इशारा के साथ (नमाज़) पढ़ रहे थे, फ़र्ज़ नमाज़ में ऐसा न करते थे।

और अबू दाउद में अनस ﷺ से रिवायत है कि जब आप ﷺ सफ़र करते और नमाज़ नफ़्ल पढ़ना चाहते तो (एक बार) अपनी उँटनी का रुख़ क़िब्ला की तरफ़ मोड़ देते, उस के बाद फिर सवारी का रुख़ जिस तरफ़ भी हो जाता, नमाज़ पढ़ते रहते। (इस हदीस की सनद हसन है)

وَلأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: وَكَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ القِبْلَةَ، فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَجْهُ رِكَابِهِ. وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि सफ़र की हालत में नफ़्ली नमाज़ सवारी पर पढ़ी जा सकती है।

167. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "क़ब्रिस्तान और गुस्लख़ाना के अलावा सारी ज़मीन मस्जिद है (जहाँ चाहे नमाज़ पढ़ ले" (तिर्मिज़ी ने इसे रिवायत किया है। और इस में इल्लत है)

(١٦٧) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَمَّامَ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَهُ عِلَّةٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि क़ब्रिस्तान और गुस्लख़ाना में नमाज़ पढ़नी सहीह नहीं, गुस्लख़ाना में इसलिए कि वह जगह नापाक है और क़ब्रिस्तान में मनाही का सबब सद्दे ज़राय के तौर पर शिर्क से बचने के लिए है।

168. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ ने सात जगहों पर नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है। कूड़ा करकट (डालने) की जगह, ज़िब्हख़ाना, क़ब्रिस्तान, आम चौराहा, गुस्लख़ाना, उँट बाँधने की जगह (बाड़ा) और बैतुल्लाह की छत पर। (तिर्मिज़ी ने इसे कमज़ोर (ज़ईफ़) सनद के साथ रिवायत किया है)

(١٦٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَىٰ أَن يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَضَعَّفَهُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में सारी ज़मीन को मस्जिद क़रार देने के बावजूद कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ नमाज़ पढ़ना शरीयत में ममनूअ है।

169. अबू मरसद ग़नवी ﷺ रिवायत करते हैं

(١٦٩) وَعَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الغَنَوِيِّ رَضِيَ اللَّهُ

कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते सुना है कि क़ब्रों को सामने (रख कर) नमाज़ न पढ़ो और न उन पर बैठो। (मुस्लिम ने रिवायत किया है।)

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُصَلُّوا إِلَى القُبُورِ، وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि क़ब्रों की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ना ममनूअ है, कुछ लोग बुज़ुर्गों की क़ब्रों के पास इसलिए मजिस्दें बनाते हैं कि बुज़ुर्गों की अरवाह से फ़ैज़ हासिल होगा, यह भी ममनूअ है।

170. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से जब कोई मस्जिद में आये तो (मस्जिद में दाख़िल होने से पहले) उसे चाहिए कि (अपनी जूती) देख ले, अगर अपनी जूती में गन्दगी या नापाक चीज़ लगी हुई देखे तो उसे चाहिये कि उसे साफ़ करे और उस में नमाज़ पढ़ ले" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने ख़ुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है)

(١٧٠) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ، فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ أَذًى أَوْ قَذَراً فَلْيَمْسَحْهُ، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

फ़ायेदा:

यह हदीस इस की खुली हुई दलील है कि जूते पहन कर नमाज़ पढ़ना जायेज़ है, शर्त यह है कि जूते पाक व साफ़ हों।

171. अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई एक अपने मोज़ों से गन्दगी पर चले तो बेशक मिट्टी उसे पाक व साफ़ करने वाली है" (अबू दाउद ने इसे रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

(١٧١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

जूतों और मोज़ों पर अगर किसी तरह की गन्दगी चाहे वह सूखी हो या गीली, दिखाई देने वाली हो या न दिखाई देने वाली, ख़फ़ीफ़ हो या ग़लीज़ लग जाये तो वह पाक मिट्टी पर अच्छी तरह रगड़ने से पाक व साफ़ हो जाते हैं धोने की कोई ज़रूरत नहीं।

172. मुआविया बिन हकम ﷺ रिवायत करते

(١٧٢) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ رَضِيَ

हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "नमाज़ में इन्सानी बातचीत की कोई गुंजाईश नहीं, नमाज़ में तो सिर्फ़ तसबीह (सुब्हानल्लाह) तकबीर (अल्लाहु अकबर) और तिलावत कुरआन होनी चाहिये" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है।)

اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

173. ज़ैद बिन अरकम رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ के ज़माने में दौराने नमाज़ हम एक दूसरे से बातचीत कर लिया करते थे और अपनी ज़रूरत व हाजत एक दूसरे से बयान कर देते थे, जब आयत ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾ नाज़िल हुई तो हमें चुप रहने का हुक्म दिया गया और नमाज़ में बातचीत और कलाम करने से मना कर दिया गया। (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

(١٧٣) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: إِن كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ ﴿حَٰفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि नमाज़ में किसी तरह की बातचीत ममनूअ है, इस्लाम के शुरू में कलाम की इजाज़त थी जिसे बाद में ममनूअ क़रार दे दिया गया।

174. अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "(नमाज़ में ज़रूरत के वक़्त) मर्दों के लिये तसबीह (सुब्हानल्लाह कह कर इमाम को ख़बर करना) और ओरतों के लिये ताली बजाना है" (बुख़ारी और मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है और मुस्लिम ने "नमाज़ में" का इज़ाफ़ा किया है)

(١٧٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، زَادَ مُسْلِمٌ: «فِي الصَّلَاةِ».

फ़ायेदा:

जब इमाम नमाज़ में भूल जाये तो उसे याद दिलाने के लिये मर्द मुक़्तदी सुब्हानल्लाह कह कर उसे ग़लती पर ख़बरदार करे और अगर मुक़्तदी औरत हो तो वह हाथ पर हाथ मार कर ख़बर करेगी, ज़ुबान से सुब्हानल्लाह वग़ैरह कुछ नहीं कहेगी।

175. मुतर्रिफ़ अपने बाप अब्दुल्लाह बिन शिख़्ख़ीर ؓ से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को नमाज़ पढ़ते देखा है, उस वक़्त आप ﷺ के सीना मुबारक से गिरया व ज़ारी की वजह से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे उबलती हुई हंडियों से आवाज़ आती है। (इसे अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

(١٧٥) وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الْمِرْجَلِ، مِنَ الْبُكَاءِ. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह साबित होता है कि दौराने नमाज़ अल्लाह के डर से रोना नमाज़ के लिये मूजिब फ़साद नहीं है, उस से नमाज़ में किसी तरह की ख़राबी नहीं होती।

176. अली ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर होने के मेरे दो वक़्त थे, जब आप ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर होता और आप ﷺ नमाज पढ़ रहे होते तो मुझे बताने के लिए खंकार (ख़ाँस) देते। (नसाई और इब्ने माजा ने इसे रिवायत किया है।)

(١٧٦) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَدْخَلَانِ، فَكُنْتُ إِذَا أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي، تَنَحْنَحَ لِي. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज़ में ज़रूरत के वक़्त ऐसी आवाज़ निकालना जिस में हुरूफ़ की अदायगी न हो नमाज़ के लिये मूजिब फ़साद नहीं।

177. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मैंने बिलाल ؓ से पूछा कि नमाज़ पढ़ते वक़्त जब लोग नबी ﷺ को सलाम करते तो आप ﷺ उन को कैसे जवाब देते? उन्होंने जवाब दिया कि इस तरह करते और अपना हाथ फैलाया। (इसे अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

(١٧٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ لِبِلَالٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ هٰكَذَا وَبَسَطَ كَفَّهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

फ़ायेदा:

यह हदीस इस पर दलील है कि नमाज़ में सलाम का जवाब इशारे से देना मशरूअ है, बहुत से लोगों की यही राय है और कुछ ऐसे भी हैं जो नमाज़ में सलाम देना ममनूअ समझते हैं।

(١٧٨) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: «وَهُوَ يَؤُمُّ النَّاسَ فِي المَسْجِدِ».

178. अबू क़तादा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ पढ़ाते हुए (अपनी नवासी) उमामा बिन्ते ज़ैनब रज़ि अल्लाहु अन्हुमा को गोद में लिये रहते, जब सज्दा में जाते तो उसे गोद से नीचे उतार देते और सज्दा करके खड़े होते तो उसे (दोबारा) गोद में उठा लेते। (बुख़ारी, मुस्लिम)

मुस्लिम में इतना ज़्यादा है कि आप ﷺ लोगों को नमाज़ पढ़ाते हुये यह अमल करते थे।

(١٧٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الحَيَّةَ وَالعَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

179. अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "नमाज़ में दो काले जानवरों साँप और बिच्छू को मार दिया करो" (इस हदीस को चारों (अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा) ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह साबित हुआ कि नमाज़ की हालत में साँप और बिच्छू को मारने से नमाज़ बातिल नहीं होती, और यह भी मालूम हुआ कि उन दोनों मूज़ी जानवरों का मारना भी ज़रूरी है, जमहूर उलमा की यही राय है कि नमाज़ के दौरान साँप और बिच्छू को मारने से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ लोगों से इस की कराहत भी बयान की है मगर दलायेल की रौशनी में जमहूर का फ़ैसला ही सहीह है।

4. नमाज़ी के सुतरे का बयान

٤ - بَابُ سُتْرَةِ المُصَلِّي

(١٨٠) عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ يَعْلَمُ المَارُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي

180. अबू जुहैम बिन हारिस ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अगर नमाज़ी के आगे से गुज़रने वाले को यह

مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ؟ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَوَقَعَ فِي البَزَّارِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «أَرْبَعِينَ خَرِيفاً».

मालूम हो जाये कि ऐसा करने का कितना गुनाह है तो उस को नमाज़ी के आगे से गुज़रने के मुक़ाबिले में चालीस (साल) तक वहाँ खड़ा रहना ज़्यादा पसन्द हो" (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं, यह हदीस (मुसनद) बज़्ज़ार में एक दूसरी सनद से है उस में चालीस साल का ज़िक्र है)

(١٨١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ سُتْرَةِ المُصَلِّي، فَقَالَ: «مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

181. आयेशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जंग तबूक के मौक़े पर रसूलुल्लाह ﷺ से सुतरह के मुतअल्लिक़ पूछा गया (कि उस की लम्बाई कितनी होनी चाहिये) तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "उँट के पालान के पिछले हिस्सा की उँचाई के बराबर होना चाहिये" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है।)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि जंगल में सुतरह खड़ा करना चाहिये, सुतरह इतना उँचा और लम्बा होना चाहिये जितनी उँट के कजावे के पिछले हिस्से की लकड़ी होती है।

(١٨٢) وَعَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيَسْتَتِرْ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ بِسَهْمٍ». أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ.

182. सबरह बिन माबद जुहनी ؓ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "नमाज़ (पढ़ते वक़्त) तुम में से हर एक को सुतरह ज़रूर ही रखना चाहिये, अगरचे तीर ही सही" (हाकिम ने इसे रिवायत किया है।)

(١٨٣) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ الغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقْطَعُ صَلَاةَ المَرْءِ المُسْلِمِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ - المَرْأَةُ وَالحِمَارُ وَالكَلْبُ الأَسْوَدُ». الحَدِيثَ. وَفِيهِ: «الكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

183. अबू ज़र ग़िफ़्फ़ारी ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुसलमान मर्द की नमाज़ को जब कि उस के आगे पालान के पिछले हिस्से के बराबर सुतरह न हो, औरत गदहा और काला कुत्ता तोड़ देता है, इस हदीस में यह अलफ़ाज़ भी मरवी हैं कि "काला कुत्ता शैतान होता है" (मुस्लिम)

وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ دُونَ الكَلْبِ،

और उस में अबू हुरैरा ؓ की रिवायत भी है,

وَلأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ دُونَ آخِرِهِ، وَقَيَّدَ الْمَرْأَةَ بِالْحَائِضِ.

मगर उस में कुत्ते का बयान नहीं है, और अबू दाउद व नसाई ने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से भी उसी तरह नक़ल किया है मगर उस में हदीस का आख़िरी हिस्सा नहीं है और औरत के मुतअल्लिक़ हायेज़ा होने की क़ैद लगाई है।

फ़ायेदा:

सुतरह की मशरूईयत की हिक्मत क्या है, अच्छी तरह जान लो कि जब बन्दा नमाज़ के लिये खड़ा होता है तो रहमते इलाही उस के सामने होती है, जैसाकि हदीस में आया है, जब नमाज़ी सुतरह अपने सामने रख लेता है तो यह सुतरह हद्दे फ़ासिल का काम देता है।

(١٨٤) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ.

184. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई सुतरह रख कर नमाज़ पढ़ने लगे और कोई आदमी उस के सामने (यानी सुतरह और नमाज़ी के बीच के फ़ासले) से गुज़रने लगे तो (नमाज़ी को चाहिये कि) वह उसे रोकने की कोशिश करे, अगर वह (गुज़रने वाला फिर भी) बाज़ न आये तो उस से लड़ाई करे, क्योंकि वह शैतान (बसूरत इंसान) है" (बुख़ारी, मुस्लिम)

एक और रिवायत में है कि उस के साथ उस का साथी है।

फ़ायेदा:

नमाज़ी के सामने से गुज़रना जबकि उसने सुतरह रखा हो मकरूह है, और गुज़रने वाले को रोकना वाजिब है।

(١٨٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئاً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصاً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخُطَّ خَطّاً، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».

185. अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़ने लगे तो अपने सामने कोई चीज़ गाड़ ले या रख ले अगर कोई चीज़ न मिले तो अपनी लाठी ही खड़ी कर ले, अगर लाठी भी न मिल सके तो (ज़मीन पर) लकीर

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَمْ يُصِبْ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ بَلْ هُوَ حَسَنٌ.

खींच ले, अब आगे से गुज़रने वाला नमाज़ी को कोई नुक़सान नहीं पहुँचा सकेगा" (इसे अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है, और जिस किसी ने यह गुमान किया कि यह हदीस मुज़तरिब है उस ने सहीह नहीं कहा (वह ग़लती पर है) बल्कि यह हदीस हसन के दर्जे की है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि सुतरह हर चीज़ का हो सकता है, कोई चीज़ न मिले तो लकीर खींची जा सकती है।

(١٨٦) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ، وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

186. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती (अलबत्ता सामने से) गुज़रने वाले को अपनी हद तक रोकने की कोशिश करो" (अबू दाउद ने इसे रिवायत किया है, इस की सनद कमज़ोर (ज़ईफ़) है।

٥ - بَابُ الحَثِّ عَلَى الخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ

5. नमाज़ में ख़ुशू व ख़ुज़ू की तरग़ीब का बयान

(١٨٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَمَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ.

187. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ में अपने दोनों कूल्हों (पहलूओं) पर हाथ रख कर नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया है। (बुख़ारी और मुस्लिम, हदीस के अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: «أَنَّ ذَلِكَ فِعْلُ الْيَهُودِ فِي صَلَاتِهِمْ».

और बुख़ारी में हज़रत आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि यह यहूदियों की नमाज़ का तरीक़ा है।

(١٨٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ

188. अनस ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब शाम का

खाना पेश किया गया हो तो मग़रिब की नमाज़ पढ़ने से पहले खाना खा लो" (बुख़ारी, मुस्लिम)

فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا المَغْرِبَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

189. अबू ज़र ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई शख़्स नमाज़ पढ़ रहा हो तो (सज्दागाह से) कंकरियो को अपने हाथ से न हटाये, क्योंकि (उस वक़्त) रहमते इलाही नमाज़ी की तरफ़ मुतवज्जह होती है" (इसे अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने सहीह सनद के साथ रिवायत किया है)

(١٨٩) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَاحِدَةً أَوْ دَعْ». وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَيْقِيبٍ نَحْوُهُ بِغَيْرِ تَعْلِيلٍ.

मुसनद अहमद में इतना ज़्यादा है कि अगर कंकरियाँ हटाना ही है तो एक बार हटा दो या छोड़ दो, और सहीह बुखारी में हज़रत मुयैक़ीब से यही रिवायत मरवी है, इस में सबब का बयान नहीं है।

फ़ायेदा:

यह हदीस हमे बताती है कि नमाज़ में सज्दागाह को साफ़ नहीं करना चाहिये, अगर ज़रूरत इस बात की हो तो नमाज़ शुरु करने से पहले यह काम कर लिया जाये।

190. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से आँखों के गोशों से नमाज़ के दौरान इधर-उधर देखने के बारे में पूछा तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "यह तो शैतान का झपट्टा है जिस के ज़रिये शैतान इंसान की नमाज़ को झपट लेता है" (बुख़ारी ने इसे रिवायत किया है।)

(١٩٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الالتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ العَبْدِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

तिर्मिज़ी की हदीस (जिसे सहीह कहा गया है) में है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "नमाज़ में इधर-उधर नज़र दौड़ाने से बचने की कोशिश करो, यह हलाकत का सबब है,

وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ -: «إِيَّاكَ وَالالتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ».

अगर सख़्त और बहुत मजबूरी हो तो नवाफ़िल में ऐसा किया जा सकता है।"

फ़ायेदा:

शैतान इन्सान का हमेशा से दुश्मन है, वह कोई मौक़ा इन्सान को नुक़सान पहुँचाने का नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि नमाज़ में भी उस की पूरी कोशिश होती है कि किसी तरह नमाज़ से ग़ाफ़िल कर दे।

(١٩١) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ».

191. अनस ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई नमाज़ में होता है तो अपने अल्लाह से बातें कर रहा होता है (इसलिए ऐसी हालत में) अपने सामने की तरफ़ और दायें तरफ़ न थूके, बल्कि अपनी बायें तरफ़ पाँव के नीचे (थूके)" (बुख़ारी, मुस्लिम)

और एक रिवायत में है कि अपने पाँव के नीचे (थूके)।

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज़ के दौरान थूक या नाक वग़ैरह आ जाये तो सामने और दायें तरफ़ थूकने से परहेज़ करना चाहिए, अगर नमाज़ी मस्जिद में हो और यह ज़रूरत पेश आ जाये तो किसी रूमाल या कपड़े वग़ैरह पर ले कर उसे मल देना चाहिए।

(١٩٢) وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَاتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِهَا فِي قِصَّةِ أَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، وَفِيهِ: «فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي عَنْ صَلَاتِي».

192. अनस ﷺ ही से रिवायत है कि हज़रत आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा के पास एक कई रंगों वाली चादर (पर्दा के लिये) थी जो उन्होंने अपने हुजरे के एक तरफ़ लटका रखी थी, रसूलुल्लाह ﷺ ने उन से फ़रमाया: "अपनी रंगीन चादर को हमारे सामने से हटा दो, क्योंकि इस के नक्शो निगार मेरी नमाज़ में मेरे सामने (आकर) नमाज़ में ख़लल और ख़राबी का सबब बनते हैं" (बुख़ारी ने इसे रिवायत किया है।)

बुख़ारी और मुस्लिम दोनों अबू जहम की चादर अंबिजानिया के क़िस्सा में मुत्तफ़िक़ हैं

उस में है कि इस चादर ने मुझे मेरी नमाज़ से ग़ाफ़िल कर दिया।

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह सबक़ मिलता है कि हर वह चीज़ जिस से नमाज़ी की तवज्जुह नमाज़ से हट कर उस की तरफ़ हो जाने का अन्देशा हो उसे दूर कर देना चाहिये, ताकि वह नमाज़ में ख़लल न डाले, अगर उसे दूर करना और हटाना बस में न हो तो ख़ुद सामने से हट जाना चाहिये ताकि ख़ुशू व ख़ुज़ू और तवज्जुह में कमी पैदा न हो।

(١٩٣) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

193. जाबिर बिन समुरा ؓ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुसलमान क़ौम नमाज़ में अपनी नज़रें आसमान की ओर उठाने से रुक जायें वर्ना ऐसा न हो कि फिर उन की नज़रें वापस ही न आयें (यानी अंधे हो जायें" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है।)

وَلَهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ».

और मुस्लिम ही में आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि मैंने नबी ﷺ को फ़रमाते सुना है कि जब खाना हाज़िर हो और क़ज़ाये हाजत की ज़रूरत पड़ जाये तो नमाज़ नहीं होती।

फ़ायेदा:

नमाज़ के दौरान आसमान की तरफ़ उपर नज़रें उठाना हराम है।

(١٩٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: «فِي الصَّلَاةِ».

194. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "जमाई का आना शैतानी हरकत है, तुम में से अगर किसी को जमाई आ जाये तो अपने हद तक उसे रोकने की कोशिश करे" (मुस्लिम और तिर्मिज़ी ने अपनी रिवायेत में "नमाज़ में" का इज़ाफ़ा किया है)

फ़ायेदा:

जैसाकि उपर बयान हुआ कि जमाई सुस्ती, काहिली और पेट को ख़ूब भरने का नतीजा है।

6. मसाजिद का बयान

٦ - بَابُ الْمَسَاجِدِ

(١٩٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ، وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَ إِرْسَالَهُ.

195. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने घरों में नमाज़ की जगह बनाने और उन को साफ़ सुथरा रखने का हुक्म दिया था। (इसे अहमद, अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इस के मुरसल होने को सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की जगहों को साफ़ सुथरा और पाकीज़ा रखना चाहिये और उन में ख़ुश्बू लगानी चाहिये, इस हदीस में "दूर" से मुराद महल्ले हैं, महल्लों में छोटी-छोटी मस्जिदें ज़रूर होनी चाहिये।

(١٩٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ مُسْلِمٌ: «وَالنَّصَارَى».

196. अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला यहूदियों को ग़ारत व बरबाद करे, उन्होंने अम्बिया किराम की क़ब्रों को सज्दागाह बना लिया था" (इसे बुखारी व मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है और मुस्लिम ने नसारा के लफ़्ज़ का इज़ाफ़ा किया है)

وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً. وَفِيهِ: أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ.

बुखारी व मुस्लिम में आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब उन में सालेह (नेक) आदमी मर जाता है तो यह उस की क़ब्रों को सज्दागाह बना लेते हैं" (इस हदीस में यह अलफ़ाज़ भी हैं कि "यह बदतरीन मख़लूक़ हैं।"

फ़ायेदा:

कुरआन के बयान के मुताबिक़ यह अहले किताब हैं जिन्हें आसमानी कुतुब दी गई, मगर इन बद्बख़्तों ने अपने अम्बिया किराम की वफ़ात के बाद उन की क़ब्रों को सज्दागाह बना लिया, अपनी हाजात माँगना शुरु कर दी, यह हराम काम जिस तरह से यहूदियों ने किया उसी तरह इसाईयों ने भी किया, इस तरह यह जली शिर्क के मुरतकिब हुये जो

अल्लाह की नज़रों में संगीन और नाक़ाबिले माफ़ी जुर्म है, अब नाम के मुसलमानों को ग़ौर करना और सोचना चाहिये कि क़ब्रों को सज्दागाह बना कर किन गुमराहों की याद ताज़ा कर रहे हैं।

197. अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक छोटा सा दस्ता किसी तरफ़ रवाना किया, यह लोग एक (मुश्रिक) को गिरफ़्तार करके आप ﷺ की ख़िदमत में लाये और उस क़ैदी को मस्जिद (नबवी) के खम्बों के साथ बाँध दिया (क़ैद कर दिया) (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٩٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلاً، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِ الْمَسْجِدِ». الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि बवक़्ते ज़रूरत मुश्रिक का मस्जिद में आना जायेज़ है, और ज़रूरत के वक़्त मस्जिद को जेल क़रार देना भी साबित होता है।

198. अबू हुरैरा ﷺ ही से यह हदीस भी मरवी है कि उमर ﷺ का गुज़र हस्सान ﷺ के पास से हुआ, वह मस्जिद में अश्आर पढ़ रहे थे, उमर ﷺ ने उन की तरफ़ घूर कर देखा (उस पर) हस्सान ﷺ ने कहा (घूरते क्यों हो?) मैं तो उस वक़्त मस्जिद में शेर पढ़ा करता था जब मस्जिद में वह (ﷺ) मौजूद होते थे जो तुम से अफ़ज़ल थे (यानी रसूलुल्लाह ﷺ) (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٩٨) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فيه، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मस्जिद में अश्आर पढ़ना जायेज़ है मगर ऐसे आशार न हों जो तौहीद के ख़िलाफ़ हों, जिन में शिर्क की बू आती हो।

199. उन्हीं (अबू हुरैरा ﷺ) से यह हदीस भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो कोई यह सुने कि कोई आदमी मस्जिद में अपनी खोई हुई चीज़ तलाश कर रहा है तो सुनने वाला उसे यह कहे कि अल्लाह करे वह चीज़ तुम्हें वापस न मिले, मस्जिदें इस

(١٩٩) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

मक़सद के लिये नहीं बनायी गयी हैं । (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है।)

फ़ायेदा:

इस हदीस में जो डाँट डपट है इस से मक़सूद लोगों को इस बात से बाज़ रखना है कि बाहर कहीं उस की कोई चीज़ खो जाये और वह मस्जिद में आकर उस को तलाश करे।

(٢٠٠) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

200. उन्हीं (अबू हुरैरा ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम किसी शख़्स को मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख़्त करते देखो तो उसे कहो कि अल्लाह तआला तुम्हारे कारोबार व तिजारत में नफ़ा न दे" (इस हदीस को तिर्मिज़ी और नसाई ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मस्जिद में ख़रीदने और बेचने की मुमानअत साबित होती है, इस से मक़सूद यह है कि मस्जिदे तिजारती मंडियाँ न बना ली जायें।

(٢٠١) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

201. हकीम बिन हिज़ाम ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मसाजिद में न तो हुदूद क़ायेम किये जायें और न ही उन में क़िसास (खून का बदला) लिया जाये" (इस हदीस को अबू दाउद और अहमद ने कमज़ोर (ज़ईफ़) सनद के साथ रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि मस्जिदों में हुदूद क़ायेम न की जायें और क़िसास भी न लिया जाये, इस बात का एहतेमाल है कि सज़ा पाने वाले का खून या गन्दगी पेट से निकल जाये और मस्जिद गन्दी हो जाये।

(٢٠٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ، لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

202. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि जंगे ख़न्दक़ के दिन साद ﷺ ज़ख़्मी हो गये थे, रसूलुल्लाह ﷺ ने उन के लिये मस्जिद में ख़ीमा लगवाया था ताकि क़रीब से उन की तीमारदारी (आसानी से) कर सकें। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस से मालूम हुआ कि ज़रूरत के वक़्त मस्जिद में मरीज़ के क़ियाम के लिये ख़ीमा वग़ैरह लगाना जायेज़ है।

203. और उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) रिवायत करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को देखा कि आप ﷺ मेरे लिए पर्दा बने हुये थे, और मैं हबशियों के खेल को देख रही थी, जो वह मस्जिद में खेल रहे थे, यह लम्बी हदीस का एक टुकड़ा है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٢٠٣) وَعَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ، الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात की दलील है कि ख़ुशी के दिन जंगी करतब का मुज़ाहरा मस्जिद में जायेज़ है, और औरत अजनबी मर्द को देख सकती है, मगर तफ़सील से नहीं यानी अजनबी मर्द के जिस्म के हिस्सों को ग़ौर से नहीं देख सकती।

204. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि एक काले रंग की लड़की का ख़ीमा मस्जिद में था, वह मेरे पास बातें करने के लिये आया करती थी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٢٠٤) وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ وَلِيدَةً سَوْدَاءَ كَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي المَسْجِدِ، فَكَانَتْ تَأْتِينِي، فَتَحَدَّثُ عِنْدِي. الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

205. अनस ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मस्जिद में थूकना गुनाह है, उस का कफ़्फ़ारा थूक को दफ़न करना है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٢٠٥) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «البُصَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

मस्जिद अल्लाह तआला की इबादत और बन्दगी के लिये बनायी जाती है, इसे ज़ाहिरी और बातिनी गन्दगी और नजासत से पाक रखने का हुक्म है, मस्जिद में थूकना आदाबे मस्जिद के ख़िलाफ़ है।

206. उन्हीं (अनस ﷺ) ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "क़ियामत उस वक़्त तक न आयेगी जब तक कि लोग मस्जिदों (के बनाने) में फ़ख़ न करने लगेंगे" (इसे पाँचों ने रिवायत किया है सिवाय तिर्मिज़ी के, इब्ने ख़ुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है)

(٢٠٦) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ». أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

207. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "मुझे मसाजिद के बनाव व सिंगार का हुक्म नहीं दिया गया" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(٢٠٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदाः

इस हदीस से मालूम होता है कि मसाजिद को नक़्श व निगार और बेल बूटों से सजाना मना है, मस्जिदों को अल्लाह के ज़िक्र और ख़ालिस इबादत से आबाद करने का हुक्म है।

208. अनस ؓ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "मुझ पर मेरी उम्मत के आमाल पेश किये गये, (जो बाईसे सवाब है) यहाँ तक कि वह तिनका भी उन के आमाल में देखा जिसे आदमी मस्जिद से निकालकर बाहर फेंक देता है" (इस हदीस को अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, और तिर्मिज़ी ने इसे ग़रीब कहा है और इब्ने ख़ुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है)

(٢٠٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي، حَتّٰى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

फ़ायेदाः

इस से मालूम होता है कि मामूली से मामूली काम भी अज्र व सवाब से ख़ाली नहीं, मसाजिद की सफ़ाई और पाकीज़गी की इस्लाम ने बहुत ताकीद की है।

209. अबू क़तादा ؓ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "तुम में से कोई जब (भी) मस्जिद में दाख़िल हो तो बैठने से पहले दो रकअत (नफ़्ल) पढ़ ले।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٢٠٩) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتّٰى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

फ़ायेदाः

हदीस में जिन नवाफ़िल के पढ़ने का हुक्म है उसे तहिय्यतुल-मस्जिद कहते हैं, शवाफ़े के नज़दीक यह वाजिब है जबकि जमहूर इसे मुस्तहब कहते हैं।

٧ - بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

7. नमाज़ की सिफ़त का बयान (नमाज़ पढ़ने का मसनून तरीक़ा)

(٢١٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعاً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِساً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِداً، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

210. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम नमाज़ पढ़ने के लिये खड़े होने का इरादा करो तो पहले अच्छी तरह वुज़ू कर लो, फिर क़िब्ला रुख़ होकर तकबीर (अल्लाहु अकबर) कहो, फिर कुरआन का जितना हिस्सा तुम्हें याद हो, उस में से जितना आसानी के साथ पढ़ सकते हो पढ़ो, फिर रुकूअ करो और पूरी तरह इतमेनान से रुकूअ करो, फिर सीधा खड़े (हो जाओ) और पूरे इतमेनान से खड़े रहो, फिर सज्दा करो और पूरे इतमेनान से सज्दा करो, फिर सज्दा से अपना सर उठा कर पूरे इतमेनान से बैठ जाओ फिर दूसरा सज्दा करो और पूरे इतमेनान से करो, फिर बाक़ी सारी नमाज़ में इसी तरह (इतमेनान से नमाज़ के अरकान अदा करो" (इसे बुख़ारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा और इमाम अहमद ने रिवायत किया है और यह अलफ़ाज़ इमाम बुख़ारी के हैं)

وَلِابْنِ مَاجَهْ بِإِسْنَادِ مُسْلِمٍ: «حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِماً» وَمِثْلُهُ فِي حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ابْنِ مَالِكٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَابْنِ حِبَّانَ «حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِماً». وَلِأَحْمَدَ: «فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ».

इब्ने माजा ने मुस्लिम की सनद से रुकूअ से खड़े होने के वक़्त यह अलफ़ाज़ नक़ल किये हैं कि पूरे इत्मिनान से खड़े हो जाओ, अहमद और इब्ने हिब्बान में रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ बिन मालिक की रिवायत में भी इसी तरह है और मुसनद अहमद की एक रिवायत में है कि अपनी कमर (पुश्त) को सीधा करो कि हड्डियाँ अपनी जगह पर वापस आ जायें।

وَلِلنَّسَائِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: «إِنَّهَا لَنْ تَتِمَّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ

नसाई और अबू दाउद में रिफ़ाआ बिन राफ़ेअ से है कि जब तक वुज़ू मुकम्मल न हो जिस

حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللَّهَ تَعَالَى، وَيَحْمَدَهُ، وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ». وفيها : «فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ، وَكَبِّرْهُ، وَهَلِّلْهُ». وَلأَبِي دَاوُدَ: «ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ» وَلابْنِ حِبَّانَ: «ثُمَّ بِمَا شِئْتَ».

तरह अल्लाह ने हुक्म दिया है उस वक़्त तक तुम में से किसी की नमाज़ मुकम्मल नहीं हो सकती, फिर तकबीर कहे और अल्लाह की हम्द व सना करे और इस रिवायत में यह भी है अगर तुझे कुरआन का कुछ हिस्सा याद हो तो उसे पढ़े, वर्ना अल्लाह की हम्दो तौसीफ़ कर, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह।

अबू दाउद में है कि "फिर सूरह फ़ातिहा पढ़ और जो अल्लाह ने चाहा" इब्ने हिब्बान में है "फिर जो तुम चाहो पढ़ो"

फ़ायेदा:

इस हदीस में नबी ﷺ ने नमाज़ी को अरकाने नमाज़ पूरे इतमेनान और सुकून के साथ अदा करने की हिदायत फ़रमायी है, हर रुक्ने नमाज़ को अपनी जगह और दो अरकान के दरमियान वक्फ़ा में इतमेनान वाजिब है।

(٢١١) وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى، حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

211. अबू हुमैद अस्साअदी ؓ रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को तकबीर (उला) के वक़्त अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर तक उठाते देखा है और जब रुकूअ करते तो अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को मज़बूती से पकड़ लेते थे, और अपनी पुश्त मुबारक झुका लेते, फिर जब अपना सर रुकूअ से उपर उठाते तो इस तरह सीधे खड़े होते कि हर जोड़ अपनी-अपनी जगह पर पहुँच जाता (उस के बाद) फिर जब सज्दा करते तो अपने दोनों हाथ (ज़मीन) पर इस तरह रखते कि न ज़्यादा सिमटे होते और न ज़मीन पर बिछे हुये होते, सज्दा की हालत में दोनों पाँव की अंगुलियाँ क़िब्ला रुख़ होतीं, जब आप ﷺ दो रकअत पढ़ कर क़अदा करते तो बायाँ पाँव ज़मीन पर बिछा लेते और दायाँ पाँव खड़ा

रखते, और जब आख़िरी क़अदा करते तो बायाँ पाँव (दायें रान के नीचे) आगे बढ़ा देते और दायाँ खड़ा रखते और सुरीन (चूतड़) पर बैठ जाते। (बुख़ारी ने इसे रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में नबी ﷺ की नमाज़ की पूरी कैफ़ियत बयान की गई है कि आप ﷺ अरकाने नमाज़ को किस तरह अदा फ़रमाते थे।

(٢١٢) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضَ - إِلَى قَوْلِهِ - مِنَ المُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلِكُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، إلى آخره». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ ذَلِكَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ.

212. अली ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ जब नमाज़ के लिये खड़े होते तो पहले यह दुआ पढ़ते: "मैंने अपने चेहरे को आसमानों और ज़मीन के ख़ालिक़ की तरफ़ मुतवज्जह किया और मैं मुश्रिकों से नहीं, मेरी नमाज़ मेरी क़ुर्बानी, मेरा जीना व मरना अल्लाह ही के लिये है, उस का कोई शरीक नहीं, उसी का मुझे हुक्म है, और मैं मुसलमानो में से हूँ, ऐ अल्लाह! तू ही मालिक तू ही माबूद है, तू मेरा रब और मैं तेरा बन्दा हूँ.....आख़िर तक" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

और मुस्लिम ही की एक रिवायत में है कि आप ﷺ यह रात की नमाज़ (तहज्जुद) में पढ़ा करते थे।

फ़ायेदा:

इस ज़रूरी तफ़सील से यह बात वाज़ेह हो जाती है कि यह दुआ फ़र्ज़ नमाज़ के शुरु मे पढ़ना मसनून है।

(٢١٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: أَقُولُ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا

213. अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ का मामूल था कि तकबीर तहरीमा के बाद थोड़ा सा रुकते, फिर क़िराअत शुरू करते (एक दिन) मैंने आप ﷺ से पूछा रुकने के दौरान आप क्या पढ़ते हैं? फ़रमाया: पढ़ता हूँ, "ऐ अल्लाह! मेरे और मेरे गुनाहों के बीच इतना फ़ासला और दूरी

...कर दे जितना पूरब और पश्चिम के बीच है। ऐ अल्लाह! मुझे गुनाहों और ख़ताओं से इस तरह साफ़ फ़रमा दे जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ किया जाता है, ऐ अल्लाह! मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ़ और ओलों से धो दे" (बुख़ारी, मुस्लिम)

يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि तकबीर तहरीमा के बाद किराअत से पहले वक्फ़ा है और उस में यह दुआ पढ़नी मसनून है और इस से यह बात भी मालूम हुई कि दुआये इफ़्तेताह ऊँची आवाज़ से नहीं बल्कि धीमी पढ़नी चाहिए।

214. उमर ﷺ (वक्फ़ा के दौरान में) वग़ैरह पढ़ते थे, ऐ अल्लाह! तू पाक है (हर ऐब और नक़्स से) सब तारीफ़ें तेरे ही लिये हैं, बाबरकत है तेरा नाम और बुलन्द है तेरी शान और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। (इसे मुस्लिम ने मुनक़्ते और दार कुतनी ने मौसूल रिवायत किया है और यह मौकूफ़ है।

(٢١٤) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولاً، وَهُوَ مَوْقُوفٌ.

अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा पाँचों ने अबू सईद ख़ुदरी ﷺ के हवाले से इसी तरह रिवायत किया है और इस में यह भी बयान है कि तकबीर तहरीमा के बाद तअव्वुज़ पढ़ते थे: "मैं अल्लाह समीअ व अलीम की शैतान मरदूद से पनाह लेता हूँ उस के वस्वसो से, उस के फूँकने से यानी किब्र व घमंडी से और उस के अश्आर और जादू से"

وَنَحْوُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ مَرْفُوعاً عِنْدَ الخَمْسَةِ، وَفِيهِ: وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ: «أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ العَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ».

215. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा रिवायत करती है कि रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ की शुरूआत अल्लाहु अकबर से किया करते थे, और क़िराअत अलहम्दो लिल्लाहे रब्बिल आलमीन (सूरह फ़ातिहा) से शुरू करते और

(٢١٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالقِرَاءَةَ بِـ«الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ؛ وَكَانَ إِذَا

जब रुकूअ करते तो अपना सर मुबारक न ऊँचा करते और न नीचा करते, बल्कि इस के दरमियान की हालत में रखते, और जब रुकूअ से सर उठाते तो उस वक़्त तक सज्दा में न जाते जब तक कि बिल्कुल सीधे खड़े न हो जाते और जब सज्दा से सर उठाते तो दूसरा सज्दा उस वक़्त तक न करते जब तक कि ठीक से आराम से बैठ न जाते और हर दो रकअत के बाद तशहहूद पढ़ते और अपने बायें पाँव को ज़मीन पर बिछा लेते और दायें को खड़ा रखते, शैतान की चौकड़ी से मना फ़रमाते और दरिन्दों की तरह बाज़ू आगे निकाल कर बैठने से भी मना फ़रमाते थे और नमाज़ को सलाम के साथ ख़त्म करते। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है और इस की सनद मालूल है)

فَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى
تَوِيَ قَائِماً، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ
م يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِساً، وَكَانَ يَقُولُ
ب كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ
لْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ
قْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ
ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ
الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَلَهُ عِلَّةٌ.

216. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ जब नमाज़ शुरू करते तो अपने दोनों कंधो के मुक़ाबिल तक उठाते और जब रुकूअ के लिये अल्लाहु अकबर कहते तो भी और जब रुकूअ से सर उठाते तब भी अपने दोनों हाथ कंधों के मुक़ाबिल तक उठाते, (रफ़यदैन करते) (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٢١٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ
مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ
لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

और अबू दाउद में अबू हुमैद से रिवायत है कि अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाते, फिर अल्लाहु अकबर (तकबीर) कहते।

وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ
يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ
يُكَبِّرُ.

और मुस्लिम में मालिक बिन हुवैरिस ؓ की रिवायत में भी इसी तरह है जिस तरह इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत में है लेकिन इस में कंधों के मुक़ाबिल की जगह अपने कानों के मुक़ाबिल तक उठाते लिखा है।

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ،
لَكِنْ قَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.

फ़ायेदा:

इन अहादीस से साबित होता है कि तकबीर तहरीमा, रुकूअ को जाते और रुकूअ से सर उठाते हुये रफ़यदैन मसनून है, कुछ अहादीस में दो रकअतों के बाद तीसरी रकअत की शुरूआत में भी रफ़यदैन साबित है।

(٢١٧) وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

217. वायेल बिन हुज्र ﷺ रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम ﷺ के साथ नमाज़ पढ़ी, आप ﷺ ने अपना दायाँ हाथ अपने बाये हाथ पर रखकर सीने पर बाँध लिया। (इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से दो मसअलों पर रौशनी पड़ती है, पहला मसअला तो यह कि नमाज़ में हाथ बाँधकर दस्तबस्ता खड़ा होना मसनून है और खुले छोड़ना ग़ैर मसनून।

अब रहा यह मसअला कि हाथ बाँधे कहाँ जायें, सीने पर या नाफ़ के नीचे, कुछ लोग नाफ़ के नीचे बाँधते हैं, मगर नाफ़ के नीचे बाँधने वाली हदीस कमज़ोर (ज़ईफ़) है सहीह नहीं।

(٢١٨) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

218. उबादा बिन सामित ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने (नमाज़ में) उम्मुल कुरआन (सूरह फ़ातिहा) न पढ़ी उस की कोई नमाज़ नहीं" (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا تُجْزِىءُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ».

इब्ने हिब्बान और दार कुतनी में रिवायत है कि "जिस नमाज़ में सूरह फ़ातिहा न पढ़ी गई हो वह नमाज़ काफ़ी नहीं होती"

وَفِي أُخْرَى لِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ: «لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟» قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا».

अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान की एक दूसरी रिवायत में है कि "शायद तुम लोग अपने इमाम के पीछे (कुछ) पढ़ते हो" हम ने कहा जी हाँ, (पढ़ते हैं) फ़रमाया; "ऐसा न किया करो, सिवाय सूरह फ़ातिहा के इसलिये कि जिस ने उसे न पढ़ा उस की (तो) नमाज़ ही नहीं।"

फ़ायेदा:

यह हदीस खुला और वाज़ेह सुबूत है कि सूरह फ़ातिहा पढ़े बग़ैर नमाज़ नहीं होती, इमाम हो चाहे मुक्तदी या अकेला हो, सहीह तरीन मरफ़ूअ अहादीस की रौशनी में यही मज़हब हक़ और मबनी बर सदाक़त है।

(٢١٩) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ«الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

219. अनस ﷺ रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ अबू बकर और उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा सब नमाज़ की शुरूआत अलहम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन से करते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

زَادَ مُسْلِمٌ: لَا يَذْكُرُونَ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ» فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا.

मुस्लिम ने इतना इज़ाफ़ा किया है कि क़िराअत के शुरू और आख़िर दोनों मौकों पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते थे।

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ خُزَيْمَةَ: «لَا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».

मुसनद अहमद, नसाई और इब्ने ख़ुज़ैमा की एक रिवायत में है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमा-निर्रहीम को ऊँची आवाज़ में नहीं पढ़ते थे।

وَفِي أُخْرَى لِابْنِ خُزَيْمَةَ: «كَانُوا يُسِرُّونَ». وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ النَّفْيُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، خِلَافاً لِمَنْ أَعَلَّهَا.

और इब्ने ख़ुज़ैमा की एक दूसरी रिवायत में है कि वह बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ते थे और इसी पर मुस्लिम की नफ़ी को महमूल किया जायेगा, उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इसे मालूल कहा है।

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह ﷺ सूरह फ़ातिहा से क़िरातअ शुरू करते और बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ते थे।

(٢٢٠) وَعَنْ نُعَيْمٍ المُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ القُرْآنِ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ «وَلَا الضَّالِّينَ» قَالَ: آمِينَ. وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الجُلُوسِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ:

220. नुअैम अल मुज्मिर ﷺ से मरवी है कि मैंने अबू हुरैरा ﷺ की इमामत में नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने पहले बिस्मिल्लाह की तिलावत की, फिर उस के बाद सूरह फ़ातिहा पढ़ी, यहाँ तक कि आप "वलज़्ज़ालीन" पर पहँच गये और आमीन कही, रावी का बयान है कि जब सज्दा किया और जब बैठने के बाद खड़े

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

होते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर सलाम फेर कर फ़रमायाः मुझे क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! यक़ीनन मैं तुम से नमाज़ की अदायगी में रसूलुल्लाह ﷺ के बहुत मुशाबिह हूँ। (मेरी नमाज़ रसूलुल्लाह ﷺ की नमाज़ के बहुत मुशाबिह है) (नसाई और इब्ने खुज़ैमा ने इसे रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

यह हदीस बिस्मिल्लाह से आख़िर तक और आमीन उँची आवाज़ की मशरूईयत पर दलालत करती है।

(٢٢١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَرَأْتُمُ الفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَإِنَّهَا إِحْدَى آيَاتِهَا». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَوَّبَ وَقْفَهُ.

221. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "जब तुम सूरह फ़ातिहा पढ़ो तो बिस्मिल्लाहिर्रमानिर्रहीम भी साथ ही पढ़ा करो, इसलिये कि वह भी सूरह फ़ातिहा की एक आयत है" (दार कुतनी ने उसका मौकूफ़ होना सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह मालूम होता है कि बिस्मिल्लाह सूरह फ़ातिहा की एक आयत है, मगर यह हदीस मौकूफ़ है, जबकि मुस्लिम में सहीह हदीस इस के मुआरिज़ है, जिस में है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने इस सूरह को तक़सीम किया तो पहला जुज़ अल्हम्दो को क़रार दिया, बिस्मिल्लाह को इस में शुमार नहीं किया। अल्लाह ज़्यादा जानता है।

(٢٢٢) وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ، رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: آمِينَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. وِلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ.

222. उन्हीं (अबू हुरैरा ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ जब सूरह फ़ातिहा की क़िराअत से फ़ारिग़ होते तो आमीन उँची आवाज़ से कहते। (इसे दार कुतनी ने रिवायत किया है और इसे हसन कहा है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है, और अबू दाउद और तिर्मिज़ी में वायेल बिन हुज्र ؓ की रिवायत भी इसी तरह है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में है कि सूरह फातिहा की किराअत के ख़त्म होने पर आप ﷺ उँची आवाज़ में आमीन कहते थे, मगर आमीन जहरी और सिर्री ऐसा मसअला है जिस में इख़्तेलाफ़ है, आमीन कहने में किसी का इख़्तेलाफ़ नहीं, इख़्तेलाफ़ जो कुछ है वह बुलन्द या आहिस्ता कहने में है, अहनाफ़ आमीन आहिस्ता कहने के क़ायेल हैं जबकि दूसरे तीन इमाम, मुहद्दिसीन और अहले हदीस बुलन्द आवाज़ से आमीन कहने के क़ायेल हैं।

(٢٢٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئاً، فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ، فَقَالَ: «قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ» الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ.

223. अब्दुल्लाह बिन अबी अवफ़ा रज़ि अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि एक आदमी नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि मैं कुरआन में से कुछ भी याद नहीं रख सकता, इसलिए मुझे कोई ऐसी चीज़ सिखा दें जो (मेरी नमाज़ के लिये) उस की जगह काफ़ी हो जाये, फ़रमाया:

"सुब्हानल्लाह, अलहम्दुलिल्लाह ला इलाह इलल्लाह, अल्लाहु अकबर वला हौल वला कूव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम" पढ़ लिया करो" (इस हदीस को अहमद, अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है, इब्ने हिब्बान, दार कुतनी और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि अगर किसी को कुरआन पाक में से कुछ भी नहीं आता तो मजबूरी की सूरत में यह कलेमात पढ़ने से नमाज़ हो जायेगी।

(٢٢٤) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَاناً، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى، وَيَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

224. अबू क़तादा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ हमें नमाज़ पढ़ाते थे तो ज़ुहर और असर की पहली दो रकअतों में सूरह फ़ातिहा और दो सूरतें पढ़ते थे और कभी हमें कोई आयत सुना भी देते थे, पहली रकअत भी लम्बी करते और आख़िरी दोनों रकअतों में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

225. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ रिवायत करते हैं कि हम ज़ुहर और असर में नबी ﷺ की क़िराअत का अन्दाज़ा लगाया करते थे (कि आप दोनों रकअतों में कितना क़ियाम करते थे) हम ने अन्दाज़ा लगाया कि आप ﷺ ज़ुहर की पहली दोनों रकअतों में इतना क़ियाम करते जितनी देर में सूरह अलिफ़ लाम मीम अस्सज्दा की तिलावत की जा सके और आख़िरी दोनों रकअतों में पहली दोनों से आधी के बराबर और असर की पहली दोनों रकअतों में ज़ुहर की आख़िरी दोनों रकअतों के बराबर और असर की आख़िरी दोनों में असर की पहली दो रकअतों से आधी। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(٢٢٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَحْزُرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ﴿الٓمٓ تَنزِيلُ﴾ السجدة وفي الأُخْرَيَيْنِ قدر النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَفِي الأُولَيَيْنِ مِنَ العَصْرِ، عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَالأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से ज़ुहर और असर की नमाज़ों में रसूलुल्लाह ﷺ की क़िराअत की मिक़दार का अन्दाज़ा मालूम होता है, और यह भी मालूम होता है कि पिछली दो रकअतों में भी सूरह फ़ातिहा के बाद कोई दूसरी आयत पढ़ना मसनून है।

226. सुलैमान बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि फ़लाँ साहब ज़ुहर की पहली दो रकअतें लम्बी करते हैं (इन में क़िरात लम्बी करते हैं) और नमाज़ असर में हल्की करते हैं और नमाज़ मग़रिब में छोटी सूरतें और इशा में औसत दर्जे की और सुब्ह की नमाज़ में बड़ी सूरतें पढ़ते हैं, तो अबू हुरैरा ﷺ ने कहा मैंने किसी की इमामत में इस से ज़्यादा नबी करीम की नमाज़ से मुशाबिह नमाज़ नहीं पढ़ी। (नसाई ने इसे सहीह सनद के साथ रिवायत किया है)

(٢٢٦) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ فُلَانٌ يُطِيلُ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ العَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ، وَفِي العِشَاءِ بِوَسَطِهِ، وَفِي الصُّبْحِ بِطِوَالِهِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ هَذَا. أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि सूरह हुजुरात से लेकर क़ुरआन के ख़त्म होने तक मुफ़स्सलात

कहलाती है, मुफ़स्सलात की तीन क़िस्में हैं जैसाकि उपर बयान की गई है सुब्ह की नमाज़ में तवाले मुफ़स्सल और इशा की नमाज़ में अवसाते मुफ़स्सल और मग़रिब की नमाज़ में क़िसारे मुफ़स्सल सूरतों का पढ़ना मसनून है।

227. ज़ुबैर बिन मुतइम ﷺ रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम ﷺ को मग़रिब की नमाज़ में सूरह तूर पढ़ते सुना है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

नबी ﷺ का आम मामूल यही था कि मग़रिब में क़िसारे मुफ़स्सल पढ़ते थे, जैसाकि उपर बयान हुआ है मगर कुछ अवक़ात लम्बी सूरत भी पढ़ते थे, जैसाकि इस हदीस में सूरह तूर का पढ़ना साबित हुआ।

228. अबू हुरैरा ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ जुमा के दिन सुब्ह की पहली रकअत में "अलिफ़ लाम मीम तनज़ील अस्सज्दा" और दूसरी में "हल अता अलल इंसान" (सूरह दहर) पढ़ा करते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

और तबरानी में इब्ने मसउद से रिवायत है कि ऐसा आप हमेशा करते थे।

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (آلم تَنْزِيلُ) السَّجْدَةَ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ: «يُدِيمُ ذَلِكَ».

229. हुज़ैफ़ा ﷺ रिवायत करते हैं कि मैंने नबी करीम ﷺ के साथ नमाज़ पढ़ी, जब ऐसी आयत गुज़रती जिस में रहमते इलाही का बयान होता तो आप वहाँ रुक कर रहमत तलब करते और जब अज़ाब की आयत गुज़रती तो वहाँ रुक कर उस से पनाह माँगते। (इसे अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा पाँचों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है)

وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا مَرَّتْ بِهِ آيَةُ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا يَسْأَلُ، وَلَا آيَةُ عَذَابٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

230. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "लोगो! सुन लो कि मुझे रुकूअ

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ

سَاجِداً، فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

और सज्दा में कुरआन पढ़ने से मना किया गया है, इसलिये रुकूअ में अपने मालिक व परवरदिगार की अज़मत बयान करो और सज्दा में दुआ माँगने की कोशिश करो, यह इस लायक़ है कि तुम्हारी दुआ क़बूल कर ली जाये" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(٢٣١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

231. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने बयान किया है कि रसूलुल्लाह ﷺ रुकूअ और सज्दा में (तू पाक है ऐ अल्लाह! ऐ हमारे परवरदिगार! अपनी हम्द व सना के साथ, ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दे) पढ़ा करते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

यह हदीस इस की दलील है कि रुकूअ में (सुब्हान रब्बियल-अज़ीम) और सज्दा में (सुब्हान रब्बियल-आला) के अलावा उपर बयान की गई दुआ भी पढ़ी जा सकती है।

(٢٣٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ. رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِداً، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنِ اثْنَتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوسِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

232. अबू हुरैरा ﵁ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ जब नमाज़ के लिये खड़े होते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर जब रुकूअ के लिये जाते तो उस वक़्त अल्लाहु अकबर कहते फिर रुकूअ से उठते वक़्त (समिअल्लाहु लेमन हमिदह) कहते हुये खड़े हो जाते और फिर जब रुकूअ से सीधे खड़े हो जाते तो (रब्बना व लकल हम्द) कहते, फिर सज्दा में जाते वक़्त अल्लाहु अकबर कहकर सज्दे के लिये झुकते, फिर सज्दा से उठते हुये अल्लाहु अकबर कहते, फिर सज्दा में जाते तो अल्लाहु अकबर कहते, फिर सज्दे से सर उठाते हुये अल्लाहु अकबर कहते, फिर सारी नमाज़ में उसी तरह करते जाते थे, फिर जब दूसरी रकअत (की तकमील) के बाद तशहहुद पढ़ कर उठते तो भी अल्लाहु अकबर कहते। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

नमाज़ में जो तकबीरें कही जाती हैं उन में से पहली तकबीर को तकबीरे तहरीमा, तकबीर इफतेताह या तकबीर ऊला कहते हैं, जिस का मतलब है कि आप नमाज़ में दाख़िल होने के बाद वह सारे काम और चीज़ें हराम हो गयीं जो नमाज़ शुरु करने से पहले हलाल थीं, बाक़ी तकबीरात को तकबीराते इन्तेक़ाल कहते हैं, यानी एक रुक्न नमाज़ से दूसर रुक्न की तरफ़ जाने की तकबीरें, पहली तकबीर (तकबीर तहरीमा) तो फ़र्ज़ है और बाक़ी तकबीरें कुछ के नज़दीक वाजिब हैं मगर अकसर के नज़दीक मसनून हैं।

(٢٣٣) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ - وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ - اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

233. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ जब रुकूअ से अपना सर उपर उठाते तो (अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द ...) कहते थे, (यानी) ऐ अल्लाह! हमारे परवरदिगार तारीफ़ सिर्फ़ तेरे ही लिये है, इतनी तारीफ़ जिस से आसमान व ज़मीन भर जाये और इस के बाद हर वह चीज़ भर जाये जिसे तू चाहे, ऐ बुज़ुर्गी व तारीफ़ के मालिक! तू इसका ज़्यादा हक़दार है जो कुछ बन्दा कहे, और सभी तेरे बन्दे हैं। ऐ अल्लाह! जो कुछ तू अता फ़रमाये उसे कोई रोकने वाला नहीं और जिसे तू ही न दे इसे कोई देने वाला नहीं, और किसी को उस की बुज़ुर्गी और बख़्त आप के अज़ाब के मुक़ाबिले में कोई फ़ायेदा नहीं दे सकता। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

यह हदीस इस पर दलील व हुज्जत है कि क़ौमा की हालत में यह दुआ पढ़ना मसनून व मशरूअ है, जिन हज़रात ने इस दुआ को नफ़्ल नमाज़ के साथ मख़सूस किया है उन के पास इस की कोई दलील नहीं।

(٢٣٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ،

234. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुझे सात हड्डियों (आज़ा) पर सज्दा करने का हुक्म दिया गया है, अपने हाथ से इशारा करके फ़रमाया: पेशानी व

وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटनों और दोनों क़दमों पर" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि पेशानी और नाक दोनों मिलकर एक अज़ो है, अगर इन को अलग अलग अज़ो शुमार किया जाये तो यह आठ बन जाते हैं, इसलिये इन दोनों को एक अज़ो शुमार किया जाना चाहिये।

(٢٣٥) وَعَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى وَسَجَدَ، فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

235. इब्ने बुहैना ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ जब नमाज़ पढ़ते और सज्दा करते तो उस हालत में अपने दोनों बाज़ू अपने पहलूओं से अलग रखते थे, यहाँ तक कि आप ﷺ की बग़लों की सफ़ेदी नज़र आने लगती थी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह मसअला वाज़ेह होता है कि सज्दा करते वक़्त अपनी रानों को अपने बाज़ूओं से इतना अलग रखे कि बग़लों का अन्दर वाला हिस्सा भी ज़ाहिर हो जाये।

(٢٣٦) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

236. बराअ बिन आज़िब ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तू सज्दा करे तो (उस वक़्त) अपनी हथेलियों को ज़मीन पर टिका दे और अपनी कुहनियों को उपर उठा ले" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में सज्दा करते वक़्त हथेलियों को ज़मीन पर रखने और कुहनियों को ऊपर उठाने का हुक्म है।

(٢٣٧) وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

237. हज़रत वायेल बिन हुज्र ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ जब रुकूअ में होते तो अपनी (हाथों की) अंगुलियाँ खुली रखते और जब सज्दा में होते तो अपनी (हाथों की) अंगुलियाँ आपस में मिला लिया करते थे। (इसे हाकिम ने रिवायत किया है)

(٢٣٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا

238. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा रिवायत

करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को चार ज़ानूओं पर बैठ कर नमाज़ पढ़ते देखा है। (नसाई ने इसे रिवायत किया है और इब्ने खुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है)

قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

फ़ायेदा:

यह हदीस दलालत करती है कि जब आदमी किसी वजह से मामूल के मुताबिक़ नमाज़ पढ़ने से माज़ूर हो जाये और क़ियाम न कर सकता हो तो उस के लिये चार ज़ानूँ बैठ कर नमाज़ पढ़नी जायेज़ है।

239. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ दोनों सज्दों के बीच यह दुआ पढ़ते थे: (अल्लाहुम्मग़ फ़िरली...) "ऐ अल्लाह! मेरी पर्दा पोशी फ़रमा दे (या मुझे बख़्श दे) मुझ पर रहम फ़रमा, मुझे राहे हिदायत पर चला (और गामज़न रख) मुझ से दरगुज़र फ़रमा (माफ़ कर दे) मुझे रिज़्क (हलाल) अता फ़रमा। (इसे नसाई के अलावा चारों ने रिवायत किया है, यह अलफ़ाज़ अबू दाउद के हैं, हाकिम ने इस को सहीह कहा है)

(٢٣٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

240. मालिक बिन हुवैरिस رضي الله عنه से रिवायत है कि उन्होंने नबी ﷺ को नमाज़ पढ़ते देखा, जब आप अपनी नमाज़ की वित्र (रकअत) पढ़ते तो (पहले थोड़ा) बैठते, फिर सीधा खड़े हो जाते। (बुख़ारी ने इसे रिवायत किया है)

(٢٤٠) وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِداً. رواه البخاري.

फ़ायेदा:

इस हदीस में जलसये इस्तेराहत की मशरूईयत साबित होती है।

241. अनस बिन मालिक رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने पूरा महीना रुकूअ के बाद अरब के कुछ क़बीलों के लिए कुनूत में बददुआ करते रहे. फिर आप ने उसे छोड़ दिया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٢٤١) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْراً بَعْدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو عَلَى أحياءٍ من أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ نَحْوُهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَزَادَ: فَأَمَّا فِي الصُّبْحِ فَلَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

अहमद और दार कुतनी वग़ैरह ने एक और तरीक़ से इसे रिवायत किया है, इस में इतना ज़्यादा है सुब्ह की नमाज़ में दुआये कुनूत तादम ज़ीस्त हमेशा करते रहे।

(٢٤٢) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ. صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

242. उन्हीं (अनस ﷺ) से यह रिवायत भी है कि नबी ﷺ जब किसी क़ौम के हक़ में या किसी के लिये बददुआ करते तो उस सूरत में कुनूत पढ़ते वर्ना नहीं पढ़ते थे। (इस को इब्ने ख़ुज़ैमा ने सहीह कहा है)

(٢٤٣) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ! إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، أَفَكَانُوا يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.

243. साद बिन तारिक़ अश्जई ﷺ से रिवायत है कि मैंने अपने पिता से पूछा कि अब्बाजान! आप ने रसूलुल्लाह ﷺ, अबू बक, उमर, उस्मान और अली ﷺ के पीछे नमाज़ पढ़ी है, क्या यह सब सुबह की नमाज़ में कुनूत पढ़ा करते थे? उन्होंने जवाब दिया कि बेटा! यह नई बात है। (इस को अबू दाउद के सिवा पाँचों ने रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस की रौशनी में यह इस्तिदलाल करना कि नमाज़ में कुनूत पढ़ना बिदअत है सहीह नहीं, इस सिलसिला की ज़रूरी वज़ाहत हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि इस से मुराद इलतेज़ाम और हमेशगी है।

(٢٤٤) وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ: «وَلَا يَعِزُّ مَنْ

244. हसन बिन अली रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे कुछ कलिमात ऐसे सिखाये हैं जिन्हें मैं वितरों में (दुआये कुनूत के तौर पर) पढ़ता हूँ: "ऐ अल्लाह! मुझे हिदायत देकर उन लोगों (के ज़ुमरा) में शामिल फ़रमा जिन्हें तूने रुश्द व हिदायत से नवाज़ा है और मुझे आफ़ियत देकर उन में शामिल फ़रमा दे जिन्हें तूने आफ़ियत बख़्शी है, और जिन को तूने अपना दोस्त क़रार दिया है, उन में मुझे भी शामिल

करके अपना दोस्त बना ले, जो कुछ तूने मुझे अता किया है उस में मेरे लिये बरकत डाल दे, और जिस बुराई का तूने फ़ैसला फ़रमा दिया है उस से मुझे महफ़ूज़ रख और बचा ले, यक़ीनन (नि:संदेह) फ़ैसला तू ही सादिर फ़रमाता है, तेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला सादिर नहीं किया जा सकता, और जिस का तू वाली बना वह कभी ज़लील व ख़ार और रुस्वा नहीं हो सकता। हमारे परवरदिगार तू ही बरकत वाला और बुलन्द व बाला है" (इसे पाँचों अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है)

तबरानी और बैहक़ी ने (वला यइज़्ज़ु मन आदैत) का इज़ाफ़ा किया है, और नसाई ने एक दूसरे तरीक़ से इस दुआ के आख़िर में (व सल्लल्लाहु अलन्नबी) का इज़ाफ़ा भी रिवायत किया है।

عَادَيْتَ». زَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِهِ: «وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ».

और बैहक़ी में इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ﷺ हमें दुआ सिखाते थे जिसे हम सुबह की नमाज़ में दुआ क़ुनूत की सूरत में माँगते थे। (इस की सनद में कमज़ोरी है)

وَلِلْبَيْهَقِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا دُعَاءً نَدْعُو بِهِ فِي الْقُنُوتِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ. وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि नमाज़े वित्र में यह दुआ पढ़नी चाहिये, यह दुआ रुकूअ से पहले और बाद दोनों तरह सहीह है।

245. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से जब कोई सज्दा करे तो उँट की तरह न बैठे और घुटनों से पहले हाथ ज़मीन पर रखे" (नसाई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने इसे रिवायत किया है)

(٢٤٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ.

और यह हदीस वायेल बिन हुज्र ﷺ के हवाले से रिवायत इस हदीस से क़वी तर है जिस में है कि मैंने नबी ﷺ को सज्दा में जाते देखा है कि आप ﷺ अपने घुटने हाथों से पहले ज़मीन पर रखते थे। (इस को चारों अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है, पहली हदीस का शाहिद इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की हदीस है, इब्ने ख़ुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है और बुख़ारी ने इसे तालीक़न मौक़ूफ़ बयान किया है)

وَهُوَ أَقْوَى مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ. فَإِنَّ لِلأَوَّلِ شَاهِداً مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهما، صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مُعَلَّقاً مَوْقُوفاً.

246. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ जब तशहहुद के लिये बैठते तो अपना बायाँ हाथ अपने बायें घुटने पर और दायाँ हाथ अपने दायें घुटने पर रखते और तिरपन (की गिरह देते (53) यानी तिरपन का अदद बनाते) और अपनी शहादत की अंगुली से इशारा करते। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(٢٤٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى، وعَقَدَ ثَلَاثاً وَخَمْسِينَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

और एक रिवायत में है जिसे मुस्लिम ही ने रिवायत किया है कि अपनी सारी अंगुलियाँ बन्द कर लेते और अंगूठे के साथ मिली हुई अंगुली से इशारा करते।

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ.

247. अब्दुल्लाह बिन मसउद ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ हमारी तरफ़ तवज्जुह फ़रमायी और फ़रमाया: "जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़े तो तशहहुद में यूँ कहे कि "तमाम सलामियाँ अल्लाह ही के लिये हैं और नमाज़ें और पाकीज़गियाँ भी (ज़ुबानी, बदनी और माली इबादतें सिर्फ़ अल्लाह के लिये हैं) ऐ नबी! सलाम हो तुझ पर और अल्लाह की रहमत और उस की बरकतें हों, सलाम हो

(٢٤٧) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ! وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ

إِلَيْهِ، فَيَدْعُو. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

हम पर और अल्लाह के नेक बन्दों पर, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक़ नहीं और इसकी भी गवाही देता हूँ कि मुहम्मद ﷺ अल्लाह के बन्दे और उस के रसूल है," फिर उसे दुआ का इंतेख़ाब करना चाहिये कि जो उसे सब से अच्छी लगे वह माँगे" (बुख़ारी, मुस्लिम, हदीस के अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं)

وَلِلنَّسَائِيِّ: «كُنَّا نَقُولُ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْنَا التَّشَهُّدُ». وَلِأَحْمَدَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعَلِّمَهُ النَّاسَ.

और नसाई में है कि हम तशहहुद फ़र्ज़ होने से पहले कहा करते थे और अहमद में है कि नबी करीम ﷺ ने उन को तशहहुद सिखाया और हुक्म दिया कि लोगों को इसे सिखाओ।

وَلِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ: «التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ» إِلَى آخِرِهِ.

और मुस्लिम में इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ हमें तशहहुद सिखाते (वह इस तरह था: अन्तहिय्यातुल-मुबारकातु अस्सलवातु अत्तय्यिबातु लिल्लाहे!....आख़िर तक)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि तशहहुद के बाद दुआ माँगना मसनून है, दुआ कौन सी माँगी जाये इस पर कोई पाबन्दी नहीं, जो चाहे जितनी चाहे माँग सकता है, लेकिन नबी ﷺ की बयान की गई दुआये अफ़ज़ल हैं।

(٢٤٨) وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ، وَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: عَجِلَ هَذَا، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

248. फ़ज़ाला बिन उबैद ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक आदमी को अपनी नमाज़ में दुआ करते सुना, न तो उस ने अल्लाह की हम्द की और न नबी करीम ﷺ पर दरूद भेजा, आप ﷺ ने फ़रमाया: "उस ने जल्दी की" फिर आप ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया कि "तुम में से कोई जब दुआ माँगने लगे तो पहले उसे अपने रब की हम्द व सना करनी चाहिये, फिर नबी करीम ﷺ पर दरूद भेजना चाहिये, फिर इस

के बाद जो चाहे दुआ माँगे" (इसे अहमद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि दुआ जल्दी-जल्दी नहीं करनी चाहिये, दुआ तो नाम ही आजिज़ी व इनकिसारी और इज़हारे बेबसी का है, इसलिये जब दुआ की जाये तो पूरे एहतेमाम और इत्मिनान से की जाये।

(٢٤٩) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَسَكَتَ؟ ثُمَّ قَالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي العَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. والسَّلَامُ كَمَا عَلِمْتُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِيهِ: فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا؟.

249. अबू मसउद अंसारी रिवायत करते हैं कि बशीर बिन साद ﷺ ने कहा या रसूलल्लाह! अल्लाह तआला ने हमें आप पर दरूद भेजने का हुक्म फ़रमाया है, तो हम किस तरह आप पर दरूद भेजें? थोड़ी देर रुकने के बाद आप ﷺ ने फ़रमाया: "इस तरह कहा करो ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ﷺ) और आले मुहम्मद ﷺ पर रहमत नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने रहमत नाज़िल फ़रमाई इब्राहीम पर, और बरकत नाज़िल फ़रमा मुहम्मद (ﷺ) और आले मुहम्मद ﷺ पर जिस तरह तूने बरकत नाज़िल फ़रमाई इब्राहीम पर, दोनों जहानों में, यक़ीनन तू तमाम तारीफ़ वाला है और बुज़ुर्ग है और रहा सलाम तो उस का इल्म तुम्हें सिखला दिया गया है" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

और इब्ने ख़ुज़ैमा ने इस में इतना ज़्यादा किया है कि हम जब नमाज़ पढ़ रहे हों तो उस वक़्त आप ﷺ पर दरूद किस तरह पढ़े।

फ़ायेदा:

इस हदीस से नबी ﷺ पर नमाज़ में दरूद भेजना वाजिब मालूम होता है।

(٢٥٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَشَهَّدَ

250. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में

أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ.

कोई तशहहुद पढ़ चुके तो चार चीज़ों से अल्लाह की पनाह तलब करे (और इस तरह) कहे : ऐ अल्लाह! मैं तुझ से अज़ाबे जहन्न्म से पनाह माँगता हूँ और अज़ाबे क़ब्र से पनाह मागता हूँ और मौत व हयात के फ़ितना से (तेरी) पनाह का तलबगार हूँ और मसीह दज्जाल के फ़ितना के शर से तेरी पनाह मागता हूँ (बुख़ारी, मुस्लिम)

और मुस्लिम में एक रिवायत है कि यह अलफ़ाज़ भी हैं "जब तुम में से कोई आख़िरी तशहहुद पढ़ चुके तो उस वक़्त इन चारों चीज़ों से अल्लाह की पनाह तलब करे"

फ़ायेदा:

इस हदीस से अज़ाबे क़ब्र का सुबूत मिलता है, अहले सुन्नत के नज़दीक अज़ाबे क़ब्र बरहक़ है और कुरआन व हदीस से साबित है उस का इन्कार कुरआन और हदीस सहीह का इन्कार है।

(٢٥١) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي! قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

251. अबू बक सिद्दीक़ ﷺ से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से कहा कि मुझे ऐसी दुआ सिखायें जिसे मैं अपनी नमाज़ में पढ़ा करूं, आप ﷺ ने फ़रमाया: "यह दुआ पढ़ा करो, ऐ परवरदिगार! मैंने अपनी जान पर बहुत ज़ुल्म किया है, तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख़्शने वाला नहीं, लेहाज़ा तू मुझे अपनी जनाब से माफ़ फ़रमा दे और मुझ पर रहम फ़रमा, बेशक तू ही बख़्शने वाला और रहम फ़रमाने वाला है" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से हमें यह सबक़ मिलता है कि हर इंसान को अपनी कोताहियों और लग़ज़िशों की माफ़ी माँगते रहना चाहिये।

(٢٥٢) وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ،

252. वायेल बिन हुज्र ﷺ रिवायत करते हैं कि मैंने नबी ﷺ के साथ नमाज़ पढ़ी, आप ﷺ ने दायें तरफ़ सलाम फेरते हुये

(अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहे व बरकातुहु) कहा और उसी तरह बायें तरफ़ सलाम फेरते हुये (अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहे व बरकातुहु) कहा (अबू दाउद ने इसे सहीह सनद के साथ रिवायत किया है)

فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَّمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज़ के सलाम में (व बरकातुहु) का इज़ाफ़ा सहीह हदीस से साबित है।

253. मुग़ीरा बिन शोबा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ हर फ़र्ज़ नमाज़ ख़त्म होने पर यह दुआ (ला इलाहा इल्लल्लाह.....) पढ़ते थे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उस का कोई शरीक व साझी नहीं, बादशाहत उसी की है और हम्द व सना उसी के लिये है, और वह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। ऐ अल्लाह! जो कुछ तू अता फ़रमाये उसे कोई रोकने वाला नहीं और जो कुछ तू रोक ले उसे अता करने वाला कोई नहीं और किसी साहिबे नसीबा को तेरे बग़ैर कोई नसीबा फ़ायेदा नहीं देता। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٢٥٣) وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

254. साद बिन अबी वक़्क़ास ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ हर नमाज़ के आख़िर में यह तअव्वुज़ (अल्लाहुम्मा इन्नी अउज़ु बिक.....) पढ़ा करते थे ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह लेता हूँ बुख़्ल से और बुज़दिली से और तेरी पनाह लेता हूँ इस से कि मैं रज़ील तरीन उम्र की तरफ़ लौटाया जाऊँ और मैं दुनिया के फ़ितना और अज़ाबे क़ब्र से तेरी पनाह लेता हूँ। (बुख़ारी ने इसे रिवायत किया है)

(٢٥٤) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

255. सौबान ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ जब सलाम फेरते तो तीन बार अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते और फिर "अल्लाहुम्मा अनतस्सलामु व मिनकस सलाम तबारकत या ज़लजलाले वल इकराम'' पढ़ते, "ऐ अल्लाह! मैं तुझ से मग़फ़िरत का तालिब हूँ और ऐ अल्लाह! तू सलाम है यानी तू ही सलामती वाला है और सलामती तुझ ही से है, ऐ बुज़र्गी व बरतरी के मालिक! तू बड़ी बरकत वाला है'' (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(٢٥٥) وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ ثَلَاثاً، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

256. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस शख़्स ने हर नमाज़ के सलाम फेरने के बाद 33 बार "सुब्हानल्लाह'' पढ़ा और 33 बार "अलहम्दु लिल्लाह'' और 33 बार "अल्लाहु अकबर'' पढ़ा तो यह कुल 99 हुये और सौ पूरा करने के लिये "ला इलाहा इलल्लाह, वहदहू ला शरीक लहू, लहुल मुल्क, वलहुल हम्द व हुव अला कुल्ले शइन क़दीर,'' कहा तो उस के तमाम गुनाह बख़्श दिये जाते हैं, चाहे उन की तादाद समुद्र की झाग के बराबर हो'' (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

और एक दूसरी रिवायत में है कि अल्लाहु अकबर 34 बार कहे।

(٢٥٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثلاثاً وَثَلَاثِينَ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّ التَّكْبِيرَ أَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से एक तो यह मालूम हुआ कि हर नमाज़ के ख़त्म होने पर चाहे वह नफ़्ल हो या फ़र्ज़ यह कलिमात पढ़ना मसनून भी हैं और बकसरत गुनाहों के बख़्शे जाने की नवैद भी।

257. मुआज़ बिन जबल ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे फ़रमाया: "ऐ मुआज़! मैं तुझे वसीयत करता हूँ कि हर नमाज़ के

(٢٥٧) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهُ: «أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ: لَا تَدَعَنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ

أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ.

ख़त्म होने के बाद इन कलिमात को कहना कभी न भूलना, "अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िकरेक व शुकरिक व हुस्नि इबादतिक," ऐ अल्लाह! मुझे अपने ज़िक्र और शुक्र और हुस्नि इबादत की तौफ़ीक़ से नवाज़, या ऐ अल्लाह! मेरी मदद फ़रमा कि मैं ज़िक्र करूँ तेरा और शुक्र अदा कर सकूँ तेरा और उमदा और बेहतर इबादत बजा लाउँ तेरी" (इसे अहमद, अबू दाउद और नसाई ने मज़बूत सनद के साथ रिवायत किया है)

(٢٥٨) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَزَادَ فِيهِ الطَّبَرَانِيُّ: «وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ».

258. अबू उमामा ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस व्यक्ति ने हर फ़र्ज़ नमाज़ के अदा करने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, उस को जन्नत में दाख़िल होने से मौत के सिवा और कोई चीज़ रोकने वाली नहीं (मरते ही जन्नत में दाख़िल हो जायेगा शर्त यह है कि अकीदये तौहीद सहीह हो।" (इसे नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है और तबरानी ने इस में इतना इज़ाफ़ा किया है कि "कुल हुवल्लाहु अहद" भी पढ़े)

फ़ायेदा:

आयतुल कुर्सी की फ़ज़ीलत के बारे में आप ﷺ के और भी इरशादात हदीस की किताबों में मन्कूल हैं, इस की इतनी फ़ज़ीलत की वजह शायद यह है कि इस में तौहीद इलाही को साफ़ तौर पर निखार कर बयान किया है।

इस हदीस से मालूम हुआ कि मौत एक ऐसी हक़ीक़त है जिस का दुनिया में कोई मुन्किर आज तक नहीं पाया गया, और इससे जन्नत का वजूद भी मालूम हुआ और यह भी मालूम हुआ कि जन्नत भी मख़लूक़ है, यानी अल्लाह की पैदा की हुई।

(٢٥٩) وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

259. मालिक बिन हुवैरिस ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "नमाज़ इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते तुम ने देखा है" (बुख़ारी ने इसे रिवायत किया है)

260. इमरान बिन हुसैन ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे फ़रमाया: "नमाज़ खड़े होकर पढ़ो, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, और बैठ कर पढ़ने की ताक़त भी नहीं तो पहलू के बल लेट कर पढ़ो, इन में से किसी पर भी अमल न हो सके तो इशारा से ही पढ़ लो" (बुख़ारी ने इसे रिवायत किया है)

(٢٦٠) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ : «صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، وَإِلَّا فَأَوْمِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि नमाज़ किसी सूरत में भी माफ़ नहीं सिवाये मदहोशी की हालत के।

261. जाबिर ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने एक मरीज़ से जिस ने तकिया पर नमाज़ पढ़ी थी, आप ने उस का तकिया फेंक दिया और फ़रमाया: "अगर पढ़ सकते हो तो ज़मीन पर नमाज़ पढ़ो वर्ना फिर इशारा से पढ़ो, अलबत्ता अपने सज्दा को रुकूअ से ज़रा नीचे करो" (इसे बैहक़ी ने मज़बूत सनद के साथ रिवायत किया है लेकिन अबू हातिम ने इस का मौक़ूफ़ होना सहीह कहा है)

(٢٦١) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِمَرِيضٍ - صَلَّى عَلَى وِسَادَةٍ، فَرَمَى بِهَا، - وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ، وَلٰكِن صَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ.

8. सज्दये सह्व वग़ैरह का बयान

٨ - بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ وَغَيْرِهِ

262. अब्दुल्लाह बिन बुहैना ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने उन को नमाज़े ज़ुहर पढ़ाई तो दो रकअतें अदा करके तशहहुद में न बैठे और सीधे खड़े हो गये और मुक़्तदी भी आप ﷺ के साथ ही खड़े हो गये, यहाँ तक कि जब आप ने नमाज़ पूरी कर ली, लोग सलाम फेरने के इन्तेज़ार में थे कि आप ﷺ ने बैठे ही अल्लाहु अकबर कहा और दो सज्दे किये, सलाम फेरने से पहले, फिर सलाम

(٢٦٢) عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ

جَالِسٌ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.

फेरा। (इसे सातों अहमद, बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है, अलबत्ता यह अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं। और मुस्लिम की रिवायत में है कि हर सज्दा के लिये अल्लाहु अकबर कहते थे बैठे हुए, और लोगों ने भी आप ﷺ के साथ सज्दा किया भूल जाने के क़ायेम मक़ाम, (दो रकअत के बाद तशहुद में बैठना भूल गये थे, उस की तलाफ़ी के लिये दो सज्दे किये।)

फ़ायेदा:

अरबी में भूल के लिये दो अलफ़ाज़ आते हैं, एक सह्व और दूसरा निसयान, पहले का इतलाक़ आम तौर पर अफ़आल के लिये होता है और दूसरे का बिलउमूम मालूमात के लिये, इस के बावजूद कभी कभी यह दोनों अलफ़ाज़ एक दूसरे के हम मायनी भी आ जाते हैं।

दूसरा मसअला इस हदीस से यह साबित हुआ कि अगर पहला तशह्हुद भूल कर रह जाये तो उस नुक़सान की तलाफ़ी सज्दये सह्व से हो जाती है।

(٢٦٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَقَالُوا: أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَرَجُلٌ يَدْعُوهُ النَّبِيُّ ﷺ ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ، قَالَ: بَلَى قَدْ نَسِيتَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

263. अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ ने दोपहर के बाद की दो नमाज़ों (ज़ुहर और असर) में से एक में दो रकअत पढ़ कर सलाम फेर दिया और मस्जिद के सामने रखी हुई लकड़ी के पास जाकर खड़े हो गये और अपने हाथ उस पर रख लिये, नमाज़ियों में अबू बक ؓ और उमर ؓ भी मौजूद थे, यह दोनों आप ﷺ से इस बारे में बात करने से ज़रा डर रहे थे, जल्दबाज़ लोग मस्जिद से निकल गये तो लोगों ने आपस में सरगोशी के अंदाज़ में एक-दूसरे से पूछना शुरू किया कि क्या नमाज़ में कमी कर दी गई है? एक आदमी था जिसे नबी ﷺ (उस के लम्बे हाथों की वजह से) ज़ुलयदैन कह कर बुलाते थे, ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आप ﷺ (आज) भूल गये हैं या नमाज़ कम कर दी गई

है, आप ﷺ ने फ़रमायाः "न मैं भूला हूँ और न नमाज़ में कमी की गयी है" उस शख़्स ने फिर अर्ज़ किया, हाँ, आप ﷺ ज़रूर भूल गये हैं, तो फिर आप ﷺ ने दो रकअतें जो छूट गई थीं पढ़ीं और सलाम फेरा, फिर अल्लाहु अकबर कह कर मामूल के सज्दों की तरह सज्दा किया या उस से ज़रा लम्बा, फिर सज्दा से अल्लाहु अकबर कह कर सर उपर उठाया, फिर अल्लाहु अकबर कह कर सर ज़मीन पर रखा और मामूल के सज्दा की तरह या ज़रा उस से लम्बा सज्दा किया और फिर अल्लाहु अकबर कह कर अपना सर उठाया। (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «صَلَاةَ الْعَصْرِ». وَلِأَبِي دَاوُدَ: فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَأَوْمَئُوا أَيْ نَعَمْ. وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، لَكِنْ بِلَفْظِ: «فَقَالُوا». وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ».

और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि यह असर की नमाज़ थी, और अबू दाउद में मरवी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने पूछा "क्या ज़ुलयदैन ने ठीक कहा है?" तो लोगों ने सर हिला कर इशारों से कहा हाँ, यह इज़ाफ़ा सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) में भी है, लेकिन उन में "फ़क़ालू" के लफ़्ज़ के साथ मरवी है (यानी ज़ुबान से उन्होंने कहा) और मुस्लिम ही की एक रिवायत में है कि नबी ﷺ को जब तक अल्लाह की जानिब से यक़ीन न हुआ उस वक़्त तक सज्दा सहव नहीं किया।

(٢٦٤) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ. رَوَاهُ أَبو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ.

264. इमरान बिन हुसैन ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने उन्हें नमाज़ पढ़ायी तो आप को सहव हो गया (यानी आप ﷺ भूल गये) तो (पहले) दो सज्दे किये फिर तशहहुद पढ़ा और फिर सलाम फेरा। (इसे अबू दाउद, तिर्मिज़ी

ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٢٦٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْساً شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَاماً كَانَتَا تَرْغِيماً لِلشَّيْطَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

265. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से किसी को जब नमाज़ में यह शक हो जाये कि उस ने कितनी रकअतें पढ़ी हैं तीन या चार तो ऐसी सूरत में शक को नज़रअन्दाज़ करके जिस पर यक़ीन हो उस पर नमाज़ की बिना रखे, फिर सलाम फेरने से पहले सह्व के दो सज्दे कर ले, पस अगर तो उस ने पाँच रकअतें पढ़ी होंगी तो यह दो सज्दे उसे छठी रकअत के क़ायेम मक़ाम होकर (ताक रकअत को जुफ़्त बना देंगे) छ बना देंगे और अगर वह पहले ही पूरी नमाज़ पढ़ चुका है तो यह दो सज्दे शैतान के लिये बाईसे ज़िल्लत व रुसवाई होंगे" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि जब नमाज़ी को रकअत की तादाद में शक हो जाये तो उसे कम पर बिना रखनी चाहिये, उस में यक़ीन का इमकान है।

(٢٦٦) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ

266. अब्दुल्लाह बिन मसउद ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ पढ़ायी, सलाम फेरा तो आप की ख़िदमत में अर्ज़ किया गया ऐ अल्लाह के रसूल ﷺ! क्या नमाज़ में कोई नई चीज़ रूनुमा हुई है? आप ने फ़रमाया: "वह क्या है?" उन्होंने अर्ज़ किया आप ﷺ ने तो इतनी इतनी नमाज़ पढ़ायी है, इब्ने मसउद का बयान है कि आप ﷺ ने अपने दोनों पाँव को मोड़ा (और उन पर बैठ गये) और क़िब्ला रू होकर दो सज्दे किये फिर सलाम फेरा, फिर हमारी

فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

तरफ़ मुतवज्जा होकर इरशाद फ़रमाया: "अगर नमाज़ में कोई नई चीज़ पैदा हई होती तो मैं ख़ुद तुम्हें उस की ख़बर देता, लेकिन यह याद रखें कि मैं भी तुम्हारी तरह एक इन्सान हूँ, उसी तरह भूल जाता हूँ जिस तरह तुम लोग भूल जाते हो, तो जब मैं भूल जाऊँ तो तुम मुझे याद करा दिया करो और तुम में से जब किसी को नमाज़ में शक हो जाये तो सहीह सूरत हाल तक पहुँचने की कोशिश कर ले, फिर अपनी नमाज़ उस बुनियाद पर मुकम्मल कर ले, फिर दो सज्दे कर ले" (बुखारी, मुस्लिम)

وَفِي رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِيِّ: «فَلْيُتِمَّ، ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ». وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالكَلَامِ.

और बुख़ारी ही की एक दूसरी रिवायत में है कि (पहले) नमाज़ मुकम्मल करनी चाहिये, फिर सलाम फेरे और फिर सज्दा करे" और मुस्लिम की रिवायत में है कि नबी ﷺ ने सज्दा सहव सलाम व कलाम के बाद किये हैं।

وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ مَرْفُوعاً: مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ». وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

मुसनद अहमद, अबू दाउद और नसाई में मरवी अब्दुल्लाह बिन जाफ़र رضي الله عنه से मरफ़ूअ रिवायत में है कि जिस शख़्स को नमाज़ में शक हो जाये तो उसे सलाम फेरने के बाद दो सज्दे करने चाहियें। (इसे इब्ने ख़ुज़ैमा ने सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह ﷺ ने (अना बशरुन मिसलुकुम) के अलफ़ाज़ अपने लिये इरशाद फ़रमाये हैं, इस से उन लोगों को अपने नज़रियात और अक़ायेद की इसलाह करनी चाहिये जो बशरीयत रसूलुल्लाह ﷺ के मुन्किर हैं।

(٢٦٧) وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَاسْتَتَمَّ

267. मुग़ीरा बिन शोबा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है: "तुम में से जब किसी को दो रकअतों में शक पैदा हो जाये और खड़ा हो जाये, बल्कि बिल्कुल सीधा

قَائِماً، فَلْيَمْضِ، وَلَا يَعُودُ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِماً فَلْيَجْلِسْ، وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

खड़ा हो जाये तो उसे जारी रखे और वापस न लौटे, बाद में उसे दो सज्दे सहव कर लेने चाहियें और अगर बिल्कुल सीधा खड़ा न हुआ हो तो बैठ जाये, तो उस सूरत में उस पर सज्दा सहव नहीं" (इसे अबू दाउद, इब्ने माजा और दार कुतनी ने रिवायत किया है, यह अलफ़ाज़ भी उसी दार कुतनी के हैं, उस की सनद कमज़ोर (ज़ईफ़) है)

(٢٦٨) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا الإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

268. उमर ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "किसी मुक्तदी पर सज्दये सहव नहीं है, हाँ, अगर इमाम भूल जाये तो फिर इमाम और मुक्तदी दोनों पर सज्दये सहव है" (इसे बज़्ज़ार और बैहक़ी ने कमज़ोर (ज़ईफ़) सनद के साथ रिवायत किया है)

(٢٦٩) وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

269. सौबान ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "हर सहव के लिये दो सज्दे हैं जो सलाम फेरने के बाद हैं" (इसे अबू दाउद और इब्ने माजा दोनों ने कमज़ोर (ज़ईफ़) सनद के साथ रिवायत किया है)

(٢٧٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي «إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ» و«اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

270. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि हम ने सूरह इनशिक़ाक़ और सूरह अलक़ में रसूलुल्लाह ﷺ के साथ सज्दये तिलावत किया है। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से सज्दये तिलावत का मशरूअ होना साबित है, इस की मशरूईयत पर सब उलमा का इत्तेफ़ाक है, मगर इस के वुजूब में इख़्तिलाफ़े आरा है।

(٢٧١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: (صٓ) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِيهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

271. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि सूरह साद का सज्दा उन में से नहीं है जिन का करना ज़रूरी है, अलबत्ता मैंने यक़ीनन रसूलुल्लाह ﷺ को उस में सज्दा करते देखा है। (बुख़ारी)

272. उन्हीं (इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि नबी ﷺ ने सूरह नज्म में सज्दये तिलावत किया। (बुख़ारी ने इसे रिवायत किया है)

(٢٧٢) وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ بِالنَّجْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

273. ज़ैद बिन साबित ﷺ से रिवायत है कि मैंने नबी ﷺ के सामने सूरह नज्म की क़िराअत की, मगर आप ﷺ ने इस में सज्दये तिलावत नहीं किया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٢٧٣) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ النَّجْمَ، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

274. ख़ालिद बिन मादान ﷺ से रिवायत है कि सूरह हज्ज को दो सज्दये तिलावत की वजह से फ़ज़ीलत दी गई है। (इस को अबू दाउद ने मरासील में बयान किया है और अहमद और तिर्मिज़ी ने उक़्बा बिन आमिर की हदीस से इसे मौसूल कहा है और इस में इतना ज़्यादा किया है, जिस ने इस सूरह के दोनों सज्दे न किये वह इसे न पढ़े, इस की सनद कमज़ोर (ज़ईफ़) है)

(٢٧٤) وَعَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ مَوْصُولاً مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، وَزَادَ: «فَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأْهَا». وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

275. उमर ﷺ ने फ़रमाया: लोगो! हम आयात सज्दा करते हुये गुज़रते हैं जिस ने सज्दा किया उस ने सहीह किया और जिस ने न किया उस पर कोई गुनाह नहीं। (बुख़ारी ने इसे रिवायत किया है)

(٢٧٥) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: يَآ أَيُّها النَّاسُ! إِنَّا نَمرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَّمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

और मुवत्ता में यह अलफ़ाज़ हैं कि अल्लाह तआला ने सज्दये तिलावत फ़र्ज़ नहीं किया मगर हम (क़ारी) चाहें तो कर सकते हैं।

وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَآءَ. وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ.

276. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी ﷺ हमारे सामने कुरआन मजीद की तिलावत फ़रमाते थे, जब आयत सज्दा पर से गुज़रते तो अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करते और हम भी आप ﷺ के साथ ही सज्दा करते। (अबू दाउद ने इसे कमज़ोर सनद के साथ रिवायत किया है)

(٢٧٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ، وَسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ لِينٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि सज्दये तिलावत के लिये अल्लाहु अकबर कह कर सज्दा करना मशरूअ है।

277. अबू बकरा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ को जब कोई ख़ुशख़बरी मिलती तो अल्लाह के हुज़ूर सज्दे में गिर पड़ते। (नसाई के अलावा पाँचों ने इसे रिवायत किया है)

(٢٧٧) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ خَرَّ سَاجِداً لِلَّهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

फ़ायेदा:

किसी नई नेमत के मिलने पर, किसी मुसीबत से बच निकलने पर और किसी ख़ुशी के मौक़े पर सज्दये शुक्र बजा लाना शरीअत से साबित है।

278. अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने सज्दा किया और लम्बा सज्दा किया, फिर सज्दे से सर उठा कर फ़रमाया: "अभी जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास एक ख़ुशख़बरी लेकर आये तो वह ख़ुशख़बरी सुन कर मैंने अल्लाह के हुज़ूर सज्दये शुक्र अदा किया" (इसे अहमद ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٢٧٨) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: إِنَّ جِبرِيلَ أَتَانِي، فَبَشَّرَنِي، فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْراً. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

279. बरा बिन आज़िब ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने अली ﷺ को यमन की तरफ़ भेजा, रावी ने हदीस बयान की जिस में उस ने कहा है कि अली ﷺ ने यमन वालों के इस्लाम में दाख़िल होने की रूदाद नबी ﷺ की ख़िदमत में भेजी, जब रसूलुल्लाह ने वह ख़त पढ़ा तो आप ﷺ अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिये सज्दा में चले गये। (बैहक़ी ने इसे रिवायत किया है और इस की असल बुख़ारी में मौजूद है)

(٢٧٩) وَعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ عَلِيّاً إِلَى اليَمَنِ، فَذَكَرَ الحديثَ. قال: فكتب عليٌّ بإسلامهم، فَلَمَّا قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الكِتَابَ خَرَّ سَاجِداً، شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ. رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ.

फ़ायेदा:

आप ﷺ ने अली ﷺ के ख़त में यमन वालों के इस्लाम क़ुबूल करने पर सज्दये शुक्र अदा किया, मुसलमानों की तादाद में इज़ाफ़ा ख़ुशी की बात है और यह भी एक बड़ी अल्लाह की नेमत है।

٩ - بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

9. नफ़्ल नमाज़ का बयान

(٢٨٠) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَلْ»، فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الجَنَّةِ، فَقَالَ: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟» فَقُلْتُ: هُوَ ذَاكَ، قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

280. रबीआ बिन कअब अस्लमी ﷺ रिवायत करते हैं कि (एक दिन) नबी ﷺ ने मुझे (मुख़ातब करके) फ़रमाया:

"माँग लो (जो कुछ माँगना है" मैंने कहा क्या मैं जन्नत में आप ﷺ के साथ रहने का तलबगार हूँ, आप ﷺ ने फ़रमाया: "कुछ इस के अलावा और भी" मैंने कहा बस वही चाहिये, आप ﷺ ने फ़रमाया: "तो फिर अपने मतलब को पाने के लिये सज्दों की कसरत से मेरी मदद कर" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से ऐसा मालूम होता है कि नबी करीम ﷺ ने सज्दा से मुराद नफ़्ल नमाज़ ली है और इस हदीस से यह भी साबित होता है कि सज्दा को सारे अरकाने नमाज़ पर फ़ज़ीलत हासिल है।

(٢٨١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ.

281. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मुझे नबी ﷺ की दस रकअते याद हैं, दो रकअतें ज़ुहर की नमाज़ से पहले और दो बाद में, और मग़रिब के बाद दो रकअतें घर पर पढ़ते थे, और इसी तरह दो रकअतें इशा की फ़र्ज़ नमाज़ के बाद घर पर पढ़ते और दो रकअतें सुब्ह से पहले। (बुख़ारी, मुस्लिम)

और बुख़ारी व मुस्लिम दोनों की रिवायत में यह भी है कि दो रकअतें नमाज़ जुमा की (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद घर पर पढ़ते थे।

وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

और मुस्लिम की रिवायत में यह भी है कि सुब्ह सादिक़ के बाद सिर्फ़ हल्की सी दो रकअतें पढ़ते थे।

फ़ायेदा:
इस हदीस से ज़ुहर की सिर्फ़ दो रकअतें फ़र्ज़ नमाज़ से पहले और दो रकअतें बाद की साबित होती हैं और दूसरी हदीस से चार पहले और दो बाद में का सुबूत भी मौजूद है।

(٢٨٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

282. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने ज़ुहर की नमाज़ से पहले चार रकअतें कभी नहीं छोड़ीं और दो रकअते नमाज़े फ़ज्र की भी नही छोड़ी।

(٢٨٣) وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُداً مِّنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

283. (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से यह रिवायत भी है कि नबी ﷺ नवाफ़िल में से सब से ज़्यादा एहतेमाम फ़ज्र की दो सुन्नतों का रखते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَلِمُسْلِمٍ: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

और मुस्लिम में है नमाज़े फ़ज्र की दो (रकअतें) (यानी सुन्नतें) दुनिया व माफ़ीहा से बेहतर है।

(٢٨٤) وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: «تَطَوُّعاً».

284. उम्मुल मोमेनीन उम्मे हबीबा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते हुए सुना है: "जो शख़्स रोज़ाना बारह रकअत नवाफ़िल पढ़े, उस के लिये उन के बदला में जन्नत में घर तामीर कर दिया गया" (मुस्लिम) और एक रिवायत है नफ़्ल के तौर पर पढ़े।

وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ وَزَادَ: أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الفَجْرِ.

और तिर्मिज़ी की रिवायत में भी इसी तरह है और इतना ज़्यादा है कि "चार रकअत ज़ुहर से पहले और दो रकअत बाद में और दो रकअत नमाज़े मग़रिब के बाद और दो रकअत इशा के बाद और दो रकअत सुब्ह (फ़ज्र) की नमाज़ से पहले"

وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ».

और पाँचों (अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा) ने उम्मे हबीबा रज़ि अल्लाहु अन्हा से ही रिवायत किया है कि

"जिस शख़्स ने ज़ुहर की पहली चार रकअतों की हिफ़ाज़त की और चार रकअत बाद में (बाक़ायदगी से) पढ़ता रहा तो अल्लाह तआला ने उस को जहन्नम की आग पर हराम कर दिया

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि रोज़ाना बारह रकअतें सुन्नत मुअक्कदा हैं, इन पर इल्तेज़ाम करना चाहिये, क्योंकि नबी ﷺ ने उन पर एहतेमाम फ़रमाया

(٢٨٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَءًا صَلَّى أَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَصَحَّحَهُ.

285. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला उस शख़्स पर रहम फ़रमाये जिस ने अस्र की नमाज़ से पहले चार रकअत पढ़ी" (इसे अहमद, अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है और इब्ने ख़ुज़ैमा ने इस को सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

अस्र की नमाज़ से पहले यह चार रकअतें सुनन रवातिब (मुअक्कदा सुन्नतें) नहीं हैं बल्कि नफ़्ल है।

(٢٨٦) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

286. अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल मुज़नी ؓ नबी ﷺ से रिवायत करते हैं कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "मग़रिब से पहले नमाज़ पढ़ो, मग़रिब से पहले नमाज़ पढ़ो, फिर तीसरी बार फ़रमाया: यह हुक्म उस शख़्स के लिये है जो पढ़ना चाहे" आप ﷺ ने यह उस आदेश के पेश नज़र फ़रमाया कि लोग इसे सुन्नत न बना लें। (बुख़ारी ने इसे रिवायत किया है)

وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.

इब्ने हिब्बान की एक रिवायत में है कि नबी ﷺ ने मग़रिब से पहले दो रकअतें पढ़ीं।

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ

और मुस्लिम में अनस ؓ से रिवायत है कि हम लोग सूरज डूबने के बाद (फ़र्ज़ नमाज़ से

الشَّمْسِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرَانَا، فَلَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا.

पहले) दो रकअत पढ़ते थे, और नबी ﷺ हमें देख रहे होते थे, न तो आप ﷺ हमें इस का हुक्म देते और न मना फ़रमाते।

फ़ायेदा:

मग़रिब के फ़र्ज़ों से पहले दोगाना पढ़ना सुनन ज़ायेदा में शुमार होता है, सुनन मुअक्कदा में नहीं, उन का पढ़ना मुस्तहब है।

(٢٨٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي أَقُولُ: أَقَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ؟ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

287. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ फ़ज्र की नमाज़ से पहले दो रकअत हल्की पढ़ते थे, मैं ख़्याल करती कि क्या आप ﷺ ने सिर्फ़ फ़ातिहा ही पढ़ी है? (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٢٨٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ: «قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ» وَ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

288. अबू हुरैरा ؓ से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़ज्र की दो रकअतों में से पहली में "कुल या अय्योहल काफ़िरून" और दूसरी में "कुल हुवल्लाहो अहद" पढ़ी। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इन दो रकअतों में इन दोनों सूरतों का पढ़ना मसनून है, इत्तेबाये सुन्नत के जज़्बे के तहत इन को पढ़ना चाहिये, इस का यह मतलब मालूम नहीं होता कि दूसरी कोई सूरत पढ़ना मना है।

(٢٨٩) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

289. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ जब सुब्ह की नमाज़ की दो रकअत सुन्नत पढ़ कर फ़ारिग़ होते तो अपने दायें पहलू के बल लेट जाते। (बुख़ारी ने इसे रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि सुब्ह की नमाज़ से पहले दो सुन्नतों को पढ़ कर आप ﷺ अपने दायें पहलू पर थोड़ा सा लेट कर आराम फ़रमाया करते थे, बल्कि एक रिवायत में आप ﷺ ने इस का हुक्म भी दिया है, जैसाकि आगे हदीस में आ रहा है।

(٢٩٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى

290. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से कोई

शख़्स जब सुब्ह की नमाज़ से पहले दो रकअतें पढ़ चुके तो उसे अपने दाये पहलू के बल लेट जाना चाहिए |" (इस हदीस को अहमद, अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

أحدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

291. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाह अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "रात की नमाज़ दो दो रकअत की सूरत में (पढ़ी जाये) और जब तुम में से किसी को सुब्ह के तुलूअ होने का डर और अन्देशा लाहिक़ होने लगे तो (आख़िर में) एक रकअत पढ़ ले, पहले पढ़ी हुई उस की सारी नमाज़ वित्र (ताक़) बना दी जायेगी" (बुख़ारी, मुस्लिम, और पाँचों अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा) में भी इसी तरह रिवायत है | और इब्ने हिब्बान ने "दिन रात की नमाज़ दो-दो रकअत है" को सहीह कहा है, और नसाई ने कहा है कि यह ग़लत (ख़ता) है |

(٢٩١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وِلِلخَمْسَةِ - وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ - بِلَفْظِ «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى». وَقَالَ النَّسَائِيُّ: هَذَا خَطَأٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से एक तो यह मालूम होता है कि रात के अवक़ात में पढ़ी जाने वाली नमाज़ को दो-दो रकअत की सूरत में पढ़ना चाहिये और दो के बाद सलाम फेरना चाहिये, उम्मत के ज़्यादातर लोगों ने इसे तसलीम किया है| दूसरी बात यह मालूम होती है कि वित्र की नमाज़ की तादाद एक भी साबित है बल्कि कुछ ने तो यह कहा है कि वित्र की नमाज़ की तादाद एक ही है, लेकिन अहादीस से तीन, पाँच, सात, नौ और ग्यारह तक का सुबूत भी मिलता है |

292. अबू हुरैरा رضي الله عنه रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "फ़र्ज़ नमाज़ के बाद अफ़ज़ल नमाज़ रात की नमाज़ है |" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(٢٩٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से तहज्जुद की नमाज़ की फ़ज़ीलत मालूम होती है |

293. अबू अय्यूब अंसारी ﷛ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है: "वित्र हर मुसलमान पर हक़ है (इस का पढ़ना ज़रूरी है) जिसे पाँच वित्र पढ़ना पसन्द हो तो ऐसा करे और जिसे तीन वित्र पसन्द हो तो वह इस तरह करे और जिसे एक वित्र पढ़ना पसन्द हो तो वह ऐसा करे" (तिर्मिज़ी के अलावा इसे चारों ने रिवायत किया है, और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है, अलबत्ता नसाई ने इस के मौक़ूफ़ होने को तरजीह दी है)

(٢٩٣) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَقْفَهُ.

फ़ायेदा:

वित्र वाजिब है या सुन्नत? इस में अइम्मा का इख़्तेलाफ़ है, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह इसे वाजिब कहते है, मगर जुमहूर उलमा इसे सुन्नत कहते हैं।

294. अली बिन अबी तालिब ﷛ रिवायत करते हैं कि वित्र फ़र्ज़ों की तरह हतमी और लाज़मी नहीं है बल्कि सुन्नत है जिसे रसूलुल्लाह ﷺ ने मुक़र्रर फ़रमाया है। (इसे तिर्मिज़ी और नसाई ने बयान किया है और तिर्मिज़ी ने हसन कहा है, और हाकिम ने इस को सहीह कहा है)

(٢٩٤) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَيْسَ الوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.

फ़ायेदा:

यह हदीस जुमहूर उलमा की दलील है जो वित्र के वजूब के क़ायेल नहीं, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे हसन और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सहीह कहा है।

295. जाबिर ﷛ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने रमज़ान के महीने में क़ियाम फ़रमाया, फिर अगले दिन के लिये सहाबा आप ﷺ का इन्तेज़ार करते रहे और आप ﷺ हुजरे से बाहर तशरीफ़ न लाये, आप ﷺ ने फ़रमाया कि मुझे यह अन्देशा हुआ कि कहीं यह वित्र की नमाज़ तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाये। (इस रिवायत को इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है)

(٢٩٥) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ انْتَظَرُوهُ مِنَ القَابِلَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ، وَقَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الوِتْرُ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ.

296. ख़ारिजा बिन हुज़ाफ़ा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला ने एक ऐसी नमाज़ के साथ तुम्हारी मदद फ़रमाई जो तुम्हारे लिये सुर्ख़ ऊँटों से बहुत बेहतर है" हम ने पूछा ऐ अल्लाह के रसूल! वह कौन सी नमाज़ है? फ़रमाया: "वित्र नमाज़ जो नमाज़ इशा और तुलूअ फ़ज्र के दरमियान है" (इसे नसाई के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है, अहमद ने अम्र बिन शुऐब से उन्होंने अपने बाप के वास्ता से अपने दादा से उसी की तरह रिवायत की है)

(٢٩٦) وَعَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ»، قُلْنَا: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الوِتْرُ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ.

297. अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "वित्र बरहक़ है, जिस ने वित्र न पढ़ी उस का हम से कोई तअल्लुक़ नहीं" (अबू दाउद ने इसे कमज़ोर (ज़ईफ़) सनद के साथ रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है, अहमद के नज़दीक इस का शाहिद भी है जो अबू हुरैरा ﷺ से मरवी है मगर वह कमज़ोर (ज़ईफ़) है)

(٢٩٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ لَيِّنٍ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ أَحْمَدَ.

298. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ रमज़ान और ग़ैर रमज़ान में ग्यारह रकअत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, चार रकअतें ऐसी हुस्न व ख़ूबी से पढ़ते थे कि उन के हुस्न और तिवालत का क्या कहना, फिर चार रकअत पढ़ा करते थे, बस इन की ख़ूबी और तिवालत के बारे में क्या पूछते हो, फिर तीन रकअतें पढ़ते थे, आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा का बयान है कि मैंने पूछा या रसूलल्लाह! क्या आप ﷺ वित्र अदा किये

(٢٩٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعاً، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثاً، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ! إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

बग़ैर सो जाते हैं? फ़रमाया "आइशा (रज़ि अल्लाहु अन्हा) मेरी आँखें सोती हैं और दिल नहीं सोता।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَفِي رِوَايَةٍ لَّهُمَا عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكْعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَتِلْكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ.

और बुख़ारी व मुस्लिम दोनों की एक दूसरी रिवायत में है कि रात को आप ﷺ दस रकअतें पढ़ते थे और बाद में एक वित्र और इस के बाद फ़ज्र की दो रकअतें, यह सब मिला कर कुल तेरह रकअतें होतीं।

फ़ायेदा:

इस हदीस से कई मसअले मालूम होते हैं: 1- नबी ﷺ का दिल नहीं सोता सिर्फ़ आँखें सोती थीं और यह आप ﷺ की ख़ुसूसियत थी बल्कि बुख़ारी की एक रिवायत में है कि तमाम अम्बिया के दिल जागते और आँखें सोती हैं। 2- गहरी नींद जिस में दिल ग़ाफ़िल हो जाये नाक़िज़ वुज़ू है। 3- नमाज़ तहज्जुद अच्छे तरीक़े से ठहर-ठहर कर पढ़नी चाहिये। 4- साबित हुआ कि नबी ﷺ ने नमाज़ तरावीह ग्यारह रकअत ही पढ़ी है, इस सिलसिले में आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा की रिवायत क़ाबिले तरजीह है, इसलिये कि आप ﷺ यह नमाज़ घर ही में पढ़ा करते थे, आप ﷺ के वह आमाल जो आप ﷺ आम तौर पर घर में अंजाम देते थे, ख़ास करके रात के इन की सहीह ख़बर घर वालों को सहीह तौर पर हो सकती है। बीस रकअत तरावीह के मुतअल्लिक़ एक भी सहीह हदीस नहीं है।

(٢٩٩) وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي آخِرِهَا.

299. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ रात को तेरह रकअत पढ़ते थे, उन में पाँच वित्र होती थी, और उन पाँच वित्रों में तशह्हुद के लिये सिर्फ़ आख़िरी रकअत में बैठते थे। (इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है)

(٣٠٠) وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.

300. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने रात के हर हिस्से में वित्र पढ़ा है, और आप ﷺ के वित्र पढ़ने की इन्तेहा सहर तक थी। (दोनों रिवायतों को बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि आप ﷺ वित्र रात के शुरु और बीच और रात के आख़िरी हिस्सा में पढ़ते थे।

301. अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे फ़रमाया: "ऐ अब्दुल्लाह! फ़्लाँ आदमी की तरह तुम न हो जाना कि वह क़ियामुल्लैल करता था फिर बाद में उसे छोड़ दिया।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٣٠١) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ اللهِ! لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ. فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात की दलील है कि क़ियामुल्लैल वाजिब नहीं।

302. अली बिन अबी तालिब ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऐ कुरआन वालो! वित्र पढ़ा करो, अल्लाह ख़ुद भी वित्र है और वित्र को पसन्द करता है।" (इसे पाँचों अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इब्ने ख़ुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है)

(٣٠٢) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ القُرْآنِ! فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الوِتْرَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से हुफ़्फ़ाज़े कुरआन को तरग़ीब है कि वह क़ियामुल्लैल का एहतेमाम करें, क्योंकि इस से कुरआन याद रखने में मदद मिलती है।

303. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "अपनी रात की आख़िरी नमाज़ को वित्र बनाओ।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٣٠٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में रात की नमाज़ का आख़िरी हिस्सा वित्र बनाने का अम्र वुजूब के लिये नहीं बल्कि मंदूब है।

304. तल्क़ बिन अली ﷺ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते सुना है: "एक रात में दो बार वित्र नहीं" (इसे अहमद और तीनों (तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा) ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(٣٠٤) وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि एक रात में दो बार वित्र नहीं पढ़नी चाहिये।

(٣٠٥) وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُوتِرُ بِ«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى» وَ«قُلْ يَآ أَيُّهَا الكَافِرُونَ» و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ.

305. उबैई बिन कअब ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ तीन रकअत वित्र की सूरत में तरतीब से पहली रकआत में "सब्बिेहिस्म रब्बिकल आला", दूसरी में "कुल या अय्योहल काफ़िरून" और तीसरी में "कुल हुवल्लाहु अहद" पढ़ते थे। (इस को अहमद, अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है, और नसाई ने इतना ज़्यादा नक़ल किया है "और सलाम आख़िरी रकअत में फेरते थे।

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، وَفِيهِ: كُلُّ سُورَةٍ فِي رَكْعَةٍ، وَفِي الأَخِيرَةِ «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ» وَ«الْمُعَوِّذَتَيْنِ».

अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा के हवाले से इसी तरह रिवायत किया है और इस रिवायत में है कि हर रकअत में एक सूरत तिलावत फ़रमाते थे और आख़िरी रकअत में "कुल हुवल्लाहु अहद" और "मुअव्विज़तैन" (यानी सूरतुल फ़लक़ और सूरतुन्नास) पढ़ते थे।

फ़ायेदा:

हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह ﷺ तीन वित्र पढ़ा करते थे, हर रकअत में सूरह फ़ातिहा के साथ दूसरी सूरत भी पढ़ते थे।

(٣٠٦) وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلِابْنِ حِبَّانَ: مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ، فَلَا وِتْرَ لَهُ.

306. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "वित्र सुब्ह होने से पहले पढ़ लिया करो" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

और इब्ने हिब्बान में है कि जिस किसी ने सुब्ह तक वित्र न पढ़े उस का कोई वित्र नहीं है।

फ़ायेदा:

यह हदीस इस की दलील है कि वित्र का वक़्त सुब्ह होने से पहले तक है, जब सुब्ह हो जाये तो वित्र का वक़्त ख़त्म हो जाता है।

307. और उन्हीं से (अबू सईद ख़ुदरी ﷺ) रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो बग़ैर वित्र पढ़े सो जाये या उसे याद न रहे हों तो उसे चाहिये कि सुब्ह के वक़्त पढ़ ले या फिर जब उसे याद आये" (इसे नसाई के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है)

(٣٠٧) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنِ الوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि जब वित्र किसी भी सूरत पढ़ने से रह जायें तो उन्हें हरहाल में पढ़ना चाहिये, इस से वित्र की नमाज़ की अहमियत मालूम होती है।

308. जाबिर ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस को यह अंदेशा और ख़ौफ़ लाहिक़ हो कि वह रात के आख़िरी हिस्से में नहीं जाग सकेगा तो उसे चाहिये कि रात के पहले हिस्से में ही वित्र पढ़ ले और जिसे यह तवक़्क़ुअ और उम्मीद हो कि वह जाग जायेगा तो उसे रात के आख़िरी हिस्से में वित्र पढ़नी चाहिये क्योंकि रात के आख़िरी हिस्से की नमाज़ में फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और यह बहुत बेहतर है" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(٣٠٨) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

यानी रात की नमाज़ के वक़्त रात और दिन के फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं।

309. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जब सुब्ह हो जाये तो फिर रात को पढ़ी जाने वाली हर नमाज़ का वित्रों समेत वक़्त चला जाता है (ख़त्म हो जाता है) इसलिये तुम सुब्ह होने से पहले पहले वित्र पढ़ लिया करो" (तिर्मिज़ी ने इसे रिवायत किया है)

(٣٠٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ، فَقَدْ ذَهَبَ وَقْتُ كُلِّ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَالوِتْرِ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

310. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ज़ुहा (चाश्त) की नमाज़ चार रकअत पढ़ा करते थे और जितनी

(٣١٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعاً، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

अल्लाह चाहता ज़्यादा भी करते थे। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

وَلَهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِن مَغِيبِهِ.

और मुस्लिम ही में आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा की रिवायत में है कि उन से पूछा गया कि क्या रसूलुल्लाह ﷺ चाश्त की नमाज़ पढ़ा करते थे? तो उन्होंने ने फ़रमाया कि नहीं, इल्ला यह कि जब अपने सफ़र से वापस आते।

وَلَهُ عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا.

और मुस्लिम ही में आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा ही से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को नमाज़ ज़ुहा पढ़ते कभी नहीं देखा, उस के बावजूद मैं यह नवाफ़िल पढ़ती हूँ।

फ़ायेदा:

नमाज़े इशराक़, नमाज़े ज़ुहा और नमाज़े अव्वाबीन तीन अलग अलग नमाज़ें हैं या एक ही नमाज़ का तीन अलफ़ाज़ से ज़िक किया गया है, इस में इख़्तिलाफ़ है।

(٣١١) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «صَلَاةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

311. ज़ैद बिन अरक़म ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अव्वाबीन की नमाज़ का वक़्त वह है जब उँटनी के बच्चे तपिश व हरारत और गर्मी महसूस करें।" (तिर्मिज़ी ने इसे रिवायत किया है)

(٣١٢) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْراً فِي الجَنَّةِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ.

312. अनस ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने सलातुज़ ज़ुहा की बारह रकअतें पढ़ीं अल्लाह तआला उस के लिये जन्नत में महल बनायेगा" (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इसे ग़रीब भी कहा है)

(٣١٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْتِي، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ. رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.

313. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह मेरे घर में तशरीफ़ लाये और नमाज़े ज़ुहा की आठ रकअतें पढ़ीं। (इब्ने हिब्बान ने इसे अपनी सहीह में रिवायत किया है)

10. जमाअत के साथ नमाज़ (पढ़ने) और इमामत के मसायेल का बयान

١٠ - بَابُ صَلاةِ الجَمَاعَةِ وَالإِمَامَةِ

314. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बाजमाअत नमाज़ पढ़ना तन्हा नमाज़ पढ़ने से सत्ताईस गुना ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٣١٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: صَلَاةُ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

और बुख़ारी व मुस्लिम में अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि "पच्चीस गुना ज़्यादा सवाब मिलता है"

وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جزءًا» وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ: «دَرَجَةً».

और बुख़ारी में अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है उस में जुज़ की जगह दर्जा का लफ़्ज़ है।

315. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उस ज़ात की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है! मैंने इरादा किया है कि मैं लकड़ियों के जमा करने का हुक्म दूँ, फिर नमाज़ के लिये अज़ान का हुक्म दूँ, फिर किसी को नमाज़ पढ़ाने के लिये कहूँ, फिर मैं ख़ुद उन लोगों की तरफ़ जाऊँ जो नमाज़ में शरीक नहीं होते, उन के घरों में मौजूद होने की सूरत में उन के घरों को उन पर आग लगाकर जला दूँ, क़सम है उस ज़ात की जिस के हाथ में मेरी जान है कि उन में से किसी को अगर यह इल्म हो जाये कि उस को गोश्त से भरी मोटी हड्डी मिल जायेगी या दो पाये मिल जायेंगे तो नमाज़ इशा में लपक कर शामिल हो जायेगा।" (बुख़ारी, मुस्लिम, हदीस के अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं)

(٣١٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْتَطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقاً سَمِيناً، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ العِشَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह समझा गया है कि जमाअत के साथ नमाज़ अदा करना फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ किफ़ाया या सुन्नत मुअक्कदा नहीं है।

(٣١٦) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

316. और उन्हीं (अबू हुरैरा ﷺ) से रिवायत हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुनाफ़िक़ीन पर सब से भारी और बोझल नमाज़े इशा और फ़ज्र है, अगर उन को मालूम हो जाये कि उन दोनों में हाज़िर होने का कितना (बड़ा) अज्र व सवाब है तो यह ज़रूर उन में शामिल होते, चाहे उन को घुटनों के बल घिसट कर आना पड़ता।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٣١٧) وَعَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

317. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि एक नाबीना शख़्स नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल ﷺ! मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं जो मुझे पकड़ कर मस्जिद में ले कर आये, आप ﷺ ने रुख़सत इनायत फ़रमा दी, (कि वह घर पर ही नमाज़ पढ़ लिया करे) मगर जब वह वापस जाने लगा तो आप ﷺ ने इसे वापस बुला कर फ़रमाया: "तुम अज़ान सुनते हो? उस ने अर्ज़ किया जी हाँ! तो आप ﷺ ने फ़रमाया तो फिर अज़ान का जवाब दो (यानी मस्जिद में जमाअत से नमाज़ पढ़ो)" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह साबित हुआ कि अज़ान की आवाज़ सुनने के बाद माज़ूर आदमी को भी मस्जिद में आना चाहिये, माज़ूर की नमाज़ घर पर पढ़ने से अदा तो हो जायेगी मगर जमाअत का सवाब नहीं मिलेगा।

(٣١٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ

318. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स अज़ान सुने और फिर नमाज़

عُذْرٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ والدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، لَكِن رَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ.

बाजमाअत में शामिल न हो तो उस की कोई नमाज़ नहीं, इल्ला यह कि कोई उज़्र हो।" (इसे इब्ने माजा, दार कुतनी, इब्ने हिब्बान, और हाकिम ने रिवायत किया है और इस की सनद मुस्लिम की शर्त के मुताबिक़ है लेकिन कुछ ने इस के मौक़ूफ़ होने को तरजीह दी है)

(٣١٩) وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا، تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا»؟ قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

319. यज़ीद बिन असवद ﷺ से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ सुब्ह की नमाज़ पढ़ी, जब रसूलुल्लाह ﷺ नमाज़ पढ़ चुके तो दो ऐसे आदमियों पर नज़र पड़ी जिन्होंने नमाज़ (आप ﷺ के साथ) नहीं पढ़ी, आप ﷺ ने दोनों को अपने पास बुलवाया, दोनों आप ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर किये गये तो (डर के मारे) उन के शाने काँप रहे थे, आप ﷺ ने पूछा, "तुम्हें हमारे साथ नमाज़ पढ़ने से किस चीज़ ने रोका?" दोनों ने अर्ज़ किया, हम अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ चुके हैं, फ़रमाया: "ऐसा मत करो, अगर तुम अपने घरो में में नमाज़ पढ़ चुके हो फिर इमाम को पा लो, और इमाम ने अभी नमाज़ न पढ़ी हो तो उस के साथ तुम नमाज़ पढ़ो, यह तुम्हारे लिये नफ़्ल हो जायेगी।" (इसे अहमद ने रिवायत किया है, हदीस के अलफ़ाज़ भी उन्हीं के हैं, इस के अलावा तीनों तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने भी इसे रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि कोई शख़्स पहले नमाज़ पढ़ चुका हो और फिर जमाअत के साथ शामिल होने का मौक़ा भी मिल जाये तो उसे जमाअत के साथ शामिल होना चाहिये चाहे कोई नमाज़ हो।

(٣٢٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» فَقُولُوا: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ» وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِذَا صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعِينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

320. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इमाम को इसी लिये मुक़र्रर किया गया है कि उसकी पैरवी की जाये, लेहाज़ा जब वह अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो, और तुम अल्लाहु अकबर न कहा करो, यहाँ तक कि इमाम अल्लाहु अकबर कहे और जब वह रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो और तुम रुकूअ उस वक़्त तक न करो जब तक कि इमाम रुकूअ न करे और जब इमाम "समिअल्लाहु लिमन हमिदह" कहे तो तुम "अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दो" कहो और जब वह सज्दा करे तो तुम भी सज्दा करो और उस से पहले सज्दा न करो यहाँ तक कि वह सज्दा करे और जब इमाम खड़ा होकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो और जब वह बैठ कर नमाज़ पढ़े तो तुम सब भी बैठ कर पढ़ो। (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है, हदीस के अलफ़ाज़ अबू दाउद के हैं और इस की असल बुख़ारी व मुस्लिम में है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि इमाम की पैरवी व इत्तिबा करनी चाहिये, किसी चीज़ में इमाम से आगे न बढ़े, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम फेरने तक इमाम के पीछे-पीछे रहने की कोशिश करे।

(٣٢١) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّراً، فَقَالَ: «تَقَدَّمُوا، فَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

321. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने सहाबा को पीछे हटे हुये देखा तो फ़रमाया: "आगे आ जाओ और मेरी पैरवी करो और तुम्हारे पीछे वाले तुम्हारी पैरवी करें।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से पहली बात तो यह मालूम हुई कि नमाज़ बाजमाअत में पहली सफ़ का दर्जा और मर्तबा दूसरी सफ़ों से ज़्यादा और अफ़ज़ल है और दूसरी बात यह है कि पहली सफ़ वालों को इमाम की इक्तिदा करनी चाहिये।

322. ज़ैद बिन साबित ؓ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने घास फूस से बनी हुई चटाई से एक छोटा (ख़ैमा नुमा) हुजरा बनाया और उस में नमाज़ पढ़ने लगे, लोगों को जब मालूम हुआ तो वह आये और आप ﷺ के साथ नमाज़ में शामिल हो गये, इस हदीस में यह भी है कि मर्द की अपने घर में नमाज़ अफ़ज़ल है (सिवाय फ़र्ज़ नमाज़ के)। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٣٢٢) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: اَحْتَجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حُجْرَةً مُخَصَّفَةً، فَصَلَّى فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، اَلْحَدِيثَ. وَفِيهِ: «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

यह माहे रमज़ान का मौक़ा था कि आप ﷺ ने अपने लिये मस्जिद में अलग से एक मुख़्तसर सी मख़सूस जगह बना ली, यह इस बात की दलील है कि मुक्तदियों और नमाज़ियों के लिये ऐसा करना बाइसे ज़रर और तकलीफ़ न हो तो मस्जिद में मख़सूस जगह बनाई जा सकती है।

323. जाबिर ؓ से रिवायत है कि मुआज़ ؓ ने अपने मुक्तदियों को इशा की नमाज़ पढ़ाई, उन्होंने क़िरात लम्बी कर दी, नबी ﷺ ने फ़रमाया: "ऐ मुआज़! क्या तू नमाज़ियों को फ़ितना में मुब्तला करना चाहता है, जब तू लोगों की इमामत कराये तो और "वश्शम्से वज़ुहाहा (सूरत शम्स) और (सूरत आला) सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला," (सूरत अलक़) इक़रा बिस्मे रब्बिक और (सूरत लैल) "व वल्लैल इज़ा यग़शा" पढ़नी चाहिये। (बुख़ारी, मुस्लिम, हदीस के अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

(٣٢٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِالشَّمْسِ وَضُحَاهَا» وَ«سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» وَ«اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ» «وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से एक तो यह मालूम हुआ कि इमाम को इतनी लम्बी और तवील क़िरात नहीं करनी चाहिये कि नमाज़ी तंग आ जायें और जमाअत से गुरेज़ करें, मगर इस का यह मतलब नहीं कि क़िरात इतनी कम हो कि मक़सदे क़िरात ही फ़ौत हो जाये, बल्कि अदायेगी अरकान और तिलावत कलाम मजीद में एतिदाल और तवाज़ुन होना चाहिये और मसनून तरीक़े से नमाज़ पढ़ानी चाहिये।

324. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा नबी ﷺ की उस नमाज़ के बारे में फ़रमाती हैं जो उन्होंने लोगों को उस हालत में पढ़ायी कि आप बीमार थे, कि आप ﷺ तशरीफ़ लाये और अबू बक्र رضي الله عنه की बायें तरफ़ बैठ गये, तो आप ﷺ लोगों को बैठे बैठे नमाज़ पढ़ा रहे थे और अबू बक्र رضي الله عنه खड़े हुये थे, अबू बक्र नबी ﷺ की इक्तिदा कर रहे थे और लोग अबू बक्र رضي الله عنه की पैरवी में नमाज़ पढ़ रहे थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٣٢٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَهُوَ مَرِيضٌ، قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِساً، وَأَبُو بَكْرٍ قَائِماً، يَقْتَدِي أَبو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

यह हदीस रसूलुल्लाह ﷺ के मरज़ुल मौत के मौक़े पर नमाज़ पढ़ाने के बारे में है।

325. अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया : "जब तुम में से कोई लोगों की इमामत के फ़रायेज़ अंजाम दे तो उसे क़िरात में कमी करनी चाहिये, इसलिये कि मुक्तदियों में बच्चे, बूढ़े, कमज़ोर और हाजतमंद लोग होते हैं, हाँ जब तन्हा नमाज़ पढ़े तो फिर जिस तरह चाहे पढ़े।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٣٢٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ والضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि एक आदमी जब इमामत कर रहा हो तो उस वक़्त नमाज़ में लम्बी-लम्बी क़िरात से एहतियात करनी चाहिये।

326. अम्र बिन सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मेरे बाप ने अपनी क़ौम से कहा कि मैं तुम्हारे पास रसूलुल्लाह ﷺ के पास से हक़ ले कर आया हूँ, उन का इरशाद है: "जब नमाज़ का वक़्त हो जाये तो तुम में से कोई एक अज़ान कहे और इमामत ऐसा शख़्स कराये जो क़ुरआन मजीद का ज़्यादा आलिम हो" अम्र ने कहा मेरी क़ौम ने देखा कि मेरे सिवा कोई दूसरा क़ुरआन का आलिम

(٣٢٦) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ حَقًّا، قَالَ: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآناً»، قَالَ: فَنَظَرُوا، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنِّي قُرْآناً فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

नहीं है तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया, उस वक़्त मेरी उम्र छ या सात साल की थी)। (बुख़ारी, अबू दाउद और नसाई)

फ़ायेदा:

इस हदीस ने इमाम के लिये एक उसूल मुक़र्रर किया है कि जो क़ुरआन मजीद ज़्यादा जानता हो इमामत के लिये उसी को चुना जाये, जैसाकि अम्र रज़ि अल्लाहु अन्हुमा को उस की क़ौम के लोगों ने चुना।

327. इब्ने मसउद ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "लोगों का इमाम ऐसा आदमी हो जिसे क़ुरआन मजीद का ज़्यादा इल्म हो, अगर उस मामले में लोग बराबर हों फिर वह इमाम बने जिसे सुन्नत नबवी ﷺ का इल्म ज़्यादा हो, और अगर सुन्नत के इल्म में भी लोग बराबर हों तो फिर वह इमाम बने जिस ने पहले हिजरत की हो, अगर उस में भी सब बराबर हों तो फिर वह इमाम बने जिस ने पहले इस्लाम कबूल किया हो, और एक रिवायत में "सिलमन" इस्लाम की बजाय "सिन्नन" उम्र का लफ़्ज़ भी है, यानी अगर उस मामले में भी सभी बराबर हों तो फिर उन में जिस की उम्र ज़्यादा हो उसे इमाम बनाया जाये, कोई आदमी किसी आदमी के दायरये इक़्तिदार में इमामत न कराये और न घर में उस की मख़सूस बिस्तर पर उस की इजाज़त के बग़ैर बैठे" | (मुस्लिम)

(٣٢٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْماً - وَفِي رِوَايَةٍ: «سِنًّا» - وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

328. इब्ने माजा में जाबिर ﷺ से रिवायत है कि कोई औरत किसी मर्द की इमाम न बने और न कोई देहाती किसी मुहाजिर की इमामत कराये और न कोई फ़ाजिर किसी मोमिन का इमाम बने। (इस रिवायत की सनद कमज़ोर (ज़ईफ़) है)

(٣٢٨) وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلاً، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِراً، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِناً»، وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ.

329. अनस ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ का इरशाद है : "अपनी सफ़ों को मज़बूती से मिलाओ और उन के बीच फ़ासला कम रखो और अपनी गर्दनों को बराबर-बराबर रखो।" (इसे अबू दाउद, नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(٣٢٩) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

इस्लाम में सफ़बन्दी और शीराज़ाबन्दी की बड़ी ताकीद और अहमियत है, उस की तरबीयत और ट्रेनिंग इस्लाम की अहमतरीन बुनयादी रुक्न नमाज़ में सफ़बन्दी के ज़रिया से दी गई है।

330. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मर्दों की बेहतरीन और सब से ज़्यादा ख़ैर व भलाई वाली सफ़ उन की पहली सफ़ है और बदतरीन और बुरी सफ़ उन की आख़िरी सफ़ है और औरतों की बेहतरीन और ख़ैर व भलाई वाली सफ़ उन की आख़िरी सफ़ है और बदतरीन और बुरी सफ़ उनकी पहली सफ़ है। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(٣٣٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

331. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह ﷺ के साथ नमाज़ पढ़ी, मैं आप ﷺ के बायें तरफ़ खड़ा हो गया, रसूलुल्लाह ﷺ ने पीछे से मेरा सर पकड़ा और मुझे अपनी दायें तरफ़ खड़ा कर लिया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٣٣١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَأْسِي مِنْ وَّرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर जमाअत से नमाज़ पढ़ने वाले दो ही व्यक्ति हों तो मुक़्तदी को इमाम के दायें तरफ़ खड़ा होना चाहिये और अगर ग़लती व नादानी से मुक़्तदी बायें तरफ़ खड़ा हो जाये तो इमाम उसे अपने दायें तरफ़ खींच कर (या इशारे से) कर ले, इतने अमल से नमाज़ फ़ासिद नहीं होती।

332 अनस ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने नमाज़ पढ़ायी, मैं और यतीम दोनों ने आप के पीछे नमाज़ पढ़ी और उम्मे सुलैम रज़ि

(٣٣٢) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُمْتُ أَنَا

अल्लाहु अन्हा ने हमारे पीछे (तन्हा) नमाज़ पढ़ी। (बुख़ारी, मुस्लिम, हदीस के अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं)

وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से भी साबित हुआ कि नफ़्ल नमाज़ की जमाअत जायेज़ है।

333. अबू बकरा ﷺ ने बताया कि वह नबी ﷺ के पास ठीक उस वक़्त पहुँचे जबकि आप ﷺ रुकूअ कर रहे थे, बस उन्होने सफ़ तक पहुँचने से पहले ही रुकूअ कर लिया, नबी ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला तुम्हारे हिंस व तमअ में इज़ाफ़ा करे, दोबारा ऐसा मत करना।" (बुख़ारी)

अबू दाउद ने इतना इज़ाफ़ा किया है कि उन्होंने रुकूअ किया, सफ़ में शामिल होने से पहले फिर हालते रुकूअ ही में चल कर सफ़ में शामिल हुये।

(٣٣٣) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، ثم مَشَى إلى الصفِّ وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ - النَّبِيُّ ﷺ -: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصاً، وَلَا تَعُدْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ فِيهِ: «فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ».

334. वाबिसा बिन मअबद ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ की नज़र ऐसे आदमी पर पड़ी जो सफ़ के पीछे अकेला खड़ा नमाज़ पढ़ रहा था, आप ﷺ ने उसे नमाज़ को दोबारा पढ़ने का हुक्म दिया। (अहमद, अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने इसे रिवायत किया है, तिर्मिज़ी ने इस को हसन कहा है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(٣٣٤) وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

और इसी तरह तल्क़ बिन अली ﷺ से रिवायत है कि सफ़ के पीछे अकेले आदमी की नमाज़ नहीं होती और तबरानी ने वाबिसा की हदीस में इतना इज़ाफ़ा किया है कि "तू उन के साथ ही दाख़िल क्यों न हो गया या फिर तू किसी नमाज़ी को पहली सफ़ में से पीछे खींच लेता।"

وَلَهُ عَنْ طَلْقٍ: لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ. وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ: أَلَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ أَوِ اجْتَرَرْتَ رَجُلاً؟

फ़ायेदा:

इस मसअला में इख़्तेलाफ़ है कि सफ़ के पीछे अकेले आदमी की नमाज़ सहीह है या नहीं? इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह और कुछ दूसरे अहले इल्म के नज़दीक सफ़ के पीछे अकेले आदमी की नमाज़ नहीं होती, दलील उस की यही हदीस है कि जिस में आप ﷺ ने ऐसे आदमी को दोबारा नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है और कुछ कहते हैं कि ऐसे आदमी की नमाज़ हो जाती है।

(٣٣٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

335. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम नमाज़ की इक़ामत सुनो तो नमाज़ की तरफ़ इतमेनान व सुकून और वक़ार के साथ चल कर आओ, जल्दी और उजलत न करो, जितनी नमाज़ जमाअत के साथ पा लो उतनी पढ़ लो और जो बाक़ी रह जाये उसे (बाद में) पूरा कर लो" (बुख़ारी, मुस्लिम, हदीस के अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि नमाज़ी जब मस्जिद में नमाज़ बाजमाअत के लिये आये तो बड़े आराम व सुकून, इज़्ज़त व वक़ार के साथ आये, दौड़ता हुआ न आये।

(٣٣٦) وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وصَلَاتُهُ مع الرَّجُلَيْنِ أزكَى مِنْ صَلَاتِه مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

336. उबैई बिन काब ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ मिल कर नमाज़ पढ़ना अकेला पढ़ने से कहीं ज़्यादा पाकीज़ा और अज्र व सवाब का मूजिब है और दो आदमियों के साथ मिल कर नमाज़ पढ़ना (पहली सूरत से भी) ज़्यादा अज्र व सवाब का मूजिब है, इसी तरह जितने अफ़राद ज़्यादा हों उतना ही अल्लाह तआला के यहाँ ज़्यादा महबूब है" (इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि जमाअत में नमाज़ियों की तादाद जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही वह नमाज़ अल्लाह के नज़दीक महबूब होगी और अज्र व सवाब भी ज़्यादा मिलेगा।

(٣٣٧) وَعَنْ أُمِّ وَرَقَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ

337. उम्मे वरक़ा रज़ि अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी ﷺ ने उसे अपने घर वालों

की इमामत करने का हुक्म दिया। (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने ख़ुज़ैमा ने सहीह कहा है)

دارها. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

338. अनस ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने इब्ने उम्मे मकतूम ؓ को अपना नायब बनाया, वह लोगों की इमामत कराते थे जबकि वह अंधे थे। (इस हदीस को अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने भी इसी तरह की हदीस आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा के हवाले से बयान की है)

(٣٣٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَنَحْوُهُ لِابْنِ حِبَّانَ عَنْ عَائِشَةَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि इमाम के लिए अपना नायब बनाना जायेज़ है, जो लोगों को नमाज़ पढ़ाये। दूसरा मसअला यह साबित हुआ कि नाबीना (अंधे) की इमामत सहीह और जायेज़ है, तीसरा यह भी मालूम हुआ कि नाबीना दूसरों के मुक़ाबिले में इल्म शरीयत का ज़्यादा आलिम हो सकता है।

339. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ुबान से कहा उस की नमाज़ जनाज़ा पढ़ो और जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे उस के पीछे नमाज़ भी पढ़ लिया करो" (इसे दार क़ुतनी ने कमज़ोर सनद के साथ रिवायत किया है)

(٣٣٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

340. अली बिन अबी तालिब ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई नमाज़ पढ़ने के लिये आये तो इमाम को जिस हालत में पाये उसी में इमाम के साथ शामिल हो जाये" (तिर्मिज़ी ने इसे कमज़ोर सनद के साथ रिवायत किया है)

(٣٤٠) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ، وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ، فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि इमाम के साथ बाद में शामिल होने वाला नमाज़ी जिस हालत में इमाम को पाये उसी में शामिल हो जाये।

11. मुसाफ़िर और बीमार की नमाज़ का बयान

١١ - بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ

341. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने बयान किया कि शुरु में दो रकअत नमाज़ फ़र्ज़ की गई थी, (यानी सफ़र और हज़र में) जितनी नमाज़ फ़र्ज़ की गई वह दो रकअत थी। उसे (सफ़र की नमाज़ को) बाक़ी रखा और हज़र (मुक़ीम) के लिये नमाज़ पूरी कर दी गयी, (चार रकअतें कर दी गयीं। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٣٤١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

और बुख़ारी की एक रिवायत में है कि फिर आप ﷺ ने हिजरत की तो चार रकअत फ़र्ज़ कर दी गयीं और सफ़र की नमाज़ पहली हालत पर बाक़ी रखी गयी।

وَلِلْبُخَارِيِّ: ثُمَّ هَاجَرَ، فَفُرِضَتْ أَرْبَعاً، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأَوَّلِ.

अहमद ने इतना ज़्यादा किया है: "सिवाय नमाज़ मग़रिब के, क्योंकि वह दिन की वित्र है और सिवाय सुब्ह के क्योंकि इस (नमाज़) में क़िरात लम्बी की जाती है।"

وَزَادَ أَحْمَدُ: إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ، وَإِلَّا الصُّبْحَ، فَإِنَّهَا تُطَوَّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि शुरु में हज़र व सफ़र की नमाज़ दो दो रकअत फ़र्ज़ थी, बाद में सफ़र की नमाज़ को वैसे ही बाक़ी रखा गया, अलबत्ता हज़र की नमाज़ में दो रकअतों का इज़ाफ़ा कर दिया गया। क़ुरआन मजीद में नमाज़ क़स्र का जो बयान आया है उस से मालूम होता है कि सफ़र में क़स्र नमाज़ पढ़ना जायेज़ है वाजिब नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है कि सफ़र में क़स्र वाजिब है जबकि इमाम अहमद और इमाम शाफई रहेमहुमुल्लाह वग़ैरह इसे सुन्नत क़रार देते हैं और इसे छूट पर महमूल करते हैं और यही क़ौल राजिह है।

342. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी ﷺ सफ़र में क़स्र और इतमाम पर अमल करते थे, और रोज़ा रखते भी थे और इफ़तार भी कर लेते थे। (दार क़ुतनी) इस के रावी सिक़ा हैं, मगर हदीस मालूल है और आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा के ज़ाती फ़ेल की सूरत में महफ़ूज़ है और

(٣٤٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْصُرُ فِي السَّفَرِ وَيُتِمُّ، وَيَصُومُ وَيُفْطِرُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرُوَاتُه ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مَعْلُولٌ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ فِعْلِهَا، وَقَالَتْ: إِنَّهُ لَا يَشُقُّ عَلَيَّ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया कि "रोज़ा मुझ पर गिराँ नहीं" (बैहक़ी ने इस को रिवायत किया है)

343. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला को यह उसी तरह पसन्द है कि जिन कामों में उस ने छूट दी है उन में छूट पर अमल किया जाये, जिस तरह उसे यह नापसन्द है कि मासीयत वाले कामों को किया जाये" (इसे अहमद ने रिवायत किया है, इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) और एक रिवायत में है कि "जैसा अल्लाह तआला को पसन्द है कि उस के ताकीदी अहकाम (फ़रायेज़) को अदा किया जाये।"

(٣٤٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَفِي رِوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ».

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि सफ़र में नमाज़ क़स्र करके पढ़ना बेहतर है।

344. अनस ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ जब तीन मील या तीन फ़रसख़ की दूरी पर, सफ़र के लिये तशरीफ़ ले जाते तो दो रकअतें (नमाज़ क़स्र) पढ़ते थे। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(٣٤٤) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

345. उन्हीं (अनस ﷺ) से रिवायत है कि हम ने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ निकल कर मदीना से मक्का तक का सफ़र किया, आप ﷺ मदीना वापसी तक दो दो रकअतें ही पढ़ते रहे। (बुख़ारी, मुस्लिम, अलबत्ता हदीस के मतन के अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं)

(٣٤٥) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि जब एक आदमी अपने घर से सफ़र की नीयत से निकल पड़े तो वह मुसाफ़िर की तारीफ़ में आ जाता है, हुदूद शहर यानी मौजूदा इस्तेलाह में मीवंसपिलटी (बलदिया) के हुदूद से निकलने के बाद चाहे वह एक मील का सफ़र तय किया हो नमाज़ क़स्र पढ़ना शुरु कर सकता है और वापसी तक वह क़स्र नमाज़ पढ़ सकता है।

346. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ ने 19 दिन क़ियाम फ़रमाया, आप ﷺ क़स्र ही फ़रमाते रहे और एक रिवायत में है कि मक्का में 19 दिन क़ियाम फ़रमाया। (बुख़ारी) और अबू दाउद की रिवायत में 17 दिन है, और एक दूसरी रिवायत में 15 दिन है।

(٣٤٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً يَقْصُرُ وَفِي لَفْظٍ: «بِمَكَّةَ، تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْماً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ: «سَبْعَ عَشْرَةَ». وَفِي أُخْرَى: «خَمْسَ عَشْرَةَ».

और अबू दाउद में ही इमरान बिन हुसैन ؓ से रिवायत है कि आप ﷺ के क़ियाम की मुद्दत 18 दिन थी और उसी में जाबिर ؓ का क़ौल है कि आप ﷺ ने तबूक में 20 दिन क़ियाम फ़रमाया और नमाज़ क़स्र पढ़ते रहे, इस रिवायत के रावी सिक़ा हैं मगर इस के मौसूल होने में इख़्तिलाफ़ है।

وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «ثَمَانِيَ عَشْرَةَ». وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْماً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ.

फ़ायेदा:

इस बारे में राजिह मसलक वही है जिसे तीनों इमाम, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल रहेमहुमुल्लाह ने इख़्तियार किया है कि जो आदमी दाख़िल और ख़ारिज होने के दिनों को छोड़ कर सिर्फ़ चार दिन क़ियाम का इरादा रखता हो उसे पूरी नमाज़ पढ़नी चाहिये। अलबत्ता तरद्दुद और तज़ब्ज़ुब की हालत में क़स्र की मुद्दत मुक़र्रर नही हैं बल्कि जब तक ज़रूरत का तक़ाज़ा हो उतनी मुद्दत तक क़स्र जायेज़ है।

347. अनस ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ जब सूरज ढलने से पहले सफ़र की शुरूआत करते तो ज़ुहर की नमाज़ को असर की नमाज़ तक मुवख़्ख़र कर लेते थे, फिर सवारी से नीचे आते और ज़ुहर व असर दोनों नमाज़ों को एक साथ पढ़ते और जब सूरज सफ़र शुरु करने से पहले ढल जाता तो फिर नमाज़ ज़ुहर पढ़ कर सवार होकर सफ़र पर रवाना होते। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٣٤٧) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

और हाकिम की अरबईन में सनद सहीह है कि आप ﷺ ने ज़ुहर और असर की नमाज़ें पढ़ीं फिर सवारी पर सवार हुये।

وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي الأَرْبَعِينَ بِالإِسْنَادِ الصَّحِيحِ: صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

और अबू नुऐम की "मुसतख़रज" में है कि जब आप ﷺ सफ़र में होते और सूरज ढल जाता तो आप ज़ुहर और असर दोनों एक साथ पढ़ कर वहाँ से रवाना होते।

وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، ثُمَّ ارْتَحَلَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से सफ़र में ज़ुहर व असर और मग़रिब व इशा को जमा करके पढ़ना जायेज़ साबित होता है, इस में जमा तक़दीम हो या जमा ताख़ीर दोनों तरह साबित है।

348. मुआज़ बिन जबल ؓ से रिवायत है कि हम जंगे तबूक के मौक़ा पर रसूलुल्लाह ﷺ के साथ निकले तो आप ﷺ ज़ुहर और असर की नमाज़े इकट्ठी पढ़ते और मग़रिब व इशा इकट्ठी पढ़ते थे। (मुस्लिम)

(٣٤٨) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعاً، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

349. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "चार बुर्द (48 मील) से कम फ़ासला पर नमाज़ क़स्र न करो, चार बुर्द मक्का से उस्फ़ान तक का फ़ासला है। (इसे दार क़ुतनी ने कमज़ोर (ज़ईफ़) सनद से रिवायत किया है और सहीह यह है कि यह रिवायत मौक़ूफ़ है, इब्ने ख़ुज़ैमा ने भी इसी तरह रिवायत किया है)

(٣٤٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ، مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَانَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ، كَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

350. जाबिर ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग वह हैं जो बुराईयाँ करके बख़्शिश के तलबगार होते हैं और जब सफ़र पर होते हैं तो नमाज़ क़स्र का एहतेमाम करते हैं और रोज़ा नहीं रखते" (इसे तबरानी ने कमज़ोर (ज़ईफ़) सनद के साथ अपनी औसत में रिवायत किया है और यह बैहक़ी के यहाँ मुख़तसर तौर पर सईद बिन मुसय्यब की मरासील से है)

(٣٥٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ أُمَّتِي الَّذِينَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا». أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَهُوَ فِي مَرَاسِيلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ مُخْتَصَراً.

351. इमरान बिन हुसैन रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मुझे बवासीर का मर्ज़ था, उस सूरत में मैंने नबी ﷺ से नमाज़ पढ़ने के बारे में पूछा, तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "खड़े होकर पढ़ो, अगर खड़े होकर न पढ़ सको तो फिर बैठ कर पढ़ो और उस की भी ताक़त व इसतेताअत न हो तो फिर पहलू के बल लेट कर पढ़ लो" (बुख़ारी)

(٣٥١) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِماً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

352. जाबिर ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने एक बीमार की इयादत फ़रमाई तो देखा कि वह तकिया पर नमाज़ पढ़ रहा है, आप ﷺ ने वह तकिया दूर फेंक दिया और फ़रमाया: "ज़मीन पर नमाज़ पढ़ो, अगर तुम्हारे बस में है वर्ना सर के इशारा से पढ़ लो, हाँ अपने सज्दों के लिये रुकूअ के मुक़ाबिले में ज़रा नीचे झुको" (बैहक़ी ने इसे रिवायत किया है और अबू हातिम ने इस के मौक़ूफ़ होने को सहीह कहा है)

(٣٥٢) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: عَادَ النَّبِيُّ ﷺ مَرِيضاً، فَرَآه يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ فَرَمَى بِهَا، وَقَالَ: «صَلِّ عَلَى الأَرْضِ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَ أَبُو حَاتِمٍ وَقْفَهُ.

353. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा का बयान है कि मैंने नबी ﷺ को चार ज़ानू होकर नमाज़ पढ़ते देखा है। (इसे नसाई ने रिवायत किया है और हाकिम ने इस को सहीह कहा है)

(٣٥٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْها قالت: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي مُتَرَبِّعاً. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

12. जुमा की नमाज़ का बयान

١٢ - بَابُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ

354. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा और अबू हुरैरा ﷺ (दोनों) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को मिम्बर की सीढ़ियों पर ये फ़रमाते सुना है कि "लोग जुमा की नमाज़ को छोड़ने से बाज़ आ जाये वर्ना अल्लाह तआला उन के दिलों पर मुहर लगा देगा, फिर वह यक़ीनन ग़ाफ़िल लोगों में शुमार होंगे" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(٣٥٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما، أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

जुमा के लुग़वी माना एक जगह जमा होने के हैं जिसे जाहिलीयत के ज़माने में "अरूबा" कहते थे, इस्लाम ने उस का नाम जुमा रखा कि मुसलमान एक ख़ास दिन में ख़ास वक़्त में अल्लाह की इबादत के लिये जमा हों और मिलकर सब इकट्ठे इबादत करें और एक दूसरे के हालात से बाख़बर भी हों और इजतेमाई फ़ैसले भी किये जा सकें।

इस हदीस से जुमा की फ़रज़ीयत साबित होती है, उसे बग़ैर किसी शरई उज़्र के छोड़ने पर दिलों पर मुहरें लग जाती हैं और आदमी दीन से बेबहरा हो जाता है, आख़िरकार मुनाफ़िक़ीन व ग़ाफ़िलीन के ज़ुमरा में शामिल हो कर रह जाता है।

355. सलमा बिन अकवअ ﷺ से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह ﷺ के साथ जुमा पढ़ते थे, जुमा से फ़ारिग़ होकर जब हम अपने घरों को जाते तो उस वक़्त दीवारों का साया नहीं होता था कि हम साये में बैठ कर आराम कर लेते (या साया में चल कर घर पहुँच जाते। (बुख़ारी, मुस्लिम, हदीस के अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं)

(٣٥٥) وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ ظِلٌّ نَسْتَظِلُّ بِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि आप ﷺ के साथ जुमा की नमाज़ पढ़ते जब सूरज ढल जाता फिर साया तलाश करते हुए वापस होते।

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ، نَتَتَبَّعُ الفَيْءَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि नबी करीम ﷺ के ज़माने में नमाज़ जुमा बहुत जल्द अदा की जाती थी, इस से यह भी मालूम हुआ कि नमाज़ जुमा सूरज ढलने से पहले नहीं होता था।

356. सहल बिन साद ؓ से रिवायत है कि (जुमा के दिन) हम दोपहर का क़ैलूला और खाना नमाज़ जुमा के बाद करते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम, हदीस के अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं) और एक रिवायत में है "यह रसूलुल्लाह ﷺ के अहद मुबारक में था।"

(٣٥٦) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

357. जाबिर ؓ का बयान है कि नबी ﷺ जुमा का ख़ुतबा खड़े होकर इरशाद फ़रमा रहे थे कि शाम से एक तिजारती क़ाफ़िला आ गया, सब लोग उस क़ाफ़िला की तरफ़ चले गये सिर्फ़ बारह आदमी ख़ुतबा सुनने के लिये रह गये। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(٣٥٧) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि रसूलुल्लाह ﷺ ख़ुतबा खड़े होकर दिया करते थे, मसनून यही है और ख़ुतबा नमाज़ से पहले होता था नमाज़ के बाद नहीं।

358. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने जुमा की नमाज़ और दूसरी नमाज़ों में से किसी की एक रकअत (जमाअत के साथ) पा ली तो वह दूसरी उस के साथ मिला ले, तो बस उस की नमाज़ पूरी हो गई" (इसे नसाई, इब्ने माजा और दार कुतनी ने रिवायत किया है, यह अलफ़ाज़ दार कुतनी के हैं, इस की सनद सहीह है लेकिन अबू हातिम ने इस के मुरसल होने को मज़बूत (क़वी) कहा है)

(٣٥٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हो रहा है कि जुमा की एक रकअत पा लेने वाला दूसरी रकअत साथ मिला कर दूसरी रकअत पूरी कर ले। ज़ाहिर है जो आदमी एक रकअत ही पा सकेगा उस का ख़ुतबा जुमा तो फ़ौत होगा मगर उस का जुमा सहीह होगा।

359. जाबिर बिन समुरा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ खड़े होकर जुमा का ख़ुतबा इरशाद फ़रमाते फिर बीच में थोड़ा सा बैठ जाते, फिर खड़े होकर ख़िताब फ़रमाते, पस जिस किसी ने तुम्हें ये ख़बर दी कि आप ﷺ बैठ कर ख़ुतबा इरशाद फ़रमाते थे उस ने झूठ बोला। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(٣٥٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِماً، يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِماً، فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِساً فَقَدْ كَذَبَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

360. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ जब ख़ुतबा इरशाद फ़रमाते तो आँखें सुर्ख़ हो जातीं, आवाज़ बुलन्द हो जाती और जोश बढ़ जाता (जिस से गुस्सा के आसार नुमायाँ होते, बस उसी तरह की कैफ़ियत हो जाती) जैसे किसी लश्कर को डाँट रहे हैं कि "दुश्मन का लश्कर सुब्ह को पहुँचा या शाम को पहुँचा" और फ़रमाते "हम्द व सलात के बाद? बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है और बेहतरीन तरीक़ा मुहम्मद ﷺ का तरीक़ा है, कामों में बदतरीन काम नये काम है (बिदअत के काम) और हर बिदअत गुमराही व ज़लालत है" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(٣٦٠) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ ٱحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

और मुस्लिम की एक रिवायत में है जुमा के दिन नबी ﷺ का ख़ुतबा (यूँ) होता था कि अल्लाह की हम्द और अल्लाह की सना बयान करते फिर उस के बाद (ख़ुतबा) फ़रमाते तो आप ﷺ की आवाज़ बुलन्द होती।

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الجُمُعَةِ: يَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ.

और मुस्लिम की एक रिवायत यह है "जिसे अल्लाह राहे हिदायत दिखा दे या जिसे राहे हिदायत पर गामज़न कर दे उसे फिर कोई गुमराह करने वाला नहीं, जिसे वह गुमराह कर दे फिर उसे राहे हिदायत दिखाने और चलाने वाला कोई नहीं" और नसाई में है "हर गुमराही का अन्जाम आग में दाख़िला का मूजिब है।"

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ». وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ».

फ़ायेदा:

यह वह ख़ुतबा मसनूना है जो रसूल करीम ﷺ की ज़ुबान मुबारक से साबित है।

361. अम्मार बिन यासिर ﷺ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते सुना है : "आदमी की नमाज़ लम्बी और ख़ुतबा मुख़्तसर उस की फ़ुक़ाहत की निशानी है" (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(٣٦١) وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में ख़तीब की अक़्लमन्दी की अलामत बयान हुयी है कि उस की नमाज़ लम्बी और ख़ुतबा छोटा होता है। मुख़्तसर बात याद रखनी, ज़ेहन नशीन करनी आसान होती है, नबी करीम ﷺ के ख़ुतबाते जुमा आम तौर पर मुख़्तसर मगर जामिअ होते थे जिन्हें याद रखना या हिफ़्ज़ करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता था।

362. उम्मे हिशाम बिन्ते हारिसा रज़ि अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैंने सूरह क़ाफ़ नबी ﷺ की ज़ुबान से सुन सुन कर याद कर लिया, आप ﷺ हर जुमा इस सूरह को मिम्बर पर खड़े होकर ख़ुतबा जुमा में तिलावत फ़रमाते थे। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

(٣٦٢) وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ ﴿قٓ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ﴾ إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि जुमा के ख़ुतबे में सामिईन को क़ुरआन मजीद सुनाना और समझाना चाहिये।

363. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने

(٣٦٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

फ़रमाया: "जिस आदमी ने जुमा के दिन उस वक़्त बात की जब इमाम मिम्बर पर खड़ा जुमा का ख़ुतबा दे रहा हो तो वह आदमी उस गदहे की तरह है जिस ने किताबे उठाई हुई हैं और उस का भी जुमा नहीं जिस ने उसे कहा कि ख़ामोश रह। (इसे अहमद ने ऐसी सनद से रिवायत किया जिस के बारे में "ला बास बिही" कहा गया है)

«مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإمَامُ يَخْطُبُ، فَهُوَ كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

और यह हदीस अबू हुरैरा ﷺ से मरवी हदीस की तफ़सीर करती है जो सहीहैन में मन्कूल है "जब तुम ने अपने साथी से जुमा के दिन कहा कि चुप रह और इमाम उस वक़्त ख़ुतबा जुमा दे रहा हो तो तुम ने भी लग़व बात की या अपना जुमा लग़व कर दिया"

وَهُوَ يُفَسِّرُ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَرْفُوعاً: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالإمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि जुमा का ख़ुतबा नमाज़ियों को पूरे सुकून व इतमेनान से पूरी तवज्जुह और ग़ौर से सुनना चाहिये, किसी तरह की ग़लत हरकत नहीं करनी चाहिये, यहाँ तक कि अगर कोई आदमी बोलने और गुफ़्तगू करने की बेवकूफ़ी भी करता है तो उसे भी मना नहीं करना चाहिये, पूरा ध्यान ख़ुतबा की तरफ़ हो।

364. जाबिर ﷺ का बयान है कि जुमा के दिन एक आदमी मस्जिद में दाख़िल हुआ, नबी ﷺ उस वक़्त ख़ुतबा दे रहे थे, आप ﷺ ने आने वाले से पूछा, नमाज़ पढ़ी है? वह बोला नहीं, आप ﷺ ने फ़रमाया तो फिर उठो और दो रकअत नमाज़ पढ़ो। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٣٦٤) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ: «صَلَّيْتَ»؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

मालूम हुआ कि ख़ुतबा जुमा के दौरान भी दो रकअत नमाज़ पढ़ी जा सकती है और इस में ख़ुतबा सुनने के आम हुक्म की तख़सीस है।

365. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ आम तौर से जुमा की नमाज़ में सूरह जुमा और सूरह मुनाफ़िक़ीन

(٣٦٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ وَالمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

पढ़ा करते थे। (मुस्लिम ने इसे रिवायत किया है)

وله عن النعمان بن بشير كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ«سبح اسم ربك الأعلى» «وهل أتاك حديث الغاشية».

और मुस्लिम ही की रिवायत में है, जिस के रावी नोमान बिन बशीर ﷺ हैं आप ﷺ ईद की नमाज़ और जुमा की नमाज़ में सूरह आला और सूरह ग़ाशिया पढ़ते थे।

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि कुछ नमाज़ों में आप ﷺ आम तौर से ख़ास सूरतें तिलावत फ़रमाया करते थे। आप ﷺ के उसवा की पैरवी में वही सूरतें उन नमाज़ो में पढ़नी चाहियें, इस का यह मतलब नहीं कि इन सूरतों के अलावा दूसरी सूरतें पढ़नी ममनूअ हैं।

(٣٦٦) وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي ﷺ العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: «من شاء أن يصلي فليصل». رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه ابن خزيمة.

366. ज़ैद बिन अरक़म ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने ईद की नमाज़ पढ़ी और जुमा के बारे में छूट व इजाज़त दे दी और फ़रमाया: "जो पढ़ना चाहे पढ़ ले" (इसे पाँचो ने रिवायत किया है, सिवाय तिर्मिज़ी के और इब्ने ख़ुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि अगर एक ही दिन में जुमा और ईद आ जायं तो आप ﷺ ने ईद की नमाज़ अदा फ़रमाई और जुमा को हर आदमी की सवाबदीद पर छोड़ दिया, अबू दाउद में अबू हुरैरा ﷺ की रिवायत में है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "इस दिन दो ईदों का इजतेमा हो गया है, जो चाहे ईद की नमाज़ को काफ़ी समझ ले, अलबत्ता हम जुमा ज़रूर अदा करेंगे" इस में यह दलील है कि अगर ईद के दिन जुमा हो तो ईद पढ़ने के बाद जुमा पढ़ना फ़र्ज़ नहीं रहता बल्कि ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी जा सकती है।

(٣٦٧) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا». رواه مسلم.

367. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई जुमा पढ़े तो उस के बाद चार रकअतें पढ़े" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि जुमा के बाद चार रकअतें पढ़नी चाहियें।

(٣٦٨) وعن السائب بن يزيد أن معاوية رضي الله تعالى عنه قال له: إذا

368. सायेब बिन यज़ीद रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि मुआविया ﷺ ने फ़रमाया:

صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

जब तुम जुमा की नमाज़ पढ़ो तो फिर दूसरी कोई नमाज़ उस के साथ न मिलाओ, यहाँ तक कि तुम से कोई बात कर ले या वहाँ से निकल जाये, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें इसी तरह हुक्म दिया था कि हम जुमा की नमाज़ के साथ दूसरी नमाज़ न मिलायें, यहाँ तक कि हम कोई बात न कर लें या वहाँ से निकल जायें। (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि जुमा की नमाज़ के बाद उसी जगह फ़ौरन खड़े होकर सुन्नतें नहीं पढ़नी चाहिये, यह हुक्म सिर्फ़ जुमा के साथ ही मख़सूस नहीं है बल्कि हर नमाज़ के नफ़्ल और फ़र्ज़ में फ़र्क़ जगह बदलने या बात कर लेने से करनी चाहिये ताकि नफ़्ल का फ़र्ज़ पर इश्तेबाह न हो।

(٣٦٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

369. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी ग़ुस्ल करके जुमा के लिये आये फिर नमाज़ पढ़े जितनी उस के लिये मुकद्दर हो, फिर ख़ामोशी से उस वक़्त तक बैठा रहे कि इमाम जुमा के ख़ुतबा से फ़ारिग़ हो, फिर इमाम के साथ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े तो उस के दोनों जुमों के बीच के गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे, बल्कि तीन दिन के और भी" (मुस्लिम)

(٣٧٠) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ». وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ».

370. उन्ही (अबू हुरैरा ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक दिन जुमा का ज़िक्र किया कि इस में एक ऐसी घड़ी है जो बन्दा मुस्लिम उस घड़ी में नमाज़ पढ़ते हुये अल्लाह तआला से किसी चीज़ का सवाल करे तो अल्लाह तआला उसे ज़रूर देता है, और आप ﷺ ने अपने मुबारक हाथ से इशारा किया कि वह वक़्त बहुत थोड़ा सा है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

और मुस्लिम की रिवायत में है कि वह वक़्त थोड़ा सा होता है।

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि जुमा के दिन एक ख़ास वक़्त ऐसा है जिस में बन्दे की हर दुआ क़बूल होती है।

(٣٧١) وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّه مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ.

371. अबू बुर्दा ؓ ने अपने बाप से बयान किया है कि उन के बाप ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते हुये सुना: "वह घड़ी इमाम के मिम्बर पर बैठने के वक़्त से लेकर जमाअत के ख़त्म होने तक के बीच में है" (मुस्लिम) और दार क़ुतनी ने तो इस को तरजीह दी है कि यह अबू बुर्दा ؓ का क़ौल है।

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ، وَجَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.

और अब्दुल्लाह बिन सलाम ؓ से इब्ने माजा ने और जाबिर ؓ से अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है कि वह घड़ी नमाज़े अस्र से सूरज डूबने तक के बीच के वक़्त में है।

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ قَوْلاً أَمْلَيْتُهَا فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ.

इस में कई उलमा के चालीस अक़्वाल हैं, मैंने इन सब को फ़तहुल बारी शरह बुख़ारी में लिख दिया है।

(٣٧٢) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَصَاعِداً جُمُعَةً. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

372. जाबिर ؓ से रिवायत है कि सुन्नत तरीक़ा यह जारी रहा है कि चालीस या उससे कुछ ज़्यादा की तादाद पर जुमा है। (इसे दार क़ुतनी ने कमज़ोर सनद से रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

जुमा की नमाज़ के लिये नमाज़ियों की तादाद के बारे में किसी सहीह हदीस में कोई ज़िक्र नहीं, इसलिये उलमा के इस बारे में कई अक़्वाल हैं।

(٣٧٣) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ.

373. समुरा बिन जुन्दुब ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ हर जुमा को मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिये बख़्शिश की दुआ

फ़रमाया करते थे। (इसे बज़्ज़ार ने कमज़ोर सनद से रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि ख़तीब को जुमा में अपने लिये और दूसरे मुसलमान मर्दों और औरतों के लिये बख़्शिश की दुआ करना मसनून व मशरूअ है।

374. जाबिर बिन समुरा ﷛ से रिवायत है कि नबी ﷺ कुरआन मजीद की कुछ आयात जुमा के ख़ुतबे में तिलावत फ़रमा कर लोगों को नसीहत फ़रमाते थे। (अबू दाउद ने इसे रिवायत है, और इस की असल मुस्लिम में है)

(٣٧٤) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي الْخُطْبَةِ يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ، يُذَكِّرُ النَّاسَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि जुमा के ख़ुतबे में कुरआन मजीद की आयत पढ़नी मसनून है, ख़तीब को इन आयात के ज़रिये दुनिया से बेरग़बती और आख़िरत की तरग़ीब, अख़लाक व किरदार की दुरुस्तगी की तरफ़ तवज्जुह दिलानी चाहिये।

375. तारिक़ बिन शहाब ﷛ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जुमा को बाजमाअत पढ़ना हर मुस्लिम पर वाजिब है मगर चार तरह के लोग इस से मुस्तसना हैं ग़ुलाम, औरत, बच्चा और बीमार। (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और साथ ही यह भी कहा है कि तारिक़ ने बराहे रास्त नबी ﷺ से नही सुना, तारिक़ की यही रिवायत हाकिम ने अबू मूसा के हवाले से ज़िक्र की है)

(٣٧٥) وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ، إِلَّا أَرْبَعَةً: مَمْلُوكٌ، وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيضٌ» رواه أبو داود وقال: لَمْ يَسْمَعْ طَارِقٌ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ طَارِقٍ الْمَذْكُورِ عَنْ أَبِي مُوسَى

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि ग़ुलाम, औरत, बच्चा और बीमार पर जुमा फ़र्ज़ नहीं, अगर पढ़ ले तो फिर उन को ज़ुहर नहीं पढ़नी पड़ेगी, वर्ना ज़ुहर पढ़ेंगे।

376. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "किसी मुसाफ़िर पर जुमा नहीं" (तबरानी ने इसे ज़ईफ़ सनद से रिवायत किया है)

(٣٧٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلٰى مُسَافِرٍ جُمُعَةٌ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मुसाफ़िर पर भी जुमा फ़र्ज़ नहीं, यह हदीस अगरचे सनद के एतेबार से कमज़ोर (ज़ईफ़) है मगर उस की ताईद उस से होती हे कि नबी ﷺ ने हज के दौरान जुमा नहीं पढ़ा। (सुबुलुस्सलाम)

377. अब्दुल्लाह बिन मसउद رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ जब मिम्बर पर खड़े हो जाते तो हम अपने रुख़ आप ﷺ की तरफ़ मोड़ लेते। (इसे तिर्मिज़ी ने कमज़ोर (ज़ईफ़) सनद से रिवायत किया है, इस का शाहिद इब्ने खुज़ैमा में मौजूद है)

(٣٧٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ، اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि सुनने वालों को अपना रुख़ ख़तीब की तरफ़ करना चाहिये, क़िब्ला की तरफ़ ज़रूरी नहीं, इस मसअला में किसी का कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है बल्कि इस पर इजमा है। (सुबुलुस्सलाम)

378. हकम बिन हज़्न رضي الله عنه से रिवायत है कि कि हम नबी ﷺ के साथ जुमा में हाज़िर थे, आप ﷺ लाठी या कमान का सहारा लेकर खड़े हुये। (अबू दाउद ने इसे रिवायत किया है)

(٣٧٨) وَعَنِ الْحَكَمِ بْنِ حَزْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: شَهِدْنَا الْجُمُعَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصاً أَوْ قَوْسٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह मालूम हुआ कि ख़तीब जुमा का ख़ुतबा देते वक़्त किसी चीज़ का सहारा ले सकता है, यह मुस्तहब है।

13. डर की नमाज़ का बयान

١٣ - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

379. सालिह बिन ख़व्वात رضي الله عنه ने ऐसे आदमी से रिवायत किया है जिस ने ज़ातुर-रिक़ा के दिन नबी ﷺ के साथ डर की नमाज़ पढ़ी थी, उस आदमी ने बयान किया कि एक गिरोह ने आप के साथ नमाज़ के लिये सफ़बन्दी की और एक दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबिला के लिये उस के सामने सफ़बन्द हो गया,

(٣٧٩) عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ ﷺ صَفَّتْ مَعَهُ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِماً، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَصَفُّوا وِجَاهَ

आप ﷺ ने इन लोगों को जो आप ﷺ के साथ सफ़ बाँध कर खड़े थे एक रकअत पढ़ायी और आप ﷺ सीधे खड़े रहे और उन्होंने अपने तौर पर बाक़ी नमाज़ पूरी कर ली और चले गये, जाकर दुश्मन के सामने सफ़बन्द हो गये, फिर दूसरा गिरोह आया, आप ﷺ ने उसे बाक़ी अपनी एक रकअत पढ़ायी और बैठे रहे, उन्होंने इस दौरान में अपने तौर पर नमाज़ पूरी कर ली फिर आप ﷺ ने उन के साथ सलाम फेरा। (बुख़ारी, मुस्लिम, मगर हदीस के अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं। इब्ने मन्दा की "अलमारिफ़ा" में है कि सालिह बिन ख़व्वात अपने बाप से बयान करते हैं)

الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. وَوَقَعَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِابْنِ مَنْدَهْ: عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ أَبِيهِ.

फ़ायेदा:

डर की नमाज़ कई तरीक़े से पढ़ी जाती है, जैसा मौक़ा और महल होता था उस की मुनासबत से नमाज़ पढ़ी गयी।

380. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि मैं नज्द की तरफ़ नबी ﷺ के साथ किसी ग़ज़वा में गया, हम दुश्मन के बिल्कुल सामने सफ़बस्ता थे कि रसूलुल्लाह ﷺ खड़े हुये और हमें नमाज़ पढ़ायी, एक जमाअत नमाज़ पढ़ने आप ﷺ के साथ खड़ी हो गई और एक जमाअत दुश्मन के सामने सफ़ बाँध कर खड़ी हो गई, जो जमाअत आप ﷺ के साथ नमाज़ में शरीक थी उस ने आप ﷺ के साथ एक रुकूअ और दो सज्दे किये और उस गिरोह की जगह वापस चली गई जिस ने अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी थी, उस जमाअत के लोग आये आप ﷺ ने उन को भी एक रकअत पढ़ायी दो सज्दों के साथ, फिर आप ﷺ ने सलाम फेर दिया मगर दोनों

(٣٨٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ، فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاءُوا، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

गिरोहों ने उठ कर अलग-अलग अपनी रकअत पूरी की। (बुख़ारी, मुस्लिम, हदीस के अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं)

फ़ायेदा:

इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के क़ौल के मुताबिक़ डर की नमाज़ के सिलसिले में छ या सात सहीह अहादीस भी साबित हैं, उन में से जिस के मुताबिक़ पढ़ी जाये जायेज़ है, कोई ख़ास तरीक़ा नहीं, हालात के मुताबिक़ जिस तौर पर पढ़ना मुमकिन हो पढ़ ली जाये।

(٣٨١) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ، صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ، وَكَبَّرْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَكَعَ، وَرَكَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَرَفَعْنَا جَمِيعاً، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ، وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ المُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ العَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى السُّجُودَ قَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.

381. जाबिर ﷺ से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह ﷺ के साथ डर की नमाज़ में हाज़िर था, हम ने दो सफ़ें बनायीं, एक सफ़ रसूलुल्लाह ﷺ के पीछे खड़ी हुई जबकि दुश्मन हमारे और क़िब्ला के बीच में था, रसूलुल्लाह ﷺ ने अल्लाहु अकबर कहा और हम सब ने भी अल्लाहु अकबर कहा, फिर आप ﷺ ने रुकूअ किया और हम सब ने भी रुकूअ किया, फिर आप ﷺ ने रुकूअ से सर उपर उठाया और हम सब ने भी अपने सर उठाये, फिर आप ﷺ सज्दे में गिर गये और आप ﷺ के साथ वाली सफ़ भी और दूसरी सफ़ दुश्मन के मुक़ाबिले के लिये खड़ी रही, जब आप ﷺ ने सज्दा पूरा कर लिया तो वह सफ़ जो आप ﷺ के क़रीब थी खड़ी हो गई, फिर रावी ने सारी हदीस बयान की।

وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ سَجَدَ، وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الأَوَّلُ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي، وَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ، وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلُهُ، وَزَادَ: إِنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ.

एक रिवायत में है कि फिर आप ﷺ ने सज्दा किया तो आप ﷺ के साथ पहली सफ़ ने भी सज्दा किया और जब यह सब खड़े हो गये तो दूसरी सफ़ सज्दे में चली गई और फिर पहली सफ़ पीछे हट गई और दूसरी सफ़ आगे आ गई और पहले की तरह ही ज़िक किया और आख़िर में नबी ﷺ ने सलाम फेरा और हम सब ने भी सलाम फेर दिया। (मुस्लिम)

وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضاً رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. وَمِثْلُهُ لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.

और अबू दाउद ने अबू अय्याश ज़ुरक़ी से उस तरह रिवायत की है लेकिन इस में यह इज़ाफ़ा है कि: "वह उसफ़ान मक़ाम पर (पढ़ी गई) थी।

और नसाई ने जाबिर ﷺ से एक दूसरी सनद के साथ रिवायत किया है कि नबी ﷺ ने अपने असहाब के एक गिरोह को दो रकअतें पढ़ायीं फिर सलाम फेर दिया, फिर एक दूसरे गिरोह को उसी तरह दो रकअत पढ़ा कर सलाम फेर दिया ! अबू दाउद में अबू बकरा ﷺ से इसी तरह की एक रिवायत है।

फ़ायेदा:

इस हदीस में डर की नमाज़ की एक और सूरत है, हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि डर की नमाज़ अक़्वाल के मुख़्तलिफ़ होने की वजह से मुख़्तलिफ़ तरीक़ों से पढ़ी गयी है।

(٣٨٢) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِهٰؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَهٰؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَمِثْلُهُ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا.

382. हुज़ैफ़ा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने उन को भी एक रकअत पढ़ायी और इन को भी एक ही रकअत, उन्होंने नमाज़ को पूरा नहीं किया। (इसे अहमद, अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है, इब्ने ख़ुज़ैमा ने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा के हवाले से भी इसी तरह की हदीस रिवायत की है)

फ़ायेदा:

यह दोनों अहादीस इस पर दलालत करती है कि डर की नमाज़ कम से कम एक रकअत है, सलफ़ में से एक गिरोह इस नज़रिये का क़ायेल है। मगर जुमहूर उलमा और चारों इमाम कहते हैं कि रकआत की तादाद में डर की कोई तासीर नहीं।

इन हज़रात ने पहली अहादीस की बहुत दूर की तावीलात की हैं, मगर हदीस के अलफ़ाज़ उन की तरदीद करते हैं, जुमहूर कहते हैं जिस हदीस में एक रकअत का ज़िक्र है उस का माने यह है कि उन्होंने दोनों रकअतें इमाम के साथ पूरी नहीं कीं बल्कि एक रकअत अकेले-अकेले पढ़ी और दो पूरी कर लीं।

(٣٨٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى

383. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "डर की नमाज़ एक रकअत ही है, जिस तरह भी अदा हो जाये" (इसे बज़्ज़ार ने कमज़ोर सनद से रिवायत किया है)

عَنْهُمَا قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الخَوْفِ رَكْعَةٌ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ». رَوَاهُ البَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से कुछ हज़रात इमाम और मुक़्तदी दोनों के लिये एक ही रकअत के क़ायेल हैं, इसलिए सुफ़ियान इसी के क़ायेल हैं मगर यह हदीस कमज़ोर (ज़ईफ़) है।

384. उन्हीं (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से मरफ़ूअन मरवी है कि डर की नमाज़ में सज्दा सहव नहीं। (इसे दार क़ुतनी ने कमज़ोर (ज़ईफ़) सनद से बयान किया है)

(٣٨٤) وَعَنْهُ مَرْفُوعاً: لَيْسَ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ سَهْوٌ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

14. ईद की नमाज़ का बयान

١٤ - بَابُ صَلَاةِ العِيدَيْنِ

385. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस दिन लोग रोज़े पूरे करके आख़िरी इफ़्तार करते हैं उस दिन ईद है, और ईदुल-अज़्हा उस दिन है जिस दिन लोग कुर्बानियाँ करते हैं" (तिर्मिज़ी)

(٣٨٥) عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से पहली बात यह मालूम हुई कि अहले इस्लाम की सिर्फ़ दो ईदें हैं, ईदुल-फ़ित्र और ईदुल-अज़्हा। इन दोनों के अलावा तीसरी या चौथी किसी ईद का तसव्वुर और निशान इस्लाम में कहीं दूर-दूर तक भी नहीं पाया जाता, कुछ मुसलमानों ने जो और ईदें मानना शुरु कर रखी हैं उन की शरीयत इस्लामियाँ में कोई हैसियत नहीं है।

386. अबू उमैर बिन अनस رضی اللہ عنہ ने अपने एक चचा सहाबी से रिवायत किया है कि कुछ सवार आप ﷺ की ख़िदमत में आये और उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने कल शाम को चाँद देखा था, आप ﷺ ने हुक्म दिया कि "रोज़ा इफ़्तार कर दो और कल सुब्ह नमाज़े

(٣٨٦) وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْباً جَاءُوا، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. رَوَاهُ

ईद के लिये ईदगाह में आ जाओ" (इसे अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है यह अलफ़ाज़ अबू दाउद के हैं, इस की सनद सहीह है)

أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَهَذَا لَفْظُهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर उन्तीस रमज़ान को ऐसी जगह चाँद नज़र आ जाये जहाँ का मतला मुख़तलिफ़ न हो तो दूसरे दिन सहीह क़ाबिले एतबार ज़राये से ख़बर मिलने पर रोज़ा उसी वक़्त इफ़तार कर दिया जायेगा, अगर ज़वाल से पहले ख़बर मिली तो उसी दिन ईद की नमाज़ भी अदा कर ली जाये वर्ना दूसरे दिन ईद की नमाज़ अदा की जायेगी।

387. अनस ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ईद की नमाज़ के लिये निकलने से पहले कुछ खजूरें खाते थे और ताक़ (गिनती में) खजूर खाया करते थे। (इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है, एक मुअल्लक़ रिवायत में ऐसा है) और अहमद ने मौसूल रिवायत में ज़िक्र किया है कि आप ﷺ इन खजूरों को एक-एक करके खाते थे।

(٣٨٧) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ (يَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا). أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ - وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ -: (وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا).

फ़ायेदा:

इस हदीस से कई मसायेल साबित होते हैं। 1- ईद की नमाज़ के लिये बाहर जाना मसनून है। 2- ईद की नमाज़ के लिये जाने से पहले ताक़ (की गिनती में) खजूरें खानी चाहिये। 3- खजूरों को एक-एक करके खाना चाहिये।

388. इब्ने बुरैदा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह ﷺ ईद की नमाज़ के लिये कुछ न कुछ खाये बग़ैर न निकलते थे। अलबत्ता ईद कुरबान के दिन जब तक नमाज़ न पढ़ लेते कुछ न खाते थे। (इसे अहमद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(٣٨٨) وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

यह हदीस बताती है कि ईदुल-फ़ित्र के दिन नमाज़ से पहले कुछ खाना और ईद कुरबान के दिन बग़ैर कुछ खाये नमाज़ पढ़ना सुन्नते रसूलुल्लाह ﷺ है, इस हदीस से यह भी मालूम होता है कि

खाने में किसी ख़ास चीज़ की हिदायत नहीं है, अलबत्ता खजूरों और छुवारो को मसनून समझ कर खाये तो बेहतर है।

389. उम्मे अतिय्या रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हमें हुक्म दिया गया कि हम जवान लड़कियों और माहवारी वाली औरतों को भी ईदैन में साथ लेकर निकलें ताकि वह भी मुसलमानों के उमूर ख़ैर और दुआओं में शामिल हों। अलबत्ता माहवारी वाली औरतें ईदगाह के किनारे पर रहें, (नमाज़ में शामिल न हों सिर्फ़ दुआ में शिरकत करे)। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٣٨٩) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ العَوَاتِقَ والحُيَّضَ فِي العِيدَيْنِ، يَشْهَدْنَ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، وَتَعْتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

ईद की नमाज़ के लिये औरतों का घरों से निकल कर जाना इस हदीस से साबित है। इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं कि नबी करीम ﷺ ख़ुद अपनी अज़वाजे मुतह्हरात और बेटियों को ईदगाह में ले जाते थे, अबू बक, उमर और अली रज़ि अल्लाहु अन्हुम औरतों का ईद की नमाज़ में हाज़िर होना वाजिब समझते थे।

390. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ अबू बक और उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ईदैन की नमाज़ ख़ुतबा ईदैन से पहले पढ़ते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٣٩٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يُصَلُّونَ العِيدَيْنِ قَبْلَ الخُطْبَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि ईदैन में नमाज़ पहले पढ़ी जाये और ख़ुतबा बाद में। बनु उमय्या के ज़माने में मरवान वह पहला हुक्मरान है जिस ने नमाज़ से पहले ख़ुतबा पढ़ने की बिदअत की शुरूआत की, उसी वक़्त अबू सईद ख़ुदरी ؓ ने उस पर एहतेजाज किया और कहा कि तूने सुन्नत के ख़िलाफ़ किया है। (बुखारी, मुस्लिम)

391. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने ईद के दिन दो ही रकअतें पढ़ी, न पहले कुछ पढ़ा और न बाद में कोई नमाज़ पढ़ी। (इसे सातों अहमद, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है)

(٣٩١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى يَوْمَ العِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُما وَلَا بَعْدَهُمَا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि ईदगाह में सिवाय दो रकअत नमाज़ के और कोई नमाज़ पहले या बाद में पढ़ना नबी ﷺ से साबित नहीं, अलबत्ता वापस जब घर आते दो रकअतें पढ़ते थे।

392. उन्हीं (इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि नबी ﷺ ने ईद की नमाज़ बिला अज़ान व इक़ामत पढ़ी। (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इस की असल बुख़ारी में है)

(٣٩٢) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى العِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि ईद की नमाज़ बग़ैर अज़ान व इक़ामत के अदा की जायेगी, बल्कि ईदैन के लिये अज़ान व इक़ामत को बिदअत कहा गया है, अज़ान व इक़ामत के क़ायेम मक़ाम कोई दूसरी सूरत भी ग़ैर मसनून है।

393. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से मरवी है उन्होंने बयान किया कि नबी करीम ﷺ ईद की नमाज़ से पहले कोई नमाज़ नही पढ़ते थे, अलबत्ता जब वापस घर जाते तो दो रकअत नमाज़े नफ़्ल पढ़ते थे। (इसे इब्ने माजा ने हसन सनद के साथ रिवायत किया है)

(٣٩٣) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئاً، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

394. उन्हीं (अबू सईद ख़ुदरी ﷺ) ही से रिवायत है कि नबी ﷺ ईदुल फ़ित्र और ईद क़ुरबान के लिये ईदगाह की तरफ़ तशरीफ़ ले जाते और पहली चीज़ जिस का आप ﷺ आग़ाज़ फ़रमाते वह नमाज़ होती, नमाज़ पढ़ने के बाद रुख़ फेर कर लोगों की तरफ़ खड़े होते लोग उस वक़्त अपनी सफ़ो में बैठे रहते और आप ﷺ उनको वाज़ व नसीहत फ़रमाते और नेकी का हुक्म करते। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٣٩٤) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى المُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ - وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ - فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से क़ुई बातें सबित होती हैं 1- ईदैन की नमाज़ से पहले कोई अमल आप ﷺ से साबित नहीं। 2- ख़ुतबा नमाज़ के बाद होना चाहिये। 3- ख़तीब का रुख़ सुनने वालों की तरफ़ होना चाहिये। 4- ख़ुतबा खड़े होकर देना चाहिये और ख़तीव को अपने ख़िताव में वाज़ व नसीहत

करना चाहिये, इधर-उधर के बेफ़ायदा क़िस्से कहानियाँ बयान नहीं करना चाहियें। 5- सामेईन को अपनी सफ़ों में बैठे रहना चाहिये और रुख़ इमाम की तरफ़ होना चाहिये। 6- ईद की नमाज़ मस्जिद में नहीं बल्कि ईदगाह में पढ़नी मसनून है, आजकल बिला उज़्र मस्जिदों में पढ़ने का आम रिवाज हो गया है जो बहरहाल ख़त्म होना चाहिये। 7- नबी ﷺ ने ईद के ख़ुतबे में मिम्बर इस्तेमाल नहीं फ़रमाया।

(٣٩٥) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «التَّكْبِيرُ فِي الفِطْرِ سَبْعٌ فِي الأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الأُخْرَى، وَالقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ عَنِ البُخَارِيِّ تَصْحِيحَهُ.

395. अम्र बिन शुऐब अपने बाप और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "ईदुल फ़ित्र की नमाज़ की पहली रकअत में सात तकबीरें और दूसरी में पाँच हैं, दोनों रकअतों में क़िराअत तकबीरात के बाद है।" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह से इस की सिहत नक़ल की है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि ईदैन की बारह तकबीरें ज़्यादा हैं।

(٣٩٦) وَعَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الأَضْحَى وَالفِطْرِ بِـ «ق، وَاقْتَرَبَتْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

396. अबू वाक़िद लैसी ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ईदुल अज़हा और ईदुल फ़ित्र की नमाज़ में सूरह क़ाफ़ और सूरह इक़्तरबत अससाआ तिलावत फ़रमाते थे। (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

ईदैन की नमाज़ों में इन सूरतों को पढ़ना मसनून है, दूसरी सूरतें पढ़ना भी जायेज़ है।

(٣٩٧) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ العِيدِ خَالَفَ الطَّرِيقَ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ.

397. जाबिर ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ईद के दिन ईदगाह के लिये जाने और वापसी के लिये रास्ता बदल देते थे। (इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है और अबू दाउद में इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से भी इसी तरह रिवायत है)

(٣٩٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَقَالَ: قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْراً مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى،

398. अनस ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ मदीना में तशरीफ़ लाये तो अहले मदीना के दो दिन खेल-कूद के लिये मुक़र्रर थे, आप ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह

तआला ने तुम्हारे इन दिनों के बदला में इन से बेहतर दो दिन इनायत फ़रमा दिये हैं, एक ईदुल अज़्हा का और दूसरा ईदुल फ़ित्र का" (इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है इस की सनद सहीह है)

وَيَوْمَ الفِطْرِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि ईदैन के दिन खेलना-कूदना ख़ुशी का इज़्हार करना जायेज़ है, अलबत्ता मुश्रिकों और काफ़िरों की ईदों पर ख़ुशी और मुसर्रत का इज़्हार करना मकरूह है, कुछ लोगों के क़ौल के मुताबिक़ हराम है।

399. अली ﷺ से रिवायत है कि ईदगाह की ओर पैदल चल कर जाना सुन्नत है। (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और हसन कहा है)

(٣٩٩) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى العِيدِ مَاشِياً. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

400. अबू हुरैरा ﷺ ने बताया कि एक मौक़ा पर ईद के दिन मुसलमानों को बारिश ने आ लिया तो नबी ﷺ ने उन्हें ईद की नमाज़ मस्जिद में पढ़ायी। (इसे अबू दाउद ने कमज़ोर सनद से रिवायत किया है)

(٤٠٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةَ العِيدِ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ لَيِّنٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि बिला माकूल शरई उज़्र की वजह से मस्जिद में ईद की नमाज़ पढ़ी जा सकती है।

15. नमाज़े कुसूफ़ (ग्रहण) का बयान

١٥ - بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ

401. मुग़ीरा बिन शोबा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ के ज़माने में जिस दिन इब्राहीम की वफ़ात हुई उस दिन सूरज ग्रहण लगा, लोगों ने कहा कि सूरज ग्रहण इब्राहीम की वफ़ात की वजह से लगा है, जिस पर रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

"सूरज और चाँद अल्लाह की निशानियों में से

(٤٠١) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا

يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا، حَتَّى تَنْكَشِفَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «حَتَّى تَنْجَلِيَ».

दो निशानियाँ हैं, उन को ग्रहण किसी की मौत व हयात की वजह से नही लगता, चुनाँचि जब तुम (उन को) इस हालत में देखो तो अल्लाह तआला से दुआ करो और नमाज़ पढ़ो, यहाँ तक कि सूरज ग्रहण खुल जाये" (बुख़ारी, मुस्लिम) और बुख़ारी की एक रिवायत में है। "नमाज़ पढ़ते रहो यहाँ तक कि वह रौशन हो जाये।"

وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ: «فَصَلُّوا، وَادْعُوا، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ».

और बुख़ारी में अबू बकरा ﷺ की हदीस में है "नमाज़ पढ़ो, दुआ माँगो, यहाँ तक कि वह कैफ़ियत तुम्हारे सामने से दूर हो जाये।"

फ़ायेदा:

सूरज और चाँद का ग्रहण अल्लाह तआला की निशानियों में से दो बड़ी निशानियाँ हैं, अपनी क़ुदरत का इज़हार और बन्दों के ख़ौफ़ और डराने के लिये इतनी बड़ी मख़लूक़ को अल्लाह के हुज़ूर में मारने और जुंबिश करने की मजाल नहीं, न वह अपनी आज़ाद मर्ज़ी से निकल सकते हैं और न डूब सकते हैं, वह ज़ाब्तये ख़ुदावन्दी उन्हें जकड़े हुये हैं, इस ज़ाब्ता से ज़र्रा बरावर इन्हेराफ़ इन के बस में नहीं, जब इन की बेबसी का यह आलम है तो फिर यह फ़ायेदा और नुकसान के मालिक कैसे बन सकते हैं? यह दौरे जाहिलियत के नज़रिया और ख़्याल की तरदीद है, इस पर नमाज़ और दुआ मसनून है।

(٤٠٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَهَرَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فِي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِياً يُنَادِي «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ».

402 आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने ग्रहण की नमाज़ में क़िराअत बुलन्द आवाज़ से की और दो रकअतों में चार रुकूअ और चार ही सज्दे किये। (बुख़ारी, मुस्लिम और इस हदीस के अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं) और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि आप ﷺ ने मुनादी करने वाले को भेजा जो "अस्सलातु जामिआ" की मुनादी करता था।

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि नबी ﷺ ने नमाज़े कुसूफ़ में क़िराअत बुलन्द आवाज़ से फ़रमाई, अली ﷺ से भी एक मरफ़ूअ रिवायत बुलन्द आवाज़ से क़िरात की है, और यह भी मालूम हुआ कि ये नमाज़ आम नमाज़ों की तरह नहीं है बल्कि रुकूअ का इज़ाफ़ा है, इस रिवायत से आप ﷺ

एक रकअत में दो रूकूअ करते, ज़ाहिर है हर रुकूअ से उठ कर नये सिरे से क़िराअत की होगी, इस तरह क़िराअत का भी इज़ाफ़ा हुआ और इस का ख़ास वक़्त मुक़र्रर नहीं है, जब सूरज को ग्रहण होगा उसी वक़्त नमाज़ पढ़ी जायेगी।

403. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ, आप ﷺ ने नमाज़े कुसूफ़ पढ़ी, उस में सूरह बक़रा की तिलावत के बराबर क़ियाम किया, फिर रुकूअ भी बहुत लम्बा किया, फिर खड़े हुये तो क़ियाम भी लम्बा किया, मगर पहले क़ियाम से कम, फिर लम्बा रुकूअ किया लेकिन पहले रुकूअ से कम, फिर सज्दा किया (इस के बाद) फिर लम्बा क़ियाम किया और वह पहले क़ियाम से कुछ कम था, फिर एक लम्बा रुकूअ किया जो पहले रुकूअ से कुछ कम था, फिर (रुकूअ से) अपना सर मुबारक उठाया और एक लम्बा क़ियाम किया जो पहले क़ियाम से कुछ कम था, उस के बाद फिर एक और लम्बा रुकूअ किया जो पहले रुकूअ से कुछ कम (लम्बा) था, फिर अपना सर मुबारक (रुकूअ से) उठाया, फिर सज्दा किया, फिर आख़िरकार सलाम फेर दिया तो (उस दौरान) सूरज रौशन हो चुका था, फिर आप ﷺ ने लोगों को वाज़ भी किया। (बुख़ारी, मुस्लिम, और अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं)

(٤٠٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً نَحْواً مِّنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَاماً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعاً طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

मुस्लिम की एक रिवायत में है कि आप ﷺ ने सूरज ग्रहण के मौक़ा पर आठ रुकूअ चार सज्दो के दरमियान अदा किये।

وَفِي رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ: صَلَّى حِينَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

अली ﷺ से भी इसी तरह रिवायत है।

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ.

और मुस्लिम ही की एक रिवायत जाबिर ﷺ से यूँ भी है कि आप ﷺ ने छ रुकूअ चार सज्दों के साथ अदा किये है।

وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ: صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: صَلَّى، فَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ.

और अबू दाउद में उबैई बिन काब ﷺ से रिवायत है कि आप ﷺ ने नमाज़े कुसूफ़ पढ़ी और पाँच रुकूअ और दो सज्दे पहली रकअत में किये, इसी तरह दूसरी रकअत में किया।

फ़ायेदा:

रुकूअ की तादाद की रिवायात मुख़तलिफ़ है।

(٤٠٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: مَا هَبَّتِ الرِّيحُ قَطُّ، إِلَّا جَثَا النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً، وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَاباً». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ.

404. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि जब हवा तेज़ व तुन्द चलती तो नबी करीम ﷺ अपने घुटनों के बल बैठ कर यूँ (बारगाहे इलाही में) अर्ज़ करते, ऐ इलाही! इस हवा को रहमत बना अज़ाब न बना। (इसे शाफई और तबरानी दोनों ने रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि आँधी के वक़्त अल्लाह तआला से दुआ करनी चाहिये कि ऐ अल्लाह! इसे हमारे लिये बाइसे रहमत बना बाइसे अज़ाब न बना। एक दूसरी हदीस में "रीह" के बजाय "रियाह" का लफ़्ज़ भी आया है कि या इलाही! इस तेज़ व तुन्द आँधी को रियाह बना दे और रीह न बना, क्योंकि कुरआन के बयान से रियाह का लफ़्ज़ रहमत के लिये है और रीह का लफ़्ज़ अज़ाब के लिये, माने के एतेबार से कोई फ़र्क़ नहीं, दोनों का माना एक है।

(٤٠٥) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ ﷺ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الآيَاتِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلَهُ، دُونَ آخِرِهِ.

405. (उन्हीं) इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ही से यह हदीस भी रिवायत है कि उन्होंने ज़लज़ले के मौक़ा पर नमाज़ चार सज्दों और छ रुकूओं से पढ़ी और फ़रमाया कि आयाते इलाही की नमाज़ इसी तरह पढ़ी जाती है। (इसे बैहक़ी ने रिवायत किया है और शाफई ने अली ﷺ के वास्ते से इसी तरह रिवायत ज़िक्र की है, अलबत्ता इस में रिवायत के आख़िरी अलफ़ाज़ नहीं)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि नागहानी हादसा, ज़मीनी और आसमानी मुसीबत के आने की सूरत में फ़ौरन नमाज़ पढ़नी चाहिये, इसे "सलातुल आयात" कहते हैं, इस से मालूम होता है कि मुसीबत और तकलीफ़ के दूर करने के लिये सिर्फ़ अल्लाह तआला की तरफ़ रुजूअ करना चाहिये, ग़ैरूल्लाह की तरफ़ मुतवज्जह होना उन को मुसीबत और परेशानी दूर करने का ज़रिया समझना शिर्क है जो माफ़ी के क़ाबिल नहीं है, जिस की बख़्शिश नहीं, इसलिये मुसलमानों को इस का ख़ास तौर पर ख़्याल रखना चाहिये, ऐसा न हो कि तमाम किये कराये आमाल बेकार हो जायें।

16. नमाज़े इस्तिसका का बयान

(बारिश माँगने के लिये नमाज़)

١٦ - بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

406. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ बड़ी तवाज़ुअ के साथ, सादा लिबास में निहायत आजिज़ी और इन्केसारी, बहुत ख़ुशूअ और बड़ी ज़ारी और विनती करते हुये नमाज़ के लिये बाहर निकले, ईद की नमाज़ की तरह लोगो को दो रकअत नमाज़ पढ़ायी, तुम्हारे ख़ुतबे की तरह ख़ुतबा इरशाद नहीं फ़रमाया (इस को पाँचो ने रिवायत किया है, और तिर्मिज़ी, अबू अवाना और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(٤٠٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مُتَوَاضِعاً، مُتَبَذِّلاً، مُتَخَشِّعاً، مُتَرَسِّلاً، مُتَضَرِّعاً، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلِّي فِي العِيدِ، لَمْ يَخْطُبْ خُطْبَتَكُمْ هٰذِهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

यह हदीस इस की दलील है कि नमाज़ इस्तिसका रसूलुल्लाह ﷺ से साबित है, इस्तिसका के लुग़वी माना पानी के लिये दरख़ास्त करना, दुआ करना। शरई इस्तेलाह की रू से एक मख़सूस कैफ़ियत से नमाज़ पढ़ना, इस्तिसका की तीन क़िस्में मुमकिन हैं, अदना, औसत और आला, अदना की सूरत यह है कि सिर्फ़ दुआ की जाये और औसत की सूरत यह है कि फ़र्ज़ नमाज़ के बाद बाजमाअत अदा की जाये और आला की सूरत यह है कि बारिश की तलब के लिये बाहर निकल कर आजिज़ी, इन्केसारी, ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ की हालत में नमाज़ इस्तिसका पढ़ी जाये और ख़ूब आजिज़ी के साथ गिड़गिड़ा कर दुआ की जाये।

407.. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि लोगों ने रसूलुल्लाह ﷺ के पास बारिश के न होने की वजह से सूखा का शिकवा किया, आप ﷺ ने ईदगाह में मिम्बर ले जाने का हुक्म दिया, चुनाँचि मिम्बर ईदगाह में लाकर रख दिया गया, लोगों से एक दिन का वादा किया जिस में वह सारे बाहर निकलें, आप ﷺ ख़ुद उस वक़्त निकले जब सूरज का किनारा ज़ाहिर हुआ, तशरीफ़ लाकर आप ﷺ मिम्बर पर बैठ गये और अल्लाहु

(٤٠٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: شَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قُحُوطَ المَطَرِ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ، فَوُضِعَ لَهُ فِي المُصَلَّى، وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْماً يَخْرُجُونَ فِيهِ، فَخَرَجَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَعَدَ عَلَى المِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أَنْ تَدْعُوهُ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ،

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ الغَنِيُّ، وَنَحْنُ الفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الغَيْثَ، وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغاً إِلَى حِينٍ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَقَلَّبَ رِدَاءَهُ، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَنَزَلَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأَنْشَأَ اللَّهُ تَعَالَى سَحَابَةً، فَرَعَدَتْ، وَبَرَقَتْ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: غَرِيبٌ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

وَقِصَّةُ التَّحْوِيلِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَفِيهِ: فَتَوَجَّهَ إِلَى القِبْلَةِ يَدْعُو، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، جَهَرَ فِيهِمَا بِالقِرَاءَةِ.

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ مُرْسَلِ أَبِي جَعْفَرٍ البَاقِرِ: وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ القَحْطُ.

अकबर कहा, और अल्लाह तआला की हम्द बयान की, फिर (लोगों से मुख़ातिब हो कर) फ़रमाया:

तुम लोगों ने अपने इलाक़ों की ख़ुश्कसाली (सूखा) का शिकवा किया, अल्लाह तआला तो तुम्हें यह हुक्म दे चुका है कि उस से दुआ करो वह तुम्हारी दुआ को क़बूल फ़रमायेगा'' फिर फ़रमाया तारीफ़ अल्लाह ही के लिये है जो कायनात का परवरदिगार है, लोगों के हक़ में बड़ा मेहरबान और हमेशा हर वक़्त मेहरबान है, रोज़े जज़ा का मालिक है, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई इलाह नहीं, जो चाहता है कर गुज़रता है, इलाही! तू ही अल्लाह है तेरे सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, तू ग़नी है और हम फ़कीर व मुहताज हैं, हम पर रहमत की बारिश नाज़िल फ़रमा, जो कुछ तू हम पर नाज़िल फ़रमाये उसे हमारे लिये रोज़ी और मुद्दत दराज़ तक पहुँचने का ज़रिया बना, उस के बाद आप ﷺ ने अपने दोनों मुबारक हाथ उपर उठाये कि वह बतदरीज अहिस्ता-अहिस्ता उपर उठते गये यहाँ तक कि आप ﷺ की बग़लों की सुफ़ैदी नज़र आने लगी, फिर लोगों की तरफ़ अपनी पुश्त करके खड़े हो गये और अपनी चादर को फेर कर पलटाया, आप ﷺ उस वक़्त अपने दोनों हाथ उपर उठाये हुये थे, फिर लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हुये और मिम्बर से नीचे तशरीफ़ ले आये और दो रकअत नमाज़ पढ़ायी, उसी लम्हा अल्लाह तआला ने आसमान पर बादल पैदा किया, वह बदली गरजी और चमकी और बारिश बरसने लगी।

(इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इसे ग़रीब कहा है, और इस की सनद बहुत ही अच्छी और मज़बूत है)

सहीह बुख़ारी में अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत में (तबदीलिये चादर) का क़िस्सा इस तरह है, फिर आप ﷺ ने क़िब्ला की तरफ़ रुख़ किया और दुआ करते रहे, फिर दो रकअत नमाज़ पढ़ी, उन में क़िराअत बुलन्द आवाज़ से की। और दार कुतनी में अबू जाफ़र बाक़र की मुरसल रिवायत में है कि आप ﷺ ने अपनी चादर इसलिये फेर कर बदली कि क़हतसाली भी उसी तरह फिर जाये।

फ़ायेदा:

इस से मालूम हुआ कि नमाज़े ईद के उल्टा नमाज़े इस्तिसका के मौक़े पर मिम्बर बाहर ले जाना जायेज़ है, और ईद की तरह ख़ुतबये इस्तिसका नमाज़ के बाद पढ़ा गया और इस्तिसका के लिये दुआ में हाथ इतना उपर उठाये कि अनस رضي الله عنه के क़ौल के मुताबिक़ मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को किसी मौक़ा पर इतना बुलन्द हाथ उठाते नहीं देखा।

408. अनस رضي الله عنه से रिवायत है कि एक आदमी जुमा के दिन मस्जिद में दाख़िल हुआ, उस वक़्त नबी ﷺ खड़े ख़ुतबा दे रहे थे, वह बोला या रसूलुल्लाह! जानवर मर गये और आने जाने के रास्ते बन्द हो गये हैं, अल्लाह से दुआ करो कि वह हम पर बारिश नाज़िल फ़रमाये, आप ﷺ ने उसी वक़्त अपने हाथ उपर उठाये और दुआ फ़रमाई, या इलाही! बारिश से हमारी फ़रियादरसी फ़रमा, या इलाही! बाराने रहमत से हमारी फ़रियादरसी फ़रमा, सारी हदीस बयान फ़रमाई, उस में बारिश के बन्द करवाने की दुआ का भी ज़िक्र है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٤٠٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَلَكَتِ الأَمْوَالُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُغِيثُنَا، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا»، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَفِيهِ الدُّعَاءُ بِإِمْسَاكِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह बात भी मालूम हुई कि अम्बिया किराम बल्कि ख़ातिमुल अम्बिया वल-मुरसलीन ﷺ भी हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से बराहे रास्त माँगते थे, बीच में किसी को वास्ता या ज़रिया बनाना सहीह नहीं समझते थे, वर्ना नबी करीम ﷺ भी अबुल-अम्बिया या अबुल-बशर या किसी दूसरे उलुल-अज़्म पैग़म्बर का वास्ता देकर बारिश तलब फ़रमाते, और सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम भी यही समझते थे कि नबी ख़ुद नहीं बल्कि अल्लाह के हुज़ूर में दुआ करते हैं कि वह बारिश बरसा कर लोगों को कहतसाली (सूखा) से नजात दें, और यह भी मालूम हुआ कि नबी ﷺ "कान व मा यकून" का इल्म नही रखते थे, वर्ना उन्हें मालूम होता कि कहतसाली की वजह से शहर के बाहर लोगों का क्या हाल है, उस आदमी के बताने पर मालूम हुआ।

(٤٠٩) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ إِذَا قُحِطُوا اسْتَسْقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: اللّٰهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَسْقِي إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، فَيُسْقَوْنَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

409. उन्हीं (अनस ؓ) से रिवायत है कि उमर ؓ जब लोग कहत में मुब्तला हो जाते तो अब्बास बिन अबदुल मुत्तलिब ؓ को वसीला बना कर बारिश माँगते थे और यूँ दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह! हम तुझ से तेरे नबी ﷺ के वास्ते से बारिश तलब करते थे तो तू हमें बाराने रहमत से नवाज़ देता था और अब हम तेरे हुज़ूर तेरे नबी ﷺ के चचा को वसीला के तौर पर लाये हैं, इसलिये तू हमे बारिश से सैराब फ़रमा दे (इस दुआ की क़बूलियत के नतीजा में) उन को बारिश से सैराब किया जाता था। (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

कुब्बा और कब्रपरस्तो ने इस से यह इस्तेदलाल किया है कि वसीला पकड़ना जायेज़ है, सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम ने भी अब्बास ؓ को तलब बारिश के लिये वसीला बनाया और उन के तवस्सुल से बारिश के लिये दुआ माँगी, हालाँकि यह सरासर लग़्व और मरदूद है, इसलिये कि यह हज़रात तो ज़िन्दा व मुर्दा, हाज़िर व ग़ायब बल्कि उन के नामों का भी वसीला पकड़ते हैं, हालाँकि इस हदीस से तो सिर्फ़ ज़िन्दा इसानों की दुआ का वसीला पकड़ना साबित होता है, उन के नामों को वसीला बनाना साबित नहीं होता, अगर इन हज़रात की तरह वसीला और तवस्सुल पकड़ना जायेज़ होता तो फिर नबी करीम ﷺ और आप के चचा की ग़ैरमौजूदगी में भी जायेज़ होता, हालाँकि ऐसा किसी हदीस से और कुरआन मजीद की किसी आयत से साबित नहीं होता।

410. उन्हीं (अनस ﷺ) से यह हदीस भी रिवायत है कि हम एक बार बारिश की लपेट में आ गये और रसूलुल्लाह ﷺ हमारे साथ थे, आप ﷺ ने अपने बदन से कपड़ा उपर उठाया कि बारिश आप ﷺ के जिस्म पर पड़ने लगी और इरशाद फ़रमाया: "यह अपने आक़ा व मालिक के यहाँ से नये नये तुहफ़ा की सूरत में आ रही है" (मुस्लिम)

(٤١٠) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَصَابَنَا - وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ - مَطَرٌ، قَالَ: فَحَسَرَ ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ المَطَرِ، وَقَالَ: إِنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

हदीस का ख़ुलासा यह है कि यह बारिश आलमे क़ुद्स से नाज़िल हुई है, अभी तक यह ऐसी हालत में है कि किसी गुनहगार का हाथ इसे नहीं लगा है और न अभी ऐसे मक़ाम तक पहुँची है जहाँ लोग गुनाह में मुलव्वस होते हैं, और उस में ख़ैर और बरकत वाली चीज़ों से तबर्रुक हासिल करने की तरफ़ रग़बत दिलाई गई है, बारिश के पानी में नहाना फ़ायदेमंद और जायेज़ है।

411. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी ﷺ जब बारिश को देखते तो इस तरह दुआ माँगते : "ऐ अल्लाह! इस बारिश को मुनाफ़ा बख़्श व सूदमंद बना दे।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٤١١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً». أَخْرَجَاهُ.

412. साद ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने दुआये इस्तिसका में यह दुआ माँगी: "या इलाही! हमें ऐसे बादल से जो सारी ज़मीन पर छाया हुआ हो, गहरा हो, कड़कने वाला, ज़ोर से बरसने वाला, चमकने गरजने वाला तह ब तह हो, से बारिश की बारीक बूँदें बहुत ज़्यादा बरसा दे,, ऐ बुज़ुर्गी और इज़्ज़त के मालिक" (मुसनद अबू अवाना ने इसे अपनी सहीह में रिवायत किया है)

(٤١٢) وَعَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا فِي الاسْتِسْقَاءِ: «اللَّهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَاباً كَثِيفاً، قَصِيفاً، دَلُوقاً، ضَحُوكاً، تُمْطِرُنَا مِنْهُ رُذَاذاً، قِطْقِطاً، سَحْلاً، يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ». رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ.

फ़ायेदा:

रसूलुल्लाह ﷺ से दुआये इस्तिसका की कई दुआयें मुख़्तलिफ़ अंदाज़ से मन्क़ूल हैं, यह दुआ उन में से एक है जो दुआ चाहे पढ़े।

413. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: सुलैमान अलैहिस्सालम बारिश माँगने के लिये बाहर निकले तो उन्होंने एक चींटी को पुश्त के बल टाँगे आसमान की तरफ़ उठाये हुए देखा जो बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ कर रही थी, इलाही हम तेरी मख़लूक़ हैं तेरी दूसरी मख़लूक़ की तरह, हम भी तेरी बारिश से बेनियाज़ व मुस्तग़नी नहीं हैं, यह सुन कर सुलैमान अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया चलो वापस चलें तुम्हें बारिश से सैराब कर दिया गया, ग़ैरों की दुआ की वजह से" (इसे अहमद ने रिवायत किया है और हाकिम ने सहीह कहा है)

(٤١٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: خَرَجَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَسْتَسْقِي، فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً عَلَى ظَهْرِهَا، رَافِعَةً قَوَائِمَهَا إِلَى السَّمَاءِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ، لَيْسَ بِنَا غِنًى عَنْ سُقْيَاكَ، فَقَالَ: «ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُمْ بِدَعْوَةِ غَيْرِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि पिछले पैग़म्बर भी बारिश की बन्दिश के मौक़े पर शहर से बाहर निकल कर बारिश तलब करने जाते थे, छोटी मख़लूक़ के ज़रिये इन्सान को बारिश से सैराब किया जाता है।

414. अनस ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने बारिश के लिये दुआ फ़रमाई तो अपने दोनों हाथ उल्टी हालत में आसमान की तरफ़ उठाकर इरशाद फ़रमाया। (मुस्लिम)

(٤١٤) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْقَى فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में उल्टे हाथों से दुआ माँगने का ज़िक्र है, हालाँकि आम तौर पर आप ﷺ सीधे हाथों से दुआ करते थे, इन दोनो में उलमा ने यह ततबीक़ दी है कि रहमत की तलब करने के लिये सीधे हाथों से दुआ करनी चाहिये और ज़रर व मुसीबत को दूर करने के लिये उल्टे हाथों से दुआ माँगनी चाहिये, इस से तफ़ाउल मुराद होता है कि हालत को इस तरह तबदील फ़रमा दे, दुआये इस्तिसक़ा के वक़्त चादर को उलटाने और फेरने में भी शायद यही हिक्मत कारफ़रमा है और हथेलियों के नीचे करने में भी यही हिक्मत है कि अल्लाह तआला ने बादलों के मुँह भी नीचे कर दिये ताकि बारिश ख़ूब बरसे और ख़ुश्कसाली सरसबज़ी में बदल जाये।

17. लिबास का बयान

١٧ - بَابُ اللِّبَاسِ

415. अबू आमिर अशअरी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मेरी उम्मत में से कुछ ऐसी क़ौमें होंगी जो (ज़िना) और रेशम को हलाल समझेंगी" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इस की असल बुखारी में है)

(٤١٥) عَنْ أَبِي عَامِرٍ الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخِزَّ وَالْحَرِيرَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में दो चीज़ें हराम की गई हैं, एक रेशम का पहनना दूसरी ज़िना व बदकारी करना, रेशम का लिबास पहनना इन्सान के अन्दर रऊनत और किब्र व नुख़वत पैदा करता है और यह मुतकब्बिरीन का लिबास है, इसी लिये इसे उम्मत पर हराम क़रार दिया गया है, और यह ज़ीनत व लताफ़त का लिबास है जो मर्दों के मुक़ाबिल औरतों का लिबास शुमार होता है और मर्दों के लिये औरतों की मुशाबहत इख़्तियार करना हराम है।

416. हुज़ैफ़ा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें सोने-चाँदी के बर्तनों में खाने-पीने, बारीक और गाढ़ा रेशम पहनने और उन पर बैठने से मना किया है। (बुख़ारी)

(٤١٦) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

417. उमर ﷺ रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने रेशम पहनने से मना किया है, सिवाय दो तीन या चार अंगुश्त के। (बुख़ारी, मुस्लिम, और हदीस के अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

(٤١٧) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ، إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

फ़ायेदा:

मर्दों के लिये रेशम पहनना शरई तौर पर हराम है, अलबत्ता ख़ारिश वग़ैरह उज़्र की सूरत में वक़्ती इजाज़त है, उस के अलावा दो चार अंगुश्त के बराबर अगर किसी कपड़े पर रेशम लगा हुआ हो तो उस की गुंजाईश है।

418. अनस ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने

(٤١٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ،

सफ़र के दौरान अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ؓ और ज़ुबैर बिन अव्वाम ؓ को रेशमी क़मीज़ पहनने की इजाज़त दे दी, इस वजह से कि उन को खुजली थी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ فِي قَمِيصِ الْحَرِيرِ، فِي سَفَرٍ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

419. अली ؓ से मरवी है कि नबी ﷺ ने मुझे सियरा का पट्टेदार, रेशमी जोड़ा एनायत फ़रमाया, मैं उसे पहन कर बाहर निकला तो मैंने नबी ﷺ के चेहरे पर ग़ुस्सा और नाराज़गी के आसार देखे तो मैंने उसे टुकड़े टुकड़े करके अपनी घरेलू औरतों में बाँट दिया। (बुख़ारी, मुस्लिम, हदीस के अलफ़ाज़ मुस्लिम के है)

(٤١٩) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَسَانِي النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

फ़ायेदा:

नबी ﷺ को यह कपड़ा तुहफ़ा के तौर पर मिला था, आप ﷺ ने यह अली ؓ को दे दिया जिसे अली ؓ ने पहना, मगर नबी ﷺ ने इस पर नाराज़गी का इज़हार किया, सहीह मुस्लिम में है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "मैंने तुम्हे पहनने के लिये नहीं दिया था बल्कि इसलिये दिया था कि घर की औरतें पहन लें।" चुनाँचि अली ؓ ने टुकड़े-टुकड़े करके औरतों में बाँट दिया, इस से साबित हुआ कि हदिया और तुहफ़ा क़बूल करना मसनून है, चाहे वह मर्द के इस्तेमाल के लिये जायेज़ न हो।

420. अबू मूसा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : "सोना और रेशम मेरी उम्मत की औरतों के लिये हलाल कर दिया गया है और उन के मर्दों पर हराम" (इसे अहमद, नसाई और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

(٤٢٠) وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

421. इमरान बिन हुसैन ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: अल्लाह तआला को यह पसन्द और महबूब है कि जब वह अपने किसी बन्दे पर इंआम फ़रमाये तो उस नेमत का असर उस पर देखा जाये।" (बैहक़ी)

(٤٢١) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً، أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

फ़ायेदा:

इस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की दी हुई नेमतों का इज़हार होना चाहिये, अपनी हैसियत व इस्तेताअत के मुताबिक़ खाना-पीना और अच्छा लिबास पहनना तक़वा के ख़िलाफ़ नहीं, बेहतरीन सवारी भी तकब्बुर में शुमार नहीं, शर्त यह है कि आदमी दूसरों को हक़ीर न समझे।

422. अली ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने क़स्स (शहर का नाम) के बने कपड़े और ज़र्द रंग के कपड़े पहनने से मना फरमाया है। (मुस्लिम)

(٤٢٢) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

423. अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने मेरे जिस्म पर ज़र्द रंग के दो कपड़े देखे तो फ़रमाया: "क्या तेरी माँ ने यह पहनने का हुक्म दिया है?" (मुस्लिम)

(٤٢٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّكَ أَمَرَتْكَ بِهَذَا؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

तेरी माँ ने तुझे पहनाया है क्या? यानी यह रंग तो औरतें पहनती हैं, इसलिये तेरी माँ ने तुझे पहना दिया, यह शायद आप ﷺ ने बतौर तंबीह और ज़ज्र व तौबीख़ इरशाद फ़रमाया, सहीह मुस्लिम में है कि अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! मैं इसे धो डालूँ तो फ़रमाया: "नहीं जला कर राख कर दो।

424. अस्मा बिन्ते अबी बक्र रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने नबी ﷺ का एक चोग़ा निकाला जिस की आसतीनों, गरीबान और चाक पर दबीज़ रेशम का हाशिया था। (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इस की असल मुस्लिम में है) मुस्लिम, ने इतना इज़ाफ़ा नक़ल किया है कि वह जुब्बा आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा की तहवील में था कि वह वफ़ात पा गयीं तो मैंने इसे अपने क़ब्ज़े में ले लिया, नबी करीम ﷺ उसे पहना करते थे और इसे धोकर मरीज़ों को पिलाते थे और

(٤٢٤) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مَكْفُوفَةَ الْجَيْبِ وَالْكُمَّيْنِ وَالْفَرْجَيْنِ بِالدِّيبَاجِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ، وَزَادَ: كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا حَتَّى قُبِضَتْ، فَقَبَضْتُهَا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُهَا، فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى، نَسْتَشْفِي بِهَا. وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ: وَكَانَ يَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ وَالْجُمُعَةِ.

शिफ़ा तलब करते थे और बुख़ारी ने अल-अदब अल-मुफ़रद में यह इज़ाफ़ा किया है कि आप ﷺ उसे वुफ़ूद की आमद पर और नमाज़े जुमा के लिये पहनते थे।

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि सरबराहे ममलकत, अमीर और साहबे मन्सब, मर्तबा ख़तीब व इमाम और दूसरे मुअज़्ज़ज़ लोगों और वुफ़ूद की आमद और जुमा व जमाअत और दूसरे ख़ास मजमों के लिये आम मामूल से हट कर अच्छा लिबास रखना जायेज़ है और उमदा और अच्छा साफ़ सुथरा लिबास पहन कर बाहर निकलना चाहिये, शर्त यह है कि हुदूद शरईया से तजावुज़ न कर जाये, फ़ख़्र व रिया और किब्र व निख़वत और शान नुमाई न हो, मना किये गये लिबास से परहेज़ व इज्तेनाब किया जाये।

3- जनाज़े के मसायेल

٣ - كِتَابُ الجَنَائِزِ

425. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "लज़्ज़तों को तोड़ देने, काट देने वाली का ज़िक्र ज़्यादा किया करो (यानी मौत का)" (इसे तिर्मिज़ी और नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

(٤٢٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ: المَوْتِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

मौत एक ऐसी हक़ीक़त है जिस का पहले दिन से आख़िरी दिन तक कोई मुन्किर नहीं, यह इंसानों के मुशाहदा में आने वाली चीज़ है कि रोज़ाना आँखों के सामने हर एक के अज़ीज़ व अक़रिबा, दोस्त अहबाब में से कोई न कोई मौत का जाम पीता है, सब उस वक़्त बेबस हो जाते हैं, ऐसे मौक़ा पर क़ुदरती तौर पर दिलों में नर्मी, डर, मुहासबये आमाल, क़ियामत के ख़ौफ़नाक मनाज़िर आँखों के सामने घूम जाते हैं, जिस से तबीअत में क़ियामत की तैयारी का जज़्बा पैदा होता है और इंसान नेक आमाल की तरफ़ मायेल हो जाता है, इसीलिये मौत को हमेशा याद रखने का हुक्म है।

426. अनस ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से किसी को उस मुसीबत व तकलीफ़ की वजह से जो उस पर नाज़िल हुई हो मौत की तमन्ना व ख़्वाहिश हरगिज़ नहीं करनी चाहिये और अगर उस की तमन्ना ज़रूरी हो तो फिर इस तरह कहना चाहिये, ऐ अल्लाह! जब तक जीना मेरे लिये बेहतर हो उस वक़्त तक मुझे ज़िन्दगी अता फ़रमा और जब मौत मेरे लिये बेहतर हो तो मुझे मौत दे दे।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٤٢٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ المَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّياً، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِي، وَتَوَفَّنِي مَا كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

एक सच्चे पक्के मोमिन के लिये ज़िन्दगी अल्लाह तआला की बड़ी नेमत है, इसलिये दुनियावी मसायब व आलाम, मुफ़लिसी, ग़रीबी और बीमारी वग़ैरह से तंग आकर मौत की आरज़ू न करे, अलबत्ता कायनात के रब से मुलाक़ात के शौक़ में मौत की आरज़ू कमाले ईमान की निशानी है.

अगर दीन के बारे में किसी फ़ितना और आज़माइश का अंदेशा हो तो उस सूरत में भी मौत की आरज़ू व तमन्ना की जा सकती है, दुनियावी मुश्किलात और तकालीफ़ तो मोमिन को ऊँचा उठाने का बाइस हैं।

427. अबू बुरैदा ؓ ने नबी ﷺ से बयान किया कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "मोमिन की मौत के वक़्त उस की पेशानी पर पसीना आ जाता है" (इस रिवायत को तीनों (तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा) ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(٤٢٧) وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

428. अबू सईद ؓ और अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मरने वाले आदमी को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलक़ीन करो" (इसे मुस्लिम और चारों अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है)

(٤٢٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में तो सिर्फ़ "ला इलाहा इल्लल्लाह" की तलक़ीन का ज़िक्र है मगर इस से मुराद पूरा कलिमा है कि यूँ मरने वाला तौहीद व रिसालत दोनों का इक़रार कर लेता है, मरने वाले क़रीब आदमी के पास बैठे हुये लोग भी इसे पढ़ें और जब मरने वाले के हवास अगर ठीक हों तो उसे भी पढ़ने की तलक़ीन करनी चाहिये।

429. माक़िल बिन यसार ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "अपने मरने वालों के क़रीब सूरह यासीन पढ़ा करो" (इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(٤٢٩) وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «اقْرَءُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يس». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

अगरचे इस हदीस को इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है लेकिन यह हदीस सहीह नहीं। अल्लामा अलबानी ने भी इसे ज़ईफ़ कहा है।

430. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ अबू सलमा ؓ की मौत के वक़्त तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त

(٤٣٠) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ

قَالَ: «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ اتَّبَعَهُ البَصَرُ»، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ المَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

उन की आँख खुली हुई थी, आप ﷺ ने उसे बन्द कर दिया और फिर फ़रमाया: "जब रूह बदन से निकल जाती है तो आँख उस का पीछा करती है" इतने में घर के लोग आहो बका करने लगे, चीख़ने लगे, तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "अपने लिये अच्छी और बेहतर दुआ करना, क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो उस पर फ़रिश्ते आमीन कहते हैं।" फिर आप ﷺ ने दुआ फ़रमाई कि "इलाही! अबू सलमा ؓ की मग़फ़िरत फ़रमा दे, हिदायत याफ़ता लोगों में उस का दर्जा व मर्तबा बुलन्द फ़रमा और उस की क़ब्र कुशादा और वसीअ फ़रमा दे और उसे रौशन कर दे और उस के पीछे रहने वालों में नायब व क़ायेम मक़ाम हो जा।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मरने वाले की जब रूह जिस्म से निकल जाये तो उस की आँखें आम तौर पर खुली रह जाती हैं, उन्हें फ़ौरन बन्द कर देना चाहिये, क्योंकि जिस्म ठंडा होने के बाद आँख का बन्द होना मुश्किल हो जाता है, आँखें खुली रहें तो मुर्दे से दहशत व वहशत आने लगती है।

(٤٣١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ، سُجِّيَ بِبُرْدٍ حِبَرَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

431. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ जब फ़ौत हुये तो आप ﷺ को एक धारीदार चादर से ढाँप दिया गया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

मय्यित को ग़ुस्ल से पहले धारीदार चादर से ढाँप देना भी जायेज़ है, दूसरा आप ﷺ पर भी मौत वारिद हुई, इस से नबी ﷺ की हयात का मसअला बड़ी आसानी से हल हो गया कि अगर आप ﷺ ने वफ़ात नहीं पाई तो आप ﷺ के साथ वह अमल क्यों किया है जो मरने वालों के साथ किया जाता है।

(٤٣٢) وَعَنْهَا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

432. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अबू बक सिद्दीक़ ؓ ने आप ﷺ की

वफ़ात के बाद आप ﷺ (की पेशानी) का बोसा लिया था। (बुख़ारी)

(٤٣٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

433. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "मोमिन की रूह क़र्ज़ के साथ उस वक़्त तक लटकी रहती है जब तक उसे अदा नहीं कर दिया जाता।" (अहमद और तिर्मिज़ी ने इसे रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है)

फ़ायेदा:

इस से मालूम होता है कि हुक़ूकुल इबाद मरने वाले से माफ़ नहीं होते, यहाँ तक कि जिस का हक़ था वह हक़दार उसे ख़ुद माफ़ न कर दे या कोई दूसरा उस की तरफ़ से अदा न कर दे, उसी तरह क़र्ज़ का बोझ मय्यित के ज़िम्मे होता है जब तक उस की तरफ़ से वह क़र्ज़ अदा नहीं कर दिया जाता चाहे कोई रिश्तादार अदा करे या अहबाब व रुफ़क़ा में से कोई या रियासत अपने शहरी की हैसियत से उस का क़र्ज़ अदा कर दे।

(٤٣٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَمَاتَ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

434. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने उस आदमी के बारे में जो अपनी सवारी से गिर कर मर गया था फ़रमाया: "उसे पानी और बैरी के पत्तों से ग़ुस्ल दो और उसी के दो कपड़ों में कफ़न दो।" (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस से कई मसायल साबित होते हैं 1-अरफ़ात में सवारी पर जाना जायेज़ है। 2- ऊँट की सवारी भी इस्तेमाल की जा सकती है। 3- हालते इहराम में जो आदमी गिर कर मर जाये उसे भी पानी और बैरी के पत्तों से ग़ुस्ल दिया जाये। 4- उन्ही इहराम के कपड़ों ही में उसे दफ़न किया जाये, नया कफ़न ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, उस का सर ढाँका न जाये और न ही ख़ुश्बू लगाई जाये, सर नंगा रखने और ख़ुश्बू न लगाने की हिक्मत यह है कि क़ियामत के दिन यह इसी हालत में लब्बैक अल्लाहुम्मा का तलबिया पढ़ता हुआ नंगे सर उठेगा।

(٤٣٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادُوا غُسْلَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالُوا: وَاللهِ مَا نَدْرِي نُجَرِّدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا نُجَرِّدُ مَوْتَانَا أَمْ لَا؟ الْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

435. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब सहाबा क़िराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम ने नबी करीम ﷺ को ग़ुस्ल देने का इरादा किया तो उन्होंने कहा अल्लाह की क़सम! हमें इल्म नहीं कि हम नबी ﷺ के

कपड़े उतारें जिस तरह हम अपने मरने वालों के कपड़े उतारते हैं या न उतारें? फिर सारी हदीस बयान की। (अहमद, अबू दाउद)

436. उम्मे अतिया रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ हमारे पास उस वक़्त तशरीफ़ लाये जब हम आप ﷺ की साहबज़ादी (बेटी) को ग़ुस्ल दे रहे थीं, आप ﷺ ने फ़रमाया: "इसे तीन या पाँच बार, या इस से भी ज़्यादा बार ग़ुस्ल दो, अगर तुम ज़रूरत महसूस करो, ग़ुस्ल पानी और बैरी के पत्तों से दो, आख़िर में काफ़ूर या फ़रमाया कुछ काफ़ूर डालो" जब हम ग़ुस्ल दे चुके तो हम ने आप ﷺ को ख़बर दी, आप ﷺ ने अपना तहबन्द उतार कर हमारी तरफ़ फेंक दिया और फ़रमाया: "इसे जिस्म के साथ लगा दो।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

और एक रिवायत में है कि ग़ुस्ल दायें तरफ़ से और वुज़ू के आज़ा से शुरू करना, बुख़ारी की एक रिवायत में है कि हम ने उस के सर के बालों को तीन हिस्सों में बाँट दिया और उन को पुश्त पर डाल दिया।

(٤٣٦) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَه، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الأَخِيرَةِ كَافُوراً، أَوْ شَيْئاً مِنْ كَافُورٍ»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا». وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَضَفَّرْنَا شَعْرَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ، فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا.

फ़ायेदा:

इस वाक़ेआ से मालूम हुआ कि मय्यित को कम से कम तीन बार ग़ुस्ल ज़रूर देना चाहिये, अलबत्ता अगर ज़रूरत ज़्यादा बार ग़ुस्ल देने की महसूस हो तो फिर पाँच या सात बार यानी ताक़ का लिहाज़ रख कर ग़ुस्ल देना चाहिये, ग़ुस्ल की शुरूआत दायें तरफ़ और आज़ाये वुज़ू से करना चाहिये, ग़ुस्ल के बाद भी दायें तरफ़ और आज़ाये वुज़ू से करना चाहिये।

437. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ को सहूलिया के बने सूती सुफ़ैद रंग के तीन कपड़ों में कफ़न दिया गया था, जिस में क़मीज़ और पगड़ी नहीं थी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٤٣٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि मय्यित मर्द की हो तो उसे तीन कपड़ों में कफ़न देना चाहिये, उन कपड़ों में न तो क़मीज़ हो और न ही पगड़ी और कफ़न में सूती कपड़ा बेहतर है, तीन कपड़ों से मुराद जमहूर के नज़दीक तीन बड़ी चादरें हैं।

(٤٣٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

438. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने बताया कि अब्दुल्लाह बिन उबैई जब फ़ौत हो गया तो उस का बेटा रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया आप ﷺ अपनी क़मीज़ इनायत फ़रमा दें कि मैं उस में उसे कफ़न दे दूँ, आप ﷺ ने अपनी क़मीज़ उतार कर दे दी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मय्यित को ज़रूरत के वक़्त क़ब्र में दाख़िल करने के बाद बाहर निकालना जायेज़ है।

(٤٣٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبِيضَ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

439. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "सुफ़ैद लिबास पहना करो, यह तुम्हारे लिबास में बेहतरीन और अच्छा लिबास है और अपने मरने वालों को भी उस में कफ़न दिया करो" (नसाई के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि सुफ़ैद लिबास आप ﷺ का पसन्दीदा और महबूब लिबास था, हालाँकि आप ﷺ ने कभी-कभी रंगीन लिबास भी पहना है, मरने वालों को भी सुफ़ैद कफ़न ही देना चाहिये, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो दूसरे रंग का कपड़ा भी कफ़न में इस्तेमाल किया जा सकता है।

(٤٤٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

440. जाबिर رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से जब कोई अपने भाई को कफ़न दे तो उसे अच्छा कफ़न देना चाहिये।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, अच्छा व उम्दा कफ़न देने का मतलब यह है कि कफ़न का कपड़ा साफ़ सुथरा और अच्छा होना चाहिये और वह इस क़दर हो कि मय्यित के जिस्म को अच्छी तरह ढाँप ले, अच्छे कफ़न से मुराद यह नहीं कि वह क़ीमती हो, क़ीमती कफ़न की मनाही आगे आ रही है।

441. और उन्ही (जाबिर ﷺ) से रिवायत है कि नबी ﷺ शुहदाये उहद के दो दो आदमियों को एक लिबास में जमा करते थे, फिर फ़रमाया: "उन में से क़ुरआन किस को ज़्यादा याद था, जिसे ज़्यादा याद होता उसे लहद में पहले उतारते, न तो उन शुहदा को ग़ुस्ल दिया गया और न ही उन की नमाज़ जनाज़ा पढ़ी गई।" (बुख़ारी)

(٤٤١) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ»؟ فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से कई मसायेल साबित होते हैं। 1- ज़रूरत के वक़्त एक कफ़न में दो आदमियों को कफ़नाना सहीह है। 2- दो या इस से ज़्यादा मय्यितों को एक ही क़ब्र में दफ़न करना भी जायेज़ है, अलबत्ता उन में साहबे क़ुरआन को पहले दाख़िल किया जाना चाहिये। 3- शुहदा फ़ी सबीलिल्लाह को ग़ुस्ल नही दिया जाता, जैसाकि आप ﷺ ने शुहदाये उहद के बारे में फ़रमाया कि उन को ग़ुस्ल मत दो, उन का हर एक ज़ख़्म क़ियामत के दिन मुश्क की सी ख़ुश्बू दे रहा होगा। 4- शुहदा का जनाज़ा भी ज़रूरी नहीं।

442. अली ﷺ से मरवी है कि नबी ﷺ से फ़रमाते सुना कि (बहुत) क़ीमती कफ़न न दिया करो, वह तो बहुत जल्द बोसीदा हो जाता है। (अबू दाउद)

(٤٤٢) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَغَالُوا فِي الكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعاً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

फ़ायेदा:

बहुत क़ीमती कफ़न की मय्यित को ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वह देर या जल्दी बोसीदा हो जाता है।

443. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा का बयान है कि नबी ﷺ ने उन्हें फ़रमाया: "अगर तू मुझ से पहले फ़ौत हो जाये तो मैं तुम्हें ग़ुस्ल दूँगा" (इसे अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(٤٤٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «لَوْ مُتِّ قَبْلِي لَغَسَّلْتُكِ»، اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है, जमहूर उलमा इस के क़ायेल हैं कि शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है, मगर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने इस की मुख़ालफ़त की है, लेकिन सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम का अमल इमाम अबू हनीफ़ा की राय की तरदीद करता है, मसलन अली ﷺ ने अपनी बीवी (रसूलुल्लाह ﷺ की बेटी) को ख़ुद अपने हाथों से गुस्ल दिया और अस्मा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने अबू बक सिद्दीक़ ﷺ को ख़ुद गुस्ल दिया, जिस से साबित होता है कि मियाँ बीवी एक-दूसरे को गुस्ल दे सकते हैं और यही बात राजिह है।

(٤٤٤) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

444. अस्मा बिन्त उमैस रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि फ़ातिमा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने ख़ुद यह वसीयत की थी कि अली ﷺ ख़ुद उन को गुस्ल दें। (दार कुतनी ने इसे रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

वसीयत का पूरा करना इस्लाम में बहुत ज़रूरी है, इसलिये अली ﷺ ने ख़ुद फ़ातिमा रज़ि अल्लाहु अन्हा को गुस्ल दिया, वसीयत भी पूरी हो गई और शौहर का अपनी बीवी को गुस्ल देना भी साबित हो गया।

(٤٤٥) وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا - قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَصُلِّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

445. बुरैदा ﷺ से ग़ामदिया के क़िस्सा में मरवी है जिसे रसूलुल्लाह ﷺ ने इरतेकाब ज़िना के जुर्म में रज्म व संगसारी का हुक्म दिया था कि आप ﷺ ने उस की नमाज़ जनाज़ा पढ़ने का हुक्म दिया, फिर ख़ुद उस की जनाज़ा पढ़ी और उसे दफ़न किया गया। (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

सहीह रिवायात से यह साबित है कि आप ﷺ ने ख़ुद ग़ामदिया की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी थी।

(٤٤٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

446. जाबिर बिन समुरा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ की ख़िदमत में एक आदमी लाया गया जिसने तीर से ख़ुदकुशी की थी, आप ﷺ ने उस की नमाज़ जनाज़ा न पढ़ी। (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

ख़ुदकुशी करने वाले की नमाज़ जनाज़ा में इख़्तिलाफ़ है, एक क़ौल यह है कि उस की नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ी जायेगी और एक क़ौल यह है कि क़ौम के मुअज्ज़ज़ व फ़ुज़ला तो उस की नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ेगे।

(٤٤٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - قَالَ: فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالُوا: مَاتَتْ، فَقَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟» - فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا - فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا»، فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

447. अबू हुरैरा ؓ से उस औरत के बारे में जो मस्जिद में झाडू दिया करती थी, रिवायत है कि नबी ﷺ ने उस के बारे में सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम से पूछा तो सहाबा किराम ने जवाब दिया कि वह मर चुकी है, आप ﷺ ने फ़रमाया: "तुम ने मुझे ख़बर क्यों न दी" गोया उन्होंने उस की वफ़ात को मामूली ख़्याल किया, आप ﷺ ने फ़रमाया: "मुझे उस की क़ब्र का रास्ता बताओ" उन्होंने आप को उस की क़ब्र का रास्ता बता दिया, आप ﷺ ने वहाँ जाकर क़ब्र पर नमाज़ जनाज़ा पढ़ी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَزَادَ مُسْلِمٌ: ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ».

और मुस्लिम ने इतना इज़ाफ़ा किया है, फिर आप ﷺ ने फ़रमाया: "यह क़ब्रें अहले क़ुबूर के लिये अन्धेरों से भरी हुई हैं और मेरी नमाज़ से उन की क़ब्रों में रौशनी हो जाती है।

फ़ायेदा:

इस हदीस से कई मसायल साबित होते हैं। 1- दफ़न करने के बाद उस की क़ब्र पर भी नमाज़ जनाज़ा पढ़ना जायेज़ है, गो तदफ़ीन से पहले भी उस पर नमाज़ जनाज़ा पढ़ी जा चुकी हो, बरा बिन मअरूर ؓ की नमाज़ जनाज़ा भी आप ﷺ ने एक महीना बाद उन की क़ब्र पर पढ़ी थी, क्योंकि उन की वफ़ात के वक़्त आप ﷺ मक्का मुकर्रमा में थे। 2- मरने वाले की क़ब्र वही है जहाँ उसे दफ़न किया गया हो, उन्ही क़ब्रों के बारे में फ़रमाया है कि उन में अंधेरा ही अंधेरा है, रौशनी नाम की कोई चीज़ नहीं। 3- मस्जिद की सफ़ाई करने वाले का मर्तबा और मक़ाम बहुत बुलन्द है। 4- मस्जिद की सफ़ाई मुसलमान औरत भी कर सकती है। 5- मस्जिद को साफ़ सुथरा और पाक रखना ज़रूरी है, सफ़ाई झाडू से भी की जा सकती है और कपड़े से भी। 6- नबी ﷺ की ग़रीबों से मुहब्बत का सुबूत मिलता है कि आप ﷺ को अपने कारकुन मर्द व औरत दोनों से किस क़दर मुहब्बत और लगाव था।

(٤٤٨) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

448. हुज़ैफ़ा ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ

عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

मौत के लिये खुले आम मुनादी से मना फ़रमाया करते थे। (इसे अहमद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है)

(٤٤٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

449. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने नजाशी की मौत की ख़बर उसी दिन दी जिस दिन वह फ़ौत हुआ था, आप ﷺ सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम को ले कर जनाज़ागाह की तरफ़ गये, सफ़बन्दी करवाई और उस पर चार तकबीरें कहीं। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से किसी की मौत की ख़बर देना साबित हो रहा है और नमाज़ जनाज़ा ग़ायेबाना भी साबित हो रही है, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह इस के क़ायेल हैं, मगर अहनाफ़ और मालकी उलमा इसे आप ﷺ की ख़ुसूसीयत पर महमूल करते हैं। शैख़ुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा ख़त्ताबी रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरह का ख़्याल है कि अगर किसी ने जनाज़ा न पढ़ी हो तो ग़ायेबाना उस की नमाज़ पढ़नी चाहिये, यह बात गो वज़नी है मगर हाफ़िज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि किसी रिवायत से यह साबित नहीं कि नजाशी पर हबशा में नमाज़ जनाज़ा न पढ़ी गई थी।

(٤٥٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

450. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने नबी ﷺ को फ़रमाते सुना है कि : "कोई मुसलमान नहीं मरता कि उस के जनाज़े में ऐसे चालीस आदमी शरीक हों जो अल्लाह तआला के साथ किसी भी चीज़ को शरीक नहीं ठहराते, मगर अल्लाह तआला उस मरने वाले के हक़ में उन की शफ़ाअत क़बूल फ़रमा लेता है।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से कसरत जनाज़ा की फ़ज़ीलत साबित होती है, इस हदीस में चालीस मुवह्हिद लोगों की शफ़ाअत का ज़िक्र है कि कुछ दूसरी अहादीस में सौ की तादाद भी है और कुछ में तीन सफ़ों का ज़िक्र भी है, मालूम होता है कि सायेलीन के जवाब में मौक़ा महल के एतबार से आप ﷺ ने तादाद का ज़िक्र फ़रमा दिया।

451. समुरा बिन जुन्दुब ﷺ से रिवायत है कि मैंने नबी ﷺ के पीछे एक ऐसी औरत की नमाज़ जनाज़ा पढ़ी जो हालते निफ़ास में मर गई थी, आप ﷺ उस के बीच में खड़े हुये थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٤٥١) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि मय्यित अगर औरत की हो तो इमाम मय्यित के बीच में खड़ा होकर नमाज़ जनाज़ा पढ़ायेगा और अनस ﷺ से मुसनद अहमद, अबू दाउद, तिर्मिज़ी वग़ैरह में है कि मय्यित अगर मर्द हो तो इमाम को उस के सर के बराबर खड़ा होकर नमाज़ जनाज़ा पढ़ानी चाहिये।

452. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह ﷺ ने बैज़ाअ के दोनों बेटों की नमाज़ जनाज़ा मस्जिद में पढ़ायी। (मुस्लिम)

(٤٥٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: وَاللهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

मस्जिद में जनाज़ा की नमाज़ पढ़ना नबी ﷺ के अमल से साबित है, मगर इमाम अबू हनीफ़ा रहमुतल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दोनों मस्जिद में नमाज़ जनाज़ा को मकरूह समझते हैं, हालाँकि कोई शरई व नक़ली दलील उन के पास नहीं।

453. अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से रिवायत है कि ज़ैद बिन अरक़म ﷺ हमारे जनाज़ों पर चार तकबीरें कहते थे, मगर (ख़िलाफ़े मामूल) एक बार उन्होंने पाँच तकबीरें कहीं तो मैंने उन से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि नबी ﷺ भी पाँच तकबीरें कहते थे। (इसे मुस्लिम और चारों (अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा) ने रिवायत किया है)

(٤٥٣) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْساً، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالأَرْبَعَةُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि नमाज़ जनाज़ा में चार से ज़्यादा तकबीरें भी जायेज़ हैं, नबी करीम ﷺ और सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम से पाँच, छ, सात और आठ तकबीरें भी मन्कूल हैं, मगर ज़्यादातर रिवायात में चार तकबीरों का ज़िक्र है।

454. अली ﷺ से रिवायत है कि उन्होंने सहल

(٤٥٤) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ،

बिन हुनैफ़ ﷺ की जनाज़ा की नमाज़ में छ तकबीरें कहीं और फ़रमाया कि वह बदरी थे। (इसे सईद बिन मन्सूर ने रिवायत किया है और इस की असल बुख़ारी में है)

أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ.

फ़ायेदा:

इस से भी यही साबित होता है कि चार से ज़्यादा तकबीरें किसी की बुज़ुर्गी और शरफ़ का लिहाज़ रखते हुये कही जा सकती हैं।

455. जाबिर ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ हमारे जनाज़ों पर चार तकबीरें कहा करते थे, और पहली तकबीर में सूरह फ़ातिहा (भी) पढ़ते थे। (इसे शाफई ने कमज़ोर सनद से रिवायत किया है)

(٤٥٥) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعاً، وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

फ़ायेदा:

इस से और आगे आने वाली रिवायत दोनों से साबित हुआ कि नमाज़ जनाज़ा की पहली तकबीर में सूरह फ़ातिहा पढ़ना मसनून है।

456. तलहा बिन अब्दुल्लाह बिन औफ़ ﷺ से रिवायत है कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा के पीछे नमाज़ जनाज़ा पढ़ी, उन्होंने उस में सूरह फ़ातिहा पढ़ी और फ़रमाया: (मैंने इसलिये सूरह फ़ातिहा पढ़ी है) ताकि तुम्हें मालूम हो जाये कि यह सुन्नत है। (बुख़ारी)

(٤٥٦) وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ، فَقَالَ لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

फ़ायेदा:

इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने सूरह फ़ातिहा बुलन्द आवाज़ से पढ़ी और वजह भी बयान कर दी कि तुम्हें बताने के लिये कि यह मसनून है, गोया नमाज़ जनाज़ा में सूरह फ़ातिहा ऊँची आवाज़ से पढ़ना भी जायेज़ है।

457. औफ़ बिन मालिक ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक जनाज़ा पर नमाज़ पढ़ायी, मैंने आप ﷺ की दुआ में से इतना हिस्सा याद कर लिया "ऐ अल्लाह! इस की

(٤٥٧) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ

نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالمَاءِ، وَالثَّلْجِ، وَالبَرَدِ. وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِّنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

मग़फ़िरत फ़रमा दे, इस पर रहम फ़रमा, इसे आफ़ियत व आराम से रख, इस से दर गुज़र फ़रमा, इस की मेहमान नवाज़ी अच्छी फ़रमा, इस की क़ब्र कुशादा और फ़राख़ कर दे, इसे बर्फ़, पानी और ओलो से धो दे, (बिल्कुल साफ़ कर दे) इसे गुनाहों से ऐसा साफ़ कर दे जैसाकि सुफ़ैद कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ किया जाता है, और इसे इस दुनियावी घर से बेहतर और अच्छा घर और अहलो अयाल से बेहतर अहलो अयाल अता फ़रमा, इसे जन्नत में दाख़िल फ़रमा, इसे क़ब्र के फ़ितना व आज़माईश और अज़ाबे दोज़ख़ से महफ़ूज़ रख।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि आप ﷺ ने यह दुआ भी बुलन्द आवाज़ से पढ़ी थी, तभी तो औफ़ बिन मालिक رضي الله عنه ने इसे याद उर लिया था।

(٤٥٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا، وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا، وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالأَرْبَعَةُ.

458. अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ जब किसी की नमाज़ जनाज़ा पढ़ते तो यह दुआ माँगते: "इलाही! हमारे ज़िन्दों और मुर्दों, हमारे हाज़िर व ग़ायब, हमारे छोटों और बड़ों, हमारे मर्दों और ओरतों की मग़फ़िरत व बख़्शिश फ़रमा दे, इलाही! हम में से जिसे तू ज़िन्दा रखे उसे इस्लाम पर ज़िन्दा रख और जिसे तू मौत दे उसे ईमान की मौत से सरफ़राज़ फ़रमा, इलाही! हमें उस के अज्र व सवाब से महरूम न रखना और न हमें उस के बाद गुमराह करना" (इसे मुस्लिम और चारों अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है)

459. उन्हीं (अबू हुरैरा ؓ) से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम किसी मय्यित की नमाज़ जनाज़ा पढ़ो तो बहुत ख़ुलूस दिल से उस के लिये दुआ करो" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है, और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

(٤٥٩) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

नमाज़ जनाज़ा पढ़ने वाले दरअसल मरने वाले के लिये अल्लाह तआला के दरबार में उस की बख़्शिश की सिफ़ारिश करते हैं, हर सिफ़ारिशी की ख़्वाहिश होती है कि उस की सिफ़ारिश कबूल हो, इसलिये सिफ़ारिश करने वाला बड़ी आह व ज़ारी और दर्द दिल से सिफ़ारिश करता है, यह मय्यित का आख़िरी वक़्त होता है, इसलिये उस के लिये जितने ख़ुलूस दिल से दुआ की जा सकती हो करनी चाहिये, लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ रस्म ही पूरी करते हैं, ख़ुलूस नाम की कोई चीज़ बहुत ही कम नज़र आती है और दो तीन मिनट में जनाज़े का झटका करके रख देते है।

460. अबू हुरैरा ؓ रिवायत करते हैं कि नबी ने फ़रमाया: "जनाज़ा ले जाने में जल्दी किया करो, इसलिये कि अगर मरने वाला नेक और सालेह आदमी था तो उस के लिये बेहतर होगा कि उसे बेहतर जगह की तरफ़ जल्दी ले जाओ और अगर दूसरा है (बुरा आदमी है) तो अपनी गर्दन से उतार कर रख दो" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٤٦٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मय्यित के दफ़न करने में बिला ज़रूरत देर करना सुन्नत के ख़िलाफ़ है, मय्यित को जल्दी दफ़न करने की ताकीद आप ﷺ ने अली ؓ को फ़रमाई थी।

461. उन्हीं (अबू हुरैरा ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स जनाज़ा के साथ जाये, यहाँ तक कि उस पर नमाज़ पढ़ी जाये, उसे एक क़ीरात के बराबर सवाब मिलेगा, और जो शख़्स दफ़न होने तक हाज़िर रहे उसे दो क़ीरात अज्र मिलेगा" पूछा गया कि दो क़ीरात से क्या मुराद है?

(٤٦١) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ».

फ़रमाया: "दो क़ीरात दो बड़े पहाड़ो के बराबर।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَلِلْبُخَارِيِّ أيضًا من حَديثِ أبي هُرَيْرَةَ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إيماناً وَاحْتِسَاباً، وَكَانَ مَعَها حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ».

और मुस्लिम की रिवायत में है "मय्यित को क़ब्र में उतारे जाने तक हाज़िर रहे।"

और बुख़ारी की रिवायत में है "जिस ने किसी मुसलमान के जनाज़े में ईमान और हुसूले सवाब की नियत से शिरकत की और नमाज़ जनाज़ा के ख़त्म होने तक उस के साथ भी रहा और तदफ़ीन से फ़राग़त के बाद वापस लौटा तो वह दो क़ीरात ले कर वापस लौटा, हर क़ीरात उहद पहाड़ की मिक़दार के बराबर है।"

फ़ायेदा:

इस हदीस में जनाज़ा के साथ चलने और नमाज़ जनाज़ा पढ़ने के सवाब को तमसील के रंग में बयान किया गया है, मतलब इस का यह है कि मोमिन की नमाज़ जनाज़ा पढ़ने का बहुत बड़ा सवाब है, ईमान वालों को तरग़ीब दिलाई गई है कि जनाज़ा में शिरकत का एहतेमाम करें।

(٤٦٢) وَعَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ وَطَائِفَةٌ بِالإرْسَالِ.

462. सालिम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी ﷺ, अबू बक्र ؓ और उमर ؓ को जनाज़े के आगे चलते देखा है। (इस को पाँचों ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है, नसाई और एक गिरोह ने इसे मुर्सल होने की वजह से मालूल कहा है)

फ़ायेदा:

जनाज़ा के साथ क़ब्रिस्तान तक जाने की सूरत में आगे चलना चाहिये या पीछे, मुख़्तलिफ़ रिवायात से आप ﷺ का अमल दायें-बायें, आगे पीछे हर तरह साबित है।

(٤٦٣) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

463. उम्मे अतीया रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हमें जनाज़ों में शिरकत से मना कर दिया गया, मगर यह मुमानअत हम पर लाज़मी नहीं क़रार दी गयी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से औरतों की जनाज़ा में शिरकत ममनूअ मालूम होती है, ऐन मुमकिन है कि पहले औरतों को जनाज़ो में शरीक होने और क़ब्रिस्तान में जाने से मना कर दिया गया हो, मगर जब उन में इस्लामी शुउर काफ़ी हद तक बेदार हो गया हो तो जिस तरह आप ﷺ ने क़ब्रिस्तान जाने की इजाज़त दे दी, उसी तरह जनाज़ा में शिरकत की भी इजाज़त दे दी हो, चुनाँचि अबू हुरैरा ؓ से नसाई, इब्ने माजा और इब्ने अबी शैबा में रिवायत है कि एक जनाज़ा में औरतें शरीक हुयीं तो उमर ؓ ने उन्हें रोकना चाहा मगर रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उन्हें जाने दो।"

(٤٦٤) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

464. अबू सईद ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम किसी के जनाज़े को आते देखो तो खड़े हो जाओ, और जो शख़्स जनाज़े के साथ हो वह जनाज़े के ज़मीन में रखे जाने से पहले न बैठे।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

मौत का अमल इन्सान के लिये इज़तेराब, बेचैनी और बेक़रारी का बाइस होता है, और मय्यित के साथ फ़रिश्ते भी होते हैं, इसलिये उन के एहतेराम में खड़े होना लायक़े एतेबार है, मगर कुछ रिवायात से मालूम होता है कि जब आप ﷺ को मालूम हुआ कि जनाज़ा के लिये खड़े होना यहूदियों का तरीक़ा है तो आप ﷺ ने बैठने और यहूदियों की मुख़ालफ़त का हुक्म दे दिया, इस बिना पर कुछ ने खड़े होने के हुक्म को मंसूख़ क़रार दिया है और कुछ ने इस हुक्म को सिर्फ़ इस्तेहबाब पर महमूल किया है।

(٤٦٥) وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَدْخَلَ المَيِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَي القَبْرِ، وَقَالَ: هٰذَا مِنَ السُّنَّةِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

465. अबू इस्हाक़ से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ؓ ने मय्यित को उस के पाँव की तरफ़ से क़ब्र में उतारा और कहा कि सुन्नत का तरीक़ा यही है। (अबू दाउद)

फ़ायेदा:

इस से मालूम हुआ कि मय्यित को क़ब्र में पाँव की तरफ़ से उतारना चाहिये, हिजाज़ वालों में इसी पर अमल था, और इसी को इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इख़्तियार किया है और यही अफ़ज़ल है, क्योंकि कोई सहीह रिवायत उस के बरअक्स साबित नहीं।

(٤٦٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا وَضَعْتُمْ

466. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है

مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالْوَقْفِ.

जब अपने मरने वालो को क़ब्र में उतारो तो "बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह" कहो। (इसे अहमद, अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है, इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है और दार क़ुतनी ने इसे मालूल क़रार देते हुये इसे मौक़ूफ़ कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि मय्यित को क़ब्र में दाख़िल करते हुये यह दुआ पढ़नी मसनून है, इमाम दार क़ुतनी की तरह नसाई ने इस रिवायत को मौक़ूफ़ ही कहा है मगर यह सहीह नहीं।

(٤٦٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: «فِي الْإِثْمِ».

467. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "किसी मुर्दे की हड्डी तोड़ने (का गुनाह) ज़िन्दा इंसान की हड्डी तोड़ने के गुनाह की तरह है" (इसे अबू दाउद ने मुस्लिम की शर्त की सनद के साथ रिवायत किया है और इब्ने माजा ने उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी रिवायत में इतना इज़ाफ़ा किया है कि "गुनाह में")

फ़ायेदा:

इस हदीसे से मुसलमान चाहे वह मुर्दा ही हो उस की इज़्ज़त व एहतेराम का सबक़ मिलता है, एहतेराम में ज़िन्दा और मुर्दा में कोई ख़ास फ़र्क नही रखा, मगर इस दौर में सरजरी ने इतनी तरक़्क़ी कर ली है जिस का सदियों पहले ख़्वाब व ख़्याल भी न था, उलामाये किराम ने जुर्म की तहक़ीक़ व तफ़तीश के लिये पोस्ट मार्टम और इलाज वग़ैरह के लिये चीर फ़ाड़ की इजाज़त दी है।

(٤٦٨) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: الْحَدُوا لِي لَحْداً وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْباً، كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

468. साद बिन अबी वक्कास رضی اللہ عنہ से रिवायत है कि मेरे लिये बग़ली लहद वाली क़ब्र बनाना और मुझ पर कच्ची ईंटे चुनना, जिस तरह रसूलुल्लाह ﷺ के साथ किया गया। (मुस्लिम)

وَلِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَحْوُهُ، وَزَادَ: وَرُفِعَ قَبْرُهُ عَنِ الْأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

और बैहक़ी ने जाबिर رضی اللہ عنہ के हवाले से इसी तरह रिवायत किया है और इतना इज़ाफ़ा किया है कि आप ﷺ की क़ब्र ज़मीन से सिर्फ़

एक बालिश्त ऊँची बनाई गयी। (इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है) और मुस्लिम में जाबिर ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने मना फ़रमाया है कि "क़ब्र को पुख़्ता किया जाये और उस पर बैठा जाये और उस पर इमारत बनाई जाये।"

وَلِمُسْلِمٍ عَنْهُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، أَنْ يُجصَّصَ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से कई मसायेल पर रौशनी पड़ती है। 1- क़ब्र एक बालिश्त से ज़्यादा ऊँची नहीं होनी चाहिये। 2- क़ब्र को बग़ली बनाना आप ﷺ के नज़दीक पसन्दीदा था। 3- कच्ची ईंटे अन्दर लगानी चाहियें। क़ब्र पर किसी तरह की इमारत बनाना और क़ब्र को पुख़्ता बनाना शरअन मना है, और यह मुमानअत तहरीमी है क़ब्र को कोई मख़सूस शक्ल देना भी सहीह नहीं।

469. आमिर बिन रबीआ ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने उस्मान बिन मज़ऊन ﷺ की नमाज़ जनाज़ा पढ़ी और उन की क़ब्र पर तशरीफ़ लाये और खड़े खड़े तीन मुटठी मिट्टी डाली। (सुनन दार कुतनी)

(٤٦٩) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَأَتَى القَبْرَ، فَحَثَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، وَهُوَ قَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि मय्यित को क़ब्र में दाख़िल करने के बाद वहाँ मौजूद आदमियों को तीन तीन मुट्ठी भरकर मिट्टी खड़े खड़े डालनी चाहिये।

470. उस्मान ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ जब मय्यित की तदफ़ीन से फ़ारिग़ होते तो क़ब्र पर खड़े हो जाते और फ़रमाते: "अपने भाई के लिये बख़्शिश माँगो और साबित क़दम रहने की दुआ करो, क्योंकि अब इस से बाज़ पुर्स की जायेगी।" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और हाकिम ने सहीह कहा है)

(٤٧٠) وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मय्यित से क़ब्र में बाज़पुर्स होती है, तदफ़ीन के बाद दुआ करना मय्यित के लिये साबित है।

471. ज़मरा बिन हबीब रहमतुल्लाह अलैह जो एक ताबई हैं से रिवायत है कि लोग मुस्तहब समझते थे कि जब मय्यित की क़ब्र बराबर व हमवार कर दी जाती और लोग जाने लगते तो क़ब्र के पास खड़े होकर मय्यित को मुख़ातब करके यूँ कहा जाये ऐ फ़ुलाँ! कहो, "ला इलाहा इल्लल्लाह" (अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं) इस को तीन बार कहते, ऐ फ़ुलाँ! "रब्बियल्लाह व दीनी इस्लाम व नबिय्यी मुहम्मद" कहो, (मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मुहम्मद ﷺ मेरे नबी हैं)
सईद बिन मन्सूर ने इसे मौक़ूफ़ बयान किया है और तबरानी ने इसी तरह की अबू उमामा ؓ की लम्बी मरफ़ूअ हदीस बयान की है।

(٤٧١) وَعَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ - أَحَدِ التَّابِعِينَ - قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ وَانْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ، أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ: يَا فُلَانُ! قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِي الإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ﷺ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفاً، وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعاً مُطَوَّلاً.

फ़ायेदा:

मय्यित को दफ़न करने के बाद मय्यित को मुख़ातब करके तलक़ीन करना किसी भी सहीह या हसन रिवायत से साबित नहीं। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने फ़रमाया कि शाम वालों के अलावा यह अमल किसी और को करते हुये नहीं देखा।

472. बुरैदा बिन हुसैब असलमी ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था, अब उन की ज़ियारत करो।" (मुस्लिम) तिर्मिज़ी ने इतना इज़ाफ़ा किया है कि "क़ब्रों की ज़ियारत आख़िरत की याद दिलाती है" और इब्ने माजा ने इब्ने मसउद ؓ की रिवायत में इतना इज़ाफ़ा किया है कि "यह ज़ियारत्त दुनिया से बेरग़बत बना देती है।"

(٤٧٢) وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ الأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. زَادَ التِّرْمِذِيُّ: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ». زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا».

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि क़ब्रों की ज़ियारत ज़ायेज़ है, शुरू में आप ﷺ ने इस से मना

फ़रमाया था, मगर फिर इस की इजाज़त दे दी और इस से मक़सद आख़िरत की याद और मय्यित के लिये बख़्शिश व मग़फिरत की दुआ करना है, क़ब्रों पर नज़र व नियाज़ और उर्स का शरीअत में कोई जवाज़ नहीं।

473. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने क़ब्रों की ज़ियारत के लिये जाने वाली औरतों पर लानत की है। (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

(٤٧٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

474. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने नौहा करने और सुनने वाली पर लानत की है। (अबू दाउद)

(٤٧٤) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّائِحَةَ وَالْمُسْتَمِعَةَ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से नौहा करने और सुनने की हुरमत साबित होती है, बल्कि नबी करीम ﷺ औरतों से नौहा न करने का बाक़ायदा वादा लेते थे, जैसाकि आगे की हदीस में आ रहा है।

475. उम्मे अतीया रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हम से बैअत के मौक़े पर यह वादा लिया था कि हम मय्यित पर नौहा न करेंगी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٤٧٥) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ لَا نَنُوحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस से साफ़ तौर पर मालूम हो रहा है कि मरने वालों पर नौहा और बैन करना, चीख़ना, चिल्लाना, वावेला करना, गरीबान फाड़ना और मुँह नोचना हराम काम हैं, ग़मी से आँखों से आँसूओं का बहना, आँसूओं का बेइख़्तियार बह निकलना हराम नहीं, यानी कि आँखों का फेल हराम नहीं, बल्कि ज़ुबान का फ़ेल हराम है।

476. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "मरने वालों को उस पर नौहा करने वालों की वजह से क़ब्र में अज़ाब दिया जाता है।" (बुख़ारी, मुस्लिम, और उन दोनों ने मुग़ीरा बिन शीबा के हवाले से इसी तरह रिवायत बयान की है)

(٤٧٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَهُمَا نَحْوُهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

477. अनस ﷺ का बयान है कि मैं नबी ﷺ

(٤٧٧) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

की एक बेटी की तदफ़ीन के मौके़ पर हाज़िर था, रसूलुल्लाह ﷺ क़ब्र के पास बैठे हुये थे कि मैंने देखा आप ﷺ की दोनों आँखों से आँसू बह रहे थे। (बुख़ारी)

قَالَ: شَهِدْتُ بِنْتًا لِلنَّبِيِّ ﷺ تُدْفَنُ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ عِنْدَ الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि मय्यित पर रोना जायेज़ है, नबी ﷺ के अपने बेटे इब्राहीम رضي الله عنه की वफ़ात के मौके़ पर आँसू बह निकले थे तो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ رضي الله عنه ने कहा या रसूलुल्लाह! क्या आप ﷺ भी गिरिया व ज़ारी करते हैं? आप ﷺ ने फ़रमाया: "यह बेसब्री की वजह से नहीं बल्कि बाप की शफ़क़त की बिना पर है" यानी कि ग़म की वजह से बाप की मुहब्बत जोश मारे और आँखों से आँसू बह निकले तो क़ाबिले मज़म्मत व मलामत नहीं अलबत्ता ज़ुबान से चीख़ व पुकार और नौहा करना मना है।

478. जाबिर رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "अपने मरने वालों को रात के वक़्त में दफ़न न करो, सिवाय इस के कि तुम इस के लिये मजबूर हो जाओ" (इब्ने माजा) इस की असल मुस्लिम में है लेकिन उसी में है कि आप ﷺ ने रात को दफ़न करने पर डाँटा, इल्ला यह कि नमाज़ जनाज़ा पढ़ ली जाये।

(٤٧٨) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ، لَكِنْ قَالَ: زَجَرَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

यह वजह भी हो सकती है कि रात के वक़्त कफ़न अच्छी तरह न दिया जा सके, अगर नमाज़ जनाज़ा दिन के वक़्त पढ़ ली जाये और किसी वजह से दफ़न की नौबत रात को आये तो यह मना नहीं। फ़ातिमा रज़ि अल्लाहु अन्हा बिन्ते मुहम्मद ﷺ को रात ही में दफ़न किया गया था, अबू बक्र رضي الله عنه की तदफ़ीन भी रात ही को हुई थी, बल्कि ख़ुद नबी ﷺ ने एक सहाबी को रात को दफ़न किया था। (तिर्मिज़ी, इब्ने माजा) यह और इसी मौज़ूअ की दूसरी अहादीस से साबित होता है कि रात को किसी ख़ास वजह के बग़ैर भी दफ़न करना जायेज़ है, जमहूर इसी के क़ायेल हैं।

479. अब्दुल्लाह बिन जाफ़र رضي الله عنه से रिवायत है कि जब जाफ़र बिन अबी तालिब رضي الله عنه की शहादत की ख़बर मिली तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जाफ़र رضي الله عنه के घर वालों के लिये खाना तैयार करो, उन को ऐसी तकलीफ़ देने वाली ख़बर मिली है जो उन को खाना पकाने

(٤٧٩) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ، حِينَ قُتِلَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

से मशगूल रखेगी" (नसाई के अलावा इसे पाँचों ने रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि जिन का कोई अज़ीज़ इन्तिक़ाल कर जाये तो उन को खाना खिलाना मसनून है, पड़ोसी का हक़ सब से पहले और सब से ज़्यादा है।

480. सुलैमान बिन बुरैदा ﷺ अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम जब क़ब्रिस्तान जाते तो रसूलुल्लाह ﷺ उन को सिखलाते कि यूँ कहो सलाम हो तुम पर ऐ घर वालो! मोमिनों और मुसलमानो में से और हम भी इन्शा अल्लाह तुम्हारे साथ मिलने वाले हैं और हम अपने और तुम्हारे लिये अल्लाह से आफ़ियत का सवाल करते हैं। (मुस्लिम)

(٤٨٠) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى المَقَابِرِ أَنْ يَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से क़ब्रिस्तान में जाना और फिर उन के लिये और अपने लिये मग़फ़िरत व बख़्शिश की दुआ करना साबित होता है। "मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन" से मालूम होता है कि मुशिरक, काफ़िर और मुलहिद के लिये दुआ व बख़्शिश जायेज़ नहीं। इस के बरअक्स जो लोग क़ब्र वालों को फ़रियादरस, मुश्किलकुशा समझ कर उन से फ़रियादें करते हैं और उन से मुरादें माँगते हैं यह सब काम ख़िलाफ़ शरअ हैं और शिरकिया काम हैं, मुसलमानों को इन से हर मुमकिन तरीक़ा से बचने की कोशिश करनी चाहिये।

481. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ का गुज़र मदीना के क़ब्रिस्तान पर हुआ, आप ﷺ उन की तरफ़ मुतवज्जह हुये और फ़रमाया: "ऐ क़ब्र वालो! तुम पर सलाम हो, अल्लाह हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फ़रमाये, तुम हमारे पेश रौ हो और हम तुम्हारे पीछे चले आ रहे हैं।" (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और हसन कहा है)

(٤٨١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِقُبُورِ المَدِينَةِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، يَا أَهْلَ القُبُورِ! يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا، وَنَحْنُ بِالأَثَرِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ.

482. आइशा रज़ि. अल्लाहु अन्हा से रिवायत

(٤٨٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا

وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا
الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا»
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْمُغِيرَةِ
نَحْوَهُ، لَكِنْ قَالَ: «فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ»

है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुर्दों को गाली मत दो इसलिये कि उन्होंने जो भेजा है उसे हासिल कर लिया है" (बुख़ारी) तिर्मिज़ी ने मुग़ीरा के हवाले से इसी तरह रिवायत किया है, लेकिन उस में "फ़तुअज़ुल-अहया" है, यानी गाली से तुम ज़िन्दा लोगों को तकलीफ़ देते हो।

फ़ायदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि मरने वालों को गाली गलौज नहीं देना चाहिये, अबू जहल की बेटी मुसलमान हुई तो कुछ लोगों ने कहा अल्लाह के दुश्मन की बेटी मुसलमान हुई है, इस ने इस की शिकायत रसूलुल्लाह ﷺ से की तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "मरने वालों को बुरा मत कहो, इस से उन की मुसलमान होने वाली औलाद को तकलीफ़ पहुँचती है" (मुसनद अहमद) सोचिये! जब कुफ़्फ़ार को उन की मुसलमान औलाद के सामने गाली देना जाइज़ नहीं तो मुसलमानों के अकाबिरीन को गाली देना इस्लाम की कौन सी ख़िदमत है।

4- ज़कात के मसायेल

٤ - كِتَابُ الزَّكَاةِ

483. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने मुआज़ बिन जबल ؓ को यमन की तरफ़ रवाना किया, फिर सारी हदीस बयान की, जिस में है कि "अल्लाह तआला की तरफ़ से उन के मालों पर ज़कात फ़र्ज़ की गई है, जो उन के अग़निया (मालदारों) से वुसूल की जाये और उन्ही के मुहताजों और ग़रीबों में बाँट दी जाये।" (बुख़ारी)

(٤٨٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذاً رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «إِنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि आप ﷺ के ज़माने से ज़कात की वसूली और उस की मसारिफ़ का सरकारी सतह पर इन्तेज़ाम हो गया था, और उस से यह भी मालूम हुआ कि जहाँ से ज़कात वुसूल की जायेगी वहीं के मुहताजों और ज़रूरतमंदों में बाँट दी जायेगी, अगर वहाँ के मुहताजों से ज़कात बच जाये तो फिर दूसरे इलाक़ों में ज़कात भेजी जा सकती है। यह ग़रीबों का हक़ है उन पर कोई एहसान नहीं।

484. अनस ؓ से रिवायत है कि अबू बक्र ؓ ने अनस ؓ को ज़कात के फ़रीज़ा के बारे में लिख कर दिया था, जिसे रसूलुल्लाह ﷺ ने मुसलमानों पर मुक़र्रर किया था, और जिस का हुक्म अल्लाह तआला ने अपने नबी को दिया था कि ऊँटों की चौबीस या उस से कम तादाद पर बकरियाँ हैं, हर पाँच ऊँटों पर एक बकरी। जब तादाद पच्चीस से बढ़ कर पैंतीस हो जाये तो उस तादाद पर एक साल की ऊँटनी है, अगर यह न मिले तो फिर दो साल का नर बच्चा और जब छत्तीस से तादाद बढ़ कर पैंतालीस तक पहुँच जाये तो उन में दो साल की ऊँटनी और जब छियालीस से बढ़ कर साठ तक तादाद पहुँच

(٤٨٤) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ: هٰذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللّٰهُ بِهَا رَسُولَهُ: «فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ: فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتّاً وَأَرْبَعِينَ، إِلَى سِتِّينَ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ، إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا

जाये तो उन में तीन साल का जवान ऊँट की जुफ़ती के क़ाबिल ऊँटनी। और जब इकसठ से बढ़कर पचहत्तर तक पहुँच जाये तो उन में चार साल का ऊँट, और जब छिहत्तर से तादाद बढ़ कर नव्वे हो जाये तो उन में दो-दो साल की दो ऊँटनियाँ और फिर एकानवे से बढ़कर तादाद एक सौ बीस तक पहुँच जाये तो उन में तीन-तीन साल की दो जवान ऊँटनियाँ, जो ऊँट की जुफ़ती के क़ाबिल हों। और जब तादाद एक सौ बीस से ज़्यादा हो जाये तो फिर हर चालीस ऊँटों पर एक दो साल की ऊँटनी और हर पच्चास पर तीन साल और जिस के पास सिर्फ़ चार ही ऊँट हों तो उस तादाद पर कोई ज़कात नहीं, इल्ला यह कि इन का मालिक चाहे। और बकरियों की ज़कात को जो बाहर चरने जाती हों, चालीस से लेकर एक सौ बीस की तादाद पर सिर्फ़ एक बकरी ज़कात में वुसूल की जायेगी। जब यह तादाद एक सौ बीस से बढ़कर दो सौ तक पहुँच जायेगी, तो दो बकरियाँ ज़कात में वुसूल की जायेंगी। फिर जब यह तादाद दो सौ से बढ़कर तीन सौ तक पहुँच जायेगी तो तीन बकरियाँ वुसूल की जायेंगी। जब तादाद तीन सौ से बढ़ जायेगी तो हर सौ पर एक बकरी ज़कात में वुसूल की जायेगी। अगर किसी की बाहर जंगल में चरने वाली बकरियाँ चालीस से एक भी कम तादाद में हों तो मालिक पर कोई ज़कात नहीं लेकिन अगर मालिक चाहे। ज़कात के डर से न तो अलग-अलग चरने वालियों को इकटठा किया जाये और न ही इकटठी चरने वालियों को अलग-अलग किया जाये, और जो

فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ، إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ. فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَّعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ، فِي سَائِمَتِهَا: إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ، شَاةٌ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا شَاتَانِ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ، إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ، شَاةٌ. فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً عن أَرْبَعِينَ شَاةً، شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ. وَمَا كَانَ مِنَ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ. وَفِي الرِّقَةِ: فِي مِائَتَي دِرْهِمٍ، رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أن يَشَاءَ رَبُّهَا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَماً. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ

الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ شَاتَيْنِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

जानवर दो आदमियों के बीच मुशतरका हो वह मिलकर ज़कात का हिस्सा निकाले। ज़कात की मुद में बूढ़ा और न एक आँख का जानवर और न साँड लिया जायेगा, इल्ला यह कि ज़कात देने वाला आप चाहे। और चाँदी के सिक्कों का निसाब दो सौ दिरहम है, उस में से चालीसवाँ हिस्सा ज़कात है, अगर किसी के पास दो सौ दिरहम से एक भी दिरहम कम है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं, इल्ला यह कि उसका मालिक ख़ुद देना चाहें। और जिस के ऊँटों की ज़कात में चार साल का ऊँट वाजिबुल वुसूल है और उस के पास इस उमर का ऊँट न हो और यह उस के पास तीन साल की जवान ऊँटनी हो तो उस से दो बकरियाँ और तीन साला जुफ़ती के लायक़ जवान ऊँटनी वुसूल किया जाये, मगर शर्त यह है कि बकरियाँ आसानी से मिल जाये या बीस दिरहम देना होगा और जिस की ज़कात में तीन साल की जवान ऊँटनी आती हो और उस के पास चार साल का ऊँट हो तो उस से वही चार साल का ऊँट ही वुसूल कर लिया जायेगा, मगर ज़कात वुसूल करने वाला उसे बीस दिरहम या दो बकरियाँ वापस देगा। (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस में माल व जानवर की ज़कात का निसाब मज़कूर है, और उस में ज़कात वुसूल करने का तरीक़ा। ज़कात में वुसूल किये जाने वाले जानवरों की उम्रों का बयान है और ज़कात की वुसूली का एहतेमाम मज़कूर है। न तो मालिक को धोका देने की कोशिश की जाये और न ही सरकारी लोगों को धोके में रखने की कोशिश की जाये, हर तरह के जानवरों पर ज़कात नहीं बल्कि जंगल में चरने वालों पर है।

(٤٨٥) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ،

485. मुआज़ बिन जबल ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने उन को यमन की तरफ़ (आमिल

فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعاً أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً، أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرِيّاً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَشَارَ إِلَى اخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

मुक़र्रर कर के) भेजा, उन को हुक्म दिया कि वह तीस गायों पर एक साल की मादा गाय या नर बछड़ा वुसूल करे, और हर चालीस की तादाद पर एक दो साल का बछड़ा लिया जाये, और हर नौजवान से एक दीनार या मआफ़री कपड़ा लिया जाये। (इसे पाँचो ने रिवायत किया है, हदीस के अलफ़ाज़ अहमद के हैं, और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है, और इस के मौसूल होने के बारे में इख़्तिलाफ़ का इशारा किया है, इब्ने हिब्बान और हाकिम दोनों ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में गाय के निसाब की तफ़सील के साथ-साथ ग़ैर मुस्लिम से जिज़या वसूल करने का भी हुक्म है, बिलइत्तेफ़ाक़ उलमा ने भैंस को गाय पर क़ियास किया, उस की हिल्लत और ज़कात का वही हुक्म है जो गाय का है।

(٤٨٦) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَلِأَبِي دَاوُدَ: «لَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ».

486. अम्र बिन शुऐब अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है: "मुसलमानों से ज़कात उन के पानी पिलाने की जगहों पर वुसूल की जायेगी" (अहमद) और अबू दाउद की रिवायत में है कि मुसलमानों के सदक़ात उन के घरों ही पर हासिल किये जायेगें।

फ़ायेदा:

इस हदीस में ज़कात वुसूल करने वाले को ज़कात वुसूल करने के लिये लोगों के पास उन को घरों, जानवरों के रहने की जगहों में जाने का हुक्म है, ताकि किसी तरह के धोका में मुब्तला न किया जा सके और वह अपनी हाकमीयत की धौंस भी न जमा सके, बल्कि दीन के ख़ादिम की हैसियत से घर-घर जाकर ज़कात वुसूल करे।

(٤٨٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَلِمُسْلِمٍ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ، إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ».

487. अबू हुरैरा ﵁ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुसलमानों पर न उस के गुलाम में ज़कात है और न उस के घोड़े मे" (बुख़ारी) और मुस्लिम की रिवायत

में है कि "गुलाम में ज़कात नहीं मगर सदका फ़ित्र है।"

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि गुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं, यानी जो गुलाम अपनी ख़िदमत के लिये और जो घोड़ा अपनी सवारी के लिये मख़सूस हो उन पर किसी तरह की ज़कात नहीं, लेकिन अगर तिजारत के लिये हो तो उन पर ज़कात होगी, जमहूर उलमा का यही मसलक है।

(٤٨٨) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِراً بِهَا، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ القَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ.

488. बहज़ बिन हकीम अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "चरने वाले तमाम ऊँटों में चालीस पर एक दो साल की ऊँटनी है और ऊँटों को उन के हिसाब से अलग न किया जायेगा और जो शख़्स सवाब पाने की नीयत से ज़कात अदा करेगा उस को उस का सवाब भी मिलेगा और जिस ने ज़कात रोक ली तो हम ज़कात ज़बरदस्ती वुसूल करेंगे, और उस का कुछ माल भी, हमारे परवरदिगार के फ़रायेज़ में से एक लाज़मी हिस्सा है, उन में से कोई चीज़ भी आले मुहम्मद के लिये हलाल नहीं।" (इसे अहमद, अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है और शाफ़ई ने इस के साबित होने पर अपने क़ौल को मुअल्लक़ रखा है)

फ़ायेदा:

ज़कात के एक मसले के अलावा यह भी साबित हुआ कि बनू हाशिम, बनू अब्दुल मुत्तल्लिब ज़कात नहीं ले सकते, बनू हाशिम और औलादे अली, औलादे अब्बास, औलादे अक़ील और औलादे हारिस बिन अब्दुल मुत्तल्लिब शामिल हैं, यह भी ज़कात नहीं ले सकते।

(٤٨٩) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا

489. अली رضی اللہ عنہ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तेरे पास दो सौ दिरहम हों और उन पर पूरा साल गुज़र जाये तो उन में पाँच दिरहम ज़कात है, जब तक तेरे पास

خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَهُوَ حَسَنٌ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي رَفْعِهِ.

बीस दीनार न हों और उन पर पूरा साल न गुज़र जाये, उस वक़्त तक तुझ पर कोई चीज़ नहीं, जब बीस दीनार हों तो उन में आधा दीनार ज़कात है, जो उस से ज़्यादा होगा तो उसी हिसाब से ज़कात होगी, किसी भी माल पर उस वक़्त तक ज़कात नहीं जब तक कि उस पर पूरा साल न गुज़र जाये।" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और यह हसन है, इस के मरफ़ूअ होने में इख़्तेलाफ़ है)

وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.

और तिर्मिज़ी में इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मन्कूल है कि जो माली साल के दौरान मिले उस पर भी साल ख़त्म होने से पहले कोई ज़कात नहीं और राजिह यही है कि यह रिवायत मौक़ूफ़ है।

फ़ायेदा:

इस हदीस में सोने और चाँदी की मिक़्दार ज़कात का बयान है, चाँदी अगर दो सौ दिरहम से कम हो तो उस पर कोई ज़कात नहीं, याद रहे कि दिरहम का वज़न सवा तीन माशा होता है। एहतियात के तौर पर साढ़े बावन तोला निसाब ज़कात मुक़र्रर किया गया है और सोने के बीस दीनार पर ज़कात है, एक दीनार बीस मिसक़ाल के या नव्वे माशा के बराबर है जो साढ़े सात तोला बनता है और एक हिसाब इस तरह भी लगाया गया है कि दिरहम सवा तीन माशा का होता है, इस लिहाज़ से मुहतात अंदाज़े के मुताबिक़ पच्चास तोले मुक़र्रर किया गया है और ज़कात चालीसवाँ हिस्सा है और सोने का निसाब बीस मिसक़ाल है और एक मिसक़ाल बीस क़ीरात का वज़न तीन माशा एक रत्ती बताया गया है, इस हिसाब से तो बीस मिसक़ाल सोने के साढ़े बासठ माशा बनते हैं (यानी पाँच तोला ढाई माशा) और उस की ज़कात भी चालीसवाँ हिस्सा है, काग़ज़ी नोट जो रूपया का बदल है उस में भी ज़कात चालीसवाँ हिस्सा ही है।

(٤٩٠) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَيْسَ فِي البَقَرِ العَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضاً.

490. अली ﷺ से रिवायत है कि काम करने वाले बैलों पर ज़कात वाजिब नहीं। (इसे अबू दाउद और दार क़ुतनी ने रिवायत किया है, राजिह यही है कि यह भी मौक़ूफ़ है)

(٤٩١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيماً لَهُ

491. अम्र बिन शुऐब अपने बाप से और वह अपने दादा अब्दुल्लाह बिन अम्र ﷺ से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो

مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ.

शख़्स किसी यतीम का मुतवल्ली बने उसे चाहिये कि यतीम के माल को तिजारत में लगाये, उसे यूँ ही बेकार पड़ा न रहने दे कि ज़कात ही उसे खा जाये।" (इसे तिर्मिज़ी और दार कुतनी ने रिवायत किया है, इस की सनद कमज़ोर है, अलबत्ता इमाम शाफई के पास एक मुरसल रिवायत इस की गवाह है)

(٤٩٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

492. अब्दुल्लाह बिन अबी अवफ़ा रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में जब लोग ज़कात लेकर आते तो आप ﷺ उन के लिये यूँ दुआ करते "या अल्लाह! उन पर रहम व करम फ़रमा" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٤٩٣) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذٰلِكَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ.

493. अली ﷺ से रिवायत है कि अब्बास ﷺ ने नबी ﷺ से पूछा, क्या ज़कात अपने मुक़र्रर वक़्त से पहले अदा हो सकती है? तो आप ﷺ ने उन को इस की इजाज़त दे दी। (तिर्मिज़ी और हाकिम ने इसे रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

ज़कात फ़र्ज़ तो साल ख़त्म होने के बाद ही होती है, मगर नबी ﷺ ने पेशगी अदा कर देने को भी जायेज़ क़रार दिया है, इस मसअले में उलमा की मुख़तलिफ़ राय है, एक गिरोह कहता है कि जिस तरह नमाज़, रोज़ा और हज ऐसी इबादतें अपने वक़्त से पहले अदा नहीं हो सकती, उसी तरह ज़कात भी इबादत है यह भी अपने वक़्त से पहले अदा नहीं हो सकती, सुफ़यान सौरी की यही राय है, हालाँकि यह इस्तिदलाल व क़ियास कुछ ज़्यादा वज़नी नहीं, इसलिये कि ज़कात का दूसरी आदात की तरह वक़्त मुतअय्यन नहीं, इसे अगर देर से दिया जा सकता है तो पहले भी अदा हो सकती है, जिस की दलील यही अली ﷺ की हदीस है, जमहूर अहले इल्म की भी यही राय है।

(٤٩٤) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ

494. जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "पाँच ऊक़िया से कम चाँदी पर कोई ज़कात नहीं, इसी तरह ऊँटों की तादाद पाँच से कम हो तो उन पर

الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

भी ज़कात नहीं और पाँच वसक़ से कम खजूरों पर भी ज़कात नहीं।" (मुस्लिम)

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ». وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

और मुस्लिम में अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है कि पाँच वसक़ से कम खजूरों या ग़ल्ला में ज़कात नहीं, अबू सईद ख़ुदरी ﷺ की रिवायत की असल बुख़ारी व मुस्लिम में है।

फ़ायेदा:

इस हदीस में चाँदी का निसाब पाँच ऊक़िया है, जबकि इस से पहली हदीस में दो सौ दिरहम है, इन दोनों अहादीस में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है, इसलिये कि एक ऊक़िया में चालीस दिरहम होते हैं और पाँच ऊक़िया के दो सौ दिरहम हो गये, कोई फ़र्क़ नहीं।

(٤٩٥) وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيّاً، اَلْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. وَلِأَبِي دَاوُدَ: أَوْ كَانَ بَعْلاً اَلْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ.

495. सालिम बिन अब्दुल्लाह ﷺ अपने बाप से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी ﷺ से बयान किया है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "जो ज़मीन आसमानी बारिश और चश्मों से सैराब (सिंचाई) होती हो या रुतूबत वाली हो उस में दसवाँ हिस्सा ज़कात है और जो ज़मीन पानी खीच कर सिंचाई की गई हो उस में बीसवाँ हिस्सा है" (बुख़ारी) अबू दाउद की रिवायत में (बअलन-अलउश्र) का लफ़्ज़ है अलउश्र की जगह, और अगर जानवरों के ज़रिया या डोल से पानी निकाल कर सिंचाई की जाती हो तो उस में बीसवाँ हिस्सा है।

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि ज़मीन को कई ज़रियो से सिंचाई करने की सूरत में ज़कात (उश्र) की नौईयत भी मुख़तलिफ़ है, मिसाल के तौर पर ज़मीन मशक़्क़त तलब ज़रिया से सैराब हों, जैसे ऊँट, बैल या आदमी पानी निकाल कर या लाकर सैराब करते हों तो इस ज़मीन की पैदावार पर बीसवाँ हिस्सा है, इसी तरह अगर ज़मीन कुँये के पानी, टियूबवेल के पानी से या पानी ख़रीद कर सैराब किया जाता हो, जैसे नहर का पानी, टियूबवेल का पानी ख़रीद कर सैराब किया जाता है तो ऐसी सूरत में भी बीसवाँ हिस्सा है, आजकल पटाई देकर ज़मीन सैराब की जाती है, यह पटाई मशक़्क़त व मेहनत के क़ायम मक़ाम है, इसलिये मौजूदा निज़ाम के तहत नहर के पानी से सैराब की जाने वाली ज़मीनों की पैदावार में भी बीसवाँ हिस्सा है।

496. अबू मूसा अशअरी ﷺ और मुआज़ बिन जबल ﷺ दोनों से रिवायत है कि नबी ﷺ ने उन से फ़रमाया कि "जौ, गेहूँ, किशमिश और खजूर इन चार चीज़ों के अलावा किसी ग़ल्ला पर ज़कात वुसूल न की जाये।" (इसे तबरानी और हाकिम ने रिवायत किया है और दार कुतनी ने मुआज़ ﷺ से रिवायत किया है कि खीरा, ककड़ी, तरबूज़, अनार और गन्ने में बेशक रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़कात माफ़ फ़रमायी है, मगर इस रिवायत की सनद में कमज़ोरी है।

(٤٩٦) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُمَا: لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هٰذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالحَاكِمُ.

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: فَأَمَّا القِثَّاءُ وَالبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

497. सहल बिन अबी हसमा ﷺ से रिवायत है कि हमें रसूलुल्लाह ﷺ ने हुक्म दिया: "जब तुम ग़ल्ला का हिसाब और अंदाजा लगाओ तो एक तिहाई छोड़ दिया करो, अगर तिहाई नहीं छोड़ सकते तो चौथाई छोड़ दिया करो" (इब्ने मांजा के अलावा इसे पाँचों ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٤٩٧) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

498. अत्ताब बिन असीद ﷺ कहते है कि हमें रसूलुल्लाह ﷺ ने हुक्म दिया: "हम अंगूर का अंदाज़ा भी उसी तरह लगायें जिस तरह खजूरों का अंदाज़ा लगाया जाता है और उस की ज़कात में किशमिश वुसूल की जाये।" (इसे पाँचों ने रिवायत किया है मगर इस में इनक़िताअ है)

(٤٩٨) وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُخْرَصَ العِنَبُ، كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُه زَبِيباً. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.

499. अम्र बिन शुऐब रहमतुल्लाह अलैह अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि एक औरत नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुई, उस के साथ उस की बेटी भी थी जिस के हाथ में सोने के दो कंगन थे,

(٤٩٩) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعَها ابْنَةٌ لَّهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هٰذَا»؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللّٰهُ

بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ»؟ فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.

आप ﷺ ने उस से फ़रमाया: "क्या तू इस की ज़कात देती है?" उस ने अर्ज़ किया नहीं, आप ﷺ ने फ़रमाया: "क्या तुझे यह पसन्द है कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआला इन के बदले तुझे आग के दो कंगन पहनाये?" यह सुन कर उस औरत ने दोनों कंगन फेंक दिये। (इसे तीनों ने रिवायत किया है, इस की सनद मज़बूत है, हाकिम ने इसे आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया और इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि ज़ेवरात पर ज़कात है, लेकिन इस के बारे में फ़ुक़हा का इख़्तिलाफ़ है, पहला क़ौल यह है कि ज़ेवर में ज़कात वाजिब है, दूसरा यह कि ज़ेवर में ज़कात फ़र्ज़ नहीं। राजिह क़ौल यही है कि ज़ेवरात पर ज़कात फ़र्ज़ है और यह सहीह हदीस इस की खुली हुई दलील है।

(٥٠٠) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحاً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

500. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि उन्होंने सोने का ज़ेवर पहन रखा था, उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह! क्या वह कन्ज़ है? फ़रमाया: "जब तुम ने इस की ज़कात अदा कर दी तो फिर यह कन्ज़ नहीं।" (इसे अबू दाउद और दार क़ुतनी ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

अवज़ाह जैसाकि उपर बयान हुआ वज़ह की जमा (बहुवचन) है, वज़ह कहते हैं रौशन और चमक दमक को, दरअसल तो यह ज़ेवर चाँदी से तैयार होता है, इस की ज़ाहिरी चमक दमक और सफ़ेदी की वजह से इसे अवज़ाह कहा जाता है, यह ज़ेवर सोने का भी तैयार किया जाने लगा, इस हदीस से भी सोने चाँदी से बने ज़ेवरात पर ज़कात की फ़रज़ीयत साबित होती है, चाँदी के ज़ेवर पर भी ज़कात है।

(٥٠١) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ.

501. समुरा बिन जुन्दब ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ हमें तिजारत के सामान से ज़कात निकालने का हुक्म दिया करते थे। (इसे अबू दाउद ने कमज़ोर सनद के साथ रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि तिजारत के सामान पर ज़कात फ़र्ज़ है।

502. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मादनीयात (खनिज पदार्थ) में पाँचवाँ हिस्सा है" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٠٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

503. अम्र बिन शुऐब अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने उस ख़ज़ाने के बारे में जो किसी आदमी को वीराने से मिले, फ़रमाया: "अगर तूने यह ख़ज़ाना किसी आबाद जगह से पाया है तो इस को पता करने के लिये एलान करो और अगर तूने किसी ग़ैर आबाद जगह से पाया है तो इस में और मादनीयात में (पाँचवाँ हिस्सा) है।" (इसे इब्ने माजा ने हसन सनद के साथ बयान किया है)

(٥٠٣) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي كَنْزٍ وَجَدَهُ رَجُلٌ فِي خَرِبَةٍ: «إِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ مَسْكُونَةٍ فَعَرِّفْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ فَفِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

504. बिलाल बिन हारिस ﷺ से रिवायत है कि रसूलूल्लाह ﷺ ने क़ब्ल जगह में वाक़ेअ कानों से ज़कात वुसूल की। (अबू दाउद)

(٥٠٤) وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَخَذَ مِنَ المَعَادِنِ القَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

1. सदक़्ये फ़ित्र का बयान

١ - بَابُ صَدَقَةِ الفِطْرِ

505. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुसलमानों के ग़ुलाम, आज़ाद, मर्द, औरत, बच्चे और बूढ़े सब पर सदक़्ये फ़ित्र वाजिब किया है, एक साअ (टोपा) खजूरों से या एक साअ जौ से और उस के मुतअल्लिक़ हुक्म दिया है कि यह फ़ितराना नमाज़ के लिये निकलने से पहले अदा कर दिया जाये। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٠٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَلِابْنِ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هٰذَا الْيَوْمِ.

इब्ने अदी और दार कुतनी में कमज़ोर (ज़ईफ़) सनद से है कि उस रोज़ ग़रीबों को दर बदर फिरने से बेनियाज़ कर दो।

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि फ़ितराना मुसलमानों के सब अफ़राद पर वाजिब है और उस की अदायगी का हुक्म भी ईद की नमाज़ से पहले-पहले है ताकि मुआशरे (समाज) के ज़रूरतमंद लोग उस रोज़ माँगने से बेनियाज़ हो कर आम मुसलमानों के साथ खुशियों में शामिल हो सकें, इस फ़ितराना की मिक़दार एक साअ मुक़र्रर की है, ग़ैर मुस्लिम गुलाम का फ़ितराना नहीं, अलबत्ता जिस शख़्स की कफ़ालत किसी के ज़िम्मे हो उन सब का फ़ितराना वह ख़ुद अदा करे।

(٥٠٦) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطٍ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ، كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ. وَلِأَبِي دَاوُدَ: «لَا أُخْرِجُ أَبَداً إِلَّا صَاعاً».

506. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है कि हम नबी ﷺ के ज़माने में गन्दुम से एक साअ और खजूर से एक साअ और जौ से एक साअ और किशमिश से एक साअ (फ़ितराना) दिया करते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम) और एक रिवायत में है कि पनीर में से एक साअ निकाला करते थे, अबू सईद ख़ुदरी ﷺ ने कहा कि मैं तो हमेशा वही मिक़दार निकालता रहूँगा जो मैं रसूलूल्लाह ﷺ के ज़माना में निकाला करता था और अबू दाउद की रिवायत में है कि मै तो हमेशा एक साअ ही निकालूँगा।

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बारे में बिल्कुल वाज़िह है कि फ़ितराना एक साअ ही मसनून है, चाहे कोई जिन्स हो, अबू सईद ﷺ का यही मौकिफ़ था, उन्होंने एक साअ ही देने का इज़हार इसी लिये फ़रमाया कि अमीर मुआविया ﷺ ने अपने दौरे ख़िलाफ़त में आधा साअ गन्दुम को पूरे साअ जौ के बराबर कर दिया, इसलिये अबू सईद ﷺ को कहना पड़ा कि हम तो इतना ही फ़ितराना हर एक के लिये अदा करते रहेंगे जितना आप ﷺ के दौर में करते रहे हैं। अमीर मुआविया ﷺ ने इजतिहाद से काम लिया और अबू सईद ख़ुदरी ﷺ ने आप ﷺ के इरशाद और उस पर अमल सहाबा रज़ि अल्लाहु अन्हुम को दलील बनाया। अबू सईद ﷺ की राय वज़नी है, इसी पर अमल होना चाहिये।

(٥٠٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ

507. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने सदक़ये फ़ित्र (फ़ितराना) रोज़ादार की लग़वियात और

وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

फ़हशगोई से रोज़ा को पाक करने के लिये और मसाकीन को खाना खिलाने के लिये मुक़र्रर किया है, जो उसे नमाज़ अदा करने से पहले अदा कर दे वह तो मक़बूल है और जो अदायगी नमाज़ के बाद की जाये तो यह सदक़ो में एक सदक़ा है। (इसे अबू दाउद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और हाकिम ने सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि फ़ितराना ग़रीबों का हक़ है, यह हक़ ईद की नमाज़ से पहले अदा कर देना चाहिये, ईद की नमाज़ के बाद दिया गया फ़ितराना एक आम सदक़ा होगा, ईद का फ़ितराना नहीं होगा।

٢ - بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ

2. नफ़ली सदक़े का बयान

(٥٠٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ» - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

508. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "सात तरह के आदमी ऐसे हैं जिन को अल्लाह तआला ऐसे दिन में साया देगा कि जिस दिन उस के साये के सिवा कोई और साया न होगा।" फिर सारी हदीस बयान की, उस में है कि "उन सात आदमियों में वह आदमी भी शामिल है जो ऐसे तरीक़ा से ख़ुफ़िया तौर पर सदक़ा दे कि बायें हाथ तक को ख़बर न होने पाये कि दायें हाथ से क्या दिया है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि क़ियामत क़ायेम होने वाली है, उस दिन अर्श इलाही के अलावा और कहीं साया न मिलेगा, अर्श क्या है उस की सहीह कैफ़ियत व नौईयत तो अल्लाह तआला ही के इल्म में है।

(٥٠٩) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى

509. उक़बा बिन आमिर ﷺ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुये सुना है कि "हर आदमी अपने सदक़ा के साया में

खड़ा होगा, यहाँ तक कि लोगों का फ़ैसला हो जायेगा'' (इब्ने हिब्बान और हाकिम)

يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में सदक़ा की फ़ज़ीलत बयान हुई है कि सदक़ा करने वाला क़ियामत के दिन अपने सदक़ा के साये में खड़ा होगा।

510. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ की नबी ﷺ से रिवायत है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "जो मुसलमान अपने नंगे भाई को कपड़े पहनायेगा तो अल्लाह तआला उसे जन्नत के सब्ज़ रेशमी कपड़े पहनायेगा और जो मुसलमान अपने किसी भूके भाई को खाना खिलायेगा अल्लाह तआला उसे जन्नत के फल खिलायेगा और जो मुसलमान अपने प्यासे मुसलमान भाई को पानी (या मशरूब) पिलायेगा अल्लाह तआला उसे जन्नत की मुहर बन्द पाकीज़ा शराब पिलायेगा'' (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इस की सनद में कमज़ोरी है)

(٥١٠) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً عَلَى عُرْيٍ، كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِماً عَلَى جُوعٍ، أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِماً عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ المَخْتُومِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ لِينٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह तआला दुनिया के अमल का आख़िरत में जो बदला देगा वह उस की जिन्स से होगा, अलबत्ता जन्नत का लिबास दुनिया के लिबास से अच्छा, बेहतरीन, ख़ूबसूरत और क़ीमती होगा, बदला उसे मिलेगा जिस का अमल कबूल होगा, अमल की क़बूलियत की दो शर्तें हैं। एक तो यह कि वह मशरूअ व मसनून हो, ग़ैर मशरूअ न हो और दूसरा इस से मक़सूद व मतलूब अल्लाह तआला की ख़ुशनूदी और उस की रज़ा का हुसूल हो, शुहरत व रियाकारी और दिखावा न हो।

511. हकीम बिन हिज़ाम ﷺ की नबी ﷺ से रिवायत है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, शुरूआत उन से कर जिन की तू कफ़ालत और अयालदारी करता है और बेहतर सदक़ा वह है जो अपनी ज़रूरियात पूरी करने के

(٥١١) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

बाद दिया जाये, जो शख़्स दस्ते दराज़ करने (माँगने) से बचेगा अल्लाह तआला उसे बचा लेगा और जो इस्तिग़ना का मुज़ाहरा करेगा अल्लाह तआला उसे मुस्तग़नी (बे परवा) कर देगा।" (बुख़ारी, मुस्लिम, हदीस के अलफ़ाज़ बुखारी के हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर घर के लोग ज़रूरतमंद व मुहताज हों तो उन पर अपना माल ख़र्च करना भी नेकी और सदक़ा है, उन की मौजूदगी में दूसरे को सदक़ा देना कोई मुस्तहसन अमल नहीं।

(٥١٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جُهْدُ المُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

512. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा गया कि कौन सा सदक़ा बेहतर है? आप ﷺ ने फ़रमाया: "कम माल वाले का सदक़ा और सदक़ा की शुरूआत उन से कर जिन की तू कफ़ालत करता है" (इसे अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है, इब्ने खुज़ैमा, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से दो बातें साफ़ तौर पर मालूम होती हैं, एक यह कि अमीर व मालदार और ग़रीब व मुहताज के सदक़ा व ख़ैरात में नुमाया फ़र्क़ है, और दूसरा यह कि अपने अहल व अयाल के हुक़ूक़ अदा करने के बाद सदक़ा व ख़ैरात करना चाहिये, ऐसा न हो कि ख़ुद तो सदक़ा देता फिरे और उस के अहल व अयाल मुहताज हों।

(٥١٣) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ بِهِ».

513. उन्ही (अबू हुरैरा ﷺ) से मरवी है कि रसूलल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सदक़ा व ख़ैरात करो" एक आदमी ने कहा या रसूलल्लाह! मेरे पास एक दीनार है, आप ﷺ ने फ़रमाया: "इसे तू अपनी ज़ात पर ख़र्च कर" वह बोला मेरे पास एक और भी है, आप ﷺ ने फ़रमाया: "इसे अपनी औलाद पर ख़र्च कर" उस ने फिर कहा मेरे पास एक और भी है,

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

आप ﷺ ने फ़रमाया: "इसे अपनी बीवी पर सदक़ा (ख़र्च) कर" उस ने फिर अर्ज़ किया मेरे पास एक और भी है, आप ﷺ ने फ़रमाया: "इसे अपने ग़ुलाम पर सदक़ा (ख़र्च) कर" वह बोला मेरे पास एक और भी है, आप ﷺ ने फ़रमाया: "इस के ख़र्च करने की तुझे ज़्यादा समझ बूझ है" (इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान और हाकिम ने सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि इंसान का अपनी ज़ात पर हुदूद शरई के अंदर रहते हुये ख़र्च करना भी सदक़ा व ख़ैरात करने की तरह अज्र व सवाब रखता है।

(٥١٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئاً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

514. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जब औरत अपने घर के माल से फ़ुज़ूल ख़र्ची किये बग़ैर ख़र्च करे तो उसे ख़र्च करने के बदले में अज्र व सवाब मिलेगा और उस के शौहर के लिये कमाने का सवाब और उसी तरह ख़ज़ानची के लिये भी अज्र है, हर एक का सवाब दूसरे के सवाब में से कुछ भी कम नही करेगा।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

औरत को शौहर की इजाज़त के बग़ैर इतना सदक़ा व ख़ैरात नहीं करना चाहिये कि शौहर के घर का मआशी निज़ाम मुतअस्सिर होकर बरबाद हो जाये और शौहर के लिये मआशी मुशकिलात और दुशवारियाँ खड़ी हो जायें।

(٥١٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ أَمَرْتَ اليَومَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ

515. अबू सईद ख़ुदरी ؓ से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन मसउद ؓ की बीवी ज़ैनब रज़ि अल्लाहु अन्हा आयीं और कहा, या रसूलल्लाह! आप ने आज सदक़ा करने का हुक्म इरशाद फ़रमाया है, मेरे पास मेरा अपना ज़ेवर है, मैं इसे सदक़ा करना चाहती

हूँ, अब्दुल्लाह बिन मसउद ﷺ का ख़्याल है कि वह और उन की औलाद मेरे सदके के ज़्यादा हक़दार हैं, आप ﷺ ने फ़रमाया: "इब्ने मसउद ने ठीक कहा है, तेरा शौहर और उस की औलाद तुम्हारे सदके के ज़्यादा हक़दार हैं।" (बुख़ारी)

عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

516. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो लोग गदागरी और भीक माँगने को पेशा ही बना लेते हैं क़ियामत के दिन ऐसी हालत में आयेंगे कि उन के चेहरे पर गोश्त नहीं होगा" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥١٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से गदागरी के पेशा की मज़म्मत मालूम हो रही है, सवाल सिर्फ़ तीन तरह के आदमियों के लिये जायेज़ है, एक वह शख़्स जो आफ़ात नागहानी की ज़द में आ जाये और सारा माल बरबाद हो जाये, खाने पीने के लिये कुछ बाक़ी न बचे, उसे अपने गुज़ारा की हद तक माँगने की इजाज़त है और ऐसे आदमी की मदद करना ज़रूरी है। दूसरा वह आदमी जो किसी नाहक़ तावान या क़र्ज़ के चक्कर में फँस जाये तो वह माँग कर उतनी रक़म पूरी कर सकता है और तीसरा वह आदमी जो ईमानदारी से काम करता है और करना भी चाहता है, मगर पूरी कोशिश के बावजूद काम न मिल सके।

517. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी अपना माल बढ़ाने और ज़्यादा करने की ग़र्ज़ से लोगों से माँगता है तो ऐसा आदमी अपने लिये अँगारों के सिवा और कोई चीज़ नहीं माँगता, अब उस की मर्ज़ी है चाहे उन्हें कम कर ले चाहे ज़्यादा" (मुस्लिम)

(٥١٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّراً، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْراً، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

518. ज़ुबैर बिन अव्वाम ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "अगर तुम में से कोई रस्सी लेकर लकड़ियों का गट्ठा जंगल से

(٥١٨) وَعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ

عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

अपनी पीठ पर उठा कर लाये, फिर उसे बेच दे, पस अल्लाह तआला उस के ज़रिये उस के चेहरे को माँगने से रोक दे तो यह उस के लिये बेहतर है कि वह लोगों से माँगता फिरे और वह उस को दें या न दें।" (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस की रू से गदागरी और भीक माँगना क़ाबिले मज़म्मत काम है, कमा कर खाना, मेहनत व मशक़्क़त करके हासिल करना बेहतर है।

(٥١٩) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَاناً أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

519. समुरा बिन जुन्दुब ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सवाल करना एक ज़ख़्म है, जिस से इंसान अपने चेहरे को ज़ख़्मी करता है, अलबत्ता ऐसा आदमी जो मजबूरी की वजह से सवाल करे या मुल्क के हाकिम से उस के लिये कोई हर्ज नहीं।" (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि बग़ैर ज़रूरत किसी से माँगना जायेज़ नहीं, और ज़रूरतमंद को भी बादशाह और मुल्क के हाकिम से माँगना चाहिये।

٣ - بَابُ قِسْمِ الصَّدَقَاتِ

3. सदक़ा व ख़ैरात बाँटने का बयान

(٥٢٠) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.

520. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मालदार के लिए पाँच सूरतों के अलावा सदक़ा हलाल नहीं, ज़कात का माल इकट्ठा करने की सूरत में, वह शख़्स जो अपने माल से सदक़ा की कोई चीज़ ख़रीदे, कर्ज़दार, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, ग़रीब मिस्कीन पर जो सदक़ा किया गया हो उस में से वह कुछ मालदार को तोहफ़ा के तौर पर दे।" (इसे अहमद, अबू दाउद और इब्ने माजा ने

रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है और इसे मुरसल होने से मालूल कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि मालदार के लिये ज़कात लेना हलाल नहीं, मालदार कौन है? उस की तारीफ़ में उलमा के कई क़ौल हैं, अबू दाउद में है कि आप ﷺ से पूछा गया कि मालदार कौन है? आप ﷺ ने फ़रमाया: "जिस के पास इतनी चीज़ हो कि उस की सुब्ह व शाम की गुज़र-बसर हो सके।"

(٥٢١) وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الخِيَارِ، أَنَّ رَجُلَيْنَ حَدَّثَاهُ: أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَلَّبَ فِيهِمَا البَصَرَ، فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

521. उबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़ियार रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि दो आदमियों ने उन्हें अपना वाक़ेआ सुनाया कि वह दोनों रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुये, दोनों ने आप ﷺ से सदक़ा का सवाल किया, आप ﷺ ने उन दोनों को एक नज़र उठा कर ऊपर से नीचे तक देखा तो दोनों को ताक़तवर पाया, आप ﷺ ने फ़रमाया: "अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें सदक़ा दे देता हूँ मगर मालदार और सेहतमंद कमाने वाले आदमी के लिये उस में कोई हिस्सा नहीं।" (इसे अहमद ने रिवायत किया है और अबू दाउद और नसाई ने इसे मज़बूत कहा है।

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मालदार और सेहतमंद के लिये सदक़ा व ज़कात लेना जायेज़ नहीं, सदक़ा देने वाले को भी चाहिये कि सायेल को अच्छी तरह देख ले कि वह इस का हक़दार है या नहीं, बल्कि बेहतर यह है कि वह जो हक़दार न हो उसे सवाल न करने की तलक़ीन करे और उस को बुरे अंजाम से ख़बरदार करे।

(٥٢٢) وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الهِلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ

522. क़बीसा बिन मुख़ारिक़ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सवाल करना सिर्फ़ तीन आदमियों के लिये हलाल है। एक वह आदमी जो किसी का बोझ उठा लेता है

خَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَاناً فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ، يَأْكُلُهُ صَاحِبُهُ سُحْتاً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

यहाँ तक कि उस का कर्ज़ वग़ैरह अदा हो जाये फिर वह सवाल करने से बाज़ आ जाये और दूसरा वह जो किसी नागहानी मुसीबत में फंस गया हो और उस का माल तबाह व बरबाद हो गया हो, उसे गुज़र औक़ात की हद तक सवाल करना जायेज़ है, और तीसरा वह आदमी जिसे फ़ाक़े आ रहे हों और उस की क़ौम के तीन साहबे अक़्ल आदमी उस की गवाही दें कि वाकई उसे फ़ाक़ाकशी का सामना है, उसे भी गुज़र औक़ात की हद तक सवाल करना जायेज़ है और उन के अलावा ऐ क़बीसा! सवाल हराम है और सवाल करने वाला हराम खाता है" (मुस्लिम, अबू दाउद, इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हिब्बान ने इसे रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

- इस हदीस में सवाल करने वाले की पोजीशन मालूम करने के लिये एक ज़ाबता बयान हुआ है, वह यह कि उस की बिरादरी या क़ौम के तीन साहबे अक़्ल व दानिश आदमी उस की हालत और फ़ाक़ाकशी की गवाही दें तो उसे सवाल करने की इजाज़त है।

(٥٢٣) وَعَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

523. अब्दुल मुत्तलिब बिन रबीआ बिन हारिस ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सदक़ा आले मुहम्मद ﷺ के लिये मुनासिब ही नहीं, यह तो लोगों के माल की मैल कुचैल है" और एक दूसरी रिवायत में है कि "सदक़ा मुहम्मद ﷺ और आले मुहम्मद ﷺ के लिये हलाल नहीं।" (मुस्लिम)

(٥٢٤) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ

524. जुबैर बिन मुतइम ﷺ से रिवायत है कि मैं और उस्मान बिन अफ़्फ़ान ﷺ नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुये और कहा या रसूलल्लाह! आप ﷺ ने बनू अब्दुल मुत्तलिब को ख़ैबर के ख़ुम्स में से हिस्सा इनायत

फ़रमाया है और हमें नज़रअंदाज़ किया है, हालाँकि आप ﷺ के साथ तअल्लुक़ के लिहाज़ से दोनों बराबर हैं, यह सुन कर रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बनू अब्दुल मुत्तलिब और बनू हाशिम दोनों एक ही चीज़ हैं।" (बुख़ारी)

وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَّاحِدٌ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

फ़ायेदा:

ज़ुबैर बिन मुतइम और उस्मान رضي الله عنه का "हम और बनी मुत्तलिब बराबर हैं" कहने का क्या मतलब है? उस के दो मतलब हो सकते हैं। एक तो यह कि वफ़ादारी और इताअत में जैसे बनु मुत्तलिब कर रहे है वैसी हम भी कर रहे हैं, फ़रमाँबरदारी एक तरह की है, दूसरा यह कि क़राबतदारी के एतेबार से भी हम और इन में ज़्यादा फ़र्क़ नहीं, जितना कुछ इस्तिहक़ोक़ क़राबत इन्हें आप ﷺ से हासिल है उतना ही हमें भी हासिल है।

525. अबू राफ़िअ رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी ﷺ ने बनू मख़ज़ूम के एक आदमी को ज़कात की वसूली पर मुक़र्रर फ़रमाया, उस ने अबू राफ़िअ رضي الله عنه को कहा कि तुम मेरे साथ चलो तुझे इस में कुछ हिस्सा मिल जायेगा, उस ने कहा मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ तक कि मैं नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर होकर उस बारे में पूछ न लूँ, चुनाँचि वह आप ﷺ की ख़िदमत में आया और आप ﷺ से पूछा, तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "क़ौम का ग़ुलाम भी उन्हीं में शुमार होता है और हमारे लिये सदक़ा (ज़कात) हलाल नहीं है।" (इसे अहमद और तीनों ने रिवायत किया है और इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने हिब्बान ने भी)

(٥٢٥) وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، فَقَالَ: لَا، حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسْأَلَهُ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि जिस आदमी के लिये ख़ुद ज़कात का लेना हराम है उस के ग़ुलाम पर भी हराम होती है, अबू राफ़िअ رضي الله عنه चूँकि नबी ﷺ के ग़ुलाम थे इसलिये उन के लिये भी ज़कात लेना हराम था।

526. सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा अपने बाप से रिवायत करते

(٥٢٦) وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ

يُعْطِي عُمَرَ العَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ
مِنِّي، فَيَقُولُ: خُذْهُ، فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ
بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هٰذَا المَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ
مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمالَا فَلَا
تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ जब उमर رضي الله عنه को कोई चीज़ देते तो उमर رضي الله عنه अर्ज़ करते कि जो लोग मुझ से ज़्यादा ग़रीब हैं उन्हें दे दें, इस के जवाब में आप ﷺ फ़रमाते "इसे ले लो और मालदार हो जाओ या इसे सदक़ा व ख़ैरात कर दो जो माल बग़ैर लालच और माँगने के तुम्हारे पास आये उसे ले लिया करो और जो इस तरह न मिले उस के पीछे अपने आप को न लगाओ।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि आमिल को अपने काम और कारकरदगी की उजरत व मुआवज़ा ले लेना चाहिये।

5- रोज़े के मसायेल

٥ - كِتَابُ الصِّيَامِ

(٥٢٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً فَلْيَصُمْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

527. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से कोई भी रमज़ान से पहले एक या दो रोज़े न रखे मगर जो शख़्स पहले से रोज़ा रखता आ रहा हो उसे चाहिये कि उस दिन का रोज़ा रख ले" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٢٨) وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ، فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ ﷺ. ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيقاً، وَوَصَلَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

528. अम्मार बिन यासिर ﷺ से रिवायत है कि जिस शख़्स ने मशकूक दिन में रोज़ा रखा उस ने अबूल क़ासिम ﷺ की नाफ़रमानी की। (बुख़ारी ने इसे तालीक़न और पाँचों ने इसे मौसूलन ज़िक्र किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

शरीअत इस्लामिया ने यह वाज़िह उसूल मुक़र्रर कर दिया है कि रोज़ा रखो तो चाँद देख कर रखो और उसी तरह रोज़ों को ख़त्म भी ईद का चाँद देख कर करो, अब अगर शाबान की उन्तीस शब चाँद नज़र न आया तो उस दिन रोज़ा रखना मशकूक होने की वजह से ममनूअ है, इल्म फ़लकीयात के माहिरीन की आरा भी लाज़मन क़ाबिले एतेमाद व यक़ीन नहीं।

(٥٢٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ». وَلِلْبُخَارِيِّ: «فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ». وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ».

529. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुये सुना: "जब तुम चाँद देख लो तो रोज़ा रखो और जब (ईद के लिये) चाँद देख लो तो इफ़तार कर दो, अगर मतला अब्र आलूद हो तो उस के लिये अंदाज़ा लगा लो" (बुख़ारी, मुस्लिम) मुस्लिम के अलफ़ाज़ हैं कि "अगर मतला अब्र आलूद हो तो फिर उस के लिये तीस दिन की गिनती का अंदाज़ा रखो" और बुख़ारी के अलफ़ाज़ हैं "फिर तीस दिन की गिनती की तादाद पूरी करो" और बुख़ारी

में अबू हुरैरा ﷺ की रिवायत में है कि "फिर तुम शाबान के तीस दिन पूरे करो" (बुख़ारी, मुस्लिम)

530. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि लोगों ने चाँद देखना शुरू किया तो मैंने नबी ﷺ को ख़बर दी कि मैंने चाँद देख लिया है, आप ﷺ ने खुद भी रोज़ा रखा और लोगों को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और हाकिम और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

(٥٣٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

इन अहादीस से यह साबित हो रहा है कि रोज़ा की शुरूआत और ख़ात्मा दोनों चाँद के नज़र आने पर मुन्हसिर है, चाँद नज़र आ जाये तो रोज़ा रखा जाये और चाँद देख कर ही रोज़ा रखना बन्द करें। अगर उन्तीस शाबान को चाँद नज़र न आये तो उस माह के तीस दिन पूरे किये जायें और उसी तरह अगर उन्तीस रमज़ान को चाँद नज़र न आये तो तीस रोज़े पूरे किये जायें, अगर गर्द व गुबार और बादल छाने की वजह से एक जगह पर चाँद नज़र न आये मगर दूसरी जगह नज़र आ जाये तो रोज़ा सारे शहरों, क़सबों और देहातों में रखा जायेगा, उसी तरह ईद भी मनाई जायेगी, शर्त यह है कि इन जगहों का मतला एक हो, अगर फ़ासला इस क़दर हो कि मतला ही तबदील हो जाये तो फिर वहाँ का चाँद देखना क़ाबिले क़बूल न होगा, जैसाकि जमहूर उलमाये किराम ने कहा है, और इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि रोज़ा रखने के लिये एक मोतबर व मक़बूल आदमी की गवाही काफ़ी है, जमहूर उलमा का यही मज़हब है, मगर ईद के चाँद के लिये दो गवाहों का होना ज़रूरी है, इस में किसी का इख़्तिलाफ़ नहीं सब मुत्तफ़िक़ हैं।

531. अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक देहाती नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मैंने चाँद देखा है, आप ﷺ ने उस से पूछा "क्या तू इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं? उस ने कहा हाँ, आप ﷺ ने फ़रमाया क्या तू इस बात की गवाही देता है कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? उस ने कहा हाँ! आप ﷺ ने फ़रमाया बिलाल उठो और लोगों में मुनादी

(٥٣١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الهِلَالَ، فَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَن لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَا بِلَالُ أَنْ يَصُومُوا غَداً. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ.

कर दो कि कल रोज़ा रखा जायेगा।" (इसे पाँचों ने रिवायत किया है, इब्ने हिब्बान और इब्ने खुज़ैमा ने सहीह कहा है और नसाई ने इस के मुरसल होने को तरजीह दी है)

532. हफ़सा रज़ि अल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमनीन से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जिस शख़्स ने सुब्ह सादिक़ से पहले रोज़े की नीयत न की उस का कोई रोज़ा नहीं।" (इसे पाँचों ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और नसाई का रुजहान इस के मौक़ूफ़ होने की तरफ़ है और इब्ने खुज़ैमा और इब्ने हिब्बान ने इस का मरफ़ूअ होना सहीह कहा है) और दार क़ुतनी की रिवायत में है "जिस ने रात को अपने आप पर वाजिब न कर लिया उस का कोई रोज़ा नहीं।

(٥٣٢) وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعاً ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا صِيَامَ لِمَن لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ».

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि फ़र्ज़ी रोज़े की नीयत सुब्ह सादिक़ से पहले होनी ज़रूरी है, यानी कि सूरज के डूबने से लेकर सुब्ह सादिक़ होने से पहले तक नीयत की जा सकती है, नीयत इस लिये ज़रूरी और लाज़मी है कि रोज़ा एक अमल है और अमल के लिये नीयत ज़रूरी है और हर दिन के रोज़े के लिये अलग-अलग नीयत शर्त है, अलबत्ता रोज़ा की नीयत के जो अलफ़ाज़ ज़ुबान से कहे जाते हैं वह बिदअत है क्योंकि नीयत दिल का अमल है, ज़ुबान का इस से कोई तअल्लुक़ नहीं और न ही यह नबी करीम ﷺ या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से साबित है।

533. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक दिन नबी करीम ﷺ हमारे पास तशरीफ़ लाये और पूछा: "क्या तुम्हारे पास कोई चीज़ है? हम ने कहा नहीं, तो आप ﷺ ने फ़रमाया: अच्छा तो मैं रोज़ा से हूँ, उस के बाद फिर एक रोज़ तशरीफ़ लाये तो हम ने कहा कि हलवा का तोहफ़ा हमें (कहीं से) दिया गया है, आप ﷺ ने फ़रमाया: ज़रा मुझे तो दिखाओ, सुब्ह मैं रोज़े से था, (यह फ़रमा कर) आप ﷺ ने हलवा खा लिया।" (मुस्लिम)

(٥٣٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْنَا: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إِذاً صَائِمٌ» ثُمَّ أَتَانَا يَوْماً آخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ: أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِماً، فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

यह हदीस इस की दलील है कि नफ़ली रोज़ा की नीयत सुब्ह होने से पहले ज़रूरी नहीं, बल्कि सूरज निकलने के बाद भी की जा सकती है।

534. सहल बिन साद ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "लोग उस वक़्त तक भलाई पर क़ायेम रहेंगे जब तक रोज़ा इफ़तार करने में जल्दी करेंगे।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٣٤) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

और तिर्मिज़ी में अबू हुरैरा ﷺ की नबी ﷺ से रिवायत है कि आप ﷺ ने फ़रमाया अल्लाह तआला का इरशाद है: "मेरे बन्दों में मेरे महबूब व पसन्दीदा बन्दे वह हैं जो इफ़तार करने में जल्दी करते हैं।"

وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: «أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ، أَعْجَلُهُمْ فِطْراً».

फ़ायेदा:

आसमान साफ़ हो, गर्द व गुबार और बादल न हो और सूरज के डूबने का यक़ीन हो जाये तो फिर रोज़ा इफ़तार करने में बिला वजह देर करना जायेज़ नहीं, देर से रोज़ा इफ़तार करना अहले किताब यहूद व नसारा का तरीक़ा है।

535. अनस बिन मालिक ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सहरी खाया करो, इसलिये कि इस में बड़ी बरकत है" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٣٥) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में सहरी खाने की तरग़ीब है, यहूद व नसारा चूँकि सहरी का एहतेमाम नहीं करते थे। मुस्लिम की रिवायत में है कि हमारे और अहले किताब के रोज़े में फ़र्क़ सहरी खाने का है, इस से रोज़ा की तकमील में आसानी और सहूलत पैदा होती है।

536. सलमान बिन आमिर ﷺ नबी ﷺ से रिवायत करते हैं कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई रोज़ा इफ़तार करे तो उसे खजूर से इफ़तार करना चाहिये, फिर अगर खजूर न मिले तो पानी से इफ़तार कर ले, इसलिये कि वह पाक है।" (इसे पाँचों ने

(٥٣٦) وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

रिवायत किया है, इब्ने खुज़ैमा, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि अगर मुमकिन हो तो खजूर से इफ़तार करना चाहिये, क्योंकि खजूर मेदा की कमज़ोरी, आसाब और जिस्म में होने वाली कमज़ोरी का बदल है, अगर खजूर न मिले तो फिर पानी से इफ़तार बेहतर है। नबी ﷺ ताज़ा खजूरों से इफ़तार करते थे, अगर ताज़ा न मिलती तो सूखी खजूर से इफ़तार करते, अगर यह भी न मिलती तो फिर कुछ घूँट पानी से रोज़ा इफ़तार कर लेते।

(٥٣٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الوِصَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ المُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَأَيُّكُمْ مِثْلِي؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي»، فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْماً، ثُمَّ يَوْماً، ثُمَّ رَأَوُا الهِلَالَ، فَقَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ»، كَالمُنَكِّلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَن يَنْتَهُوا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

537. अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने विसाल से मना किया है, मुसलमानों में से एक आदमी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल! आप ﷺ खुद तो विसाल करते हैं? आप ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से मेरे जैसा कौन है? मैं तो इस हाल में रात गुज़ारता हूँ कि मेरा परवरदिगार मुझे खिलाता और पिलाता है, जब लोगों ने विसाल से बाज़ आने से इंकार कर दिया तो आप ﷺ ने उन के साथ एक दिन फिर दूसरे दिन का विसाल किया, फिर उन्होंने चाँद को देख लिया तो आप ﷺ ने फ़रमाया: अगर चाँद नज़र न आता तो मैं तुम्हारे लिये ज़्यादा दिन विसाल करता" यानी कि आप ﷺ लोगों को इस से बाज़ न रहने की वजह से सज़ा दे रहे थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि रोज़े में विसाल मकरूह है, अल्लाह तआला इंसान को परेशानी में नहीं डालता, लगातार बग़ैर कुछ खाये पिये रोज़ा रखना जिस्म को कमज़ोर कर देता है, आप ﷺ को अल्लाह तआला की तरफ़ से रूहानी या ग़िज़ा की ताक़त मिल जाती थी, इसलिये आप ﷺ विसाल फ़रमा लेते।

(٥٣٨) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالعَمَلَ بِهِ، والجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ

538. उन्ही (अबू हुरैरा رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने झूठ बोलना और उस पर अमल करना न छोड़ा

और हिमाक़त व बेवकूफ़ी को न छोड़ा तो अल्लाह तआला को उस के खाने-पीने को छुड़ाने की ज़रूरत नहीं।" (बुखारी, और अबू दाउद, और अलफ़ाज़ अबू दाउद के हैं)

طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رَوَاهُ البخاريُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि रोज़े की हालत में झूठ, ग़लत बयानी, जिहालत व नादानी के काम भी छोड़ देना चाहिये, झूठ बोलने और ग़लत बयानी से रोज़े की रूह प्रभावित हुये बग़ैर नहीं रह सकती, इसलिये रोज़े की हालत में एक रोज़ेदार का बचना बहुत ज़रूरी है।

539. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ रोज़े की हालत में अपनी बीवी का बोसा ले लेते थे, और गले भी मिल लेते थे, लेकिन आप ﷺ तुम्हारी निसबत अपनी तबीअत पर ज़्यादा कन्ट्रोल और ज़ब्त रखने वाले थे। (बुखारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं और एक रिवायत में इतना ज़्यादा है कि आप ﷺ यह दोनों फ़ेल रमज़ान में करते थे)

(٥٣٩) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلٰكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: «فِي رَمَضَانَ».

540. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने एहराम और रोज़े की हालत में पछने लगवाये। (बुखारी)

(٥٤٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि पछने या सींगी लगवाने से न एहराम में कोई नक्स होता है और न रोज़े में कोई कमी आती है, दोनों हालतों में पछने लगवाने जायेज़ है, अलबत्ता अगर कमज़ोरी वाक़ेअ हो जाये और इस की वजह से रोज़ा टूटने का ख़तरा पैदा हो जाये तो फिर पछने लगवाने से परहेज़ बेहतर है।

541. शद्दाद बिन औस ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ बक़ीअ में एक ऐसे शख़्स के पास तशरीफ़ लाये जो रमज़ान में पछने लगवा रहा था, उस को देख कर आप ﷺ ने फ़रमाया: "सींगी (पचने) लगाने और

(٥٤١) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالبَقِيعِ، وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ

लगवाने वाले दोनो का रोज़ा टूट गया।" (तिर्मिज़ी के अलावा इसे पाँचों ने रिवायत किया है, अहमद, इब्ने हिब्बान और इब्ने ख़ुज़ैमा तीनों ने इसे सहीह कहा है)

إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

यह हदीस बता रही है कि सींगी लगाने और लगवाने वाले दोनों का रोज़ा टूट जाता है, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की यही राय है मगर जमहूर इस के क़ायेल नहीं।

542. अनस ﷺ फ़रमाते हैं कि सब से पहले रोज़ादार के लिये सींगी लगवाना इसलिये मकरूह हुई कि जाफ़र बिन अबी तालिब ﷺ ने रोज़ा की हालत में सींगी लगवाई, नबी ﷺ उन के पास से गुज़रे तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "इन दोनों का रोज़ा टूट गया" इस के बाद नबी ﷺ ने रोज़ादार के लिये सींगी लगवाने की रुख़सत दे दी, और अनस ﷺ रोज़ा की हालत में सीगी लगवाते थे। (इसे दार कुतनी ने रिवायत किया है और इस को मज़बूत कहा है)

(٥٤٢) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَوَّلُ مَا كُرِهَتِ الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: أَفْطَرَ هَذَانِ. ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدُ فِي الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ، وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَوَّاهُ.

फ़ायेदा:

यह हदीस साफ़ दलील है कि सींगी लगवाने से रोज़ा टूट जाने का हुक्म ख़त्म हो गया है, और उस की ताईद इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की पिछली हदीस से भी होती है।

543. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने रमज़ान में रोज़ा की हालत में सुर्मा लगाया। (इसे इब्ने माजा ने कमज़ोर सनद के साथ बयान किया है और इमाम तिर्मिज़ी ने फ़रमाया है कि इस बारे में कोई हदीस सहीह नहीं है)

(٥٤٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اكْتَحَلَ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ فِيهِ شَيْءٌ.

544. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो रोज़ादार भूल कर कुछ खा पी ले तो उसे चाहिये कि अपना रोज़ा पूरा कर ले, क्योंकि उसे अल्लाह तआला ने खिलाया पिलाया है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٤٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ، وَسَقَاهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلْحَاكِمِ: مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ نَاسِياً فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ. وَهُوَ صَحِيحٌ.

और इमाम हाकिम यूँ रिवायत करते हैं "अगर कोई भूल कर रमज़ान में रोज़ा खोल ले तो उस पर क़ज़ा और कफ़्फ़ारा नहीं।" (और यह हदीस सहीह है)

(٥٤٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

545. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिसे क़ै आ जाये तो उस पर (रोज़ा की) क़ज़ा नहीं और जो जान बूझ कर क़ै करे उस पर क़ज़ा है" (इसे पाँचों ने रिवायत किया है और इमाम अहमद ने इस को मालूल कहा है और इमाम दार कुतनी ने इसे मज़बूत कहा है)

(٥٤٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ، فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَّاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: «أُولٰئِكَ العُصَاةُ، أُولٰئِكَ العُصَاةُ».

وَفِي لَفْظٍ: «فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْتَظِرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِن مَّاءٍ بَعْدَ العَصْرِ فَشَرِبَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

546. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ फ़त्ह मक्का के साल मक्का मुकर्रमा की तरफ़ रमज़ान में निकले तो आप ﷺ ने रोज़ा रखा, यहाँ तक कि आप ﷺ कुराअल-ग़मीम (एक जगह का नाम) पहुँचे, उस दिन लोगों ने भी रोज़ा रखा, आप ﷺ ने पानी का प्याला मंगवाया और इस को इतना ऊँचा किया कि लोगों ने देख लिया, फिर आप ﷺ ने उसे पी लिया, फिर उस के बाद आप ﷺ से कहा गया कि कुछ लोगों ने रोज़ा रखा है, आप ﷺ ने फ़रमाया: "यही लोग नाफ़रमान हैं, यही लोग नाफ़रमान हैं।" और एक हदीस के अलफ़ाज़ यूँ हैं कि आप ﷺ से कहा गया कि बेशक लोगों को रोज़ा ने मशक़्क़त में डाल दिया है और इस के सिवा और कोई बात नहीं, कि वह आप ﷺ के अमल का इंतेज़ार करते हैं तो आप ﷺ ने अस्र के बाद पानी का प्याला मंगवाया और पी लिया।

(٥٤٧) وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ

547. हमज़ा बिन अम्र असलमी ؓ से

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَأَصْلُهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ.

रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल ﷺ से कहा: मैं सफ़र में रोज़ा रखने की ताक़त रखता हूँ (अगर मैं रोज़ा रख लूँ) तो क्या मुझ पर कोई हर्ज है? तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "यह अल्लाह तआला की तरफ़ से छूट है जो इस को ले ले बेहतर है और जो कोई रोज़ा रखना पसन्द करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं।" (मुस्लिम, और इस हदीस की असल आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस में यूँ है कि हमज़ा बिन अम्र ؓ ने सवाल किया)

(٥٤٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ.

548. अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि बड़ी उम्र वाले बूढ़े को रुख़सत दी गई है कि वह इफ़तार करे और हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाये और उस पर क़ज़ा नहीं है। (इसे दार क़ुतनी और हाकिम ने रिवायत किया है और दोनों ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि बहुत बूढ़ा आदमी जिस की ताक़त वापस आने की उम्मीद न हो इसी तरह इलाज से मायूस मरीज़ का भी यही हुक्म है कि रोज़ाना एक ग़रीब के खाने के बराबर सदक़ा करे। एक रिवायत में खाने का अंदाज़ा आधा साअ गन्दुम आया है, यानी सवा किलो गन्दुम।

(٥٤٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ»؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً»؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً»؟ قَالَ: لَا،

549. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि एक आदमी नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हलाक हो गया, आप ﷺ ने फ़रमाया: "किस चीज़ ने तुझे हलाक किया? उस ने कहा: मैं रमज़ान में अपनी औरत से जिमाअ कर बैठा, तो आप ﷺ ने फ़रमाया: क्या तुझ में इतनी ताक़त है कि एक गर्दन को आज़ाद कर दे? उस ने कहा: नहीं, आप ﷺ ने फ़रमाया: क्या

तू ताक़त रखता है कि दो माह के लगातार रोज़े रखे? उस ने कहा: नहीं, आप ﷺ ने फ़रमाया: क्या तेरे पास इतना माल है कि साठ ग़रीबों को खाना खिला सके? उस ने कहा: नही, फिर वह बैठ गया तो नबी ﷺ के पास एक टोकरा लाया गया जिस में खजूरें थीं, आप ﷺ ने फ़रमाया: इन को ख़ैरात कर दो, उस ने कहा क्या अपने से ज़्यादा मुहताज पर (ख़ैरात करूँ?) क्योंकि दो पहाड़ों (मदीना) के बीच कोई घर वाला मुझ से ज़्यादा मुहताज नहीं, तो नबी ﷺ मुस्कुराये, यहाँ तक कि आप ﷺ की दाढ़ें ज़ाहिर हो गयीं, फिर आप ﷺ ने फ़रमाया: जाओ इसे अपने घर वालों को खिला दो।" (इसे सातों ने रिवायत किया है और अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهٰذَا»، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ». رَوَاهُ السَّبْعَةُ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

550. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा और उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ जिमाअ से जुन्बी होते तो सुब्ह होने पर आप ﷺ ग़ुस्ल करते और रोज़ा रखते। (बुख़ारी, मुस्लिम) और मुस्लिम ने उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की हदीस में यह ज़्यादा क्या कि क़ज़ा नही देते थे।

(٥٥٠) وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: «وَلَا يَقْضِي».

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात की दलील है कि जुन्बी आदमी पर ग़ुस्ल से पहले सुब्ह हो जाये तो रोज़ा सहीह है। जमहूर उसी के क़ायेल हैं, बल्कि अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर इजमाअ का दावा किया है और इस के मुआरिज़ मुसनद इमाम अहमद वग़ैरह में जो अबू हुरैरा ﷺ से मरवी है कि अगर किसी पर हालते जनाबत में सुब्ह हो जाये तो रोज़ा न रखे, उस के बारे में जमहूर ने कहा कि वह मंसूख़ है।

551. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी मर

(٥٥١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ

صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

जाये और उस पर रोज़ा लाज़िम हो तो उस की तरफ़ से उस का वली रोज़ा रखे।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

आम तौर पर मुहद्दिसीन ने इसी हदीस से इस्तिदलाल किया है कि हज की तरह रोज़ा की भी नियाबत सहीह है, मगर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि मय्यित की तरफ़ से रोज़ा नहीं बल्कि एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। मगर इस सरीह और सहीह हदीस से साबित होता है कि रोज़ा में नियाबत जायेज़ है और यही बात राजिह है, और हज की तरह लाज़िम नहीं कि वली ही मय्यित की तरफ़ से रोज़ा रखे कोई और दूसरा आदमी भी रोज़ा रख सकता है, हदीस में वली का ज़िक्र अग़लबियत की बिना पर है।

١ - بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ، وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِ

1. नफ़ली रोज़े और जिन दिनों में रोज़ा रखना मना किया गया है, का बयान

(٥٥٢) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالبَاقِيَةَ»، وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: «يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ»، وَسُئِلَ عَنْ صَومِ يَوْمِ الاثْنَيْنِ، فَقَالَ: «ذٰلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَبُعِثْتُ فِيهِ، وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

552. अबू क़तादा अन्सारी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ से अरफ़ा (ज़ुलहिज्जा) के दिन रोज़े के बारे में सवाल किया गया तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "(यह रोज़ा) पिछले साल और आने वाले साल के गुनाह दूर कर देता है" और आप ﷺ से आशूरा के दिन के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "यह पिछले साल के गुनाह दूर कर देता है" और आप ﷺ से सोमवार के दिन के रोज़े के बारे में पूछा गया तो फ़रमाया: "उस दिन मैं पैदा हुआ और उस दिन मुझे नुबूवत दी गई और उसी दिन मुझ पर कुरआन उतारा गया" (मुस्लिम)

(٥٥٣) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّال، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

553. अबू अय्यूब अन्सारी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो कोई रमज़ान के रोज़े रखे फिर उस के बाद छ रोज़े शौवाल के रखे यह अमल सारे साल (रोज़ा रखने) की तरह होगा।" (मुस्लिम)

554. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "कोई शख़्स ऐसा नहीं जो अल्लाह की राह में एक दिन रोज़ा रखे मगर अल्लाह तआला उस के चेहरे को सत्तर साल के लिये जहन्नम की आग से दूर कर देते हैं।" (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

(٥٥٤) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْماً فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ سَبْعِينَ خَرِيفاً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

555. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ रोज़ा रखते थे यहाँ तक कि हम कहते आप ﷺ कभी इफ़तार नहीं करेंगे और आप ﷺ रोज़ा छोड़ देते यहाँ तक कि हम कहते थे (इसी तरह) आप ﷺ कभी रोज़े नहीं रखेंगे, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को नहीं देखा कि आप ﷺ ने कभी सिवाय रमज़ान के किसी महीने के पूरे रोज़े रखे हों और मैंने आप को नहीं देखा कि किसी महीने में आप ने शाबान से ज़्यादा रोज़े रखे हों। (बुख़ारी व मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

(٥٥٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَاماً فِي شَعْبَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह ﷺ कम व बेश हर महीने में रोज़ा रखते थे, कभी लगातार रोज़े रखते और कभी ज़रूरी काम की बिना पर कई कई दिन रोज़ा न रखते, अलबत्ता रमज़ान के अलावा सब से ज़्यादा रोज़े आप ﷺ शाबान में रखते थे।

556. अबू ज़र ﷺ ने फ़रमाया कि हमें रसूलुल्लाह ﷺ ने हुक्म दिया कि हम हर माह तीन दिन के रोज़े रखें यानी तेरह, चौदह और पन्द्रह (तारीख़) को। (इसे नसाई और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(٥٥٦) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

557. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "किसी औरत के लिये हलाल नहीं कि वह रोज़ा रखे जबकि

(٥٥٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ، وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلَّا

بِإِذْنِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ».

उस का शौहर घर में हो, इल्ला यह कि शौहर उस की इजाज़त दे।" (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ बुखारी के हैं) और अबू दाउद ने "सिवाय रमज़ान" के अलफ़ाज़ का इज़ाफ़ा किया है।

फ़ायेदा:

यह हदीस दलील है कि शौहर के हुकूक़ की अदायगी नफ़ली रोज़े से मुक़द्दम है, नफ़ली रोज़ा शौहर की इजाज़त के बग़ैर रखना औरत पर हराम है, अलबत्ता फ़र्ज़ी रोज़ा का हुक्म इस से मुस्तसना है कि फ़र्ज़ की अदायगी बहरहाल मुक़द्दम है।

(٥٥٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

558. अबू सईद खुदरी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने दो दिन रोज़ा रखने से मना फ़रमाया, ईदुल फ़ित्र का दिन और कुर्बानी का दिन। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٥٩) وَعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

559. नुबैशा अलहुज़ली ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तशरीक़ के दिन खाने-पीने और अल्लाह तआला के ज़िक्र के दिन हैं।" (मुस्लिम)

(٥٦٠) وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَن يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

560. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं कि तशरीक़ के दिनों में रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं दी गई सिवाय उस शख़्स के जिसे कुर्बानी का जानवर न मिला हो। (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

तशरीक़ के दिनों में रोज़ा रखने की कई अहादीसों में मुमानअत आई है और इस बारे में उलमा का इख़्तिलाफ़ है।

(٥٦١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ، مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا

561. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "दूसरी रातों में से जुमा की रात को क़ियाम करने के लिये

تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ، مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

मख़सूस न करो और न ही दूसरे दिनों में से जुमा के दिन को रोज़ा के लिये ख़ास करो, सिवाय इस के कि जुमा का दिन ऐसे दिन में आ जाये जिस दिन रोज़ा रखता हो।" (मुस्लिम)

(٥٦٢) وَعَنْهُ أَيْضاً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ، أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

562. उन्हीं (अबू हुरैरा ﵁) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से कोई भी जुमा के दिन रोज़ा न रखे, सिवाय उस के कि उस से एक दिन पहले या एक दिन बाद रोज़ा रखे।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٦٣) وَعَنْهُ أَيْضاً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ.

563. उन्हीं (अबू हुरैरा ﵁) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब शाबान आधा हो जाये तो रोज़ा न रखो" (इसे पाँचों ने रिवायत किया है और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने इसे मुन्कर कहा है)

फ़ायेदा:

यह मुमानअत इसलिये है कि शाबान के आख़िरी दिनों में रोज़े रख कर कमज़ोरी न हो जाये और रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा में ताक़त बाक़ी रहे।

(٥٦٤) وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ، فَلْيَمْضُغْهَا». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هُوَ مَنْسُوخٌ.

564. सम्मा बिन्ते बुस्र रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हफ़ता (शनिवार) के दिन का रोज़ा न रखो, सिवाय उस रोज़ा के जो तुम पर फ़र्ज़ किया गया है, अगर तुम में से कोई अंगूर का छिलका या किसी पेड़ का तिनका पाये तो चाहिये कि उस को खा ले।" (इसे पाँचों ने रिवायत किया है और इस के रावी सिका हैं मगर इस में इज़तिराब है, बेशक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस का इंकार किया है और अबू दाउद ने कहा है कि यह मंसूख़ है)

565. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ हफ़्ता और इतवार को अकसर रोज़ा रखते थे, और फ़रमाया करते थे "यह दोनों दिन मुश्रिकों की ईद के दिन हैं और मैं इन की मुख़ालफ़त करना चाहता हूँ" (इसे इमाम नसाई ने रिवायत किया है और इमाम इब्ने खुज़ैमा ने इस को सहीह कहा है और यह अलफ़ाज़ इब्ने खुज़ैमा के हैं)

(٥٦٥) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ، يَوْمُ السَّبْتِ، وَيَوْمُ الأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: «إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَهٰذَا لَفْظُهُ.

फ़ायेदा:

पहली हदीस से तो मालूम होता है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने सनीचर के दिन रोज़ा रखने से मना किया है, लेकिन वह रिवायत मंसूख़ है, जैसाकि रावी ने ज़िक किया है।

566. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने अरफ़ात में अरफ़ा के दिन का रोज़ा रखने से मना किया है। (इसे तिर्मिज़ी के अलावा बाक़ी पाँचों ने रिवायत किया है, इमाम इब्ने खुज़ैमा और इमाम हाकिम ने इसे सहीह कहा है और इमाम उक़ैली ने इसे मुन्कर कहा है)

(٥٦٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ العُقَيْلِيُّ.

567. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ने हमेशा रोज़ा रखा उस ने (गोया) रोज़ा नहीं रखा।" (बुख़ारी, मुस्लिम) और मुस्लिम में अबू क़तादा ؓ से यह अलफ़ाज़ हैं कि "न रोज़ा रखा न इफ़तार किया।"

(٥٦٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ».

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात की दलील है कि हमेशा रोज़ा रखना मकरूह है।

2. एतिकाफ़ और रमज़ान के क़ियाम का बयान

٢ - بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ

568. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो शख़्स ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान का क़ियाम करता है उस के पहले के गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٦٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि रमज़ानुल मुबारक की रातों का क़ियाम कितने अज्र व सवाब का बाइस है, नबी ﷺ रमज़ान और ग़ैर रमज़ान में आम तौर से आठ रकअत और तीन वित्र पढ़ते और क़ियाम बहुत लम्बा करते थे, बल्कि जिन तीन रातों में रसूलुल्लाह ﷺ ने तरावीह की नमाज़ पढ़ायी उन में भी आप ﷺ ने ग्यारह रकअत ही पढ़ी। (इब्ने हिब्बान) इसलिये सुन्नत नबवी ﷺ तो ग्यारह रकअत है, अल्लामा इब्ने हुमाम रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरा ने भी इस से ज़्यादा रकअतों को सुन्नत नहीं बल्कि नफ़्ल कहा है। (फ़तहुल क़दीर)

569. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि जब आख़िरी अशरा (दस दिन) शुरू हो जाता तो रसूलुल्लाह ﷺ अपनी कमर कस लेते, रात भर जागते रहते और अपनी बीवियों को भी जगाते। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٦٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ، - أَيِ العَشْرُ الأَخِيرَةُ مِنْ رَمَضَانَ - شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

570. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ जब एतिकाफ़ का इरादा करते तो फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते और फिर एतिकाफ़ की जगह दाख़िल हो जाते। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٧٠) وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

571. उन्ही (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ रमज़ान के आख़िरी अशरा का एतिकाफ़ करते, यहाँ तक कि आप ﷺ वफ़ात पा गये, आप की बीवियाँ आप ﷺ के बाद एतिकाफ़ करतीं। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٧١) وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ، صَلَّى الفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

यह इस बात की दलील है कि एतिकाफ़ सुन्नत है, नबी ﷺ ने हमेशा इस का एहतिमाम किया और आप ﷺ के बाद अज़वाजे मुतह्हरात भी इस का एहितमाम करती थीं।

572. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ अपना सर मुबारक मेरे आगे कर देते, जबकि आप ﷺ (एतिकाफ़ की हालत में) मस्जिद में होते, फिर मैं आप को कंघी करती और जब आप ﷺ एतिकाफ़ में होते तो आप ﷺ सिवाय ज़रूरी हाजात के घर में दाख़िल न होते। (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं)

(٥٧٢) وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ، - وَهُوَ فِي المَسْجِدِ - فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

573. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि एतिकाफ़ करने वाले पर सुन्नत है कि वह न किसी मरीज़ की बीमार पुरसी करे, न जनाज़ा में शिरकत करे, न औरत को हाथ लगाये और न ही उस से मुबाशरत करे, और सिवाय हाजात ज़रूरी के मस्जिद में से न निकले और सिवाय जामा मस्जिद के एतिकाफ़ न करे। (अबू दाउद, इस के रावियों में कोई ख़लल नहीं, लेकिन राजिह यह है कि इस के आख़िरी अलफ़ाज़ मौकूफ़ हैं)

(٥٧٣) وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ أَن لَا يَعُودَ مَرِيضاً، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ. وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ.

574. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "एतिकाफ़ करने वाले पर रोज़ा नहीं, इल्ला यह कि वह उसे अपने आप पर मुक़र्रर कर ले।" (इसे दार कुतनी और हाकिम ने रिवायत किया है और इस का भी मौकूफ़ होना ही राजिह है)

(٥٧٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ، إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضاً.

फ़ायेदा:

सहीह यह है कि यह रिवायत मौकूफ़ है और इस में से "ला यखरुजू लिहाजतिन" का जुमला ही मरफ़ूअ साबित है।

575. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम ﷺ के सहाबा रज़ि अल्लाहु अन्हुम में से कुछ मर्दों को आख़िरी हफ़्ता में शबे क़दर दिखाई गई, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैं तुम्हारी ख़्वाब को देखता हूँ जो आख़िरी हफ़्ता में मुवाफ़िक आया है, अगर कोई उस को तलाश करने वाला हो तो वह आख़िरी हफ़्ता में उसे तलाश करे।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٧٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ، فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

576. मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने शबे क़दर के बारे में फ़रमाया: "यह सत्ताईस की रात है" (अबू दाउद) इस हदीस का मौकूफ़ होना ज़्यादा राजिह है। (हाफ़िज़ इब्ने हजर फ़रमाते हैं कि) शबे क़दर की ताईन में इख़्तिलाफ़ किया गया है, इस बारे में चालीस अक़वाल हैं जिन्हें मैंने फ़तहुल बारी में नक़ल किया है।

(٥٧٦) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ: «لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلاً، أَوْرَدْتُهَا فِي فَتْحِ البَارِي.

577. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे बतलायें कि अगर मैं जान लूँ शबे क़दर कौन सी है तो उस में क्या करूँ? आप ﷺ ने फ़रमाया: "कहो ऐ अल्लाह! बेशक तू ही दर गुज़र करने वाला है, तू दर गुज़र करना पसन्द करता है, मुझ से दर गुज़र फ़रमा" (इसे अबू दाउद के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है और इसे तिर्मिज़ी और हाकिम ने सहीह कहा है)

(٥٧٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، ما أقول فيها؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ، تُحِبُّ العَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي». رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ.

578. अबू सईद खुदरी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सिवाय तीन मस्जिदों के (किसी के लिये) कजावे न बाँधो, (यानी सफ़र न करो) मस्जिदे हराम, मेरी इस मस्जिद और मस्जिदे अकसा।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٧٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात की वाज़िह दलील है कि इन तीन जगहों के अलावा किसी भी जगह को बाइसे बरकत समझ कर या वहाँ नमाज़ पढ़ने की नीयत से सफ़र करना सहीह नहीं।

6- हज के मसायेल

٦ - كِتَابُ الحَجِّ

1. हज की फ़ज़ीलत और फ़रज़ीयत का बयान

١ - بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَان مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ

579. अबू हुरैरा ﵁ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उमरा दूसरे उमरे तक दोनों के बीच के गुनाहों का कफ़्फ़ारा है और हज मबरूर का बदला जन्नत के अलावा और कोई नहीं।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٧٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

580. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या औरतों पर जिहाद है? आप ﷺ ने फ़रमाया: "हाँ! उन पर वह जिहाद है जिस में लड़ाई नहीं (यानी) हज और उमरा।" (इसे अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और यह अलफ़ाज़ इब्ने माजा के हैं, इस की सनद सहीह है और इस की असल बुख़ारी में है)

(٥٨٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ؛ الحَجُّ وَالعُمْرَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ.

581. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में एक बदवी हाज़िर हुआ तो उस ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे उमरा के बारे में बतलाईये कि क्या यह वाजिब है? तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "नहीं, अगर तू उमरा करे तो यह तुम्हारे लिये बेहतर है।" (इसे अहमद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इस का मौकूफ़ होना राजिह है) और इमाम इब्ने अदी ने एक और कमज़ोर सनद से जाबिर ﵁ से मरफ़ूअन रिवायत किया है कि "हज और उमरा दोनों फ़र्ज़ हैं।"

(٥٨١) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ العُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعاً: «الْحَجُّ وَالعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ».

582. अनस ﷺ से रिवायत है कि अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह! "सबील" से क्या मुराद है? आप ﷺ ने फ़रमाया: "रास्ते का ख़र्च और सवारी" (इसे दार कुतनी ने रिवायत किया है और हाकिम ने सहीह कहा है, मगर राजिह इस का मुरसल होना है और तिर्मिज़ी ने इसे इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की हदीस से रिवायत किया है और इस की सनद में कमज़ोरी है)

(٥٨٢) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضاً، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

583. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ रौहा नाम की जगह पर कुछ सवारों से मिले तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "तुम कौन हो?" उन्होंने कहा हम मुसलमान हैं, फिर उन्होंने पूछा आप कौन हैं? तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह का रसूल हूँ" फिर आप ﷺ की ख़िदमत में एक औरत अपने बच्चे को उठा कर लाई और पूछा क्या इस का हज है? आप ﷺ ने फ़रमाया: "हाँ! उस का सवाब तुम्हें मिलेगा।" (मुस्लिम)

(٥٨٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْباً بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ: «مَنِ القَوْمُ؟» فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهٰذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

584. उन्हीं (इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि फ़ज़ल बिन अब्बास ﷺ रसूलुल्लाह ﷺ के पीछे सवार थे कि क़बीला ख़सअम की एक औरत आई तो फ़ज़ल ﷺ उस की तरफ़ देखने लगे और वह इन की तरफ़ देखने लगी और नबी ﷺ फ़ज़ल ﷺ का मुँह दूसरी तरफ़ फेरते थे, तब उस औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! बेशक हज अल्लाह का फ़र्ज़ है उस के बन्दों पर, मेरा बाप बड़ी उम्र वाला बूढ़ा है, वह सवारी पर बैठ नहीं सकता, क्या मैं उस की

(٥٨٤) وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

तरफ़ से हज करूँ? आप ﷺ ने फ़रमाया: "हाँ! और यह हज्जतुल-वदा का वाक़िआ है।" (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस पर हज फ़र्ज़ हो मगर वह किसी लगातार बीमारी या बुढ़ापे की वजह से हज करने की ताक़त न रखता हो तो उस की तरफ़ से हज बदल जायेज़ है, लेकिन वक़्ती बीमारी जिस के दूर हो जाने का इमकान हो, में बदल सहीह नहीं, यह शर्त हज फ़र्ज़ के लिये है नफ़ली हज के लिये उस में बिला शर्त नियाबत जायेज़ है।

(٥٨٥) وَعَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ، حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

585. उन्हीं (इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि क़बीला जुहैना की एक औरत नबी ﷺ के पास आई और कहा, बेशक मेरी माँ ने हज करने की मिन्नत मानी थी लेकिन वह हज न कर सकी और मर गई, क्या मैं उस की तरफ़ से हज करूँ? आप ﷺ ने फ़रमाया: "हाँ! उस की तरफ़ से हज करो, अगर तुम्हारी माँ के ज़िम्मे उधार होता तो क्या तू वह क़र्ज़ न उतारती? अल्लाह का हक़ पूरा करो क्योंकि अल्लाह ज़्यादा हक़दार है कि उस का हक़ पूरा किया जाये" (बुख़ारी)

(٥٨٦) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى». رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ، وَالمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

586. उन्हीं (इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो बच्चा हज करे फिर वह बालिग़ हो जाये तो उस पर ज़रूरी है कि दूसरा हज करे और जो ग़ुलाम हज करे फिर आज़ाद कर दिया जाये तो उस पर ज़रूरी है कि दूसरा हज करे।" (इसे इब्ने अबी शैबा और बैहक़ी ने रिवायत किया है इस के रावी सिक़ा है मगर इस के मरफ़ूअ होने में इख़्तिलाफ़ किया गया हे और महफ़ूज़ यह है कि यह हदीस मौक़ूफ़ है)

(٥٨٧) وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

587. उन्हीं (अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को ख़ुतबा में इरशाद फ़रमाते सुना कि "कोई मर्द किसी औरत के साथ हरगिज़ अकेला न हो, मगर उस के साथ महरम हो, और कोई औरत महरम के बग़ैर सफ़र न करे" एक आदमी खड़ा हुआ तो उस ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! बेशक मेरी औरत हज के लिये रवाना हुई और मेरा नाम फुलाँ-फुलाँ ग़ज़वा में शामिल होने के लिये लिखा गया है, आप ﷺ ने फ़रमाया: "जाओ अपनी बीवी के साथ हज करो।" (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि ग़ैर महरम मर्द और औरत के लिये तन्हाई में अकेला होना हराम है, बल्कि एक हदीस में है जब भी दोनों अकेले होंगे तीसरा उन के साथ शैतान होगा, इस तरह औरत को तन्हा महरम के बग़ैर सफ़र करना भी हराम है।

(٥٨٨) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ»؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ.

588. उन्हीं (इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि नबी ﷺ ने एक आदमी से सुना कि वह कह रहा था शुबरुमा की तरफ़ से लब्बैक, आप ﷺ ने फ़रमाया: "शुबरुमा कौन है? उस ने कहा: मेरा भाई या मेरा क़रीबी है, तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "तूने अपनी तरफ़ से हज किया है? उस ने कहा: नहीं, आप ﷺ ने फ़रमाया: पहले अपनी तरफ़ से कर लो फिर शुबरुमा की तरफ़ से कर लेना।" (इसे अबू दाउद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है और इमाम अहमद के नज़दीक इस का मौक़ूफ़ होना राजिह है)

589. उन्हीं (इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें ख़ुतबा दिया तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "बेशक अल्लाह तआला ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है" तो अक़रा बिन हाबिस ؓ खड़े हुये और उन्होंने अर्ज़ किया: क्या हर साल, ऐ अल्लाह के रसूल! आप ﷺ ने फ़रमाया: "अगर मैं हाँ कह देता तो यह (हर साल के लिये) फ़र्ज़ हो जाता, हज एक बार है, इस से जो ज़्यादा है वह नफ़्ल है।" (इसे तिर्मिज़ी के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है और इस की असल मुस्लिम में अबू हुरैरा ؓ की रिवायत से है)

(٥٨٩) وَعَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُم الحَجَّ»، فَقَامَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ!؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ. الحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

फ़ायेदा:

यह हदीस दलील है कि हज उम्र भर में सिर्फ़ एक बार फ़र्ज़ है उस से ज़्यादा नफ़्ल है।

2. (एहराम के) मीक़ात का बयान

٢ - بَابُ المَوَاقِيتِ

590. अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने मदीना वालों के लिये ज़ुलहुलैफ़ा, शाम वालों के लिये जुहफ़ा, नजद वालों के लिये क़र्न मनाज़िल और यमन वालों के लिये यलमलम को एहराम में दाख़िल होने की जगहें मुक़र्रर किया है और यह मीक़ातें उन के लिये हैं (जिन का ज़िक्र हुआ) और उन लोगों के लिये भी जो दूसरे शहरों से उन के पास से हज या उमरा के इरादे से गुज़रें, और जो कोई इन मीक़ातो के अन्दर हो वह जहाँ से चले वहीं से (एहराम बाँधे) यहाँ तक कि मक्का वाले मक्का से एहराम बाँधें। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٩٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٥٩١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، إِلَّا أَنَّ رَاوِيَه شَكَّ فِي رَفْعِهِ.

591. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने इराक वालों के लिये ज़ात इर्क़ को मीक़ात मुक़र्रर किया। (इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और इस की असल मुस्लिम में जाबिर ﷺ की रिवायत से है मगर उस के रावी ने इस के मरफ़ूअ होने में शक किया है)

وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ: أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ.

और सहीह बुख़ारी में है कि उमर ﷺ ने ज़ात इर्क़ को मीक़ात मुक़र्रर किया था।

وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَشْرِقِ العَقِيقَ.

अहमद, अबू दाउद और तिर्मिज़ी में इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने मशरिक़ वालों के लिये अक़ीक़ को मीक़ात मुक़र्रर किया था।

फ़ायेदा:

यहाँ यह बात याद रहे कि जो शख़्स इन पाँचों मीक़ात में से किसी एक मीक़ात पर से न गुज़रे तो उसे चाहिये कि वह जिस मीक़ात के बराबर से गुज़रे वहाँ एहराम बाँध ले।

٣ - بَابُ وُجُوهِ الإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

3. एहराम की अक़्साम और सिफ़त का बयान

(٥٩٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

592. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह ﷺ के साथ हज्जतुल-वदा के साल निकले, हम में से कुछ वह थे जिन्होंने उमरा के लिये तलबिया कहा और हम में से कुछ वह थे जिन्होंने हज और उमरा के लिये तलबिया कहा, और हम में से कुछ वह थे जिन्होंने हज के लिये लब्बैक पुकारा, और रसूलुल्लाह ﷺ ने सिर्फ़ हज का तलबिया पुकारा, फिर जिन्होंने उमरा के लिये लब्बैक कहा था वह हलाल हो गये और जिन्होंने हज के लिये लब्बैक कहा या हज और उमरा को जमा किया था वह हलाल न हुये यहाँ तक कि क़ुर्बानी का दिन हुआ। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि हज की तीन क़िस्में है हज क़िरान, हज तमत्तुअ और हज इफ़राद। इन तीनों में से अफ़ज़ल कौन सा हज है? अहनाफ़ हज क़िरान को अफ़ज़ल क़रार देते हैं कि अल्लाह तआला ने अपने हबीब मुहम्मद ﷺ के लिये यही हज पसन्द किया। मगर इमाम अहमद, इमाम मालिक रहेमहुमुल्लाह वग़ैरह हज तमत्तुअ को अफ़ज़ल कहते हैं कि इस में सहूलत है और नबी ﷺ ने एक मौक़े पर इस की ख़्वाहिश का इज़हार फ़रमाया था। अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह की यही राय है और कुछ लोग हज इफ़राद को अफ़ज़ल क़रार देते हैं, मगर दूसरा क़ौल दलायेल के एतिबार से राजिह है।

4. एहराम और इस से सम्बन्धित उमूर का बयान

٤ - بَابُ الإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ.

593. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने लब्बैक नहीं पुकारा मगर सिर्फ़ मस्जिद के पास। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٩٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

मस्जिद से मुराद मस्जिद ज़ुल हुलैफ़ा है, जिस वक़्त आप ﷺ अपनी ऊँटनी पर सीधे खड़े हुये थे, यह बात अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने उन हज़रात की ग़लत फ़हमी का इज़ाला करने के लिये कही है जो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने "बैदा" की जगह से एहराम बाँधा था।

594. ख़ल्लाद बिन सायिब अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आये और मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने सहाबा को हुक्म दूँ कि लब्बैक कहते हुये अपनी आवाज़ों को बुलन्द करें।" (इसे पाँचों ने रिवायत किया है, इमाम तिर्मिज़ी और इमाम इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(٥٩٤) وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي، أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلَالِ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

यह हदीस साफ़ दलील है कि बुलन्द आवाज़ से लब्बैक कहना चाहिये, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में है कि सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम इस क़दर ऊँची आवाज़ से तलबिया कहते कि उन का गला बैठ जाता।

595. ज़ैद बिन साबित ؓ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने एहराम बाँधने के वक़्त कपड़े उतारे और गुस्ल किया। (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और हसन कहा है)

(٥٩٥) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ، وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

596. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा गया कि एहराम बाँधने वाला क्या लिबास पहने? आप ﷺ ने फ़रमाया: "क़मीस, पगड़ी, शलवार, पाजामा, कट टोप और मोज़े न पहने, लेकिन अगर किसी शख़्स के पास जूते नहीं तो वह मोज़े पहन ले और उसे चाहिये कि दोनों टखनों के नीचे से काट ले और ऐसा कोई कपड़ा न पहने जिसे ज़ाफ़रान और केसू (एक ज़र्द रंग की ख़ुश्बूदार बूटी) लगा हुआ हो" (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

(٥٩٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ سُئِلَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الوَرْسُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفظُ لِمُسْلِمٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि एहराम बाँधने के लिये क़मीस, पाजामा, शलवार, टोपी और मोज़े पहनना सहीह नहीं, जूता अगर न हो और सिर्फ़ मोज़े हों तो उन्हें टखनों के नीचे से काट लेने का हुक्म है।

597. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एहराम बाँधने से पहले मैं रसूलुल्लाह ﷺ को एहराम के वक़्त और एहराम खोलने के वक़्त ख़ुश्बू लगाती थी, इस से पहले कि आप ﷺ बैतुल्लाह का तवाफ़ करें। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٥٩٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَن يَطُوفَ بِالْبَيْتِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

598. उस्मान बिन अफ़्फ़ान ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "एहराम वाला निकाह न करे और न निकाह कराये और न मँगनी करे।" (मुस्लिम)

(٥٩٨) وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि एहराम की हालत में ख़ुद निकाह करना या किसी का निकाह कराना किसी को अपने लिये या किसी के लिये शादी का पैग़ाम देना नाजायेज़ है और इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से जो यह मरवी है कि नबी ﷺ ने मैमूना रज़ि अल्लाहु अन्हा से हालते एहराम में निकाह किया था तो यह सिर्फ़ वहम है।

(٥٩٩) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ الحِمَارَ الوَحْشِيَّ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ - قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ - وَكَانُوا مُحْرِمِينَ -: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

599. अबू क़तादा अन्सारी رضي الله عنه से उनके जंगली गदहे को शिकार करने के क़िस्से में जबकि उन्होंने एहराम नहीं बाँधा था, रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने सहाबा से फ़रमाया और वह एहराम वाले थे "क्या तुम में से किसी ने उसे हुक्म दिया था या उस की तरफ़ किसी चीज़ से इशारा किया था? उन्होंने कहा: नहीं, आप ﷺ ने फ़रमाया: पस खाओ उस के गोश्त से जो बच गया है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦٠٠) وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِمَاراً وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

600. साब बिन जस्सामा رضي الله عنه से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को एक वहशी गदहा बतौर तुहफ़ा भेजा और आप ﷺ "अबवा" या "वद्दान" मक़ाम पर थे तो आप ﷺ ने वह उन्हें वापस कर दिया और फ़रमाया: "हम ने यह इसलिये वापस किया कि हम एहराम वाले हैं।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦٠١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَواسِقُ، يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ وَالحَرَمِ: العَقْرَبُ، وَالحِدَأَةُ، وَالغُرَابُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

601. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जानवरों में से पाँच सब के सब शरीर हैं, हिल और हरम (सब जगहों पर) मार दिये जायें और वह हैं बिच्छू, चील, कौवा, चूहा और काट खाने वाला कुत्ता।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦٠٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

602. अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि बेशक नबी ﷺ ने सींगी लगवाई जब कि आप ﷺ एहराम की हालत में थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

603. काब बिन उजरा ﷺ से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह ﷺ के पास उठा कर लाया गया और जूयें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं, आप ﷺ ने फ़रमाया: "मेरा यह ख़्याल न था कि तुम को बीमारी ने इस हालत को पहुँचा दिया होगा जो मैं देख रहा हूँ, क्या तेरे पास बकरी है? मैंने कहा: नहीं, आप ﷺ ने फ़रमाया: तीन दिन रोज़ा रखो या छ ग़रीबों को आधा साअ हर ग़रीब के हिसाब से खाना दें।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦٠٣) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، أَتَجِدُ شَاةً؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

604. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि जब अल्लाह तआला ने अपने रसूल ﷺ को मक्का की फ़त्ह दी तो रसूलुल्लाह ﷺ लोगों के बीच खड़े हुये, फिर अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फ़रमाया: "बेशक अल्लाह तआला ने हाथियों को मक्का से रोक दिया, मगर अपने रसूल ﷺ और मोमिनों को उस पर ग़ल्बा अता किया, और तहक़ीक़ मुझ से पहले मक्का किसी पर हलाल न था मगर मेरे लिये दिन की एक घड़ी हलाल कर दिया गया है और यक़ीनन मेरे बाद यह किसी के लिये हलाल नहीं होगा। यानी न उस का शिकार भगाया जाये न उस का कोई काँटेदार पेड़ काटा जाये, और न ही उस की गिरी हुई चीज़ सिवाय शनाख़्त करने वाले के किसी पर हलाल है और जिस का कोई आदमी मारा जाये वह दो बेहतर सोचे हुये कामों में से एक काम में इख़्तियार रखता है।" तो अब्बास ﷺ ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! "इज़ख़िर" (एक तरह की घास) के सिवा, क्योंकि इसे हम अपनी क़ब्रों और छतों में रखते हैं तो

(٦٠٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَكَّةَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ. وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ»، فَقَالَ العَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ، يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ: «إِلَّا الإِذْخِرَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

आप ﷺ ने फ़रमाया: "सिवाय इज़ख़िर के (यानी उसे काटने की इजाज़त है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

605. अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तहक़ीक इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हुरमत दी और उस के बसने वालों के लिये दुआ की और बेशक मैंने मदीना को हुरमत दी, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हराम क़रार दिया और यक़ीनन मैंने मदीना के साअ और उस के मुद के मुतअल्लिक़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह दुआ की जो मक्का में बसने वालों के मुतअल्लिक़ थी।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦٠٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ؛ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मक्का मुकर्रमा की तरह मदीना भी हरम है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हुरमत दी का मफ़हूम यह है कि दुआ से उसे हुरमत दी गयी।

606. अली ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मदीना हरम है ऐर से सौर के बीच।" (मुस्लिम)

(٦٠٦) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

5. हज का तरीक़ा और मक्का में दाख़िल होने का बयान

٥ - بَابُ صِفَةِ الحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

607. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हज किया तो हम आप ﷺ के साथ निकले, यहाँ तक कि हम ज़ुल-हुलैफ़ा पहुँचे तो अस्मा बिन्त उमैस रज़ि अल्लाहु अन्हा ने बच्चा जना, आप ﷺ ने फ़रमाया: "ग़ुस्ल करो और किसी कपड़े से लंगोट बाँध लो और एहराम

(٦٠٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَّ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: «اغْتَسِلِي، وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي»، وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ

رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى
الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ
لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ
الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ
لَكَ»، حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ،
فَرَمَلَ ثَلَاثاً، وَمَشَى أَرْبَعاً، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ
إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ،
فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا،
فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا، قَرَأَ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ
مِن شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»،
فَرَقِيَ الصَّفَا حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ
الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللَّهَ، وَكَبَّرَهُ، وَقَالَ: «لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ،
وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ،
وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ
قَالَ: مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ مِنَ
الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ
فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَ
مَشَى إِلَى الْمَرْوَةِ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا
فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ:
فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى،
وَرَكِبَ النَّبِيُّ ﷺ، فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ
وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ، ثُمَّ
مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَجَازَ
حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ
بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا، حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ
أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ، فَأَتَى بَطْنَ
الْوَادِي، فَخَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَّنَ، ثُمَّ

ा" रसूलुल्लाह ﷺ ने मस्जिद में नमाज़ और कस्वा (आप ﷺ की ऊँटनी का पर सवार हो गये, यहाँ तक कि जब ﷺ बैदा के बराबर आये तो आप ﷺ ने दी तलबिया पुकारा "हाज़िर हूँ ऐ मेरे ाह! मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक , मैं हाज़िर हूँ, बिला शक तारीफ़ें और ़मात तेरे लिये हैं, बादशाहत भी तेरी है, कोई शरीक नहीं" यहाँ तक कि हम ुल्लाह में दाख़िल हो गये, रुक्न (अस्वद) आप ﷺ ने बोसा दिया, तीन बार रमल ्या और चार बार मामूल के मुताबिक़ ले, फिर आप ﷺ मक़ामे इब्राहीम पर आये ौर नमाज़ पढ़ी, फिर रुक्न (हजरे अस्वद) की तरफ़ वापस आये और उस को बोसा देया, फिर मस्जिदे हराम के दरवाज़े से सफ़ा की तरफ़ निकले, जब सफ़ा के नज़दीक पहुँचे तो यह आयत "इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन..." पढ़ी "तहक़ीक़ सफ़ा व मरवा अल्लाह तआला की निशानियों में से हैं" (फिर फ़रमाया) "मैं शुरू करता हूँ (सई को) उस मक़ाम से कि जहाँ से अल्लाह ने शुरू किया है" फिर सफ़ा पर चढ़े, यहाँ तक कि आप ﷺ ने बैतुल्लाह को देखा, फिर क़िब्ला रुख़ हुये और अल्लाह की वहदानीयत और किबरीयाई बयान की और कहा "अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है कोई उस का शरीक नहीं, बादशाही और सब ख़ूबियाँ उसी की हैं और वह हर चीज़ पर क़ादिर है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उस ने अपना वादा पूरा कर दिया और अपने बन्दे की मदद की और कुफ़्फ़ार की जमाअत

أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوقِفَ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ، وَجَعَلَ جَبَلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً، حَتَّى إِذَا غَابَ الْقُرْصُ دَفَعَ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَورِكَ رَحْلِهِ، وَيقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! اَلسَّكِينَةَ، اَلسَّكِينَةَ»، وَكُلَّمَا أَتَى جَبَلاً أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ، فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَدَعَا، وَكَبَّرَ، وَهَلَّلَ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، فَحَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ، فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا، مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ، رَمَى مِن بَطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلاً.

को अकेले उसी ने शिकस्त दी" फिर उस के बीच तीन बार दुआ की, फिर सफ़ा से उतरे और मरवा की तरफ़ गये, यहाँ तक कि जब आप ﷺ के दोनों पाँव वादी के नशेब में पड़े तो दौड़े, यहाँ तक कि आप ﷺ नशेब से उपर चढ़े और मरवा की तरफ़ चले, मरवा पर वही कुछ किया जो सफ़ा पर किया था, फिर जाबिर رضی اللہ عنہ ने सारी हदीस बयान की, जिस में यह है कि जब तरविया का दिन (8 ज़िलहिज्जा) हुआ तो लोग मिना की तरफ़ रवाना हुये और नबी ﷺ सवार थे, फिर वहाँ ज़ुहर, अस्र, मग़रिब, इशा और सुब्ह की नमाज़ पढ़ी, फिर थोड़ी देर ठहरे यहाँ तक कि सूरज निकल आया तो वहाँ से रवाना हुये और मुज़दलिफ़ा से गुज़रते हुये अरफ़ात पहुँचे तो ख़ैमा में उतरे जो आप ﷺ के लिये नमिरा में लगाया गया था, फिर जब सूरज ढलने लगा तो आप ﷺ ने क़सवा पर पालान रखने का हुक्म दिया, आप ﷺ सवार होकर वादी के बीच में आये और लोगों को ख़ुतबा दिया, फिर अज़ान दिलवाई, फिर इक़ामत कहलवाई तो नमाज़े ज़ुहर अदा की, फिर इक़ामत कहलवाई तो अस्र की नमाज़ पढ़ी, और इन दोनों के बीच में कोई नमाज़ न पढ़ी, फिर सवार होकर ठहरने की जगह पहुँचे तो अपनी ऊँटनी क़सवा का पेट पत्थरों की तरफ़ कर दिया और राह चलने वालों को अपने सामने कर लिया और अपना रुख़ क़िब्ला की तरफ़ कर लिया। फिर आप ﷺ उस वक़्त तक ठहरे रहे कि सूरज डूबने लगा और थोड़ी सी ज़रदी ख़त्म हो गई यहाँ तक कि सूरज पूरी तरह से डूब गया,

फिर आप ﷺ उसी हालत में वापस हुये, आप ﷺ ने कसवा की बाग इतनी तंग कर रखी थी कि उस का सर आप ﷺ के पालान के अगले उभरे हुये हिस्से को पहुँचता था, और आप ﷺ अपने दाहिने हाथ से इशारा करते हुये फ़रमाते थे "ऐ लोगो! तसकीन व इतमेनान अख़्तियार करो" और जब भी आप ﷺ किसी टीले पर आते तो बाग थोड़ी सी ढीली कर देते कि वह ऊपर चढ़ जाती, यहाँ तक कि आप मुज़दलिफ़ा तशरीफ़ लाये और वहाँ एक अज़ान और दो इक़ामत के साथ मग़रिब और इशा की नमाज़ पढ़ी, और दोनों के बीच में कोई नफ़्ली नमाज़ नहीं पढ़ी, फिर लेट गये यहाँ तक कि सुब्ह हो गई, जब सुब्ह का वक़्त ज़ाहिर हुआ तो आप ﷺ ने अज़ान और इक़ामत से सुब्ह की नमाज़ पढ़ी, फिर सवार होकर मशअरे हराम पर आये, फिर आप ﷺ क़िब्ला रुख़ हुये, दुआ की और तकबीर व तहलील कहते रहे। आप ﷺ वहाँ अच्छी तरह सुफ़ैदी ज़ाहिर होने तक ठहरे रहे, फिर सूरज निकलने से पहले वापस होकर वादी मुहस्सर के नशेब में आ गये, तो सवारी को कुछ तेज़ कर दिया, फिर बीच के रास्ते पर चले जो जमरा कुबरा (बड़ा शैतान) पर पहुँचता है, फिर आप ﷺ उस जमरा पर आये जो पेड़ के पास है तो उसे सात कंकरियाँ वादी के नशेब से मारी, हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते थे, इन में से हर कंकरी ख़ज़्फ़ (लूबीये के दाने) के बराबर थी, फिर आप ﷺ कुर्बानगाह की तरफ़ गये और वहाँ कुर्बानी की, फिर रसूलुल्लाह ﷺ सवार हुये और बैतुल्लाह की

तरफ़ रवाना हुये; फिर मक्का में ज़ुह्र की नमाज़ पढ़ी। (इसे मुस्लिम ने तफ़सील से बयान किया है)

608. ख़ुज़ैमा बिन साबित ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ जब हज या उमरा में तलबिया यानी लब्बैक कहने से फ़ारिग़ होते तो अल्लाह तआला से उस की रज़ामंदी और जन्नत माँगते और उस की रहमत के साथ आग से पनाह माँगते। (इसे इमाम शाफई ने कमज़ोर सनद के साथ रिवायत किया है)

(٦٠٨) وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالجَنَّةَ، وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

609. जाबिर ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैंने कुर्बानी इस जगह की है मगर मिना सारे का सारा कुर्बानगाह है, इसलिए तुम अपने अपने ठहरने की जगह पर कुर्बानी कर दो और मैंने इस जगह क़ियाम किया है मगर अरफ़ात का सारा मैदान क़ियाम की जगह है और मैंने यहाँ क़ियाम किया मगर मुज़दलिफ़ा सारे का सारा ठहरने की जगह है।" (मुस्लिम)

(٦٠٩) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَحَرْتُ هٰهُنَا، وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ، فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، وَوَقَفْتُ هٰهُنَا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هٰهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

610. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ जब हज के लिये मक्का में दाख़िल हुये तो उस मौक़ा पर मक्का की बालाई तरफ़ से दाख़िल हुये और जब वापस जाने के लिये मक्का से निकले तो निचले हिस्से से निकले। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦١٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا، وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस रिवायत में रसूलुल्लाह ﷺ का मक्का में दाख़िल होने और निकलने का रास्ता बयान हुआ है कि आप ﷺ सनीया उलया के रास्ता से दाख़िल हुये और सनीया सुफ़ला से वापस हुये।

611. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि वह जब भी मक्का में आते तो ज़ी तुवा में सुब्ह तक रात गुज़ारते और ग़ुस्ल

(٦١١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي

करते और कहते थे कि रसूलुल्लाह ﷺ इसी तरह किया करते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

طُوًى، حَتَّى يُصْبِحَ، وَيَغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

612. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि आप ﷺ हजरे अस्वद को बोसा देते और उस के सामने सज्दा करते। (इसे हाकिम ने मरफूअ और बैहक़ी ने मौकूफ़ रिवायत किया है)

(٦١٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ الحَجَرَ الأَسْوَدَ، وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ مَرْفُوعاً، وَالبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفاً.

फ़ायेदा:

इस हदीस से हजरे अस्वद को बोसा देने और उस पर सज्दा करने की मशरूईयत मालूम होती है, जमहूर की भी यही राय है, लेकिन इस हदीस में वहम और इज़तिराब पाया जाता है और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हजरे अस्वद पर सज्दा करना बिदअत है।

613. उन्हीं (इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम को हुक्म दिया कि तीन चक्करों में तेज़ क़दम से चलें और दोनों रुक्नों के बीच चार चक्कर आम चाल के मुताबिक़ चल कर चक्कर लगायें। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦١٣) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعاً، مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

614. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा जब भी बैतुल्लाह का तवाफ़े क़ुदूम (पहला तवाफ़) करते तो इस के पहले तीन चक्करों में पहलवानों की सी चाल चलते और (बाक़ी) चार में आहिस्ता चलते। एक और रिवायत में है कि (अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा रसूलुल्लाह ﷺ का अमल बयान करते हुये फ़रमाते हैं) मैंने अल्लाह के रसूल ﷺ को देखा कि आप ﷺ हज या उमरा के लिये जब भी तवाफ़े क़ुदूम किया तो उस के पहले तीन चक्कर दौड़ कर लगाये और बाक़ी चार में आप आहिस्ता चाल चलते। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦١٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُما: أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثاً وَمَشَى أَرْبَعاً. وَفِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا طَافَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ بِالبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

615. उन्हीं (अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) इस के रावी हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को सिवाय दोनों यमानी रुक्नों के बैतुल्लाह के किसी रुक्न को छूते हुये नहीं देखा। (मुस्लिम)

(٦١٥) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

616. उमर ﷺ से रिवायत है कि उन्होंने हजरे अस्वद को बोसा दिया और फ़रमाया कि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तू एक पत्थर है किसी तरह के नफ़ा और नुक़सान का मालिक नहीं, अगर मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को तुझे बोसा देते हुये न देखा होता तो मैं तुझे बोसा न देता। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦١٦) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَبَّلَ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ، وَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस रिवायत से मालूम होता है कि हजरे अस्वद को बोसा उसे नफ़ा और नुक़सान वाला समझ कर नहीं दिया जाता, यह अमल तो सिर्फ़ रसूलुल्लाह ﷺ की पैरवी में किया जाता है, उमर ﷺ के इस फ़रमान से मुशरिक़ीन के इस नज़रिये की तरदीद मक़सूद थी जो पत्थरों को बज़ाते ख़ुद नफ़ा और नुक़सान का मालिक समझते थे।

617. अबू तुफ़ैल ﷺ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को बैतुल्लाह का तवाफ़ करते देखा है आप ﷺ नोकीले सिरे वाली छड़ी जो आप ﷺ के पास थी, उससे हज्रे अस्वद को छूते और उस छड़ी को बोसा देते थे। (मुस्लिम)

(٦١٧) وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा हो और हजरे अस्वद को बोसा देना मुश्किल या नामुमकिन हो तो छड़ी लगाकर उस छड़ी को चूम ले।

618. याला बिन उमय्या ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक हरी चादर में तवाफ़ किया जिस को आप ﷺ ने दायें बग़ल से निकालकर बायें कन्धे पर डाल रखा था। (इसे नसाई के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है, और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

(٦١٨) وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضْطَبِعاً بِبُرْدٍ أَخْضَرَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

फ़ायेदा:

इज़तिबा पहले पहल उमरतुल-क़ज़ा में किया गया, क्योंकि उस वक़्त मुशरिकीन को बताना ज़रूरी था कि मुसलमान जिस्मानी व बदनी तौर पर कमज़ोर नहीं, उस के बाद इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा के क़ौल के मुताबिक़ रमल और इज़तिबा दोनों हमेशा के लिये मसनून क़रार पाये।

(٦١٩) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

619. अनस ﷺ से रिवायत है कि हम में से कुछ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहते थे, उसे भी बुरा नहीं समझा जाता था, और कुछ हम में से तकबीरें कहते थे, उन को भी बुरा नहीं समझा जाता था। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦٢٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي الثَّقَلِ، أَوْ قَالَ: فِي الضَّعَفَةِ، مِنْ جَمْعٍ، بِلَيْلٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

620. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मुझे नबी करीम ﷺ ने मुसाफ़िरों के सामान के साथ (या फ़रमाया कि) कमज़ोरों के साथ रात ही को मुजदलिफ़ा से (मिना की तरफ़) भेज दिया था। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦٢١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبِطَةً، يَعْنِي ثَقِيلَةً، فَأَذِنَ لَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

621. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि सौदा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने मुज़दलिफ़ा की रात आप ﷺ से इजाज़त माँगी कि वह आप ﷺ से पहले वापस आ जाये (यह इजाज़त उन्होंने इसलिये माँगी) कि वह भारी जिस्म वाली थीं, (इस वजह से अहिस्ता-अहिस्ता और ठहर-ठहर कर चलती थीं) आप ﷺ ने उन को इजाज़त दे दी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

बीमारी और जिस्मानी कमज़ोरी के अलावा भारी भरकम जिस्म भी मजबूरी में शामिल है, ऐसे हाजी को भी मुज़दलिफ़ा में पूरी रात गुज़ारे बग़ैर मिना की तरफ़ जाने की इजाज़त है।

(٦٢٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.

622. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें हुक्म दिया कि सूरज निकलने से पहले कंकरियाँ न मारो। (इसे नसाई के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है, इस की सनद में इनकिताअ है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि रात को रमी जायेज़ नहीं, लेकिन इस हदीस की सनद मुनक़तिअ है।

623. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा को क़ुर्बानी वाली रात पहले भेज दिया था, उन्होंने फ़ज्र होने से पहले कंकरियाँ मारीं, फिर जाकर तवाफ़े इफ़ाज़ा किया। (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है, इस की सनद मुस्लिम की शर्त पर है)

(٦٢٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ، فَرَمَتِ الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ، فَأَفَاضَتْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

624. उरवा बिन मुज़र्रिस رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो कोई मुज़दलिफ़ा में हमारी नमाज़ में शामिल हुआ और हमारे साथ वुक़ूफ़ किया यहाँ तक कि हम ने कूच किया और उस से पहले अरफ़ात में रात या दिन में क़ियाम कर चुका हो तो उस का हज मुकम्मल हो गया और उस ने अपनी मैल कुचैल उतार ली।" (इसे पाँचों ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और इब्ने ख़ुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है)

(٦٢٤) وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، يَعْنِي بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ، وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفَثَهُ». رَوَاهُ ٱلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

625. उमर رضي الله عنه का बयान है कि मुशरिकीन सूरज निकलने के बाद वापस लौटते थे और कहते थे सबीर तो (एक पहाड़ का नाम) रौशन हो गया और नबी ﷺ ने उन की मुख़ालफ़त की और सूरज निकलने से पहले वापस आ गये। (बुख़ारी)

(٦٢٥) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ! وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ، فَأَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

626. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा और उसामा बिन ज़ैद रज़ि अल्लाहु अन्हुमा दोनों से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ जमरा अक़्बा (बड़ा शैतान) को कंकरी मारने तक तलबिया कहते रहे। (बुख़ारी)

(٦٢٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُم، قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

627. अब्दुल्लाह बिन मसउद رضي الله عنه से मन्क़ूल है

(٦٢٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ

اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وَقَالَ: هٰذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

कि उन्होंने बैतुल्लाह को अपनी बायें तरफ़ और मिना को अपनी दायें तरफ़ रखा और जमरा को सात कंकरियाँ मारी और फ़रमाया कि यह उन के खड़े होने की जगह है, जिन पर सूरह बक़रा का नुजूल हुआ था। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦٢٨) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدَ ذٰلِكَ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

628. जाबिर ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने जमरा को कुर्बानी के दिन चाश्त के वक़्त कंकरियाँ मारीं और उस दिन के बाद सूरज ढलने के बाद। (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

पहले दिन सूरज के ढलने से पहले कंकरियाँ मारनी चाहिये और बाक़ी दिनों में सूरज के ढलने के बाद, अगर दस तारीख़ को सूरज ढलने से पहले कंकरियाँ न मार सके तो फिर उसी दिन सूरज के ढलने के बाद मारनी चाहिये।

(٦٢٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، ثُمَّ يُسْهِلُ، فَيَقُومُ، فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَقُومُ طَوِيلاً، وَيَدْعُو، فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ، فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ يَدْعُو، فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلاً، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ، مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

629. इब्ने उमर रज़ि॰ अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि वह सब से क़रीबी जमरा को सात कंकरियाँ मारते और हर कंकरी मारते वक़्त तकबीर (अल्लाहु अकबर) कहते, फिर आगे जाते और मैदान में आकर खड़े हो जाते और क़िब्ला रुख़ होकर लम्बा क़ियाम करते और अपने हाथ उपर उठा कर दुआ करते, फिर बीच वाले जमरा को कंकरियाँ मारते, फिर बायें तरफ़ हो जाते और मैदान में आकर क़िब्ला रुख़ खड़े हो जाते, फिर अपने हाथ उपर उठाते और दुआ करते और लम्बा क़ियाम करते, उस के बाद जमरा अक़बा को कंकरियाँ वादी के निचली जगह से मारते मगर वहाँ क़ियाम न फ़रमाते फिर वापस आ जाते। इब्ने उमर रज़ि॰ अल्लाहु अन्हुमा का बयान है कि मैने रसूलुल्लाह को इसी तरह अमल करते देखा है। (बुख़ारी)

630. उन्ही (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इलाही सर मुंडवाने वाले हाजीयों पर रहम फ़रमा" सहाबा रज़ि अल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! बाल कटवाने वाले पर भी, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने तीसरी बार फ़रमाया: "हाँ कटवाने वालों पर भी।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦٣٠) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «وَالْمُقَصِّرِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

631. अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ हज्जतुल वदा में एक जगह पर खड़े हो गये, सहाबा ने आप ﷺ से सवालात करने शुरू किये, किसी ने कहा मुझे इल्म नहीं था मैंने कुर्बानी से पहले हजामत बनवा ली, आप ﷺ ने उसे फ़रमाया कुर्बानी करो कोई हर्ज नहीं। एक और आदमी ने अर्ज़ किया मुझे मालूम नहीं था मैंने कंकरियाँ मारने से पहले कुर्बानी कर ली, आप ﷺ ने उसे फ़रमाया अब कंकरियाँ मार लो कोई हर्ज नहीं, उस दिन आप ﷺ से किसी अमल के मुक़द्दम और मुवख़्ख़र करने के बारे में पूछे जाने पर आप ﷺ ने फ़रमाया जाओ अब कर लो कोई हर्ज नहीं। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦٣١) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، وَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

632. मिसवर बिन मख़रमा रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने ख़ुद कुर्बानी हजामत कराने से पहले की और अपने सहाबा को भी इस का हुक्म दिया। (बुख़ारी)

(٦٣٢) وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذٰلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

633. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब

(٦٣٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا رَمَيْتُمْ

وَحَلَقْتُمْ، فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ، وَكُلُّ شَيْءٍ، إِلَّا النِّسَاءَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

कंकरियाँ मार चुको और सर के बाल मुंडवा लो तो तुम्हारे लिये ख़ुशबू और बीवियों के अलावा हर चीज़ हलाल हो गई।" (इसे अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है और इस की सनद में कमज़ोरी है)

(٦٣٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

634. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने फ़रमाया: "औरतों के लिये सर मुंडवाना नहीं बल्कि उन के लिये सिर्फ़ बाल कटवाना है।" (इसे अबू दाउद ने हसन सनद के साथ रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि औरतों को सर के बाल मुंडवाना नहीं बल्कि सिर्फ़ बाल कटवाना चाहिये और उलमा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि उन के लिये बाल कतरवाना ही मशरूअ है।

(٦٣٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ العَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَن يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

635. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब رضي الله عنه ने रसूलुल्लाह ﷺ से इजाज़त माँगी कि वह मिना वाली रातें मक्का में काटे ताकि वह आबे ज़मज़म पिला सकें, तो आप ﷺ ने उन को इजाज़त दे दी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦٣٦) وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْخَصَ لِرُعَاةِ الإِبِلِ فِي البَيْتُوتَةِ عَن مِنًى، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الغَدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَومَ النَّفْرِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

636. आसिम बिन अदी رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने ऊँट के चरवाहों को मिना से बाहर रात गुज़ारने की इजाज़त दे दी कि कुर्बानी के दिन कंकरियाँ मारें फिर दूसरे और तीसरे दो दिन भी कंकरियाँ मारें, फिर रवानगी के दिन कंकरियाँ मारें। (इसे पाँचों ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(٦٣٧) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ، الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

637. अबू बकरा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने कुर्बानी के दिन ख़ुतबा दिया और सारी हदीस बयान की। (बुख़ारी, मुस्लिम)

638. सर्रा बिन्ते नबहान रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें सरो वाले दिन ख़िताब फ़रमाया और कहा: "क्या यह दिन ऐयामे तशरीक का दरमियाना दिन नहीं है?" और सारी हदीस बयान की। (इसे अबू दाउद ने हसन सनद के साथ रिवायत किया है)

(٦٣٨) وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومَ الرُّءُوسِ فَقَالَ: «أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ؟» الحَدِيثَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

फ़ायेदा:

तशरीक़ के दिनों से मुराद क़ुर्बानी के दिन को छोड़ कर बाक़ी तीन दिन हैं, क्योंकि वहाँ के लोग इन तीन दिनों में क़ुर्बानी के गोश्त को सुखाने के लिये धूप में रखते थे, इसलिये इन दिनों का नाम ऐयामे तशरीक है।

639. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने उन से फ़रमाया: "तेरा बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लेना सफ़ा और मरवा के बीच सई कर लेना हज और उमरा के लिये काफ़ी है।" (मुस्लिम)

(٦٣٩) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «طَوَافُكِ بِالبَيْتِ، وَسَعْيُكِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

640. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने तवाफ़े इफ़ाज़ा में तवाफ़ के सात चक्करों (फेरों) में किसी चक्कर में भी रमल नहीं किया। (इसे तिर्मिज़ी के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٦٤٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि तवाफ़े इफ़ाज़ा में रमल नहीं और न ही तवाफ़े वदा में। रमल सिर्फ़ तवाफ़े क़ुदूम में है, तवाफ़े क़ुदूम उस तवाफ़ को कहते हैं जो मक्का में पहले दाख़िल होने के वक़्त किया जाता है, और यह भी ध्यान रहे कि रमल सिर्फ़ मर्दों के लिये है औरतों के लिये नहीं, हाँ अगर किसी वजह से किसी हाजी का तवाफ़े क़ुदूम में रमल छुट गया हो तो उस की तलाफ़ी के लिये तवाफ़े इफ़ाज़ा में रमल कर ले।

641. अनस ﷺ से रिवायत है कि नबी करीम ﷺ ने (तरतीब के साथ अपने-अपने वक़्त में) ज़ुह्र और अस्र, मग़रिब और इशा

(٦٤١) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً

की नमाज़ें पढ़ीं और फिर मक़ाम मुहस्सब पर थोड़ा सो गये, फिर सवार होकर बैतुल्लाह की तरफ़ तशरीफ़ ले गये और तवाफ़ किया। (बुख़ारी)

بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ، فَطَافَ بِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

642. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि वह अबतह (मुहस्सब) में ठहरने का अमल नहीं करती थीं, और फ़रमाती थीं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने इस मक़ाम पर इसलिये क़ियाम फ़रमाया था कि यहाँ से वापसी में आसानी व सहूलत ज़्यादा थी। (मुस्लिम)

(٦٤٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذٰلِكَ - أَيِ النُّزُولَ بِالأَبْطَحِ - وَتَقُولُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

643. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने लोगों को हुक्म दिया कि सब से आख़िर में तुम्हारा अमल बैतुल्लाह का तवाफ़ होगा, मगर माहवारी वाली औरतों के लिये तख़फ़ीफ़ कर (छूट) दी गई है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦٤٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَن يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

यह तवाफ़े वदा है जो सब मनासिक हज के ख़त्म होने पर किया जाता है, यह तवाफ़ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सिवा सब के नज़दीक वाजिब है, अगर किसी वजह से रह जाये तो दम देना पड़ता है, मगर उन औरतों के लिये माफ़ है जो माहवारी में हों।

644. इब्ने ज़ुबैर رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मेरी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब दूसरी मस्जिदों में नमाज़ पढ़ने के मुक़ाबिला में हज़ार गुना ज़्यादा है, सिर्फ़ मस्जिद हराम के, और मस्जिद हराम में एक नमाज़ की अदायगी मेरी मस्जिद में सौ नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़ल है।" (इसे अहमद ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

(٦٤٤) وَعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلَاةٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में मस्जिद नबवी और बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ने का सवाब बयान किया गया है।

6. हज से रह जाने और रोके जाने का बयान

٦ - بَابُ الفَوَاتِ وَالإِحْصَارِ

645. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ को बैतुल्लाह तक पहुँचने से रोक दिया गया तो आप ﷺ ने अपना सर मुँडवाया और क़ुर्बानी की और अपनी बीवियों से तअल्लुक़ ज़न व शो क़ायेम किया, यहाँ तक कि आप ﷺ ने आइन्दा साल उमरा किया। (बुख़ारी)

(٦٤٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَاماً قَابلاً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में सुलह हुदैबिया के वाक़ेआ की तरफ़ इशारा है।

646. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ ज़ुबाआ बिन्ते ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ि अल्लाहु अन्हा के यहाँ तशरीफ़ ले गये, उस ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हज करने का इरादा रखती हुँ मगर मैं बीमार हुँ, नबी ﷺ ने उन से फ़रमाया: "हज करो मगर यह शर्त कर लो कि मेरे एहराम खोलने की जगह वही होगी जहाँ ऐ अल्लाह! तूने मुझे रोका" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦٤٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ ابْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

647. इकरिमा रहमतुल्लाह अलैह ने हज्जाज बिन अम्र अन्सारी رضی الله عنه से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस का पाँव तोड़ा जाये या लंगड़ा हो जाये वह एहराम से बाहर आ गया अब उस पर आइन्दा साल हज करना ज़रूरी है" इकरिमा का बयान है कि मैंने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा और अबू हुरैरा رضی الله عنه से इस के बारे में पूछा तो उन दोनों ने जवाब दिया कि हज्जाज बिन अम्र ने

(٦٤٧) وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»، قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالاَ: صَدَقَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

قَالَ مُصَنِّفُهُ - حَافِظُ العَصْرِ، قَاضِي القُضَاةِ أَبُو الفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ

ठीक और सच कहा है। (इसे पाँचों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है)

حَجَرٍ الكِنَانِيُّ العَسْقَلَانِيُّ المِصْرِيُّ، أَبْقَاهُ اللَّهُ فِي خَيْرٍ -: آخِرُ الجُزْءِ ٱلأَوَّلِ، وَهُوَ النِّصْفُ مِنْ هٰذَا الكِتَابِ المُبَارَكِ، قَالَ: وَكَانَ الفَرَاغُ مِنْهُ فِي ثَانِيَ عَشَرَ شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشرِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ، وَهُوَ آخِرُ رُبْعِ العِبَادَاتِ، يَتْلُوهُ فِي الجُزْءِ الثَّانِي كِتَابُ البُيُوعِ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً دَآئِماً أَبَداً. غَفَرَ اللَّهُ لِكَاتِبِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِكُلِّ المُسْلِمِينَ، وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ.

7- ख़रीदने और बेचने के मसायेल

٧ - كِتَابُ البُيُوعِ

बेचने की शरायत और बेचने से मना की गई क़िस्में

بَابُ شُرُوطِهِ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْهُ

648. रिफ़ाआ बिन राफ़िअ ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ से पूछा गया कि कौन सी कमाई पाकीज़ा है? आप ﷺ ने फ़रमाया: "आदमी के अपने हाथ की कमाई और हर तरह की तिजारत जो धोका और फ़रेब से पाक हो।" (इसे बज़्ज़ार ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٦٤٨) عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ». رَوَاهُ البَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

649. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को मक्का में फ़त्ह मक्का के साल यह फ़रमाते सुना: "बेशक अल्लाह और उस के रसूल ﷺ ने शराब के ख़रीदने और बेचने, मुर्दार और सुअर को ख़रीदने और बेचने और बुतो की तिजारत को हराम कर दिया है" आप ﷺ से पूछा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल! मुर्दार की चर्बी के बारे में क्या हुक्म है? इसलिये कि उस से कशतियों की पालिश की जाती है और चमड़ों को चिकना किया जाता है और लोग इसे जला कर रौशनी हासिल करते हैं, आप ﷺ ने फ़रमाया: "नहीं वह भी हराम है" फिर इस के साथ ही फ़रमाया: "अल्लाह तआला यहूद को ग़ारत करे कि जब अल्लाह तआला ने चरबियों को यहूद के लिये हराम कर दिया तो उन्होंने इसे पिघला कर बेचा और उसकी क़ीमत खायी।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦٤٩) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ؟ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، فَقَالَ: «لَا هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

(٦٥٠) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ، فَالقَوْلُ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

650. इब्ने मसउद ﷺ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना, आप ﷺ फ़रमाते थे: "जब बेचने वाले और ख़रीदने वाले में इख़्तिलाफ़ हो जाये और सुबूत और गवाही किसी के पास न हो तो साहिबे माल की बात मुअतबर होगी, या वह दोनों उस सौदे को छोड़ दें।" (इसे पाँचों ने रिवायत किया है और हाकिम ने सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि जब बेचने और ख़रीदने वाले के बीच किसी चीज़ के बारे में इख़्तिलाफ़ हो जाये तो बेचने वाले की बात को तरजीह होगी, वर्ना ख़रीदार अपनी दी हुई रक़म वापस ले और बेचने वाला अपनी बेचने वाली चीज़ वापस ले और सौदा फ़स्ख़ कर दिया जाये, यह उसी सूरत में हो सकता है जबकि वही चीज़ अपनी असली हालत में मौजूद हो, बेचने वाले को क़सम खाकर कहना होगा कि जो बयान मैं दे रहा हूँ वह सहीह और ठीक है और क़सम भी शरई क़ानून के मुताबिक़ हो।

(٦٥١) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

651. अबू मसउद अन्सारी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने कुत्ते की क़ीमत, बदकार फ़ाहिशा औरत की उजरत व कमाई और काहिन की शीरीनी से मना किया है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में कुत्ते की क़ीमत और बाज़ारी औरत की ज़िना की कमाई और काहिन की कहानत की कमाई हराम क़रार दी गई है, कुत्ता बज़ाते ख़ुद नजिस होने की बिना पर हराम है, हराम चीज़ की क़ीमत लेना भी हराम है, ज़िना इस्लाम में क़तई हराम है उस की कमाई भी हराम है, कहानत का पेशा भी हराम है तो उस की कमाई भी हराम है।

(٦٥٢) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَن يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ، فَسَارَ سَيْراً لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: بِعْنِيهِ بِأُوقِيَّةٍ، قلت: لا، ثم قال: بِعْنِيهِ فَبِعْتُه بِأُوقِيَّةٍ، وَاشْتَرَطْتُ

652. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि वह अपने एक कमज़ोर थके हारे ऊँट पर सफ़र कर रहे थे, उन्होंने उसे छोड़ने का इरादा कर लिया, जाबिर ﷺ का बयान है कि इतने में पीछे से नबी ﷺ मुझे आ मिले, आप ﷺ ने मेरे लिये दुआ फ़रमाईये और ऊँट को मारा तो वह

حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَقَالَ: أَتَرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا السِّيَاقُ لِمُسْلِمٍ.

ऐसी तेज़ रफ़्तारी से चलने लगा कि उस से पहले ऐसी तेज़ रफ़्तारी से नहीं चला था, आप ﷺ ने फ़रमाया: "मुझे यह ऊँट एक उक़िया चाँदी के बदले बेच दो" मैंने कहा नहीं, आप ﷺ ने फिर दोबारा फ़रमाया: "मुझे यह ऊँट बेच दो" तो मैंने उसे आप ﷺ को बेच दिया और शर्त यह तय की कि अपने घर वालों तक सवार होकर जाऊँगा, बस जैसे ही (मदीना) पहुँचा तो मैं वह ऊँट लेकर आप ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हो गया, आप ﷺ ने उस की नक़द क़ीमत मुझे दे दी, फिर मैं (रक़म वसूल करके) वापस आ गया, आप ﷺ ने मेरे पीछे (ऊँट) भेज दिया और फ़रमाया: "तेरा ख़्याल है कि मैंने ऊँट की क़ीमत कम की ताकि तेरा ऊँट ले लूँ? अपना ऊँट ले लो और रक़म भी अपने पास रखो यह तेरे लिये है।" (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

फ़ायेदा:

यह हदीस दलील है कि चौपाये को मशरूत तौर पर बेचना और ख़रीदना जायेज़ है, और जम्हूर की राय भी यही है।

इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी आदमी से ख़ुद से मुतालबा करना कि वह अपनी फ़्लाँ चीज़ उसे बेच दे जायेज़ है, क़ीमत तय करना और क़ीमत में किसी का तकाज़ा करना भी जायेज़ है, अगर सवारी हो तो यह शर्त लगाना कि मैं अपने घर तक सवार होकर जाँऊगा, शर्त यह है कि उस में किसी के नुक़सान का अन्देशा न हो या रिहाईशी जगह हो तो ख़रीदार से कुछ मुद्दत के लिये रिहाईश की शर्त तय करना जायेज़ है।

(٦٥٣) وَعَنْهُ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْداً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُن لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَبَاعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

653. उन्ही (जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि हम में से किसी शख़्स ने अपना ग़ुलाम मुदब्बर कर दिया, इस ग़ुलाम के सिवा उस के पास और कोई माल नहीं था, नबी ﷺ ने उस ग़ुलाम को बुलवाया और उसे बेच दिया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

नोट: मुदब्बर उस गुलाम को कहते हैं जो मालिक के मरने के बाद आज़ाद हो जाये।

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मुदब्बर गुलाम को ज़रूरत व हाजत के वक़्त बेचना जायेज़ है।

(٦٥٤) وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: «فِي سَمْنٍ جَامِدٍ».

654. मैमूना रज़ि अल्लाहु अन्हा नबी ﷺ की बीवी से रिवायत है कि एक चुहिया घी में गिर कर मर गई, उस के बारे में नबी ﷺ से पूछा गया, (जवाब में) आप ﷺ ने फ़रमाया: "उसे निकाल कर बाहर फेंक दो और उस के इर्द गिर्द का घी भी बाहर डाल दो और (बाक़ी) इस्तिमाल कर लो।" (बुख़ारी) नसाई और अहमद ने इतना ज़्यादा किया है "जमे हुए घी में।"

(٦٥٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعاً فَلَا تَقْرَبُوهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ.

655. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब चूहा घी में गिर जाये, अगर घी जमा हुआ हो तो उस चूहे को और उस के आसापास के घी को बाहर फेंक दो और अगर घी पिघला हुआ हो तो उस के क़रीब भी न जाओ" (इसे अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है, बुख़ारी और अबू हातिम ने इस पर वहम का हुक्म लगाया है)

फ़ायेदा:

तमाम दलायेल में ततबीक़ यूँ है कि यह मुमानअत सिर्फ़ इन्सान के खाने और बतौर तेल इस्तिमाल करने पर महमूल है, जब उस का खाना और बतौर तेल इस्तिमाल करना सहीह नहीं तो उसे बेच के उस की क़ीमत खाना भी हराम है।

(٦٥٦) وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ وَالْكَلْبِ. فَقَالَ: زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَزَادَ: «إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ».

656. अबू ज़ुबैर ؓ से रिवायत है कि मैंने जाबिर ؓ से बिल्ली और कुत्ते की क़ीमत के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि नबी ﷺ ने इस बारे में डाँट व तौबीख़ फ़रमायी है। (मुस्लिम, नसाई) और नसाई में

इतना इज़ाफ़ा है कि "शिकारी कुत्ते के अलावा"

(٦٥٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، قُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونُ ولاَؤُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبَوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الوِلاَءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاَءَ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّاسِ خَطِيباً، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، واللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ، وَعِنْدَ مُسْلِمٍ قَالَ: «اشْتَرِيهَا، وَأَعْتِقِيهَا، وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاَءَ».

657. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि बरीरा (रज़ि अल्लाहु अन्हा) (लौंडी) मेरे पास आई और कहने लगी मैंने अपने मालिक से नौ उक़िया चाँदी पर तय कर लिया है कि हर साल मैं एक उक़िया अदा करती रहूँगी, इसलिए मेरी (इस बारे में) मदद करें। मैंने (उसे) कहा कि अगर तेरे मालिक को यह पसन्द हो कि मैं तेरी पूरी रक़म एक बार में अदा कर दूँ और तेरी वला (विरासत का हक़) मेरी हो जाये तो मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। बरीरा रज़ि अल्लाहु अन्हा यह तजवीज़ लेकर अपने मालिक के पास गयी और उन से यह कहा तो उन्होंने इसे मानने से इंकार कर दिया, बरीरा रज़ि अल्लाहु अन्हा उन के पास से वापस आयी, उस वक़्त रसूलुल्लाह ﷺ भी मौजूद थे, बरीरा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने कहा कि मैंने अपने मालिकों के सामने वह राय पेश की थी, मगर उन्होंने उसे मानने से इन्कार कर दिया है और वह कहते हैं कि वला उन के लिये है, यह बात नबी ﷺ ने सुनी और आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने भी इस वाक़ेआ को नबी ﷺ को सुनाया, यह सुन कर नबी ﷺ ने फ़रमाया: "उसे ले लो और उन से वला की शर्त कर लो क्योंकि वला का हक़दार वही है जो उसे आज़ादी दे" आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने ऐसा ही किया, उस के बाद रसूलुल्लाह ﷺ लोगों में ख़िताब फ़रमाने खड़े हुये, अल्लाह तआला की हम्द व सना की फिर फ़रमाया: "लोगों को क्या हो गया है

कि ऐसी शर्तें लगाते हैं जो किताबुल्लाह में नहीं। (याद रखो! कि) जो शर्त किताबुल्लाह में नहीं वह बातिल है, चाहे सैंकड़ो शर्तें ही क्यों न हों, अल्लाह का फ़ैसला निहायत बरहक़ है और अल्लाह की शर्त निहायत ही पुख़्ता और पक्की है, वला उसी का हक़ है जो आज़ाद करे" (बुखारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं) मुस्लिम के यहाँ है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "उसे ख़रीद लो और आज़ाद कर दो और उन की वला की शर्त कर लो।"

फ़ायेदा:

इस हदीस से कई मसायेल साबित होते हैं, मिसाल के तौर पर गुलाम और उस के मालिक व आक़ा के बीच तय की गई रक़म और तय की गई मुद्दत की सूरत में मुकातबत जायेज़ है। अगर मुस्तहिक़ आदमी सवाल करे तो उस की मदद करनी चाहिये, नाजायेज़ शर्त अगर लगाने की कोशिश की जाये तो उस शर्त की कोई शरई हैसियत नहीं।

(٦٥٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ، فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَمَالِكٌ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَوَهِمَ.

658. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि उमर ﷺ ने उम्मे वलद को बेचने से मना किया और फ़रमाया कि न यह बेची जा सकती है और न हेबा की जा सकती है और न मीरास में बाँटी जा सकती है, जब तक मालिक चाहे रहे उस से फ़ायेदा उठाये और जब मालिक मर जाये तो वह आज़ाद है। (इसे बैहक़ी और मालिक ने रिवायत किया है और कहा है कि कुछ ने इसे मरफ़ूअ कहा है जो वहम है)

फ़ायेदा:

उम्महातुल औलाद का वाहिद उम्मे वलद है, उस लौंडी को कहते हैं जो अपने मालिक का बच्चा जनम दे, जब तक मालिक ज़िन्दा रहे उस वक़्त तक वह उस की लौंडी है, उस से हर तरह का फ़ायेदा उठा सकता है, जब मर जाये तो वह ख़ुद आज़ाद हो जाती है, मालिक की औलाद का उस पर किसी तरह का कोई हक़ नहीं रहता, लौंडी जब मालिक से बच्चा जनम दे दे तो क्या उसे बेचा जा सकता है या नहीं? इस में उलमा की राय मुख़तलिफ़ है, अकसर उलमा की राय यह है कि उम्मे वलद को बेचना और ख़रीदना हराम है, चाहे बच्चा ज़िन्दा हो या न हो।

(٦٥٩) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِيَنَا أُمَّهاتِ الأَوْلَادِ، والنَّبِيُّ ﷺ حَيٌّ، لَا يَرَى بِذٰلِكَ بَأْساً. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

659. जाबिर ﷺ से रिवायत है कि हम उम्मे वलद लौंडियों को नबी ﷺ की मौजूदगी में बेच दिया करते थे, आप ﷺ उस में कोई क़बाहत व हरज नहीं समझते थे। (इसे नसाई, इब्ने माजा और दार क़ुतनी तीनों ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

(٦٦٠) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: «وَعَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الجَمَلِ».

660. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़रूरत से ज़्यादा पानी के बेचने से मना किया है। (मुस्लिम) और एक रिवायत में यह इज़ाफ़ा है कि ऊँट की जुफ़ती का मुआवज़ा लेना भी ममनूअ है।

(٦٦١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

661. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने नर की जुफ़ती के मुआवज़ा को ममनूअ क़रार दिया है। (बुख़ारी)

(٦٦٢) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

662. उन्हीं (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हबलुल हबला के बेचने से मना किया है और यह बैअ (बेचना) दौरे जाहीलियत में थी कि आदमी ऊँटनी इस शर्त पर ख़रीदता कि उस की क़ीमत उस वक़्त देगा जब ऊँटनी बच्चा जने, फिर वह बच्चा जो ऊँटनी के पेट में है वह (एक आगे बच्चा) जने। (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस में जिस बैअ बेचने की मनाही बयान की गई है उस की दो सूरतें बयान की जाती हैं एक यह कि उस ऊँटनी के पेट में जो बच्चा है वह पैदा होने के बाद जवान होकर जो बच्चा जनेगी उसे मैं ख़रीदता हूँ और उस की क़ीमत इतनी आज मुझ से ले लो। और दूसरी सूरत यह होती थी कि यह ऊँटनी मैं तुझे देता हूँ इस क़ीमत पर कि यह जो बच्चा जनेगी उस का बच्चा देना होगा, ज़ाहिर है

कि पेट में जो बच्चा है उस की तो कैफ़ियत व हालात मालूम नहीं है, इसलिये नामालूम चीज़ का बेचना इस्लाम में मना है।

(٦٦٣) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

663. उन्हीं (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से यह भी मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने वला के बेचने और उस के हिबा करने से मना फ़रमाया है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में वला के बेचने और उसे हिबा करने की मनाही है, वला विरासत के हक़ को कहते हैं जो आज़ाद करने वाले को आज़ाद किये गये ग़ुलाम की तरफ़ से मिलता है।

(٦٦٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

664. अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने कंकरी फेंक कर तिजारत करने और धोका की तिजारत से मना किया है। (मुस्लिम)

(٦٦٥) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

665. उन्हीं (अबू हुरैरा رضي الله عنه) से ही रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी कोई ग़ल्ला ख़रीदे तो जब तक उसे माप न ले उसे आगे न बेचे।" (मुस्लिम)

(٦٦٦) وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا».

666. उन्हीं (अबू हुरैरा رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक बैअ में दो बैओं से मना फ़रमाया है। (अहमद, नसाई) और तिर्मिज़ी और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है और अबू दाउद की रिवायत में है कि जिस किसी ने एक चीज़ की दो क़ीमतें मुक़र्रर कीं, वह या तो कम क़ीमत ले ले या फिर वह सूद होगा।

फ़ायेदा:

इस के दो मतलब हो सकते हैं: पहला यह कि एक आदमी दूसरे आदमी से यूँ कहे कि मैं तुझे फ़लाँ कपड़ा नक़्द अदायगी की सूरत में दस रूपया में बेचता हूँ और उधार की सूरत में बीस रूपया में और वह इस से दोनो में से किसी बैअ पर अलग नहीं होता। दूसरी सूरत यह है कि एक आदमी दूसरे से कहता है कि मैं अपना यह मकान इतनी क़ीमत के बदले तुम्हारे हाथ बेचता हूँ, शर्त यह है कि तू अपना ग़ुलाम मुझे इतनी रक़म के बदले में बेच दे, जब तेरा ग़ुलाम मेरे लिये वाजिब व साबित हो जायेगा तो मेरा घर तेरे लिये वाजिब व साबित हो जायेगा।

667. अम्र बिन शुऐब ने अपने बाप से और उन्होंने अपने दादा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "क़र्ज़ और बैअ हलाल नहीं और न एक बैअ में दो शर्तें हलाल हैं और किसी चीज़ का मुनाफ़ा हासिल करना उसे अपने क़ब्ज़ा में लेने से पहले जायेज़ नहीं और जो तेरे (अपने) पास मौजूद न हो उस का बेचना भी जायेज़ व हलाल नहीं।" (इसे पाँचों ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी, इब्ने ख़ुज़ैमा और हाकिम तीनों ने इसे सहीह कहा है, और इमाम हाकिम ने हदीस के इल्म में अबू हनीफ़ा की रिवायत से बयान की गई अम्र रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से इन अलफ़ाज़ के साथ रिवायत की है: "आप ﷺ ने बैअ शर्त के साथ मना फ़रमाई है" (इस हदीस को तबरानी ने औसत में इसी तरीक़ से नक़ल किया है और वह ग़रीब है)

(٦٦٧) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَا يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَالحَاكِمُ.

وَأَخْرَجَهُ فِي عُلُومِ الحَدِيثِ، مِنْ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمْرٍو المَذْكُورِ، بِلَفْظِ «نَهى عَنْ بَيْعٍ وشَرْطٍ». وَمِنْ هَذَا الوَجْهِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ، وَهُوَ غَرِيبٌ.

668. उन्हीं (अम्र बिन शुऐब) ने अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बैअ उरबान से मना फ़रमाया। (इसे मालिक ने रिवायत किया है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया कि मुझे अम्र बिन शुऐब से यह रिवायत पहुँची है)

(٦٦٨) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ. رَوَاهُ مَالِكٌ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِهِ.

फ़ायेदा:

इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इसी रिवायत की बिना पर इस बैअ को नाजायेज़ कहते हैं, मगर यह रिवायत क़तई बलाग़ात में से है, अबू दाउद और इब्ने माजा में यह मुत्तसेलन भी मरवी है मगर उस की सनद में कमज़ोरी है, उस के बरअक्स उमर ؓ, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह इसे जायेज़ क़रार देते हैं। (सुबुलुस्सलाम)

669. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से

(٦٦٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهُمَا، قَالَ: ٱبْتَعْتُ زَيْتاً فِي السُّوقِ، فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ، فَأَخَذَ رَجُلٌ مِّنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالتَفَتُّ فَإِذَا هُوَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

रिवायत है कि मैंने बाज़ार से रौग़न (ज़ैतून) ख़रीदा, जब मेरा सौदा पक्का व पुख़्ता हो गया तो मुझे एक आदमी मिला जिस ने मुझे अच्छा मुनाफ़ा देने की पेशकश की, मैंने उस आदमी से सौदा तय करने का इरादा कर लिया, उतने में पीछे से किसी ने मेरा बाज़ू पकड़ लिया, मैंने मुड़कर देखा तो ज़ैद बिन साबित ﷺ थे, उन्होंने का जिस जगह से तुम ने सौदा ख़रीदा है, उसी जगह पर उसे न बेचो, यहाँ तक कि उसे उठाकर अपने घर ले जाओ, क्योंकि रसूलुल्लाह ﷺ ने जहाँ से चीज़ें ख़रीदी जायें वही पर बेचने से मना फ़रमाया है, जब तक कि ताजिर व सौदागर हज़रात उस ख़रीदे हुये माल व असबाब को अपने घरों में न ले जायें। (इसे अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है और यह अलफ़ाज़ अबू दाउद के हैं, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٦٧٠) وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَبِيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ، وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ، وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هٰذَا مِنْ هٰذِهِ، وَأُعْطِي هٰذِهِ مِنْ هٰذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

670. उन्हीं (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसू! मैं बक़ीअ में ऊँटों की तिजारत करता हूँ, दीनार में बेच करके दिरहम वसूल करता हूँ, और (कभी ऐसा भी होता है कि) मैं बेचता तो दिरहम में हूँ और वसूल दीनार करता हूँ, (यानी) दीनार के बदले दिरहम और दिरहम के बदले दीनार लेता हूँ, उस के बदले वह लेता हूँ और उस के बदले मैं यह देता हूँ, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अगर उस दिन के भाव से उन का तबादला कर लो और बेचने और ख़रीदने वालों के एक-दूसरे से जुदा होने से पहले रक़म का कोई हिस्सा

किसी के ज़िम्मे बाक़ी न रहे तो जायेज़ है।"
(इसे पाँचों ने रिवायत किया है और हाकिम ने सहीह कहा है)

671. उन्हीं (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बैअ नज्श से मना किया है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦٧١) وَعَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

नज्श की शक्ल यह है कि एक आदमी सामान फ़रोख़्त पड़ा हुआ देखता है, लोग उस की क़ीमत लगा रहे हैं, बेचने वाले मालिक सामान से ख़रीदने की बात करते हैं और यह शख़्स वहाँ हाज़िर होकर उस सामान की तारीफ़ व बड़ाई करके उस की क़ीमत बढ़ा देता है, यानी सिर्फ़ उस चीज़ की क़ीमत बढ़ाने की ख़ातिर ज़्यादा बोली देना शुरू कर देता है, जबकि वह उस चीज़ का ख़रीदार नहीं होता, सिर्फ़ क़ीमत बढ़ाने के लिये ऐसा करता है, जिस से लोगों को धोका देना और फ़रेब में डालना मक़सद होता है, ताकि चीज़ की क़ीमत ज़्यादा लगे और बेचने वाले से पहले ही तय कर लेता है और तय की हुई बात के मुताबिक़ उस से कुछ वसूल कर लेता है, चूँकि यह आदमी हक़ीक़त में ख़रीदार नहीं, बल्कि ख़रीदार के रूप में धोकाबाज़ है और उस में धोका पाया जाता है, इसलिये शरीअत ने इसे ममनूअ क़रार दिया है, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यह बैअ बिल इजमाअ हराम है।

672. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बैअ मुहाक़ला, मुज़ाबना, मुख़ाबरा और एक आध चीज़ मुसतसना (यानी) अलग रखने से मना फ़रमाया है मगर उस सूरत में (बैअ इस्तिसना) जायेज़ है कि उस की मिक़दार मुक़र्रर कर ली जाये। (इसे इब्ने माजा के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने सहीह कहा है)

(٦٧٢) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنِ الثُّنْيَا، إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

फ़ायेदा:

मुहाक़ला: बालियों में खड़ी खेती को ग़ल्ला के बदले बेचना। मुज़ाबना: पेड़ो पर लगे हुये फल को उसी जिन्स के उतारे हुये सूखे फल के बदले बेचना। मुख़ाबरा: मुज़ारअत का दूसरा नाम है, वह यह कि मुज़ारिअ और मालिक ज़मीन के बीच पैदावार का आधा, सुलुस, या रुबुअ पर बात तय हो जाए। सुनया: यह है कि नामालूम मिक़दार का इस्तिसना करना, जैसे कोई कहता है कि मैं यह ढेर बेचता हूँ लेकिन इस का कुछ हिस्सा नहीं बेचूँगा, उस "कुछ हिस्सा" का तअय्युन मजहूल है।

673. अनस ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बेआ मुहाक़्ला, मुख़ाज़रा, मुलामसा, मुनाबज़ा और मुज़ाबना से मना किया है। (बुख़ारी)

(٦٧٣) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاضَرَةِ، وَالْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

674. ताउस ने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत बयान की है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सामाने तिजारत लेकर आने वाले क़ाफ़िलों को आगे जाकर न मिलो और कोई शहरी किसी देहाती का सामान न बेचे" मैंने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से सवाल किया कि "शहरी देहाती का सामान न बेचे" का क्या मतलब है? उन्होंने फ़रमाया कि शहरी देहाती का दलाल न बने। (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ बुखारी के हैं)

(٦٧٤) وَعَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: مَا قَوْلُهُ ﷺ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَاراً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

675. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बाहर से शहर में ग़ल्ला लाने वालों को आगे जाकर न मिलो, जिस किसी से रास्ता ही में मुलाक़ात करके उस का सामान ख़रीद लिया गया तो मंडी में बेचने के बाद माल के मालिक को इख़्तियार है (चाहे सौदा बाक़ी रखे या मंसूख़ कर दे)। (मुस्लिम)

(٦٧٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में भी बेख़बर लोगों से सस्ते दामों में चीज़ों को ख़रीदने की मनाही है, मुसलमान, मुसलमान का ख़ैरख़्वाह और हमदर्द व ग़मगुसार होना चाहिये, इसी तरह ख़ुदग़र्ज़ी और मफ़ाद परस्ती को तक़वीयत मिलती है कि अपना मफ़ाद सामने रखा जाये और बेख़बर लोगों की बेख़बरी से नाजायेज़ फ़ायेदा उठाया जाये।

676. उन्हीं (अबू हुरैरा ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मना फ़रमाया कि शहरी देहाती का सामान बेचे और ख़रीदने का

(٦٧٦) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا

इरादा नहीं था तो भाव मत बढ़ाओ। किसी भाई के सौदे पर दूसरा यह भाई सौदा न करे और एक भाई की मंगनी पर दूसरा भाई पैग़ामे निकाह न दे, और कोई औरत अपनी दूसरी औरत की तलाक़ का तक़ाज़ा न करे कि जो उस का हिस्सा है ख़ुद हासिल कर ले। (बुख़ारी, मुस्लिम) और सहीह मुस्लिम में है कि कोई आदमी अपने भाई के सौदे पर सौदा न करे।

تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: «لَا يَسُومُ المُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ».

677. अबू अय्यूब अन्सारी ﷺ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना: "जिस ने माँ और उस के बच्चे के बीच जुदाई डाली, अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उस के अइज़्ज़ा व अक़रिबा के बीच जुदाई डाल देगा" (इसे अहमद ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और हाकिम ने सहीह कहा है, लेकिन इस की सनद में कलाम है, और इस की दलील मौजूद है)

(٦٧٧) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ التِّرمِذِيُّ وَالحَاكِمُ، لَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلَه شَاهِدٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में सिला रहमी का सबक़ दिया गया है कि ग़ुलाम और लौंडियों को बेचते वक़्त माँओं से उन के नाबालिग़ बच्चों को जुदा न किया जाये, जुदा-जुदा जगह और अलग-अलग आदमियों के हाथ न बेचा जाये, उस से ममता को ठेस पहुँचती है।

678. अली बिन अबी तालिब ﷺ से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह ﷺ ने हुक्म दिया कि मैं दो ग़ुलाम भाईयों को बेच दूँ, मैंने उन दोनों को अलग-अलग आदमियों के हाथ बेच दिया और फिर आप ﷺ से उस का ज़िक्र किया तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "दोनों को जाकर वापस ले आओ और इकट्ठा ही बेचो" (इसे अहमद ने रिवायत किया है. इस के रावी सिक़ा (यानी भरोसेमंद) हैं और इसे इब्ने

(٦٧٨) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعاً». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ القَطَّانِ.

ख़ुज़ैमा, इब्ने जारूद, इब्ने हिब्बान, हाकिम, तबरानी और इब्ने क़त्तान ने सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

पहली हदीस माँ और बच्चे में जुदाई की हुरमत पर दलालत करती है, चाहे वह अलग अलग बेचने के ज़रिये हो, या हिबा की सूरत में, या धोकाबाज़ी से अलग करने वग़ैरह की शक्ल में और वालिदा के लफ़्ज़ का इतलाक़ वालिद पर भी है, यानी माँ बाप से जुदा न किया जाये और यह हदीस भाईयों के बीच तफ़रीक़ व जुदाई की हुरमत पर दलालत करती है।

(٦٧٩) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فقال النَّاسُ: يا رسولَ اللهِ! غَلَا السِّعرُ، فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللّٰهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

679. अनस बिन मालिक ﷛ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ के दौर में मदीना मुनव्वरा में चीज़ों का भाव चढ़ गया, लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! चीज़ों के दाम बड़े तेज़ हो गये हैं, आप ﷺ हमारे लिये (उन के) दाम मुक़र्रर फ़रमा दें, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "दाम का मुक़र्रर करने वाला अल्लाह तआला है, वही महंगा व सस्ता करता है, और वही रोज़ी देने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह तआला से मैं इस हाल में मुलाक़ात करूँ कि कोई शख़्स तुम में से मुझ से ख़ून में और माल में ज़ुल्म व नाइन्साफ़ी का मुतालबा करने वाला न हो।" (नसाई के अलावा उसे पाँचों ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने उस को सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि चीज़ों की क़ीमतों पर सरकारी कन्ट्रोल ममनूअ है, इस से एक तरफ़ अगर तिजारत करने वाले लोगों को नुक़सान पहुँचता है तो दूसरी तरफ़ ताजिरों का चीज़ों को रोक लेना क़हत की वजह बन जाती है, अवाम ज़रूरियात ज़िन्दगी की फ़राहमी से मजबूर हो जाते हैं, जिस के नतीजे में ब्लैक मार्किटंग का बाज़ार गरम होता है, जनता मआशी बदहाली का शिकार हो जाती है जिस से समाज में बेचैनी और इज़तिराब और बदअमनी जनम लेती है।

(٦٨٠) وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللّٰهُ

680. मामर बिन अब्दुल्लाह ﷛ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ख़ताकार

تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(गुनहगार) के सिवा ज़ख़ीरा अन्दोज़ी कोई नहीं करता।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में ज़ख़ीरा अन्दोज़ी की मनाही है।

(٦٨١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: «فَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ عَلَّقَهَا البُخَارِيُّ: «وَرَدَّ مَعَهَا صَاعاً مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ». قَالَ البُخَارِيُّ: وَالتَّمْرُ أَكْثَرُ.

681. अबू हुरैरा ﷺ नबी ﷺ से रिवायत करते हैं कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "ऊँटों और भेड बकरियों का दूध बेचते वक़्त उन के थनों में रोके न रखो, जो शख़्स ऐसा जानवर ख़रीद ले तो उसे दो बातों में से बेहतर के इख़्तियार करने का हक़ हासिल है, चाहे उस जानवर को अपने पास रख ले और चाहे तो एक साअ खजूर देकर वापस कर दे" (बुख़ारी, मुस्लिम) और मुस्लिम की रिवायत में है कि उसे तीन दिन तक इख़्तियार है, और मुस्लिम की एक रिवायत में है जिसे बुख़ारी ने तालीक़न नक़्ल किया है कि: "उस के साथ एक साअ किसी खाने वाली चीज़ से वापस करे, गन्दुम नहीं" बुख़ारी ने कहा कि अकसर रिवायात में खजूर का ज़िक्र है।

(٦٨٢) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعاً. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَزَادَ الإِسْمَاعِيلِيُّ: «مِنْ تَمْرٍ».

682. इब्ने मसउद ﷺ से रिवायत है कि जो शख़्स ऐसी बकरी ख़रीदे जिस का दूध थनों में रोक दिया गया हो, फिर वह उसे वापस करे तो उसे चाहिये कि उस के साथ एक साअ वापस करे। (बुख़ारी) और इसमाईली ने इतना ज़्यादा नक़्ल किया है कि एक साअ खजूरें।

(٦٨٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ يَا صَاحِبَ

683. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ का गुज़र ग़ल्ला के एक ढेर पर हुआ, आप ﷺ ने उस में अपना हाथ दाख़िल कर दिया, आप ﷺ की अंगुलियों को

الطَّعامِ!» قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ، كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

नमी लगी, आप ﷺ ने फ़रमाया: "ऐ अनाज के मालिक! यह क्या मामला है?" उस ने अर्ज़ किया! ऐ अल्लाह के रसूल! उस पर बारिश बरस गयी थी, आप ﷺ ने फ़रमाया: "फिर तूने नमी वाले हिस्से को अनाज के ऊपर क्यों न डाल दिया ताकि ख़रीदार लोग उसे देख लेते, जिस ने धोका दिया उस का मुझ से कोई तअल्लुक़ नहीं।" (मुस्लिम)

(٦٨٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَبَسَ العِنَبَ أَيَّامَ القِطَافِ، حَتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً، فَقَدْ تَقَحَّمَ النَّارَ عَلَى بَصِيرَةٍ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

684. अब्दुल्लाह ﷺ ने अपने बाप बुरैदा ﷺ से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस शख़्स ने अंगूर उतारने के दिनों में उन को रोक लिया ताकि उसे किसी शराब बनाने वाले के हाथ बेचे तो वह जानते बूझते जहन्नम की आग में दाख़िल होगा।" (इसे तबरानी ने औसत में हसन सनद के साथ रिवायत किया है)

(٦٨٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الخَرَاجُ بِالضَّمَانِ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَضَعَّفَهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ؛ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وَابْنُ القَطَّانِ.

685. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "आमदन ज़मान (कफ़ालत) का बदला है।" (इसे पाँचों ने रिवायत किया है, बुख़ारी और अबू दाउद ने इसे कमज़ोर कहा है, तिर्मिज़ी, इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने जारूद, इब्ने हिब्बान, हाकिम और इब्ने कत्तान ने इसे सहीह कहा है)

(٦٨٦) وَعَنْ عُرْوَةَ البَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَاراً لِيَشْتَرِيَ بِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ شَاةً، فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ بِالبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَاباً لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي ضِمْنِ

686. उरवा बारिक़ी ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने उन को क़ुर्बानी का जानवर या बकरी ख़रीदने के लिये एक दीनार दिया, उस ने एक दीनार के बदले दो बकरियाँ ख़रीदीं, फिर उन दो में से एक को एक दीनार के बदले बेच दिया और एक बकरी और एक दीनार लेकर आप ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आप ﷺ ने उस के लिये उस की

حَدِيثٍ، وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ، وَأَوْرَدَ التِّرْمِذِيُّ لَهُ شَاهِداً مِنْ حَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ.

तिजारत में बरकत की दुआ फ़रमायी, वह ऐसा था कि अगर मिट्टी भी ख़रीद लेता तो उस में भी उसे ज़रूर मुनाफ़ा होता। (नसाई के अलावा पाँचों ने इसे रिवायत किया है और इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस के ज़िम्न में इसे रिवायत किया है, मगर यह अलफ़ाज़ नक़ल नहीं किये और तिर्मिज़ी ने हकीम बिन हिज़ाम ﷺ से मरवी हदीस को इस के लिये गवाह के तौर पर बयान किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से कुछ बुनियादी चीज़ों पर रौशनी पड़ती है, मिसाल के तौर पर: 1- वकील मुवक्किल के माल में तसर्रुफ़ करने का पूरा इख़्तियार रखता है, जबकि उसे माल की वकालत सिपुर्द की जाये और उसे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करने की आज़ादी दी जाये, वर्ना तय शुदा और हुदूद के अन्दर ही वकील को काम करना होगा। 2- दूसरे का माल उसे ख़बर दिये बग़ैर बेचना जायेज़ है, शर्त यह कि ख़बर मिलने पर मालिक राज़ी हो जाये। 3- क़ुर्बानी के लिये ख़रीदा गया जानवर बेचा जा सकता है, और उस की जगह दूसरा जानवर ख़रीदना जायेज़ है। 4- जो मालिक के लिये ऐसी ज़रूरत अन्जाम दे उस के लिये दुआये बरकत करनी चाहिये।

(٦٨٧) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

687. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने चौपायों के पेट में (पलने वाले) बच्चे को उस की पैदाईश से पहले ख़रीदने से और थनों में (जमा हुआ) दूध को दूहने से पहले बेचने से और भागे हुये ग़ुलाम को ख़रीदने से और माले ग़नीमत को उन के बटने से पहले ख़रीदने से और सदक़ात को अपने क़ब्ज़ा में लेने से पहले ख़रीदने से और ग़ोता लगाने वाले को उस के एक ग़ोता का मुआवज़ा लेने से मना फ़रमाया है। (इसे इब्ने माजा, बज़्ज़ार और दार क़ुतनी नें कमज़ोर सनद से रिवायत किया है)

(٦٨٨) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

688. इब्ने मसउद ﷺ से रिवायत है कि रसुलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "पानी में मौजूद

عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ، فَإِنَّهُ غَرَرٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَشَارَ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ وَقْفُهُ.

मछली को न ख़रीदो, क्योंकि यह धोका है।" (इसे अहमद ने रिवायत किया है और इस तरफ़ इशारा भी कर दिया है कि इस रिवायत का मौकूफ़ होना सहीह है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि पानी में मौजूद मछली को ख़रीदना और बेचना मना है, उस की वजह यह है कि पानी में सहीह तौर पर मालूम ही नहीं हो सकता कि मछलियों की तादाद व मिक्दार कितनी है, कौन सी मछली है, अच्छी और बेहतरीन नसल की है या कमतर नसल की, बड़ी है या छोटी, मछलियाँ है या मगरमच्छ हैं? जब सहीह मालूम नहीं तो फिर बेचना किस चीज़ का?

(٦٨٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعِمَ، وَلَا يُبَاعُ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضاً مَوْقُوفاً عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ. وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

689. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फलों के (पकने और) खाने के क़ाबिल होने से पहले बेचने से मना फ़रमाया है, और जानवरों की पुश्त पर ऊन और थनों में दूध को बेचने से मना फ़रमाया है। (इस रिवायत को तबरानी ने अपनी औसत में और दार कुतनी ने रिवायत किया है, और अबू दाउद ने इकरिमा की मरासील में बयान किया है और यही राजिह है और इसे अबू दाउद ने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मौकूफ़ मज़बूत क़वी सनद के साथ रिवायत किया है और बैहक़ी ने इस को तरजीह दी है)

(٦٩٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلَاقِيحِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

690. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत हे कि नबी ﷺ ने मज़ामीन और मलाक़ीह के ख़रीदने और बेचने से मना फ़रमाया है। (इसे बज़्ज़ार ने रिवायत किया है और इस की सनद में कमज़ोरी है)

फ़ायेदा:

मलाक़ीह से मुराद जानवरो के पेट में जो बच्चे हैं और मज़ामीन से मुराद नर ऊँट वग़ैरा की पुश्तों में मनी की बूंदें, जिन से बच्चे बनते हैं।

इस हदीस में उन दोनों क़िस्मों के ख़रीदने और बेचने को ममनूअ क़रार दिया गया है, उस की वजह बैअ मजहूल और धोका है जो हराम है।

(٦٩١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

691. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो बेचने वाला किसी मुसलमान से बेचा हुआ माल वापस कर ले, अल्लाह तआला उस के गुनाह और लग़ज़िशें माफ़ कर देगा" (इसे अबू दाउद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान और हाकिम ने सहीह कहा है)

٢ - بَابُ الخِيَارِ

2. (बैअ) बेचने में इख़्तियार का बयान

(٦٩٢) عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ رَجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

692. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "जब दो आदमी आपस में सौदा करने लगें तो जब तक वह इकट्ठे रहें और एक दूसरे से जुदा न हों उन में से हर एक को इख़्तियार है या एक दूसरे को इख़्तियार दे दे, अगर एक दूसरे को इख़्तियार दे दे, फिर उस पर सौदा तय हो जाये तो सौदा पक्का हो गया और अगर सौदा तय करने के बाद एक दूसरे से अलग-अलग हो जायें और दोनों में से किसी ने भी बैअ को फ़स्ख़ (यानी रद) न किया हो तो बैअ पक्की हो जायेगी।" (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस में व्यापारी और सौदागर को बेचने और ख़रीदने के मामले को रखने या तोड़ने का हक़ दिया गया है।

(٦٩٣) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «البَائِعُ

693. अम्र बिन शुऐब ने अपने बाप से, उन्होंने ने अपने दादा से रिवायत किया है कि

नबी ﷺ ने फ़रमाया: "ख़रीदने और बेचने वाले को इख़्तियार हासिल है, यहाँ तक कि एक दूसरे से जुदा हों, शर्त यह है कि सौदा इख़्तियार वाला हो और सौदा वापस करने के अन्देशे के पेश नज़र जल्दी से अलग हो जाना हलाल नहीं है।" (इसे इब्ने माजा के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है, और दार कुतनी और इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने जारूद ने भी रिवायत किया है)

और एक रिवायत में है कि "जब तक वह अपनी जगह से जुदा (न) हो जायें।"

وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَه، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُودِ، وَفِي رِوَايَةٍ: «حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهِمَا».

फ़ायेदा:

इस हदीस में भी ख़यारे मजलिस का ज़िक है, ख़यार मजलिस इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह और अहमद रहमतुल्लाह अलैह और अकसर सहाबा व ताबईन के नज़दीक साबित है।

694. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ के पास एक आदमी ने ज़िक किया कि उसे बैअ में आम तौर पर धोका दिया जाता है, आप ﷺ ने फ़रमाया: "सौदा करते वक़्त कह दिया करो कि कोई धोका व फ़रेब नहीं होगा।" (बुखारी, मुस्लिम)

(٦٩٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस की रौशनी में मालूम हुआ कि ग़बन फ़ाहिश के मालूम होने पर ख़यार साबित है।

3. सूद का बयान

٣ - بَابُ الرِّبَا

695. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने सूद लेने वाले, देने वाले और इस के लिखने वाले और इस के गवाहों पर लानत फ़रमायी है, और फ़रमाया: "(गुनाह के इरतिकाब में)

(٦٩٥) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا ومُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَلِلْبُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي جُحَيْفَةَ.

यह सब बराबर हैं।" (मुस्लिम और बुख़ारी में अबू जुहैफ़ा ﷺ से मरवी हदीस भी इसी तरह है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में सूद की हुरमत, लेने देने वाले, लिखने वाले और गवाहों पर लानत का ज़िक्र है, सूद नस्सि कुरआनी से हराम है, इस से बाज़ न आने वालों के लिये अल्लाह और उस के रसूल ﷺ की तरफ़ से एलाने जंग है, यह ऐसी लानत है जिस में दुनिया भर के लोग गिरफ़्तार और मुब्तला हैं, इस लानत से छुटकारे के लिये सच्चे दिल से हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिये।

(٦٩٦) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَاباً، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسلِمِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مُخْتَصَراً، وَالحَاكِمُ بِتَمَامِهِ، وَصَحَّحَهُ.

696. अब्दुल्लाह बिन मसउद ﷺ ने नबी ﷺ से रिवायत किया है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "सूद के तिहत्तर दर्जे हैं, सब से कमतर दर्जा उस गुनाह की तरह है कि कोई आदमी अपनी माँ के साथ निकाह करे और सब से बढ़ कर सूद किसी मुसलमान की आबरूरेज़ी करना है।" (इसे इब्ने माजा ने मुख़्तसर और हाकिम ने मुकम्मल बयान किया है और इसे सहीह कहा है)

(٦٩٧) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بِالوَرِقِ إِلَّا مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِباً بِنَاجِزٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

697. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सोने को सोने के बदले में न बेचो, मगर बराबर बराबर और एक दूसर के वज़न में (कमी) बेशी न करो, और चाँदी को चाँदी के बदले में न बेचो, मगर बराबर बराबर और एक दूसरे के वज़न में (कमी) बेशी न करो और इन में ग़ैर मौजूद के बदले में मौजूद को न बेचो" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٦٩٨) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ،

698. उबादा बिन सामित ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सोना सोने के बदले, गन्दुम गन्दुम के बदले, जौ जौ के बदले, खजूर खजूर के बदले और नमक

नमक के बदले एक-दूसरे की तरह बराबर बराबर और नक़्द बनक़्द (बेचे जायें) अगर अजनास में इख़्तिलाफ़ हो तो फिर जिस तरह चाहे बेचें, मगर क़ीमत की अदायगी नक़्द हो" (मुस्लिम)

وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَداً بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَداً بِيَدٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

699. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: ."सोना सोने के बदले में, वज़न में बराबर-बराबर और क़िस्म में एक हो, चाँदी चाँदी के बदले में, वज़न में बराबर बराबर और क़िस्म में एक जैसी हो, फिर अगर कोई ज़्यादा ले या ज़्यादा दे, बस वह सूद है।" (मुस्लिम)

(٦٩٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَزْناً بِوَزْنٍ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِباً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

700. अबू सईद खुदरी ﷺ और अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक आदमी को ख़ैबर पर आमिल मुक़र्रर किया, वह आप की ख़िदमत में बहुत अच्छी खजूरें लेकर हाज़िर हुआ, रसूलुल्लाह ﷺ ने उस से पूछा: "क्या ख़ैबर में पैदा होने वाली सब खजूरें इसी तरह की होती हैं?" उस ने कहा: नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! हम दूसरी खजूरें दो साअ और (कभी) तीन साअ देकर यह खजूरें एक साअ लेते हैं। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऐसा न करो, घटिया खजूरों को दिरहम के बदले बेच करके उम्दा और अच्छी खजूरें भी दिरहमों के बदले ख़रीदो, और फ़रमाया: "तौलने वाली चीज़ें भी इसी की तरह हैं।" (बुखारी, मुस्लिम) मुस्लिम में है कि: "तौल में भी इसी तरह"

(٧٠٠) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟» فَقَالَ: لَا، واللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَفْعَلْ، بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً»، وَقَالَ فِي المِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِمُسْلِمٍ: «وَكَذَلِكَ المِيزَانُ».

701. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने

(٧٠١) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ

بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

खजूरों के किसी ऐसे ढेर को जिस का माप न किया गया हो, खजूरों के मुअय्यन माप के बदला में बेचने से मना फ़रमाया है। (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में किसी चीज़ के ढेर की सूरत में जिस का वज़न या माप मालूम न हो, उसे मुअय्यन मिक्दार या वज़न के बदले बेचने से मना फ़रमाया है, क्योंकि ढेर की मिक्दार और वज़न मालूम नहीं, इसलिये उसे (फ़रीक़ैन) दोनों में से एक को नुक़्सान और दूसरे को बिला वजह फ़ायेदा पहुँचता है, इसलिये इसे मना कर दिया गया है।

(٧٠٢) وَعَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

702. मामर बिन अब्दुल्लाह ﷺ से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते सुना करता था कि: "अनाज के बदले अनाज, एक ही तरह का हो, उन दिनों हमारा अनाज जौ होता था" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि अनाज को अगर बेचना हो और वह अनाज के बदले तो उस में बराबरी ज़रूरी है, कमी व बेशी ममनूअ है।

(٧٠٣) وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَي عَشَرَ دِينَاراً، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَي عَشَرَ دِينَاراً، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

703. फ़ज़ाला बिन उबैद ﷺ से रिवायत है कि मैंने ख़ैबर के दिन एक हार बारह दीनार में ख़रीदा, उस में सोना और पत्थर के नगीने थे, मैंने उन को अलग कर दिया तो मैंने उस में बारह दीनार से ज़्यादा सोना पाया, मैंने उस का ज़िक्र नबी ﷺ से किया तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "जब तक उन को अलग-अलग न कर लिया जाये, बेचा न जाये" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि सोने की बनी हुई किसी चीज़ में किसी और चीज़ का जड़ाऊ हो तो उसे अलग किये बग़ैर सोने को बेचना जायेज़ नही, क्योंकि जब तक दोनों को अलग-अलग नहीं किया जायेगा सहीह अन्दाज़ा नहीं हो सकता कि जिस के बदले उसे बेचा जा रहा है, वह उस के बराबर है या नहीं?

(٧٠٤) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ

704. समुरा बिन जुन्दुब ﷺ से रिवायत है कि

تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوانِ بِالْحَيَوانِ نَسِيئَةً. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ الجَارُودِ.

नबी ﷺ ने हैवान को हैवान के बदले में उधार बेचना ममनूअ क़रार दिया है। (इसे पाँचों ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और इब्ने जारूद ने इसे सहीह कहा है)

(٧٠٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ، وَلِأَحْمَدَ نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ القَطَّانِ.

705. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को यह फ़रमाते हुये सुना कि: "जब तुम ईनह की तिजारत करने लगोगे और बैलों की पूँछें पकड़ने लगोगे और खेती-बाड़ी को पसन्द करोगे और जिहाद को तर्क कर दोगे तो (उस वक़्त) अल्लाह तआला तुम पर ज़िल्लत व रुसवाई को मुसल्लत कर देगा, उस (ज़िल्लत) को तुम से उस वक़्त तक दूर नहीं फ़रमायेगा जब तक कि तुम अपने दीन की तरफ़ पलट न आओगे।" (इसे अबू दाउद ने नाफ़िअ रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत से नक़ल किया है और इस की सनद में कलाम है, और मुसनद अहमद में मरवी अता रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में भी इसी तरह आया है, इस के रावी सिक़ा है और इब्ने क़त्तान ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में बैअ ईनह का ज़िक्र है, और ज़िराअत, खेती वाड़ी इख़्तियार करने और जिहाद को तर्क करने के नतीजा में अल्लाह तआला की तरफ़ से ज़िल्लत व रुसवाई मुसल्लत किये जाने की ख़बर है, बैअ ईनह में चूँकि वेची हुई चीज़ कम क़ीमत के बदले बेचने वाले के पास पलट कर वापस आ जाती है, इसलिये उसे ईनह कहते है।

(٧٠٦) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَاباً عَظِيماً مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

706. अबू उमामा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने अपने भाई के लिये कोई सिफ़ारिश की (उस के बाद) वह उसे कोई तुहफ़ा दे और वह उसे क़बूल कर ले तो वह सूद के बहुत ही वड़े दरवाज़े पर

पहुँच गया।" (इसे अहमद, अबू दाउद ने रिवायत किया है और इस की सनद में कलाम है)

(٧٠٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

707. अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों पर लानत फ़रमायी है। (इसे अबू दाउद और तिर्मिज़ी दोनों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

(٧٠٨) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشاً، فَنَفِدَتِ الإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَن يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: فَكُنْتُ آخُذُ البَعِيرَ بِالبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ وَالبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُه ثِقَاتٌ.

708. उन्हीं (अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि नबी ﷺ ने उन को एक लश्कर की तैयारी का हुक्म दिया, ऊँट ख़त्म हो गये तो आप ﷺ ने उन को सदक़ा के ऊँटों पर (उधार ऊँट) लेने का हुक्म फ़रमाया, रावी कहते हैं मैं एक ऊँट सदक़ा के दो ऊँटों के बदला लेता था। (इसे हाकिम और बैहक़ी ने रिवायत किया है इस के रावी सिक़ा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि जानवरों को क़र्ज़ पर ख़रीदना जायेज़ है।

(٧٠٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ كَرْماً أَن يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلاً، وَإِنْ كَانَ زَرْعاً أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

709. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बैअ मुज़ाबना से मना फ़रमाया है और वह यह है कि आदमी अपने बाग़ की ताज़ा खजूरें सूखी खजूरों से, या ताज़ा अंगूरो को किशमिश व मुनक़्क़ा से माप कर सौदा करे और अगर खेती हो तो उस का सौदा ग़ल्ला से करे, आप ﷺ ने उन सब सूरतों में होने वाली बैअ से मना फ़रमाया है। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٧١٠) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ

710. साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ि से रिवायत

اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَسُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

है कि मैने रसूलुल्लाह से सुना, आप ﷺ से सवाल किया जा रहा था कि ताज़ा खजूरें सूखी खजूरों के बदले बेची जा सकती हैं? तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "क्या वह सूख कर वज़न में कम हो जाती हैं?" लोगों ने कहा हाँ! तो आप ﷺ ने उस से मना कर दिया। (इसे पाँचों ने रिवायत किया है, इब्ने मदीनी, तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٧١١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، يَعْنِي الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

711. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने उधार के बदले उधार यानी क़र्ज़ के बदले क़र्ज़ को बेचना मना फ़रमाया है। (इसे इसहाक़ और बज़्ज़ार ने कमज़ोर सनद से रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि उधार की उधार के बदले बैअ जायेज़ है।

٤ - بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا، وَبَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

4. बैअ अराया पेड़ों और (उन के) फलों की बैअ में छूट

(٧١٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْراً، يَأْكُلُونَهَا رُطَباً.

712. ज़ैद बिन साबित رضی से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अराया में छूट दी कि उन को अन्दाज़ा से माप कर बेच दिया जाये। (बुख़ारी, मुस्लिम) और मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अरिया में छूट दी कि घर वाले अन्दाज़ा से सूखी खजूर देकर खाने के लिये ताज़ा खजूरें हासिल कर लें।

(٧١٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

713. अबू हुरैरा رضی से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बैअ अराया में इजाज़त व छूट दी है, यहाँ तक कि ताज़ा खजूरों को सूखी के बदले अन्दाज़े से बेच दिया जाये, जबकि यह पाँच वसक़ की मिक़दार से कम

हो, या फिर पाँच वसक़ हों। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि अन्दाज़ा और तख़मीना शरीअत में जायेज़ है, शर्त यह है कि अन्दाज़ा लगाने वाला उस फ़न से अच्छी तरह वाक़िफ़ हो और किसी तरह की रिआयत किये बग़ैर ईमानदारी से अन्दाज़ा लगाता हो तो एक ही आदमी का अन्दाज़ा सहीह मान लिया जायेगा।

(٧١٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا، قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا.

714. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फलों को पकने से पहले बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों को उन की तिजारत से मना फ़रमाया है। (बुख़ारी, मुस्लिम) और एक रिवायत में है कि जब आप ﷺ से पूछा जाता कि फलों के पकने की सलाहियत से क्या मुराद है? तो फ़रमाते: "जब उन पर आफ़त और नुक़सान का अन्देशा न रहे।"

(٧١٥) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: وَمَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: «تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

715. अनस बिन मालिक رضی اللہ عنہ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फलों को पकने से पहले बेचना ममनूअ फ़रमाया है, कहा गया कि पकने से क्या मुराद है? आप ﷺ ने इरशाद फ़रमाया: "वह लाल रंग का हो जाये और फिर पीले रंग का।" (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं)

(٧١٦) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

716. उन्हीं (अनस رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी ﷺ ने अंगूर को काला रंग इख़्तियार करने से पहले और दाने को सख़्त होने से पहले बेचने से मना फ़रमाया है। (इसे नसाई के अलावा पाँचों ने रिवायत किया है, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٧١٧) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً، فَأَصَابَتْهُ

717. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अगर तू अपने भाई के हाथ फल

جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.

बेचे और उसे कोई आफ़त व मुसीबत पहुँच जाये तो तेरे लिये उस से कुछ भी वसूल करना हलाल नहीं, बग़ैर किसी हक़ के अपने भाई का माल कैसे हासिल करेगा।" (मुस्लिम) मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत में है कि नबी ﷺ ने आफ़ात के मुक़ाबिले में क़ीमते कम करने का हुक्म दिया है।

(٧١٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

718. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने खजूर के पेड़ पैवन्दकारी के अमल के बाद ख़रीदें तो उस सूरत में फल बेचने वाले के होंगे, इल्ला यह कि ख़रीदार फल की शर्त कर ले।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

٥ - أَبْوَابُ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ وَالرَّهْنِ

5. क़र्ज़ की पेशगी अदायेगी और रिहन का बयान

(٧١٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ».

719. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ मदीना तशरीफ़ लाये और मदीना वाले फलों में एक साल और दो साल की क़ीमत पेशगी अदा करते थे, आप ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी फलों की पेशगी दे तो उसे चाहिये कि माप तौल और मुद्दत मुक़र्रर के लिये दे।" (बुख़ारी, मुस्लिम) और बुख़ारी में "मन असलफ़ फ़ी समरिन" बजाय "मन असलफ़ फ़ी शैईन" अलफ़ाज़ हैं। "जो आदमी किसी चीज़ में पेशगी दे

(٧٢٠) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى، وَعَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَا: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مع رسول الله ﷺ وكان يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ من أَنْبَاطِ

720. अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा और अब्दुल्लाह बिन औफ़ा रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह ﷺ के साथ (ग़ज़वात में शिरकत करके) ग़नीमत का हिस्सा लेते थे

الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُم فِي الحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ، - وَفِي رِوَايَةٍ: «وَالزَّيْتِ» - إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، قِيلَ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالَا: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذٰلِكَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

और मुल्क शाम के नबती जाटो में से कुछ जाट हमारे पास आये थे, हम उन को गेहूँ, जौ और मुनक़्क़ा और एक रिवायत में है कि ज़ैतून भी है, की पेशगी देकर एक मुद्दत मुक़र्रर तक बैअ सलम करते थे, पूछा गया कि क्या वह ख़ुद खेती-बाड़ी करते थे? तो दोनों ने जवाब दिया कि हम ने उन से यह कभी नहीं पूछा था। (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि बैअ सलम करते वक़्त जिन्स मौजूद न भी हो फिर भी बैअ सहीह है, अलबत्ता यह शर्त ज़रूर है कि मुद्दत के ख़त्म होने पर उस चीज़ का मिलना मुमकिन हो, या मौजूद हो।

(٧٢١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللّٰهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللّٰهُ تَعَالَى». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

721. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी लोगों का माल (बतौर क़र्ज़) ले और उस के अदा करने का इरादा रखता हो तो अल्लाह तआला उस का (क़र्ज़ा) अदा फ़रमा देगा और जो आदमी उन (के) अमवाल बरबाद करने की नीयत से ले तो अल्लाह तआला उसे बरबाद कर देगा।" (बुख़ारी)

(٧٢٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فُلَاناً قَدِمَ لَهُ بَزٌّ مِّنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثْتَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ بِنَسِيئَةٍ إِلَى مَيْسَرَةٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَامْتَنَعَ. أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ وَالبَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

722. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह! फ़्लाँ साहब का शाम से कपड़ा आया है, आप ﷺ भी किसी को भेज कर दो कपड़े कुशादगी तक उधार ख़रीद ले, आप ﷺ ने उस की तरफ़ (एक आदमी को) भेजा मगर उस ने (उधार देने से) इन्कार कर दिया। (इसे हाकिम और बैहक़ी ने रिवायत किया है, इस के रावी सिक़ा हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि चीज़ का उधार ख़रीदना जायेज़ है, उस कपड़े बेचने वाले ने आप ﷺ

को देने से इन्कार शायद ज़ाती अदावत व इनाद की वजह से किया था, शारेहीन ने लिखा है कि वह यहूदी था, आप ﷺ की ज़ात अक़्दस से उसे दुश्मनी थी, इसलिये उस ने इन्कार किया था।

723. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "रहन रखे हुये जानवर पर (उस पर उठने वाले) मसारिफ़ व ख़र्च के बदले सवारी की जा सकती है, और दूध देने वाले जानवर का दूध (उस पर उठने वाले) ख़र्च के बदले पिया जा सकता है, जबकि वह रहन हो और जो आदमी सवारी करता है और दूध पीता है, उसके अख़राजात का ज़िम्मेदार भी वही है।" (बुख़ारी)

(٧٢٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि जब गिरवी रखी हुई चीज़ की देखभाल और हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी गिरवी रखने वाले पर है तो उस के लिये उस से फ़ायेदा लेना भी जायेज़ है। दूसरे लोग कहते हैं जिस के पास चीज़ रहन रखी गई है वह उस पर उठने वाले इख़राजात के बक़्दर उस के दूध और सवारी से फ़ायेदा ले सकता है और यही सहीह है।

724. उन्हीं (अबू हुरैरा ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "गिरवी रखी हुई चीज़ उस के मालिक के लिये रोकी और बन्द नहीं की जायेगी, उस का फ़ायेदा भी उसी के लिये है और तावान का भी वही ज़िम्मेदार है।" (इसे दार क़ुतनी और हाकिम ने रिवायत किया है, इस के रावी सिक़ा हैं, और अबू दाउद वग़ैरह के नज़दीक इस का मुरसल होना महफ़ूज़ है)

(٧٢٤) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ المَحْفُوظَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالُهُ.

725. अबू राफ़िअ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने एक आदमी से जवान ऊँट क़र्ज़ लिया, फिर आप ﷺ के पास सदक़ा के ऊँट आये तो आप ﷺ ने अबू राफ़िअ को हुक्म दिया कि उस आदमी को जवान ऊँट अदा कर दिया जाये, मैंने अर्ज़ किया इस से बेहतर सात

(٧٢٥) وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْراً، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: «لَا أَجِدُ إِلَّا خِيَاراً رَبَاعِيًّا»، قَالَ:

साल का ऊँट मौजूद है, फ़रमाया: "यही उसे दे दो, क्योंकि बेहतरीन आदमी वह है जो अदायेगी में सब से अच्छा हो।" (मुस्लिम)

«أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि क़र्ज़दार इन्सान अगर खुद बखुद अपनी आज़ाद रज़ामंदी से क़र्ज़ की अदायेगी के वक़्त वाजिबुल अदा क़र्ज़ से मिक़्दार में ज़्यादा बेहतर और उम्दा अदा करे तो यह जायेज़ है, अगर क़र्ज़ देने वाला क़र्ज़ देते वक़्त यह शर्त करे कि अदायेगी के मौक़ा पर में तुझ से इतना ज़्यादा लूँगा, या यह कहे कि क़र्ज़ में ज़्यादा अच्छी और बेहतर चीज़ लूँगा तो यह सूद शुमार किया जाता है और सूद हर सूरत में हराम है।

726. अली ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हर वह क़र्ज़ जो मुनाफ़ा खींच लाये वह सूद है।" (इसे हारिस बिन अबू उसामा ने रिवायत किया है, इस की सनद कमज़ोर है और इस का कमज़ोर गवाह बैहक़ी के यहाँ फज़ाला बिन उबैद ؓ की हदीस है और बुख़ारी में एक और मौक़ूफ़ हदीस अब्दुल्लाह बिन सलाम ؓ से भी मरवी है)

(٧٢٦) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً». رَوَاهُ الحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَإِسْنَادُهُ سَاقِطٌ.

وَلَهُ شَاهِدٌ ضَعِيفٌ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ البَيْهَقِيِّ، وَآخَرُ مَوْقُوفٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنْدَ البُخَارِيِّ.

6. मुफ़लिस क़रार देने और तसर्रुफ़ रोकने का बयान

٦ - بَابُ التَّفْلِيسِ وَالحَجْرِ

727. अबू बक्र बिन अब्दुर्रहमान ने अबू हुरैरा ؓ से रिवायत किया है कि हम ने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुना "जो आदमी मुफ़लिस के पास अपनी चीज़ ठीक उसी हालत में पाये तो वह उस का दूसरे के मुक़ाबिले ज़्यादा हक़दार है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٧٢٧) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

अबू दाउद और मालिक ने अबू बक्र बिन अब्दुर्रहमान से इन अलफ़ाज़ के साथ मुरसल रिवायत बयान की है कि "कोई आदमी अगर कोई चीज़ बेचे और ख़रीदने वाला मुफ़लिस

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ مِّنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُرْسَلاً، بِلَفْظِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ،

وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئاً، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ». وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ. وَضَعَّفَهُ تَبَعاً لأَبِي دَاوُدَ.

हो जाये और बेचने वाले को उस की क़ीमत में से अभी कुछ भी नहीं मिला तो (उस सूरत में) अगर वह उसी तरह अपना माल पा लेता है जैसे दिया था तो वह उस माल का ज़्यादा हक़दार है और अगर ख़रीदार मर जाये तो फिर साहिबे माल दूसरे क़र्ज़ माँगने वालों के बराबर है।" (बैहक़ी ने इसे मौसूल बयान किया है और अबू दाउद की इत्तेबा में इसे कमज़ोर कहा है)

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ ابْنِ خَلْدَةَ، قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي صَاحِبٍ لَّنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَّتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَضَعَّفَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَضَعَّفَ أَيْضاً هٰذِهِ الزِّيَادَةَ فِي ذِكْرِ الْمَوْتِ.

अबू दाउद और इब्ने माजा ने इसे उमर बिन ख़ल्दा की रिवायत से बयान किया है कि हम अपने एक साथी के लिये जो मुफ़लिस हो गया था, अबू हुरैरा ﷺ के पास आये तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे मुआमले में रसूलुल्लाह ﷺ वाला ही फ़ैसला करूँगा (और वह यह था) जो कोई मुफ़लिस हो जाये या मर जाये और कोई आदमी उस के पास अपनी चीज़ उसी तरह पा ले तो वह ही उस का सब से ज़्यादा हक़दार है। (हाकिम ने इसे सहीह कहा है और अबू दाउद ने कमज़ोर कहा है, और इसी तरह अबू दाउद ने इस ज़्यादती को जो मौत के ज़िक्र में है, कमज़ोर कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में जो मसअला बयान हुआ है उस की नौईयत यह है कि कोई आदमी किसी का माल ख़रीदने और उस की रक़म पर क़र्ज़ हो, उस के बाद वह मुफ़लिस हो जाये और अदायेगी क़र्ज़ के लिये उस के पास कुछ भी न बचे, उस सूरत में उस माल के बेचने वाले को हक़ पहुँचता है कि अगर उस की बेची हुई चीज़ उसी तरह मौजूद है तो उसे बिला तरद्दुद हासिल कर ले, मुआहिदा बैअ को ख़त्म कर दे, जमहूर का यही मज़हब है।

(٧٢٨) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيُّ الْوَاجِدِ

728. अम्र बिन शरीद ने अपने बाप शरीद ﷺ से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने

يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़रमाया: "मालदार आदमी का अदायेगी क़र्ज़ में टाल मटोल करना उस की बेइज़्ज़ती और सज़ा देने को हलाल करना है।" (इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और बुख़ारी ने इसे तालीक़ के तौर पर नक़ल किया है, और इब्ने हिब्बान ने इस को सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मालदार और साहिबे सरवत आदमी सिर्फ़ अपनी ख़सासत तबअ की वजह से क़र्ज़ की अदायेगी में हीले बहाने, टाल मटोल करे, जबकि वह आसानी से क़र्ज़ अदा करने की पोजीशन में हो तो ऐसे आदमी को क़र्ज़ चाहे ज़ुबानी कलामी बेइज़्ज़त भी कर सकता है और बज़रिया अदालत उसे सज़ा भी दिलवा सकता है।

(٧٢٩) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَأَفْلَسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمَائِهِ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

729. अबू सईद ख़ुदरी ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ के ज़माने में एक आदमी को फलों की तिजारत में (बहुत) नुक़सान हुआ जिस वजह से उस पर क़र्ज़ का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ तक कि कंगाल हो गया, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उस पर सदक़ा करो" लोगों ने उस पर सदक़ा किया, मगर वह सदक़ा उतना नहीं था कि क़र्ज़ पूरा अदा हो जाता, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने उस के क़र्ज़ देने वालो से फ़रमाया: (यही कुछ है) जो कुछ मिलता है ले लो, उस के अलावा तुम्हारे लिये कुछ भी नहीं है। (मुस्लिम)

(٧٣٠) وَعَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُرْسَلاً، وَرَجَّحَ إِرْسَالَهُ.

730. इब्ने काब बिन मालिक ؓ अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुआज़ ؓ को उन के माल में तसर्रुफ़ से रोक दिया था और उस का माल उस क़र्ज़ की रक़म के बदले में बेच दिया जो उस के ज़िम्मे था। (इसे दार कुतनी ने रिवायत किया है, और हाकिम ने इसे सहीह कहा है, और अबू

दाउद ने इसे मुरसल रिवायत किया है और इस के मुरसल होने को क़ाबिले तरजीह ठहराया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि जिस आदमी पर क़र्ज़ का बोझ आ पड़े उसे सरबराहे रियासत या उस के नुमाइंदा उस के अपने माल में तसर्रुफ़ से रोक सकता है, ताकि क़र्ज़दारों का क़र्ज़ अदा किया जा सके।

(٧٣١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

731. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मुझे उहद के दिन नबी ﷺ के सामने पेश किया गया, उस वक़्त मेरी उम्र चौदह साल थी, आप ﷺ ने मुझे जंग में शिरकत की इजाज़त न दी, फिर ख़न्दक़ के दिन मुझे आप ﷺ के सामने पेश किया गया उस वक़्त मेरी उम्र पन्द्रह साल थी तो आप ﷺ ने मुझे शिरकत की इजाज़त दे दी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَيْهَقِيِّ: فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بلَغْتُ». وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

और बैहक़ी की रिवायत में है कि आप ﷺ ने मुझे इजाज़त न दी और मुझे बालिग़ नहीं समझा। (इब्ने खुज़ैमा ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि तसर्रुफ़ात की उम्र पन्द्रह साल में शुरू होती है, जिसे क़ाबिले क़बूल और क़ाबिले तसलीम समझा गया है, मुसन्निफ़ भी इस हदीस को इस बाब में इसी लिये लाये हैं कि बेचना और ख़रीदना किस उम्र से क़ाबिले एतिबार है, यानी कि पन्द्रह साल से पहले बच्चा और पन्द्रह साल का जवान मर्दों के हुक्म में आ जाता है।

(٧٣٢) وَعَنْ عَطِيَّةَ القُرَظِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِلَ، وَمَنْ لَّمْ يُنْبِتْ خَلَّى سَبِيلَهُ، فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ، فَخَلَّى سَبِيلِي. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ.

732. अतिया कुरज़ी ؓ से रिवायत है कि बनू कुरैज़ा से जंग के मौक़ा पर हमें नबी ﷺ के सामने पेश किया गया, जिस के नाफ़ के नीचे बाल उगे होते थे उसे क़त्ल कर दिया गया और जिस के नहीं उगे थे उसे छोड़ दिया गया, मैं भी उन में से था जिस के बाल नहीं उगे थे, इसलिए मुझे भी छोड़ दिया गया।

(इसे चारों ने रिवायत किया है, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٧٣٣) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».

وفي لفظ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا، إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ، إِلَّا التِّرمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

733. अम्र बिन शुऐब अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "किसी औरत का अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर अतिया देना जायेज़ नहीं।" और एक रिवायत में है कि: "किसी औरत को अपने ज़ाती माल में कोई मुआमला करने का इख़्तियार नहीं, जब उस का शौहर उस की इसमत का मालिक हो" [इसे अहमद और असहाबे सुनन ने (तिर्मिज़ी के अलावा) रिवायत किया है, और हाकिम ने इसे सहीह कहा है]

फ़ायेदा:

इस हदीस से तो बज़ाहिर यही मालूम होता है कि औरत अपने ज़ाती माल में अपने शौहर की इजाज़त व रज़ामन्दी के बग़ैर किसी तरह का तसर्रुफ़ करने की हक़दार नहीं हैं। औरत का ज़ाती माल वह है जो उसे मह्र की सूरत में शौहर की तरफ़ से मिलता है।

(٧٣٤) وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الهِلَالِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ المَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَاناً فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ المَسْأَلَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

734. क़बीसा बिन मुख़ारिक़ हिलाली رضی اللہ عنہ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बेशक तीन आदमियों में से किसी एक के सिवा दूसरे के लिये सवाल करना हलाल नहीं, एक वह आदमी जिस ने ज़मानत का बोझ उठाया हो, उस के लिये तावान व ज़मानत की मिक़दार तक सवाल करना जायेज़ है उस के बाद सवाल करना छोड़ दे और एक वह आदमी जिसे कोई आफ़त आ पहुँची हो और उस ने उस का माल तबाह व बरबाद कर दिया हो उस के लिये सवाल करना हलाल है, यहाँ तक कि उस के लिये गुज़रान का कोई रास्ता निकल आये और एक वह आदमी जो फ़ाक़ा में मुब्तला हो, यहाँ

तक कि उस की गवाही उस की कौम के तीन क़ाबिले एतिबार आदमी दें, उस के लिये सवाल करना हलाल है।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में सिर्फ़ तीन तरह के आदमियों के लिये सवाल करने की इजाज़त है और वह भी महदूद वक़्त के लिये, उन्ही में से एक गवाह है, वह अगर मुफ़लिस न भी हो तब भी उसे सवाल करके ज़मानत दी हुई रक़्म को अदा करना जायेज़ है और जो आदमी फ़ाक़ा में मुब्तला हो उस के लिये तीन आदमी की गवाही का हुक्म इस्तिहबाब और एहतियात के पहलू से है, उस की हैसियत शर्त की नहीं कि उस के बग़ैर वह सवाल ही नहीं कर सकता, जैसाकि आम दलील की बिना पर उलमा ने कहा है।

7. सुलह का बयान

٧ - بَابُ الصُّلْحِ

735. अम्र बिन औफ़ मुज़नी ﷺ कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुसलमानों के बीच सुल्ह जायेज़ है मगर ऐसी सुलह जायेज़ और सहीह नहीं जो हलाल को हराम या हराम को हलाल कर दे, मुसलमान अपनी शरायेत पर क़ायेम हैं (उन की तमाम शरायेत ठीक हैं) मगर सिवाय उस शर्त के जिन से कोई हलाल चीज़ हराम हो जाये या हराम चीज़ हलाल हो जाये" (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और सहीह कहा है और दूसरे मुहद्दिसीन ने उन पर इन्कार किया है, क्योंकि उस का एक रावी कसीर बिन अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन औफ़ कमज़ोर (ज़ईफ़) है, ऐसा महसूस व मालूम होता है कि तिर्मिज़ी ने कसरते तुरुक़ की वजह से इस को सहीह कहा है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है, अबू हुरैरा ﷺ की हदीस से)

(٧٣٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ. إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ، لِأَنَّ رَاوِيَه كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ، وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में मुसलमानों का ज़िक्र इस वजह से है कि शरीअत इस्लामी के अहकाम के मुख़ातब और मुकल्लफ़ मुसलमान ही हैं, वर्ना जहाँ तक सुल्ह का तअल्लुक़ है तो वह अहले किताब के दोनों

गिरोहों में यहूद व नसारा के साथ भी जायेज़ है और मुशरिकीन और दहरिया लोगों के साथ भी, सुल्ह के लिये ज़ाबता व क़ायेदा कुल्लिया यह है कि सुल्ह शरीअत इस्लामिया के किसी हुक्म के ख़िलाफ़ न हो।

736. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी को अपनी दीवार पर लकड़ी गाड़ने से मना न करे" फिर अबू हुरैरा ﷺ ने ख़ुद कहा कि क्या वजह है कि मै तुम्हें इस पर अमल करने से गुरेज़ करते देख रहा हूँ? अल्लाह की क़सम! मैं तो इसे तुम्हारे कंधों पर मारूँगा। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٧٣٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में पड़ोसी के पड़ोसी पर हुक़ूक़ की निशानदिही होती है कि तामीरात के मौक़े पर एक-दूसरे से तआउन व मदद करें और यह भी हक़ पड़ोसी है कि पड़ोसी पड़ोसी की दीवार पर अपना शहतीर और लिन्टर रखना चाहे तो उसे कोई रुकावट पेश न आये।

737. अबू हुमैद साइदी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "किसी के लिये हलाल नहीं कि वह अपने भाई की लाठी भी उस की ख़ुशनूदी व रज़ामंदी के बग़ैर ले।" (इसे इब्ने हिब्बान और हाकिम ने अपनी-अपनी सहीह में रिवायत किया है)

(٧٣٧) وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا.

8. ज़मानत और कफ़ालत का बयान

٨ - بَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ

738. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मालदार आदमी का टाल मटोल करना ज़ुल्म है और जब तुम में से किसी को मालदार आदमी का हवाला दिया जाये तो उसे क़बूल कर लेना चाहिये।" (बुख़ारी, मुस्लिम) और अहमद की एक रिवायत में "फ़लयहतल" (हवाला क़बूल कर ले) है।

(٧٣٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتَّبِعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: فَلْيَحْتَلْ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में हवाला का बयान है, हवाला के दो माने किये गये हैं, एक यह कि कर्ज़दार अपने क़र्ज़ में किसी आदमी की ज़मानत दे, यानी एक आदमी दूसरे के लिये कहे कि फ़लाँ साहब को क़र्ज़ दे दो, अदायेगी का ज़िम्मा मैं लेता हूँ और दूसरा यह कि क़र्ज़दार क़र्ज़ देने वाले को अपने कर्ज़दार के हवाले कर दे, मिसाल के तौर पर ज़ैद को ख़ालिद से हज़ार रूपया लेना है और ख़ालिद को हमीद से हज़ार रूपया लेना है तो ख़ालिद ज़ैद से कहे कि तुम मेरा क़र्ज़ हमीद से वसूल कर लो, शरीअत ने इस सूरत को भी जायेज़ रखा है, शर्त यह है कि हमीद इस बात का इक़रार कर ले कि मुझे वाकई ख़ालिद का क़र्ज़ देना है और वह हज़ार रूपया मैं तुम्हें दे दूँगा।

(٧٣٩) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَّطْنَاهُ، وَكَفَّنَّاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْنَا: تُصَلِّي عَلَيْهِ، فَخَطَا خُطاً، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَانْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَقَّ الغَرِيمِ؟ وَبَرِئَ مِنْهُمَا المَيِّتُ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

739. जाबिर ﷺ से रिवायत है कि हम में से एक आदमी मर गया, हम ने उसे गुस्ल दिया, ख़ुश्बू लगाई और कफ़न पहनाया, फिर हम उसे उठा कर रसूलुल्लाह ﷺ के पास ले आये और कहा कि आप ﷺ उस की जनाज़ा की नमाज़ पढ़ायें, आप ﷺ ने कुछ क़दम आगे बढ़ने के लिये उठाये और पूछा: "क्या उस के ज़िम्मे क़र्ज़ है?" हम ने अर्ज़ किया दो दीनार थे, यह सुन कर आप ﷺ वापस तशरीफ़ ले आये, अबू क़तादा ﷺ ने दो दीनार की अदायेगी अपने ज़िम्मे ले ली, फिर हम आप ﷺ के पास आये तो अबू क़तादा ﷺ ने कहा दो दीनार मेरे ज़िम्मे हैं, आप ﷺ ने फ़रमाया: "क़र्ज़दार की तरह लाज़िम व हक़ हो गया और मय्यित उस से बरी हो गई।" उस ने कहा हाँ! फिर आप ﷺ ने उस की जनाज़ा कीं नमाज़ पढ़ायी। (इसे अहमद, अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है, इब्ने हिब्बान और हाकिम दोनों ने सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से कई मसायेल मालूम होते हैं मय्यित की तरफ़ से क़र्ज़ अदा करने की ज़मानत सहीह है, ज़मानत देने वाला आदमी ज़मानत की रक़म मरने वाले के तरका में से नहीं ले सकता, उसे अपनी जेब ख़ास से ज़रे ज़मानत अदा करना होगा, मय्यित के हुक़ूक़ मालिया जो उस पर वाजिब हैं मसलन हज, ज़कात और क़र्ज़ा की अदायेगी वग़ैरह का मरने वाले को फ़ायेदा पहुँचता है उस की तरफ़ से दूसरे के अदा करने से अदा हो जाते हैं, क़र्ज़ हो या दूसरे हुक़ूक़ुलएबाद जब तक उन

की अदायेगी न की जाये या हक़दार या कर्ज़ देने वाला ख़ुद माफ़ न कर दे कभी साक़ित नहीं होते, यहाँ तक क़ि मरने के बाद भी ख़ुद से माफ़ नहीं हो जाते, क़र्ज़ा लेना बहुत ही संगीन मामला है, जहाँ तक हो सके लेने से परहेज़ करना चाहिये, अगर लेना बहुत मजबूरी और नागुजाऱ सूरत हो तो उसे जल्द से जल्द अदा करने की फ़िक करनी चाहिये।

(٧٤٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ، «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قَضَاءٍ»؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِلَّا قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً».

740. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ के पास कर्ज़दार आदमियों के जनाज़े लाये जाते तो पहले आप ﷺ मालूम करते कि क्या इस ने क़र्ज़ा की अदायेगी के लिये कुछ छोड़ा है? अगर बताया जाता कि उस ने अपना माल छोड़ा है तो उस की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाते वर्ना फ़रमा देते कि: "जाओ तुम अपने साथी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ लो," फिर जब अल्लाह तआला ने फ़ुतूहात के दरवाज़े खोल दिये तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "मैं मोमिनों को उन की जानों से भी ज़्यादा क़रीब हूँ, इसलिए अब जो आदमी मर जाये और उस पर क़र्ज़ा का बोझ हो तो उस क़र्ज़ा की अदायेगी मेरे ज़िम्मे है" (बुख़ारी, मुस्लिम) और बुख़ारी की एक रिवायत में यह अलफ़ाज़ हैं: "जो आदमी मर गया और उस ने इतना तर्का पीछे नहीं छोड़ा जो क़र्ज़ा की अदायेगी के लिये काफ़ी हो।"

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि इस्लामी रियासत अपने शहरियों की ज़रूरीयात पूरा करने की ज़िम्मेदार है, यहाँ तक कि अगर उस का कोई मुसलमान शहरी कर्ज़ की हालत में मर गया हो और क़र्ज़ की अदायेगी के लिये कोई तरका न छोड़ गया हो और कोई अज़ीज़, रिश्तादार और दोस्त भी अदायेगीये क़र्ज़ की ज़मानत न दे तो इस सूरत में उस का क़र्ज़ इस्लामी रियासत के ख़ज़ाने (बैतुलमाल) से अदा किया जायेगा।

(٧٤١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

741. अम्र बिन शुऐब ने अपने बाप से और उन्होंने अपने दादा से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह की हद में ज़मानत और ज़िम्मेदारी नहीं।" (इसे बैहक़ी ने कमज़ोर सनद से रिवायत किया है)

9. शराकत और वकालत का बयान

٩ - بَابُ الشَّرْكَةِ وَالوَكَالَةِ

742. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला का इरशाद है कि दो शिराकत करने वालों में, मैं तीसरा होता हूँ, यहाँ तक कि कोई एक दूसरे से ख़ियानत नर करे, जैसे ही उन में से कोई एक ख़ियानत करता है तो मैं उन के बीच से निकल जाता हूँ" (अबू दाउद ने इसे रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٧٤٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

743. सायेब मख़ज़ूमी ﷺ से मरवी है कि वह आप ﷺ की बिअसत से पहले आप ﷺ की तिजारत में शरीक था, फिर वह फ़त्ह मक्का के मौक़े पर आया तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "मुबारक हो मेरे भाई और मेरे शरीक" (इसे अहमद, अबू दाउद और इब्ने माजा तीनों ने रिवायत किया है)

(٧٤٣) وَعَنِ السَّائِبِ المَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ ﷺ قَبْلَ البِعْثَةِ، فَجَاءَ يَوْمَ الفَتْحِ، فَقَالَ: «مَرْحَباً بِأَخِي وَشَرِيكِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

फ़ायेदा:

यह हदीस बता रही है कि बिअसत नबवी से पहले भी कारोबार में साझीदारी का रिवाज था, इस्लाम ने भी उसे जारी रखा, अलबत्ता जो कमियाँ जाहीलियत के ज़माने में थे उन से साझीदारी को पाक और साफ़ कर दिया।

744. अब्दुल्लाह बिन मसउद ﷺ से रिवायत है कि मैंने और अम्मार बिन यासिर ﷺ और साद ﷺ ने साझीदारी की उन चीज़ों में जो हमें बद्र के दिन मिली, इस हदीस का आख़िरी हिस्सा यूँ है कि साद ﷺ उस दिन दो क़ैदी ले कर आये, मैं और अम्मार ﷺ कोई भी चीज़ न लाये। (इसे नसाई वग़ैरह ने रिवायत किया है)

(٧٤٤) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، الْحَدِيثَ، وَتَمَامُهُ: «فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ، وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيْءٍ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ.

745. जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ से रिवायत

(٧٤٥) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللَّهُ

है कि मैंने ख़ैबर की तरफ़ जाने का इरादा किया तो मैं रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आप ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम ख़ैबर में मेरे वकील के पास पहुँचो तो उस से पन्द्रह वसक़ वसूल कर लेना।" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और सहीह कहा है)

تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي بِخَيْبَرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقاً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ.

फ़ायेदा:

यह हदीस दलील है कि वकालत जायेज़ है, रसूलुल्लाह ﷺ ने खुद अपना नुमाइंदा मुक़र्रर फ़रमाया था, इसलिये माली मुआमलात में किसी को अपना वकील बनाना सहीह है।

746. उरवा बारिक़ी رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने उसे एक दीनार देकर भेजा ताकि आप ﷺ के लिये कुर्बानी का जानवर ख़रीद लाये। (बुख़ारी ने इसे हदीस के शुरु में रिवायत किया है, जिस का ज़िक्र पहले हो चुका है)

(٧٤٦) وَعَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِي لَهُ أُضْحِيَّةً، اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ (بِرَقم ٦٨٦).

747. अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने उमर رضي الله عنه को ज़कात वसूल करने पर तहसीलदार बनाया था। "अल-हदीस" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٧٤٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस को यहाँ वकालत के इसबात में नकल किया गया है।

748. जाबिर رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी ﷺ ने तिरसठ ऊँट खुद ज़िब्ह किये और अली رضي الله عنه को फ़रमाया कि बाक़ी वह ज़िब्ह करें। "अल-हदीस" (मुस्लिम)

(٧٤٨) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ ثَلَاثاً وَسِتِّينَ وَأَمَرَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ، اَلْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि कुर्बानी का जानवर ज़िब्ह करने में भी वकील बनाना जायेज़ है, जैसाकि नबी ﷺ ने हज्जुतल-वदा के मौक़े पर अली رضي الله عنه को अपना वकील बनाया और उन्होंने छत्तीस ऊँट ज़िब्ह किये।

749. अबू हुरैरा رضي الله عنه से मरवी है कि नबी

(٧٤٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

करीम ﷺ ने मज़दूर के क़िस्से में इरशाद फ़रमाया: "ऐ उनैस! उस औरत के पास जाओ, अगर वह क़बूल कर ले तो उसे संगसार कर दो।" "अल-हदीस" (बुख़ारी, मुस्लिम)

عَنْهُ، فِي قِصَّةِ الْعَسِيفِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ! عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا»، اَلْحَدِيْثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

10. इक़रार का बयान

١٠ - بَابُ الإِقْرَارِ

750. अबू ज़र رضی اللہ عنہ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे इरशाद फ़रमाया: "हक़ कहो चाहे वह कड़वा ही क्यों न हो" (इसे इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है, यह एक लम्बी हदीस है)

(٧٥٠) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «قُلِ الحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا». وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में हक़ बोलने का हुक्म है कि चाहे कितने ही ख़राब हालात से दो चार होना पड़े मगर हक़ व सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिये।

11. उधार ली हुई चीज़ का बयान

١١ - بَابُ الْعَارِيَةِ

751. समरा बिन जुन्दुब رضی اللہ عنہ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो कुछ हाथ ने लिया है जब तक उसे अदा न कर दे उस के ज़िम्मे है" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٧٥١) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ، حَتَّى تُؤَدِّيَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ والأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि जो चीज़ किसी से उधार ली हो जब तक उसे उसी तरह वापस न करे वह उस के ज़िम्मे वाजिबुल अदा रहती है।

752. अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने तुम्हारे पास अमानत रखी हो तो उसे अमानत वापस कर दो और जिस ने तेरे साथ ख़यानत की तो तू उस के साथ ख़यानत न

(٧٥٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ.

कर।" (इसे अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है, और अबू हातिम राज़ी ने इसे मुन्कर समझा है)

753. याला बिन उमय्या ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे इरशाद फ़रमाया: "तुम्हारे पास जब मेरे एलची और क़ासिद आये तो उन को तीस ज़िरहें दे देना" मैंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आरियतन जिस में ज़मानत होगी या उसे उधार के तौर पर जो क़ाबिले वापसी होगा, आप ﷺ ने फ़रमाया: "ऐसा उधार जो अदा कर दिया जायेगा" (इसे अहमद, अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

(٧٥٣) وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَتْكَ رُسُلِي فَأَعْطِهِمْ ثَلَاثِينَ دِرْعاً»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَعَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ، أَوْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ؟ قَالَ: بَلْ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

754. सफ़वान बिन उमय्या ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने जंगे हुनैन के मौक़े पर उस (सफ़वान) से कुछ ज़िरहें आरियतन लीं, उस ने कहा ऐ मुहम्मद ﷺ! क्या आप ﷺ ज़बरदस्ती ग़सब कर रहे हैं? आप ﷺ ने फ़रमाया: "नहीं, बल्कि ज़मानत के साथ आरियतन ले रहा हूँ" (इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है, और एक कमज़ोर (ज़ईफ़) रिवायत इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की भी बतौर शहादत है)

(٧٥٤) وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ دُرُوعاً يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: أَغَصْباً يَا مُحَمَّدُ (ﷺ)! قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَأَخْرَجَ لَهُ شَاهِداً ضَعِيفاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि ग़ैर मुस्लिम से भी आरियतन कोई चीज़ लेनी जायेज़ है और ज़मानत पर ली हुई चीज़ को वापस करना भी ज़रूरी है, अगर किसी वजह से ज़ाया हो जाये तो उस की क़ीमत अदा करनी होगी और अगर आरियतन लेने वाला जान बूझकर उसे ज़ाया कर दे तो उस सूरत में सब के नज़दीक उस की क़ीमत अदा करना पड़ेगी।

12. ग़सब का बयान

١٢ - بَابُ الغَصْبِ

755. सईद बिन ज़ैद ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस आदमी ने एक बालिश्त भर ज़मीन किसी से छीन ली, अल्लाह तआला क़ियामत के दिन इतना ज़मीन का हिस्सा सातों ज़मीनों से उस के गले में तौक़ बना कर डाल देगा" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٧٥٥) عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً، طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

756. अनस ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ अपनी बीवियों में से किसी के यहाँ तशरीफ़ फ़रमा थे, किसी दूसरी उम्मुल मोमिनीन रज़ि अल्लाहु अन्हा ने अपने ख़ादिम के ज़रिया एक प्याला भेजा जिस में कुछ खाना था तो उस बीवी ने अपना हाथ मारा कि वह प्याला टूट गया, आप ﷺ ने उस प्याला को जोड़कर उस में खाना डाल दिया और फ़रमाया: "खाओ और लाने वाले के हाथ सालिम प्याला भेज दिया और टूटा हुआ अपने पास रख लिया।" (बुख़ारी, तिर्मिज़ी) हाथ मार कर प्याला तोड़ने वाली का नाम आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा लिया गया है और तिर्मिज़ी ने इतना ज़्यादा किया है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "खाने के बदले में खाना और बर्तन के बदले में बर्तन" (और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

(٧٥٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأَرْسَلَتْ، إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ لَّهَا بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ يَدَهَا فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ، فَضَمَّهَا، وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ وَقَالَ: كُلُوا، وَدَفَعَ القَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ لِلرَّسُولِ، وَحَبَسَ المَكْسُورَةَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَسَمَّى الضَّارِبَةَ عَائِشَةَ، وَزَادَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ». وَصَحَّحَهُ.

757. राफ़िअ बिन ख़दीज ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने दूसरे लोगों की ज़मीन में उन की इजाज़त के बग़ैर खेती की, तो उसे उस खेती में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, उसे सिर्फ़ वह ख़र्च

(٧٥٧) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَلَهُ نَفَقَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَيُقَالُ: إِنَّ البُخَارِيَّ ضَعَّفَهُ.

मिलेगा जो उस ने ख़र्च किये हैं" (इसे अहमद और नसाई के अलावा चारों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है और कहा जाता है कि बुख़ारी ने इसे कमज़ोर कहा है)

(٧٥٨) وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَرْضٍ غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلاً وَالأَرْضُ لِلآخَرِ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخرِجَ نَخْلَهُ: وَقَالَ: لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وَآخِرُهُ عِنْدَ أَصْحَابِ السُّنَنِ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَاخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ، وَفِي تَعْيِينِ صَحَابِيِّهِ.

758. उरवा बिन ज़ुबैर रज़ि अल्लाहु ﷺ से रिवायत है कि एक सहाबी रसूलुल्लाह ﷺ ने बताया कि दो आदमी नबी ﷺ के पास एक ज़मीन का झगड़ा ले कर आये, ज़मीन एक की थी और खजूर के पेड़ दूसरे ने लगा दिये थे तो आप ﷺ ने फ़ैसला किया "ज़मीन मालिक की है और खजूर के पेड़ लगाने वाला अपने पेड़ उखाड़ ले" और फ़रमाया: "ज़ालिम की रग का कोई हक़ नहीं" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है, इस की सनद हसन है। इस हदीस का आख़िरी हिस्सा असहाबे सुनन ने उरवा अन सईद बिन ज़ैद के हवाले से रिवायत किया है, इस रिवायत के मुरसल और मौसूल होने और इस के सहाबी के तअय्युन में इख़्तिलाफ़ है)

(٧٥٩) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

759. अबू बकरा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने क़ुर्बानी के दिन मिना में अपने ख़ुतबा के दौरान फ़रमाया: "बेशाक तुम्हारे ख़ून और माल और तुम्हारी आबरूयें तुम पर उसी तरह हराम हैं जिस तरह तुम्हारा आज का यह दिन हुरमत वाला है जो तुम्हारे इस शहर में और तुम्हारे इस महीने में वाक़िअ हुआ है।"

13. शुफ़आ का बयान

١٣ - بَابُ الشُّفْعَةِ

(٧٦٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ

760. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हर

بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ - وَفِي لَفْظٍ: «لَا يَحِلُّ - أَن يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ. وَفِي رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ: «قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ». وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

उस चीज़ का शुफ़आ में फ़ैसला दिया है जो बाँटी न गई हो, मगर जब हुदूदबंदी हो जाये और रास्ते अलग हो जायें तो फिर शुफ़आ नहीं। (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं) और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि शुफ़आ हर मुशतरक चीज़ में है (मिसाल के तौर पर) ज़मीन में, मकान में, बाग़ में, अपने हिस्सेदार (शरीक) के सामने पेश किये बग़ैर किसी के लिये चीज़ बेचना सहीह नहीं। और तहावी में है कि नबी करीम ﷺ ने हर चीज़ में शुफ़आ का हक़ रखा है, इस के रावी सिक़ा हैं।

(٧٦١) وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِيهِ قِصَّةٌ.

761. अबू राफ़िअ رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "पड़ोसी अपने क़रीबी होने की वजह से ज़्यादा हक़ रखता है" (इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है और इस बारे में लम्बा क़िस्सा है)

(٧٦٢) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ عِلَّةٌ.

762. अनस बिन मालिक رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मकान का पड़ोसी उस मकान का ज़्यादा हक़ रखता है" (इसे नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है लेकिन उस में इल्लत है)

(٧٦٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِباً، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِداً». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

763. जाबिर رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "पड़ोसी अपने पड़ोसी का शुफ़आ में ज़्यादा हक़दार है, उस का इन्तिज़ार शुफ़आ की वजह से किया जायेगा, अगरचे वह ग़ायब हो जब कि दोनों का रास्ता एक हो" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है, इस के रावी सिक़ा हैं)

(٧٦٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

764. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से

عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالبَزَّارُ، وَزَادَ: «وَلَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ». وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "शुफ़आ रस्सी खोलने की तरह है" (इसे इब्ने माजा और बज़्ज़ार ने रिवायत किया है) और बज़्ज़ार ने इतना इज़ाफ़ा किया है कि: "ग़ैर हाज़िर व ग़ायेब के लिये शुफ़आ का कोई हक़ नहीं।" (इस की सनद कमज़ोर है)

١٤ - بَابُ القِرَاضِ

14. मुज़ारबत का बयान

(٧٦٥) عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ البَرَكَةُ: البَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ البُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

765. सुहैब ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तीन काम बड़े बाबरकत हैं एक मुद्दत मुक़र्ररा तक बेचना और मुज़ारबत करना और गन्दुम में जौ मिलाना घर के लिये बेचने के लिये नहीं।" (इसे इब्ने माजा ने कमज़ोर सनद से रिवायत किया है)

(٧٦٦) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ، إِذَا أَعْطَاهُ مَالاً مُقَارَضَةً، أَن لَّا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَبِدٍ رَطْبَةٍ، وَلَا تَحْمِلَهُ فِي بَحْرٍ، وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ، فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِي. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

766. हकीम बिन हिज़ाम ؓ से रिवायत है कि वह जब किसी आदमी को मुज़ारबत पर अपना सरमाया देते थे तो उस से यह शर्त कर लिया करते थे कि मेरे माल से हैवान की तिजारत न करोगे और समुन्दर में लेकर भी नहीं जाओगे और सैलाब की जगहों में लेकर उसे नहीं जाओगे, उन में से कोई काम भी अगर तुम ने किया तो मेरे माल के तुम खुद ज़ामिन व ज़िम्मेदार होगे। (इसे दार कुतनी ने रिवायत किया है और इस के रावी सिक़ा हैं)

وَقَالَ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأِ عَنِ العَلَاءِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ عَمِلَ فِي مَالٍ لِعُثْمَانَ، عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا. وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ.

इमाम मालिक ने मुवत्ता में अला बिन अब्दुर्रहमान बिन याकूब बाप और उस के दादा के वास्ते से बयान किया है कि उस ने उस्मान ؓ के माल में तिजारत उस शर्त पर की थी कि नफ़ा दोनों के बीच बाँटा जायेगा। (यह हदीस मौकूफ़ सहीह है)

15. आबपाशी और ज़मीन को ठेका पर देने का बयान

١٥ - بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالإِجَارَةِ

(٧٦٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

767. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने ख़ैबर वालों से इस तरह मुआमला तय किया कि फल और खेती बाड़ी से जो कुछ मिलेगा उस में से आधा तुम्हारा। (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا»، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ.

और उन दोनों की एक रिवायत में है कि ख़ैबर वालों (यहूद) ने ख़ुद आप ﷺ से मुतालबा किया कि आप ﷺ उन को यहाँ ठहरने दें, यानी ज़मीनों पर क़ाबिज़ रहने दें। वह खेती बाड़ी करेंगे और उस की पैदावार में से मुसलमानों को आधा हिस्सा दिया करेंगे, तो नबी ﷺ ने फ़रमाया: "इस शर्त पर कि हम तुम्हें जब तक चाहेंगे रहने देंगे" यह फ़रमा कर उन को उन ज़मीनों पर बाक़ी रखा। यह ज़मीनों पर बाक़ी रहे, यहाँ तक कि उमर ﷺ ने उन को जला वतन कर दिया।

وَلِمُسْلِمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا.

और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने ख़ैबर के यहूद को ख़ैबर की खजूरें और ज़मीन उसी शर्त पर दी थीं कि वह अपने अमवाल से उन पर काम करेंगे और उन के लिये उन की पैदावार का आधा हिस्सा होगा।

फ़ायेदा:

इस हदीस से आध आधे की बटाई पर ज़मीन देना साबित है।

(٧٦٨) وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ إِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ،

768. हनज़ला बिन क़ैस ﷺ से रिवायत है कि मैंने राफ़िअ बिन ख़दीज ﷺ से पूछा कि सोने और चाँदी के वदले ज़मीन ठेके पर देना कैसा

فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هٰذَا وَيَسْلَمُ هٰذَا، وَيَسْلَمُ هٰذَا وَيَهْلِكُ هٰذَا، وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هٰذَا، فَلِذٰلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

है? उन्होंने जवाब दिया कि उस में कोई हर्ज नहीं, इसलिये कि रसूलुल्लाह ﷺ के ज़माने में लोग अपनी जमीन इस शर्त पर दिया करते थे कि जो कुछ पानी की नालियों और पानी के बहाओ में पैदा होगा और कुछ हिस्सा बाक़ी खेती का वह तो मैं लूँगा, फिर कभी ऐसा होता यह हिस्सा तबाह व बरबाद हो जाता और कभी ऐसा होता कि उस हिस्सा में कुछ पैदावार ही न होती और लोगों को ठेका उसी सूरत में मिलता था, इसीलिये नबी करीम ﷺ ने उस से मना किया था, लेकिन अगर कोई चीज़ मुक़र्रर हो तो उस में कोई हर्ज नहीं। (मुस्लिम)

وَفِيهِ بَيَانٌ لِمَا أُجْمِلَ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقِ النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.

और इस में उस का भी बयान है जिसे बुख़ारी और मुस्लिम ने मुजमल बयान किया है कि "ज़मीन ठेके पर न दिया करो।"

(٧٦٩) وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْضاً.

769. साबित बिन ज़हहाक़ ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुज़ारअत से मना फ़रमाया है और ठेका पर देने की इजाज़त दी है। (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में जो नही आई है इसे उलमा ने नही तन्ज़ीही पर महमूल किया है।

(٧٧٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

770. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने खुद सींगी लगवाई और सींगी लगाने वाले को उस का मुआवज़ा और उजरत भी दी, अगर यह उजरत हराम होती तो आप ﷺ यह मुआवज़ा न देते। (बुख़ारी)

(٧٧١) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

771. राफ़िअ बिन ख़दीज ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हज्जाम

«كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

(सींगी लगाने वाला) की कमाई ख़बीस है, यानी सींगी लगाने का काम बहुत बुरा है।" (मुस्लिम)

(٧٧٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

772. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला का इरशाद है कि मैं क़ियामत के दिन तीन आदमियों का मुद्दई बनूँगा, पहला वह आदमी जो मेरे नाम, अहद और ज़मानत देकर बदअहदी करे, दूसरा वह आदमी जो एक आज़ाद आदमी को बेचे और उस की क़ीमत खाये, तीसरा वह आदमी जिस ने मज़दूर से काम तो पूरा लिया मगर उस की मज़दूरी पूरी न दी" (मुस्लिम)

(٧٧٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْراً كِتَابُ اللَّهِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

773. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बेशक सब से ज़्यादा मुस्तहक़ काम जिस की उजरत ली जाये किताबुल्लाह है।" (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि कुरआन मजीद की तालीम, किताबत और तबाअत वग़ैरा का मुआवज़ा लेना जायेज़ है। इमाम शाफ़ई, मालिक और इमाम इसहाक़ रहमहुमुल्लाह की यही राय है, अलबत्ता इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तालीम कुरआन की तन्ख़ाह लेना नाजायेज़ है, अलबत्ता अगर कोई आदमी किसी से तय किये बग़ैर तालीम हासिल करता है और अपनी मर्ज़ी से उस्ताद की माली मदद करता है तो उसे किसी ने नाजायेज़ नहीं कहा।

(٧٧٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيِّ، وَجَابِرٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ، وَكُلُّهَا ضِعَافٌ.

774. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मज़दूर को उस की मज़दूरी उस का पसीना सूखने से पहले अदा कर दो" (इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इस बाब में अबू हुरैरा ﷺ से बयान की गई रिवायत अबू याला और बैहक़ी ने बयान की है और तबरानी में

जाबिर ؓ से मरवी है मगर यह सारी रिवायात (ज़ईफ़) कमज़ोर है)

(٧٧٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ»، رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ، وَوَصَلَهُ البَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.

775. अबू सईद ख़ुदरी ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी किसी मज़दूर को उजरत पर काम के लिये लगाये तो उसे उस की पूरी उजरत देनी चाहिये" (इसे अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने रिवायत किया है और इस की सनद में इन्क़िता है और बैहक़ी ने इस हदीस को अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह के वास्ते से मौसूल रिवायत किया है)

١٦ - بَابُ إِحْيَاءِ المَوَاتِ

16. बेआबाद और बंजर ज़मीन को आबाद करने का बयान

(٧٧٦) وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَمَّرَ أَرْضاً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»، رَوَاهُ البُخَارِيُّ. قَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ.

776. उरवा ؓ ने आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने ग़ैर आबाद ज़मीन को आबाद किया, वह उस ज़मीन का ज़्यादा हक़दार है" उरवा ؓ ने कहा कि उमर ؓ ने अपने दौरे ख़िलाफ़त में इसी पर फ़ैसला किया। (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि बेआबाद व बंजर ज़मीन को जो आबाद कर ले वह उसी की मिलकियत में आ जाती है, शर्त यह है कि वह किसी मुसलमान या ज़िम्मी की मिलकियत में न हो, उस में बादशाहे वक़्त की इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं, जमहूर उलमा की यही राय है।

(٧٧٧) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً. فَهِيَ لَهُ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلاً، وَهُوَ كَمَا قَالَ، واخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ، فَقِيلَ: جَابِرٌ، وَقِيلَ: عَائِشَةُ، وَقِيلَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَالرَّاجِحُ الأَوَّلُ.

777. सईद बिन ज़ैद ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने बेआबाद और बेकार पड़ी ज़मीन को ज़िन्दा किया वह उसी की मिलकियत है।" (इसे तीनों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने हसन कहा है और यह भी कहा है कि उसे मुरसल भी रिवायत किया गया है और वह उसी तरह है जिस तरह कहा है, इस हदीस के

सहाबी में इख़्तिलाफ़ है। एक क़ौल है कि वह जाबिर ﷺ हैं और कहा गया है कि वह आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा हैं और एक क़ौल यह भी है कि वह अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा है, मगर राजिह क़ौल पहला ही है)

फ़ायेदा:

इन दोनों अहादीस में ज़मीन को आबाद करने और उस में फ़सल बोने, बाग़ लगाने, पानी महफ़ूज़ करने के लिये कुआँ वग़ैरा खोदने की इजाज़त है कि जो कोई बेआबाद ज़मीन आबाद करेगा वह उसी की मिलकियत होगी, यानी कि इस्लाम में बेकार ज़मीन पड़ी रहने का तसव्वुर नहीं।

(٧٧٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

778. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि सअब बिन जस्सामा लैसी ﷺ ने उन को बताया कि नबी ﷺ ने फरमाया: "अल्लाह और उस के रसूल के सिवा किसी के लिये जायेज़ नहीं कि वह अपने लिये चरागाह मख़सूस कर ले।" (बुख़ारी)

(٧٧٩) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مُرْسَلٌ.

779. उन्ही (इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अपने भाई को ऐसा नुक़सान पहुँचाना कि उस के हक़ में कमी हो जाये और पहुँचायी गई तकलीफ़ और ज़रर से ज़्यादा ज़रर व नुक़सान पहुँचाना जायेज़ नहीं" (इसे अहमद, इब्ने माजा दोनों ने रिवायत किया है और इब्ने माजा में अबू सईद के हवाले से इसी तरह की हदीस मनक़ूल है और वही हदीस मुवत्ता में मुरसल है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में एक ज़र्री उसूल बयान हुआ, वह यह कि न किसी को ज़रर पहुँचाओ और न ज़रर का ख़ुद शिकार बनो, यानी कि किसी को बिला वजह ज़रर व तक़लीफ़ में डालना एक मुसलमान के शायान शान नहीं, जब किसी को ख़ुद तक़लीफ़ देगा तो ज़ाहिर है मुख़ालिफ़ भी

उसे तकलीफ़ देने की कोशिश करेगा तो उस ने ख़ुद अपने आप को तकलीफ़ और ज़रर का निशाना व हदफ़ बनाया, यह बात वाज़िह रहनी चाहिये कि हुदूद इलाहिया का निफ़ाज़ व इजरा इस हदीस के ज़िम्न में नहीं आता, इसलिये कि वह अम्र इलाही की तामील है न कि अपने वहम व गुमान की पैरवी।

(٧٨٠) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطاً عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ.

780. समुरा बिन जुन्दुब ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने ग़ैर ममलूका ज़मीन के इर्द-गिर्द दीवार बना ली, उतनी ज़मीन उसी की मिलकियत है" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने जारूद ने इसे सहीह कहा है)

(٧٨١) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِئْراً فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً، عَطَناً لِمَاشِيَتِهِ». رَوَاهُ ابنُ مَاجَه بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

781. अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी कहीं कुआँ खोदे तो वहाँ माल मवेशी बाँधने के लिये चालीस हाथ ज़मीन उस की है" (इसे इब्ने माजा ने कमज़ोर सनद से रिवायत किया है)

(٧٨٢) وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضاً بِحَضْرَمَوتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

782. अलक़मा बिन वायेल ने अपने बाप वायेल ﷺ से रिवायत बयान की है कि नबी ﷺ ने उन को हज़्र मौत में ज़मीन बतौर जागीर अता फ़रमायी। (इसे अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(٧٨٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ، فَقَالَ أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

783. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने ज़ुबैर ﷺ को उस के घोड़े की दौड़ के बराबर ज़मीन जागीर के तौर पर इनायत फ़रमाई, जब उन का घोड़ा ठहर गया तो उन्होंने अपना कोड़ा आगे फेंक दिया, आप ﷺ ने फ़रमाया: "जहाँ तक कोड़ा गिरा वहाँ तक ज़ुबैर की ज़मीन है।" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है मगर इस में कमज़ोरी है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि सरबराह के लिये किसी आदमी को उस की मख़सूस मिल्ली, दीनी ख़िदमात के एतिराफ़ के तौर पर सिला में जागीर देना जायेज़ है, हाँ यह शर्त है कि ज़मीन किसी दूसरे की मिलकियत में न हो।

(٧٨٤) وَعَنْ رَجُلٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاسُ شُرَكَآءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الكَلإِ وَالمَآءِ وَالنَّارِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

784. एक सहाबी से रिवायत है कि मैं नबी ﷺ के साथ एक ग़ज़वा में शरीक़ था कि मैंने आप ﷺ को इरशाद फ़रमाते सुना: "तीन चीज़े ऐसी है जिन में सब हिस्सेदार हैं, घास, पानी और आग।" (अहमद और अबू दाउद, इस के रावी सिक़ा है)

17. वक़्फ़ का बयान

١٧ - بَابُ الوَقْفِ

(٧٨٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ، إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

785. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब इन्सान मर जाता है तो उस का अमल ख़त्म हो जाता है, मगर तीन अमल ऐसे हैं जिन का अज्र व सवाब उसे मरने के बाद भी मिलता रहता है, सदक़ा जारिया, इल्म जिस से फ़ायेदा उठाया जाता हो और नेक औलाद जो मरने वाले के लिये दुआ करे।"

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि मरने के बाद भी मरने वाले को कुछ आमाल का सवाब पहुँचता है, इस हदीस में तीन चीज़ों का ज़िक्र है सदक़ा जारिया, ऐसा सदक़ा जिस को अवाम की भलाई के लिये वक़्फ़ कर दिया जाये, मिसाल के तौर पर सराय तामीर करना, कुआँ, नल वग़ैरा लगवाना, मस्जिद बनवाना, कोई अस्पताल बनवाना, पुल, सड़क बनवाना उन में से जो काम भी वह अपनी ज़िन्दगी में कर जाये या उस के करने का इरादा रखता हो, वह सब सदक़ा जारिया शुमार होंगे। इल्म में लोगों को दीनी तालीम देना और दिलवाना, तलबा के तालीमी इख़राजात बरदाश्त करना, तसनीफ़ व तालीफ़ और दर्स व तदरीस का सिलसिला क़ायेम कर जाना, मदरसा बनवाना, दीनी किताब की नश्र व इशाअत का बंदोबस्त करना वग़ैरा। नेक औलाद में बेटा, बेटी, पोता, पोती, नवासा और नवासी वग़ैरा के अलावा रूहानी औलाद भी शामिल हो सकती है, जिसे इल्मे दीन से अरासता किया हो, उन को राहे रास्त और सिराते मुस्तक़ीम की रौशनी दिखाई और हमेशा हमेशा के अज़ाब में गिरफ़्तार होने से बचा लिया, नेक औलाद मरने वाले को अपने

नेक अमल के ज़रिये और नमाज़ों में दुआवों में याद रखती है, उस के लिये गुनाहों की माफ़ी और दरजात की बुलन्दी की दुआ करती है।

(٧٨٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ، وَفِي القُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ صَدِيقاً غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالاً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِّلْبُخَارِيِّ: تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا: لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، وَلٰكِن يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.

786. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि (मेरे बाप) उमर ﷺ को ख़ैबर के इलाक़े में ज़मीन मिली थी, (मेरे बाप) उमर ﷺ नबी ﷺ की ख़िदमत में मशविरा लेने के लिये हाज़िर हुये और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मुझे ख़ैबर में कुछ ज़मीन मिली है, ऐसी नफ़ीस व क़ीमती कि उस से पहले कभी भी ऐसी ज़मीन मुझे नहीं मिली, मैं इसे सदक़ा करना चाहता हूँ, आप ﷺ ने फ़रमाया: "अगर चाहो तो असल को अपने पास रोक लो और उस की पैदावार सदक़ा कर दो" रावी का बयान है कि उमर ﷺ ने उस ज़मीन को फ़कीरों, क़राबतदारों, गुलामों को आज़ाद करने में और अल्लाह की राह में राह चलते मुसाफ़िरों और मेहमानों की मेहमाननवाज़ी के लिये वक़्फ़ कर दिया और वसीयत कर दी कि उस का मुन्तज़िम व निगहबान मारूफ़ तरीक़े के मुताबिक़ खुद भी खा सकता है और अहबाब व रुफ़क़ा को भी खिला सकता है, मगर माल को ज़ख़ीरा बना कर न रखे। (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं) और बुख़ारी की रिवायत में है कि उस के असल को सदक़ा कर दिया यानी वक़्फ़ कर दिया जो न बेचा जायेगा और न हिबा किया जायेगा, लेकिन उस की पैदावार अल्लाह की राह में ख़र्च की जायेगी।

फ़ायेदा:

इस हदीस में वक़्फ़ करने और फिर उसे आगे बेचने और हिबा करने से मना फ़रमाया, यानी जो चीज़ वक़्फ़ कर दी जाये उसे फिर बेचा नहीं जा सकता और न उसे हिबा ही किया जा सकता है।

(٧٨٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، اَلْحَدِيثَ، وَفِيهِ «فَأَمَّا خَالِدٌ، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

787. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने उमर ﷺ को सदक़ात वसूली पर मुक़र्रर फ़रमा कर भेजा, (अल हदीस) और उस में है कि "रहा ख़ालिद (ﷺ) तो उस ने अपनी तमाम ज़िरहें अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ कर दी हैं।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

١٨ - بَابُ الْهِبَةِ وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى

18. हिबा, उमरा और रुक़्बा का बयान

(٧٨٨) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ٱبْنِي هٰذَا غُلَاماً كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَه مِثْلَ هٰذَا؟ فَقَالَ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَأَرْجِعْهُ». وَفِي لَفْظٍ: فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ: «أَفَعَلْتَ هٰذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللّٰهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: فَأَشْهِدْ عَلَى هٰذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى. قال: «فَلَا إِذَنْ».

788. नोमान बिन बशीर ﷺ से रिवायत है कि उन के बाप उन को रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में लाये और अर्ज़ किया कि मैंने अपना ज़ाती गुलाम अपने इस बेटे को हिबा कर दिया है, रसूलुल्लाह ﷺ ने उस से पूछा "क्या तूने अपनी सारी औलाद को इसी तरह (गुलाम) हिबा किया है?" उस ने कहा नहीं, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तो फिर इसे वापस कर लो" और एक रिवायत के अलफ़ाज़ हैं कि मेरे बाप नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुये कि मेरे हिबा पर आप ﷺ को गवाह बनायें, आप ﷺ ने उस से पूछा "क्या तूने ऐसा अपनी सारी औलाद के साथ किया है?" उस ने जवाब दिया कि नहीं, आप ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के बीच अदल व इन्साफ़ करो" चुनाँचि मेरे बाप ने वह हिबा वापस कर लिया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया तो फिर मेरे सिवा इस पर किसी और को गवाह बना लो, फिर आप ﷺ ने फ़रमाया: "क्या तुझे यह पसन्द

नहीं है कि तेरी सारी औलाद तेरे साथ यक्साँ भलाई का सुलूक करे?'' वह बोला क्यों नहीं! आप ﷺ ने फ़रमाया: ''फिर तू ऐसा मत कर।''

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि औलाद में अतियात की बराबर तक़सीम वाजिब है।

789. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: ''हिबा करके उसे वापस लेने वाला उस कुत्ते की तरह है जो ख़ुद क़ै करता है और फिर उसे खा लेता है'' (बुख़ारी, मुस्लिम) और बुख़ारी की एक रिवायत में है कि ''हमारे लिये इस से बुरी मिसाल और कोई नहीं कि जो आदमी अपने हिबा को देकर वापस लेता है वह उस कुत्ते की तरह है जो ख़ुद ही क़ै करता है और फिर उस की तरफ़ रुजूअ करता है।''

(٧٨٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ».

790. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा और इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: ''किसी मुस्लिम मर्द के लिये हलाल नहीं है कि अतिया देकर वापस ले, सिर्फ़ बाप के कि वह अपनी औलाद को दिये गये अतिया को वापस ले सकता है'' (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने सहीह कहा है)

(٧٩٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ العَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

फ़ायेदा:

अतियात देना इस्लामी मुआशरे में मुहब्बतों, मुवद्दत की अलामत है, तुहफ़ा तहायेफ़ आपस में देने चाहियें, देकर वापस लेना सिर्फ़ बाप के सिवा बाक़ी के लिये जायेज़ नहीं।

791. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ हदिया व तुहफ़ा क़बूल फ़रमा लेते थे और उस के बदला में कुछ एनायत भी फ़रमाया करते थे। (बुख़ारी)

(٧٩١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْبَلُ الهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عَلَيْهَا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित होता है कि तुहफ़ा क़बूल करना और उस का बदला देना सुन्नते रसूल ﷺ है।

(٧٩٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ نَاقَةً، فَأَثَابَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لَا، فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: لَا، فَزَادَهُ، فَقَالَ: رَضِيتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

792. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह ﷺ को एक ऊँटनी हिबा की, आप ﷺ ने उस आदमी को कुछ हदिया दिया और पूछा "क्या तू राज़ी है?" उस ने जवाब दिया, नहीं, फिर कुछ और देकर पूछा कि "अब तू ख़ुश है?" उस ने फिर यही कहा कि नहीं, फिर आप ﷺ ने उसे और देकर पूछा "अब तू राज़ी है" बोला हाँ! (इसे अहमद ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि तुहफ़ा क़बूल करना और उस के बदले में कोई चीज़ देना जायेज़ है।

(٧٩٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

793. जाबिर ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उमरा उसी का है जिसे हिबा किया गया है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَلِمُسْلِمٍ: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى، فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا، حَيًّا وَمَيِّتاً، وَلِعَقِبِهِ.

और मुस्लिम की रिवायत में है कि "तुम अपने अमवाल को अपने पास महफ़ूज़ रखो, उन को ज़ाया न करो, जिस आदमी ने किसी को उमरा किया, उमरा उसी का है जिसे हिबा किया गया, ज़िन्दगी में भी और मौत के बाद भी, और उस की मौत के बाद उस के वारिसों के लिये है।"

وَفِي لَفْظٍ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَن يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.

एक और रिवायत के अलफ़ाज़ हैं जिस उमरा को रसूलुल्लाह ﷺ ने जायेज़ रखा है वह यह है कि उमरा देने वाला यह अलफ़ाज़ कहे कि तेरे लिये है और तेरे बाद तेरी औलाद के लिये है, लेकिन जब यह कहे कि जब तक तू ज़िन्दा है उस वक़्त तक तेरे लिये है, तो वह अपने देने वाले की तरफ़ पलट जायेगा।

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: لَا تُرْقِبُوا، وَلَا تُعْمِرُوا، فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئاً، أَوْ أُعْمِرَ شَيْئاً، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.

अबू दाउद और नसाई की रिवायत में है कि "तुम न रुक़बा करो और न उमरा, और जिस ने कोई चीज़ रुक़बा की या उमरा में दी तो वह उस के वारिसों के लिये है।"

(٧٩٤) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ» اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

794. उमर ﷺ से रिवायत है कि मैंने एक घोड़ा अल्लाह के रास्ता में एक आदमी को सवारी के लिये दिया, उस ने उसे नाकारा कर दिया, मैंने ख़्याल किया कि वह उसे सस्ते दामों बेचने वाला है, मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा कि क्या मैं उसे ख़रीद सकता हूँ? आप ﷺ ने फ़रमाया: "तुम्हें अगर यह घोड़ा एक दिरहम के बदले भी दे तब भी न ख़रीदो" "अल हदीस" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि ख़ैरात व सदक़ा में दी हुई चीज़ क़ीमतन भी वापस नहीं लेनी चाहिये, कुछ उलमा ने इसे ख़रीदना हराम ठहराया है लेकिन जमहूर उलमा कहते हैं कि यह नही तन्ज़ीही है।

(٧٩٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تَهَادُوا تَحَابُّوا». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَدِ، وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

795. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "आपस में एक दूसरे को हदिया दिया करो, उस से आपस में मुहब्बत पैदा होती है" (इसे बुख़ारी ने अलअदबुल-मुफ़रद में रिवायत किया है और अबू याला ने हसन सनद से नक़ल किया है)

फ़ायेदा:

एक दूसरे को तुहफ़ा देना आपस में मुहब्बत का सबब है, इस्लाम मुहब्बत व मुवद्दत का अलमबरदार है अदावत व दुश्मनी का उस में कोई तसव्वुर नहीं।

(٧٩٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَهَادُوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ». رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

796. अनस ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुहफ़े तहायेफ़ का आपस में तबादला किया करो, क्योंकि यह हदिया बुग़्ज़ व कीना को निकाल देता है" (इसे बज़्ज़ार ने कमज़ोर सनद से रिवायत किया है)

797. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऐ मुसलमान औरतो! कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन के लिये हदिया भेजने को हक़ीर हरगिज़ न समझे, चाहे वह हदिया बकरी का खुर ही क्यों न हो" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٧٩٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

798. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी कोई चीज़ हिबा करे वही उस का ज़्यादा हक़दार है जबकि उस का बदला न दिया जाये" (इसे हाकिम ने रिवायत किया है और इसे सहीह कहा है और सहीह यह है कि इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा के हवाले से यह उमर ﷺ का क़ौल है)

(٧٩٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا». رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، وَالمَحْفُوظُ مِن رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ.

19. गिरी पड़ी चीज़ का बयान

١٩ - بَابُ اللُّقَطَةِ

799. अनस ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ का गुज़र रास्ता में गिरी पड़ी एक खजूर पर हुआ तो उसे देख कर फ़रमाया: "अगर मुझे इस का अन्देशा न होता कि शायद यह सदक़ा की हो तो मैं इसे ज़रूर खा लेता" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٧٩٩) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ: «لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात पर दलील है कि रास्ते में गिरी पड़ी चीज़ अगर मामूली सी हो तो उस से फ़ायेदा लेना जायेज़ है और उसे उठाने वाले के लिये उस का एलान करते रहना भी ज़रूरी नहीं, बेध्यान और ग़फ़लत में गिरी हुई चीज़ की तीन क़िस्में हैं एक यह कि वह चीज़ बिल्कुल मामूली सी हो और खाने के काम आने वाली हो, उस के बारे में शरई हुक्म यह है कि उसे उठा कर साफ़ करके बिस्मिल्लाह पढ़ कर खा लिया जाये। दूसरी यह कि वह चीज़ हो तो मामूली क़िस्म की मगर खाने के काम आने वाली न हो तो उस को तीन दिन तक लोगों के इजतिमाअ में एलान करता रहे, मिसाल के तौर पर मामूली चाक़ू, छुरी और छड़ी जैसी क़िस्म की चीज़ या चाबुक वग़ैरा। तीसरी यह कि वह चीज़ क़ीमती हो उस के बारे में इरशाद नबवी है कि उस का साल भर तक एलान कराये।

800. ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी ﷺ से रिवायत है कि एक आदमी नबी ﷺ की ख़िदमत में आया और उस ने गिरी पड़ी चीज़ के बारे में पूछा, आप ﷺ ने फ़रमाया: "उस का डाट और तसमा ख़ूब पहचान कर रखो, साल भर उस का एलान करते रहो, फिर अगर उस का असल मालिक आ जाये तो उस के सिपुर्द कर दो वर्ना जो चाहो करो" फिर उस ने गुम हुई बकरियों के बारे में सवाल किया, आप ﷺ ने फ़रमाया: "वह तेरी है या तेरे भाई की या भेड़िये की" फिर उस ने गुम हुये ऊँट के बारे में पूछा, आप ﷺ ने फ़रमाया: "तुझे उस से क्या सरोकार (ग़र्ज़), उस का पानी उस के जूते के पास है, घाट पर आकर पानी पी लेगा, पेड़ों के पत्ते खा लेगा, यहाँ तक कि उस का मालिक उस के पास पहुँच जायेगा।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٨٠٠) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَآءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَآءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا»، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ وَمعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَآءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

801. उन्ही (ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने खोई हुई चीज़ को अपने यहाँ पनाह दी और उस का एलान न किया तो वह ख़ुद गुमराह है।" (मुस्लिम)

(٨٠١) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में यह तंबीह है कि अगर कोई आदमी गिरी पड़ी चीज़ को एलान करने के लिये उठाये या इस नीयत से उठाये कि शायद ऐसे आदमी के हाथ न लग जाये जो उस का एलान ही न करे और ख़ुद ही हड़प कर जाये तो उसे उठाने में कोई हर्ज नहीं।

802. एयाज़ बिन हिमार ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी को कोई खोई हुई चीज़ कहीं गिरी पड़ी मिले तो उसे चाहिये कि दो ईमानदार आदमियों को उस पर गवाह बना ले और ख़ुद उस के डाट

(٨٠٢) وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلٍ، وَلْيَحْفَظْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ لَا يَكْتُمْ، وَلَا يُغَيِّبْ، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلَّا

फ़हु व मालुल्लाह — فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ.

और सरबन्द को खूब याद रखे और फिर उसे छिपाने और ग़ायेब करने की कोशिश न करे, फिर अगर उस चीज़ का असल मालिक आ जाये तो वही उस का ज़्यादा हक़दार है, अगर न आये तो वह अल्लाह का माल है वह जिसे चाहता है एनायत फ़रमा देता है।" (इसे अहमद और तिर्मिज़ी के अलावा चारों ने रिवायत किया है और इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने जारूद और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि गिरी पड़ी चीज़ जब मिले उस वक़्त भी और जब मालिक के हवाले करे उस वक़्त भी गवाह बनाना वाजिब है मगर इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मुस्तहब है।

(٨٠٣) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الحَاجِّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

803. अब्दुर्रहमान बिन उस्मान तैमी ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने हाजियों की गिरी पड़ी चीज़ को उठाने से मना फ़रमाया है। (मुस्लिम)

(٨٠٤) وَعَنِ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا لَا يَحِلُّ ذُو نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَلَا الحِمَارُ الأَهْلِيُّ، وَلَا اللُّقَطَةُ مِنْ مَالِ مُعَاهِدٍ، إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

804. मिक़दाम बिन मादीकरिब ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सुन लो! दरिंदों में से कुचलियो वाला जानवर हलाल नहीं और न ही घरेलू गद्हा और ज़िम्मी की गुमशुदा (खोई हुई) गिरी पड़ी चीज़ उठाना भी हलाल नहीं है, इल्ला यह कि मालिक के नज़दीक उस की ख़ास अहमियत व ज़रूरत न हो।" (अबू दाउद)

फ़ायेदा:

मुआहिद चूँकि इस्लामी सलतनत में बाक़ायेदा इजाज़त लेकर आता है और पुरअमन रहता है, इसीलिये उस के माल व जान की ज़िम्मेदारी इस्लामी हुकूमत पर होती है, इसलिये उस के माल और मुसलमान की गिरी पड़ी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं रखा गया, अलबत्ता अगर उर्फ़ आम में कोई मामूली चीज़ हो तो उस की इजाज़त है।

20. फ़रायेज़ (वरासत) का बयान

٢٠ - بَابُ الفَرَآئِضِ

805. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "शरीअत के मुक़र्रर करदा हिस्से उन के हक़दार हिस्सेदारों को अदा कर दो और फिर जो कुछ बाक़ी बच जाये उसे सब से क़रीबी मर्द वारिस को दे दो।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٨٠٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

806. उसामा बिन ज़ैद रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "मुसलमान काफ़िर का वारिस नहीं होगा और न ही काफ़िर मुसलमान का वारिस होगा।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٨٠٦) وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि कोई मुसलमान अपने मरने वाले किसी काफ़िर अज़ीज़ का वारिस नहीं हो सकता और इसी तरह कोई काफ़िर अपने मुसलमान रिश्तेदार का वारिस नहीं हो सकता।

807. इब्ने मसउद ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बेटी, पोती और बहन की मौजूदगी में फ़ैसला फ़रमाया कि दो तिहाई पूरा करने के लिये बेटी को आधा तरका और पोती के लिये छठा हिस्सा होगा, फिर जो कुछ बाक़ी बचे वह बहन का। (बुख़ारी)

(٨٠٧) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فِي بِنْتٍ، وَبِنْتِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ، فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ «لِلابْنَةِ النِّصْفُ، وَلابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ، تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

808. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "दो अलग अलग दीन के मानने वाले एक दूसरे के वारिस नहीं हो सकते।" (इसे अहमद और तिर्मिज़ी के अलावा चारों ने रिवायत किया है, और हाकिम ने इसे इन अलफ़ाज़ से नक़ल किया है जो उसामा की हदीस के हैं और नसाई ने उसामा की हदीस

(٨٠٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ بِلَفْظِ أُسَامَةَ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ حَدِيثَ أُسَامَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ.

को इन अलफ़ाज़ से बयान किया है, "यानी जो इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की हदीस के हैं)

(٨٠٩) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِي، مَاتَ، فَمَا لِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ فَقَالَ: لَكَ السُّدُسُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ، وَقِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

809. इमरान बिन हुसैन रज़ि अल्लाह رضي الله عنه से रिवायत है कि एक आदमी नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मेरा पोता मर गया है, उस के तरका मीरास में मेरा हिस्सा कितना है? आप ﷺ ने फ़रमाया: "तुझे छठा हिस्सा मिलेगा" फिर जब वह जाने लगा तो उसे आप ﷺ ने बुलाया और फ़रमाया: "तेरे लिये और छठाँ हिस्सा है" फिर जब वह जाने लगा तो उस को बुलाया और फ़रमाया: "आख़िरी छठा हिस्सा तेरे लिये रिज़्क़ है।" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने सहीह कहा है, और यह रिवायत हसन बसरी ने भी इमरान رضي الله عنه से रिवायत की है मगर यह कहा गया कि हसन बसरी का इमरान बिन हुसैन रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से सुनना ही साबित नहीं)

(٨١٠) وَعَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِلْجَدَّةِ السُّدُسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهَا أُمٌّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُودِ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَدِيٍّ.

810. इब्ने बुरैदा रज़ि अल्लाहु رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी ﷺ ने दादी के लिये छठा हिस्सा मुक़र्रर फ़रमाया जबकि बीच में उस की माँ न हो। (अबू दाउद और नसाई दोनों ने इसे रिवायत किया है और इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने जारूद ने सहीह कहा है और इब्ने अदी ने इसे मज़बूत कहा है)

(٨١١) وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، سِوَى التِّرْمِذِيِّ،

811. मिक़दाम बिन मादीकरिब رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मामू उस का वारिस होगा जिस का कोई वारिस ज़िन्दा न बचा हो।" (इस हदीस को

अहमद और चारों ने रिवायत किया है, सिवाय तिर्मिज़ी के, अबू ज़ुरआ राज़ी ने इसे हसन कहा, हाकिम और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

وَحَسَّنَهُ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस की रू से अगर ज़वुल-फुरूज़ वारिसों में से कोई ज़िन्दा न हो तो फिर मामूँ वारिस होगा।

812. अबू उमामा बिन सहल ؓ से रिवायत है कि उमर ؓ ने मेरे ज़रिया अबू उबैदा ؓ को लिखा कि रसूलुल्लाह ﷺ का इरशाद है "अल्लाह और उस का रसूल हर उस का मौला है जिस का कोई मौला न हो और जिस का कोई वारिस न हो मामू उस का वारिस है" (अहमद और चारों ने सिवाय अबू दाउद के रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

(٨١٢) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: كَتَبَ مَعِي عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، والخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

813. जाबिर ؓ से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जब पैदा होने वाला बच्चा आवाज़ निकाले तो वह वारिस क़रार पाता है।" (अबू दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(٨١٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وَرِثَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

814. अम्र बिन शुऐब अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "क़ातिल को मक़तूल की मीरास में से कुछ भी नहीं मिलता" (इसे नसाई और दार क़ुतनी ने रिवायत किया है और इब्ने अब्दुल बर ने इसे मज़बूत कहा है, मगर नसाई ने इसे मालूल कहा है, दरअसल यह रिवायत मौक़ूफ़ है यानी अम्र पर मौक़ूफ़ होना सहीह कहा गया है)

(٨١٤) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَأَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ، وَالصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَمْرٍو.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि क़ातिल मक्तूल की मीरास में से कुछ वसूल करने का हक़दार नहीं।

(٨١٥) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ أَوِ الْوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ.

815. उमर बिन ख़त्ताब ﷺ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इरशाद फ़रमाते सुना है "बाप या औलाद जो कुछ जमा करके अपने घर में लाये तो वह उस के असबा के लिये है चाहे असबा कोई भी हो" (इसे अबू दाउद, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है, इब्ने मदीनी और इब्ने अब्दुल बर ने इसे सहीह कहा है)

(٨١٦) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ». رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ.

816. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "वला का तअल्लुक़ नसब के तअल्लुक़ की तरह है जिसे न बेचा जा सकता है और न हिबा किया जा सकता है।" (इसे हाकिम ने बतरीक़ शाफई मुहम्मद बिन हसन से और उन्होंने अबू यूसुफ़ से रिवायत किया है, इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है और बैहक़ी ने इसे मालूल कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में वला को नसब के तअल्लुक़ से तशबीह दे कर यह बताया गया है कि उस को बेचा और ख़रीदा नहीं जा सकता और न ही हिबा और नज़र की जा सकती है, अरब समाज में लोग उसे बेच भी देते थे और हिबा और नज़र भी, रसूलुल्लाह ﷺ ने इसे ममनूअ क़रार दे दिया।

(٨١٧) وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْرَضُكُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ. وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.

817. अबू क़िलाबा ने अनस ﷺ से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से सब से ज़्यादा मीरास को जानने वाला ज़ैद बिन साबित रज़ि अल्लाहु अन्हुमा है" (इस हदीस को अहमद और चारों ने सिवाय अबू दाउद के रिवायत किया है, तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है लेकिन इसे मुरसल होने की बिना पर मालूल क़रार दिया गया है)

21. वसीयतों का बयान

٢١ - بَابُ الوَصَايَا

818. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमायाः "किसी मुसलमान को यह लायेक़ नहीं कि वह अपनी किसी चीज़ को वसीयत करने का इरादा रखता हो मगर दो रातें भी उसी हालत में गुज़ार दे कि इस के पास वसीयत तहरीरी शक्ल में मौजूद न हो।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٨١٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि वसीयत हर वक़्त तहरीरी शक्ल में मौजूद रहनी चाहिये, आयत मीरास के नुज़ूल से पहले वसीयत करना हर एक के लिये ज़रूरी और लाज़मी था, मगर जब मीरास की आयत नाज़िल हुई तो यह वसीयत ख़त्म हो गयी।

819. साद बिन अबी वक़्क़ास رضي الله عنه से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मैं मालदार आदमी हूँ और मेरी वारिस सिर्फ़ मेरी एक ही बेटी है, तो क्या मैं दो तिहाई माल को सदक़ा व ख़ैरात कर दूँ? आप ﷺ ने फ़रमायाः "नहीं" मैंने दोबारा अर्ज़ किया, क्या मैं अपने माल का आधा हिस्सा ख़ैरात कर दूँ? फ़रमायाः "नहीं" मैंने तीसरी बार अर्ज़ किया, तो क्या मैं तिहाई माल सदक़ा व ख़ैरात कर सकता हूँ? आप ﷺ ने फ़रमायाः "हाँ! मगर एक तिहाई भी बहुत है, तेरा अपने वारिसों को ग़नी छोड़ जाना इस से कहीं बेहतर है कि तू उन को मुहताज छोड़े और वह लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٨١٩) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: «لَا»، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: «اَلثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि साहिबे माल ज़्यादा से ज़्यादा अपने तिहाई माल के बारे में वसीयत कर सकता है उस से ज़्यादा नहीं।

(٨٢٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

820. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक आदमी नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरी माँ अचानक मर गई है और उस ने कोई वसीयत नहीं की, मेरा उस के बारे में ख़्याल है कि अगर वह कोई बातचीत करती तो सदक़ा (ज़रूर) करती, क्या उसे सवाब मिलेगा अगर मैं उस की तरफ़ से सदक़ा कर दूँ? आप ﷺ ने फ़रमाया: "हाँ" (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि माँ-बाप की वसीयत के बग़ैर भी औलाद की तरफ़ से सदक़ा का सवाब माँ-बाप को पहुँचता है और बग़ैर वसीयत सदक़ा करना भी जायेज़ है।

(٨٢١) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَوَّاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ فِي آخِرِهِ: «إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ»، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

821. अबू उमामा ﷺ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इरशाद फ़रमाते सुना "अल्लाह तआला ने हर हक़दार को उस का हक़ अता फ़रमा दिया है, इसलिए अब किसी वारिस के लिये कोई वसीयत नहीं।" (नसाई के अलावा इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है, अहमद और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है, इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने जारूद ने इसे मज़बूत कहा है) और दार कुतनी ने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की है और उस के आख़िर में इतना ज़्यादा भी किया है "सिर्फ़ यह कि उस के वारिस चाहें" (और इन की इस्नाद हसन है)

(٨٢٢) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ، زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ». رَوَاهُ

822. मुआज़ बिन जबल ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला ने तुम को मौत के वक़्त तिहाई माल का सदक़ा देने की इजाज़त दे कर तुम पर एहसान किया है

الدَّارَقُطْنِيُّ. وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، لٰكِن قَدْ تَقَوَّى بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ताकि तुम्हारी नेकियाँ ज़्यादा हो जायें।" (इसे दार क़ुतनी ने रिवायत किया है और अहमद और बज़्ज़ार ने अबू दरदा ﷺ के हवाले से इस हदीस को रिवायत किया है और इब्ने माजा ने अबू हुरैरा ﷺ के हवाले से, मगर सारी की सारी रिवायतें कमज़ोर (ज़ईफ़) है, इस के बावजूद कुछ, कुछ के लिये बाईसे तक़्वीयत हैं) वल्लाहु आलम

٢٢ - بَابُ الوَدِيعَةِ

22. वदीअत (अमानत) का बयान

(٨٢٣) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

823. अम्र बिन शुऐब ﷺ ने अपने बाप से, उन्होंने अपने दादा से रिवायत किया है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी के पास कोई चीज़ अमानत के तौर पर रखी जाये तो उस पर ज़मान (ज़िम्मेदारी) नहीं है।" (इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है, इस की सनद कमज़ोर है)

وَبَابُ قِسْمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الزَّكَاةِ، وَبَابُ قِسْمِ الفَيْءِ وَالغَنِيمَةِ يَأْتِي عَقِبَ الجِهَادِ إِنْ شَآءَ اللَّهُ تَعَالَى.

सदक़ात के बटवारे का बाब किताबुज़-ज़कात के आख़िर में गुज़र चुका है, माल फ़ै और माल ग़नीमत के बटवारे का बाब किताबुल जिहाद के आख़िर में आयेगा। (इन शा अल्लाह)

8- निकाह के मसायेल का बयान

٨ - كِتَابُ النِّكَاحِ

824. अब्दुल्लाह बिन मसउद ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें फ़रमाया: "ऐ नौजवानों की जमाअत! तुम में से जिसे निकाह करने की इस्तिताअत हो उसे निकाह करना चाहिये, क्योंकि निकाह निगाह को बचाने वाला और शर्मगाह को महफ़ूज़ रखने वाला है और जिसे उस की इस्तिताअत न हो उस के लिये रोज़े का एहितमाम व इल्तिज़ाम ज़रूरी है, इसलिये कि रोज़ा उस के लिये ढाल है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٨٢٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

825. अनस बिन मालिक ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने अल्लाह की हम्द व सना बयान की और फ़रमाया: "लेकिन मैं नमाज़ भी अदा करता हूँ, सोता भी हूँ, रोज़े भी रखता हूँ और छोड़ भी देता हूँ और मैं औरतों से निकाह भी करता हूँ, इसलिए जिस किसी ने मेरी सुन्नत से मुँह फेरा उस का मुझ से कोई तअल्लुक़ नहीं।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٨٢٥) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي، وَأَنَامُ، وَأَصُومُ، وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

826. उन्ही (अनस ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ हमेशा निकाह करने का हुक्म देते और तजर्रुद की ज़िन्दगी से सख़्ती से मना करते और फ़रमाते: "बहुत मुहब्बत करने वाली और चाहने वाली, बहुत बच्चे जनने वाली औरतों से निकाह करो, इसलिये कि मैं तुम्हारी कसरत की बदौलत क़ियामत के दिन दूसरे अम्बिया पर फ़ख़्र करने वाला हूँ।" (इसे अहमद ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है, और इस हदीस का एक गवाह अबू दाउद, नसाई और इब्ने

(٨٢٦) وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْياً شَدِيدًا، وَيَقُولُ: «تَزَوَّجُوا الوَلُودَ الوَدُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ أَيْضاً مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ.

हिब्बान में मअक़िल बिन यसार ﷺ से मरवी है)

(٨٢٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ.

827. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "औरत से निकाह चार असबाब और वजूहात की बिना पर किया जाता है, उस के माल की वजह से, उस के ख़ानदान की वजह से, उस के हुस्न व जमाल की वजह से और उस के दीन के बिना पर, पस तू दीनदार से ज़फ़रमंद हो, तेरे दोनों हाथ ख़ाक आलूद हों।" (बुख़ारी, मुस्लिम, और बाक़ी सातों ने भी इसे रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि शादी के लिये दीनदार औरत का इन्तिख़ाब करना चाहिये, किसी के माल व दौलत, किसी के हुस्न व जमाल पर फ़रेफ़ता नहीं होना चाहिये, क्योंकि औरत सिर्फ़ एक बीवी नहीं होगी, बच्चों की माँ भी होगी, ज़ाहिर है वह अपनी औलाद की परवरिश भी उसी वक़्त कर सकेगी जब ख़ुद नेक और दीनदार होगी।

(٨٢٨) وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَاناً، إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

828. उन्ही (अबू हुरैरा ﷺ) से मरवी है कि नबी ﷺ जब किसी आदमी को देखते कि उस ने शादी की है तो फ़रमाते: "अल्लाह तआला बरकत अता करे और तुझ पर बरकत नाज़िल फ़रमाये और तुम दोनों को भलाई व ख़ैर पर बाक़ी रखे।" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी, इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(٨٢٩) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ التَّشَهُّدَ فِي الحَاجَةِ «إِنَّ الحَمْدَ لِلهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ

829. अब्दुल्लाह बिन मसउद ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें हाजत व ज़रूरत में यह तशहहुद सिखाया: "सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिये हैं, हम उस की हम्द करते हैं और इसी से मदद के तलबगार हैं, और उसी से मग़फ़िरत व बख़्शिश माँगते हैं और अपने नफ़्सों के शर से अल्लाह की

وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ.

पनाह चाहते हैं, जिसे अल्लाह हिदायत से नवाज़े उसे फिर कोई गुमराह नहीं करने वाला, और जिसे अल्लाह ही गुमराह करे उसे फिर कोई हिदायत देने वाला नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उस के बंदे और रसूल हैं।" फिर तीन आयात तिलावत फ़रमायी। (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और हाकिम ने इसे हसन कहा है)

फ़ायेदा:

यह ख़ुतबा सिर्फ़ ख़ुतबा निकाह नहीं बल्कि यह ख़ुतबा रसूलुल्लाह ﷺ ने हर हाजत व ज़रूरत के लिये सिखाया है।

(٨٣٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ المُغِيرَةِ، وَعِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ.

830. जाबिर ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से जब कोई किसी औरत को निकाह का पैग़ाम दे, अगर मुमकिन हो तो उस को कुछ देख ले जो उस के लिये निकाह का बाइस हो।" (इसे अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है, और इस के रावी सिक़ा हैं और हाकिम ने इस को सहीह कहा है। तिर्मिज़ी और नसाई में मुग़ीरा की रिवायत इस के लिये दलील है, इब्ने माजा और इब्ने हिब्बान में मुहम्मद बिन मसलमा की रिवायत दलील है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मर्द को चाहिये कि जिस औरत से निकाह का इरादा रखता हो उसे ख़ुद एक बार देख ले, जमहूर के नज़दीक ऐसा करना मुस्तहब है लाज़मी और ज़रूरी नहीं, अगर किसी क़ाबिले एतबार अपनी रिश्तेदार औरत को भेज कर औरत के चेहरे के रंग व रूप, आदात व ख़सायेल का पता करा ले तब भी यह ठीक है, जैसाकि रसूलुल्लाह ﷺ ने उम्मे सुलैम को भेज कर एक औरत के बारे में मालूमात हासिल की थी।

(٨٣١) وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

831. मुस्लिम में अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है

اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ ٱمْرَأَةً: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «ٱذْهَبْ فَٱنْظُرْ إِلَيْهَا».

कि नबी ﷺ ने एक आदमी से जो शादी करना चाहता था फ़रमाया: "क्या तूने उसे देख लिया है?" उस ने कहा नहीं, आप ﷺ ने फ़रमाया: "जाओ और उसे देख लो।

(٨٣٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

832. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से कोई अपने भाई के पैग़ामे निकाह पर पैग़ामे निकाह न दे, यहाँ तक कि पैग़ामे निकाह देने वाला उस से पहले उसे ख़ुद से छोड़ दे या पैग़ामे निकाह देने वाला इजाज़त दे दे।" (बुख़ारी, मुस्लिम और यह बुख़ारी के शब्द हैं)

(٨٣٣) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتِ ٱمْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئاً جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ لَّمْ تَكُنْ لَّكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، قَالَ: «فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: «ٱذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَٱنْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئاً؟» فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئاً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ٱنْظُرْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ»، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَا خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ، وَلٰكِنْ هٰذَا إِزَارِي (– قَالَ سَهْلٌ: – مَالَهُ رِدَاءٌ –) فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا

833. सहल बिन साद साएदी ﷺ से मरवी है कि एक औरत रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अपने आप को आप ﷺ के लिये हिबा करने आई हूँ, रसूलुल्लाह ﷺ ने उसे एक नज़र देखा फिर नज़र ऊपर और नीचे करके ज़रा ग़ौर से देखा और अपना सर नीचा कर लिया, जब उस औरत ने देखा कि आप ﷺ ने उस बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया तो वह नीचे बैठ गई, उतने में एक सहाबी खड़े हुये और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! अगर इस औरत की आप ﷺ को ज़रूरत नहीं तो उस से मेरा निकाह कर दे, आप ﷺ ने उस से पूछा कि "तुम्हारे पास कोई चीज़ है?" उस ने कहा नहीं, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम कुछ भी नहीं, आप ﷺ ने फ़रमाया: "अपने घर जाओ और तलाश करो, शायद कोई चीज़ तुझे मिलती है?" वह चला गया और फिर वापस आकर कहने लगा, अल्लाह की क़सम मुझे कोई

تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْه شَيْءٌ، وَإِنْ لبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْه شَيْءٌ»، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُوَلِّياً فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ به، فَلَمَّا جَاءَ، قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: مَعِيَ سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ». وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «أَمْلَكْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ».

चीज़ नहीं मिली, रसूलुल्लाह ﷺ ने फिर फ़रमाया: "तलाश करो चाहे लोहे की अंगूठी ही क्यों न हो" वह आदमी फिर गया और वापस आकर कहने लगा या रसूलुल्लाह! अल्लाह की क़सम लोहे की अंगूठी तक भी मुयस्सर नहीं, लेकिन मेरा यह एक तहबन्द है, (सहल ؓ ने कहा कि उस के ऊपर की चादर न थी) आधा हिस्सा मैं उसे दे दूँगा। रसूलुल्लाह ﷺ ने इस पेशकश को नामंजूर करते हुये फ़रमाया: "वह औरत तेरे इस तहबन्द को क्या करेगी? अगर तू उसे पहनेगा तो उस के लिये क्या बचेगा, और अगर वह उसे पहनेगी तो फिर तेरे लिये उस में से कुछ भी नहीं होगा" यह सुन कर वह आदमी नीचे बैठ गया और काफ़ी देर तक बैठा रहा, आख़िर में वह उठ कर खड़ा हुआ और पीठ फेर कर जाते हुये उसे रसूलुल्लाह ﷺ ने देख लिया, आप ﷺ ने उसे वापस बुलाने का हुक्म दिया, जब वह वापस आ गया तो आप ﷺ ने उस से पूछा "तुझे कितना कुरआन याद है?" उस ने उसे गिन कर बताया कि फ़लाँ फ़लाँ सूरत याद है, आप ﷺ ने पूछा "तुम उन को ज़बानी पढ़ सकते हो?" वह बोला जी हाँ! आप ﷺ ने फ़रमाया: "जा मैंने तुझे उस का मालिक बना दिया, इस कुरआन के बदले जो तुझे याद है" (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं) और एक रिवायत में है "जा मैंने उसे तेरी ज़ौजियत में दे दिया, सिर्फ़ तू उसे कुरआन सिखा दो" और बुख़ारी में है "हम ने तुझे उस का मालिक बना दिया, उस कुरआन के बदले जो तुझे याद है।"

और अबू दाऊद में अबू हुरैरा ؓ से मरवी है कि आप ﷺ ने पूछा "कितना कुछ कुरआन ज़ुबानी याद है?" वह बोला सूरतल बक़रा और उस के साथ वाली सूरत (आल इमरान) आप ﷺ ने फ़रमाया: "उठो और उसे बीस आयतें सिखा दो।"

وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: مَا تَحْفَظُ؟ قَالَ: سُورَةَ البَقَرَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَ: «فَقُمْ، فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً».

834. आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने अपने बाप से बयान किया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "निकाह का एलान करो" (इसे अहमद ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٨٣٤) وَعَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि निकाह अलल एलान किया जाना चाहिये, खुफ़िया या छुपे तौर से नहीं, इसलिये कि मियाँ बीवी के तअल्लुक़ात पर किसी को उंगुली उठाने का मौक़ा नहीं मिलता।

835. अबू बुरदा ने अबू मूसा से और अबू मूसा ने अपने बाप से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "वली और सरपरस्त के बग़ैर निकाह नहीं होता" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है, इमाम इब्ने मदीनी, तिर्मिज़ी और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है और मुरसल होने की वजह से उसे मालूल कहा गया है)

(٨٣٥) وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عن أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ المَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.

और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने हसन से और उन्होंने इमरान बिन हुसैन ؓ से मरफ़ूअ रिवायत बयान की है कि "निकाह वली व सरपरस्त और दो गवाहों के बग़ैर नहीं होता।"

[وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنِ مَرْفُوعاً: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ].

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं होता, इस हदीस को तीस के

क़रीब सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम ने रिवायत किया है और इस के कुछ तुरुक़ सहीह हैं और कुछ कमज़ोर हैं, जमहूर उलमा की भी यही राय है कि वली और दो गवाहों के बग़ैर निकाह नहीं होता, वली से मुराद बाप है, बाप की ग़ैर मौजूदगी में दादा फिर भाई फिर चचा है, अगर कोई भी वली न हो तो हदीस में है कि सरबराहे ममलकत उस का वली है और अगर दोनों वली बराबर हैसियत के हों और उन में इख़्तिलाफ़ हो जाये तो ऐसी सूरत में हाकिम वली होगा।

(٨٣٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

836. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी औरत ने अपने वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह किया, उस का निकाह बातिल है, फिर अगर शौहर ने उस से मुबाशरत की है तो उस औरत के लिये हक़्क़े महर है, उस की शर्मगाह को हलाल करने के बदले में, फिर अगर औलिया में झगड़ा हो जाये तो फिर जिस का कोई वली नहीं उस का वली हाकिमे वक़्त है।" (नसाई के अलावा इसे चारों ने रिवायत किया है, इसे अबू अवाना, इब्ने हिब्बान और हाकिम तीनों ने सहीह कहा है)

(٨٣٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

837. अबू हुरैरा ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बेवा औरत का निकाह उस से मशविरा लिये बग़ैर न किया जाये और कुँवारी का निकाह उस से इजाज़त लिये बग़ैर न किया जाये" उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ﷺ! उस की इजाज़त कैसे है? फ़रमाया: "उस का ख़ामोश रहना।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हो रहा है कि शरीअत की नज़र में मर्द और औरत की बहुत अहमियत है, और औरत जिसे समाज में कोई ख़ास मक़ाम नहीं दिया जाता था उसे पसती से उठा कर बुलन्द मक़ाम पर पहुँचाया है, उस की अहमियत को दोबाला किया है।

(٨٣٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

838. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से

تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "शौहर दीदा औरत अपने दोबारा निकाह के बारे में अपने वली के मुक़ाबिल ख़ुद ज़्यादा हक़ रखती है और कुंवारी से इजाज़त ली जायेगी और उस की इजाज़त उस की ख़ामोशी है।" (मुस्लिम)

وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

और एक रिवायत में है कि "शौहर दीदा औरत के बारे में वली का कोई इख़्तियार नहीं, और यतीम बच्चियों से भी मशविरा लिया जाये।" (इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

जमहूर उलमा के मज़हब की रौशनी में हदीस का मतलब साफ़ है कि अगर वली उस के निकाह का इरादा करता है और वह औरत वहाँ नहीं करना चाहती तो उसे मजबूर नहीं किया जायेगा और अगर औरत कहीं निकाह करना चाहती है और वली उसे रोकता है तो वली को मजबूर किया जायेगा कि औरत के फ़ैसले का एहतिराम करे, फिर अगर औलिया निकाह रोकने पर इसरार करे तो वली का हक़ विलायत साक़ित हो जायेगा और क़ाज़ी उस का निकाह कर देगा, यह बात इस की दलील है कि औरत का हक़ निहायत ही मुवक्कद और क़ाबिले तरजीह है।

(٨٣٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

839. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "न कोई औरत दूसरी औरत का (वली बन कर) निकाह करे और न ख़ुद अपना निकाह करे।" (इसे इब्ने माजा और दार क़ुतनी ने रिवायत किया है, इस के तमाम रावी सिक़ा है)

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात की दलील है कि औरत न दूसरी किसी औरत की वली बन सकती है और न ख़ुद अपनी वली बन कर अपना निकाह कर सकती है।

(٨٤٠) وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ

840. नाफ़िअ़ ने इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि नबी ﷺ ने शिग़ार से मना किया है और शिग़ार की

الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَىٰ أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ.

तारीफ़ यह है कि एक आदमी अपनी बेटी दूसरे आदमी से इस शर्त पर बयाह दे कि वह अपनी बेटी उस से बयाह देगा और दोनों का कोई महर मुक़र्रर न हो। (बुख़ारी, मुस्लिम) और बुख़ारी व मुस्लिम दोनों इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि शिग़ार की यह तारीफ़ नाफ़िअ की बयान की हुई है।

(٨٤١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ جَارِيَةً بِكْراً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.

841. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक कुंवारी लड़की नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुई और उस ने बताया कि उस के बाप ने उस का निकाह कर दिया है जबकि उसे नापसन्द था (यह सुन कर) नबी ﷺ ने उस लड़की को इख़्तियार दे दिया। (इसे अहमद, अबू दाउद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इस हदीस को मुरसल होने की बिना पर मालूल कहा गया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि बाप वली है, बग़ैर इजाज़त लिये वह निकाह तो कर सकता है मगर ऐसे निकाह में उस लड़की को शरअन इख़्तियार हासिल है कि वह अगर उस निकाह से नाख़ुश हो तो फ़स्ख़ करने की मजाज है।

(٨٤٢) وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

842. हसन ؓ, समुरा ؓ से नबी ﷺ का इरशाद बयान करते हैं "जिस औरत का निकाह दो वली कर दें तो वह औरत पहले शौहर की है" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने हसन कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि एक औरत के दो वली जब दो मुख़तलिफ़ आदमियों में से मुख़तलिफ़ अवक़ात में निकाह कर दें तो वह औरत उस आदमी की बीवी होगी जिस से पहले निकाह किया गया हो, और दूसरा निकाह ख़ुद से बातिल क़रार पायेगा, क्योंकि शरीअत ने निकाह पर निकाह को नाजायेज़ क़रार दिया है और अगर दोनों निकाह एक ही वक़्त किये जायें तो दोनों बातिल क़रार पायेंगे कोई भी सहीह नहीं होगा, इस में किसी का इख़्तेाफ़ नहीं।

843. जाबिर ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस ग़ुलाम ने अपने मालिकों और अपने अहल की इजाज़त के बग़ैर निकाह किया वह ज़ानी है" (इसे अहमद, अबू दाउद, नसाई और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है और इसी तरह इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(٨٤٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَأَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَكَذٰلِكَ ابْنُ حِبَّانَ.

844. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "एक मर्द के निकाह में फूफी और भतीजी और ख़ाला व भाँजी को जमा न किया जाये।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٨٤٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

845. उस्मान ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "एहराम वाला आदमी न ख़ुद अपना निकाह करे और न किसी दूसरे का निकाह कराये।" (मुस्लिम)
और मुस्लिम की एक रिवायत में है "और न वह निकाह का पैग़ाम दे" और इब्ने हिब्बान ने इतना इज़ाफ़ा किया है: "न ही उस के निकाह के पैग़ाम पर निकाह का पैग़ाम दिया जाये।

(٨٤٥) وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَا يَخْطُبُ». زَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ».

846. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी ﷺ ने जब मैमूना (रज़ि अल्लाहु अन्हा) से निकाह किया तो उस वक़्त आप ﷺ एहराम की हालत में थे। (बुख़ारी, मुस्लिम) और मुस्लिम में मैमूना रज़ि अल्लाहु अन्हा का अपना बयान है कि नबी ﷺ ने उन से निकाह किया तो उस वक़्त आप ﷺ हलाल थे।

(٨٤٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.

847. उक़्बा बिन आमिर ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "वह शर्त पूरा किये जाने का ज़्यादा हक़ रखती है जिस

(٨٤٧) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ

أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

के ज़रिया तुम ने औरतों की शर्मगाहों को अपने लिये हलाल किया है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस का मफ़हूम यह है कि जो शरायेत सब से ज़्यादा पूरी करने की मुस्तहिक़ हैं वह शुरूत निकाह हैं, क्योंकि इस का मुआमला बड़ा ही मुहतात और नाज़ुक है।

(٨٤٨) وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

848. सलमा बिन अक्वा ﵁ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने ग़ज़वये औतास के मौक़े पर तीन दिन के लिये निकाह मुतआ की इजाज़त दी, फिर उसे मना फ़रमा दिया। (मुस्लिम)

(٨٤٩) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ خَيْبَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

849. अली ﵁ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने ख़ैबर के साल मुतआ से मना फ़रमा दिया था। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٨٥٠) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ.

850. उन्ही (अली ﵁) से रिवायत है कि नबी ﷺ ने औरतों से मुतआ करने और पालतू गदहों का गोश्त खाने से ख़ैबर के दिन मना फ़रमाया। (अबू दाउद के अलावा सातों ने इस रिवायत को नक़ल किया है)

(٨٥١) وَعَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ.

851. रबीअ बिन सबरा ने अपने बाप से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैंने तुम्हें औरतों से मुतआ करने की इजाज़त दे दी थी, अब अल्लाह तआला ने उसे क़ियामत तक हराम क़रार दे दिया है, इसलिये जिस किसी के पास उन में से कोई मुतआ वाली औरत हो तो वह उस को छोड़ दे और जो कुछ तुम उन्हे दे चुके हो उस में से कुछ भी वापस न लो।" (इस रिवायत को मुस्लिम, अबू दाउद, नसाई, इब्ने माजा, अहमद और इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है)

(٨٥٢) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

852. इब्ने मसउद ﵁ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हलाला करने वाले और

जिस के लिये हलाला किया जाये दोनों पर लानत फ़रमायी है। (इसे अहमद, नसाई और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है और फिर इस बाब में अली ﷺ से भी रिवायत है जिसे नसाई के अलावा चारों ने रिवायत किया है)

اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ، أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

853. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ज़ानी जिस पर ज़िना की हद लग चुकी हो, अपनी जैसी किसी हद लगी हुई औरत से निकाह करे।" (इसे अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है और इस के रावी सिक़ा हैं)

(٨٥٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

854. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक मर्द ने अपनी बीवी को तीन तलाकें दे दीं, फिर उस औरत से एक दूसरे आदमी ने निकाह कर लिया और उस से हमबिस्तरी किये बग़ैर ही उसे तलाक़ दे दी, तो पहले शौहर ने उस से निकाह करना चाहा, और रसूलुल्लाह ﷺ से उस के बारे में पूछा तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "नहीं जब तक दूसरा शौहर उस से उसी तरह लुत्फ़ अन्दोज़ न हो ले जिस तरह पहला शौहर हुआ था" (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

(٨٥٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: «لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الأَوَّلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मुतल्लक़ा सलासा औरत दूसरे से निकाह कर ले और हमबिस्तरी भी हो जाये और यह दूसरा शौहर अपनी आज़ाद मर्ज़ी से उसे तलाक़ दे या यह दूसरा शौहर मर जाये तो पहले शौहर से दोबारा निकाह इद्दत के बाद हो सकता है, अगर दूसरे मर्द से निकाह तो हुआ मगर हमबिस्तरी न हुई या वह मर्द ही मुबाशरत व मुजामअत न कर सका और उस ने तलाक़ दे दी तो उस सूरत में पहले शौहर से दोबारा निकाह सहीह नहीं होगा और अगर दूसरा निकाह सिर्फ़ हलाला की नीयत से किया तो दूसरे शौहर से निकाह ही नहीं होगा, उस सूरत में मुहल्लिल और मुहल्लल लहु तो लानती क़रार पाते ही हैं साथ ही पहले मर्द से दोबारा निकाह भी हराम है।

1. कुफ़्व (मिस्ल, नज़ीर और हमसरी) और इख़्तियार का बयान

١ - بَابُ الكَفَاءَةِ وَالخِيَارِ

855. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अरब एक दूसरे के लिये कुफ़व है और मवाली भी एक दूसरे के लिये कुफ़व हैं सिर्फ़ जुलाहे और हज्जाम के" (इस को हाकिम ने रिवायत किया है, इस की सनद में ऐसा रावी है जिस का नाम नहीं लिया गया और अबू हातिम ने इसे मुन्कर क़रार दिया है और इस का एक शाहिद बज़्ज़ार में मुआज़ बिन जबल ﷺ से मरवी है, मगर उस की सनद भी मुनक़ता है)

(٨٥٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «العَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، وَالمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ، إِلَّا حَائِكاً أَوْ حَجَّاماً». رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ البَزَّارِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.

856. फ़ातिमा बिन्ते क़ैस रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने उन को मशविरा दिया कि उसामा ﷺ से निकाह कर लो। (मुस्लिम)

(٨٥٦) وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «انْكِحِي أُسَامَةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

शायद मुसन्निफ़ ने इस हदीस को यहाँ इस लिये बयान किया है कि मसअला कफ़ाअत में दीन के अलावा और किसी चीज़ का एतिबार नहीं, क्योंकि फ़ातिमा बिन्ते क़ैस रज़ि अल्लाहु अन्हा क़ुरैश की शाख़ फ़िह्र की मुअज़्ज़ज़ औरत थी और उसामा ख़ुद भी ग़ुलाम थे और उन का बाप भी ग़ुलाम था।

857. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "ऐ बनी बयाज़ा! अबू हिन्द का निकाह कर दो और उस की लड़कियों से निकाह करो" और वह (अबू हिन्द) हज्जाम थे। (इसे अबू दाउद और हाकिम दोनों ने हसन सनद के साथ रिवायत किया है)

(٨٥٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يَا بَنِي بَيَاضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوا إِلَيْهِ، وَكَانَ حَجَّاماً». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالحَاكِمُ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में अबू हिन्द का जो ज़िक्र है उन का नाम यसार था, यह बनु बयाज़ा जो क़बायेल अरब

में एक क़बीला था उन का आज़ाद किया हुआ ग़ुलाम था, नबी ﷺ बनु बयाज़ा को फ़रमा रहे हैं कि अबू हिन्द का निकाह अपने क़बीला की किसी औरत से कर दो, इस तरह नबी ﷺ ने नसब के बुत को टुकड़े-टुकड़े कर दिया, सहाबा किराम में से अब्दुर्रहमान बिन औफ़ رضي الله عنه सहाबी जिन का तअल्लुक़ अरब के सब से मुअज़्ज़ज़ क़बीले क़ुरैश से था, उन्होंने अपनी बहन हाला को बिलाल हबशी के अक़्द निकाह में देकर नसब के फ़ख़ को तोड़ा।

858. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हज़रत बरीरा रज़ि अल्लाहु अन्हा को जब आज़ादी मिली तो उस वक़्त उन को शौहर के बारे में इख़्तियार दिया गया। (बुख़ारी, मुस्लिम, लम्बी हदीस का टुकड़ा है)

(٨٥٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

और मुस्लिम में उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से मरवी है कि बरीरा رضي الله عنها का शौहर गुलाम था और उन ही से एक रिवायत में है कि वह आज़ाद था, पहली रिवायत ज़्यादा पुख़्ता है, बुखारी में इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से सहीह क़ौल यह है कि वह ग़ुलाम था।

وَلِمُسْلِمٍ عَنْهَا: (أَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عبدًا)، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: (كَانَ حُرًّا)، وَالأَوَّلُ أَثْبَتُ، وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما عِنْدَ الْبُخَارِيِّ: (أَنَّهُ كَانَ عَبْدًا).

फ़ायेदा:

यह हदीस दलील है कि आज़ाद होने के बाद औरत जबकि उस का शौहर गुलाम हो, शौहर के बारे में खुद मुख़्तार है, चाहे उस की ज़ौजियत में रहे चाहे न रहे, उस पर सब का इजमा है।

859. जहहाक़ बिन फ़ैरोज़ दैलमी ने अपने बाप से रिवायत की है कि मैंने कहा या रसूलल्लाह! मैं इस्लाम में दाख़िल हो चुका हूँ और मेरे निकाह में दो बहनें हैं, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उन दोनों में से जिसे चाहो उसे तलाक़ दे दो।" (इसे अहमद और चारों ने नसाई के अलावा रिवायत किया है, इब्ने हिब्बान, दार क़ुतनी और बैहक़ी ने सहीह कहा है मगर बुख़ारी ने इसे मालूल कहा है)

(٨٥٩) وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي أَسْلَمْتُ، وَتَحْتِي أُخْتَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ والأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ، وَأَعَلَّهُ البُخَارِيُّ.

फ़ायेदा:

यह हदीस कुफ़्फ़ार के ज़मानये कुफ़्र के निकाह के क़ाबिले एतिबार की दलील है, अगरचे वह निकाह इस्लामी निकाह के मुख़ालिफ़ है।

(٨٦٠) وَعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ ابْنِ سَلَمَةَ أَسْلَمَ، وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ البُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَأَبُو حَاتِمٍ.

860. सालिम ने अपने बाप से बयान किया कि ग़ैलान बिन सलमा ﷺ ने इस्लाम क़बूल किया तो उस वक़्त उन की दस बीवियाँ थीं, उन सब ने ग़ैलान के साथ इस्लाम क़बूल कर लिया, तब नबी ﷺ ने ग़ैलान ﷺ से फ़रमाया: "उन में से चार को चुन लो।" (इसे अहमद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है, बुख़ारी, अबू ज़ुरआ और अबू हातिम ने इसे मालूल कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस की बिना पर एक मुसलमान के लिये चार से ज़्यादा बीवियाँ एक ही वक़्त में रखना हराम है।

(٨٦١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثْ نِكَاحاً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَالحَاكِمُ.

861. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने अपनी बेटी ज़ैनब रज़ि अल्लाहु अन्हा को अबुल आस की तरफ़ छः साल बाद पहले निकाह के साथ वापस कर दिया था, नया निकाह नहीं किया था। (इसे अहमद और चारों ने सिवाय नसाई के रिवायत किया है और अहमद और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٨٦٢) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي العَاصِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَجْوَدُ إِسْنَاداً، وَالعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ.

862. अम्र बिन शुऐब ﷺ ने अपने बाप से, उन्होंने अपने दादा से रिवायत किया है कि नबी ﷺ ने अपनी बेटी ज़ैनब रज़ि अल्लाहु अन्हा को अबूल आस के पास नया निकाह करके वापस भेजा। (तिर्मिज़ी ने कहा है इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी हदीस सनद के एतिबार से बहुत ही अच्छी है, मगर अमल अम्र बिन शुऐब से मरवी हदीस पर है)

863. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक औरत ने इस्लाम क़बूल किया, फिर निकाह भी कर लिया, इतने में उस का पहला शौहर आ गया और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! मैंने इस्लाम क़बूल कर लिया था मेरे क़बूल इस्लाम का इसे इल्म भी था, नबी ﷺ ने उस (दूसरे शौहर) से छीन कर पहले शौहर की तरफ़ उसे लौटा दिया। (इसे अहमद, अबू दाउद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने सहीह कहा है)

(٨٦٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ، فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي كُنْتُ أَسْلَمْتُ، وَعَلِمَتْ بِإِسْلَامِي، فَانْتَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि इख़्तिलाफ़े दीन की वजह से जब मियाँ बीवी के बीच जुदाई व इलाहदगी हो जाये और औरत के इद्दत के दिनों में मर्द भी मुसलमान हो जाये और औरत पहले ही मुसलमान हो चुकी हो और उस औरत को मर्द के क़बूल इस्लाम का इल्म भी हो गया हो तो ऐसी सूरत में वह दूसरी जगह निकाह करने की क़तअन मजाज़ नहीं है, अगर करेगी तो निकाह बातिल क़रार दिया जायेगा।

864. ज़ैद बिन क़ाब बिन उजरा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बनु ग़िफ़ार की आलिया नामी औरत से निकाह किया, जब वह नबी ﷺ के पास आई और उस ने अपना लिबास उतारा तो आप ﷺ ने उस के पहलू में बर्स के दाग़ देखे, तो नबी ﷺ ने उसे फ़रमाया: "अपने कपड़े पहन लो और अपने मायके चली जाओ" और आप ﷺ ने उस के लिये हुक्म इरशाद फ़रमाया कि महर दे दिया जाये। (इसे हाकिम ने रिवायत किया है और इस की सनद में जमील बिन ज़ैद ऐसा रावी है जो मजहूल है उस के उस्ताद में बहुत इख़्तिलाफ़ किया गया है)

(٨٦٤) وَعَنْ زَيْدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ العَالِيَةَ مِنْ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا، رَأَى بِكَشْحِهَا بَيَاضاً، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْبَسِي ثِيَابَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ» وَأَمَرَ لَهَا بِالصَّدَاقِ. رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ جَمِيلُ بْنُ يَزِيدَ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي شَيْخِهِ اخْتِلافاً كَثِيراً.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि तलाक़ बिल किनाया भी मुअतबर है, आप ﷺ ने आलिया को

इलहक़ी बिअहलिकि के अलफ़ाज़ से तलाक़ बिलकिनाया दी, यानी कि तलाक़ बिलकिनाया शरीअत में क़ाबिले एतिबार है, और यह हदीस इस पर दलील है कि बर्स वह ऐब है जिस से निकाह टूट सकता है।

(٨٦٥) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ، أَوْ مَجْنُونَةً، أَوْ مَجْذُومَةً، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا، وَهُوَ لَهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ مِنْهَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمَالِكٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

865. सईद बिन मुसय्यब से रिवायत है कि उमर बिन ख़त्ताब ﷺ ने फ़रमाया जो आदमी किसी औरत से निकाह करे फिर उस से हमबिस्तरी करे और उसे मालूम हो कि उसे बर्स की बीमारी है या दीवानी है या कोढ़ का मर्ज़ है तो शौहर के उसे छूने की बिना पर हक़े महर की वह मुस्तहिक़ है और उस महर की रक़म उस से वसूल की जायेगी जिस ने उसे धोका दिया। (इसे सईद बिन मन्सूर, मालिक और इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया है, और इस के रावी सिक़ा हैं)

وَرَوَى سَعِيدٌ أَيْضاً عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ، وَزَادَ: «وَبِهَا قَرَنٌ، فَزَوْجُهَا بِالخِيَارِ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا المَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا».

और सईद ने अली ﷺ से भी इसी तरह रिवायत किया है और इस में इतना ज़्यादा किया है कि उस औरत को क़रन का मर्ज़ हो तो उस का शौहर ख़ुद मुख़्तार होगा, अगर मर्द ने उस औरत से हमबिस्तरी की हो तो औरत की शर्मगाह को हलाल करने के बदले में महर देना होगा।

फ़ायेदा:

इस असर से मालूम हुआ कि अगर औरत का वली और सरपरस्त धोका से किसी ऐसे मर्द के साथ उस का निकाह कर दे जो औरत दायमी मरीज़ा हो, दीवानी हो या जुज़ाम और कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला हो या उसे बर्स हो तो धोका से कराया हुआ ऐसा निकाह बातिल हो जायेगा, उसी तरह अगर किसी औरत का निकाह किसी ऐसे मर्द से कर दिया जाये जो किसी ख़तरनाक मर्ज़ का शिकार हो या कोई दूसरा ख़तरनाक ऐब हो तो औरत इस का हक़ रखती है कि निकाह बातिल कर दे।

(٨٦٦) وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَيْضاً قَالَ: قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي العِنِّينِ أَنْ يُؤَجَّلَ سَنَةً. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

866. और सईद बिन मुसय्यब के ही वास्ते से कि उमर ﷺ ने नामर्द आदमी के लिये एक साल की मुद्दत का फ़ैसला किया। (इस रिवायत के रावी सिक़ा हैं)

2. बीवियों के साथ रहन सहन और मेल जोल का बयान

٢ - بَابُ عِشْرَةِ النِّسَآءِ

867. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी औरत से उस की दुब्र में जिमाअ करे वह लानती है" (इस हदीस को अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और यह अलफ़ाज़ नसाई के हैं और उस के रावी सिक़ा है, मगर इस हदीस को मुरसल होने की वजह से मालूल कहा गया है)

(٨٦٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لٰكِن أُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस की बिना पर औरत की दुब्र में क़ौमे लूत का फ़ेल करना हराम है।

868. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला ऐसे आदमी की तरफ़ रहमत की नज़र से नहीं देखेगा जिस ने किसी मर्द या औरत से क़ौमे लूत का फ़ेल किया हो।" (इसे तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है और इसे मौक़ूफ़ होने की वजह से मालूल क़रार दिया गया है)

(٨٦٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالوَقْفِ.

869. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जो कोई अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है वह अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न पहुँचाये और औरतों के बारे में भलाई की वसीयत क़बूल करें, बेशक उन को पसली से पैदा किया गया है और पसली का ज़्यादा टेढ़ा हिस्सा उस का ऊपर वाला होता है, इसलिये अगर कोई उसे सीधा करने की कोशिश करेगा तो उसे तोड़ बैठेगा और अगर उसे उस के हाल पर छोड़ देगा तो वह

(٨٦٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ مِنَ الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا».

हमेशा टेढ़ी ही रहेगी, पस औरतों के हक़ में हमेशा भलाई की वसीयत क़बूल करो।" (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं) ओर मुस्लिम की रिवायत में है कि "अगर तू उस से फ़ायेदा हासिल करना चाहता है तो उस के टेढ़ेपन के बावजूद उस से फ़ायेदा उठा सकेगा और अगर तूने उसे सीधा करने की कोशिश की तो उसे तोड़ बैठेगा और उस का तोड़ना उसे तलाक़ देना है।"

870. जाबिर ؓ से रिवायत है कि एक ग़ज़वा में हम नबी ﷺ के साथ थे, जब हम मदीना वापस पहुँच कर अपने-अपने घरों में जाने लगे तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "ज़रा ठहर जाओं, रात के वक़्त घरों में दाख़िल होना, रात से नबी ﷺ की मुराद इशा का वक़्त था, ताकि परागन्दा बालों वाली अपने बालों में कंघी वग़ैरा कर ले और जिस का शौहर घर से ग़ायेब था वह अपने जिस्म के ज़ाइद बालों की सफ़ाई कर ले।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٨٧٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ ﷺ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً، يَعْنِي عِشَاءً، لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

और बुख़ारी की एक रिवायत में है कि "तुम में से कोई जब लम्बी मुद्दत के बाद वापस आये तो अचानक रात के वक़्त घर में दाख़िल न हो।"

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ، فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلاً».

871. अबू सईद ख़ुदरी ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "क़ियामत के दिन अल्लाह तआला के नज़दीक बद्तरीन इन्सान वह होगा जो अपनी बीवी के पास पहुँचे और औरत उस की तरफ़ पहुँचे, फिर वह उस का भेद ज़ाहिर करे।" (मुस्लिम)

(٨٧١) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ. ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मिया-बीवी के तन्हाई के लम्हात में होने वाली आपसी बातचीत और

मिया-बीवी के तअल्लुक़ात के अमली वाक़ेआत दोस्तों और अहबाब को बयान करना गुनाह कबीरा है।

872. हकीम बिन मुआविया ने अपने बाप से बयान किया, वह कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! हमारी बीवियों का हम पर क्या हक़ है? आप ﷺ ने फ़रमाया: "जब तू खाये तो उसे भी खिलाये और जब तू पहने तो उसे भी पहनाये और उस के मुँह पर न मारे और न उसे गाली गलोच दे और घर के अलावा उस से अलग न रहे।" (इसे अहमद, अबू दाउद, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और बुख़ारी ने इस रिवायत का कुछ हिस्सा तालीक़न बयान किया है, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٨٧٢) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

873. जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ से रिवायत है कि यहूद कहते थे कि मर्द जब अपनी बीवी से पिछली तरफ़ से शर्मगाह (क़ुबुल) में मुबाशरत करता है तो बच्चा भींगा पैदा होता है, इस मौक़ा पर अल्लाह तआला ने यह आयत "निसाउकुम हरसुल्लकुम" नाज़िल फ़रमायी कि औरतें तुम्हारी खेती हैं इसलिए अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ। (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

(٨٧٣) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ الآيَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

874. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अगर तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाते वक़्त यह दुआ "बिस्मिल्लाहे अल्लाहुम्म जन्निबनश्शैतान व जन्निबिश्शैतान मा रज़क्तना" पढ़े कि अल्लाह के नाम के साथ,

(٨٧٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا

وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ أَبَداً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

इलाही हमें शैतान से दूर रख और शैतान को भी उस से दूर रख जो तू हमें औलाद अता फ़रमाये, तहक़ीक़ शान यह है कि अगर उस मुजामअत से उन के मुक़द्दर व क़िस्मत में औलाद होगी तो शैतान उसे कभी नुक़सान न पहुँचा सकेगा।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में हमबिस्तरी के वक़्त इन्सान के अज़ली और अबदी दुश्मन से बचने और महफ़ूज़ रहने की दुआ का ज़िक्र है, इस हदीस से मालूम हो रहा है कि शैतान सिर्फ़ ज़िक्र इलाही से इन्सान से जुदा और अलग होता है, बल्कि वह हर वक़्त इन्सान के साथ रहता है और किसी हालत में भी आदमी से जुदा और अलग नहीं होता।

(٨٧٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. وَلِمُسْلِمٍ: «كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا».

875. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जब मर्द अपनी बीवी को जिन्सी ख़्वाहिश के लिये अपने बिस्तर पर बुलाये और वह आने से इन्कार कर दे और शौहर नाराज़ होकर रात गुज़ारे तो फ़रिश्ते सुब्ह तक उस औरत पर लानत व फटकार भेजते रहते हैं।" (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं) और मुस्लिम में है कि "जो आसमान में है वह उस पर नाराज़ रहता है जब तक कि शौहर बीवी से ख़ुश व राज़ी न हो जाये।"

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि शौहर की जिन्सी ख़्वाहिश पूरी करने से बीवी का (बिला वजह) इन्कार करना कबीरा गुनाह है, यह मर्द का औरत पर ऐसा हक़ है जिस को पूरा करना औरत पर लाज़मी है, लेकिन मर्द को भी औरत की सेहत और तबीअत का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है।

(٨٧٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

876. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है "नबी ﷺ ने सर में बाल जोड़ने और जुड़वाने वाली और जिस्म पर गोद कर निशान बनाने वाली और उस की ख़्वाहिश करने वाली पर लानत फ़रमायी है" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٨٧٧) وَعَنْ جُذَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ ذٰلِكَ أَوْلَادَهُمْ شَيْئاً» ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ العَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذٰلِكَ الوَأْدُ الخَفِيُّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

877. जुज़ामा बिन्ते वहब रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुई, उस वक़्त आप ﷺ कुछ लोगों के बीच बैठे हुये थे और फ़रमा रहे थे "मैंने ग़ीला से मना करने का इरादा किया, तो मेरी नज़र रूम और फ़ारस पर पड़ी जो अपनी औलाद से ग़ीला करते हैं और यह ग़ीला इन की औलाद को कुछ भी नुक़सान नहीं देता" फिर उन लोगों ने अज़्ल के बारे में सवाल किया तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "यह ज़िन्दा दरगोर करने का ख़ुफ़िया तरीक़ा है।" (मुस्लिम)

(٨٧٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي جَارِيَةً، وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ، وَأَنَا أُرِيدُ مَا يُرِيدُ الرِّجَالُ، وَإِنَّ اليَهُودَ تَحَدَّثُ أَنَّ العَزْلَ اَلْمَوْؤُدَةُ الصُّغْرَى، قَالَ: «كَذَبَتِ اليَهُودُ، لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ وَالطَّحَاوِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

878. अबू सईद ख़ुदरी ؓ से रिवायत है कि एक आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी एक लौंडी है, मैं उस से अज़्ल करता हूँ और उस का हामिला होना मुझे पसन्द नहीं और मैं वही चाहता हूँ जो मर्द चाहते हैं, यहूदी कहते हैं कि अज़्ल तो छोटा ज़िन्दा दरगोर करना है, आप ﷺ ने फ़रमाया: "यहूद ने झूट बोला है, अगर अल्लाह तआला उसे पैदा करना चाहे तो उसे तू फेर नहीं सकता।" (इसे अहमद, अबू दाउद ने रिवायत किया है और यह अलफ़ाज़ अबू दाउद के हैं और नसाई और तहावी ने भी इसे रिवायत किया है और इस के रावी सिक़ा हैं)

(٨٧٩) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ القُرْآنُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ: فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ.

879. जाबिर ؓ से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह ﷺ के ज़माने में अज़्ल करते थे और कुरआन उस वक़्त नाज़िल हो रहा था, अगर कोई चीज़ क़ाबिले मुमानअत होती तो कुरआन हमें उस से ज़रूर मना कर देता। (बुख़ारी, मुस्लिम) और मुस्लिम की रिवायत

में है यह बात नबी ﷺ तक पहुँच गयी, मगर आप ﷺ ने हमें उस से मना नहीं किया।

फ़ायेदा:

इस रिवायत से अज़्ल का जवाज़ साबित होता है।

(٨٨٠) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ. أَخْرَجَاهُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

880. अनस रज़ि. से मरवी है कि नबी ﷺ एक ही गुस्ल से सारी बीवियों के पास चले जाया करते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मुबाशरत के बाद गुस्ल जनाबत ज़रूरी और वाजिब नहीं, और यह भी मालूम हुआ कि नबी ﷺ के लिये आप ﷺ की बीवियों में बारी की तक़सीम वाजिब न थी, अगर वाजिब होती तो आप ﷺ एक ही रात में तमाम बीवियों के पास न जाते, जमहूर इसे वाजिब क़रार देते हैं और इस का जवाब वह यह देते हैं कि यह काम आप ﷺ ने इजाज़त ले कर किया था। (सुबुलुस्सलाम)

٣ - بَابُ الصَّدَاقِ

3. महर के हक़ का बयान

(٨٨١) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

881. अनस रज़ि. ने नबी ﷺ से रिवायत की है कि आप ﷺ ने सफ़िया रज़ि अल्लाहु अन्हा को आज़ाद किया और उस की आज़ादी को उस का महर क़रार दिया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

यह हदीस आज़ादी को महर मुक़र्रर करने की सेहत के बारे में बिल्कुल वाज़ेह है। इस हदीस से मालूम हुआ कि मालियत के अलावा दूसरी चीज़ें भी हक़्क़े महर मुक़र्रर की जा सकती हैं।

(٨٨٢) وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَي عَشَرَةَ أُوقِيَّةً، وَنَشًّا، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ

882. अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ि. से रिवायत है कि मैंने आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह ﷺ (की बीवियों) का महर कितना था? फ़रमाया आप ﷺ की बीवियों का महर बारह ऊक़िया और एक नश, फिर उन्होंने फ़रमाया, क्या तुम जानते हो कि नश कितना होता है? मैंने

कहा नहीं, उन्होंने कहा आधा ऊक़िया, इस तरह यह पाँच सौ दिरहम हुये, यह था रसूलुल्लाह ﷺ की बीवियों का हक़्क़े महर। (मुस्लिम)

أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَزْوَاجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

883. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि जब अली ﷺ ने फ़ातिमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से निकाह किया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उसे कुछ दो" अली ؓ ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं, आप ﷺ ने फ़रमाया: "वह तुम्हारी हुतमी ज़िरा कहाँ है?" (इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٨٨٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْطِهَا شَيْئاً» قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ، قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ؟» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

884. अम्र बिन शुऐब ने अपने बाप से, उन्होंने अपने दादा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो औरत महर, अतिया या निकाह से पहले किसी वादा की बिना पर निकाह करे तो यह उस औरत का हक़ है और जो अतिया निकाह के बाद दिया जाये तो वह उसी का है जिसे दिया जाये और वह चीज़ जिस की वजह से मर्द ज़्यादा तकरीम का हक़दार है उस की बेटी या उस की बहन है।" (इसे अहमद और तिर्मिज़ी के अलावा चारों ने रिवायत किया है)

(٨٨٤) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ.

885. अलक़मा कहते हैं कि इब्ने मसउद रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से ऐसे आदमी के बारे में मसअला पूछा गया जिस ने किसी औरत से निकाह किया और उस के लिये महर मुक़र्रर नहीं किया था, उस से (दुख़ूल) मुबाशरत भी नहीं किया और मर गया, इब्ने मसउद ؓ ने जवाब दिया कि उस औरत को महर उस के

(٨٨٥) وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ، وَلَهَا المِيرَاثُ، فَقَامَ

مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ جَمَاعَةٌ.

ख़ानदान की औरतों के बराबर मिलेगा, उस में न कमी होगी और न ज़्यादती, उस पर इद्दत गुज़ारना भी ज़रूरी है और उस के लिये मीरास भी है, यह सुन कर माक़िल बिन सिनान ﷺ उठे और फ़रमाया कि हमारी एक औरत बरवअ बिन्ते वाशिक़ के बारे में नबी ﷺ ने ऐसा ही फ़ैसला दिया था जैसा आप ने किया है, उस पर इब्ने मसउद ﷺ बहुत ख़ुश हुये। (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है और एक जमाअत ने इसे हसन कहा है)

(٨٨٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقاً أَوْ تَمْراً فَقَدِ اسْتَحَلَّ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَشَارَ إِلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ.

886. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने महर में औरत को सत्तू या खजूरें दे दीं उस ने हलाल कर लिया" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इस के मौकूफ़ होने की तरफ़ इशारा किया है और तरजीह भी उसी को दी है)

(٨٨٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذٰلِكَ.

887. अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीआ ने अपने बाप से रिवायत किया है कि नबी ﷺ ने दो जूतियों के बदले एक औरत के निकाह को बाक़ी रखने की इजाज़त दी। (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और सहीह कहा है और इस के सहीह क़रार दिये जाने में मुख़ालफ़त की गयी है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह भी साबित हो रहा है कि मर्द और औरत जिस चीज़ के बदले में आपस में राज़ी हो जायें, बस वही उन का महर होगा।

(٨٨٨) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً

888. सहल बिन साद ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने एक मर्द का निकाह एक औरत के

साथ किया लोहे की एक अंगूठी महर में देकर। (इसे हाकिम ने रिवायत किया है, यह किताबुन निकाह के शुरू में लिखी लम्बी हदीस का एक टुकड़ा है)

أمْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الحَدِيثِ الطَّوِيلِ المُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ.

889. अली ﷺ ने फ़रमाया कि महर दस दिरहम से कम नहीं। (इसे दार कुतनी ने मौकूफ़ रिवायत किया है और इस की सनद में भी कलाम है)

(٨٨٩) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفاً، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ.

890. उक़्बा बिन आमिर ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बेहतरीन हक़्क़ महर वह है जिस का अदा करना बहुत आसान व सहल हो" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٨٩٠) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

891. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अमरा बिन्ते जौन ने रसूलुल्लाह ﷺ से उस वक़्त अल्लाह तआला की पनाह माँगी जब वह आप ﷺ के पास आईं यानी जब आप ﷺ से निकाह किया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तूने ठीक पनाह देने वाले की पनाह माँगी है" फिर आप ﷺ ने उसे तलाक़ दे दी और उसामा ﷺ से फ़रमाया कि उस को फ़ायेदा के तौर पर तीन कपड़े दे दो। (इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है, इस की सनद मतरूक है, इस का असल क़िस्सा सहीह बुख़ारी में अबू असीद सायेदी से मरवी है)

(٨٩١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ، حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ، تَعْنِي لَمَّا تَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ، فَطَلَّقَهَا وَأَمَرَ أُسَامَةَ يُمَتِّعُهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ، وَأَصْلُ القِصَّةِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस औरत को दुखूल से पहले ही तलाक़ हो जाये, और ऐसी मुतलक़्क़ा क़ब्ल दुख़ूल को जिस का महर भी तय न हुआ हो उसे कुछ माल देना मसनून व मशरूअ है।

4. वलीमा का बयान

٤ - بَابُ الوَلِيمَةِ

892 अनस बिन मालिक ﷺ से मरवी है कि नबी ﷺ ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ﷺ के कपड़ों पर पीला रंग लगा हुआ देखा, आप ﷺ ने फ़रमाया: "यह क्या है?" अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ﷺ ने कहा अल्लाह के रसूल! मैंने एक औरत से एक गुठली के बराबर सोना देकर निकाह किया है, आप ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला तुझे बरकत दे, वलीमा ज़रूर करो, चाहे एक बकरी ही हो" (बुख़ारी, मुस्लिम, और अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

(٨٩٢) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فقال: «ما هذا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

893. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से किसी को दावते वलीमा पर बुलाया जाये तो उसे वहाँ पहुँचना चाहिये" (बुख़ारी, मुस्लिम) और मुस्लिम की रिवायत में है "जब तुम में से किसी को उस का भाई दावत दे तो उसे उस की दावत को क़बूल करना चाहिये, चाहे शादी हो या उसी तरह की कोई और दावत।"

(٨٩٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْ»، عُرْساً كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

फ़ायेदा:

यह हदीस शादी के मौक़े पर की जाने वाली दावत वलीमा को क़बूल करने को वाजिब क़रार देती है, और जमहूर की राये यही है, उन्होंने यह शर्त ज़रूर लगायी है कि वहाँ तक पहुँचने में कोई चीज़ रोकने वाली न हो।

894. अबू हुरैरा ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बद्तरीन खाना वलीमा का खाना है जो आने वाले (मुस्तहिक़ीन) को रोकता हो और जो आने से इन्कार करे उसे दावत देता हो और जिस ने वलीमा की दावत को क़बूल न किया तो उस

(٨٩٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

ने अल्लाह और उस के रसूल की नाफ़रमानी की।" (मुस्लिम)

(٨٩٥) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً فَلْيَطْعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضاً.

895. उन्हीं (अबू हुरैरा ﷺ) से ही मरवी कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से किसी को दावते वलीमा पर बुलाया जाये तो उसे मन्जूर करना चाहिये, अगर वह रोज़े से हो तो दुआ करे और अगर रोज़े से न हो तो फिर उसे खाना खाना चाहिये।" (मुस्लिम)

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَقَالَ: «فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».

और मुस्लिम में जाबिर ﷺ से भी उसी तरह की रिवायत है, और उस में आप ﷺ का इरशाद है: "अगर वह चाहे तो खाना खा ले और अगर वह चाहे तो छोड़ दे, यानी न खाये।"

(٨٩٦) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طَعَامُ الوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَطَعَامُ [يَوْمِ] الثَّانِي سُنَّةٌ، وَطَعَامُ يَوْمِ الثَّالِثِ سُمْعَةٌ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ». رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَاسْتَغْرَبَهُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ.

896. इब्ने मसउद ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "वलीमा का खाना पहले दिन हक़ है और दूसरे दिन सुन्नत है और तीसरे दिन खाना तो सिर्फ़ दिखावा, नुमाईश और शुहरत व रियाकारी है, जो आदमी रियाकारी करेगा अल्लाह तआला उसे उस रियाकारी की सज़ा देगा।" (इस को तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इसे ग़रीब क़रार दिया है, हालाँकि इस हदीस के रावी सहीह के रावियों के बराबर हैं और इब्ने माजा में अनस ﷺ से मरवी रिवायत की सूरत में उस का एक गवाह भी मौजूद है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि वलीमा दो दिन तक तो सहीह है मगर तीसरे दिन भी इस का एहतिमाम दिखावा, नुमाईश और रियाकारी का बाइस है।

(٨٩٧) وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ

897. सफ़िया बिन्त शैबा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी करीम ﷺ ने अपनी कुछ

مِنْ شَعِيرٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

बीवियों का वलीमा दो मुद जौ से किया। (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि कई शादियों की सूरत में ज़रूरी नहीं कि वलीमा एक ही जैसा हो, हैसियत के मुताबिक़ वलीमा करना चाहिये।

(٨٩٨) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

898. अनस ﷺ से मरवी है कि नबी करीम ﷺ ने ख़ैबर और मदीना के बीच तीन दिन तक क़ियाम किया, सफ़िया रज़ि अल्लाहु अन्हा के साथ उसी मक़ाम पर पहली रात गुज़ारी तो मैंने मुसलमानो को नबी ﷺ के वलीमा की दावत दी, बस उस दावत में न रोटी थी और न गोश्त, इस दावत में बस यही था कि आप ﷺ के इरशाद के मुताबिक़ चटाईयाँ बिछायी गयीं और उन पर खजूरें, पनीर और मक्खन लगा दिया गया। (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ बुख़ारी के है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि सफ़र के दौरान शादी करना जायेज़ है, तो सब रिश्तेदारों को शामिल करना भी ज़रूरी न रहा, और साबित हुआ कि वलीमा में एक से ज़्यादा खाने की चीज़ें भी जायेज़ हैं, अलबत्ता इस में फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचना ज़रूरी है।

(٨٩٩) وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَاباً، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

899. असहाबे नबी ﷺ में से एक सहाबी से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जब दो आदमियों ने खाने की दावत दी हो तो जिस का दरवाज़ा क़रीब हो उस की दावत क़बूल करो और उन में से जो पहले दावत दे उस की दावत क़बूल कर लो।" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है, इस की सनद कमज़ोर है)

(٩٠٠) وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئاً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

900. अबू जुहैफ़ा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैं टेक लगा कर नही खाया करता।" (बुख़ारी)

901. उमर बिन अबी सलमा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे फ़रमाया: "ऐ बच्चे! अल्लाह का नाम ले कर खाना शुरू करो और अपने दायें हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٩٠١) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا غُلَامُ! سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

मालूम हुआ कि खाना हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ कर दायें हाथ से और अपने सामने से खाना चाहिये।

902. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी ﷺ की ख़िदमत में शहद से भरा हुआ एक प्याला पेश किया गया, आप ﷺ ने फ़रमाया: "प्याले के किनारो से खाओ बीच से न खाओ, इसलिये कि बरकत का नुजूल बीच में होता है।" (इसे चारों ने रिवायत किया है और यह लफ़्ज़ नसाई के हैं और इस की सनद सहीह है)

(٩٠٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقَالَ: «كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهَا، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَهٰذَا لَفْظُ النَّسَائِيِّ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

902/1. अबू हुरैरा ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने कभी भी किसी खाने को बुरा नहीं कहा, जब किसी चीज़ की ख़्वाहिश होती तो खा लेते और अगर नापसन्द फ़रमाते तो छोड़ देते। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١/٩٠٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: مَا عَابَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهٰى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि खाने में ऐब नहीं निकालना चाहिये, अगर तबीअत चाहे तो खा लिया जाये और अगर तबीअत न चाहे तो छोड़ दे।

903. जाबिर ﷺ ने नबी ﷺ से रिवायत की है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "बायें हाथ से न खाओ, इसलिए कि शैतान बायें हाथ से खाता है।" (मुस्लिम)

(٩٠٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

904. अबू क़तादा ﷺ से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से जब कोई पानी पी रहा हो तो बर्तन में साँस न ले" (बुख़ारी, मुस्लिम) इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से इसी

(٩٠٤) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلِأَبِي

तरह की रिवायत अबू दाउद में भी है और उस में इतना ज़्यादा किया है "उस में फूँक न मारे" (तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «وَ يَنْفُخُ فِيهِ» وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

5. (बीवियों में बारी की) तक़सीम का बयान

٥ - بَابُ القَسْمِ

905. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ अपनी बीवियों के बीच बारी तक़सीम करते थे और अदल व इंसाफ़ का ख़्याल रखते थे, और कहते थे "इलाही जो मेरे बस में है उस के मुताबिक़ मैंने तक़सीम की है और जो मेरे बस में नहीं तेरे इख़्तियार में है, उस में मुझे मलामत न करना।" (इसे चारों ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है, लेकिन तिर्मिज़ी ने इस रिवायत के मुरसल होने को तरजीह दी है)

(٩٠٥) عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْسِمُ لِنِسَآئِهِ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ، وَلٰكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَهُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि अपनी बीवियों के बीच अदल व इन्साफ़ पर क़ायेम रहना चाहिये, अलबत्ता दिली मैलान अगर किसी की तरफ़ हो तो उस में कोई मुवाख़ज़ा नहीं होगा।

906. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जिस आदमी की दो बीवियाँ हों और शौहर का मैलान एक की तरफ़ रहा तो क़ियामत के दिन वह ऐसी हालत में आयेगा कि उस का एक पहलू झुका हुआ होगा।" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है और इस की सनद सहीह है)

(٩٠٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا دُونَ الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ.

907. अनस ؓ से रिवायत है कि मसनून तरीक़ा यह है कि जब मर्द शादी शुदा औरत पर कुंवारी ब्याह कर लाये तो उस नई दुल्हन के पास पहले सात दिन तक क़ियाम करे,

(٩٠٧) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ، أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً، ثُمَّ قَسَمَ،

وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً، ثُمَّ قَسَمَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

फिर बारी तक़सीम करे और जब शादी शुदा से निकाह करे तो उस के पास तीन दिन तक क़ियाम करे फिर बारी तक़सीम करे। (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ बुखारी के हैं)

(٩٠٨) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَهَا، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثاً، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

908. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी ﷺ ने जब उन से निकाह किया तो उन के पास तीन दिन तक क़ियाम किया और फ़रमाया: "अपने अहल के नज़दीक तू ज़लील नहीं है, अगर चाहे तो मैं तेरे लिये सात दिन मुक़र्रर कर के क़ियाम करता हूँ, फिर मैं अपनी बाक़ी सब औरतों के पास भी सात-सात दिन क़ियाम करूँगा" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि जब एक आदमी के पास पहली बीवी मौजूद हो और अब नई दुल्हन लाना चाहता हो तो अगर उस ने ऐसी औरत से शादी की जो शादी शुदा है तो उस के यहाँ तीन दिन क़ियाम करना होगा और अगर कुंवारी है तो उस के पास सात दिन क़ियाम करना होगा, उस के बाद दोनों के यहाँ बारी बारी से क़ियाम करना होगा।

(٩٠٩) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

909. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि सौदा बिन्ते ज़मआ रज़ि अल्लाहु अन्हा ने अपनी बारी का दिन आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा को हिबा कर दिया और नबी ﷺ आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा के लिये उन का अपना दिन भी और सौदा रज़ि अल्लाहु अन्हा का दिन भी तक़सीम करते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि कोई बीवी अपनी बारी दूसरी बीवी को दे सकती है, यह बख़्शिश नाक़ाबिले रुजूअ और नाक़ाबिले वापसी होगी, शर्त यह है कि मुक़र्रर दिनों की तअईन न की गयी हो।

(٩١٠) وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: يَا ابْنَ أُخْتِي، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ، مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعاً، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ، مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتُ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

0. उरवा रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया, मेरी बहन के बेटे! (भांजे) रसूलुल्लाह ﷺ पनी बीवियों की बारी की तक़सीम में किसी को किसी पर फ़ौक़ीयत व फ़ज़ीलत नहीं देते , हमारे पास आप ﷺ के क़ियाम के तिबार से आप ﷺ का मामूल था और कम ही ऐसा कोई दिन होगा जिस में आप ﷺ हमारे पास घूमते फिरते न हों और हर बीवी के पास जाते ज़रूर मगर किसी को छूते तक न थे, घूमते घूमते उस बीवी के पास पहुँच जाते जिस की बारी होती तो रात उस के पास बसर करते। (अहमद, अबू दाउद और यह अलफ़ाज़ अबू दाउद के हैं, हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى العَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ. اَلْحَدِيثَ.

और मुस्लिम में आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ अस्र की नमाज़ पढ़ कर अपनी सारी बीवियों के यहाँ तशरीफ़ ले जाते, फिर उन से क़ुर्ब भी हासिल करते।

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि आप ﷺ हर दिन अपनी बीवियों की क़ियामगाहों में हालात मालूम करने के लिए चक्कर ज़रूर लगाते और आपसी मुहब्बत व प्यार का इज़हार करते।

(٩١١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: أَيْنَ أَنَا غَداً؟ يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ، يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

911. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने जिस मर्ज़ में वफ़ात पायी उस में पूछते थे कि "कल मेरी बारी किस के यहाँ है?" उन के पेशे नज़र आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा का दिन होता था, आप ﷺ की बीवियों ने इस की इजाज़त दे दी कि जहाँ चाहें रहें, बाद में आप ﷺ आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा के हाँ ही रहे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

एक रिवायत में है कि नबी ﷺ के मरज़ुल मौत का आगाज़ मैमूना रज़ि अल्लाहु अन्हा के घर से शुरू हुआ था, आख़िर बीमारी ने इतना कमज़ोर और ज़ईफ़ कर दिया कि सब बीवियों के घर में जाना मुश्किल हो गया तो फ़ातिमा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने सब बीवियों से आइशा रज़ि अल्लाहु के यहाँ मुसतक़िल क़ियाम की इजाज़त ले ली, उन्होंने अपनी मर्ज़ी व रग़बत से आप ﷺ को आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा के यहाँ ठहरने की इजाज़त दे दी, यह इजाज़त इस लिये माँगी गयी कि किसी के ख़्याल में कोई नामुनासिब ख़्याल पैदा न हो जाये।

(٩١٢) وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَراً أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

912. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ जब किसी सफ़र पर रवाना होने का इरादा करते तो अपनी बीवियों के बीच कुरआअन्दाज़ी करते, बस जिस बीवी के नाम का कुरआ निकलता वह आप ﷺ की हमसफ़र होती। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٩١٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

913. अब्दुल्लाह बिन ज़मआ ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से कोई भी अपनी बीवी को गुलामों की तरह न मारे।" (बुख़ारी)

٦ - بَابُ الخُلْعِ

6. ख़ुलअ का बयान

(٩١٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلٰكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقْبَلِ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا».

914. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि साबित बिन क़ैस ﷺ की बीवी नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुई और कहा, या रसूलल्लाह! मैं साबित बिन क़ैस ﷺ के अख़लाक़ और दीन में कोई ऐब नहीं लगाती, लेकिन इस्लाम में कुफ़्र को नापसन्द करती हूँ, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "क्या तू उस का बाग़ वापस कर दोगी?" वह बोली हाँ! तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "(ऐ साबित!) अपना बाग़ ले लो और इसे तलाक़ दे दो।" (बुख़ारी)

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ - وَحَسَّنَهُ -: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عِدَّتَهَا حَيْضَةً.

अबू दाउद और तिर्मिज़ी में है कि साबित बिन क़ैस ؓ की बीवी ने ख़ुलअ किया और नबी ﷺ ने उस के लिये इद्दते ख़ुलअ एक हैज़ मुक़र्रर फ़रमायी और इब्ने माजा में अम्र बिन शुऐब ने अपने बाप के वास्ते से अपने दादा से रिवायत की है कि साबित बिन क़ैस ؓ बदसूरत काले रंग का आदमी था और उस की बीवी ने कहा अगर मुझे अल्लाह का डर न होता तो जिस वक़्त वह मेरे पास आये थे मैं उस के मुँह पर थूक देती।

وَفِي رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ. عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ: أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ كَانَ دَمِيماً، وَأَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ: لَوْلَا مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ.

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ: «وَكَانَ ذٰلِكَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الإِسْلَامِ».

और मुसनद अहमद में सहल बिन अबी हसमा से मरवी है कि इस्लाम में यह पहला ख़ुलअ था।

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि अगर बीवी को माक़ूल उज़्र हो तो वह हक़्क़े महर शौहर को वापस दे कर ख़ुलअ करा सकती है।

٧ - بَابُ الطَّلَاقِ

7. तलाक़ का बयान

(٩١٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

915. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हलाल चीज़ों में से अल्लाह तआला के नज़दीक सब से ज़्यादा बुरी चीज़ तलाक़ है" (इसे अबू दाउद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है और अबू हातिम ने इस के मुरसल होने को तरजीह दी है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि तमाम चीज़ें अल्लाह के नज़दीक पसन्दीदा नहीं, कुछ हलाल होने के बावजूद भी ऐसी हैं जो अल्लाह तआला को पसन्द नहीं हैं, उन्ही में से एक तलाक़ है।

(٩١٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى

916. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से

عَنْهُمَا، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فِي عَهْدِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: «مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

मरवी है कि उन्होंने अपनी बीवी को अहदे नबवी ﷺ में तलाक़ दे दी, जबकि वह हैज़ की हालत में थी, उमर ؓ ने इस के बारे में रसूलुल्लाह ﷺ से पूछा, आप ﷺ ने फ़रमाया: "उसे कहो कि रुजूअ कर ले और उसे उस वक़्त तक रोक ले कि पाकी शुरू हो जाये, फिर हैज़ आये और फिर पाकी शुरू हो, फिर अगर चाहे तो उस के बाद रोक ले और अगर चाहे तो तलाक़ दे, सुहबत व मुजामअत करने से पहले। पस यह वह इद्दत है जिस का अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है कि उस में औरतों को तलाक़ दी जाये।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِراً أَوْ حَامِلاً».

और मुस्लिम की रिवायत में है कि उसे कहो "कि उस से रुजूअ कर ले फिर उसे चाहिये कि तलाक़ ऐसी हालत में दे कि वह पाक हो या हामिला हो।

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ: «وَحُسِبَتْ تَطْلِيقَةً».

और बुख़ारी की एक दूसरी रिवायत में है "यह एक तलाक़ शुमार होगी।"

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا، ثُمَّ أُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حيضةً أُخْرَى، ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ أُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ أَمَسَّهَا، وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثاً، فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.

और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने कहा अगर तूने औरत को एक या दो तलाक़ें दी हैं तो रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे हुक्म इरशाद फ़रमाया कि उस से रुजूअ कर लूँ, फिर उसे दूसरी माहवारी तक अपने पास रखूँ और फिर उसे पाकी तक मुहलत दूँ तब मैं उसे हाथ लगाने से पहले तलाक़ दे दूँ और अगर तूने उसे तीन तलाक़ें दे डालीं तो तूने अपनी बीवी को तलाक़ देने के मामले में अपने अल्लाह की नाफ़रमानी की।

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ:

और एक दूसरी रिवायत में है कि अब्दुल्लाह

बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने कहा कि औरत को मुझे वापस कर दिया गया और उस तलाक़ को कुछ भी न समझा गया और फ़रमाया गया कि जब औरत माहवारी से पाक हो जाये तो तलाक़ दे या रोक ले।

فَرَدَّها عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئاً، وَقَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ لِيُمْسِكْ.

917. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि अहदे नबी ﷺ और दौरे ख़िलाफ़ते अबू बक رضي الله عنه और उमर رضي الله عنه की ख़िलाफ़त के शुरू के दो साल तक तीन तलाक़ें, एक तलाक़ ही शुमार होती थीं, उमर رضي الله عنه ने फ़रमाया कि लोगों ने ऐसे मामला में जल्दी की जिस में उन के लिये सहूलत दी गई थी, इसलिये चाहिये कि हम उसे नाफ़िज़ कर दें, लेहाज़ा उन्होंने उस को उन पर जारी कर दिया। (मुस्लिम)

(٩١٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ. فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

918. महमूद बिन लबीद رضي الله عنه से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ को ख़बर दी गयी कि एक आदमी ने अपनी बीवी को इकट्ठी तीन तलाक़े दे डाली हैं, आप ﷺ गुस्से से उठ खड़े हुये और फ़रमाया: "क्या अल्लाह की किताब से खेला जा रहा है, जबकि मैं अभी तुम्हारे बीच मौजूद हूँ" उस पर एक आदमी खड़ा हुआ और कहा या रसूलल्लाह! क्या मैं उसे क़त्ल न कर डालूँ? (नसाई और इस के रावी सिक़ा हैं)

(٩١٨) وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعاً، فَقَامَ غَضْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَقْتُلُهُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ.

फ़ायेदा:

यह हदीस वाज़ेह दलील है कि एक बार तीन तलाक़ देना हराम है, इस में उस का कोई ज़िक नहीं है कि नबी ﷺ ने उस को रुजूअ की इजाज़त दी या नहीं?

919. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि अबू रुकाना ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी, रसूलुल्लाह ﷺ ने उसे हुक्म

(٩١٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «رَاجِعِ امْرَأَتَكَ».

दिया कि "उम्मे रुकाना रज़ि अल्लाहु अन्हा से रुजूअ कर लो" अबू रुकाना ﷺ बोले मैंने उसे तीन तलाक़ें दे दी हैं, आप ﷺ ने फ़रमाया: "मुझे मालूम है तुम उस से रुजूअ कर लो" (अबू दाउद)

فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثاً، قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

और मुसनद अहमद की एक रिवायत में है कि अबू रुकाना ﷺ ने एक ही मजलिस में तीन तलाक़ें दी थीं, फिर उस पर अफ़सोस हुआ, रसूलुल्लाह ﷺ ने अबू रुकाना ﷺ से फ़रमाया: "वह तीनों तलाक़ें एक ही हैं" (इन दोनों रिवायतों में इब्ने इसहाक़ है जिस के बारे में कलाम है)

وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ: طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ ٱمْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثاً، فَحَزِنَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ». وَفِي سَنَدِهِمَا ابْنُ إِسْحَاقَ، وَفِيهِ مَقَالٌ.

और अबू दाउद ने एक दूसरे तरीक़ से इसे रिवायत किया है जो इस से बेहतर है, वह यह कि अबू रुकाना ﷺ ने अपनी बीवी सुहैमा को तलाक़ बत्ता दे दी और फिर कहा कि अल्लाह की क़सम मैंने एक तलाक़ की नीयत की थी तो नबी ﷺ ने उम्मे रुकाना रज़ि अल्लाहु अन्हा को वापस लौटा दिया।

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ، أَنَّ أَبَا رُكَانَةَ طَلَّقَ ٱمْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ ٱلبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

920. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तीन उमूर ऐसे हैं कि उन का क़स्द करना भी क़स्द है, और उनका हंसी मज़ाक़ से कहना भी क़स्द है, निकाह, तलाक़ और रुजूअ करना।" (इसे चारों ने रिवायत किया है सिवाय निसाई के, और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٩٢٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

और इब्ने अदी की एक दूसरी कमज़ोर रिवायत में है "तलाक़, आज़ादी और निकाह" और हारिस बिन अबी उसामा की रिवायत जो उबादा बिन सामित ﷺ से मरफ़ूअन मरवी है, उस में है कि "तीन चीज़ों

وَفِي رِوَايَةٍ لابْنِ عَدِيٍّ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ: «الطَّلَاقُ، وَالعَتَاقُ، وَالنِّكَاحُ».

وَلِلْحَارِثِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ، مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ، رَفَعَهُ: «لَا يَجُوزُ

में मज़ाक़ करना जायेज़ नहीं, तलाक़, निकाह और आज़ादी, जो आदमी उन उमूर को मज़ाक़ से भी कहेगा तो ये वाजिब हो जायेंगे।" (इस की सनद कमज़ोर है)

اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ». وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

921. अबू हुरैरा ﷺ से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत से दिल के वस्वसे (पर गरिफ़्त और मुवाख़ज़ा) से दरगुज़र फ़रमा दिया है, और यह उस वक़्त तक नहीं होगा जब तक कोई ज़ुबान से न कहे और अमल न करे" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٩٢١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلَّمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि दिल में पैदा होने वाले ख़यालात और गुज़रने वाले वस्वसे क़ाबिले मुवाख़ज़ा नहीं।

922. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत से ख़ता, भूल-चूक और जिस पर उसे मजबूर किया गया हो माफ़ फ़रमा दिया है" (इसे इब्ने माजा और हाकिम ने रिवायत किया है और अबू हातिम ने कहा है कि यह हदीस सहीह नहीं है)

(٩٢٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَالْحَاكِمُ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا يَثْبُتُ.

923. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि जब शौहर अपनी बीवी को हराम क़रार दे तो यह कोई चीज़ नहीं और फ़रमाया: "तुम्हारे लिये यक़ीनन रसूलुल्लाह ﷺ की ज़िन्दगी में बेहतरीन नमूना है।" (बुख़ारी)

(٩٢٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ، لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

और मुस्लिम में है कि जब मर्द ने अपनी बीवी को हराम क़रार दे लिया तो वह क़सम शुमार होगी, उस का कफ़्फ़ारा अदा करना पड़ेगा।

وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ يَمِينٌ، يُكَفِّرُهَا.

फ़ायेदा:

इस हदीस में मर्द का अपनी बीवी को अपने ऊपर हराम करने को "कुछ भी नहीं" से ज़िक्र किया गया है, इस का मतलब यह है कि न यह रजई तलाक़ है और न बाईन और न ज़िहार ही, बल्कि यह क़सम है जिस का कफ़्फ़ारा दिया जायेगा।

(٩٢٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ ابْنَةَ الجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَدَنَا مِنْهَا: قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

924. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जौन की बेटी जब निकाह के बाद रसूलुल्लाह ﷺ की ख़लवतगाह में दाख़िल की गई और आप ﷺ उस के क़रीब हुये तो उस ने कहा मैं आप ﷺ से अल्लाह की पनाह पकड़ती हूँ, आप ﷺ ने फ़रमाया: "तूने बड़ी ज़ात की पनाह माँगी है, तू अपने घर वालों के साथ मिल जा।" (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि तलाक़ किनाया भी होती है, एक तो तलाक़ सरीह होती है कि तलाक़ देने वाला सरीह अलफ़ाज़ में तलाक़ कहे कि मैंने तलाक़ दी, यह तलाक़ वाक़ेअ हो जायेगी चाहे तलाक़ देने वाले की नीयत तलाक़ की न हो, क्योंकि इस में लफ़्ज़ तलाक़ बिल्कुल वाज़िह है और तलाक़ किनाया यह है कि तलाक़ देने वाला ऐसे अलफ़ाज़ कहे जिन का माना व मफ़हूम तलाक़ भी हो सकता है और न भी हो सकता है।

(٩٢٥) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ». رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ، وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لٰكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضاً.

925. जाबिर رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तलाक़ नहीं, मगर निकाह के बाद और उसी तरह आज़ादी नहीं मगर मिल्कियत के बाद" (इसे अबू याला ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है, हालाँकि यह मालूल है और इब्ने माजा ने मिस्वर बिन मख़रमा के वास्ता से इसी जैसी एक हदीस रिवायत की है कि जिस की इस्नाद तो हसन है लेकिन वह भी मालूल है।

फ़ायेदा:

यह हदीस इस की दलील है कि आदमी ने जब तलाक़ और इत्क़ को मुअल्लक़ किया, मिसाल के तौर पर यूँ कहा कि वह औरत जिस से मैं निकाह करूँ उसे तलाक़ है या यूँ कहे कि हर वह ग़ुलाम जिसे मैं ख़रीदूँ तो वह आज़ाद है, इन दोनों सूरतों में वुक़ूअ के बाद इन पर अमल न होगा।

(٩٢٦) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَنَقَلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ.

926. अम्र बिन शुऐब अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उस नज़र की कोई हैसियत नहीं जिस का इन्सान मालिक नहीं और न ऐसे गुलाम का आज़ाद करना कोई हैसियत रखता है जिस का इन्सान मालिक ही नहीं और न तलाक़ वाक़िअ होगी जो उस के देने वाले के इख़्तियार में न हो।" (इसे अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है, और इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह का यह क़ौल नक़्ल किया है, इस सिलसिला में जो कुछ वारिद है, यह उस में सब से सहीह है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह भी मालूम हो रहा है कि इन्सान जिस चीज़ का मालिक ही नहीं उस में मालिकाना इख़्तियारात इस्तिमाल करना कोई माना नहीं रखता, इन इख़्तियारात का इस्तिमाल नाक़ाबिले कबूल है।

(٩٢٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وأخرجه ابْنُ حِبَّانَ.

927. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "तीन आदमियों से क़लम उठा लिया गया है, सोने वाला जब तक बेदार न हो, बच्चा जब तक बालिग़ न हो और दीवाना जब तक उसकी अक़्ल वापस न आ जाये।" (अहमद, अबू दाउद, इब्ने माजा और नसाई ने इसे रिवायत किया है, हाकिम ने इस हदीस को सहीह कहा है, इब्ने हिब्बान ने भी इस हदीस को रिवायत किया है)

8. (तलाक़ से) रुजूअ करने का बयान

٨ - بَابُ الرَّجْعَةِ

928. इमरान बिन हुसैन रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि उन से ऐसे आदमी के बारे में पूछा गया कि जो तलाक़ देता है फिर रुजूअ कर लेता है और उस पर गवाह नहीं बनाता, आप ﷺ ने फ़रमाया: "औरत को तलाक़ देते और उस से रुजूअ करते वक़्त गवाह मुक़र्रर कर" (इसे अबू दाउद ने इसी तरह मौक़ूफ़ रिवायत किया है और इस की सनद सहीह है, इमाम बैहक़ी ने इस रिवायत को इन अलफ़ाज़ से ज़िक्र किया है "इमरान बिन हुसैन رضی اللہ عنہ से उस आदमी के बारे में पूछा गया जो अपनी बीवी से रुजूअ करे मगर गवाह न बनाये? तो उन्होंने फ़रमाया: ग़ैर मसनून है और उसे चाहिये कि अब गवाह बना ले, तबरानी ने एक रिवायत में इन अलफ़ाज़ का इज़ाफ़ा किया है कि उसे अल्लाह से माफ़ी भी माँगनी चाहिये।"

(٩٢٨) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يُرَاجِعُ، وَلَا يُشْهِدُ، فَقَالَ: أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هٰكَذَا مَوْقُوفاً، وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ: (أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُما سُئِلَ عَمَّنْ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ: فِي غَيْرِ سُنَّةٍ؟ فَلْيُشْهِدِ الآنَ) وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي رِوَايَةٍ (وَيَسْتَغْفِرِ اللهَ).

929. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि जब उन्होंने अपनी बीवी को तलाक़ दी तो नबी ﷺ ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से फ़रमाया: "इसे कहो कि अपनी बीवी से रुजूअ कर ले।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٩٢٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ: «مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

9. ईला, ज़िहार और कफ़्फ़ारा का बयान

٩ - بَابُ الإِيلَاءِ وَالظِّهَارِ وَالكَفَّارَةِ

930. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी बीवियों से ईला किया और (उन के पास जाना) हराम कर लिया, चूँकि आप ﷺ ने हलाल को हराम

(٩٣٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: آلَىٰ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الحَلَالَ حَرَاماً، وَجَعَلَ لِلْيَمِينِ كَفَّارَةً. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَرُوَاتُه ثِقَاتٌ.

किया इसलिये क़सम का कफ़्फ़ारा मुक़र्रर फ़रमाया गया। (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया, और इस के रावी सिक़ा है)

(٩٣١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ الْمُولِي، حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

931. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि जब चार महीना गुज़र जाये तो ईला करने वाले को हाकिमे वक़्त के पास जाकर खड़ा किया जाये और उस वक़्त तक उसे छोड़ा न जाये जब तक वह अदालत के सामने तलाक़ न दे और तलाक़ दिये बग़ैर उस पर तलाक़ वाक़िअ न होगी। (बुख़ारी)

(٩٣٢) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُولِيَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.

932. सुलैमान बिन यसार ﷺ से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के दस से ज़्यादा सहाबा को पाया है कि वह ईला करने वाले को खड़ा करके पूछते थे। (इसे शाफई ने रिवायत किया है)

(٩٣٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَوَقَّتَ اللّٰهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

933. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि जाहिलियत का ईला साल दो साल तक होता था, अल्लाह तआला ने उस की मुद्दत चार महीना मुक़र्रर फ़रमा दी, अब अगर चार महीना से कम मुद्दत हो तो वह ईला शुमार नहीं होगा। (बैहक़ी)

(٩٣٤) وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ، قَالَ: «فَلَا تَقْرَبْهَا، حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللّٰهُ تَعَالَى بِهِ». رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ إِرْسَالَهُ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَادَ فِيهِ: «كَفِّرْ وَلَا تَعُدْ».

934. उन्हीं (इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि एक आदमी ने अपनी बीवी से ज़िहार किया और फिर उस से जिमाअ कर लिया, फिर नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मैंने कफ़्फ़ारा की अदायेगी से पहले ही अपनी बीवी से मुबाशरत कर ली है, आप ﷺ ने फ़रमाया: "अब उस वक़्त तक उस के पास न जाओ जब तक अल्लाह का इरशाद पूरा न कर लो" (इसे चारों ने रिवायत किया और

तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है और नसाई ने इस के मुरसल होने को तरजीह दी है) और बज़्ज़ार ने एक और सनद के साथ इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है और इस में इतना ज़्यादा है "कफ़्फ़ारा अदा कर और फिर उस का इआदा (दोबारा) न कर।"

(٩٣٥) وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَمَضَانُ، فَخِفْتُ أَنْ أُصِيبَ ٱمْرَأَتِي، فَظَاهَرْتُ مِنْهَا، فَانْكَشَفَ لِي شَيْءٌ مِّنْهَا لَيْلَةً، فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَرِّرْ رَقَبَةً». فَقُلْتُ: مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي. قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»، قُلْتُ: وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ، قَالَ: «أَطْعِمْ عَرَقاً مِنْ تَمْرٍ سِتِّينَ مِسْكِيناً». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُودِ.

935. सलमा बिन सख़र ﷺ से रिवायत है कि रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ, मुझे डर हुआ कि मैं अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर बैठूँगा, इस ख़ौफ़ के पेशे नज़र मैंने अपनी बीवी से ज़िहार कर लिया, एक चाँदनी रात में उस के बदन की कोई चीज़ मेरे सामने खुल गई तो मैं उस से मुजामअत कर बैठा, रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे इरशाद फ़रमाया: "गर्दन (गुलाम) आज़ाद कर" मैंने अर्ज़ किया मैं तो अपनी गर्दन के सिवा दूसरी किसी गर्दन का मालिक नहीं हूँ, आप ﷺ ने फ़रमाया: "फिर लगातार दो महीना का रोज़ा रखो" मैंने अर्ज़ किया इस मुसीबत में रोज़े ही की वजह से तो मुब्तला हुआ हूँ, आप ﷺ ने फ़रमाया: "अच्छा तो फिर खजूरों का एक टोकरा साठ मिस्कीनों को खिला दो।" (इसे अहमद और चारों ने नसाई के अलावा रिवायत किया है, इब्ने खुज़ैमा और इब्ने जारूद ने इसे सहीह कहा है)

١٠ - بَابُ اللِّعَانِ

10. लिआन का बयान

(٩٣٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلَ فُلَانٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ أَنْ لَو وَجَدَ أَحَدُنَا ٱمْرَأَتَهُ عَلَى

936. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि फुलाँ साहब ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल! बताईये अगर हम में से

فَاحِشَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَىٰ مِثْلِ ذٰلِكَ. فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَتَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ الآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ، فَتَلَاهُنَّ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ، وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ»، قَالَ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، مَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا، ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا كَذٰلِكَ، قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ، ثُمَّ ثَنَّى بِالمَرْأَةِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

कोई अपनी बीवी को फ़ाहिशा फ़ेल में मुब्तला पाये तो वह क्या करे? अगर वह उसे दूसरों से बयान करता है तो यह निहायत क़बीह फ़ेल है और अगर ख़ामोश रहता है तो यह भी बहुत मुश्किल काम है। आप ﷺ ने उस का कोई जवाब न दिया, फिर बाद में जब वह आया तो उस ने कहा कि तहक़ीक़ जो कुछ आप ﷺ से मैंने पूछा है, मैं ख़ुद ही उस में मुब्तला हुआ हूँ, तो अल्लाह तआला ने सूरह नूर की आयात नाज़िल फ़रमायीं, आप ﷺ ने वह आयात उस के सामने पढ़ीं और उसे नसीहत फ़रमायी और अल्लाह की सज़ा याद करायी और फ़रमाया: "दुनिया का अज़ाब आख़िरत के अज़ाब से बहुत हल्का है, वह बोला नहीं क़सम है उस ज़ात की जिस ने आप ﷺ को हक़ के साथ मबऊस फ़रमाया है, मैंने उस पर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया है" फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने उस औरत को बुलवाया और उसे भी उसी तरह नसीहत फ़रमायी, वह भी बोली नहीं, उस ज़ात की क़सम! जिस ने आप ﷺ को हक़ के साथ मबऊस फ़रमाया है, यक़ीनन वह मर्द झूठा है, फिर आप ﷺ ने उस मर्द से शुरू किया, उस मर्द ने चार क़समें ख़ायीं, फिर आप ﷺ ने औरत से भी क़समें लीं और दोनों के बीच तफ़रीक़ फ़रमा दी। (मुस्लिम)

(٩٣٧) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَالِي؟ فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا،

937. उन्हीं (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने लिआन करने वाले मियाँ बीवी से फ़रमाया: "तुम दोनों का हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है, दोनों में से एक तो झूठा है, अब तेरा उस औरत पर

कोई हक़ नहीं" उस ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा माल मुझे दिलवा दीजिये, आप ﷺ ने फ़रमाया: "अगर तूने उस पर सच्चा इल्ज़ाम लगाया है तो फिर यह माल उस लज़्ज़त व सोहबत का मुआवज़ा है जो हलाल करके तूने उस से हासिल की है और अगर तूने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है तो माल तुझ से और भी दूर हो गया।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

938. अनस ﷺ से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "औरत पर नज़र रखो अगर उस ने सफ़ेद रंग का सीधे बालो वाला बच्चा जनम दिया तो वह उस के शौहर का है और अगर उस ने ऐसा बच्चा जनम दिया जिस की आँखें सुरमगीं और बाल घुंघराले हों तो वह बच्चा उस का होगा जिस के मुतअल्लिक़ शौहर ने उस पर तुहमत लगाई।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٩٣٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ، سَبِطاً، فَهُوَ لِزَوْجِهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ، جَعْداً، فَهُوَ لِلَّذِي رَمَاهَا بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

939. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक आदमी को हुक्म दिया कि "वह पाँचवीं क़सम के वक़्त क़सम खाने वाले के मुँह पर हाथ रख दे" और आप ﷺ ने फ़रमाया: "यह पाँचवीं क़सम हलाक़त व बरबादी की मूजिब है" (अबू दाउद, नसाई, इस के रावी सिक़ा हैं)

(٩٣٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الخَامِسَةِ عَلَىٰ فِيهِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا مُوجِبَةٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

940. सहल बिन साद ﷺ से लिआन करने वालों के क़िस्सा में मरवी है कि जब दोनों लिआन से फ़ारिग़ हो गये तो मर्द बोला ऐ अल्लाह के रसूल! और अगर मैं अब इसे रोक लूँ, गोया मैंने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है, फिर उस ने इस से पहले कि

(٩٤٠) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما - فِي قِصَّةِ المُتَلَاعِنَيْنِ - قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا، قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

रसूलुल्लाह ﷺ इसे हुक्म देते तीन तलाक़ें दे दीं। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

उस मर्द ने अपनी लिआन शुदा बीवी को तीन तलाक़ें दीं कि उसे इल्म नहीं था कि लिआन बज़ाते ख़ुद हमेशा की जुदाई का मूजिब है, उस ने बीवी को तलाक़ के ज़रिये ही हराम करना चाहा, इसलिए तलाक़ लग़्व हुयी।

941. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि एक आदमी रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बीवी किसी का हाथ नहीं झटकती, आप ﷺ ने फ़रमाया: "उसे दूर कर दो" उसने कहा मुझे अन्देशा और डर है कि मेरा नफ़्स उस के पीछे लगेगा, तो फ़रमाया "उस से फ़ायेदा उठाता रह" (इसे अबू दाउद और बज़्ज़ार ने रिवायत किया है और उस के रावी सिक़ा हैं) इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से नसाई ने दूसरे तरीक़ से इसे रिवायत किया है इस के अलफ़ाज़ हैं "उसे तलाक़ दे दो" वह मर्द बोला मैं तो इस के बग़ैर सब्र नहीं कर सकता, तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "फिर उसे रोके रखो।"

(٩٤١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً جَآءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ، قَالَ: «غَرِّبْهَا»، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَهَا نَفْسِي، قَالَ: «فَاسْتَمْتِعْ بِهَا». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِلَفْظِ قَالَ: «طَلِّقْهَا» قَالَ: لَا أَصْبِرُ عَنْهَا، قَالَ: «فَأَمْسِكْهَا».

942. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि जब लिआन करने वालों के बारे में आयत नाज़िल हुई तो उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना कि आप ﷺ फ़रमाते थे "जो औरत किसी क़ौम में ऐसा बच्चा लाकर दाख़िल करे जो उस में से न हो तो उस औरत का अल्लाह तआला से कोई तअल्लुक़ नहीं, और अल्लाह तआला ऐसी औरत को हरगिज़ अपनी जन्नत में दाख़िल नहीं करेगा और जिस मर्द ने अपने बच्चा का इंकार किया जबकि वह बच्चा

(٩٤٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

उस की तरफ़ देख रहा हो तो क़ियामत के दिन अल्लाह तआला उस से पर्दा कर लेगा और उसे अपनी पहली और पिछली सारी मख़लूक़ के सामने रुस्वा व ज़लील करेगा" (इसे अबू दाउद, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(٩٤٣) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَهُوَ حَسَنٌ مَوْقُوفٌ.

943. उमर ﷺ से रिवायत है कि जिस आदमी ने एक लम्हा भर अपने बच्चा का इक़रार किया फिर उसे उस की नफ़ी करने का कोई इख़्तियार नहीं है। (इसे बैहक़ी ने रिवायत किया है और यह रिवायत हसन मौक़ूफ़ है)

फ़ायेदा:

इस से मालूम हुआ कि जब कोई लम्हा भर के लिए किसी बच्चे को अपना बच्चा तसलीम कर ले और इक़रार कर ले कि यह बच्चा हक़ीक़त में उसी का है तो फिर वह बच्चा हक़ीक़त में सारी उम्र के लिए उसी का हो जाता है।

(٩٤٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاماً أَسْوَدَ، قَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَنَّى ذَلِكَ؟» قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهُوَ يُعَرِّضُ بِأَن يَنْفِيَهُ» وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ».

944. अबू हुरैरा ﷺ से मरवी है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बीवी ने काले रंग का बच्चा जना है, आप ﷺ न उस से पूछा "क्या तुम्हारे पास कुछ ऊँट हैं?" तो उस ने कहा हाँ! आप ﷺ ने पूछा: "उन के रंग क्या हैं?" उस ने कहा लाल, आप ﷺ ने पूछा "उन में कोई ख़ाकिस्तरी रंग का भी है" उस ने कहा हाँ! आप ﷺ ने पूछा: "वह रंग कहाँ से आ गया?" वह बोला कोई रंग उसे ख़ींच लाई होगी, तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "फिर तेरे इस बेटे को भी कोई रंग खींच लाई होगी।" (बुख़ारी, मुस्लिम) और मुस्लिम की एक रिवायत में है, वह इस बच्चे की नफ़ी की तरफ़ इशारा कर रहा था और उस रिवायत के आख़िर में है कि

आप ﷺ ने उसे नफ़ी की छूट व इजाज़त न दी।

फ़ायेदा:

इस हदीस में एक मुग़ालता की तसहीह की गई है कि काले रंग ने सहाबी को मुग़ालता और इश्तिबाह में मुब्तला कर दिया कि हम मियाँ-बीवी तो काले रंग के नहीं फिर यह बच्चा इस रंग का कहाँ से पैदा हो गया, रसूलुल्लाह ﷺ के पास जब उस ने शक ज़ाहिर किया तो आप ﷺ ने उसे डाँट पिलाई और न उस की बीवी की सरीह अलफ़ाज़ में सफ़ाई फ़रमायी।

11. इद्दत, सोग और इस्तिबरा रहम का बयान

١١ - بَابُ العِدَّةِ وَالإِحْدَادِ وَالاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِ ذٰلِكَ

945. मिस्वर बिन मख़रमा से रिवायत है कि सुबैआ असलमिया रज़ि अल्लाहु अन्हा ने अपने शौहर की वफ़ात के कुछ दिन बाद बच्चा जना, वह रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुई और निकाह की इजाज़त माँगी, आप ﷺ ने उसे निकाह की इजाज़त दे दी और उसने निकाह कर लिया। (इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है और इस हदीस की असल बुख़ारी व मुस्लिम दोनों में मौजूद है) और एक रिवायत में है कि उसने अपने शौहर की वफ़ात के चालीस दिन बाद बच्चे को जनम दिया।

(٩٤٥) عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَآءَتِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ. وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

और मुस्लिम की रिवायत के अलफ़ाज़ हैं कि ज़ुहरी ने कहा मैं तो इस में भी कोई मुज़ायेक़ा नहीं समझता कि हालते निफ़ास में ही निकाह कर ले मगर उस का शौहर उस के क़रीब उस वक़्त तक न जाये जब तक कि वह निफ़ास से ग़ुस्ल करके पाक व साफ़ न हो जाये।

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْساً أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से हामिला की इद्दत की मुद्दत जिस का शौहर मर गया हो साबित हो रही है कि बच्चे की पैदाईश है।

(٩٤٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لٰكِنَّهُ مَعْلُولٌ.

946. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि बरीरा को हुक्म दिया गया कि वह तीन हैज़ इद्दत गुज़ारे। (इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है, इस के रावी सिक़ा हैं लेकिन यह रिवायत मालूल है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में बरीरा रज़ि अल्लाहु अन्हा के बारे में ज़िक्र है कि उन को इद्दत तीन हैज़ गुज़ारने का हुक्म दिया गया।

(٩٤٧) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

947. शाबी ने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है कि नबी ﷺ ने तीन तलाक़ वाली औरत के बारे में फ़रमाया है कि "उस के लिये न रिहाईश है और न नान व नफ़क़ा" (यानी ख़र्चा) (मुस्लिम)

(٩٤٨) وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيباً، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنَ الزِّيَادَةِ: «وَلَا تَخْتَضِبُ». وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَلَا تَمْتَشِطُ».

948. उम्मे अतिया रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "कोई औरत किसी मैय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न मनाये, सिवाय शौहर के, उस पर चार माह दस दिन सोग मनाये, सोग के ज़माना में रंगदार लिबास न पहने लेकिन रंगे हुये सूत का कपड़ा पहन सकती है, सुर्मा न लगाये, ख़ुश्बू इस्तिमाल न करे, मगर जब माहवारी से पाक हो तो थोड़ी सी ऊद हिन्दी (एक ख़ुश्बूदार लकड़ी) या मुश्क इस्तिमाल कर सकती है।" (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं) और अबू दाउद और नसाई में इतना ज़्यादा है कि मेंहदी व ख़िज़ाब न लगाये और नसाई में है कंघी भी न करे।

(٩٤٩) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبِراً،

949. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अबू सलमा की मौत के बाद मैंने अपनी आँखों पर मुसब्बर (एक तरह की

بَعْدَ أَنْ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّهُ يَشُبُّ الوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَانْزِعِيهِ بِالنَّهَارِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ، وَلَا بِالحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ»، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ؟ قَالَ: «بِالسِّدْرِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

दवाई) का लेप किया, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुसब्बर चेहरे को साफ़ करता और चमकाता है, उसे सिर्फ़ रात के वक़्त में इस्तिमाल कर और दिन को मुँह से उतार दिया कर, ख़ुश्बू और मेंहदी वाली कंघी न कर, मेंहदी तो एक तरह का ख़िज़ाब है" मैंने अर्ज़ किया तो फिर किस चीज़ के साथ कंघी करूँ? फ़रमाया: "बेरी के पत्तो को पानी में डालकर उस के साथ" (इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और इस की सनद हसन है)

(٩٥٠) وَعَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنَكْحُلُهَا؟ قَالَ: «لَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

950. उन्हीं (उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से मरवी है कि एक औरत ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी का शौहर मर गया है और बेटी आशोब चश्म में मुब्तला हो गई है, क्या मैं उस के आँखों में सुर्मा लगा सकती हूँ? फ़रमाया: "नहीं" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٩٥١) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «بَلْ جُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

951. जाबिर رضي الله عنه से रिवायत है कि मेरी ख़ाला को तलाक़ दी गई और उन्होंने दौराने इद्दत अपनी खजूर का फल उतारने के इरादा से बाहर जाना चाहा तो एक आदमी ने उन को डाँटा, वह नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुई, आप ﷺ ने फ़रमाया: "हाँ तुम अपने पेड़ का फल तोड़ सकती हो, ऐन मुमकिन है कि तुम सदक़ा करो या इस ज़रिया से कोई दूसरा अमले ख़ैर तुम्हारे हाथ से अंजाम पा जाये।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि जो औरत इद्दत के दिनों में हो वह ज़रूरत के लिये घर से बाहर जा सकती हैं और काम काज करके वापस घर आ जाये तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं।

952. फ़ुरैआ बिन्ते मालिक रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि उस का शौहर अपने भागे हुये ग़ुलामों की तलाश में निकला और उन्होंने उसे क़त्ल कर दिया, फ़ुरैआ का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से अपने मैके लौट जाने के बारे में पूछा, क्योंकि मेरे शौहर ने अपनी मिलकियत में कोई घर नहीं छोड़ा और न ही नफ़क़ा। आप ﷺ ने फ़रमाया: "हाँ! (तुम अपने मैके जा सकती हो)" जब मैं हुजरे में पहुँची तो आप ﷺ ने मुझे आवाज़ दी और फ़रमाया: "तुम अपने मकान ही में उस वक़्त तक रहो जब तक तुम्हारी इद्दत पूरी न हो जाये" फ़ुरैआ का बयान है कि मैंने फिर इद्दत की मुद्दत चार माह दस दिन उसी पहले वाले मकान में पूरी की, फ़रमाती हैं कि फिर उस्मान ﷺ ने भी उस के बाद उसी के मुताबिक़ फ़ैसला दिया। (इसे अहमद और चारों ने बयान किया है, तिर्मिज़ी, ज़ुहली, इब्ने हिब्बान और हाकिम और उन के अलावा दूसरों ने भी इसे सहीह कहा है)

(٩٥٢) وَعَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ، أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ، فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلىٰ أَهْلِي، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَناً يَمْلِكُهُ، وَلَا نَفَقَةً، فَقَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا كُنْتُ فِي الحُجْرَةِ نَادَانِي، فَقَالَ: اُمْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، قَالَتْ: فَقَضَى بِهِ بَعْدَ ذٰلِكَ عُثْمَانُ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالذُّهْلِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ.

फ़ायेदा:

यह हदीस दलील है कि जिस औरत का शौहर मर जाये तो वह औरत उसी मकान में इद्दते वफ़ात पूरी करेगी।

953. फ़ातिमा बिन्ते क़ैस रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे शौहर ने मुझे तीन तलाक़ें दे दी हैं और मुझे इस का अन्देशा है कि कोई मेरे पास बेजा तौर पर घुस न आये और ज़ुल्म करे, तो नबी ﷺ ने उसे इजाज़त दे दी और वह वहाँ से चली गयी। (मुस्लिम)

(٩٥٣) وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثاً، وَأَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، قَالَ: فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी ख़तरे और अन्देशे के पेशे नज़र औरत दूसरे क़रीबी रिश्तेदार के यहाँ इद्दत गुज़ारने के लिये मुनतक़िल हो सकती है, मिसाल के तौर पर मकान महफ़ूज़ न हो, मकान के गिर जाने का डर हो, पड़ोसियों से तकलीफ़ का अन्देशा हो और तन्हाई से डरती और ख़ौफ़ खाती हो।

954. अम्र बिन आस ﷺ से मरवी है कि हमारे नबी ﷺ की सुन्नत हम पर ख़ल्त-मल्त न करो कि जब उम्मे वलद का सरदार मर जाये तो उस की इद्दत चार महीना और दस दिन है। (इस रिवायत को अहमद, अबू दाउद और इब्ने माजा ने बयान किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है और दार क़ुतनी ने इसे इन्क़िताअ से मालूल किया है)

(٩٥٤) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَا تُلْبِسُوا عَلَيْنَا، سُنَّةُ نَبِيِّنَا: عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَأَعَلَّهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِالانْقِطَاعِ.

फ़ायेदा:

इस रिवायत में उम्मुल वलद की इद्दत का बयान है।

955. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अक़रा से तुह्र ही मुराद है। (इसे मालिक, अहमद और नसाई ने एक क़िस्सा में सहीह सनद के साथ बयान किया है)

(٩٥٥) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: إِنَّمَا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ [وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ] فِي قِصَّةٍ، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

956. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि लौंडी की तलाक़ दो तलाक़ें हैं और उस की इद्दत दो हैज़ (माहवारी) है। (इसे दार क़ुतनी ने रिवायत किया है और उन्होंने इसे मरफ़ूअ भी रिवायत किया है मगर इसे कमज़ोर (ज़ईफ़) कहा है, और इस रिवायत की तख़रीज अबू दाउद, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने आइशा रज़ि अललाहु अन्हा की रिवायत से की है, हाकिम ने इसे सहीह कहा है मगर दूसरे मुहद्दिसीन ने उन की मुख़ालफ़त की है, वह इस के कमज़ोर (ज़ईफ़) होने पर मुत्तफ़िक़ हैं)

(٩٥٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَهُ مَرْفُوعاً، وَضَعَّفَهُ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَخَالَفُوهُ، فَاتَّفَقُوا عَلَىٰ ضَعْفِهِ.

957. रुवैफ़िअ बिन साबित से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो उस के लिये हलाल नहीं है कि वह ग़ैर की खेती को अपने पानी से सैराब करे" (इस की तख़रीज अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने की है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है और बज़्ज़ार ने इसे हसन कहा है)

(٩٥٧) عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَحَسَّنَهُ الْبَزَّارُ.

958. उमर ने गुमशुदा, मफ़क़ूदुल-ख़बर मर्द की औरत के लिये फ़रमाया, उस के लिये चार साल इन्तिज़ार करना है, उस के बाद चार माह दस दिन इद्दत गुज़ारे। (मालिक और शाफई ने बयान किया है)

(٩٥٨) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فِي ٱمْرَأَةِ ٱلْمَفْقُودِ، تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ.

959. मुग़ीरा बिन शोबा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "गुमशुदा मर्द की बीवी उस की बीवी है जब तक कि गुमशुदा के बारे में वाज़िह तौर पर इत्तेला न मिल जाये" (दार कुतनी ने इसे कमज़ोर सनद से रिवायत किया है)

(٩٥٩) وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَأْتِيَهَا الْبَيَانُ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

960. जाविर ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "कोई आदमी किसी औरत के पास रात बसर न करे, इल्ला यह कि वह मर्द उस का शौहर हो या महरम हो।" (मुस्लिम)

(٩٦٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी अजनबी औरत के पास अकेले और तन्हाई मे रहना हराम है, महरम के पास रहने में कोई हर्ज नहीं, महरम उसे कहते हैं जिस से किसी सूरत में किसी वक़्त निकाह सहीह और जायेज़ न हो।

961. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "कोई

(٩٦١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا

يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

आदमी भी किसी औरत के साथ तन्हाई इख़्तियार न करे जब तक कि उस के साथ उस का महरम न हो।" (बुख़ारी)

(٩٦٢) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ.

962. अबू सईद ख़ुदरी ﵁ से मरवी है कि नबी ﷺ ने औतास के क़ैदियों के बारे में फ़रमाया: "हामिला औरत जब तक बच्चा न जन ले, उस से जिमाअ न किया जाये, और ग़ैर हामिला से भी उस वक़्त तक सुहबत न की जाये जब तक उसे एक हैज़ (माहवारी) न आ जाये।" (इस की तख़रीज अबू दाउद ने की है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है, दार क़ुतनी में इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से भी इस का शाहिद मरवी है)

(٩٦٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ اَلْحَجَرُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ، وَمِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي قِصَّةٍ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَعَنْ عُثْمَانَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ.

963. अबू हुरैरा ﵁ से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "बच्चा उस का है जिस के बिस्तर पर पैदा हो और ज़ानी के लिये पत्थर" (बुख़ारी, मुस्लिम, आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा की हदीस में एक क़िस्सा के बारे में भी इसी तरह रिवायत है और अब्दुल्लाह बिन मसउद ﵁ से नसाई और उस्मान ﵁ से अबू दाउद ने यही रिवायत बयान की है)

फ़ायेदा:

हदीस का माना यह है कि औरत जब बच्चे को जनम देगी वह किसी की बीवी या लौंडी होगी, उस बच्चे का नसब उस आदमी के साथ जोड़ा जायेगा और वह उस का बच्चा शुमार किया जायेगा, मीरास और पैदाईश के दूसरे अहकाम उन के बीच जारी होंगे।

١٢ - بَابُ الرِّضَاعِ

12. दूध पिलाने का बयान

(٩٦٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ [وَلَا] الْمَصَّتَانِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

964. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "एक दो बार दूध चूसने से हुरमत साबित नहीं होती" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

रज़ाअत का हुक्म कितना दूध पीने से साबित होता है, इस में इख़्तिलाफ़ है, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि पाँच बार पीने से रज़ाअत साबित होती है।

965. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ज़रूर ग़ौर कर लिया करो कि तुम्हारे भाई कौन हैं, क्योंकि रज़ाअत उस वक़्त मुअतबर है जब दूध भूक के वक़्त पिया जाये।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٩٦٥) وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में एक क़िस्सा की तरफ़ इशारा है, आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा का बयान है कि रसूलुल्लाह ﷺ मेरे पास तशरीफ़ लाये, उस वक़्त मेरे पास एक आदमी बैठा हुआ था, यह बात आप ﷺ को गिराँ गुज़री और मैंने चेहरे पर नाराज़गी के आसार देखे तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह! यह तो मेरा रज़ाई भाई है, यह सुन कर आप ﷺ ने इरशाद फ़रमाया ग़ौर से देख लिया करो कि तुम्हारे भाई कौन हैं?

966. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से रिवायत है कि सहला बिन्ते सुहैल रज़ि अल्लाहु अन्हा आयीं और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! सालिम अबू हुज़ैफ़ा का आज़ाद किया हुआ ग़ुलाम हमारे घर में हमारे साथ ही रहता है वह मर्द की हदे बुलूग़त को पहुँच गया है, आप ﷺ ने फ़रमाया: "उसे अपना दूध पिला दो तू उस पर हराम हो जायेगी।" (मुस्लिम)

(٩٦٦) وَعَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ سَالِماً مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا، فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، فَقَالَ: «أَرْضِعِيهِ، تَحْرُمِي عَلَيْهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

967. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से मरवी है कि अबूल कुऐस का भाई अफ़लह हिजाब के बाद आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा के यहाँ आने की इजाज़त तलब करता रहा, आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा का अपना बयान है कि मैंने उन्हें अन्दर आने की इजाज़त न दी, जब रसूलुल्लाह ﷺ तशरीफ़ लाये तो मैंने

(٩٦٧) وَعَنْهَا أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ الحِجَابِ، قَالَتْ: فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَخْبَرْتُهُ الَّذِي صَنَعْتُهُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِنَّهُ عَمُّكِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

सारा वाक़िआ आप ﷺ को सुनाया जो मैंने उस के साथ किया था, आप ﷺ ने मुझे हुक्म दिया "मैं उन को अपने पास आने की इजाज़त दे दिया करूँ और फ़रमाया कि वह तुम्हारा चचा है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि जिस औरत का दूध पी लिया जाये उस का शौहर उस का बाप होगा, अब जो रिश्ते माँ बाप की तरफ़ से हराम होते हैं वह दूध से भी हराम हो जायेंगे।

(٩٦٨) وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

968. उन्हीं (आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा) से मरवी है कि क़ुरआन में यह हुक्म नाज़िल किया गया था कि दस बार दूध पीना, जबकि उस के पीने का यक़ीन हो जाये निकाह को हराम करता है, फिर यह हुक्म मंसूख़ कर दिया गया, पाँच बार (यानी दूध पीने का हुक्म) से फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने वफ़ात पायी, उस वक़्त पाँच की तादाद क़ुरआन में पढ़ी जाती थी। (मुस्लिम)

(٩٦٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

969. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ को तैयार किया गया कि आप ﷺ अपने चचा हमज़ा رضي الله عنه की बेटी से निकाह कर लें, तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "वह मेरे लिये हलाल नहीं, इसलिये कि वह मेरे रज़ाई भाई की बेटी है, जो औरत रिश्ता व नसब से हराम है वही रज़ाअत से भी हराम है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٩٧٠) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالحَاكِمُ.

970. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "दूध पीने को कोई तक़सीम हराम नहीं करती मगर वह क़िस्म जो अंतड़ियों को खोल दे और दूध छुड़ाने की मुद्दत से पहले हो।" (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और

तिर्मिज़ी और हाकिम दोनों ने इसे सहीह कहा है)

971. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने फ़रमाया कि कोई रज़ाअत मुअतबर नहीं, सिवाय उस रज़ाअत के जो दो साल के बीच में हो। (इसे दार कुतनी और इब्ने अदी ने मरफ़ूअ और मौकूफ़ रिवायत किया है मगर तरजीह दोनों ने मौकूफ़ को दी है)

(٩٧١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الحَوْلَيْنِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً، وَرَجَّحَا المَوْقُوفَ.

972. अब्दुल्लाह बिन मसउद ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "रज़ाअत वही मुअतबर है जो हड्डियों की नशो नुमा करे, बढ़ाये और गोश्त पैदा करे।" (अबू दाउद)

(٩٧٢) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَزَ العَظْمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

973. उक़बा बिन हारिस ﷺ से मरवी है कि उन्होंने उम्मे यहिया बिन्त अबी इहाब रज़ि अल्लाहु अन्हा से निकाह कर लिया तो एक औरत आई और कहने लगी कि मैंने तुम दोनों को दूध पिलाया है, उक़बा ने नबी ﷺ से पूछा तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "अब तुम उसे किस तरह अपने निकाह में रख सकते हो जबकि रज़ाअत की ख़बर दे दी गई है।" चुनाँचि उक़बा ने उस औरत को जुदा कर दिया और उस औरत ने दूसरे आदमी से निकाह कर लिया। (बुख़ारी)

(٩٧٣) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «كَيْفَ؟ وَقَدْ قِيلَ»، فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ، وَنَكَحَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

974. ज़ियाद सहमी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अहमक़ और कमअक़्ल औरतों का दूध पिलाने से मना किया है। (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और यह मुरसल है, क्योंकि ज़ियाद को सहाबी होने का शरफ़ हासिल नहीं)

(٩٧٤) وَعَنْ زِيَادٍ السَّهْمِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُسْتَرْضَعَ الحُمْقَى. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَهُوَ مُرْسَلٌ، وَلَيْسَتْ لِزِيَادٍ صُحْبَةٌ.

13. नफ़क़ा (ख़र्च) का बयान

١٣ - بَابُ النَّفَقَاتِ

975. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया कि हिन्द बिन्ते उक़बा अबू सुफ़ियान की बीवी रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अबू सुफ़ियान एक कंजूस आदमी है, मुझे वह उतना ख़र्च नहीं देता जो मेरे और मेरे बच्चों के लिये काफ़ी हो, मगर यह कि मैं पोशीदा तौर पर कुछ ले लूँ तो ऐसा करने में मुझ पर कोई गुनाह होगा? नबी ﷺ ने फ़रमाया: "भले तरीक़े से तुम उतना माल ले सकती हो जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिये काफ़ी हो।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٩٧٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ، اَمْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ ٱلنَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي، وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَّالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذٰلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ، وَيَكْفِي بَنِيكِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि शौहर अगर इस्तिताअत के बावजूद ख़र्च पूरा न अदा करे तो बीवी उस को बताये बग़ैर उतना ख़र्चा उस के माल से ले सकती है जो मारूफ़ के दर्जा में आता हो।

976. तारिक़ मुहारिबी ﷺ का बयान है कि हम मदीना में आये तो रसूलुल्लाह ﷺ मिम्बर पर खड़े लोगों से ख़िताब फ़रमा रहे थे, फ़रमाते थे "देने वाला हाथ बाला व बुलन्द होता है, और उन से शुरू कर जो तुम्हारी क़फ़ालत में हैं, उन में तेरी माँ, तेरा बाप, तेरी बहन और तेरा भाई शामिल हैं, फिर दर्जा बदर्जा अपने सब से ज़्यादा क़रीबी को दे" (इसे नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान और दार क़ुतनी ने सहीह कहा है)

(٩٧٦) وَعَنْ طَارِقٍ المُحَارِبِيِّ، قَالَ: قَدِمْنَا المَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى المِنْبَرِ، يَخْطُبُ النَّاسَ، وَيَقُولُ: «يَدُ المُعْطِي العُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، أُمَّكَ، وَأَبَاكَ، وَأُخْتَكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ.

977. अबू हुरैरा ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ग़ुलाम का खाना, पीना और कपड़ा का इन्तिज़ाम करना मालिक पर वाजिब है और ताक़त से

(٩٧٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ العَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

बढ़ कर काम की तकलीफ़ न दी जाये ।" (मुस्लिम)

978. हकीम बिन मुआविया कुशैरी की अपने बाप से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! हम में से हर एक पर उस की बीवी का हक़ क्या है? आप ﷺ ने फ़रमाया: "जब ख़ुद खाओ तो उसे भी खिलाओ, जब ख़ुद पहनो तो उस को भी पहनाओ और उस के मुँह पर न मारो और उसे क़बीह न कहो ।" (लम्बी हदीस है जो इशरतुन निसा के बाब में पहले गुज़र चुकी है)

(٩٧٨) وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: «أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ» - اَلْحَدِيثَ - وَتَقَدَّمَ فِي عِشْرَةِ النِّسَآءِ.

979. जाबिर ﷺ नबी ﷺ से हज के बारे में लम्बी हदीस में बयान करते हैं कि आप ﷺ ने औरतों के बारे में फ़रमाया: "तुम पर तुम्हारी बीवियों का यह हक़ है कि उन को खाना, पीना और कपड़ा भले तरीक़ा से दिया करो ।" (मुस्लिम)

(٩٧٩) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي حَدِيثِ الحَجِّ بِطُولِهِ، قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَآءِ: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

980. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "एक इंसान के लिये यही गुनाह काफ़ी है कि जिन की रोज़ी का ज़िम्मेदार और कफ़ील है उन को ज़ाया कर दे" (नसाई) और मुस्लिम में यह अलफ़ाज़ हैं कि "जिस की रोज़ी का मालिक है उसे रोक ले ।"

(٩٨٠) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَفَى بِالمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ». رَوَاهُ النَّسَآئِيُّ، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ «أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ».

981. जाबिर ﷺ ने उस हामिला के बारे में जिस का शौहर मर गया हो, मरफ़ूअन रिवायत किया है कि उस के लिये नफ़क़ा नहीं है । (इस को बैहक़ी ने रिवायत किया है, इस के रावी सिक़ा हैं लेकिन इमाम बैहक़ी ने कहा है कि इस का मौक़ूफ़ होना ही महफ़ूज़ है,

(٩٨١) وَعَنْ جَابِرٍ، يَرْفَعُهُ، فِي الحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، قَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا. أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، لَكِن قَالَ: المَحْفُوظُ وَقْفُهُ، وَثَبَتَ نَفْيُ النَّفَقَةِ فِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، كَمَا تَقَدَّمَ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

नफ़का की नफ़ी फ़ातिमा बिन्ते कैस रज़ि अल्लाहु अन्हा से साबित है जो पहले गुज़र चुकी है, इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में दलील है कि जिस हामिला औरत का शौहर मर गया हो उस के लिये नफ़क़ा नहीं, तो जो ग़ैर हामिला हो बदरजा ऊला उस के लिये नफ़क़ा नहीं, और तीन तलाक़ पाई हुई ग़ैर हामिला के लिये न नफ़क़ा है और न रिहाइश और तीन तलाक़ पाई हामिला के लिये नफ़क़ा है रिहाइश नहीं।

(٩٨٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ، تَقُولُ المَرْأَةُ: أَطْعِمْنِي أَوْ طَلِّقْنِي». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

982. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, तुम में हर कोई उस से शुरूआत करे जिस की वह कफ़ालत करता है, ऐसा न हो बीवी कहने लगे कि नान व नफ़क़ा दो या तलाक़ दो।" (इस को दार कुतनी ने हसन सनद से रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि शौहर अगर बीवी का नफ़क़ा जान-बूझ कर पूरा न करे या माली हालत की कमज़ोरी की वजह से पूरा न कर सके तो बीवी शौहर से तलाक़ का मुतालबा करने में हक़ बजानिब होगी।

(٩٨٣) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ. وَهٰذَا مُرْسَلٌ قَوِيٌّ.

983. और सईद बिन मुसय्यब ﷺ से ऐसे आदमी के बारे में मरवी है जो अपनी बीवी को नान व नफ़क़ा न दे सके कि उन के बीच अलाहदगी (जुदाई) कर दी जायेगी, इस रिवायत को सईद बिन मन्सूर ने सुफ़ियान से और उन्होंने अज़्ज़िनाद से रिवायत किया है कि मैंने सईद बिन मुसय्यब से पूछा क्या यह सुन्नत है? तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ सुन्नत है। (यह रिवायत मुरसल मज़बूत है)

फ़ायेदा:

इस रिवायत से मालूम हुआ कि शौहर नान व नफ़क़ा न दे तो मियाँ बीवी को अलग अलग कर दिया जाये।

984. उमर ﷺ से मरवी है कि उन्होंने लश्कर के अमीरों को ऐसे मर्दों के बारे में लिखा जो फ़ौज में शरीक रहने की वजह से अपनी बीवियों से ग़ायेब थे कि वह अपनी बीवियों को नफ़क़ा रवाना करें वर्ना तलाक़ दे दें, अगर तलाक़ दें तो जितनी मुद्दत उन्होंने रोके रखा है उसका नफ़क़ा रवाना करें। (इसे इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह और बैहक़ी ने हसन सनद से रिवायत किया है)

(٩٨٤) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ أُمَرَآءِ الأَجْنَادِ، فِي رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَآئِهِمْ: أَنْ يَأْخُذُوهُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا، أَوْ يُطَلِّقُوا، فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا. أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

985. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास एक दीनार है, आप ﷺ ने फ़रमाया: "अपने आप पर ख़र्च करो" उस ने अर्ज़ किया मेरे पास एक और दीनार है? फ़रमाया: "अपनी औलाद पर ख़र्च करो" वह फिर बोला मेरे पास एक और दीनार है, फ़रमाया: "अपनी बीवी पर ख़र्च करो" उस ने अर्ज़ किया मेरे पास और है, फ़रमाया: "अपने ग़ुलाम पर ख़र्च करो" वह बोला मेरे पास और है, फ़रमाया: "तुझे ख़ूब इल्म है कि तू उसे कहाँ ख़र्च करे" (इस की शाफई और अबू दाउद ने तख़रीज की है और यह अलफ़ाज़ अबू दाउद के हैं और नसाई और हाकिम ने भी इस की तख़रीज की है, इस में औलाद से पहले बीवी का ज़िक्र है)

(٩٨٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَىٰ نَفْسِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَىٰ وَلَدِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَىٰ خَادِمِكَ»، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَعْلَمُ». أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالحَاكِمُ بِتَقْدِيمِ الزَّوْجَةِ عَلَى الوَلَدِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में इस का ज़िक्र है कि अगर अल्लाह तआला किसी को अपनी रहमत ख़ास से नवाज़े और उस के पास ख़र्च करने की गुंजाईश हो तो उस के ख़र्च की तरतीब क्या होनी चाहिये।

986. बहज़ बिन हकीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाप के वास्ते से अपने दादा से रिवायत

(٩٨٦) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنْ

أَبَرُّ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمَّكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أَبَاكَ، ثُمَّ الأَقْرَبَ فَالأَقْرَبَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

किया है कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अच्छा सुलूक और भलाई किस के साथ करूँ? आप ﷺ ने फ़रमाया: "अपनी माँ के साथ" मैंने फिर अर्ज़ किया, फिर किस से? आप ﷺ ने फिर फ़रमाया: "अपनी माँ से" मैंने फिर अर्ज़ किया फिर किस से? फ़रमाया: "अपनी माँ से" मैंने फिर अर्ज़ किया, फिर किस से? फ़रमाया: "अपने बाप से" उस के बाद फिर दर्जा बदर्जा ज़्यादा क़रीबी रिश्तेदार से। (इसे अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि माँ का दर्जा बाप से ज़्यादा है, माँ बच्चे की वजह से जो तक्लीफ़ें और दुख बरदाश्त करती है इस वजह से माँ के साथ हुस्न सुलूक की ज़्यादा ताकीद फ़रमायी गयी है।

١٤ - بَابُ الحِضَانَةِ

14. परवरिश और तरबीयत का बयान

(٩٨٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابنِي هٰذَا، كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

987. अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में आयी और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! यह जो मेरा लख़्ते जिगर है मेरा पेट उस के लिये बर्तन था, मेरी छाती उस के लिये मशकीज़ा और मेरी आगोश उस के लिये ठिकाना थी, उस के बाप ने मुझे तलाक़ दे दी है और अब वह मुझ से इस बच्चा को भी छीन लेना चाहता है, आप ﷺ ने फ़रमाया: "जब तक तू दूसरा निकाह नहीं करती उस वक़्त तक तू ही उस की ज़्यादा हक़दार है" (इसे अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٩٨٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِٱبْنِي، وَقَدْ نَفَعَنِي، وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ، فَجَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا غُلَامُ! هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

988. अबू हुरैरा ﷺ से मरवी है कि एक औरत आई और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा शौहर मुझ से मेरा बच्चा छीनना चाहता है और यह बच्चा मेरे काम काज में मददगार है और मेरे लिये अबू इनबा के कुंयें से पानी लाकर देता है, उसी वक़्त उस का शौहर भी आ गया, तो नबी ﷺ ने फ़रमाया: "ऐ लड़के! यह तेरा बाप है और यह तेरी माँ, इन दोनों में से जिस का चाहे हाथ पकड़ ले" उस बच्चा ने माँ का हाथ पकड़ लिया और वह उसे ले कर चली गयी। (इसे अहमद और चारों ने बयान किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में बच्चे को इख़्तियार दिया गया है कि वह जिस के पास रहना पसन्द करे उस के पास रहे और इस से पहली हदीस में माँ को ज़्यादा हक़ दिया गया है, ऐसा मालूम होता है कि इस हदीस में जिस बच्चा का ज़िक्र है वह बड़ा और समझदार होगा, इसी वजह से उसे इख़्तियार दिया गया कि ख़ुद सोच समझ कर फ़ैसला कर ले।

(٩٨٩) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتِ ٱمْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ، فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ ﷺ الأُمَّ نَاحِيَةً، وَالأَبَ نَاحِيَةً، وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا، فَمَالَ إِلَىٰ أُمِّهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اهْدِهِ، فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ، فَأَخَذَهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

989. राफ़िअ बिन सिनान ﷺ से रिवायत है कि वह ख़ुद मुसलमान हो गया और उस की बीवी ने इस्लाम क़बूल करने से इन्कार कर दिया, तो नबी ﷺ ने माँ को एक तरफ़ और बाप को दूसरी तरफ़ बिठाया और बच्चे को दोनों के बीच में बिठा दिया, तो बच्चा माँ की तरफ़ मायेल हुआ, रसूलुल्लाह ﷺ ने दुआ की "इलाही इस बच्चा को हिदायत दे" उस पर वह बच्चा बाप की तरफ़ मायेल हो गया तो बाप ने बच्चे को पकड़ लिया। (इस की तख़रीज अबू दाउद और नसाई ने की है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात पर दलालत करती है कि यह बच्चा छोटा था और अभी तमीज़ नहीं कर सकता था।

990. बराअ बिन आज़िब ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने हमज़ा की बेटी का फ़ैसला उस की ख़ाला के हक़ में फ़रमाया कि "ख़ाला रुतबे में माँ के बराबर है" (बुख़ारी) और अहमद ने इस की तख़रीज अली ﷺ की हदीस से की है और कहा है कि "लड़की अपनी ख़ाला के पास होगी क्योंकि ख़ाला माँ है।"

(٩٩٠) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: وَالْجَارِيَةُ عِنْدَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الْخَالَةَ وَالِدَةٌ.

991. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से किसी का गुलाम खाना पेश करे तो अगर वह उस गुलाम को अपने साथ बिठा कर खाना न खिलाये तो फिर एक या तो निवाले उसे दे दे" (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं)

(٩٩١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

992. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "एक औरत को बिल्ली के क़ैद करने में अज़ाब दिया गया, जिस ने बिल्ली को इतनी देर तक बाँधे रखा कि वह मर गई, उस औरत को जहन्नम में डाल दिया गया कि न तो उस औरत ने बिल्ली को कुछ खिलाया और न पिलाया बल्कि बाँध रखा और न उसे आज़ाद छोड़ा कि वह ज़मीन के जानवर खा लेती।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٩٩٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتِ النَّارَ فِيهَا، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَسَقَتْهَا، إِذْ هِيَ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि उस औरत को अज़ाब बिल्ली के खाने पीने से रोके रखने की वजह से दिया गया और उसे भूका प्यासा मारने की वजह से, इस में कोई दलील नहीं कि बिल्ली को क़त्ल करना हराम है और न उस के जवाज़ पर इस में बहस है बल्कि इस मसअला में तो ख़ामोशी है, बेहतरीन क़ौल यह है कि जब बिल्ली दुश्मनी पर उतर आये तो उसे क़त्ल करना जायेज़ है।

9- जरायेम के मसायेल

٩ - كِتَابُ الجِنَايَاتِ

993. इब्ने मसउद ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "किसी मुसलमान का खून हलाल नहीं है जो शहादत देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद व इलाह नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मगर तीन आदमी इस से मुसतसना हैं, शादी शुदा ज़ानी और जान के बदला में जान और अपने दीन को छोड़ कर मुसलमानों की जमाअत से अलग होने वाला" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٩٩٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

994. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "किसी मुसलमान आदमी का क़त्ल हलाल व जायेज़ नहीं सिवाय तीन सूरतों में से किसी एक के, शादी शुदा ज़ानी, पस उसे संगसार किया जाये और वह आदमी जो जान-बूझकर किसी मुसलमान भाई को क़त्ल करे, उसे क़त्ल किया जायेगा और एक वह आदमी जो इस्लाम से ख़ारिज हो जाये और अल्लाह और उस के रसूल से (लड़ाई) शुरू कर दे, उसे क़त्ल किया जायेगा या सूली दी जायेगी या उसे जला वतन किया जायेगा।" (इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(٩٩٤) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ، وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِماً مُتَعَمِّداً فَيُقْتَلُ، وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الإِسْلَامِ، فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصْلَبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الأَرْضِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

995. अब्दुल्लाह बिन मसउद ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "क़ियामत के दिन लोगों के बीच सब से पहले जिन मुक़द्दमात का फ़ैसला किया जायेगा वह खून के मुक़द्दमात होंगे।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(٩٩٥) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، يَوْمَ القِيَامَةِ، فِي الدِّمَاءِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

996. समुरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस मालिक ने अपने गुलाम को क़त्ल किया हम उसे क़त्ल करेंगे और जिस ने उस का नाक, कान काटा हम उस का नाक और कान काट देंगे" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है, यह समुरा से हसन बसरी की रिवायत है और समुरा से हसन बसरी के सुनने में इख़्तिलाफ़ है) और अबू दाउद और नसाई की रिवायत में है कि "जिस मालिक ने अपने गुलाम को ख़स्सी किया हम उसे ख़स्सी कर देंगे" (इस इज़ाफ़ा को हाकिम ने सहीह कहा है)

(٩٩٦) وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: «وَمَنْ خَصَى عَبْدَهُ خَصَيْنَاهُ». وَصَحَّحَ الحَاكِمُ هٰذِهِ الزِّيَادَةَ.

997. उमर ﷺ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना कि "बाप से बेटे का बदला (क़िसास) नहीं लिया जायेगा" (इसे अहमद, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इब्ने जारूद और बैहक़ी ने सहीह कहा है और तिर्मिज़ी ने कहा है कि इस हदीस में इज़्तिराब है)

(٩٩٧) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُقَادُ الوَالِدُ بِالوَلَدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ وَالبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि बाप को बेटे के बदले में क़त्ल नहीं किया जायेगा।

998. अबू जुहैफ़ा ﷺ से रिवायत है कि मैंने अली ﷺ से पूछा क्या आप लोगों के पास कुरआन के अलावा वही के ज़रिया नाज़िल शुदा कोई और चीज़ भी है? उन्होंने जवाब दिया, उस ज़ात की क़सम! जिस ने दाना व ग़ल्ला उगाया और जान को पैदा फ़रमाया सिवाये उस फ़हम के जिसे अल्लाह तआला किसी इन्सान को कुरआन के बारे में अता फ़रमाता है और जो कुछ इस सहीफ़ा में

(٩٩٨) وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الوَحْيِ، غَيْرُ القُرْآنِ؟ قَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيهِ اللَّهُ تَعَالَى رَجُلاً فِي القُرْآنِ، وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: اَلْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ، وَقَالَ فِيهِ: «اَلْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعٰى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلٰى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ». صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

तहरीर है (मेरे पास कुछ नहीं) मैंने सवाल किया कि इस सहीफ़ा में क्या है? उन्होंने बताया कि दीयत के अहकाम, क़ैदी को आज़ाद करने का हुक्म और यह कि किसी मुसलमान को काफ़िर के बदला में क़त्ल नहीं किया जायेगा। (बुख़ारी) अली ؓ की इस रिवायत को अहमद, अबू दाउद और नसाई ने एक दूसरी सनद से बयान किया है और उस में है कि "सब मोमिनों के ख़ून बराबर हैं और उन में से अदना आदमी की ज़िम्मेदारी की हैसियत बड़े आदमी के बराबर है और अपने सिवा वह ग़ैर मुस्लिमों के मुक़ाबिला में सब एक दूसरे के साथ मुत्तहिद हैं और कोई मोमिन किसी काफ़िर के बदले क़त्ल नहीं किया जायेगा और न किसी मुआहिद (ज़िम्मी) को उस के ज़माना अहद में क़त्ल किया जा सकता है" (इस रिवायत को हाकिम ने सहीह कहा है)

(٩٩٩) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا، مَنْ صَنَعَ بِكِ هٰذَا؟ فُلَانٌ؟ فُلَانٌ؟ حَتّٰى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

999. अनस बिन मालिक ؓ से रिवायत है कि एक लौंडी ऐसी हालत में पायी गयी कि उस का सर दो पत्थरो के बीच रख कर कुचल दिया गया था, सहाबा ने उस से पूछा कि तुम्हारे साथ ऐसा किस ने किया है? फिर ख़ुद ही कहा कि फुलाँ ने फुलाँ ने, इस तरह नाम लेते हुये एक यहूदी के नाम पर पहुँचे तो उस ने सर के इशारे से कहा हाँ! यहूदी गिरफ़्तार कर लिया गया, उस ने जुर्म कबूल कर लिया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने हुक्म दिया कि "उस का सर भी दो पत्थरो के बीच रख कर कुचल दिया जाये" (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

1000. इमरान बिन हुसैन ﷺ से रिवायत है कि फ़क़ीर (ग़रीब) लोगों के एक ग़ुलाम ने अमीर लोगों के ग़ुलाम का कान काट लिया तो यह लोग नबी ﷺ के पास आये आप ﷺ ने उन के लिये कोई चीज़ मुक़र्रर न फ़रमायी। (इसे अहमद और तीनों ने सहीह सनद से रिवायत किया है)

(١٠٠٠) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُما أَنَّ غُلاماً لأُنَاسٍ فُقَرَآءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لأُنَاسٍ أَغْنِيَآءَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُمْ شَيْئاً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

1001. अम्र बिन शुऐब ने अपने बाप और उन्होंने अपने दादा से रिवायत किया है कि एक आदमी ने दूसरे के घुटने में सींग चुभो दिया तो वह नबी ﷺ के पास आया और अर्ज़ किया, मुझे इस से बदला (क़िसास) लेकर दें, आप ﷺ ने फ़रमाया: "ज़ख़्म कम होने के बाद आना" वह फिर आप ﷺ के पास आया और बोला मुझे क़िसास दिलवाईये, आप ﷺ ने उसे क़िसास दिलवा दिया, उस के बाद फिर आया और कहने लगा ऐ अल्लाह के रसूल! मैं लंगड़ा हो गया हूँ, आप ﷺ ने फ़रमाया: "मैंने तुझे मना किया था लेकिन तूने मेरी बात न मानी, अल्लाह तआला ने तुझे दूर कर दिया और तेरे लंगड़ेपन को बातिल कर दिया" फिर आप ﷺ ने इरशाद फ़रमाया: "ज़ख़्मों का क़िसास उस वक़्त तक लेना ममनूअ है कि जब तक ज़ख़्मी आदमी सेहतमंद और तन्दुरुस्त न हो जाये।" (इस रिवायत को अहमद और दार क़ुतनी ने रिवायत किया है और इसे मुरसल होने की वजह से मालूल कहा है)

(١٠٠١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ، فِي رُكْبَتِهِ، فَجَآءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَقَالَ: حَتَّى تَبْرَأَ، ثُمَّ جَآءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَقِدْنِي، فَأَقَادَهُ، ثُمَّ جَآءَ إِلَيْهِ، فَقَالَ؛ يَا رَسُولَ اللهِ! عَرَجْتُ، فَقَالَ: «قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللّٰهُ، وَبَطَلَ عَرَجُكَ»، ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأُعِلَّ بِالإِرْسَالِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि ज़ख़्मों का क़िसास उस वक़्त लिया जाना चाहिये जब ज़ख़्म ख़त्म हो जाये और ज़ख़्मी सेहतमंद हो जाये।

(١٠٠٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ نَغْرَمُ مَن لَّا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ؟ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذٰلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1002. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि हुज़ैल क़बीला की दो औरतें आपस में लड़ पड़ीं और एक ने दूसरी पर पत्थर दे मारा, उस पत्थर से वह औरत और उस के पेट का बच्चा मर गया तो उस के वारिस मुक़द्दमा नबी ﷺ की अदालत में लाये, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़ैसला फ़रमाया: "जनीन के बदला एक लौंडी या ग़ुलाम है और औरत के बदला क़ातिल के वारिसों पर दियत आयेद फ़रमा दी और इस ख़ून बहा का वारिस उस की औलाद को बनाया और उन वारिसों को भी जो उन के साथ थे" हमल बिन नाबेग़ा हुज़ली ؓ ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! हम ऐसे बच्चे का बदला कैसे दें जिस ने न पिया न खाया न बोला और न चीख़ा, इस तरह का हुक्म तो क़ाबिले एतिबार नहीं, आप ﷺ ने फ़रमाया: "यह तो काहिनों का भाई मालूम होता है, क्योंकि उस ने तो काहिनों की सी क़ाफ़ियाबन्दी की है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الجَنِينِ قَالَ: فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ، فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

अबू दाउद और नसाई ने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि उमर ؓ ने पूछा कि कौन आदमी जनीन के बारे में नबी ﷺ के फ़ैसला के मौक़ा पर हाज़िर था? इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि हमल बिन नाबेग़ा खड़ा हुआ और बयान किया कि मैं उस वक़्त उन दो औरतों के बीच था, जब एक ने दूसरी को पत्थर दे मारा था, फिर मुख़्तसर हदीस का ज़िक्र किया। (इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(١٠٠٣) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

1003. अनस ؓ से रिवायत है कि उन की

عَنْهُ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ - عَمَّتَهُ - كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا العَفْوَ، فَأَبَوا، فَعَرَضُوا الأَرْشَ، فَأَبَوا، فَأَتَوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَبَوْا، إِلَّا القِصَاصَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالقِصَاص، فَقَالَ أَنَسُ ابْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولِ اللهِ! أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَنَسُ! كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ»، فَرَضِيَ القَوْمُ، فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

फूफी रुबैयिअ बिन्त नज़्र ने एक अन्सारी लड़की के दाँत तोड़ दिये, रुबैयिअ के रिश्तेदारों ने उस से माफ़ी माँगी तो उन्होंने इन्कार कर दिया, फिर उन्होंने क़िसास (दियत) देने की पेशकश की, उसे भी उन्होंने रद कर दिया और रसूलुल्लाह ﷺ की अदालत में आये और क़िसास का मुतालबा किया और क़िसास के सिवा किसी भी चीज़ को लेने से इन्कार कर दिया, तो रसूलुल्लाह ﷺ ने क़िसास का फ़ैसला फ़रमा दिया, यह सुन कर अनस बिन नज़्र ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल ﷺ! क्या रुबैयिअ का दाँत तोड़ा जायेगा? नहीं, उस ज़ाते अक़्दस की क़सम! जिस ने आप ﷺ को हक़ देकर मबऊस फ़रमाया है उस का दाँत नहीं तोड़ा जायेगा, यह सुनकर रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऐ अनस! अल्लाह का नविश्ता तो क़िसास ही है" इतने में वह लोग राज़ी हो गये और फिर माफ़ी दे दी, फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह के बन्दे ऐसे भी हैं कि अगर वह अल्लाह की क़सम खा लेते हैं तो अल्लाह तआला उन की क़सम को पूरा कर देता है।" (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ बुख़ारी के हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस से अनस बिन नज़्र की फ़ज़ीलत मालूम हुई कि उन्होंने जो क़सम खाई अल्लाह ने उसे पूरा कर दिया, उन्होंने अल्लाह तआला पर भरपूर एतिमाद और मुकम्मल भरोसे की बिना पर क़सम खाई थी जिसे अल्लाह ने पूरा कर दिया।

(١٠٠٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيًا، أَوْ فِي رِمِّيًا بِحَجَرٍ أَوْ

1004. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी अंधाधुंद लड़ाई मे क़त्ल हो जाये

سَوْطٍ أَوْ عَصاً، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الخَطَأ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا، فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُونَهُ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ.

या पत्थर फेंकने से क़त्ल हो जाये या कोड़े और लाठी से मर जाये तो उस की दियत, ग़लती की दियत होगी, जो आदमी जान बूझकर क़त्ल किया जायेगा तो उस का क़िसास है और जो आदमी क़िसास लेने में हायेल हुआ तो ऐसे आदमी पर अल्लाह की लानत है" (इस हदीस को अबू दाउद, नसाई और इब्ने माजा ने मज़बूत सनद से रिवायत किया है)

(١٠٠٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ الآخَرُ، يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَهُ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولاً وَمُرْسَلاً، وَصَحَّحَهُ ابْنُ القَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ البَيْهَقِيَّ رَجَّحَ المُرْسَلَ.

1005. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जब एक आदमी दूसरे आदमी को पकड़ रखे और दूसरा आदमी पकड़े हुये आदमी को क़त्ल कर दे तो क़ातिल को क़त्ल किया जायेगा और पकड़ने वाले को क़ैद कर दिया जायेगा" (इसे दार क़ुतनी ने मौसूलन और मुरसलन रिवायत किया है और इब्ने क़त्तान ने इसे सहीह कहा है, इस के रावी सिक़ा हैं मगर बैहक़ी ने इस के मुरसल होने को तरजीह दी है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर एक आदमी को दो आदमी इस तरह क़त्ल करें कि एक ने पकड़ लिया और दूसरे ने पकड़े हुए को क़त्ल कर दिया तो इस सूरत में क़ातिल को क़त्ल किया जायेगा और पकड़ने वाले को क़ैद की सज़ा दी जायेगी और यह सज़ा उमर क़ैद की सज़ा होगी या अदालत के ऊपर फ़ैसला होगा।

(١٠٠٦) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ البَيْلَمَانِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ مُسْلِماً بِمُعاهَدٍ، وَقَالَ: «أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ». أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هٰكَذَا مُرْسَلاً، وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِذِكْرِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَإِسْنَادُ المَوصُولِ وَاهٍ.

1006. अब्दुर्रहमान बिन बैलमानी ﷺ से मरवी है कि नबी ﷺ ने एक मुआहद (काफ़िर) के बदले एक मुसलमान को क़त्ल किया और (साथ ही) फ़रमाया: "मैं ईफ़ाये अहद करने वालों में सब से बेहतर वफ़ा करने वाला हूँ" (अब्दुर्रज़्ज़ाक ने इसी तरह मुरसल रिवायत किया है और दार क़ुतनी ने

इस को इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मौसूल बयान किया है लेकिन इस की सनद कमज़ोर है)

फ़ायेदा:

इस हदीस की शिद्दत कमज़ोरी और हदीस "ला युक्तलु मस्लिमुन बिकाफ़िरिन" के मुआरिज़ होने की वजह से जमहूर ने इस हदीस को क़ाबिले इस्तिदलाल क़रार नहीं दिया।

1007. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि धोका और फ़रेबदेही से एक गुलाम को क़त्ल कर दिया गया तो उमर ﵁ ने फ़रमाया अगर उस के क़त्ल में सारे अहले सन्आ शरीक होते तो मैं उन सब को क़त्ल कर डालता। (बुख़ारी)

(١٠٠٧) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1008. अबू शुरैह ख़ुज़ाई से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मेरे इस ख़ुतबा के बाद अगर किसी का कोई आदमी मारा जाये तो मक़तूल के वरसा को दो इख़्तियार हैं या तो दियत ले लें या क़ातिल को मक़तूल के बदले में क़त्ल कर दें।" (इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और इस रिवायत की असल इस के हम माना सहीहैन में अबू हुरैरा ﵁ से मरवी है)

(١٠٠٨) وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، بَعْدَ مَقَالَتِي هٰذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتُلُوا». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ.

1. दियत की अक़्साम का बयान

١ - بَابُ الدِّيَاتِ

1009. अबू बक्र बिन मुहम्मद बिन अम्र बिन हज़्म ने अपने बाप के हवाले से अपने दादा से रिवायत किया है कि नबी ﷺ ने यमन वालों को लिखा, फिर हदीस बयान की, जिस में लिखा था "जिस किसी ने एक बेगुनाह मुसलमान को क़त्ल किया और उस क़त्ल के गवाह हों तो उस पर क़िसास ज़रूरी है, इल्ला यह कि मक़तूल के वरसा राज़ी हों तो

(١٠٠٩) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَىٰ أَهْلِ الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِيهِ: أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِناً قَتْلاً عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ. وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ: مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ

الدِّيَةُ، وَفِي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي المَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي المُنَقِّلَةِ خَمسَ عَشَرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ، مِنْ أَصَابِعِ اليَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي المُوضِحَةِ خَمْسٌ مِن الإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالمَرْأَةِ، وَعَلَىٰ أَهْلِ ٱلذَّهَبِ أَلفُ دِينَارٍ. أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي المَرَاسِيلِ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ.

एक जान के क़त्ल की दियत सौ ऊँट है और नाक में भी पूरी दियत है जबकि उसे जड़ से काट दे और दोनों आँखों और ज़बान और दोनों होठों के बदले भी पूरी दियत है। इसी तरह ख़ास अज़ो और दो ख़ुसिया में भी पूरी दियत है और पुश्त में भी पूरी दियत है और एक पाँव की सूरत में आधी दियत है और दिमाग़ के ज़ख़्म और पेट के ज़ख़्म में तिहाई दियत है और वह ज़ख़्म जिस से हड्डी टूट जाये उस में पन्द्रह ऊँट और हाथ और पाँव की हर एक अंगुली में दस-दस ऊँट दियत है और एक दाँत की दियत पाँच ऊँट और ऐसे ज़ख़्म में जिस से हड्डी नज़र आने लगे पाँच ऊँट दियत है और मर्द को औरत के बदला क़त्ल किया जायेगा और जिन के पास ऊँट न हों और सोना हो तो उन से एक हज़ार दीनार वसूल किये जायेंगे।" (अबू दाउद ने इसे अपनी मरासील में लिखा है और नसाई, इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने जारूद, इब्ने हिब्बान और अहमद ने रिवायत किया है और इस की सेहत में उन्होंने इख़्तिलाफ़ किया है)

(١٠١٠) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «دِيَةُ الخَطَاءِ أَخْمَاساً: عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بَنِي لَبُونٍ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. وَأَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ بِلَفْظِ: «وَعِشْرُونَ بَنِي مَخَاضٍ» بَدَلَ «بَنِي لَبُونٍ»، وَإِسْنَادُ الأَوَّلِ أَقْوَى، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَوْقُوفاً، وَهُوَ أَصَحُّ مِنَ المَرْفُوعِ.

1010. अब्दुल्लाह बिन मसउद ﷺ ने नबी ﷺ से रिवायत किया है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "क़त्ल ग़लती की सूरत में पाँच तरह के ऊँट दियत में वसूल किये जायेंगे, बीस ऐसे ऊँट जिन की उम्र तीन साल हो और बीस ऊँट जिन की उम्र चार साल हो और बीस मादा ऊँट जिन की उम्र दो साल हो और बीस मादा ऊँट जिन की उम्र एक-एक साल हो और बीस नर ऊँट जिन की उम्र एक साल हो" (सुनन दार कुतनी) और चारों ने इन

अलफ़ाज़ से ज़िक्र किया है कि "बीस नर ऊँट एक साल उम्र के बदले दो साल उम्र के" और पहली की सनद मज़बूत है और इब्ने अबी शैबा ने एक और तरीक़ से मौक़ूफ़न रिवायत किया है और उस की सनद इस मरफ़ूअ से ज़्यादा सहीह है।

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَفَعَهُ: الدِّيَةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا.

अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने अम्र बिन शुऐब अन अबीह अन जद्दिहि के तरीक़ से मरफ़ूअन नक़्ल किया है कि "दियत में तीस तीन साल की और तीस चार साल की और चालीस हामिला ऊँटनियाँ वसूल की जायेंगी।

(١٠١١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ لِذَحْلِ الجَاهِلِيَّةِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي حَدِيثٍ صَحَّحَهُ.

1011. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा नबी ﷺ से रिवायत करते हैं कि आप ﷺ ने फ़रमााया "अल्लाह तआला की सब से ज़्यादा सरकशी करने वाले लोग तीन तरह के हैं (एक) जो अल्लाह के हरम में क़त्ल करे (दूसरा) जो अपने ग़ैर क़ातिल को क़त्ल करे (तीसरा) वह जो जाहिलियत की अदावत व दुश्मनी की बिना पर क़त्ल करे।" (इब्ने हिब्बान ने इस की तख़रीज एक हदीस के बारे में की है, जिसे उन्होंने सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में अल्लाह तआला की सरकशी करने वाले तीन तरह के आदमियों का ज़िक्र है। उन में एक वह बदनसीब है जो मक्का में नाहक़ क़त्ल करता है, क़त्ल करना वैसे ही बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है, मगर हरम मक्का व मदीना में क़त्ल करना संगीन तरीन जुर्म है, जिस से मालूम हुआ कि मुक़ाम व जगह में जुर्म की संगीनी में फ़र्क़ होता है।

(١٠١٢) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَلَا إِنَّ دِيَةَ الْخَطَاءِ وَشِبْهِ العَمْدِ، مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا».

1012. अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "क़त्ल ख़ता की दियत शिब्ह अम्द (की दियत है) जो कोड़े और लाठी से (मारा गया) हो, उस की दियत

सौ ऊँट है, उन में चालीस ऊँटनियाँ ऐसी होंगी जिन के पेट में बच्चे पल रहे होंगे।" (इसे अबू दाउद, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस को यहाँ बयान करने से मक़्सूद यह है कि अम्र बिन शुऐब वाली हदीस की तफ़सीर हो जाये कि उस में जो तीन तरह की दियत बयान हुई है वह क़त्ल ख़ता की दियत नहीं बल्कि क़त्ल शिब्ह अम्द की है।

1013. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "यह और यह यानी छुंगली और अंगूठा बराबर हैं" (बुख़ारी)

(١٠١٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «هٰذِهِ وَهٰذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

और अबू दाउद और तिर्मिज़ी की रिवायत में है कि सब अंगुलियाँ बराबर और सारे दाँत बराबर सनिया (सामने ऊपर नीचे के दो दो दाँत) और दाढ़ बराबर।

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ: دِيَةُ ٱلأَصَابِعِ سَوَاءٌ وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ والضِّرْسُ سَوَاءٌ.

और इब्ने हिब्बान की रिवायत में है "हाथों और पाँव की अंगुलियों की दियत बराबर है, हर अंगुली के बदला दस ऊँट दियत हैं।

وَلِابْنِ حِبَّانَ: دِيَةُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ.

1014. अम्र बिन शुऐब ने अपने बाप से और उन्होंने अपने दादा से मरफ़ूअ रिवायत बयान की है कि जो आदमी अपने आप डाक्टर बन कर किसी को दवाई देता है, हालाँकि उसे डाक्टरी में महारत नहीं और उस (के ग़लत इलाज) से कोई आदमी क़त्ल हो जाये या कोई नुक़सान किसी को पहुँच जाये तो वह उस का ज़ामिन है। (इसे दार कुतनी ने रिवायत किया है और हाकिम ने सहीह कहा है, अबू दाउद और नसाई वग़ैरा के यहाँ भी

(١٠١٤) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، رَفَعَهُ، قَالَ: مَنْ تَطَبَّبَ، وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفاً، فَأَصَابَ نَفْساً فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِمَا، إِلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ.

रिवायत मन्कूल है मगर जिन रावियों ने इस रिवायत को मुरसल बयान किया है वह इन रावियों से ज़्यादा मज़बूत हैं जिन्होंने इसे मौसूल बयान किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ अगर कोई आदमी सहीह मानो में डाक्टर नहीं मगर वह किसी को दवाई देता है और उस से जानी नुक़सान हो जाता है या आज़ाये बदन में से कोई अज़ो नकारा हो जाता है तो उस पर उस की दियत वाजिब होगी और अदायेगीये दियत का बोझ उस के असबा पर भी पड़ेगा।

(١٠١٥) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «فِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ. وَزَادَ أَحْمَدُ: «وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ كُلُّهُنَّ، عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ»، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ.

1015. अम्र बिन शुऐब ने अपने बाप से, उन्होंने अपने दादा से रिवायत की है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जिन ज़ख़्मों से हड्डी खुल जायें उन की दियत पाँच ऊँट हैं।" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है) और अहमद में इतना ज़्यादा है "तमाम अंगुलियों की दियत बराबर है यानी हर अंगुली की दियत दस-दस ऊँट है।" (इस रिवायत को इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने जारूद ने सहीह कहा है)

(١٠١٦) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَقْلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ. وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: «دِيَةُ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْحُرِّ». وَلِلنَّسَائِيِّ: «عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِيَتِهَا». وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

1016. उन्हीं से यह रिवायत भी मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ज़िम्मियों की दियत मुसलमानों की दियत का आधा है" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है) और अबू दाउद के अलफ़ाज़ इस तरह हैं "ज़िम्मी की दियत आज़ाद के मुक़ाबिला में आधी है" और नसाई की रिवायत में है "औरत की दियत मर्द की दियत की तरह है, यहाँ तक कि दोनों की दियत तिहाई तक पहुँचे" (इसे इब्ने ख़ुज़ैमा ने सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि ज़िम्मी की दियत मुसलमान की दियत से आधी है, ज़िम्मी उस काफ़िर को कहते हैं जो इस्लामी रियासत में बतौर रिआया रहता हो।

(١٠١٧) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَقْلُ شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظٌ، مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذٰلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ فَتَكُونُ دِمَاءٌ بَيْنَ النَّاسِ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَضَعَّفَهُ.

1017. उन्हीं (अमर बिन शुऐब ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "क़त्ल शिब्ह की दियत क़त्ल अम्द की तरह दियत मुग़ल्लज़ा है, इसलिये क़ातिल को क़त्ल नहीं किया जायेगा, हो सकता है कहीं शैतान बीच में दख़लअन्दाज़ी करे और बग़ैर किसी दुश्मनी और बग़ैर हथियारों के किसी और वजह से क़त्ले आम शुरू हो जाये" (इस की दार क़ुतनी ने तख़रीज की है और इसे कमज़ोर कहा है)

(١٠١٨) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ دِيَتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً. رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ النَّسَائِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

1018. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ के ज़माने में एक आदमी ने दूसरे आदमी को क़त्ल कर दिया तो नबी ﷺ ने उस की दियत बारह हज़ार तय फ़रमायी। (इसे चारों ने रिवायत किया है, नसाई और अबू हातिम दोनों ने इस रिवायत के मुरसल होने को तरजीह दी है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि अगर किसी के पास ऊँट न हों तो दियत नक़्दी की सूरत में भी दी जा सकती है, वह सिक्का चाहे दीनार हो या दिरहम या काग़ज़ी नोट, ऊँट की क़ीमत तय करके उतनी नक़्दी अदा की जा सकती है।

(١٠١٩) وَعَنْ أَبِي رِمْثَةَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَمَعِي ابْنِي، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقُلْتُ: ابْنِي، وَأَشْهَدُ بِهِ، فَقَالَ: «أَمَا إِنَّهُ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ. وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُودِ.

1019. अबू रिम्सा ﷺ से रिवायत है कि मैं नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, मेरे साथ मेरा बेटा भी था, आप ﷺ ने पूछा "यह कौन है?" मैंने अर्ज़ किया मेरा बेटा है, इसलिए आप ﷺ इस पर गवाह रहें, आप ﷺ ने फ़रमाया: "बेशक यह तेरे गुनाह और जुर्म का ज़िम्मेदार नहीं और न तू इसके गुनाह और जुर्म का ज़िम्मेदार" (इसे नसाई और अबू दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने ज़ारूद ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि क़िसास और सज़ा में मुजरिम के बदले में किसी और को नहीं पकड़ा जायेगा, यहाँ तक कि बाप के बदले में बेटा और बेटे के बदले में बाप से मुवाख़ज़ा नहीं होगा।

2. खून का दावा और क़सामत का बयान

٢ - بَابُ دَعْوَى الدَّمِ وَالقَسَامَةِ

1020. सहल बिन अबी हसमा ने अपनी क़ौम के बड़े बुज़ुर्गों से रिवायत बयान की है कि अब्दुल्लाह बिन सहल और मुहैएसा बिन मसउद रज़ि अल्लाहु अन्हुमा अपनी तंगदस्ती की वजह से ख़ैबर की तरफ़ निकले, मुहैएसा ने आकर ख़बर दी कि अब्दुल्लाह बिन सहल ﷺ को क़त्ल कर दिया गया है और उसे एक चश्मा में फेंक दिया गया है, मुहैएसा ﷺ यहूद के पास आये और कहा कि अल्लाह की क़सम तुम लोगों ने उसे क़त्ल किया है, वह बोले अल्लाह की क़सम हम ने उसे क़त्ल नहीं किया, फिर मुहैएसा और उस के भाई हुवैएसा और अब्दुर्रहमान बिन सहल (रज़ि अल्लाहु अन्हुम) तीनों रसूलुल्लाह ﷺ की अदालत में पहुँचे और मुहैएसा ने बात करनी चाही तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बड़े को बात करने दो बड़े को" आप ﷺ की मुराद थी जो तुम में उम्र में बड़ा है उसे बात करनी चाहिये, चुनाँचि हुवैएसा ﷺ ने बयान दिया, फिर मुहैएसा बोले तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "वह लोग या तो तुम्हारे साहब व साथी की दियत अदा करें या जंग के लिये तैयार हो जायें" फिर इस सिलसिले में आप ﷺ ने उन को ख़त लिखा, जिस के

(١٠٢٠) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَآءِ قَوْمِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ، مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ، فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ، وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَبِّرْ كَبِّرْ»، يُرِيدُ السِّنَّ. فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِحَرْبٍ»، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ فِي ذٰلِكَ كِتَاباً، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ لِحُوَيِّصَةَ، وَمُحَيِّصَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ سَهْلٍ: «أَتَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ»، قَالُوا: لَيْسُوا مُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مِائَةَ نَاقَةٍ، قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

जवाब में उन्होंने लिखा कि अल्लाह की क़सम हम ने उसे क़त्ल नहीं किया, उस के बाद आप ﷺ ने हुवैएसा, मुहैएसा और अब्दुर्रहमान बिन सहल (रज़ि अल्लाहु अन्हुम) से फ़रमाया: "क्या तुम लोग क़सम खाकर अपने साहब के ख़ून के हक़दार बनोगे?" उन्होंने जवाब दिया नहीं, फिर आप ﷺ ने उन से पूछा कि तुम को यहूदी क़सम दें? उन्होंने जवाब दिया कि वह तो मुसलमान नहीं हैं (इसलिये उन की क़सम का कोई एतिबार नहीं) फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने उस की दियत अपने पास (बैतुल माल) से दी और उन को सौ ऊँटनियाँ भेज दीं, सहल رضي الله عنه ने बताया कि उन में से एक लाल रंग की ऊँटनी ने मुझे लात मारी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से क़सामत का सुबूत मिलता है और क़सामत यह है कि क़ातिल का किसी तरह पता न चलने की वजह से मुशतबह आदमियों या क़ौम से क़सम ली जाये कि उन्होंने क़त्ल नहीं किया और उन को उस के क़ातिल का इल्म भी नहीं, यह रस्म दौरे जाहिलियत में भी थी, इस्लाम ने उसे जायेज़ रखा।

1021. एक अन्सारी सहाबी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने ज़मानये जाहिलियत की क़सामत को बरक़रार रखा और आप ﷺ ने उस का फ़ैसला अन्सार के कुछ लोगों के बीच एक मक़तूल के हक़ में दिया, जिस का दावा यहूदियों पर किया गया था। (मुस्लिम)

(١٠٢١) وَعَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَرَّ القَسَامَةَ عَلَىٰ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى اليَهُودِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से ज़मानये जाहिलियत की रस्म क़सामत का इल्म होता है, फिर उसी क़सामत को आप ﷺ ने बाक़ी रखा।

3. बाग़ी लोगों से जंग व क़िताल करना

٣ - بَابُ قِتَالِ أَهْلِ البَغْيِ

1022. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने हमारे ख़िलाफ़ हथियार उठाया, उस का हम से कोई तअल्लुक़ नहीं।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٠٢٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस्लाम मुसलमानों को आपसी मुहब्बत और भाईचारगी से रहने का आदेश देता है, एक दूसरे से ख़ैरख़्वाही और हमदर्दी की तालीम देता है, एक दूसरे से तआवुन व तनासुर का सबक़ देता है, इस हदीस में मुसलमान का मुसलमान के ख़िलाफ़ अस्लिहा इस्तिमाल करना इस्लाम की तालीम के सरासर ख़िलाफ़ है, इसी लिये रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी हम पर हथियार उठाये उस का हमारे साथ कोई तअल्लुक़ नहीं।

1023. अबू हुरैरा رضی اللہ عنہ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने इमाम की इताअत से ख़ुरूज किया और मुसलमानों की जमाअत से अलग हो गया और उसी हालत में उस को मौत आ गयी तो उस की यह मौत जाहिलियत की मौत होगी।" (मुस्लिम)

(١٠٢٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الجَمَاعَةَ، وَمَاتَ، فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि आदमी मुसलमानों की जमाअत से कुछ इख़्तिलाफ़ की वजह से अलग हो जाये, सिर्फ़ अलाहदगी इख़्तियार की हो, बाग़ियाना रविश न इख़्तियार की तो उस के इस तरज़े अमल की बिना पर उस से लड़ाई नहीं की जायेगी, और उसे उस के हाल पर छोड़े रखा जाये, यहाँ तक कि वह बाग़ियाना तर्ज़ ज़िन्दगी पर निकल खड़ा हो, जब वह ऐसे रास्ते पर चलेगा तो उस से लड़ाई की जायेगी।

1024. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अम्मार को बाग़ी गिरोह क़त्ल करेगा।" (मुस्लिम)

(١٠٢٤) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَقْتُلُ عَمَّاراً الفِئَةُ البَاغِيَةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

आम मुअर्रिख़ीन का ख़्याल है कि अम्मार को जंगे सिफ़्फ़ीन के दिन अमीर मुआविया ﷺ के साथियों ने क़त्ल किया है, हालाँकि हक़ीक़त कुछ इस तरह है कि अली ﷺ और अमीर मुआविया ﷺ को आपस में लड़ाने वाला वही बाग़ियों का गिरोह था जिस ने उस्मान ﷺ को क़त्ल किया था, अली ﷺ के लश्कर में बाग़ियों का वह गिरोह मौजूद था और अम्मार बिन यासिर ﷺ भी अली ﷺ के लश्कर में मौजूद थे, जंग के दौरान उसी बाग़ी गिरोह ने जो मुसलमानों को आपस में उलझा कर ही रखना चाहता था, अम्मार ﷺ को भी क़त्ल कर दिया और नबी ﷺ की पेशीनगोई भी उसी गिरोह के बारे में है।

1025. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ऐ उम्मे अब्द के बेटे! क्या तुझे मालूम है कि इस उम्मत के बाग़ी के बारे में अल्लाह तआला का क्या हुक्म है?" उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह और उस के रसूल ﷺ ही बेहतर जानते हैं, आप ﷺ ने फ़रमाया: "उस के ज़ख़्मियों को ख़त्म नहीं किया जायेगा और न भागने वाले का पीछा किया जायेगा और न ही उस के माले ग़नीमत को बाँटा जायेगा" (बज़्ज़ार और हाकिम दोनों ने रिवायत किया है और इसे सहीह कहा है, मगर यह हाकिम का वहम है इस लिये कि इस की सनद में कौसर बिन हकीम मतरूक रावी है और अली ﷺ से मौक़ूफ़न उस की तरह कई तरीक़े से मरवी है जो सहीह है, इसे इब्ने अबी शैबा और हाकिम ने रिवायत किया है)

(١٠٢٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلْ تَدْرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ! كَيْفَ حُكْمُ اللَّهِ فِيمَنْ بَغَى مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؟» قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «لَا يُجْهَزُ عَلَى جَرِيحِهَا، وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرُهَا، وَلَا يُطْلَبُ هَارِبُهَا، وَلَا يُقْسَمُ فَيْئُهَا». رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالحَاكِمُ، وَصَحَّحَهُ، فَوَهِمَ، لِأَنَّ فِي إِسْنَادِهِ كَوْثَرَ بْنَ حَكِيمٍ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

وَصَحَّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ نَحْوُهُ مَوْقُوفاً. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالحَاكِمُ.

1026. अरफ़जा बिन शुरैह कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना "जो आदमी तुम्हारे पास आये हालाँकि तुम एक अमीर पर मुत्तफ़िक़ हो और वह तुम्हारी जमाअत में तफ़रीक़ पैदा करना चाहता हो तो उसे क़त्ल कर दो।" (मुस्लिम)

(١٠٢٦) وَعَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि जब सब मुसलमान एक आदमी को अपना ख़लीफ़ा व हाकिम बना ले फिर जो मुसलमानों के बीच तफ़रका फ़ैलाने की सरगरमी दिखलाये और मुसलमानों के बीच इख़्तिलाफ़ पैदा करने की कोशिश करे वह वाजिबुल क़त्ल है।

4. मुजरिम (बदनी नुक़्सान पहुँचाने वाले) से लड़ने और मुर्तद को क़त्ल करने का बयान

٤ - بَابُ قِتَالِ الجَانِي وَقَتْلِ المُرْتَدِّ

1027. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: “जो कोई अपने माल की हिफ़ाज़त करता हुआ मारा जाये तो वह शहीद है” (इसे अबू दाउद, नसाई और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

(١٠٢٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تعالى عنهما قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

1028. इमरान बिन हुसैन रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि याला बिन उमैय्या की एक आदमी से लड़ाई हो गयी, एक ने दूसरे को दाँतों से काटा तो उस ने अपना हाथ उस के मुँह से खींच कर बाहर निकाला तो उस का सामने का दाँत टूट कर गिर गया, दोनों अपना झगड़ा नबी ﷺ की अदालत में ले गये तो आप ﷺ ने फ़रमाया: “क्या तुम एक दूसरे को इस तरह काट खाते हो जिस तरह नर ऊंट काटता है, उस के लिये कोई दियत नहीं” (बुख़ारी, मुस्लिम और यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

(١٠٢٨) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلاً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि किसी दूसरे आदमी की तरफ़ से नुक़्सान और ज़रर को दूर करने के लिये अगर कोई जुर्म हो जाये तो वह जुर्म क़ाबिले मुवाख़ज़ा नहीं।

1029. अबू हुरैरा ﷺ से मरवी है कि अबूल क़ासिम ﷺ ने फ़रमाया: “अगर कोई मर्द तेरे

(١٠٢٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ

امْرَءًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ: «فَلَا دِيَةَ لَهُ وَلَا قِصَاصَ».

घर बग़ैर इजाज़त के झाँके (नज़र डाले) और तू कंकरी मार कर उस की आँख फोड़ दे तो तुम पर कोई गुनाह नहीं" (बुख़ारी, मुस्लिम) अहमद और नसाई के अलफ़ाज़ हैं जिसे इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है कि "न उस की दियत है और न क़िसास।"

(١٠٣٠) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَأَنَّ عَلَىٰ أَهْلِ الْمَاشِيَةِ مَا أَصَابَتْ مَاشِيَتُهُمْ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ.

1030. बराअ बिन आज़िब ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़ैसला फ़रमाया: "दिन के वक़्त बाग़ों की हिफ़ाज़त व निगरानी बाग़ के मालिक करें और रात के वक़्त में जानवरों की हिफ़ाज़त और निगरानी जानवरों के मालिक करें, रात के वक़्त में जिस क़दर जानवर किसी का नुक़सान करेंगे उस का तावान जानवरों के मालिकों पर होगा।" (इस हदीस को अहमद और तिर्मिज़ी के अलावा चारों ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है, लेकिन इस की सनद में इख़्तिलाफ़ है)

(١٠٣١) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ -: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ، فَأُمِرَ بِهِ فَقُتِلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ: «وَكَانَ قَدِ اسْتُتِيبَ قَبْلَ ذَٰلِكَ».

1031. मुआज़ बिन जबल ﷺ से ऐसे आदमी के बारे में जो पहले इस्लाम लाया फिर यहूदी हो गया था, मरवी है कि मैं उस वक़्त तक नहीं बैठूँगा यहाँ तक कि उस को क़त्ल कर दिया जाये, यह अल्लाह और उस के रसूल ﷺ का फ़ैसला है, चुनाँचि उस के क़त्ल का हुक्म दिया गया और उसे क़त्ल कर दिया गया। (बुख़ारी, मुस्लिम) अबु दाउद की रिवायत में है कि उसे क़त्ल से पहले तौबा करने के लिये कहा गया।

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मुर्तद को सज़ाये इरतिदाद से पहले तौबा का मौक़ा दिया जायेगा और उसे तौबा के लिये बाक़ायेदा कहा जायेगा।

(١٠٣٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1032. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी अपना दीन बदल ले उसे क़त्ल कर दो" (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

यह हदीस भी सरीह और वाज़िह दलील है कि मुर्तद की सज़ा शरअन क़त्ल है चाहे वह मर्द हो या औरत, अब अगर कोई एलानिया मुर्तद हो जाये तो अदालत उस के सुबूत के बाद क़त्ल की सज़ा देगी और उसे क़त्ल कर दिया जायेगा।

(١٠٣٣) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، تَشْتِمُ النَّبِيَّ ﷺ، وَتَقَعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَخَذَ المِغْوَلَ، فَجَعَلَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا، فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرُوَاتُه ثِقَاتٌ.

1033. उन्हीं (इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से मरवी है कि एक आदमी अंधा था, उस की एक उम्मे वलद लौंडी रसूलुल्लाह ﷺ को गाली देती और बुरा भला कहती थी, वह अंधा सहाबी उसे मना करते मगर वह बाज़ न आती, एक रात उन्होंने कुदाल ले कर उस के पेट पर रख कर उस पर अपना बोझ डाल कर दबाया और उसे क़त्ल कर दिया, यह बात नबी ﷺ तक पहुँची तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "तुम गवाह रहो उस का खून रायेगाँ और बेकार गया" (अबू दाउद, इस के रावी सिक़ा हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि रसूलुल्लाह ﷺ को गाली देने वाले की सज़ा क़त्ल है।

10- हुदूद के मसायेल

١٠ - كِتَابُ الحُدُودِ

1. ज़ानी की हद का बयान

١ - بَابُ حَدِّ الزَّانِي

1034. अबू हुरैरा ؓ और ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी ؓ से रिवायत है कि एक देहाती आदमी रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैं आप को अल्लाह की क़सम देकर अर्ज़ करता हूँ कि आप ﷺ किताबुल्लाह के मुताबिक़ मेरा फ़ैसला फ़रमायें और दूसरा जो उस के मुक़ाबिल में ज़्यादा समझदार और दाना था, उस ने भी कहा कि हमारे दरमियान आप ﷺ किताबुल्लाह के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमायें और मुझे कुछ अर्ज़ करने की इजाज़त दें, आप ﷺ ने फ़रमाया: "बयान करो" वह बोला, मेरा बेटा उस के यहाँ मज़दूरी पर काम करता था, उस की बीवी से ज़िना का मुरतकिब हो गया और मुझे ख़बर दी गयी कि मेरे बेटे पर रज्म की सज़ा है तो मैंने उस के फ़िदिये में (बदले में) एक सौ बकरियाँ और एक लौंडी दे कर उस की जान छुड़ायी, उस की बात मैंने इल्म वालों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे की सज़ा सौ कोड़े और एक साल की ज़लावतनी है और उस औरत को सज़ाये रज्म है, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "क़सम है उस ज़ात की जिस के क़ब्ज़ये क़ुदरत में मेरी जान है! मैं तुम दोनों के बीच अल्लाह की किताब के ऐन मुताबिक़ ही फ़ैसला करूँगा, लौंडी और बकरियाँ तुम्हें वापस लौटायी जायेंगी और तेरे बेटे की सज़ा

(١٠٣٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْشُدُكَ بِاللهِ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللهِ! فَقَالَ الآخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَائْذَنْ لِي، فَقَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَىٰ هٰذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ العِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الوَلِيدَةُ وَالغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ! إِلَى امْرَأَةِ هٰذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهٰذَا اللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

सौ कोड़े और साल भर जलावतनी है, ऐ अनीस! तुम इस आदमी की बीवी के पास जाओ (और उस से पूछो) अगर वह इस का इक़रार कर ले तो उसे संगसार कर दो।" (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि शादीशुदा ज़ानी की सज़ा रज्म है और ग़ैर शादीशुदा की सज़ा सौ कोड़े और एक साल की जलावतनी है, उलमाये अहनाफ़ जलावतनी के क़ायेल नहीं, मगर यह सरीह और सहीह हदीस इन के ख़िलाफ़ है।

(١٠٣٥) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1035. उबादा बिन सामित ﷛ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अहकाम शरीअत) मुझ से हासिल कर लो, (अहकाम शरीअत) मुझ से हासिल कर लो, अल्लाह तआला ने उन औरतों के लिये रास्ता वाज़िह कर दिया है, कुँवारा लड़का कुँवारी लड़की से ज़िना करे तो उस की सज़ा सौ कोड़े और एक साल की जलावतनी और अगर शादीशुदा औरत के साथ शादी शुदा ज़िना करे तो उस की सज़ा सौ कोड़े और रज्म।" (मुस्लिम)

(١٠٣٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّى تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى ثَنَّى ذٰلِكَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ

1036. अबू हुरैरा ﷛ से रिवायत है कि एक मुसलमान आदमी रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, उस वक़्त आप ﷺ मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे, बुलन्द आवाज़ से कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ज़िना किया है, आप ﷺ ने उस से मुँह फेर लिया, वह दूसरी तरफ़ से घूम कर फिर आप ﷺ के सामने आ गया और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ज़िना क्या है, आप ﷺ ने फिर अपना रुख़े अनवर फेर लिया, इस तरह उस

أَحْصَنْتَ؟» قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اذْهَبُوا بِهِ، فَارْجُمُوهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

आदमी ने चार मरतबा बार-बार सामने आकर इक़रार किया, इस तरह जब उस ने अपने आप पर चार बार गवाहियाँ दे दीं तो आप ﷺ ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा "क्या तू पागल है?" वह बोला नहीं, आप ﷺ ने फिर फ़रमाया: "क्या तू शादीशुदा है?" उस ने कहा हाँ! (मैं शादी शुदा हूँ) तो फिर नबी ﷺ ने फ़रमाया: "इसे ले जाओ और संगसार कर दो।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से कुछ लोगों ने यह इस्तिदलाल किया है कि ज़िना के जुर्म का इक़रार चार मरतबा है, हालाँकि इस हदीस में तो सिर्फ़ इतना है कि उस ने चार बार जुर्म का इक़रार किया है, यह कहाँ मालूम हुआ कि चार बार ख़ुद से जुर्म का इक़रार शर्त है?

(١٠٣٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ، أَوْ غَمَزْتَ، أَوْ نَظَرْتَ»، قَالَ: لَا، يَا رَسُولَ اللّٰهِ! رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1037. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि माइज़ बिन मालिक ؓ जब नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप ﷺ ने उस से पूछा "शायद तूने बोस व किनार क्या हो या छेड़छाड़ की हो और नज़रे बद डाली हो" उस ने कहा, नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि जब तक ज़ानी साफ़ और सरीह अलफ़ाज़ से जुर्म का इक़रार अपनी आज़ादी और मर्ज़ी से न करे और बाहरी व अंदरूनी दबाव में न हो उस वक़्त तक उसे संगसार करने का हुक्म न दिया जाये।

(١٠٣٨) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ خَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّداً بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ، قَرَأْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، فَرَجَمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ

1038. उमर बिन ख़त्ताब ؓ से मरवी है कि उन्होंने ख़ुतबा फ़रमाया और कहा कि मुहम्मद ﷺ को अल्लाह तआला ने हक़ और सदाक़त दे कर मबऊस फ़रमाया और उन पर किताब नाज़िल फ़रमायी, जो कुछ आप ﷺ पर नाज़िल फ़रमाया उस में रज्म की आयत भी नाज़िल फ़रमायी थी, हम ने

الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ، أَوِ الاعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ख़ुद उसे पढ़ा है और उसे याद भी रखा है और उसे ख़ूब समझा और दिलो-दिमाग़ में महफ़ूज़ भी रखा है, फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने रज्म किया और आप ﷺ के बाद हम ने भी रज्म किया, मुझे अन्देशा है कि कुछ ज़माना गुज़रने के बाद कहने वाले कहेंगे कि किताबुल्लाह में हम रज्म की सज़ा का ज़िक्र नहीं पाते, इस तरह वह ऐसे फ़र्ज़ के तारिक होकर जिसे अल्लाह तआला ने नाज़िल फ़रमाया था, गुमराह हो जायेंगे, हालाँकि रज्म की सज़ा किताब में हक़ है उस आदमी के लिये जिस ने ज़िना किया हो, उस हालत में जबकि वह शादी शुदा हो, वह चाहे मर्द हों या औरतें, जबकि दलील क़ायेम हो जाये या हमल हो या ख़ुद इक़रार करे। (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि ज़िना का सुबूत तीन तरह से हो सकता है, चार गवाह हों तो ज़िना का जुर्म साबित होगा या मुजरिम ख़ुद इक़रार करे कि उस ने जुर्म किया है या औरत का हामिला होना और अगर यह सूरत पेश आ जाये कि एक औरत शादीशुदा भी नहीं और लौंडी भी नहीं मगर हामिला है तो इस सूरत में उमर ؓ के अलावा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और उन के शार्गिद कहते हैं कि उस पर हदे ज़िना नाफ़िज़ होगी।

(١٠٣٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

1039. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना, फ़रमाते थे कि "जब तुम में से किसी की लौंडी ज़िना की मुरतकिब हो और उस का ज़िना नुमायाँ और ज़ाहिर हो जाये तो उसे चाहिये कि इस लौंडी पर हद लगाये और मलामत न करे, (उस के बाद) फिर अगर लौंडी ज़िना का इरतिकाब करे तो उसे चाहिये कि उस लौंडी पर हद लगाये और उसे मलामत न करे, (उस के बाद) फिर अगर वह लौंडी तीसरी बार ज़िना करे और उस का ज़िना ज़ाहिर व नुमायाँ हो जाये तो

उसे बेच दे चाहे बालों से बटी हुई एक रस्सी के बदले में ही क्यों न हो।" (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस से और अली ﷺ की हदीस से जो आगे आने वाली है, मालूम हुआ कि लौंडी और गुलाम पर उस का मालिक हद लगा सकता है और आज़ाद के मुक़ाबिले में उन पर आधी सज़ा नाफ़िज़ की जायेगी, जैसाकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया उन पर पाक दामन आज़ाद औरत की सज़ा से आधी सज़ा है।

1040. अली ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अपने क़ब्ज़ा में लौंडी और गुलाम पर हदें क़ायेम करो" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और मुस्लिम में यह रिवायत मौक़ूफ़ है)

(١٠٤٠) وعن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «أَقِيمُوا الحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُم» رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وهو في مُسْلِمٍ مَوْقُوفٌ.

1041. इमरान बिन हुसैन रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि जुहनी क़बीला की एक औरत नबी ﷺ के पास आयी और वह उस वक़्त ज़िना (के हराम काम) से हामिला थी, उस ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हद की मुस्तिहक़ हूँ, लेहाज़ा आप ﷺ इस हद को मुझ पर नाफ़िज़ फ़रमायें, रसूलुल्लाह ﷺ ने उस के वली व सरपरस्त को बुलवाया और उस से फ़रमाया: "इस के साथ हुस्ने सुलूक करो जब वह हमल से फ़ारिग़ हो जाये तो इसे मरे पास ले आओ" उस ने आप ﷺ के फ़रमान के मुताबिक़ अमल किया, फिर आप ﷺ ने उस के बारे में हुक्म दिया, चुनाँचि उस के कपड़े मज़बूती से बाँध दिये गये, फिर आप ﷺ ने उस के बारे में हुक्म दिया और उसे संगसार कर दिया गया, फिर उस की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी तो उमर ﷺ बोल उठे, ऐ अल्लाह के नबी! आप ﷺ उस

(١٠٤١) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، وَهِيَ حُبْلَىٰ مِنَ الزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَصَبْتُ حَدًّا، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلِيَّهَا، فَقَالَ: «أَحْسِنْ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا»، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ! وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى؟». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

की नमाज़े जनाज़ा पढ़ते हैं हालाँकि यह तो ज़िना की मुरतकिब हुई है? आप ﷺ ने फ़रमाया: "उस ने ऐसी तौबा की है कि अगर उस की तौबा मदीना वालों के सत्तर आदमियों पर बाँट दी जाये तो वह सब पर वसीअ हो जायेगी, क्या तूने इस से बेहतर आदमी देखा या पाया है जिस ने अल्लाह के लिये अपनी जान को अल्लाह के सिपुर्द कर दिया हो।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि हामिला औरत पर ज़िना की हद फ़ौरन नहीं लगानी चाहिये, हमल तक बिलइत्तिफ़ाक़ हद उस पर नाफ़िज़ नहीं करनी चाहिये, हमल के बाद भी अगर बच्चे की परवरिश का कोई ज़िम्मा ले और बच्चा को दूध पिलाने वाली का इंतिज़ाम हो तो फिर हद लगायी जायेगी।

(١٠٤٢) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: رَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ، وَامْرَأَةً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقِصَّةُ رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ.

1042. जाबिर बिन अब्दुल्लाह ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने असलम क़बीला के एक आदमी को रज्म किया और एक यहूदी मर्द और एक औरत को भी। (मुस्लिम, यहूदी मर्द और औरत की सज़ाये रजम का वाक़ेआ इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से सहीहैन में मन्कूल है)

(١٠٤٣) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ فِي أَبْيَاتِنَا رُوَيْجِلٌ ضَعِيفٌ، فَخَبُثَ بِأَمَةٍ مِنْ إِمَائِهِمْ فَذَكَرَ ذٰلِكَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «اضْرِبُوهُ حَدَّهُ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: خُذُوا عِثْكَالاً فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، ثُمَّ اضْرِبُوهُ بِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً»، فَفَعَلُوا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لٰكِنِ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ.

1043. सईद बिन साद बिन उबादा ؓ से रिवायत है कि हमारे घरों में एक छोटा सा कमज़ोर व लाग़र आदमी रहता था, वह हमारी लौंडियों में से एक लौंडी के साथ ज़िना का जुर्म कर डाला, साद ؓ ने उस का ज़िक्र रसूलुल्लाह ﷺ से किया तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "उसे हद लगाओ" तो सब लोग बोल उठे ऐ अल्लाह के रसूल! वह तो बहुत ही कमज़ौर और लाग़र है तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "खजूर के पेड़ की एक ऐसी टहनी

लो जिस में सौ शाख़ें हों, फिर उसे एक ही दफ़ा उस मर्द पर मार दो" तो उन लोगों ने ऐसा ही किया। (इसे अहमद, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इस की सनद हसन है, लेकिन इस के मौसूल और मुरसल होने में इख़्तिलाफ़ है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि ग़ैर शादीशुदा ज़ानी किसी सख़्त बीमारी की वजह से या फ़ितरी तौर पर इतना कमज़ोर और लाग़र हो कि कोड़ों की पूरी हद से उस के मर जाने का ख़तरा हो तो ऐसी ख़ास सूरत में हद में नर्मी की जा सकती है, अलबत्ता तादाद में कमी व बेशी नहीं।

(١٠٤٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الفَاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا البَهِيمَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافاً.

1044. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जिस आदमी को तुम पाओ कि वह क़ौम लूत के फ़ेल का मुरतकिब हुआ है तो फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों को क़त्ल कर दो, और जिस किसी को पाओ कि वह जानवरों के साथ बदफ़ेली किया हो तो उस मर्द और उस जानवर दोनों को मार डालो" (इसे अहमद और चारो ने रिवायत किया है, इस के रावियों की तौसीक़ की गयी है)

(١٠٤٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا. أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ضَرَبَ وَغَرَّبَ، وَأَبُو بَكْرٍ ضَرَبَ وَغَرَّبَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَقْفِهِ وَرَفْعِهِ.

1045. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने (ज़ानी को) मारा भी और जलावतन भी किया और अबू बक्र رضي الله عنه ने मारा भी और जलावतन भी किया। (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, इस के रावी सिक़ा हैं मगर इस के मौक़ूफ़ और मरफ़ूअ होने के बारे में इख़्तिलाफ़ है)

(١٠٤٦) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ

1046. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने ऐसे मर्दों पर लानत फ़रमायी जो औरतों का रूप धारें और ऐसी औरतों पर लानत फ़रमाई है जो मर्द

النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

बनें, और फ़रमाया: "उन को अपने घरों से निकाल दो (घरों में दाख़िल न होने दो।" (बुख़ारी)

(١٠٤٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادْفَعُوا الحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهَا مَدْفَعاً». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، بِلَفْظِ: «ادْرَءُوا الحُدُودَ عَنِ المُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضاً.

وَرَوَاهُ البَيْهَقِيُّ، عَنْ عَلِيٍّ، مِنْ قَوْلِهِ، بِلَفْظِ: «ادْرَءُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».

1047. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हुदूद को दफ़ा करो, जहाँ तक उस के दफ़ा करने की गुंजाईश पाओ" (इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इस की सनद कमज़ोर है)

और इस को तिर्मिज़ी और हाकिम ने आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा के वास्ते से बयान किया है, जिस के अलफ़ाज़ हैं "मुसलमानों से जहाँ तक हुदूद को हटा सकते हो हटाओ" (यह भी ज़ईफ़ है) और बैहक़ी ने इसे अली ﷺ के वास्ते से रिवायत किया है, इस के अलफ़ाज़ हैं "शुब्हात की वजह से हुदूद को दफ़ा करो।

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि जब हुदूद के सुबूत में किसी क़िस्म का शुब्हा पैदा हो जाये तो हद को मौकूफ़ कर देना चाहिये।

(١٠٤٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْتَنِبُوا هَذِهِ القَاذُورَاتِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَمَنْ أَلَمَّ بِهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسَتْرِ اللهِ تَعَالَى، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى». رَوَاهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ فِي المُوطَّإِ مِنْ مَرَاسِيلِ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ.

1048. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इन गंदे कामों से बचो जिन से अल्लाह तआला ने मना फ़रमाया है और जो आदमी उन में मुब्तला हो जाये तो उसे अल्लाह के डाले हुये पर्दा में छिपे रहना चाहिये और उसे चाहिये कि अल्लाह की जनाब में (पोशीदा तौर पर) तौबा कर ले, क्योंकि जो आदमी अपनी पीठ हमारे सामने ज़ाहिर करेगा हम उस पर किताबुल्लाह को नाफ़िज़ व क़ायेम करके छोड़ेंगे" (इसे हाकिम ने रिवायत किया है और यह मुवत्ता में ज़ैद बिन असलम से मुरसलन मरवी है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि इन्सानी कमज़ोरी की बिना पर गुनाह का हो जाना ख़िलाफ़ तवक़्क़ा नहीं, जब ऐसा काम हो जाये तो इन्सान को चाहिये कि अपना जुर्म और फ़ेल लोगों के सामने बयान न करता फिरे, बल्कि जब अल्लाह तआला ने पर्दा पोशी फ़रमायी है तो उसे पर्दे में ही रहने दे और पोशीदा तौर पर अपने मौला व मालिक के हुज़ूर तौबा करे उस से माफ़ी माँगे।

2. तुहमत ज़िना की हद का बयान

٢ - بَابُ حَدِّ القَذْفِ

1049. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि जब कुरआन मजीद में मेरी बराअत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह ﷺ मिम्बर पर खड़े हुये और उस का ज़िक्र फ़रमाया और कुरआन की तिलावत फ़रमायी, जब मिम्बर से नीचे तशरीफ़ लाये तो दो मर्दों और एक औरत के बारे में हुक्म दिया कि उन को हद लगायी जाये। (इस को अहमद और चारों ने रिवायत किया है और बुख़ारी ने इस की तरफ़ इशारा किया है)

(١٠٤٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى المِنْبَرِ، فَذَكَرَ ذٰلِكَ، وَتَلَا القُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَٱمْرَأَةٍ فَضُرِبُوا الحَدَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَأَشَارَ إِلَيْهِ البُخَارِيُّ.

1050. अनस बिन मालिक ؓ से रिवायत है कि इस्लाम में लिआन का पहला वाक़ेआ शरीक बिन सहमा का था, उन पर हिलाल बिन उमैय्या ने अपनी बीवी के साथ ज़िना की तुहमत लगायी थी तो रसूलुल्लाह ﷺ ने उस से फ़रमाया: "गवाह लाओ, वर्ना तुम्हारी पीठ पर हद लगायी जायेगी" (इस हदीस की तख़रीज अबू याला ने की है और इस के रावी सिक़ा हैं और बुखारी में इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत भी इसी तरह है)

(١٠٥٠) وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: أَوَّلُ لِعَانٍ كَانَ فِي الإِسْلَامِ أَنَّ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ قَذَفَهُ هِلَالُ ابْنُ أُمَيَّةَ بِٱمْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «البَيِّنَةَ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ»، ٱلْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلىٰ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَفِي البُخَارِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا.

1051. अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबिआ से रिवायत है कि मैंने अबू बक्र ؓ, उमर ؓ और उस्मान ؓ और उन के बाद वालों का अहद पाया है, मैंने उन को नहीं देखा कि

(١٠٥١) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَضْرِبُونَ المَمْلُوكَ فِي القَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ فِي جَامِعِهِ.

गुलामों को सज़ाये क़ज़फ़ (तुहमत) में चालीस (कोड़ों) से ज़्यादा मारते हों। (इसे मालिक ने रिवायत किया है और सौरी ने अपनी जामिअ में बयान किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि गुलाम और लौंडी की हद आज़ाद मर्द और औरत से आधी है।

(١٠٥٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدُّ يَوْمَ القِيَامَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1052. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी अपनी ममलूक पर ज़िना की तुहमत लगाये उस पर क़ियामत के दिन हद लगायी जायेगी, इल्ला यह कि वह उसी तरह हो जिस तरह कि उस ने कहा है (यानी वह तुहमत सच्ची हो।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

٣ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

3. चोरी की हद का बयान

(١٠٥٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ سَارِقٍ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَفْظُ البُخَارِيِّ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً».

وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ: «اقْطَعُوا فِي رُبُعِ دِينَارٍ، وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَىٰ مِنْ ذٰلِكَ».

1053. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "किसी चोर का हाथ न काटा जाये, मगर बसबब चौथाई दीनार या उस से कुछ ज़्यादा चोरी करने पर (काटा जाये)" (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं) और बुख़ारी के अलफ़ाज़ हैं "चोर का हाथ चौथाई दीनार और उस से ज़्यादा होने पर काटा जायेगा।"

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह साबित होता है कि जब तक चोरी का निसाब मुकम्मल न हो चोर का हाथ नहीं काटा जायेगा।

(١٠٥٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1054. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने ढाल की चोरी में हाथ काटने की सज़ा दी है, उस की क़ीमत तीन दिरहम थी। (बुख़ारी, मुस्लिम)

1055. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला की लानत हो उस चोर पर जो अंडा चोरी करके अपना हाथ कटवा लेता है, और रस्सी चोरी करता है और अपना हाथ कटवा लेता है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٠٥٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَيْضاً.

फ़ायेदा:

इस हदीस से ज़ाहिरिया ने इस्तिदलाल किया है कि हाथ काटने की सज़ा कम और ज़्यादा दोनों में है, कोई मुतअैयन व मुक़र्रर निसाब नहीं, हालाँकि इस हदीस में यह दलील नहीं है, इसलिये कि हदीस का मक़सद यह है कि चोरी का अमल क़ाबिले नफ़रत है, चोर इन मामूली चीज़ों के बदले अपने हाथ से महरूम हो जाता है।

1056. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "क्या तू अल्लाह की मुक़र्रर करदा हुदूद में से एक हद में सिफ़ारिश करता है?" यह फ़रमाते हुये आप ﷺ खड़े हुये फिर ख़ुतबा दिया और इरशाद फ़रमाया: "लोगो! बेशक तुम से पहले लोग इस वजह से हिलाक व तबाह हुये कि जब उन से कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी चोरी करता तो उसे छोड़ देते और जब उन में से कोई कमज़ोर आदमी चोरी करता तो उस पर हद नाफ़िज़ कर देते" (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं) और मुस्लिम में एक और सनद आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा ही से मन्क़ूल है कि एक औरत लोगों से (उधार) चीज़ें माँगा करती थी और फिर इंकार कर देती थी, तो उस औरत के हाथ काटने का नबी ﷺ ने हुक्म दे दिया।

(١٠٥٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى؟» ثُمَّ قَامَ، فَخَطَبَ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ، وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا.

1057. जाबिर ﷺ नबी ﷺ से रिवायत करते हैं कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "ख़यानत करने वाले, छीन कर ले जाने वाले और उचक कर

(١٠٥٧) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ

ले जाने वाले के लिये हाथ काटने की सज़ा नहीं है" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

1058. राफ़िअ बिन ख़दीज ؓ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इरशाद फ़रमाते सुना "फल और ख़रमा (के पेड़) की गोंद में हाथ काटने की सज़ा नहीं है" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और इब्ने हिब्बान ने इसे भी सहीह कहा है)

(١٠٥٨) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ، وَلَا فِي كَثَرٍ». رَوَاهُ الْمَذْكُورُونَ وَصَحَّحَهُ أَيْضاً التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

1059. अबू उमैय्या मख़ज़ूमी ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ के पास एक डाकू लाया गया, उस ने चोरी क़बूल कर लिया मगर सामान उस के पास न पाया गया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैं ख़्याल नहीं करता कि तूने चोरी की होगी" उस ने कहा, जी हाँ! मैंने की है, आप ﷺ ने दो या तीन बार इसी तरह दुहराया, उस ने इक़रार किया तो उस के हाथ काटने का हुक्म दे दिया, चुनाँचि हाथ काट दिया गया, उस के बाद उसे आप ﷺ की ख़िदमत में पेश किया गया, आप ﷺ ने उसे तलक़ीन फ़रमायी "अल्लाह से अपने गुनाह की बख़्शिश माँग और उस से तौबा कर" उस ने कहा मैं अल्लाह से बख़्शिश व मग़फ़िरत माँगता हूँ और उस के हुज़ूर तौबा करता हूँ, आप ﷺ ने तीन बार उस के हक़ में अल्लाह से दुआ फ़रमायी: "इलाही इस की तौबा क़बूल फ़रमा" (इस हदीस की तख़रीज अबू दाउद ने की है, अलफ़ाज़ भी उसी के हैं और अहमद और नसाई ने भी इसे रिवायत किया है और इस के रावी सिक़ा है)

(١٠٥٩) وَعَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافاً، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ»، قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَ، وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: «اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ». فَقَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ثَلَاثاً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ. وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

وَأَخْرَجَهُ الحَاكِمُ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَسَاقَهُ بِمَعْنَاهُ، وَقَالَ فِيهِ: اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ، ثُمَّ احْسِمُوهُ. وَأَخْرَجَهُ البَزَّارُ أَيْضاً، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِإِسْنَادِهِ.

और हाकिम ने अबू हुरैरा ﷺ से इस हदीस की तख़रीज की है, इस में आप ﷺ ने फ़रमाया: "इसे ले जाओ और हाथ काट दो फिर उसे दाग़ देना" और इसी के हम माना ज़िक हैं। (इसे बज़्ज़ार ने भी रिवायत किया है और कहा है कि इस की सनद में कोई नक़्स नहीं है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि जिस ने अदालत के सामने चोरी का एक बार इक़रार कर लिया हो, चाहे उस से माल और सामान बरामद न हुआ हो तो उस की सज़ा हाथ काटना है, हाथ काटने के बाद गरम तेल में हाथ रखना या कोई और तरीक़ा इख़्तियार करना ज़रूरी है ताकि ख़ून बन्द हो जाये, अगर बरवक़्त उस का यह मदावा न किया जाये जिस के नतीजे में ख़ुन बह कर वह मर गया तो उस की दियत बैतुल माल पर पड़ जायेगी।

(١٠٦٠) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هُوَ مُنْكَرٌ.

1060. अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब चोर पर हद क़ायेम कर दी जायेगी तो फिर माल की ज़मानत उस पर नहीं।" (इसे नसाई ने रिवायत किया है और ख़ुद ही वाज़िह कर दिया कि यह मुन्क़ता है और अबू हातिम ने इसे मुन्कर कहा है)

(١٠٦١) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّمْرِ المُعَلَّقِ، فَقَالَ: «مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ، مِنْ ذِي حَاجَةٍ، غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ الغَرَامَةُ وَالعُقُوبَةُ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهِ الجَرِينُ، فَبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، فَعَلَيْهِ القَطْعُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

1061. अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत किया है कि आप ﷺ से पेड़ पर लटकी हुई खजूर के बारे में पूछा गया, आप ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी भूका हो वह खाने के लिये तोड़ ले मगर उसे कपड़े में ने भरे तो उस पर कोई सज़ा नहीं और जो आदमी कपड़े में डाल कर निकल जाये तो उस पर तावान भी है और सज़ा भी और जो आदमी ऐसी सूरतहाल में खजूरें ले जाये कि मालिक ने तोड़ के महफ़ूज़ जगह में ढेर कर लिया हो

और उन की क़ीमत एक ढाल की क़ीमत के (मुसावी) बराबर हो तो उस पर हाथ काटने की सज़ा लागू होगी" (इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(١٠٦٢) وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ - لَمَّا أَمَرَ بِقَطْعِ الَّذِي سَرَقَ رِدَاءَهُ فَشَفَعَ فِيهِ -: «هَلَّا كَانَ ذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ؟» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ وَالحَاكِمُ.

1062. सफवान बिन उमैय्या ﷺ से मरवी है कि नबी ﷺ ने उन से फ़रमाया, जब उन्होंने उस आदमी के बारे में सिफ़ारिश की जिस ने चादर चुराई थी और उस के हाथ काटने का हुक्म आप ﷺ ने फ़रमाया था "मेरे पास लाने से पहले तुम्हें उस पर रहम व तरस क्यों न आया" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है और इब्ने जारूद और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

यह चोरी का वाक़ेआ यूँ है कि सफ़वान बिन उमैय्या मक़ाम बतहा या मस्जिदे हराम में लेटे हुये थे, एक आदमी आया और सफ़वान के सर के नीचे से उस की चादर खींच ली, उसे गिरफ़्तार करके नबी ﷺ की अदालत में पेश किया गया, आप ने उस का हाथ काटने का हुक्म दिया तो सफ़वान बोले मैंने इसे माफ़ किया और दरगुज़र किया, आप ﷺ ने फ़रमाया: "यह तुम ने मेरे पास लाने से पहले क्यों नहीं किया?" फिर आप ﷺ ने उस का हाथ काट दिया, इस हदीस में यह मसअला है कि जब मुक़द्दमा अदालत व हाकिम के पास चला जाये तो फिर माफ़ी की कोई गुंजाईश नहीं।

(١٠٦٣) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»، فَقَالُوا: إِنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «اقْطَعُوه»، فَقُطِعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذٰلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الخَامِسَةَ فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَاسْتَنْكَرَهُ، وَأَخْرَجَ مِنْ حَدِيثِ

1063. जाबिर ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ के पास एक चोर को लाया गया तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "इसे क़त्ल कर दो" लोगों ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! इस ने चोरी की है, आप ﷺ ने फ़रमाया: "तो फिर इस का हाथ काट दो" चुनाँचि इस का हाथ काट दिया गया, फिर दोबारा उसे पेश किया गया तो फिर आप ﷺ ने फ़रमाया: "इसे मार डालो" फिर इसी तरह ज़िक्र किया गया, फिर उस को तीसरी बार लाया गया तो फिर

الحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ نَحْوَهُ، وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّ القَتْلَ فِي الخَامِسَةِ مَنْسُوخٌ.

उसी तरह ज़िक किया, फिर चौथी बार गिरफ़्तार करके पेश किया गया तो उसी तरह ज़िक किया, फिर पाँचवी बार गिरफ़्तार करके पेश किया गया तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "इसे क़त्ल कर दो" (इस को अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और इसे मुन्कर कहा है और नसाई ने हारिस बिन हातिब की हदीस से इसी तरह और शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक किया है कि पाँचवी बार मार डालना मंसूख़ है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में चोरी के जुर्म में क़त्ल की सज़ा हुई है, मगर यह हदीस कमज़ोर (ज़ईफ़) है, बल्कि इमाम इब्ने अब्दुल-बर्र ने कहा है कि यह रिवायत मुन्कर और बेअसल है और तमाम अहले इल्म का इत्तिफ़ाक़ है कि यह क़ाबिले अमल नहीं।

٤ - بَابُ حَدِّ الشَّارِبِ وَبَيَانِ المُسْكِرِ

4. शराब पीने वाले की हद और नशा वाली चीज़ों का बयान

(١٠٦٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُالرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1064. अनस बिन मालिक ﵁ से रिवायत है कि नबी ﷺ के पास एक आदमी लाया गया जिस ने शराब पी रखी थी, फिर उस आदमी को दो छड़ियों से चालीस के लगभग कोड़े लगाये गये, (रावी का) बयान है कि अबू बक ﵁ ने भी यह सज़ा दी, जब उमर ﵁ का दौरे ख़िलाफ़त आया तो उन्होंने सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम से मशविरा किया, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ﵁ ने कहा कि हलकी तरीन सज़ा अस्सी कोड़े हैं, चुनाँचि उमर ﵁ ने उसी का हुक्म सादिर फ़रमाया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي قِصَّةِ الوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ: جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ

और मुस्लिम में वलीद बिन उक़बा के क़िस्सा में अली ﵁ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने चालीस और अबू बक ﵁ ने चालीस और

أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهٰذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. وَفِي الحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلاً شَهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ الخَمْرَ، فَقَالَ عُثْمَانُ إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتَّى شَرِبَهَا.

उमर ﷺ ने अस्सी कोड़े सज़ा दी और हर एक सुन्नत है और यह मुझे ज़्यादा महबूब है और इस हदीस में यह भी है कि एक आदमी ने वलीद के ख़िलाफ़ गवाही दी कि उस ने वलीद को शराब की कै़ करते देखा है, उस पर उस्मान ﷺ ने फ़रमाया उस ने शराब पी न होगी तो कै़ कैसे होगी।

(١٠٦٥) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ فِي شَارِبِ الخَمْرِ: «إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ [الثَّانِيَةَ] فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهٰذَا لَفْظُهُ، وَالأَرْبَعَةُ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ، وَأَخْرَجَ ذٰلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحاً عَنِ الزُّهْرِيِّ.

1065. मुआविया ﷺ ने नबी ﷺ से रिवायत किया है कि आप ﷺ ने शराबी के बारे में फ़रमाया: "जब वह शराब पिये तो उसे कोड़े मारो, फिर दोबारा शराब पिये तो फिर कोड़े लगाओ, फिर जब तीसरी बार शराब पिये तो फिर कोड़े लगाओ, मगर जब चौथी बार शराब पिये तो उस की गर्दन उड़ा दो" (इसे अहमद ने बयान किया है और यह अलफ़ाज़ उसी के हैं और चारों ने भी रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने जो कुछ ज़िक्र किया है वह तो इस पर दलालत करता है कि उस का क़त्ल मंसूख है और अबू दाउद ने सराहतन ज़ुहरी से इस की तख़रीज की है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि शराबी को क़त्ल की सज़ा दी जा सकती है, अहले ज़वाहिर और अल्लामा इब्ने हज़्म की यही राय है मगर जमहूर ने क़त्ल को मंसूख़ कहा है।

(١٠٦٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الوَجْهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1066. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई हद लगाये तो चेहरे को बचाये" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि सज़ा देते वक़्त चेहरे पर मारने से मना किया गया है, इसी तरह बच्चों और ज़ेरदस्तों को अगर किसी अम्र मजबूरी की वजह से मारने की नौबत आ जाये तो चेहरे पर मारने से परहेज़ करना चाहिये, चेहरा शर्फ़ इन्सानी का तर्जुमान है।

(١٠٦٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالحَاكِمُ.

1067. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मस्जिदों में हुदूद न लगायी जायें" (तिर्मिज़ी, हाकिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मसाजिद में हुदूद क़ायेम नहीं करनी चाहिये, क्योंकि मसाजिद सिर्फ़ अल्लाह की इबादत और बंदगी के लिये होती है और अल्लाह तआला की रहमत के नुज़ूल की जगहें हैं।

(١٠٦٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الخَمْرِ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1068. अनस ؓ से रिवायत है कि अल्लाह तआला ने शराब को हराम क़रार दिया है तो मदीना में उस वक़्त सिर्फ़ खजूर से तैयार की हुई शराब पी जाती थी। (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस के बयान करने का मक़सद यह है कि सिर्फ़ अंगूर से तैयार की हुई शराब ही हराम नहीं है बल्कि हर चीज़ से बनाई गयी शराब हराम है जो नशाआवर हो और इन्सान की अक़्ल को ढाँप ले और इन्सान अपने हवास खो बैठे।

(١٠٦٩) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالعَسَلِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1069. उमर ؓ से रिवायत है कि तहरीम शराब का हुक्म नाज़िल हुआ और वह पाँच चीज़ों से तैयार की जाती थी, अंगूर, खजूर, शहद, गन्दुम, जौ और ख़म्र (की तारीफ़ यह है कि) हर वह चीज़ है जो अक़्ल को ढाँप ले। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में पाँच चीज़ों से शराब तैयार करने का ज़िक्र है, क्योंकि उस दौर में आम तौर से उन्ही से शराब तैयार की जाती थी, ख़म्र यानी शराब उसे कहते हैं जो अक़्ल को ढाँप ले और उस पर ग़ालिब आ जाये, इसलिये यह सूरत जिस में भी पायी जाये वह हराम होगी चाहे वह खजूर या अंगूर वग़ैरा से तैयार हुई हो या किसी दूसरी चीज़ से।

(١٠٧٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1070. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने नबी ﷺ से रिवायत बयान की है कि हर नशा वाली चीज़ ख़म्र है और हर नशा वाली चीज़ हराम है। (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि हर नशा वाली चीज़ हराम है वह शर्बत की शक्ल में हो या नबीज़ की या किसी और शक्ल व सूरत में हो।

(١٠٧١) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1071. जाबिर ﵁ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़्दार नशा वाली हो उस की कम मिक़्दार भी हराम है।" (इस की तख़रीज अहमद और चारों ने की है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि जिस का ज़्यादा इस्तिमाल नशाआवर हो उस का कम इस्तिमाल भी हराम है।

(١٠٧٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ، فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالغَدَ، وَبَعْدَ الغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ، وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1072. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ के लिये मुनक़्क़ा को मशकीज़े में डाल कर नबीज़ तैयार किया जाता था, आप ﷺ उस को उस दिन भी और दूसरे और तीसरे दिन भी नोश फ़रमाते थे, जब तीसरे दिन की शाम होती तो उसे नोश फ़रमाते और दूसरे को पिला देते और बाक़ी को गिरा देते। (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि आप ﷺ नबीज़ इस्तिमाल फ़रमाते थे, मगर जब उस में नशा की कैफ़ियत का गुमान और अन्देशा महसूस होता तो उसे गिरा देते, न ख़ुद इस्तिमाल करते और न ही किसी दूसरे को तोहफ़ा देते।

(١٠٧٣) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ». أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1073. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा ने नबी ﷺ से रिवायत बयान की है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला ने जो चीज़ तुम्हारे लिये हराम क़रार दे दी है उस में तुम्हारे लिये शिफ़ा नहीं रखी" (इसे बैहक़ी ने तख़रीज किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

1074. वायेल बिन हज़रमी से रिवायत है कि तारिक़ बिन सुवैद ﷺ ने नबी ﷺ से शराब के बारे में पूछा कि वह उसे दवा के लिये बनाते हैं, आप ﷺ ने फ़रमाया: "यह दवा बिल्कुल नहीं बल्कि यह बीमारी है" (इसे मुस्लिम और अबू दाउद वग़ैरहुमा ने तख़रीज किया है)

(١٠٧٤) وَعَنْ وَائِلٍ الحَضْرَمِيِّ، أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الخَمْرِ يَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُمَا.

5. ताज़ीर और हमलावर (डाकू) का हुक्म

٥ - بَابُ التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ ٱلصَّائِلِ

1075. अबू बुर्दा अन्सारी ﷺ से मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह को इरशाद फ़रमाते सुना "अल्लाह के हुदूद में से किसी हद के सिवा दस कोड़ों से ज़्यादा सज़ा न दी जाये" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٠٧٥) عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ٱلأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

यह हदीस दलालत कर रही है कि दस कोड़ों से ज़्यादा की सज़ा जायेज़ नहीं।

1076. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "इज़्ज़तदार लोगों को सिर्फ़ हुदूद इलाही के उन की लग़ज़िशें दर गुज़र कर दिया करो" (इसे अहमद, अबू दाउद, नसाई और बैहक़ी ने रिवायत किया है)

(١٠٧٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَقِيلُوا ذَوِي الهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الحُدُودَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالبَيْهَقِيُّ.

1077. अली ﷺ से रिवायत है कि मैं किसी पर ऐसी हद नहीं लगाऊँगा कि वह उस से मर जाये और मैं उस का ग़म अपने दिल में महसूस करूँ, सिवाये शराबी के, अगर वह सज़ा में मर भी जाये तो मैं उस की दियत अदा कर दूँगा। (बुख़ारी)

(١٠٧٧) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: مَا كُنْتُ لأُقِيمَ عَلَىٰ أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي، إِلَّا شَارِبَ ٱلْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

1078. सईद बिन ज़ैद ﷺ से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी

(١٠٧٨) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ

अपने माल व मताअ की हिफ़ाज़त करता हुआ मारा जाये वह शहीद है" (इसे चारों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ». رَوَاهُ ٱلأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि माल लूटने वाले को हर तरह और हर मुमकिन तरीक़ा से दफ़ा करना और उस का मुक़ाबला करना जायेज़ है, बल्कि कुछ ने तो अपना दिफ़ा करना वाजिब क़रार दिया है, इस दिफ़ाई कशमकश में डाकू को अगर मालिक क़त्ल कर देता है तो क़ातिल पर न क़िसास है और न दियत, उस का क़त्ल रायेगाँ गया। इसी तरह जो कोई अपने दीन और ईमान का बचाओ और अपने अहल व अयाल की हिफ़ाज़त में ख़ुद क़त्ल हो जाये तो शहीद होगा और अगर दूसरे को क़त्ल कर दिया तो क़िसास और दियत माफ़।

1079. अब्दुल्लाह बिन ख़ब्बाब ﷺ से रिवायत है कि मैंने अपने बाप को बयान करते सुना वह कहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इरशाद फ़रमाते हुये सुना है कि "मेरे बाद फ़ितने रुनुमा होंगे, ऐ अल्लाह के बन्दे! तू इन में मक़तूल बन जाना क़ातिल न बनना" (इस को इब्ने अबी ख़ैसमा और दार क़ुतनी ने रिवायत किया है और अहमद ने इसी तरह ख़ालिद बिन उरफ़ुता से रिवायत किया है)

(١٠٧٩) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تَكُونُ فِتَنٌ، فَكُنْ فِيهَا عَبْدَ اللهِ المَقْتُولَ، وَلَا تَكُنِ القَاتِلَ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نَحْوَهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ.

11- जिहाद के मसायेल

١١ - كِتَابُ الجِهَادِ

(١٠٨٠) عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ، وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِهِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1080. अबू हुरैरा ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी ऐसी हालत में मर गया कि उस ने न कभी जिहाद में हिस्सा लिया और न कभी उस के दिल में यह ख़्याल आया और न उस की ख़्वाहिश व तमन्ना पैदा हुई तो उस की मौत निफ़ाक़ के शोबे पर हुई।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि कम से कम जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की पक्की नीयत रखना वाजिब है, अगर जिहाद फी सबीलिल्लाह में अमलन शरीक होने का मौक़ा मुयस्सर आ जाये तो उस में शरीक होने से गुरेज़ न करे बल्कि ऐसे मौक़ा को सआदत समझे और अगर मौक़ा नहीं मिलता तो फिर मौक़ा के इन्तिज़ार में रहे।

(١٠٨١) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

1081. अनस ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "मुशरिकीन से अपने मालों, अपनी जानों और अपनी ज़ुबानों से जिहाद करो" (इसे अहमद और नसाई ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि अल्लाह के बाग़ियों, सरकशों, मुलहिदों और बेदीन लोगों के ख़िलाफ़ जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये ख़ुद को हर लम्हा तैयार रखे।

(١٠٨٢) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ، هُوَ الحَجُّ وَالعُمْرَةُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ.

1082. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! क्या औरतों पर भी जिहाद है? फ़रमाया: "हाँ! जिहाद है जिस में लड़ाई नहीं, वह है हज और उमरा" (इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इस की असल बुख़ारी में है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में मज़कूर है कि औरतों का जिहाद लड़ना और मारना नहीं बल्कि उन के लिये हज और उमरा जिहाद है।

1083. अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी नबी करीम ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और वह जिहाद में शामिल होने की इजाज़त माँग रहा था, आप ﷺ ने फ़रमाया: "क्या तेरे माँ बाप ज़िन्दा हैं?" वह बोला हाँ! आप ﷺ ने फ़रमाया: "तो उन दोनों (की ख़िदमत) में जिद्दो जिहद करो" (बुख़ारी, मुस्लिम) मुसनद अहमद और अबू दाउद में अबू सईद की रिवायत भी इसी तरह मन्क़ूल है, उस में इज़ाफ़ा है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "वापस चले जाओ, उन से इजाज़त माँगो, फिर अगर वह दोनों तुझे इजाज़त दे दें तो सहीह है वर्ना उन के साथ नेकी और हुस्नो सुलूक करो।"

(١٠٨٣) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟» فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «ارْجِعْ، فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ، وَإِلَّا فَبَرَّهُمَا».

फ़ायेदा:

इस हदीस से माँ-बाप की अहमीयत और फ़ज़ीलत मालूम होती है कि इस्लाम की नज़र में जिहाद जैसा फ़रीज़ा भी माँ बाप की रज़ामंदी के बग़ैर अदा नहीं किया जा सकता।

1084. जरीर बजली رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मैं हर उस मुसलमान का ज़िम्मेदार नहीं हूँ जो मुशरेकीन में रहता हो" (इसे तीनों ने रिवायत किया है और इस की सनद सहीह है मगर बुख़ारी ने इस के मुरसल होने को तरजीह दी है)

(١٠٨٤) وَعَنْ جَرِيرٍ البَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ المُشْرِكِينَ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَرَجَّحَ البُخَارِيُّ إِرْسَالَهُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि जब मुसलमान कुफ़्फ़ार के बीच रहता हो और मुजाहिदीन के हाथों उन का क़त्ल हो जाये तो मुजाहिदीन पर उस का कोई गुनाह नहीं, इस काम पर उन को मुजरिम क़रार नहीं दिया जायेगा।

1085. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया:

(١٠٨٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

"फ़त्ह (मक्का) के बाद हिजरत नहीं लेकिन जिहाद और नीयत बाक़ी है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

«لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1086. अबू मूसा अशअरी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी इस नीयत से लड़ा कि अल्लाह का कलिमा बुलन्द हो तो वह अल्लाह की राह में लड़ने वाला है" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٠٨٦) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1087. अब्दुल्लाह बिन सअदी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तक दुश्मनों से जंग जारी रहेगी हिजरत भी जारी रहेगी" (इसे नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

(١٠٨٧) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ العَدُوُّ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

ऊपर बयान की गई तीनों हदीसों का मतलब यह है कि इस्लाम के शुरू होने के वक़्त चूँकि मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी और मरकज़े मदीना मुनव्वरा को मज़बूत और ताक़तवर करना था, इसलिये यह मक़सद हिजरत के बग़ैर हासिल होना बहुत ही दुश्वार और मुश्किल था, इसलिये हिजरत एक मुसलमान के लिये फ़र्ज़ थी। फिर एक वक़्त आया कि मक्का फ़त्ह हो गया तो उस के बाद कई क़बीले लगातार इस्लाम में दाख़िल होने लगे और इस्लामी रियासत की बढ़ोत्तरी हो गयी तो मदीना में हिजरत करके आना फ़र्ज़ न रहा।

1088. नाफ़िअ ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बनु मुसतलिक़ पर शब खून मारा तो उस वक़्त यह लोग बेख़बर व ग़ाफ़िल थे, तो आप ﷺ ने उन के लड़ाई करने वालों को क़त्ल किया और उन की औलाद को क़ैदी बना लिया, यह मुझ से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने बयान किया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٠٨٨) وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَغَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَىٰ بَنِي المُصْطَلِقِ ، وَهُمْ غَارُّونَ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ. حَدَّثَنِي بِذٰلِكَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وفيه (وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ).

1089. सुलैमान बिन बुरैदा अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ जब किसी लश्कर या सरिया का अमीर बनाते तो

(١٠٨٩) وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَمِيراً عَلَىٰ جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ

بِتَقْوَى اللهِ، وَبِمَنْ مَّعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْراً، ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا بِسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغْدِرُوا، [وَلَا تُمَثِّلُوا]، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيداً، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَأَيَّتَهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ أَبَوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الغَنِيمَةِ والفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا، فَاسْأَلْهُمُ الجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ، فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِمْ بِاللهِ تَعَالَى وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَفْعَلْ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ، وَإِذَا أَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلَا تَفْعَلْ، بَلْ عَلَى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

उसे ख़ास तौर से अल्लाह के ख़ौफ़ और अपने मुसलमान साथियों के साथ भलाई और ख़ैर की नसीहत फ़रमाते, उस के बाद फ़रमाते "अल्लाह के नाम के साथ उस के रास्ते में जिहाद करो, उन लोगों से जो अल्लाह के मुन्किर और काफ़िर हैं, लड़ाई करो ख़्यानत न करना, धोका न देना और मुसला न करना, बच्चों को क़त्ल न करना, मुशरिक दुश्मन से जब मुलाक़ात हो तो उन को लड़ाई से पहले तीन चीज़ों की दावत पेश करो, उन में से जिसे वह क़बूल कर लें उसे क़बूल कर लो और उन से लड़ाई न करो, पहले उन को इस्लाम की दावत पेश करो, अगर वह उसे क़बूल कर लें तो उसे क़बूल कर लो, फिर उन को दावत दो कि वह अपने घर बार छोड़ कर (दारूस्सलाम) मुहाजिरीन के मुल्क की तरफ़ हिजरत करके आ जायें, अगर वह इंकार करें तो उन को ख़बरदार कर दो कि उन के हुकूक़ बदवी मुसलमानों के बराबर होंगे और उन के लिये माले ग़नीमत और अमवाल फ़ै में से कुछ भी नहीं मिलेगा, इल्ला यह कि वह मुसलमानों के साथ मिल कर जिहाद में शरीक हों, अगर उस से इन्कार करे तो उन से ज़िज़िया लो, अगर वह उसे क़बूल कर ले तो इसे भी क़बूल कर लो और अगर वह इन्कार करें तो अल्लाह से मदद माँगो और उन से लड़ाई शुरू कर दो और जब तुम किसी क़िला की घेराबन्दी कर लो और वह तुम से अल्लाह और उस के नबी का ज़िम्मा व अहद लेना चाहें तो उन्हें बज़िम्मा न दो बल्कि तुम अपना अहद व ज़िम्मा उन को दे दो इस के ख़िलाफ़ न

करना) इसलिये कि अगर तुम अपने अहद व ज़िम्मा को तोड़ते हो तो यह अल्लाह की पनाह को तोड़ने से बहुत कम और हल्का है और जब यह चाहें कि तुम उन को अल्लाह के हुक्म और फ़ैसला पर उतारो तो ऐसा न करना बल्कि अपने हुक्म और फ़ैसला पर उतारना, क्योंकि तुझे इल्म नहीं कि तू अल्लाह के फ़ैसला पर पहुँच भी सकेगा या नहीं।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

हदीस उसूल जिहाद के बड़े मोतबर उसूल पर मुशतमिल है, जो मामूली से ग़ौर व फ़िक्र से वाज़िह हो जाते हैं।

(١٠٩٠) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً وَرَّى بِغَيْرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1090. कअब बिन मालिक ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ जब किसी ग़ज़वा पर जाना चाहते तो तौरिया (ग़ैर से छिपाने) से काम लेते। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٠٩١) وَعَنْ مَعْقِلٍ، أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ أَوَّلَ النَّهَارِ أَخَّرَ القِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَأَصْلُهُ فِي البُخَارِيِّ.

1091. मअक़िल से रिवायत है कि नुमान बिन मुक़र्रिन ﷺ ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ लड़ाईयों में शरीक होता रहा हूँ, आप ﷺ जब दिन के शुरू में लड़ाई शुरू न करते तो फिर आफ़ताब के ज़वाल के बाद लड़ाई शुरू करते, मुवाफ़िक़ हवायें चलती थीं और मदद करती थीं। (इसे अहमद और तीनों ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है और इस की असल बुख़ारी में है)

(١٠٩٢) وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الذَّرَارِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، يُبَيَّتُونَ، فَيُصِيبُونَ مِن نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1092 साब बिन जस्सामा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ से मुशरिकीन के बच्चों के बारे में पूछा गया कि उन के घर वालों पर शब ख़ून मारा जाता है तो उन की औरतों और बच्चों को भी मार देते हैं, आप ﷺ ने

फ़रमाया वह भी उन में से हैं। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस से पहले एक हदीस में जिहाद के दौरान बच्चों के क़त्ल करने से मना किया गया है, उसी बिना पर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और औज़ाई रहमतुल्लाह अलैह वग़ैरा का ख़्याल है कि जिहाद में कुफ़्फ़ार के बच्चों को क़त्ल न किया जाये, मगर इमाम शाफ़ई रहतमुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और जमहूर ने सिर्फ़ अमदन और क़सदन उन को क़त्ल करने से मना किया है।

1093. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि नबी ﷺ ने उस आदमी से फ़रमाया जो बद्र के दिन आप ﷺ के साथ शामिल हो गया था "वापस चला जा मैं मुशरिक से मदद का तालिब नहीं हूँ" (मुस्लिम)

(١٠٩٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَبِعَهُ فِي يَوْمِ بَدْرٍ: «ارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि आप ﷺ ने मुशरिक से जंग में मदद लेने से साफ़ इन्कार कर दिया था, यहाँ फिर यह सवाल पैदा होता है कि काफ़िर से मदद लेना जायेज़ है या नहीं? एक जमाअत का ख़्याल तो यही है कि मदद लेना जायेज़ है। इमाम अबू हनीफ़ा रहतमुल्लाह अलैह और उन के असहाब की राय है ज़रूरत के वक़्त मदद लेना जायेज़ है, जैसाकि आप ﷺ ने जंग हुनैन के मौक़े पर सफ़वान बिन उमैय्या वग़ैरा से असलहा की मदद ली थी, और कैनुकाअ के यहूदियों से भी मदद ली थी, बहरहाल असलहा की मदद और अफ़रादी मदद दोनों की सख़्त ज़रूरत व हाजत के मौक़े पर लेने की गुंजाइश है।

1094. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने किसी जंग में एक औरत को देखा कि उसे क़त्ल किया गया है तो उस के बाद आप ﷺ ने औरतों और बच्चों के क़त्ल से मना फ़रमा दिया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٠٩٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، فَأَنْكَرَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1095. समुरा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुशरिकीन के तर्जुबाकार और माहिर उमर वाले लोगों को क़त्ल कर दो और बुलूग़त की उमर को न पहुँचने वालों को बाक़ी रहने दो" (इसे अबू

(١٠٩٥) وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «اقْتُلُوا شُيُوخَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

दाउद ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि दुश्मनाने इस्लाम के इन बूढ़ो को क़त्ल करना जायेज़ है जो जंगी महारत व तर्जुबा और जिस्मानी व ज़ेहनी ताक़त रखते हों और नाबालिग़ बच्चों को क़त्ल करने से मना किया है।

1096. अली ﷛ से रिवायत है कि उन्होंने बद्र के दिन उन (काफ़िरों) को दावते मुबारज़त दी। (बुख़ारी और अबू दाउद में यह हदीस लम्बी है)

(١٠٩٦) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُمْ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مُطَوَّلاً.

1097. अबू अय्यूब अंसारी ﷛ से रिवायत है कि यह आयत हमारे हक़ में नाज़िल हुई "अपने हाथों अपने आप को हिलाक़त में न डालो" यह अबू अय्यूब ﷛ ने उन लोगों से बतौर तरदीद फ़रमाया था जिन्होंने रूमियों की सफ़ों पर हमला किया था और उन की सफ़ों में जा घुसे थे। (इसे तीनों ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान और हाकिम तीनों ने इसे सहीह कहा है)

(١٠٩٧) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ قَالَهُ رَدًّا عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ عَلَىٰ مَنْ حَمَلَ عَلَىٰ صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

1098. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बनू नज़ीर के खजूरों के पेड़ जला दिये और कटवा दिये। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٠٩٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: حَرَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَّعَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि जंगी ज़रूरत की बिना पर फलदार पेड़ों को जलवाना या कटवाना जायेज़ है, मगर आम हालात में बिला ज़रूरत उन को काटने से आप ﷺ ने मना फ़रमाया है।

1099. उबादा बिन सामित ﷛ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ख़्यानत (ग़नीमत के माल में) न करो, क्योंकि यह (ख़्यानत) दुनिया में भी आर है और आख़िरत में भी आर" (इसे अहमद और नसाई ने

(١٠٩٩) وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَغُلُّوا، فَإِنَّ الغُلُولَ نَارٌ وَعَارٌ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि ख़्यानत दुनिया और आख़िरत दोनों जहाँ में आर और ज़िल्लत व रुसवाई का बाइस है, एक मुसलमान मुजाहिद को ईमानदार होना चाहिये, बेईमान और ख़ाइन नहीं होना चाहिये।

(١١٠٠) وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

1100. औफ़ बिन मालिक ؓ से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "साज़ो सामान (ग़ाज़ी) क़ातिल के लिये है" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इस की असल मुस्लिम में है)

(١١٠١) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ - قَالَ: فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا، حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَىٰ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ، فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ؟ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا؟» قَالَا: لَا، قَالَ: فَنَظَرَ فِيهِمَا، فَقَالَ: «كِلَاكُمَا قَتَلَهُ» فَقَضَى ﷺ بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1101. अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ؓ से अबू जहल के क़त्ल के क़िस्से में मरवी है कि दोनों अपनी अपनी तलवार लेकर अबू जहल की तरफ़ एक दूसरे से आगे बढ़े और उन्होंने उसे क़त्ल कर दिया, उस के बाद वह रसूलुल्लाह ﷺ की तरफ़ फिरे और आप ﷺ को अबू जहल के क़त्ल की ख़बर दी, आप ﷺ ने पूछा "तुम दोनों में से उसे किस ने क़त्ल किया?" और पूछा "क्या तुम ने तलवार साफ़ कर ली हैं?" दोनों बोले नहीं, अब्दुर्रहमान ने कहा कि आप ﷺ ने उन दोनों की तलवारों को देखा और फ़रमाया: "तुम दोनों ने उसे क़त्ल किया है" फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने अबू जहल का साज़ो सामान मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह को देने का फ़ैसला फ़रमाया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١١٠٢) وَعَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَىٰ أَهْلِ الطَّائِفِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ،

1102. मकहूल से रिवायत है कि नबी ﷺ ने तायेफ़ के लोगों पर मनजनीक़ नसब की। (इसे अबू दाउद ने अपनी मरासील में तख़रीज किया है और इस के रावी सिक़ा हैं मगर

وَوَصَلَهُ العُقَيْلِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ.

उक़ैली ने अली ﷺ से कमज़ोर सनद के साथ मौसूल क़रार दिया है)

फ़ायेदा:

इस से मालूम हुआ कि दुश्मन के ख़तम (हिलाक) करने या उन का ज़ोर तोड़ने और फ़ौजी ताक़त कमज़ोर करने के लिये नये-नये जंग के तरीक़े और नये-नये आलात हर्ब इस्तिमाल करने चाहियें और मुसलमानों को जंग का सामान नया से नया ईजाद करना चाहिये।

(١١٠٣) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1103. अनस ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ मक्का में दाख़िल हुये तो उस वक़्त आप ﷺ के सर पर ख़ोद था, जब आप ﷺ ने उसे सर से उतारा तो आप ﷺ के पास एक आदमी आया, उस ने कहा कि इब्ने ख़तल कअबा के पर्दों के साथ चिमटा हुआ है, आप ﷺ ने फ़रमाया: "उसे क़त्ल कर दो" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मुर्तद और नबी ﷺ के बारे में तौहीनी रवैय्या रखने वाले को पनाह देने वाले की सज़ा क़त्ल है, अगर वह बैतुल्लाह के पर्दे में ही क्यों न छिपा हो।

(١١٠٤) وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَةً صَبْراً. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي المَرَاسِيلِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

1104. सईद बिन ज़ुबैर ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बद्र के दिन तीन आदमियों को बाँध कर क़त्ल किया। (इसे अबू दाउद ने अपनी मरासील में नक़ल किया है, इस के रावी सिक़ा हैं)

(١١٠٥) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

1105. इमरान बिन हुसैन रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुशरिकीन के एक क़ैदी मर्द के बदला में दो मुसलमान मर्दों को छुड़वाया। (इस की तख़रीज़ तिर्मिज़ी ने की है और इसे सहीह कहा है और इस की असल मुस्लिम में है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि जंग में पकड़े गये क़ैदियों का तबादला सहीह है।

(١١٠٦) وَعَنْ صَخْرِ بْنِ العَيْلَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ القَوْمَ إِذَا أَسْلَمُوا أَحْرَزُوا دِمَاءَهُمْ [وَأَمْوَالَهُمْ]». أَخْرَجَهُ أَبو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

1106. सख़ बिन ऐला ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब लोग इस्लाम क़बूल कर लेते हैं तो अपने ख़ून और अपने माल महफ़ूज़ कर लेते हैं।" (इस को अबू दाउद ने रिवायत किया है और इस के रावी सिक़ा हैं)

(١١٠٧) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي أُسَارَىٰ بَدْرٍ: «لَوْ كَانَ المُطْعِمُ بنُ عَدِيٍّ حَيّاً، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَىٰ، لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

1107. जुबैर बिन मुतइम ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने बद्र के क़ैदियों के बारे में फ़रमाया: "अगर मुतइम बिन अदी ज़िन्दा होता फिर वह मेरे पास आकर इन मुरदारों के बारे में बातचीत करता तो मैं उन को इस की ख़ातिर छोड़ देता।" (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

नबी ﷺ के अमल से साबित हुआ कि एहसान का बदला देना मसनून है, चाहे वह काफ़िर का एहसान ही क्यों न हो।

(١١٠٨) وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ لَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَتَحَرَّجُوا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ الآيَةَ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1108. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है कि औतास के दिन कुछ लौंडियाँ हमारे हाथ लगीं जिन के शौहर ज़िन्दा थे, मुसलमानों ने उन के शौहरों की मौजूदगी को बाइसे हरज समझा तो उस मौक़ा पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमायी "तुम पर शौहर वाली औरतें हराम हैं, मगर वह जिन के तुम मालिक हुये हो।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि जंग में जो औरतें गिरफ़्तार हो जाये, गिरफ़्तारी से ही उन का पिछला निकाह टूट जाता है।

(١١٠٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً، وَأَنَا فِيهِمْ، قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيرَةً، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمُ اثْنَي عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1109. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने नज्द की तरफ़ एक सरिया रवाना फ़रमाया, मैं भी उस में मौजूद था, बहुत से ऊँट माले ग़नीमत में हासिल हुये, उन में से हर एक के

हिस्से में बारह बारह ऊँट माले ग़नीमत के तौर पर आये और फिर उन्हें एक-एक ऊँट ज़्यादा दिया गया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह साबित हुआ कि ग़ाज़ी को माले ग़नीमत में से मुक़र्रर हिस्सा के अलावा ज़्यादा माल भी दिया जा सकता है।

(١١١٠) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْماً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ، وَسَهْماً لَهُ.

1110. उन्हीं (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने ख़ैबर के दिन घुड़सवार को दो हिस्से और पैदल को एक हिस्सा दिया। (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ बुखारी के हैं) और अबू दाउद की रिवायत में है कि आप ﷺ ने मर्द मुजाहिद और घोड़े के लिये तीन हिस्से, दो हिस्से उस के घोड़े के और एक हिस्सा उस का अपना।

फ़ायेदा:

इस हदीस से घुड़सवार के लिये तीन हिस्से और पैदल के लिये सिर्फ़ एक हिस्सा है, घोड़े का हिस्सा इस लिये ज़्यादा रखा गया कि इस की खुराक और उस की देख भाल पर काफ़ी ख़र्च उठ जाता है।

(١١١١) وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا نَفَلَ إِلَّا بَعْدَ الخُمُسِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الطَّحَاوِيُّ.

1111. मअन बिन यज़ीद رضي الله عنه से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुना है "हिस्सा से इज़ाफ़ी तौर पर जो कुछ दिया जायेगा वह पाचवाँ हिस्सा निकाल कर दिया जाये।" (इसे अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है और तहावी ने इसे सहीह कहा है)

(١١١٢) وَعَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، نَفَّلَ الرُّبُعَ فِي البَدْأَةِ، وَالثُّلُثَ فِي الرَّجْعَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

1112. हबीब बिन मसलमा رضي الله عنه से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप ﷺ ने सरिया में पहली बार जाने पर चौथा हिस्सा ज़्यादा दिया और दोबारा जाने पर तीसरा हिस्सा। (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने जारूद, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने सहीह कहा है)

1113. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ कुछ फ़ौजी दस्तों को ख़ास कर के ग़नीमत के हिस्सा के अलावा कुछ और दिया करते थे, यह आम फ़ौजी की बटवारे में शामिल नहीं होता था। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١١١٣) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الجَيْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह ﷺ हर फ़ौजी को तो यह नफ़ली हिस्सा नहीं दिया करते थे बल्कि सिर्फ़ ख़ास फ़ौजियों को किसी ख़ास मसलहत की वजह से देना मुनासिब समझते थे, फिर जिन फ़ौजी जवानों को यह हिस्सा देते उन को भी बराबर न देते बल्कि ख़िदमत और मसलहत के लिहाज़ से कम और ज़्यादा देते थे।

1114. उन्हीं (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि हमें जंगो में शहद, अंगूर हाथ आते तो उन को खा पी लेते उठा कर नहीं ले जाते थे। (बुख़ारी) और अबू दाउद की रिवायत में है कि उन खाने वाले से ख़ुमुस वसूल नहीं किया जाता था और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(١١١٤) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ، وَلَا نَرْفَعُهُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَلِأَبِي دَاوُدَ: «فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُمُ الخُمُسُ»، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से यह मालूम हुआ कि दौराने जंग मुजाहिदों के हाथ खाने पीने की अगर कुछ चीज़ें आ जायें तो उन को वही खाने पीने की हद तक इस्तिमाल कर सकते हैं, अलबत्ता उठा कर कहीं ले जाने की उन को इजाज़त नहीं।

1115. अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा رضي الله عنه से रिवायत है कि ख़ैबर के दिन हमें खाने की चीज़ें हाथ आयीं तो हर आदमी आता और उस में से अपनी ज़रूरत के मुताबिक़ खाने के लिये हासिल कर लेता था फिर वापस चला जाता। (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने जारूद और हाकिम दोनों ने इसे सहीह कहा है)

(١١١٥) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ وَالحَاكِمُ.

फ़ायेदा:

इस से मालूम हुआ कि खाने पीने की चीज़ें खाने पीने की हद तक हर सिपाही बटवारे से पहले ले सकता है, उस पर उस से कोई बाज़पुर्स नहीं होगी।

1116. "रुवैफ़िअ बिन साबित ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो कोई अल्लाह पर ईमान और आख़िरत के दिन पर यक़ीन रखता है तो वह मुसलमानों के माले ग़नीमत के घोड़े पर सवार न हो मगर यह कि जब वह कमज़ोर हो जाये तो उसे वापस कर दे और मुसलमानों के माले ग़नीमत से कोई कपड़ा न पहने, यहाँ तक कि जब वह बोसीदा और पुराना हो जाये तो उसे वापस बैतुल माल में जमा करा दे। (इसे अबू दाउद और दारिमी ने रिवायत किया है और इस के सब रावी ऐसे हैं जिन में कोई हर्ज नहीं)

(١١١٦) وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَرْكَبْ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि ग़नीमत में मिले हुये कपड़ों और घोड़ों को मैदाने जंग में ज़रूरत के वक़्त इस्तिमाल में लाया जा सकता है बाद में इन को इस्तिमाल करना ममनूअ है।

1117. अबू उबैदा बिन जर्राह ﷺ रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना है कि "मुसलमानों में से कोई भी पनाह देने का मजाज़ है" (इस रिवायत को इब्ने अबी शैबा और अहमद ने नक़ल किया है, इस की सनद में कमज़ोरी है)

(١١١٧) وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ [تَعَالَى] عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

और तयालिसी में अम्र बिन आस ﷺ से मरवी है कि मुसलमानों का अदना आदमी भी पनाह व अमान दे सकता है। और सहीहैन की अली ﷺ से रिवायत में है कि "तमाम मुसलमानों की पनाह एक ही है जिस के लिये उन का अदना आदमी भी सई कर सकता है" इब्ने माजा ने एक और तरीक़ से इतना इज़ाफ़ा

وَلِلطَّيَالِسِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ».

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ». زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: «وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ».

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ هَانِيءٍ: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ».

किया है "उन का बहुत दूर का आदमी भी पनाह दे सकता है" और सहीहैन में उम्मे हानी रज़ि अल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हम ने भी अमान दी जिसे तूने अमान दी।"

(١١١٨) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، حَتَّى لَا أَدَعَ إِلَّا مُسْلِماً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1118. उमर ﷺ से मरवी है कि उन्होंने सुना, रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमा रहे थे "मैं यहूद और नसारा को जज़ीरतुल अरब से निकाल कर दम लूँगा, यहाँ तक कि अरब में मुसलमानों के अलावा किसी एक को भी नहीं छोड़ूँगा" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि नबी करीम ﷺ की ख़्वाहिश थी कि जज़ीरतुल-अरब से काफ़िरों और यहूद व नसारा को बाहर निकाल दें।

(١١١٩) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1119. उन्हीं (उमर ﷺ) से रिवायत है कि बनू नज़ीर के अमवाल, उन अमवाल में से हैं जो अल्लाह तआला ने अपने रसूल की तरफ़ पलटा दिये हैं, जिन पर मुसलमानों ने न घोड़े दौड़ाये और न ऊँट, यह अमवाल ख़ालिस नबी ﷺ के लिये थे, आप ﷺ उन अमवाल में से अपनी बीवियों पर साल भर ख़र्च करते थे और जो बाक़ी बच रहता उस से घोड़े और असलहा जिहाद की तैयारी के लिये ख़रीदते थे। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١١٢٠) وَعَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ خَيْبَرَ، فَأَصَبْنَا فِيهَا غَنَماً، فَقَسَمَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ طَائِفَةً، وَجَعَلَ بَقِيَّتَهَا فِي المَغْنَمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرِجَالُهُ لَا بَأْسَ بِهِمْ.

1120. मुआज़ ﷺ से रिवायत है कि हम ने नबी ﷺ के साथ ख़ैबर की जंग लड़ी, उस में हमारे हाथ कुछ बकरियाँ ग़नीमत में आयीं, उन में से कुछ हम में बाँट दी और बाक़ी को ग़नीमत के अमवाल में शामिल कर दिया। (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इस के रावी ऐसे हैं जिन में कोई हर्ज नहीं)

फ़ायेदा:

यह हदीस इस चीज़ की दलील है कि ख़ुमुस से पहले असल माले ग़नीमत से नफ़ली तौर पर माल दिया जा सकता है।

(١١٢١) وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الرُّسُلَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1121. अबू राफ़िअ ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बेशक मैं न तो वादा तोड़ता हूँ और न क़ासिदों और सफ़ीरों को क़ैद करता हूँ" (इसे अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि वादा तोड़ना और ग़द्दारी करना इस्लाम की रू से सहीह नहीं है।

(١١٢٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، فَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1122. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम जिस बस्ती में भी आओ और उस में ठहरो तो उस में तुम्हारा हिस्सा है और जो बस्ती अल्लाह और उस के रसूल की नाफ़रमान हो तो उस का ख़ुमुस अल्लाह और उस के रसूल का है, फिर वह भी तुम्हीं में बाँटी जायेगी।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि फ़ै के माल में से ख़ुमुस नहीं निकाला जाता है, जो लोग इस के क़ायेल हैं।

1. जिज़या और सुल्ह का बयान

١ - بَابُ الجِزْيَةِ وَالهُدْنَةِ

(١١٢٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَهَا، يَعْنِي الجِزْيَةَ، مِنْ مُجُوسِ هَجَرَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَلَهُ طَرِيقٌ فِي المُوَطَّإِ، فِيهَا ٱنْقِطَاعٌ.

1123. अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ؓ से मरवी है कि नबी ﷺ ने हजर के मजूसियों से जिज़या लिया था। (इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है और मुवत्ता में इस हदीस की एक और सनद है जिस में इन्क़िताअ है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मजूसी मुशरिकों से जिज़या वसूल किया जायेगा, जिज़या सिर्फ़ अहले

किताब पर नहीं, जैसाकि कुछ अहले इल्म का ख़्याल है, बल्कि दूसरे मुशरिकीन से भी जिज़या वसूल किया जायेगा।

1124. आसिम बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह अनस ﷺ और उस्मान बिन अबी सुलैमान ﷺ से रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ ने ख़ालिद बिन वलीद ﷺ को दूमतुल जन्दल के हुक्मरान उकैदिर के पास भेजा, ख़ालिद ﷺ ने उसे गिरफ़्तार कर लिया और उसे लेकर रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुये, आप ﷺ ने उस का ख़ून न बहाया और उस से जिज़या पर सुल्ह कर ली। (अबू दाउद)

(١١٢٤) وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَىٰ أُكَيْدِرِ دُومَةِ الجَنْدَلِ فَأَخَذُوهُ، فَأَتَوا بِهِ فَحَقَنَ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الجِزْيَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि अरब अहले किताब से भी जिज़या लेना जायेज़ है।

1125. मुआज़ बिन जबल ﷺ रिवायत करते हैं कि मुझे नबी ﷺ ने यमन की तरफ़ भेजा और फ़रमाया: "मैं हर बालिग़ से एक दीनार बतौर जिज़या वसूल करूँ या फिर उस के बराबर मआफ़री कपड़ा लूँ" (इस की तख़रीज तीनों ने की है, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(١١٢٥) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى اليَمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَاراً، أَوْ عِدْلَهُ مُعَافِرِيًّا. أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

1126. आइज़ बिन अम्र मुज़नी ﷺ ने नबी ﷺ से रिवायत किया है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "इस्लाम ग़ालिब रहता है मग़लूब नहीं होता" (दार क़ुतनी)

(١١٢٦) وَعَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو المُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الإِسْلَامُ يَعْلُو، وَلَا يُعْلَى» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में ख़बर व इत्तिलाअ भी है और पेशीनगोई भी कि इस्लाम हमेशा ग़ालिब बन कर रहने के लिये आया है मग़लूब बन कर रहने के लिये नहीं, लेहाज़ा अहले इस्लाम को चाहिये कि नज़रयाती और अमली तौर पर उसे ग़ालिब रखने की कोशिश करते रहें, इस्लाम की सहीह तबलीग़ व इशाअत करें।

1127. अबू हुरैरा ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "यहूद व नसारा

(١١٢٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبْدَءُوا

को सलाम पहले न किया करो और जब तुम्हारा उन में से किसी से आमना सामना हो जाये तो उसे रास्ता की तंग जानिब जाने पर मजबूर कर दो ।" (मुस्लिम)

الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मुसलमान का यहूद, नसारा और मजूसी वग़ैरा को पहले सलाम कहना हराम है।

1128. मिस्वर बिन मख़रमा और मरवान रज़ि अल्लाहु अन्हुमा दोनों से रिवायत है कि नबी ﷺ हुदैबिया के साल निकले, रावी ने लम्बी हदीस बयान की है और उस में यह बयान है कि यह वह (दस्तावेज़) है जिस पर मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ﷺ ने सुहैल बिन अम्र से सुल्ह की है कि दस साल जंग बन्द रहेगी, उस अरसा में लोग अमन से रहेंगे और उन में से हर एक (जंग से) अपना हाथ रोके रखेगा। (अबू दाउद और इस की असल बुख़ारी में है) और मुस्लिम ने इस हदीस का कुछ हिस्सा अनस ﷺ से रिवायत किया है, और उस में है कि तुम में से जो कोई हमारे पास आयेगा उसे हम वापस नहीं करेंगे और हमारा कोई आदमी तुम्हारे पास आ जाये तो तुम उसे हमारे पास वापस लौटा दोगे, उन्होंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हम यह लिख लें? आप ﷺ ने फ़रमाया: "हाँ! जो आदमी हम में से उन के पास चला जायेगा उसे अल्लाह तआला ने दूर कर दिया और उन में से जो हमारे पास आयेगा तो अल्लाह तआला उस के लिये ज़रूर कुशाईश और कोई रास्ता निकाल देगा।

(١١٢٨) وَعَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَفِيهِ: «هٰذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ، سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو، عَلَىٰ وَضْعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ، وَيَأْمَنُ فِيهَا [النَّاسُ]، وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ.

وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، وَفِيهِ: أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكُمْ، وَمَنْ جَاءَكُمْ مِنَّا رَدَدْتُمُوهُ عَلَيْنَا، فَقَالُوا: أَنَكْتُبُ هٰذَا؟ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «نَعَمْ، إِنَّهُ مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ فَرَجاً وَمَخْرَجاً».

1129. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु

(١١٢٩) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ

अन्हुमा ने नबी ﷺ से रिवायत की है कि "जिस किसी ने अहदी को क़त्ल किया वह जन्नत की ख़ुश्बू नहीं पायेगा और जन्नत की ख़ुश्बू चालीस साल की दूरी से पायी जाती है" (बुख़ारी)

اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि किसी ज़िम्मी और मुआहिद को बिला वजह और किसी शरई हक़ के बग़ैर क़त्ल करना हराम है।

2. घुड़दौड़ और तीरअंदाज़ी का बयान

٢ - بَابُ السَّبْقِ وَالرَّمْيِ

1130. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने तैयार शुदा घोड़ों की "हफ़या" से "सनिय्यतुल-वदा" तक दौड़ करायी और जो घोड़े तैयार नहीं थे उन को "सनिय्या" से लेकर "बनी ज़ुरैक़" की मस्जिद तक दौड़ाया और इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा भी मुसाबक़त में शरीक थे। (बुख़ारी, मुस्लिम) और बुख़ारी में इतना ज़्यादा है कि सुफ़यान ؓ ने बयान किया कि "हफ़या" से "सनिय्यतुल-वदा" का फ़ासला पाँच या छ मील है और "सनिय्या" से लेकर "मस्जिद बनी ज़ुरैक़" तक का फ़ासला एक मील है।

(١١٣٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَابَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِالخَيْلِ الَّتِي قَد ضُمِّرَتْ، مِنَ الحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَىٰ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيمَنْ سَابَقَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

زَادَ البُخَارِيُّ «قَالَ سُفْيَانُ: مِنَ الحَفْيَاءِ إِلَىٰ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ سِتَّةٌ، وَمِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَىٰ مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ مِيلٌ».

फ़ायेदा:

इस हदीस से जिहाद की तैयारी के लिये घुड़दौड़, तीरअंदाज़ी और नेज़ाबाज़ी का जवाज़ साबित होता है, उस दौर में यही चीज़ आम तौर से जंग में काम आती थी, आज के दौर में टैंक, बक्तरबंद गाड़ियाँ चलाने की तालीम हासिल करनी चाहिये, तीर और नेज़ा की जगह बन्दूक़, तोप और नई जंगी तरबियत हासिल करनी चाहिये।

1131. उन्हीं (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि नबी ﷺ ने घोड़ों के बीच मुसाबक़त कराई और नौजवान

(١١٣١) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ، وَفَضَّلَ القُرَّحَ

فِي الغَايَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

घोड़ों की हद में फ़र्क़ मलहूज़ रखा। (इसे अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि जानवरों का भी बहुत ख़्याल और लिहाज़ रखना चाहिये।

(١١٣٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ. وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1132. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "दौड़ का मुक़ाबला सिर्फ़ ऊँट और घोड़ों में है और हार जीत सिर्फ़ तीरअंदाज़ी के मुक़ाबला में" (इसे अहमद और तीनों ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(١١٣٣) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَإِنْ أَمِنَ فَهُوَ قِمَارٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

1133. वह (अबू हुरैरा ؓ) नबी ﷺ से रिवायत करते हैं कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "जिस आदमी ने दो घोड़ों के बीच तीसरा घोड़ा दाख़िल किया लेकिन उस आदमी को यह यक़ीन न था कि यह घोड़ा आगे बढ़ जायेगा, उस में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर उस आदमी को यह यक़ीन था कि यह तीसरा घोड़ा बढ़ जायेगा तो यह जुआ हो जायेगा" (इसे अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है और इस की सनद कमज़ोर है)

(١١٣٤) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، يَقُولُ: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ﴾ الآيَةَ، أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1134. उक़बा बिन आमिर ؓ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना और वह मिम्बर पर खड़े यह (आयत) पढ़ रहे थे "तुम जो कुछ अपनी ताक़त से काफ़िरों के (मुक़ाबला के) लिये तैयार कर सकते हो तैयार करो और घोड़ों के बाँधने से" और (फ़रमाते थे) "ख़बरदार! ताक़त तीरअंदाज़ी है, ख़बरदार! ताक़त तीरअंदाज़ी है, ख़बरदार! ताक़त तीरअंदाज़ी है।" (मुस्लिम)

12- खाने के मसायेल

١٢ - كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

(١١٣٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

1135. अबू हुरैरा ؓ नबी ﷺ से रिवायत करते हैं कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "दरिन्दों में से हर कुचली वाले का खाना हराम है।" (मुस्लिम)

وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِلَفْظِ: «نَهَى». وَزَادَ: «وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ».

इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत में जिसे मुस्लिम ने रिवायत किया है, यह अलफ़ाज़ हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मना फ़रमाया है और इतना ज़्यादा है "परिन्दों में हर उस परिन्दे का खाना हराम है जो पंजों में पकड़ कर के खाये।"

फ़ायेदा:

इस हदीस में हुरमत की एक जामिअ अलामत बयान की गई है और वह यह कि हर चीरने और फ़ाड़ने वाला दरिन्दा चौपाया दूसरे अलफ़ाज़ में गोश्त खाने वाला जानवर हराम है और हर वह परिन्दा जो पंजे में पकड़ कर खाता हो हराम है।

(١١٣٦) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَرَخَّصَ».

1136. जाबिर बिन अब्दुल्लाह ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने ख़ैबर के दिन घरेलू गदहों के गोश्त खाने से मना फ़रमाया था और घोड़ों के गोश्त की इजाज़त दी थी। (बुख़ारी, मुस्लिम) और बुख़ारी की रिवायत में है "अज़िन" के बजाय "रख़्ख़स" का लफ़्ज़ है जिस के माना हैं कि आप ﷺ ने रुख़सत दी।

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि ख़ैबर के दिन घरेलू गद्हों का गोश्त खाना हराम क़रार दिया गया।

(١١٣٧) وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَىٰ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجَرَادَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1137. इब्ने अबी औफ़ा रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने कहा कि हम ने नबी ﷺ के साथ सात जंगे लड़ी हैं, हम टिड्डी दल खाते रहे हैं। (बुख़ारी, मुस्लिम)

1138. अनस ﷺ से ख़रगोश के क़िस्सा के बारे में रिवायत है कि अबू तलहा ने उसे ज़िब्ह किया और उस की रान रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में पेश की, जिसे आप ﷺ ने कबूल फ़रमा लिया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١١٣٨) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي قِصَّةِ الأَرْنَبِ - قَالَ: فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَبِلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि ख़रगोश हलाल है, अगर हलाल न होता तो आप ﷺ उसे क़बूल न फ़रमाते।

1139. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने जानवरों में से चार को मारने से मना फ़रमाया है, चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और ममूला। (इसे अहमद और अबू दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(١١٣٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि आप ﷺ ने जिन के मारने से मना फ़रमाया है वह हराम है, जमहूर उलमाये किराम का भी यही फ़ैसला है।

1140. इब्ने अबी अम्मार रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि मैंने जाबिर ﷺ से पूछा कि क्या बिज्जू (चर्ग) भी शिकार है? उन्होंने कहा हाँ! मैंने फिर पूछा, रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया है? उन्होंने कहा हाँ! (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है और बुख़ारी और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(١١٤٠) وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَالَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟! قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

1141. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि इन से सीह (सेही) के बारे में पूछा गया, उन्होंने जवाब में अल्लाह तआला का फ़रमान सुनाया "(ऐ रसूल!) कह दो कि मैं इस में कोई हराम चीज़ नहीं पाता जो मेरी तरफ़ वह्यी की गई है" उस के पास एक बुज़ुर्ग बैठे थे, उन्होंने कहा मैंने अबू हुरैरा

(١١٤١) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنْفُذِ، فَقَالَ: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ الآيَةَ فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «إِنَّهَا خَبِيثَةٌ مِنَ الْخَبَائِثِ» فَقَالَ ابْنُ

عُمَرَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ هَذَا فَهُوَ كَمَا قَالَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

ﷺ से सुना है कि उस का ज़िक्र नबी ﷺ के पास किया गया तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "ख़बीस जानवरों में से एक ख़बीस जानवर है" (इस की रिवायत अहमद और अबू दाउद ने की है और इस की सनद कमज़ोर (ज़ईफ़) है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से सीह (सेही) की हुरमत साबित होती है।

(١١٤٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

1142. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने गन्दगी ख़ोर जानवर के गोश्त खाने और उस के दूध पीने से मना फ़रमाया है। (नसाई के अलावा इसे चारों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है)

(١١٤٣) وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي قِصَّةِ الحِمَارِ الوَحْشِيِّ -: فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1143. अबू क़तादा ﷺ से हिमार वहशी (जंगली गदहा) के क़िस्से के बारे में मरवी है कि नबी ﷺ ने उस का गोश्त खाया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि जंगली गद्हा हलाल है और उस की हिल्लत पर इजमाअ है।

(١١٤٤) وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهما قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَرَساً فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1144. अस्मा बिन्ते अबी बक रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हम ने नबी ﷺ के अहद में घोड़ा ज़िब्हा किया और उसे हम ने खाया भी। (बुखा़री, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में घोड़े का गोश्त खाना हलाल है, जैसाकि इस से पहले भी जाबिर ﷺ से इस बाब के शुरू मे गुज़र चुका है।

(١١٤٥) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: أُكِلَ الضَّبُّ عَلَىٰ مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1145. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ के दस्तरख़्वान पर साँडा को खाया गया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि साँडा हलाल है, जमहूर उलमा की यही राय है।

(١١٤٦) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ، أَنَّ طَبِيباً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَآءٍ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِهَا. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

1146. अब्दुर्रहमान बिन उस्मान कुरशी ؓ से मरवी है कि एक तबीब (डाक्टर) ने रसूलुल्लाह ﷺ से मेंडक को बतौर दवा इस्तिमाल के बारे में पूछा, तो आप ﷺ ने उस के क़त्ल से मना फ़रमाया। (इसे अहमद ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मेंडक दवा में इस्तिमाल करने की ग़र्ज़ से मारना भी ममनूअ है।

1. शिकार और ज़बायेह का बयान

١ - بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَآئِحِ

(١١٤٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1147. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने मवेशी की हिफ़ाज़त के लिये (रखे गये कुत्ते) या शिकारी कुत्ते या खेती की देखभाल और हिफ़ाज़त करने वाले कुत्ते के अलावा दूसरा कोई कुत्ता (शौकिया तौर पर) रखा तो उस के सवाब में से हर दिन एक क़ीरात सवाब कम हो जाता है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि दिल के बहलावे और फुज़ूल शौक़ की तसकीन के लिये कुत्ता रखना ममनूअ है, अलबत्ता शिकार के लिये, खेती बाड़ी और जानवरों की देखभाल और निगरानी और हिफ़ाज़त के लिये रखने की इजाज़त है और उस के शौक़िया रखने की वजह से हर दिन एक क़ीरात सवाब में कमी हो जाती है।

(١١٤٨) وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ،

1148. अदी बिन हातिम ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे इरशाद फ़रमाया: "जब तू अपना शिकारी कुत्ता जानवर के शिकार के लिये छोड़े तो उस पर अल्लाह का

وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْباً غَيْرَهُ، وَقَدْ قُتِلَ، فَلَا تَأْكُلْ. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ، وَإِنْ رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ تَعَالَىٰ، فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْماً فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقاً فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

नाम पढ़ लिया करो (बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो) फिर अगर वह शिकार को तुम्हारे लिये रोक ले और तू उसे ज़िन्दा पा ले तो उसे ज़िब्ह कर लो और अगर तू शिकार को मुर्दा हालत में पाये और कुत्ते ने अभी तक उस में से कुछ न खाया हो तो तुम उसे खा सकते हो और अगर तू अपने कुत्ते के साथ दूसरा कोई कुत्ता भी पाये और जानवर मुर्दा हालत में मिले तो फिर उसे न खा, क्योंकि तुझे मालूम नहीं कि उन दोनों में से किस ने उसे मारा है और अगर तू अपना तीर छोड़े तो उस पर बिस्मिल्लाह पढ़, फिर अगर शिकार तेरी नज़रों से एक दिन तक ओझल रहे और उस में तेरे तीर के सिवा दूसरा कोई ज़ख़्म का निशान न हो तो फिर उसे तू खा ले, अगर तेरी तबीअत खाने की तरफ़ मायेल हो और अगर शिकार को पानी में डूब कर मरा हुआ पाये तो उसे न खा।" (बुख़ारी, मुस्लिम) और यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि खाने के लिये या मुनाफ़ा हासिल करने के लिये शिकार करना जायेज़ है, शिकार शिकारी कुत्ते से किया जाये या शिकारी परिन्दों से सब जायेज़ है और इन का खाना हलाल है।

(١١٤٩) وَعَنْ عَدِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: «إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإِذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَقُتِلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1149. अदी ؓ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से बग़ैर फल के तीर के शिकार के बारे में सवाल किया तो रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अगर तू धार की तरफ़ से मारे तो फिर खा और अगर चौड़ाई की तरफ़ से मारे और जानवर मर जाये तो ऐसे जानवर को चोट से मरने वाला जानवर कहते हैं, लेहाज़ा इसे न खा।" (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि शिकार में यह उसूल है कि अगर तो जानवर किसी तेज़ चीज़ से ज़ख़्मी हो कर ख़ून बह जाने की वजह से मरे तो उस का खाना जायेज़ और हलाल है और अगर किसी चीज़ की ज़र्ब और चोट से मरे तो उस का खाना हराम है, कुरआन व हदीस दोनों से यह साबित है।

(١١٥٠) وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَغَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ: فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1150. अबू सअलबा ﷺ से रिवायत है कि नबी ने फ़रमाया: "जब तू अपने तीर से शिकार करे और वह शिकार तेरी नज़रों से ओझल हो जाये, बाद में फिर तू उसे पा ले तो जब तक वह बदबूदार न हो खा ले।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर किसी परिन्दे का शिकार किया और वह ज़ख़्मी होकर ऐसी जगह जा गिरा कि शिकारी की नज़रों से ओझल हो गया, बाद में फिर उसे मिल गया, अगर वह पानी में मुर्दा हालत में मिला हो तो फिर हराम है, अगर ज़िन्दा मिल जाये तो इसे ज़िब्ह कर लिया जाये और अगर सूखी ज़मीन पर मुर्दा हालत में मिला हो और उस के जिस्म पर तीर के निशान के अलावा और कोई निशान न हो तो वह हलाल है, मगर जब उस में बदबू पैदा हो जाये तो वह हराम है।

(١١٥١) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ قَوْماً قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْماً يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ، أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ أَنْتُمْ، وكُلُوهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1151. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि कुछ लोगो ने नबी ﷺ से पूछा कि लोग हमारे पास गोश्त लाते हैं जिस के बारे में हमें मालूम नहीं कि वह गोश्त किस तरह का होता है, उस पर अल्लाह का नाम लिया गया होता है या नहीं? आप ﷺ ने फ़रमाया: "तुम उस पर अल्लाह का नाम लो और खा लो" (बुख़ारी)

(١١٥٢) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْداً، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

1152. अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल मुज़नी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने कंकरियाँ मारने से मना फ़रमाया और फ़रमाया: "कि न ही तू यह शिकार कर सकता है और न ही दुश्मन को भगा कर दूर कर सकता है बल्कि यह किसी का दाँत तोड़ेगा या आँख फोड़ेगा"

(बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि कंकरी लगने से जानवर मर जाये तो उस का खाना हलाल नहीं, इस काम का फ़ायेदा कम और नुक़सान का अन्देशा ज़्यादा है। इसलिये कंकरी से मना फ़रमाया गया है।

(١١٥٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهما، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1153. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "किसी ज़ी रूह (जानदार) चीज़ को निशाना बना कर न मारो।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी जानवर को बाँध कर तीर वग़ैरा मारना हराम है, क्योंकि उस से उसे बहुत तकलीफ़ होती है और शरीअत इस्लामिया जानवर तक को तकलीफ़ देने के हक़ में नहीं है।

(١١٥٤) وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1154. काब बिन मालिक ﵁ से रिवायत है कि एक औरत ने पत्थर से एक बकरी को ज़िब्ह कर दिया, नबी ﷺ से उस के खाने के बारे में पूछा तो आप ﷺ ने उसे खाने का हुक्म फ़रमाया। (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि ज़िब्ह छुरी वग़ैरा के अलावा भी और चीज़ों से हो सकता है। एक रिवायत में है कि यह पत्थर नोकदार था जिस से ख़ून बह गया था, और यह भी मालूम हुआ कि मुसलमान औरत का ज़बीहा हलाल है और उस का खाना बिला कराहत जायेज़ है।

(١١٥٥) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1155. राफ़िअ बिन ख़दीज ﵁ ने नबी ﷺ से रिवायत किया है कि "जो चीज़ ख़ून को बहा दे और उसे अल्लाह का नाम लेकर ज़िब्ह किया गया हो तो उस जानवर को खा लो, ज़िब्ह करने का आला दाँत और नाख़ून नहीं, क्योंकि दाँत तो हड्डी है और नाख़ून हबशियों की छुरी है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

1156. जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने किसी जानवर को बाँध कर क़त्ल करने से मना फ़रमाया है। (मुस्लिम)

(١١٥٦) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْراً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

बाँध कर क़त्ल करने का माना यह है कि किसी जानवर को ज़िन्दा बाँध कर उसे निशाना लगा कर मारा जाये कि वह मर जाये, जहाँ तक बाँध कर ज़िब्ह करने के बारे में है तो वह जायेज़ है, वह बाँध कर क़त्ल करने के ज़िम्न में नहीं आता।

1157. शद्दाद बिन औस ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला ने हर चीज़ पर एहसान करना फ़र्ज़ क़रार दिया है, इसलिये जब तुम क़त्ल करो तो अच्छे तरीक़े से क़त्ल करो और जब तुम किसी जानवर को ज़ब्ह करने लगो तो अच्छे तरीक़े से ज़ब्ह करो और तुम में से हर किसी को चाहिये कि अपनी छुरी को तेज़ कर ले और अपने ज़बीहा या मक़तूल को आराम पहुँचाये" (मुस्लिम)

(١١٥٧) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1158. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "माँ के ज़िब्ह करने से उस के पेट का बच्चा ख़ुद ही ज़िब्ह हो जाता है" (इसे अहमद ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने सहीह कहा है)

(١١٥٨) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ذَكَاةُ الجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1159. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "मुस्लिम के लिये अल्लाह तआला का नाम ही काफ़ी है, अगर ज़िब्ह के वक़्त तकबीर ज़िब्ह भूल गया हो तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ कर खा ले" (दार कुतनी, इस की सनद में एक ऐसा रावी है जिस के याददाश्त में कमज़ोरी है और इस की सनद में मुहम्मद बिन यज़ीद बिन सिनान

(١١٥٩) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «المُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلْيُسَمِّ ثُمَّ لِيَأْكُلْ». أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِيهِ رَاوٍ فِي حِفْظِهِ ضَعْفٌ، وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ ابْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، وَهُوَ صَدُوقٌ ضَعِيفُ الحِفْظِ، وَأَخْرَجَهُ عَبْدُالرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ إِلَى

ابْنِ عَبَّاسٍ، مَوْقُوفاً عَلَيْهِ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، فِي مَرَاسِيلِهِ: بِلَفْظِ: «ذَبِيحَةُ المُسْلِمِ حَلَالٌ، ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذْكُرْ». وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

है, वह है तो सच्चा मगर याददाश्त उस की भी कमज़ोर है और अब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से सहीह सनद के साथ नक़्ल किया है जो मौक़ूफ़ है) इस के गवाह अबू दाउद की मरासील में मौजूद हैं, इन अलफ़ाज़ के साथ कि "मुस्लिम का ज़बीहा हलाल है, उस ज़बीहा पर अल्लाह का नाम लिया गया हो या न लिया गया हो" (इस के रावी सब के सब सिक़ा हैं)

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात की दलील है कि भूल कर तकबीरे ज़िब्ह छूट जाये तो जानवर हलाल है मगर यह अहादीस उन सहीह अहादीस का मुक़ाबला नहीं कर सकती जिन से ज़बीहा पर तकबीर पढ़ना वाजिब साबित है, अलबत्ता यह अहादीस तकबीर के वुजूब को कमज़ोर कर देती है।

٢ - بَابُ الأَضَاحِي

2. क़ुर्बानी का बयान

(١١٦٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، وَيُسَمِّي، وَيُكَبِّرُ، وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَىٰ صِفَاحِهِمَا. وَفِي لَفْظٍ: «ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ: «سَمِينَيْنِ». ولأَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ: «ثَمِينَيْنِ» بِالمُثَلَّثَةِ بَدَلَ السِّينِ. وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ».

1160. अनस बिन मालिक ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ दो मेंढे, चित्कबरे सींगों वाले क़ुर्बानी करते थे और बिस्मिल्लाह पढ़ते और तकबीर कहते और उन के पहलूओं पर अपना पाँव रखते थे और एक रिवायत में आया है कि उन दोनों को अपने हाथ से ज़िब्ह किया। (बुख़ारी, मुस्लिम) और एक रिवायत में है कि वह ख़ूब मोटे ताज़े थे और अबू अवाना की सहीह में "समीनैन" सीन की जगह सा है, यानी वह क़ीमती थे और मुस्लिम के अलफ़ाज़ हैं कि आप ﷺ ने बिस्मिल्लाह, वल्लाहु अकबर कहा।

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ، يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ،

और मुस्लिम में आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा की रिवायत में है कि आप ﷺ ने हुक्म दिया कि सींगों वाला मेंढा हो जिस के पाँव काले हों और पेट का हिस्सा भी काला हो और आँखें भी

يُضَحِّيَ بِهِ، فَقَالَ: اشْحَذِي الْمُدْيَةَ، ثُمَّ أَخَذَهَا فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَّى بِهِ ﷺ.

काली हों ताकि आप ﷺ इस की कुर्बानी करें, आप ﷺ ने फ़रमाया: "आइशा छुरी तेज़ करो" फिर आप ﷺ ने छुरी को पकड़ा और मेंढे को गिराया, फिर उसे ज़िब्ह किया और फ़रमाया: "अल्लाह के नाम से, ऐ अल्लाह! मुहम्मद ﷺ और आले मुहम्मद ﷺ और उम्मते मुहम्मद ﷺ (की तरफ़) से क़बूल फ़रमा।

(١١٦١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَرَجَّحَ الأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ.

1161. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस आदमी में कुर्बानी करने की ताक़त हो और वह कुर्बानी न करे तो वह हमारी ईदगाह में न आये" (इसे अहमद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है और दूसरे अइम्मा ने इस हदीस को मौकूफ़ क़रार दिया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से कुछ लोगों ने कुर्बानी के वुजूब पर इस्तिदलाल किया है, मगर यह इस्तिदलाल सहीह नहीं।

(١١٦٢) وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَىٰ غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1162. जुन्दुब बिन सुफ़यान ؓ ने बयान किया कि मैं ईद कुर्बान में रसूलुल्लाह ﷺ के साथ था, जब रसूलुल्लाह ﷺ लोगों को नमाज़ पढ़ा चुके तो देखा कि एक बकरी ज़िब्ह की हुई है, आप ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने नमाज़ से पहले ही इसे ज़िब्ह कर दिया है वह इस की जगह दूसरी बकरी ज़िब्ह करे और जिस ने ज़िब्ह नहीं किया तो उसे बिस्मिल्लाह पढ़ कर ज़िब्ह करना चाहिये।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि कुर्बानी के जानवर को ज़िब्ह करने का वक़्त ईद की नमाज़ के बाद

है, अगर किसी ने नमाज़ की अदायेगी से पहले ही ज़िब्ह कर दिया तो उस की कुर्बानी नहीं हुई, उसे दोबारा कुर्बानी करनी चाहिये।

(١١٦٣) وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُما، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، والعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ضَلَعُهَا، وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ.

1163. बराअ बिन आज़िब ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ हमारे बीच खड़े थे तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "चार तरह के जानवर कुर्बानी में जायेज़ नहीं, एक आँख का जानवर, जिस की एक आँख होना बिल्कुल साफ़ मालूम हो और वह बीमार जानवर जिस की बीमारी वाज़िह हो, और लंगड़ा जानवर जिस का लंगड़ापन ज़ाहिर हो, और वह जानवर जो बहुत ही बूढ़ा हो गया हो, जिस की हड्डियों में गूदा न रहा हो।" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

यह हदीस इस बात की दलील है कि मज़कूरा बाला चारों ऐब वाला जानवर कुर्बानी के लायेक़ नहीं।

(١١٦٤) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1164. जाबिर ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "न ज़िब्ह करो मगर दो दाँता, लेकिन मुश्किल और दुश्वारी पेश आ जाये तो अच्छा (ज़बीहा) दुंबा जो छ महीने का हो, ज़िब्ह करो।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में सराहत है कि भेड़ की कुर्बानी तब जायेज़ है जब वह दो दाँता जानवर न मिले।

(١١٦٥) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأُذُنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا خَرْقَاءَ، وَلَا شَرْقَاءَ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

1165. अली ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हमें हुक्म दिया कि हम कुर्बानी वाले जानवर की आँख, कान अच्छी तरह देख लें, जो जानवर एक आँख का हो या उस के कान का सामने वाला या पीछे वाला हिस्सा कट कर लटक गया हो या कान बीच

से कटा हुआ हो, या दाँत गिर पड़े हों तो ऐसे जानवर की कुर्बानी न किये जायें। (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है, तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

1166. अली ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे हुक्म दिया कि मैं कुर्बानी के ऊँटों की निगरानी व हिफ़ाज़त करूँ, यह हुक्म दिया कि मैं उन का गोश्त और चमड़ा और झूल को ग़रीबों और मिस्कीनों में बाँट दूँ और क़स्साब को उस से कुछ भी न दूँ। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١١٦٦) وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَىٰ بُدْنِهِ، وَأَنْ أَقْسِمَ لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَا أُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئاً مِنْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में कुर्बानी के जिन ऊँटों का ज़िक्र है, वह हज्जतुल-विदा के मौक़े पर रसूलुल्लाह ﷺ के वह ऊँट थे जिन्हें अली ﷺ यमन से लाये थे, उन की तादाद एक सौ थी।

1167. जाबिर बिन अब्दुल्लाह ﷺ से मरवी है कि सुल्ह हुदैबिया के मौक़े पर हम ने रसूलुल्लाह ﷺ के साथ ऊँट और गाय को सात-सात आदमियों की तरफ़ से ज़िब्ह किया। (मुस्लिम)

(١١٦٧) وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ اَلْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

सात आदमियों की तरफ़ से ऊँट और गाय ज़िब्ह करने का यह ज़ाबता व उसूल हदी के जानवरों के लिये है जबकि कुर्बानी में ऊँट दस आदमियों की तरफ़ से भी जायेज़ है।

3. अक़ीक़ा का बयान

٣ - بَابُ العَقِيقَةِ

1168. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने हसन ﷺ और हुसैन ﷺ की तरफ़ से एक-एक मेंढे से अक़ीक़ा किया। (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है, इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने जारूद और

(١١٦٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَقَّ عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كَبْشاً كَبْشاً. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ الجَارُودِ وَعَبْدُ

الحَقِّ، لٰكِن رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ، وَأَخْرَجَ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ.

अब्दुल हक़ ने इसे सहीह कहा है, लेकिन अबू हातिम ने इस के मुरसल होने को तरजीह दी है, और इब्ने हिब्बान ने अनस ﷺ के हवाले से इसी तरह रिवायत किया है)

(١١٦٩) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَمَرَهُمْ أَنْ يُعَقَّ عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الكَعْبِيَّةِ نَحْوَهُ.

1169. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि वह लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ एक जैसी और लड़की की तरफ़ से एक बकरी अक़ीक़ा करें। (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इसे सहीह कहा है, अहमद और चारों ने उम्मे कुर्ज़ कअबिया से इसी तरह रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

यह जमहूर के नज़दीक मुस्तहब है, अलबत्ता इस हदीस से साबित हुआ कि अक़ीका में लड़के की तरफ़ से दो और लड़की की तरफ़ से एक बक़री ज़िब्ह करनी चाहिये।

(١١٧٠) وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهِنٌ بِعَقِيقَتِهِ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

1170. समुरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हर बच्चा अपने अक़ीक़ा के बदले रिहन (गिरवी) होता हे, पैदाईश के सातवें दिन उस का अक़ीक़ा किया जाये, सर के बाल मुंडवाये जायें और उस का नाम रखा जाये।" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि बच्चे की पैदाईश के सातवें दिन बच्चे के सर की पैदाइशी आलाइश साफ़ करके यानी उस के सर के बाल उतरवा कर बच्चे को नहलाया जाये, उस की तरफ़ से अक़ीक़ा किया जाये और उस का नाम भी रखा जाये।

13- क़समों और नज़रों के मसायेल

١٣ - كِتَابُ الأَيمَانِ وَالنُّذُورِ

1171. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा रसूलुल्लाह ﷺ से रिवायत करते हैं कि आप ﷺ ने उमर ﷺ को एक कारवाँ में अपने बाप की क़सम उठाते सुना तो नबी ﷺ ने उन्हें बुला कर फ़रमाया: "अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद की क़सम खाने से मना फ़रमाया है, अब जो क़सम खाना चाहे तो उसे अल्लाह के नाम की क़सम खानी चाहिये वर्ना ख़ामोश रहे" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١١٧١) عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعُمَرُ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَنَادَاهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

अबू हुरैरा ﷺ से अबू दाउद और नसाई की एक मरफ़ूअ रिवायत में है "अपने बाप, दादों, अपनी माओं और अल्लाह के शरीकों की क़सम न खाओ, अल्लाह की क़सम भी सिर्फ़ उस हालत में खाओ कि जब तुम सच्चे हो।"

وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَرْفُوعاً: «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ، وَلَا بِالأَنْدَادِ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ».

1172. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "तेरी क़सम उस पर वाक़ेअ होती है कि तुम्हारा साथी तुझ को सच्चा समझे" और एक रिवायत में है "क़सम का दारोमदार क़सम लेने वाले की नीयत पर है" (इन दोनों अहादीस को मुस्लिम ने रिवायत की है)

(١١٧٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ». وَفِي رِوَايَةٍ: «اليَمِينُ عَلَى نِيَّةِ المُسْتَحْلِفِ». أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि क़सम खाना जायेज़ है और क़सम का एतिबार तब होगा जब मुद्दई की मुराद के मुताबिक़ क़सम खायी जाये।

1173. अब्दुर्रहमान बिन समुरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम किसी काम पर क़सम खाओ और उस काम के ख़िलाफ़ को बेहतर देखो तो क़सम का

(١١٧٣) وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتَ

غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ». وَفِي رِوَايَةٍ لأَبِي دَاوُدَ: «فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ. ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ.

कफ़्फ़ारा अदा कर दो और जो बेहतर है वह कर लो" (बुख़ारी, मुस्लिम) और बुखारी के अलफ़ाज़ यह हैं "जो काम बेहतर है उसे करो और क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करो" और अबू दाउद की रिवायत में इस तरह है "अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे कर वह काम करो जो बेहतर है" (दोनों अहादीस की सनद सहीह है)

(١١٧٤) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1174. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो किसी काम पर क़सम खाये और साथ ही इन्शा अल्लाह कहे तो उस क़सम को तोड़ने का कफ़्फ़ारा नहीं है" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि क़सम खाने वाला साथ ही अगर इन्शा अल्लाह कह दे तो ऐसी क़सम तोड़ने पर कफ़्फ़ारा नहीं होगा, क्योंकि क़सम को जब मशीयते इलाही से मुक़ैयद कर दिया जाये तो बिलइत्तिफ़ाक़ वह क़सम मुनअक़िद नहीं होती, लेहाज़ा जब मुनअक़िद न हुई तो फिर उस के तोड़ने के कफ़्फ़ारा का क्या सवाल।

(١١٧٥) وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1175. उन्हीं (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से मरवी है कि नबी ﷺ की क़सम के अलफ़ाज़ यह होते थे "नहीं, क़सम है दिलों के बदलने वाले की" (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस में रसूलुल्लाह ﷺ के क़सम खाने का अन्दाज़ और तरीक़ा बयान हुआ है कि आप ﷺ पहले जो बात हो रही होती थी अगर सहीह न होती तो पहले लफ़्ज़ "ला" से उस की तरदीद और नफ़ी फ़रमाते, फिर अल्लाह के सिफ़ाती नाम से क़सम खाते, इस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के अस्माये सिफ़ाती से भी क़सम खानी जायेज़ है।

(١١٧٦) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: جَآءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا

1176. अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ की ख़िदमत में एक देहाती आया और आप ﷺ से पूछा कि

कबीरा गुनाह कौन से हैं? फिर उस ने सारी हदीस बयान की, उस हदीस में झूठी क़सम का ज़िक्र भी था, मैंने अर्ज़ किया झूठी क़सम कौन सी है? आप ﷺ ने फ़रमाया: "झूठी क़सम यह है कि उस के ज़रिया किसी मुसलमान का माल उड़ा लिया जाये, हालाँकि वह उस में सरासर झूठा हो।" (बुख़ारी)

الكَبَائِرُ؟ - فَذَكَرَ الحَدِيثَ، وَفِيهِ - «اليَمِينُ الغَمُوسُ» - وَفِيهِ - قُلْتُ: وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّتِي يُقْتَطَعُ بِهَا مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

1177. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह तआला के इरशाद "अल्लाह तआला तुम से तुम्हारी झूठी क़समों का मुवाख़ज़ा नहीं करता" की तफ़सीर में फ़रमाया, उस से मुराद इन्सान का यह कहना है: "ला वल्लाहि" "नहीं, अल्लाह की क़सम" और "बला वल्लाहि" हाँ अल्लाह की क़सम। (इस की तख़रीज बुख़ारी ने की है और अबू दाउद ने इसे मरफ़ूअन रिवायत किया है)

(١١٧٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ﴾ قَالَتْ: هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ: لَا، وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ: أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ، وَأَوْرَدَهُ أَبُو دَاوُدَ مَرْفُوعاً.

1178. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बेशक अल्लाह तआला के एक कम सौ (निनानवे) नाम हैं, जिस ने उन को ज़ब्त (याद) रखा वह जन्नत में दाख़िल होगा" (बुख़ारी, मुस्लिम) तिर्मिज़ी और इब्ने हिब्बान ने वह नाम भी बयान किये हैं और तहक़ीक़ से यह साबित है कि असल हदीस में अस्मा की तफ़सील नही हैं बल्कि किसी रावी ने अपनी तरफ़ से इन को दर्ज कर दिया है)

(١١٧٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْماً، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَسَاقَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ الأَسْمَاءَ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ سَرْدَهَا إِدْرَاجٌ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ.

1179. उसामा बिन ज़ैद रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी से नेकी और अच्छा बरताव

(١١٧٩) وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ:

किया जाये और वह उस करने वाले से कहे कि अल्लाह तआला आप को जज़ाये ख़ैर से नवाज़े तो उस ने उस का पूरा हक़ शुक्रिया अदा कर दिया" (इस को तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1180. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने नवी ﷺ से रिवायत किया है कि आप ﷺ ने नज़्र मानने से मना किया और फ़रमाया: "नज़्र से कोई ख़ैर व भलाई हासिल नहीं होती, सिर्फ़ बख़ील और कंजूसी का माल इस तरीक़ा से निकाल लिया जाता है" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١١٨٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1181. उक़बा बिन आमिर ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "नज़्र का कफ़्फ़ारा क़सम तोड़ने का कफ़्फ़ारा ही है" (मुस्लिम) तिर्मिज़ी ने इतना ज़्यादा किया है कि "जब उस का नाम न ले" (और इसे सहीह भी कहा है)

(١١٨١) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: «إِذَا لَمْ يُسَمِّهِ». وَصَحَّحَهُ.

और अबू दाउद में इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरफ़ूअ रिवायत में है "जिस किसी ने कोई नज़्र मानी और उस का नाम नहीं लिया तो उस का कफ़्फ़ारा क़सम का कफ़्फ़ारा है और जिस ने मासियत की नज़्र मानी हो तो उस का कफ़्फ़ारा भी क़सम का कफ़्फ़ारा ही है और जिस ने ऐसी नज़्र मानी जिस की ताक़त वह नहीं रखता तो उस का कफ़्फ़ारा भी क़सम का कफ़्फ़ारा ही है" (इस की सनद सहीह है मगर हुफ़्फ़ाज़ हदीस ने इस रिवायत के मौक़ूफ़ होने को राजिह बताया है)

وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: «مَنْ نَذَرَ نَذْراً لَمْ يُسَمِّ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْراً لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّ الحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ.

وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ».

और बुख़ारी में आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि "जिस ने अल्लाह की नाफ़रमानी करने की नज़्र मानी तो वह अल्लाह की नाफ़रमानी न करे।"

وَلِمُسْلِمٍ مِن حَدِيثِ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ».

और मुस्लिम में इमरान से मरवी है "गुनाह और मासियत की नज़्र को पूरा न करना चाहिये।"

(١١٨٢) وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَىٰ بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

1182. उक़बा बिन आमिर ﷺ से रिवायत है कि मेरी बहन ने बैतुल्लाह तक नंगे पाँव चल कर जाने की नज़्र मानी और उस ने मुझे हुक्म दिया कि मैं उस के लिये (इस मामला में) रसूलुल्लाह ﷺ से पूछूँ, चुनाँचि मैंने आप ﷺ से फ़त्वा माँगा तो नबी ﷺ ने फ़रमाया: "पैदल भी चले और सवार भी हो ले" (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

وَلِأَحْمَدَ وَالأَرْبَعَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئاً، مُرْهَا فَلْتَخْتَمِرْ، وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».

मुसनद अहमद और चारों में है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला तेरी बहन को तकलीफ़ और मशक़्क़त में मुब्तला करके क्या करेगा, उसे हुक्म दो कि चादर ओढ़ ले और सवार हो जाये और तीन दिन के रोज़े रख ले।"

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि अगर किसी ने बैतुल्लाह शरीफ़ की तरफ़ पैदल या नंगे पाँव चल कर जाने की नज़्र मानी हो तो ऐसी नज़्र का पूरा करना ज़रूरी और लाज़मी नहीं, चाहे चल कर जाने से आजिज़ भी न हो।

(١١٨٣) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَىٰ أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ: «اقْضِهِ عَنْهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1183. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि साद बिन उबादा ﷺ ने रसूलुल्लाह ﷺ से उस नज़्र के बारे में पूछा जो उस की माँ पर थी और वह उसे पूरी करने से पहले ही मर गयी थी, आप ﷺ ने फ़रमाया:

"तू उस की तरफ़ से पूरी कर दे।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि हुक़ूक़ वाजिबा मालिया को पूरा करना मैयत के वारिसों के ज़िम्मा वाजिब है और उस के लिये मैयत की तरफ़ से उसे पूरा करने की वसीयत ज़रूरी नहीं।

(١١٨٤) وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ يُعْبَدُ؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟» فَقَالَ: لَا. فَقَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ كَرْدَمٍ عِنْدَ أَحْمَدَ.

1184. साबित बिन ज़ह्हाक़ ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ के दौर में एक आदमी ने बवाना के मुक़ाम पर ऊँट ज़िब्ह करने की नज़र मानी, वह रसूलुल्लाह ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उस के बारे में पूछा, आप ﷺ ने पूछा "क्या उस जगह बुत था कि जिसे पूजा जाता रहा हो?" उस ने कहा नहीं, आप ﷺ ने पूछा "क्या वहाँ कोई मेला तो नहीं लगता था?" उस आदमी ने कहा नहीं, तो फिर आप ﷺ ने फ़रमाया: "अपनी नज़्र पूरी करो, वह नज़्र पूरी नहीं करनी चाहिये जिस में अल्लाह की नाफ़रमानी हो या क़ता रहमी हो और जिस का पूरा करना उस आदम के बेटे के बस में न हो" (अबू दाउद, तबरानी और यह अलफ़ाज़ तबरानी के हैं और इस की सनद सहीह है और मुसनद अहमद में करदम की हदीस इस की दलील है)

(١١٨٥) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ - إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ - أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَقَالَ: صَلِّ هَاهُنَا. فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: صَلِّ هاهنا، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فَشَأْنَكَ إِذَنْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

1185. जाबिर ﷺ से मरवी है कि एक आदमी ने फ़त्ह मक्का के दिन आप ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने नज़्र मानी थी कि अगर अल्लाह तआला ने आप ﷺ के हाथों मक्का फ़त्ह कर दिया तो मैं बैतुल-मक़दिस में नमाज़ पढ़ूँगा, आप ﷺ ने फ़रमाया: "यहीं पढ़ लो" उस ने फिर पूछा तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "यहीं पढ़ लो" उस ने फिर सवाल किया तो आप ﷺ ने

फ़रमाया: "तेरी मर्ज़ी" (मुसनद अहमद, अबू दाउद और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(١١٨٦) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

1186. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ ने नबी ﷺ से रिवायत किया है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "तीन मसाजिद के सिवा और किसी के लिये ज़ियारत की ग़र्ज़ से सफ़र न किया जाये, मस्जिदे हराम, मस्जिदे अक़्सा और मेरी मस्जिद" (बुख़ारी, मुस्लिम, यह अलफ़ाज़ बुख़ारी के है)

फ़ायेदा:

यह हदीस एतिकाफ़ के बाब में आख़िर में पहले गुज़र चुकी है, उस जगह इसे दोबारा लाने का मक़सद यह है कि नज़्र के लिये इन तीन मक़ामाते मुक़द्दसा के अलावा और किसी जगह को नज़्र पूरी करने के लिये मुतअैय्यान व मुक़र्रर न किया जाये।

(١١٨٧) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ. قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ البُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: فَاعْتَكِفْ لَيْلَةً.

1187. उमर ﷺ से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने जाहिलियत के ज़माने में नज़्र मानी थी कि मैं मस्जिदे हराम में एक रात एतिकाफ़ करूँगा, आप ﷺ ने फ़रमाया: "फिर अपनी नज़्र को पूरा करो" (बुख़ारी, मुस्लिम) और बुख़ारी, ने अपनी रिवायत में इतना इज़ाफ़ा किया है, फिर उन्होंने एक रात एतिकाफ़ किया।

14- क़ाज़ी (जज) वग़ैरा बनने के मसायेल

١٤ - كِتَابُ القَضَاءِ

(١١٨٨) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «القُضَاةُ ثَلَاثَةٌ، اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الجَنَّةِ: رَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ، وَجَارَ فِي الحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الحَقَّ، فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

1188. बुरैदा ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "क़ाज़ी की तीन क़िस्में हैं दो दोज़ख़ी हैं और एक जन्नती, एक वह आदमी जिस ने हक़ को पहचाना और उस के मुताबिक़ फ़ैसला किया वह जन्नती है, और दूसरा वह आदमी जिस ने हक़ की पहचान कर ली मगर फ़ैसला हक़ के साथ न दिया बल्कि फ़ैसला में ज़ुल्म किया वह दोज़ख़ी है और तीसरा वह जिस ने हक़ को पहचाना न हक़ के साथ फ़ैसला किया बल्कि उस ने लोगों में जिहालत व नादानी से फ़ैसला किया वह भी दोज़ख़ी है" (इसे अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में अदालत में फ़ैसला करने वालों की क़िस्में बयान हुई हैं, जिन्हें क़ाज़ी या जज कहा जाता है, उन में से दो तरह के क़ाज़ी तो ऐसे हैं जो दोज़ख़ को ईंधन बनने वाले हैं, एक हक़ को न जानने और पहचानने वाला और दूसरा हक़ को जान पहचान कर उस पर अमल न करने वाला।

(١١٨٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَلِيَ القَضَاءَ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.

1189. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस आदमी को मन्सबे क़ज़ा पर फ़ायेज़ किया गया (समझ लो) कि उसे बग़ैर छुरी के ज़िब्ह कर दिया गया" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है, इब्ने ख़ुज़ैमा और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(١١٩٠) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ

1190. उन्हीं (अबू हुरैरा ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बेशक तुम

نَدَامَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ، وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

लोग ज़रूर हुकूमत की हिर्स व ख़्वाहिश करोगे और वह क़ियामत के दिन लाज़िमन बाइसे नदामत होगी, पस अच्छी है दूध पिलाने वाली माँ और बुरी है दूध छुड़ाने वाली माँ।" (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस में इमारत और सरदारी से बचने और परहेज़ करने की तरफ़ मुतवज्जा किया गया है, क्योंकि दूसरी हदीस में है कि हुकूमत व सरबराहिये दुनिया में मलामत और हुकूमत से फ़ारिग़ होते ही नदामत व पशेमानी है और आख़िरत में बाइसे अज़ाब है।

(١١٩١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1191. अम्र बिन आस ؓ से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ को इरशाद फ़रमाते हुये सुना कि "जब कोई हाकिम फ़ैसला करते वक़्त पूरी जिद्दो जिहद करे और सहीह फ़ैसला करने में कामयाब भी हो जाये तो इसे दोगुना सवाब मिलता है और जब वह फ़ैसला करने में जिद्दो जिहद तो पूरी करे मगर सहीह फ़ैसला करने में ख़ता कर जाये तो उसे एक अज्र मिलेगा।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١١٩٢) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1192. अबू बकरा ؓ कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुना है "तुम में से कोई भी दो आदमियों के बीच फ़ैसला गुस्से की हालत में न करे" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١١٩٣) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ، فَسَوْفَ تَدْرِي كَيْفَ تَقْضِي؟». قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِياً بَعْدُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ وَقَوَّاهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ

1193. अली ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब दो आदमी तेरे पास फ़ैसला के लिये आयें तो किसी एक के हक़ में फ़ैसला न करो जब तक दूसरे की बात न सुन लो, उस से तुम्हें मालूम हो जायेगा कि तुम को फ़ैसला कैसे करना है" अली ؓ ने फ़रमाया उस दिन से मैं उसी तरह फ़ैसला करता हूँ। (इसे अहमद, अबू दाउद,

तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है और इब्ने मदीनी ने इसे मज़बूत (कवी) कहा है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है और इस की दलील हाकिम के यहाँ इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की हदीस से है)

الحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि जज को दोनों तरफ़ की दलीलें सुनने के बाद फ़ैसला देना चाहिये, अगर वह उस के ख़िलाफ़ अमल करेगा तो यह हराम होगा।

1194. उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हुमा कहती हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बेशक तुम लोग अपने झगड़े मेरे पास ले कर आते हो और तुम में से कुछ अपने दलायेल बड़ी ख़ूबी और चर्ब ज़बानी से बयान करता है तो मैंने जो कुछ सुना होता है उसी के मुताबिक़ फ़ैसला कर देता हूँ, पस जिसे उस के भाई के हक़ में से कोई चीज़ दूँ तो मैं उस के लिये आग का टुकड़ा काट कर दे रहा हूँ" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١١٩٤) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1195. जाबिर رضي الله عنه से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना है "वह उम्मत कैसे पाक हो सकती है जिस में ताक़तवर से कमज़ोर का हक़ न दिलवाया जा सके" (इसे इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है और बज़्ज़ार के यहाँ बुरैदा رضي الله عنه की हदीस उस की दलील है और उस की एक और दलील इब्ने माजा में अबू सईद رضي الله عنه से भी मरवी है)

(١١٩٥) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «كَيْفَ تُقَدَّسُ أُمَّةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ عِنْدَ البَزَّارِ. وَآخَرُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि ताक़तवर से कमज़ोर का हक़ दिलाना फ़र्ज़ है।

1196. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते सुना

(١١٩٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «يُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي عُمُرِهِ». رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَلَفْظُهُ «فِي تَمْرَةٍ».

"क़ियामत के दिन इंसाफ़ करने वाले क़ाज़ी को हिसाब के लिए बुलाया जायेगा, वह अपने हिसाब की शिद्दत को महसूस करके आरज़ू करेगा कि काश वह दुनिया में दो आदमियों के बीच अपनी उमर में एक फ़ैसला भी न करता" (इसे इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है और बैहक़ी ने इस को नक़्ल किया है) इस में इतना ज़्यादा है "कभी एक खजूर का भी फ़ैसला न करता।"

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि क़ाज़ी का अदालते इलाही में बड़ा सख़्त हिसाब होगा, इसलिये जिस के ज़िम्मे इन्साफ़ हो उसे चाहिये कि वह इन्साफ़ करे वर्ना अपने किये की सज़ा पायेगा।

(١١٩٧) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1197. अबू बकरा رضي الله عنه ने नबी ﷺ से रिवायत की है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "ऐसी क़ौम हरगिज़ फ़लाह नहीं पा सकती जो औरत को अपना हाकिम व फ़रमाँरवा बना ले।" (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि औरत की सरबराही मूजिब बरबादी है, तारीख़े इस्लाम में इस का कहीं ज़िक्र नहीं, दौरे रिसालत के बाद उम्महातुल मोमेनीन में से भी किसी को यह मन्सब नहीं सौंपा गया, जब औरत घर की सरबराह नहीं तो मुल्क की बागडोर उस के हाथ में किस तरह दी जा सकती है।

(١١٩٨) وَعَنْ أَبِي مَرْيَمَ الأَزْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللَّهُ دُونَ حَاجَتِهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

1198. अबू मरियम अज़्दी رضي الله عنه ने नबी ﷺ से रिवायत किया है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "जिस आदमी को अल्लाह तआला ने मुसलमानों के किसी काम का हाकिम बना दिया और वह पर्दा में रहा, उन की ज़रूरीयात और उन की हाजात पूरी करने में, अल्लाह तआला भी पर्दा में रहेगा उस की हाजत से।" (अबू दाउद, तिर्मिज़ी)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि सरकारी अहलकार को अवाम की ज़रूरीयात का ख़्याल रखना चाहिये।

(١١٩٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو عِنْدَ الأَرْبَعَةِ إِلَّا النَّسَائِيَّ.

1199. अबू हुरैरा ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़ैलसे में रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले पर लानत फ़रमायी है। (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है, और इब्ने हिब्बान ने इस को सहीह कहा है, नसाई के अलावा चारों के यहाँ अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की हदीस उस की दलील है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में रिश्वत लेने और देने वाले दोनों पर लानत फ़रमायी है तो गोया रिश्वत लेना और देना गुनाह कबीरा है।

(١٢٠٠) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الخَصْمَيْنِ يَقْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الحَاكِمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

1200. अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने हुक्म दिया कि झगड़ा करने वाले दोनों हाकिम के सामने बैठें। (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और हाकिम ने इस को सहीह कहा है)

١ - بَابُ الشَّهَادَاتِ

1. गवाहियों का बयान

(١٢٠١) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1201. ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी ؓ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "क्या मैं तुम्हें ख़बर न दूँ कि बेहतरीन गवाह कौन से हैं? वह जो कि बग़ैर गवाही माँगे ख़ुद ही गवाही दे।" (मुस्लिम)

(١٢٠٢) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،

1202. इमरान बिन हुसैन रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मेरा ज़माना तुम्हारे तमाम

ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ، وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ज़मानों से बेहतर है, फिर उस के बाद वाला, फिर उस के बाद वाला, उस के बाद ऐसे लोग पैदा होंगे जो गवाही देंगे और उन से गवाही तलब नहीं की जायेगी, वह ख़ाइन होंगे अमीन नहीं होंगे, नज़्र मानेंगे मगर पूरा नहीं करेंगे और उन में मोटापा ज़ाहिर और नुमाया होगा।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में बेहतरीन ज़माना की पेशगोई है, सब से बेहतर ज़माना आप ﷺ का ज़माना है, उस के बाद सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम, फिर ताबिईन किराम का जिस से सहाबा और ताबिईन की फ़ज़ीलत साबित होती है, यह फ़ज़ीलत जमहूर उलमा के नुक़तये नज़र से अलग-अलग भी हो सकती है, और बहैसीयत मजमुई भी।

(١٢٠٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لِأَهْلِ الْبَيْتِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

1203. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ख़ाइन मर्द और औरत की गवाही जायेज़ नहीं और दुश्मन और कीनावर आदमी की अपने भाई के ख़िलाफ़ भी गवाही जायेज़ नहीं और जो आदमी किसी दूसरे की किफ़ालत में हो उस की गवाही भी कफ़ील के ख़ानदान के हक़ में जायेज़ नहीं।" (मुसनद अहमद, अबू दाउद)

(١٢٠٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.

1204. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना "देहाती की गवाही शहरी के हक़ में क़ाबिले क़बूल नहीं।" (अबू दाउद, इब्ने माजा)

(١٢٠٥) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ أُنَاساً كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِنَّ الوحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1205. उमर बिन ख़त्ताब ؓ से मरवी है कि उन्होंने ख़ुतबा दिया और फ़रमाया कि नबी ﷺ के ज़माने में लोगों का मुवाख़ज़ा वहयी के ज़रिये होता था, अब वहयी का आना बन्द हो चुका है अब हम तुम्हारा मुवाख़ज़ा तुम्हारे आमाल के मुताबिक़

करेंगे, जैसे वह हमारे सामने ज़ाहिर होंगे। (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

उमर ﷺ का मक़सूद यह कि अहदे रिसालत ﷺ में तो लोगों के बारे में मालूमात का ज़रिया वह्यी इलाही थी, मगर अब एक आदमी के ज़ाहिरी हालात और आमाल देख कर फ़ैसला करेंगे, अगर उस के ज़ाहिरी आमाल व अहवाल शक व शुब्हा से महफ़ूज़ हैं तो वह क़ाबिले एतिबार है वर्ना नहीं।

(١٢٠٦) وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

1206. अबू बकरा ﷺ ने नबी ﷺ से रिवायत किया है कि आप ﷺ ने झूठी गवाही को बड़े गुनाहों में शुमार किया है। (बुख़ारी, मुस्लिम की लम्बी हदीस में है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि कबीरा गुनाह बहुत से हैं, जिन में झूठी गवाही देना भी है।

(١٢٠٧) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «تَرَى الشَّمْسَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ، أَوْ دَعْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ.

1207. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने एक आदमी से फ़रमाया: "तू सूरज को देखता है?" उस ने अर्ज़ किया जी हाँ! आप ﷺ ने फ़रमाया: "उस तरह की रौशन गवाही हो तो गवाही दे वर्ना छोड़ दे" (इसे इब्ने अदी ने कमज़ोर सनद के साथ रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है मगर ग़लती की है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि गवाही उस वक़्त देना चाहिये जब उस के रोज़े रौशन की तरह होने का यक़ीन हो वर्ना गवाही से परहेज़ बेहतर है, सिर्फ़ गुमान और ज़न्न की बुनियाद पर गवाही देना सहीह नहीं।

(١٢٠٨) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

1208. उन्हीं (इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक क़सम और एक गवाह की बुनियाद पर फ़ैसला फ़रमाया। (इस की रिवायत मुस्लिम, अबू दाउद और नसाई ने की है और कहा है कि इस की सनद अच्छी है)

1209. अबू हुरैरा ﷺ से भी इसी तरह की एक रिवायत है। (इस की तख़रीज अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने की है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(١٢٠٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِثْلُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

2. दावा और दलील का बयान

٢ - بَابُ الدَّعْوَى وَالبَيِّنَاتِ

1210. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "अगर लोगों को सिर्फ़ उन के दावे करने से हक़ दे दिया जाये तो लोग दूसरे लोगों के ख़ून और उन के मालों का दावा करेंगे, लेकिन दावा करने वाले के ज़िम्मे क़सम लाज़िम है।" (बुख़ारी, मुस्लिम) और बैहक़ी ने सहीह सनद से रिवायत किया है कि गवाह मुद्दई के ज़िम्मा और क़सम उस के ज़िम्मे जो उस का इंकार करे।

(١٢١٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ».

1211. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने एक क़ौम पर क़सम पेश की तो वह क़सम खाने पर फ़ौरन तैयार हो गये तो आप ﷺ ने हुक्म फ़रमाया: "उन लोगों में कुरआअंदाज़ी की जाये कि कौन उन में से क़सम खायेगा।" (बुख़ारी)

(١٢١١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ اليَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي اليَمِينِ، أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

फ़ायेदा:

जिस मुक़द्दमा की नौईयत ऐसी हो कि दोनों मुद्दई हों और दोनों वाहम मुद्दआ अलैह भी हों, बिल्फ़र्ज़ दीगर हतमी और यक़ीनी तौर पर इस का इल्म न हो सके कि मुद्दई कौन है और मुद्दआ अलैह कौन, तो ऐसी सूरत में दोनों को क़सम देने का हक़ पहुँचता है।

1212. अबू उमामा हारसी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने अपने मुसलमान भाई का हक़ अपनी क़सम के ज़रिये मारा, उस के लिये अल्लाह तआला ने दोज़ख़ वाजिब कर दी है और उस

(١٢١٢) وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الحَارِثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً يَا

رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

पर जन्नत हराम क़रार दे दी है" एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अगरचे वह कोई हक़ीर और मामूली चीज़ भी हो? आप ﷺ ने फ़रमाया: "अगरचे वह पीलू के पेड़ की एक शाख़ हो।" (मुस्लिम)

(١٢١٣) وَعَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1213. अशअस बिन क़ैस رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी क़सम खा कर किसी दूसरे का माल उड़ा ले और वह उस में झूठा हो तो अल्लाह तआला से ऐसी हालत में मुलाक़ात करेगा कि वह उस पर सख़्त नाराज़ होगा।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٢١٤) وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي دَابَّةٍ، وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَهٰذَا لَفْظُهُ، وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

1214. अबू मूसा رضي الله عنه से रिवायत है कि दो आदमियों का एक जानवर के बारे में झगड़ा हुआ, उन में से किसी के पास कोई दलील नहीं थी, तो आप ﷺ ने उस जानवर को उन दोनों के बीच आधा आधा देने का फ़ैसला फ़रमाया:। (इसे अहमद, अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है, यह अलफ़ाज़ नसाई के हैं, इस की सनद उम्दा और अच्छी है)

(١٢١٥) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1215. जाबिर رضي الله عنه से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने मेरे इस मिम्बर पर ख़ड़े होकर झूठी क़सम खायी तो उस ने अपना ठिकाना जहन्नम में बना लिया।" (इसे अहमद, अबू दाउद और नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(١٢١٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ،

1216. अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तीन आदमी ऐसे हैं कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआला

وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ: لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

उन से बात नहीं करेगा और न उन की तरफ़ नज़र (रहमत) करेगा और न उन को गुनाहों से पाक करेगा, बल्कि उन के लिये दर्दनाक अज़ाब होगा, पहला वह आदमी जो एक मुसाफ़िर को जंगल (सहरा) में बचे हुये पानी से रोकता है और दूसरा वह आदमी जो अस्र के बाद किसी चीज़ का दूसरे से सौदा करता है और अल्लाह की क़सम खाता है कि उस ने उस चीज़ को इतने इतने में ख़रीदा है, हालाँकि हक़ीक़त ऐसे न थी, और वह ख़रीदार उस को सच मान गया, और तीसरा वह आदमी जिस ने दुनियावी ग़र्ज़ के लिये किसी बादशाह की बैअत की, अगर बादशाह उस को कुछ देता है तो वह वफ़ा करता है और अगर वह उस को कुछ नहीं देता (यानी दुनिया का माल) तो वह वफ़ा नहीं करता।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी को रोक लेना और ज़रूरतमंदों को लेने न देना, अस्र के बाद झूठी क़सम खाकर माल बेचना और दुनियावी ग़र्ज़ के लिये बादशाह की ताईद करना, अल्लाह तआला की सख़्त नाराज़गी का बाइस है और रहमते इलाही से महरूमी का बाइस भी।

(١٢١٧) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي نَاقَةٍ، فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: نُتِجَتْ عِنْدِي، وَأَقَامَا بَيِّنَةً، فَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ هِيَ فِي يَدِهِ.

1217. जाबिर ﷺ से रिवायत है कि दो आदमी एक ऊँटनी का मुक़द्दमा अदालते नबवी ﷺ में लाये, उन में से हर एक का यह दावा था कि ऊँटनी ने बच्चा मेरे यहाँ जना है, और दोनों ने अपने-अपने गवाह भी पेश किये, फिर रसूलुल्लाह ﷺ ने उस आदमी के हक़ में फ़ैसला फ़रमाया जिस के क़ब्ज़े में ऊँटनी थी।

(١٢١٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ اليَمِينَ عَلَى

1218. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने मुद्दई पर क़सम

طَالِبِ الحَقِّ. رَوَاهُمَا الدَّارَقُطْنِيُّ، وَفِي إِسْنَادِهِمَا ضَعْفٌ.

डाल दी। (इन दोनों अहादीस को दार क़ुतनी ने रिवायत किया है और दोनों की सनद कमज़ोर है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मुद्दआ अलैह बिला सुबूत या बिला गवाही की सूरत में क़सम उठाने से भी इंकार कर दे तो ऐसी सूरत में मुद्दई से क़सम खाने के लिये कहा जायेगा, अगर वह क़सम खा लेगा तो वह चीज़ उसे दे दी जायेगी।

(١٢١٩) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوراً، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَ أَنَّ مُجَزِّزاً الْمُدْلِجِيَّ نَظَرَ آنِفاً إِلَىٰ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: هٰذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1219. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक दिन नबी ﷺ बहुत खुश मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये, आप ﷺ का रुख़े अनवर चमक रहा था, आप ﷺ ने फ़रमाया: "क्या तुझे मालूम नहीं कि मुजज़्जिज़ मुदलिजी ने अभी ज़ैद बिन हारिसा और उसामा बिन ज़ैद (रज़ि अल्लाहु अन्हुम) को देख कर कहा है कि यह पाँव एक-दूसरे का जुज़ हैं।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

15- आज़ादी के मसायेल

١٥ - كِتَابُ العِتْقِ

1220. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस मुसलमान ने किसी मुसलमान ग़ुलाम को आज़ाद किया अल्लाह तआला उस के हर अज़ो को उस के हर अज़ो के बदले जहन्नम की आग से आज़ाद कर देगा" (बुख़ारी, मुस्लिम) और तिर्मिज़ी में अबू उमामा की रिवायत है जिसे तिर्मिज़ी ने सहीह कहा है "जिस मुसलमान मर्द ने दो मुसलमान लौंडियों को आज़ाद किया तो वह दोनों उस मर्द के दोज़ख़ से आज़ाद होने का सबब बन जायेंगे" और अबू दाउद में काब बिन मुर्रा की रिवायत में है "जो मुसलमान औरत किसी मुसलमान लौंडी को आज़ाद करेगी तो वह उस के जहन्नम से आज़ाद होने का ज़रिया होगी।

(١٢٢٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرِىءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَءًا مُسْلِماً اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِلتِّرْمِذِيِّ - وَصَحَّحَهُ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: «أَيُّمَا امْرِىءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ». وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ ابْنِ مُرَّةَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ».

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि किसी मुसलमान ग़ुलाम को नेमते आज़ादी देना बख़्शिश और मग़फ़िरत और जहन्नम की आज़ादी का ज़रिया है और रसूलुल्लाह ﷺ ने कई अंदाज़ में इस की बड़ी तरग़ीब दी है।

1221. अबू ज़र ﷺ से रिवायत है कि मैंने नबी ﷺ से पूछा कि बेहतरीन अमल कौन सा है आप ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह पर ईमान लाना और उस के रास्ते में जिहाद करना" मैंने अर्ज़ किया कौन सा ग़ुलाम आज़ाद करना अफ़ज़ल है? फ़रमाया: "वह ग़ुलाम जो क़ीमत में ज़्यादा गिराँ और मालिकों की नज़रों में ज़्यादा नफ़ीस और महबूब हो।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٢٢١) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ». قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَغْلَاهَا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1222. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो

(١٢٢٢) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ

شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ [الْعَبْدُ عَلَيْهِ] قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

आदमी मुशतरका गुलाम में से अपना हिस्सा आज़ाद कर दे और उस के पास और इतना माल भी हो कि गुलाम को ख़रीद कर आज़ाद कर सके तो इन्साफ़ से उस की क़ीमत मुक़र्रर करके दूसरे शुरका को उन के हिस्से की क़ीमत अदा कर दे तो यह गुलाम उस की तरफ़ से आज़ाद होगा वर्ना जितना कुछ आज़ाद हुआ सो हो चुका" (बुख़ारी, मुस्लिम)

وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ». وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الخَبَرِ.

दोनों ने अबू हुरैरा ﷺ से यह अलफ़ाज़ नक़्ल किये हैं "वर्ना उस की क़ीमत लगाई जायेगी और उस पर मशक़्क़त डाले बग़ैर उसे आज़ादी हासिल करने का मौक़ा दिया जायेगा" (अगली इबारत का मफ़हूम लुग़वी तशरीह में देखें)

(١٢٢٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1223. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "कोई बेटा बाप के लिये काफ़ी नहीं, इल्ला यह कि बाप गुलाम हो तो वह उसे ख़रीद कर आज़ाद कर दे।" (मुस्लिम)

(١٢٢٤) وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

1224. समुरा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी किसी क़राबतदार का मालिक हो जाये तो वह गुलाम आज़ाद है" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है और मुहद्दिसीन की एक जमाअत ने इसे मौक़ूफ़ क़रार दिया है)

फ़ायेदा:

यह हदीस बक़ौल मुहद्दिसीन मौक़ूफ़ है मगर इस बाब में और अहादीस भी मरवी हैं जिन में से एक को इब्ने क़त्तान और इब्ने हज़्म ने सहीह कहा है, इस हदीस से मालूम हुआ कि जिन तअल्लुक़दारों का बहम निकाह नहीं हो सकता उन में गुलामी और आक़ाई का तअल्लुक़ भी ऐसा है जिस की वजह से निकाह नहीं रह सकता।

(١٢٢٥) وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ

1225. इमरान बिन हुसैन रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी ने

مَمَالِيكَ لَهُ، عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثاً، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيداً. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

अपनी मौत के वक़्त अपने छः गुलाम आज़ाद कर दिये, उन गुलामों के अलावा उस की कोई और जायदाद नहीं थी, रसूलुल्लाह ﷺ ने उन को तलब फ़रमाया और उन के तीन हिस्से किये, फिर उन में से कुरआअन्दाज़ी फ़रमाई, फिर आप ﷺ ने दो गुलामों (एक तिहाई) को आज़ाद कर दिया और बाक़ी चार को गुलाम रहने दिया और आज़ाद करने वाले के हक़ में सख़्त कलिमा भी फ़रमाया। (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मरने के वक़्त सदक़ा की हैसियत वसीयत की होती है और वह शरअन तरका की एक तिहाई वसीयत करने का मजाज़ है उस से ज़्यादा नहीं, और अगर मरने वाला मरज़ुल-मौत में इस के ख़िलाफ़ सदक़ा या वसीयत कर गया तो उस की इस्लाह की जायेगी और वह अमल नाफ़िज़ नहीं होगा।

(١٢٢٦) وَعَنْ سَفِينَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً لِأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ، وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالحَاكِمُ.

1226. सफ़ीना ﷺ से रिवायत है कि मैं उम्मे सलमा रज़ि अल्लाहु अन्हा का गुलाम था, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे इस शर्त पर आज़ाद करती हूँ कि तू रसूलुल्लाह ﷺ की ता-हयात ख़िदमत करेगा। (इसे अहमद, अबू दाउद, नसाई और हाकिम ने रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि आज़ादी का परवाना शर्त के साथ भी देना जायेज़ है और गुलाम से ताउम्र किसी की ख़िदमत की शर्त लगाना भी सहीह है।

(١٢٢٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

1227. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "वलाअ) उसी का हक़ है जो उसे आज़ाद करे" (बुख़ारी, मुस्लिम, यह लम्बी हदीस का टुकड़ा है)

फ़ायेदा:

वलाअ और वह यह है कि आज़ाद किया हुआ गुलाम जब मर जाये तो उस के तरका का हक़ आज़ाद करने वाले को पहुँचता है।

(١٢٢٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ

1228. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से

تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِغَيْرِ هٰذَا اللَّفْظِ.

मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "वलाअ भी नसब की तरह एक जुज़ और तअल्लुक़ है जिसे न बेचा जा सकता है और न हिबा किया जा सकता है" (इसे शाफई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है और सहीहैन में इस का असल है जिस के अलफ़ाज़ यह नहीं)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि आज़ाद करने वाले को वलाअ उसी तरह मिलती है जिस तरह नसब के क़रीबी को मीरास मिलती है।

١ - بَابُ المدَبَّرِ وَالمُكَاتَبِ وَأُمِّ الوَلَدِ

1. मुदब्बर, मुकातब और उम्मे वलद का बयान

(١٢٢٩) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَاماً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِاللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاجَ.

1229. जाबिर ؓ से रिवायत है कि एक अंसारी ने अपना एक गुलाम मरते वक़्त आज़ाद कर दिया, उस की मिलकियत में सिर्फ़ यही माल था, यह बात नबी ﷺ तक पहुँची तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "कौन है जो इस गुलाम को मुझ से ख़रीदता है?" नुऐम बिन अब्दुल्लाह ؓ ने आप ﷺ से उसे आठ सौ दिरहम में ख़रीद लिया। (बुख़ारी, मुस्लिम) और बुख़ारी के अलफ़ाज़ यह हैं कि पस वह मुहताज हुआ।

وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ، وَقَالَ: «اقْضِ دَيْنَكَ».

और नसाई की रिवायत में है कि उस पर क़र्ज़ था, फिर आप ﷺ ने उसे आठ सौ दिरहम में बेच दिया और उसे दे कर फ़रमाया: "अपना क़र्ज़ अदा करो।"

फ़ायेदा:

यह हदीस पीछे गुज़र चुकी है और यह इस बात की दलील है कि गुलाम को मुदब्बर करना सहीह है।

(١٢٣٠) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «المُكَاتَبُ عَبْدٌ، مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ

1230. अम्र बिन शुऐब अपने बाप से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "मुकातब उस वक़्त तक गुलाम

دِرْهَمٌ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالثَّلاثَةِ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

ही है जब तक उस की मुकातबत से एक दिरहम भी बाक़ी है" (इसे अबू दाउद ने हसन सनद से रिवायत किया है और इस की असल अहमद और तीनों के यहाँ है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस का ख़ुलासा यह है कि "मुकातब" जब तक किताबत की रक़म अदा न कर सके उस वक़्त तक वह ग़ुलाम ही रहेगा, जमहूर उलमा का यही मज़हब है।

(١٢٣١) وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

1231. उम्मे सलमा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से किसी के पास मुकातब हो और उस के पास इतना माल हो कि अदा करके आज़ाद हो सकता है तो फिर (औरत को) उस से पर्दा करना चाहिये" (इसे अहमद और चारों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि मुकातब के पास ज़रे किताबत अदा करने के लिये रक़म का बंदोबस्त हो जाये तो मालिका को उस से पर्दा करना चाहिये।

(١٢٣٢) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «يُودَى المُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَارَقَّ مِنْهُ دِيَةَ العَبْدِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

1232. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "मुकातब जितना आज़ाद है उस क़दर आज़ाद की दियत अदा करेगा और जितना ग़ुलाम है उस क़दर ग़ुलाम की।" (इसे अहमद, नसाई और अबू दाउद ने रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में मुकातब के क़त्ल किये जाने की सूरत में दियत का मसअला बयान हुआ है, जब मुकातब क़त्ल हो जाये और वह अपनी आधी ज़रे किताबत अदा कर चुका हो तो इस सूरत में क़ातिल न आज़ाद के सौ ऊँट अदा करेगा और न ग़ुलाम के आधे, बल्कि जब वह आधी रक़म किताबत दे चुका है तो फिर क़ातिल पर 75 ऊँट वाजिबुल अदा होंगे।

(١٢٣٣) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ، أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

1233. अम्र बिन हारिस ﷺ उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया रज़ि अल्लाहु अन्हा के भाई से

عَنْهُمَا قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَماً، وَلَا دِينَاراً، وَلَا عَبْداً، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئاً، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने अपनी वफ़ात के वक़्त न कोई दिरहम मीरास में पीछे छोड़ा और न दीनार और न कोई गुलाम और लौंडी और न कोई और चीज़, बस एक सफ़ेद ख़च्चर, अपने जंग का असलहा और कुछ थोड़ी सी ज़मीन जिसे आप ﷺ ने सदक़ा कर दिया था। (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इद हदीस से नबी ﷺ की दुनिया से बेरग़बती साबित होती है।

(١٢٣٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَىٰ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.

1234. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस लौंडी ने अपने आक़ा और मालिक के नुतफ़ा से बच्चा जना तो वह मालिक की मौत के बाद आज़ाद है" (इस की रिवायत इब्ने माजा और हाकिम ने कमज़ोर सनद से की है और एक जमाअत ने इस के उमर ؓ पर मौक़ूफ़ होने को तरजीह दी है)

फ़ायेदा:

इस हदीस और पहली सहीह हदीस से साबित है कि उम्मे वलद अपने आक़ा की मौत के बाद ख़ुद ही आज़ाद हो जाती है।

(١٢٣٥) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ غَارِماً فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتَباً فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

1235. सहल बिन हुनैफ़ ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस आदमी ने मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह की एआनत और मदद की या तंगीये हालात में किसी क़र्ज़दार की मदद की या किसी मुकातब को उस के ज़रे किताबत की अदायेगी में हाथ बटाया कि वह आज़ाद हो जाये तो ऐसे आदमी को अल्लाह तआला उस दिन साया अता फ़रमायेगा जिस दिन उस के साया के सिवा कोई साया नहीं होगा।" (इसे अहमद ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

١٦ - كِتَابُ الجَامِعِ

16- अलग-अलग मज़ामीन की हदीसें

١ - بَابُ الأَدَبِ

1. अदब का बयान

1236. अबू हुरैरा ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर छ हुकूक़ हैं जब मुलाक़ात हो तो उसे सलाम कहे, और जब दावत दे तो उसे क़बूल करे, जब नसीहत माँगे तो उसे नसीहत करे, छींक मार कर अलहम्दु लिल्लाह कहे तो उस के जवाब में तू यरहमुकल्लाह कहे और जब वह बीमार हो जाये तो उस की अयादत करे और जब मर जाये तो उस के जनाज़ा में शिरकत करे" (मुस्लिम)

(١٢٣٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حَقُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ سِتٌّ، إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَاللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में मुसलमान के मुसलमान पर छ हुकूक़ बयान किये गये हैं। मुस्लिम की एक रिवायत में पाँच का ज़िक्र भी है, उस में ख़ैरख़्वाही का ज़िक्र नहीं और एक हदीस में यह भी है कि जब वह तुझे किसी मामला पर क़सम उठवाये तो हक़ होने की सूरत में क़सम दे, इस से मालूम हुआ कि इन छ हुकूक़ का अदा करना हर मुसलमान पर कुछ उलमा के नज़दीक वाजिब है और कुछ के नज़दीक मुस्तहब है, मगर ज़ाहिर हदीस के अलफ़ाज़ से उन हुकूक़ की अदायेगी वाजिब ही मालूम होती है।

1237. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हमेशा अपने से ग़रीब को देखो और अपने से अमीर की तरफ़ न देखो और यह इस के लिये ज़्यादा मुनासिब है (इसलिये) कि तुम अल्लाह की किसी नेमत को हक़ीर न समझोगे" (बुख़ारी, मुस्लिम।)

(١٢٣٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اُنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1238. नव्वास बिन समआन ؓ से मरवी है

(١٢٣٨) وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ

اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ، فَقَالَ: «الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से नेकी और गुनाह के बारे में सवाल किया तो आप ﷺ ने फ़रमाया: "नेकी अच्छे अख़लाक़ का नाम है और गुनाह वह है जो तेरे सीने में खटके और तू नापसन्द समझे कि लोग उस पर बाख़बर हो जायें।" (मुस्लिम)

(١٢٣٩) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ، حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

1239. इब्ने मसऊद ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम तीन हो तो दो आदमी तीसरे को अलग करके सरगोशी न करें, यहाँ तक कि वह लोगों के साथ मिल जुल न जायें, क्योंकि इस तरह यह चीज़ उसे ग़मगीन और रंजीदा करती है।" (बुख़ारी, मुस्लिम, और यह अलफ़ाज़ मुस्लिम के हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस में साथी को नज़रअंदाज़ करके काना फूसी और सरगोशी को ममनूअ क़रार दिया गया है।

(١٢٤٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1240. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "कोई आदमी किसी को इस की जगह से उठा कर ख़ुद उस जगह न बैठे, अगर जगह की कमी हो तो हल्क़ये मजलिस वसीअ और कुशादा कर ले और उस में तौसीअ कर ले।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में मजलिसी आदाब की तालीम दी गई है कि अगर मजलिस में जगह की कमी हो रही है और लोगों का आना जारी है तो आगे बैठे हुये लोग ज़रा सुकड़ जायें, एक दूसरे के क़रीब हो जायें या मजलिस को ज़रा वसीअ कर लिया जाये ताकि आने वाले हज़रात भी बैठ सकें, अलबत्ता यह नहीं होना चाहिये कि एक आदमी किसी ज़रूरत के पेशे नज़र अपनी जगह छोड़ कर ज़रा देर के लिये बाहर जाये तो दूसरा उस की जगह पर क़ब्ज़ा जमा ले, यह हुक्म हर जगह के लिये एक तरह है चाहे यह मस्जिद में हो या मजलिसे अहबाब में या कहीं दूसरी जगह पर हो।

1241. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई खाना खाये तो अपना हाथ चाटने या चटवाने से पहले (रूमाल वग़ैरा से) साफ़ न करे" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٢٤١) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में खाना खाने के आदाब की तरफ़ तवज्जुह दिलाई गई है।

1242. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "छोटा बड़े को, राह चलता बैठे को और थोड़े ज़्यादा तादाद वालों को सलाम कहा करें।" (बुख़ारी, मुस्लिम) और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि सवार पैदल को सलाम करे।

(١٢٤٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لِيُسَلِّمِ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ، وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وفي رواية لمسلم: والراكب على الماشي.

फ़ायेदा:

इस हदीस में आपस में एक दूसरे को सलाम कहने के बारे में आदाब का ज़िक है।

1243. अली ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब एक जमाअत किसी के पास से गुज़रे तो उन में से एक आदमी का सलाम कह देना काफ़ी है और जमाअत में से एक आदमी का जवाब देना काफ़ी है।" (मुसनद अहमद, सुनन बैहक़ी)

(١٢٤٣) وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُجْزِىءُ عَنِ الْجَمَاعَةِ - إِذَا مَرُّوا - أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ، وَيُجْزِىءُ عَنِ الْجَمَاعَةِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि सलाम कहना और उस का जवाब देना फ़र्ज़ है, जमाअत में से एक आदमी अगर जवाब देगा तो तमाम की तरफ़ से अदायेगी हो जायेगी।

1244. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "यहूद और नसारा को पहले सलाम मत करो और जब उन से रास्ता में मुलाक़ात हो जाये तो उन्हें तंग रास्ता की तरफ़ मजबूर कर दो।" (मुस्लिम)

(١٢٤٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

(١٢٤٥) وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ لَهُ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

1245. उन्होंने (अबू हुरैरा ﷺ ने) नबी ﷺ से रिवायत किया है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से किसी को छींक आये तो उसे अलहम्दु लिल्लाह (सब तारीफ़ अल्लाह के लिये है) कहना चाहिये और उस का भाई उसे यरहमुकल्लाह (अल्लाह तुझ पर रहम करे) कहे, जब वह यरहमुकल्लाह कह दे तो फिर छींक मारने वाला जबाव में यहदीकुमुल्लाह व युसलिहु बालकुम कहे, (अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और तुम्हारा हाल सहीह फ़रमाये।" (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि छींक का जवाब देना चाहिये शर्त यह है कि छींक मारने वाला पहले अलहम्दु लिल्लाह कहे और यह जवाब तीन बार तक छींक आये तो देना चाहिये, उस से ज़्यादा हो तो जवाब नहीं देना चाहिये, क्योंकि आप ﷺ ने फ़रमाया: "तीन से ज़्यादा छींके ज़ुकाम की अलामत है।" (अबू दाउद)

(١٢٤٦) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمْ قَائِماً». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1246. उन्हीं (अबू हुरैरा ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से कोई खड़े खड़े पानी न पिये।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में खड़े खड़े पानी पीने से मना किया गया है।

(١٢٤٧) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، وَلْتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَخْرَجَ بَاقِيَهُ مَالِكٌ والتِّرمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ.

1247. उन्हीं (अबू हुरैरा ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई जूता पहनने लगे तो पहले दायें पाँव में पहने और जब उतारे तो पहले बायें पाँव से उतारे, और चाहिये कि दायें पाँव में जूता पहले पहने और दोनों पाँव में से आख़िर में दायें पाँव से जूता उतारे।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि हर बाइसे तकरीम और मूजिब इज़्ज़त काम की शुरूआत दायें तरफ़ से होना चाहिये और हर कम अहमियत वाला काम बायें तरफ़ से शुरु किया जाये।

1248. उन्हीं (अबू हुरैरा ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम में से कोई भी एक जूता पहन कर न चले फिरे या तो दोनों एक साथ पहने या फिर दोनों उतार दे" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٢٤٨) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَلْيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعاً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि एक जूता पहन कर न चलना चाहिये, दोनों पहने या दोनों उतार दे।

1249. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला उस आदमी की तरफ़ रहमत की नज़र से न देखेगा जो तकब्बुर से अपना कपड़ा पाँव के नीचे और पीछे घसीटता फिरे।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٢٤٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मर्दों के लिये टखनों से नीचे चादर वग़ैरा का लटकाना हराम है, क्योंकि यह घमंडी लोगों की अलामत है।

1250. उन्हीं (इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब भी तुम में से कोई खाना खाये तो उसे अपने दायें हाथ से खाना चाहिये और जब कोई मशरूब पिये तो उसे दायें हाथ से पीना चाहिये, इसलिये कि शैतान अपने बायें हाथ से खाता है और बायें ही से पीता है।" (मुस्लिम)

(١٢٥٠) وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि खाना और पीना दायें हाथ से होना चाहिये, बिला वजह अपने बायें हाथ से खाना पीना हराम है और शैतान से मुशाबहत है।

1251. अम्र बिन शुऐब ने अपने बाप से और उन्होंने अपने दादा से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "खा पी और

(١٢٥١) وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلْ، وَاشْرَبْ، وَالْبَسْ، وَتَصَدَّقْ، فِي

غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ، وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ.

लिबास पहन और सदक़ा कर, लेकिन फुज़ूल ख़र्ची और फ़ख़ के बग़ैर" (इस को अबू दाउद और अहमद ने रिवायत किया है और बुख़ारी ने इसे मुअल्लक़ बयान किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में फुज़ूल ख़र्ची और तकब्बुर से मना किया गया है, चाहे उस का तअल्लुक़ खाने पीने से हो, लिबास से हो या सदक़ा व ख़ैरात से हो।

2. नेकी और सिलारहमी का बयान

٢ - بَابُ البِرِّ وَالصِّلَةِ

(١٢٥٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

1252. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी को यह पसन्द है कि उस के रिज़्क़ में कुशादगी हो और लम्बी उम्र मिले तो उसे सिलारहमी करनी चाहिये।" (बुख़ारी)

(١٢٥٣) وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ» يَعْنِي قَاطِعَ رَحِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1253. जुबैर बिन मुतइम ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जन्नत में क़तारहमी करने वाला दाख़िल नहीं होगा।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में क़तारहमी के अंजाम से ख़बरदार किया गया है कि ऐसा आदमी जन्नत में नहीं जायेगा।

(١٢٥٤) وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَمَنْعاً وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1254. मुग़ीरा बिन शुअबा ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला ने तुम पर माँओं की नाफ़रमानी, लड़कियों को ज़िन्दा दरगोर करना और एहसान से बाज़ रहना और दूसरों के सामने हाथ फैलाना हराम कर दिया है और ज़्यादा बाते करना और ज़्यादा सवाल और माल को ज़ाया करना नापसन्द किया है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٢٥٥) وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «رِضَا اللهِ فِي رِضَا الوَالِدَيْنِ، وَسَخَطُ اللهِ فِي سَخَطِ الوَالِدَيْنِ» أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

1255. अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने नबी ﷺ से रिवायत किया है कि आप ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला की रज़ामंदी माँ बाप की रज़ामन्दी में है और अल्लाह तआला की नराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में है।" (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से माँ बाप को राज़ी रखने और उन की नाराज़गी से बचने का हुक्म है, लेकिन अगर माँ बाप ऐसे काम का हुक्म दें जिस में अल्लाह तआला की नाफ़रमानी हो तो फिर उन की एताअत नाजायेज़ है।

(١٢٥٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1256. अनस ؓ ने रिवायत किया है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "मुझे उस ज़ाते अक़दस की क़सम! जिस के हाथ में मेरी जान है, कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह अपने पड़ोसी या अपने भाई के लिये भी वही पसन्द न करे जो अपने लिये पसन्द करता है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में ईमान की तकमील के लिये एक शर्त बयान हुई है और वह यह है कि इंसान जो चीज़ अपने लिये पसन्द और महबूब रखे अपने पड़ोसी या अपने भाई के लिये भी वही चीज़ महबूब रखे।

(١٢٥٧) وَعنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ للهِ نِدًّا، وَهُوَ خَلَقَكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ». قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1257. इब्ने मसउद ؓ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सवाल किया, कौन सा गुनाह सब से बड़ा है? आप ﷺ ने फ़रमाया: "यह कि तू अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक बनाये, हालाँकि वह तेरा ख़ालिक़ है" मैंने अर्ज़ किया, फिर कौन सा? आप ﷺ ने फ़रमाया: "यह कि तू अपनी औलाद को इस डर से क़त्ल करे कि वह तुम्हारे साथ मिल कर खायेंगे" मैंने फिर अर्ज़ किया कि फिर

कौन सा? आप ﷺ ने फ़रमाया: "यह कि तू अपने पड़ोसी की बीवी से ज़िना करे।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

1258. अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "कबीरा गुनाहों में से अपने माँ बाप को गाली देना है" कहा गया कि क्या कोई आदमी अपने माँ-बाप को भी गाली देता है? आप ﷺ ने फ़रमाया: "हाँ! कि वह किसी आदमी के बाप को गाली गलौच करता है तो वह उस के बाप को गाली गलौच करता है और वह इस की माँ को गाली देता है तो वह इस की माँ को गाली देता है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٢٥٨) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مِنَ الكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ»، قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी काम के लिये सबब बनना गोया खुद इस काम को अंजाम देना है, दूसरे लफ़्ज़ों में दीगर हराम चीज़ के असबाब भी हराम होते हैं।

1259. अबू अय्यूब ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "किसी मुसलमान के लिये यह हलाल नहीं है कि वह अपने भाई से तीन दिन से ज़्यादा क़तये तअल्लुक़ रखे, जब दोनों का आमना सामना हो तो यह अपना मुँह इधर कर ले और वह उधर कर ले, दोनों में बेहतर इसान वह है जो सलाम में पहल करे।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٢٥٩) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ. يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम होता है कि अगर दो मुसलमान भाईयों की नाराज़ी ज़ाती नौईयत के मुआमलात की वजह से हो तो ऐसी सूरत में तीन दिन से ज़्यादा नाराज़ रहना जायेज़ नहीं है, लेकिन अगर नाराज़ी की वजह दीनी मुआमला हो तो उस के लिये कोई हद नहीं है।

1260. जाबिर ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हर भलाई सदक़ा है।" (बुख़ारी)

(١٢٦٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि सदक़ा सिर्फ़ माल ख़र्च करने का नाम ही नहीं बल्कि हर नेकी सदक़ा है।

1261. अबू ज़र ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "किसी भले काम को हक़ीर और मामूली न समझो, चाहे अपने भाई से ख़न्दा और कुशादा रुई से बात करना ही क्यों न हो।"

(١٢٦١) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئاً، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ».

1262. उन्ही (अबू ज़र ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम शोरबा पकाओ तो उस में ज़रा पानी ज़्यादा डाल लिया करो और अपने पड़ोसी का भी ख़्याल रखा करो" (इन दोनों अहादीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है)

(١٢٦٢) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ». أَخْرَجَهُمَا مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में पड़ोसी से हुस्न व सुलूक का हुक्म है।

1263. अबू हुरैरा ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो कोई दुनिया की मुसीबतों और सख़्तियों में से किसी मुसलमान की मुसीबत को दूर करेगा अल्लाह तआला क़ियामत के दिन, क़ियामत की सख़्तियों में से उस की कोई सख़्ती दूर फ़रमा देगा और जो कोई किसी तंगदस्त के लिये दुनिया में आसानी पैदा करेगा तो अल्लाह तआला दुनिया और आख़िरत में उस के लिये आसानी पैदा फ़रमायेगा और जो कोई किसी मुसलमान के ऐब पर पर्दापोशी करेगा तो अल्लाह तआला दुनिया और आख़िरत में उसकी पर्दापोशी फ़रमायेगा और अल्लाह तआला उस वक़्त तक बन्दे की मदद में रहता है जब तक वह बन्दा अपने भाई की मदद करता रहेगा। (मुस्लिम)

(١٢٦٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1264. इब्ने मसउद ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो कोई ख़ैर व भलाई का रास्ता बताये उस को भी नेकी पर अमल पैरा होने वाले के बराबर सवाब मिलता है।" (मुस्लिम)

(١٢٦٤) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि नेक अमल की रहनुमाई करने वाले को उतना ही अज्र व सवाब मिलेगा जितना उस नेकी पर अमल करने वाले को मिलेगा, यह रहनुमाई बराहे रास्त हो या बिलवास्ता कि दूसरे किसी आलिम की तरफ़ रुजूअ का इशारा किया जाये, दोनों को शामिल है।

1265. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा ने नबी ﷺ से रिवायत किया है "जो कोई तुम में से अल्लाह के नाम से पनाह माँगे तो उस को पनाह दो और जो कोई अल्लाह के नाम पर तुम से सवाल करे तो उस को दो और जो कोई तुम से हुस्न व सुलूक और एहसान करे तो उस को बदला दो अगर पूरा बदला देने की ताक़त और वुसअत न हो तो फिर उस के हक़ में दुआ करो।" (सुनन बैहक़ी)

(١٢٦٥) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ». أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में अल्लाह के नाम पर पनाह माँगने वाले को पनाह देने और अल्लाह का नाम लेकर सवाल करने वाले को कुछ न कुछ ज़रूर देने और एहसान का बदला एहसान से देने की ताकीद है।

3. दुनिया से बेरग़बती और परहेज़गारी का बयान

٣ - بَابُ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ

1266. नुअमान बिन बशीर ﷺ से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ से सुना और नुअमान अपनी दोनों अंगुलियों को अपने कानों की तरफ़ ले गये "हलाल भी वाज़ेह है और हराम भी, इन दोनों के बीच शुब्हात हैं, लोगों की अकसरियत इन को नहीं जानती, जो कोई शुब्हात से बच गया तो उस ने अपने दीन

(١٢٦٦) وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ - وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ -: «إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي

और अपनी इज़्ज़त व आबरू को बचा लिया और जो शुब्हात में पड़ गया वह हराम में फंस गया, जैसे चरवाहा कि चरागाह के पास जानवर को चराता हो तो कभी न कभी जानवर चरागाह में चले जाते हैं, ख़बरदार! हर बादशाह की चरागाह होती है, ख़बरदार! हराम चीज़ें अल्लाह की चरागाह हैं, ख़बरदार! जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है जब वह सहीह हो तो सारा जिस्म सहीह होता है और जब वह बिगड़ जाये तो सारा जिस्म बिगड़ जाता है, सुन लो! वह टुकड़ा दिल है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.

फ़ायदा:

यह हदीस उसूले इस्लाम में से शुमार की गई है, उस में बताया गया है कि हलाल और हराम चीज़ें तो वाज़ेह हैं उन में किसी तरह का शक नहीं है, अलबत्ता मुश्तबिहात ऐसी चीज़ें (शक वाली) हैं जिन की हुरमत वाज़ेह नहीं, या जिन के बारे में दलीलें दोनों तरफ़ क़रीब क़रीब बराबर हों, इस तरह के मसाइल से बचना चाहिये और ज़न्न व तख़मीन से काम नहीं लेना चाहिये।

1267. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बरबाद हो गया सोने चाँदी और ख़िलअत (रौएंदार चादर) का बन्दा, अगर उसे वह मिले तो राज़ी रहता है और अगर न दी जाये तो नाराज़ हो जाता है।" (बुख़ारी)

(١٢٦٧) وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرض. أخرجه البخاري.

1268. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मेरे कंधे पकड़ कर फ़रमाया: "(ऐ इब्ने उमर!) दुनिया में एक अजनबी या राह चलते मुसाफ़िर की तरह रह" और इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा कहा करते थे, जब तू शाम करे तो सुब्ह का इन्तिज़ार न कर और जब सुब्ह करे तो शाम का इन्तिज़ार न कर और अपनी

(١٢٦٨) وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله ﷺ بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري.

तंदुरुस्ती के वक़्त अपनी बीमारी का कुछ सामान कर और ज़िन्दगी में मौत की तैयारी कर। (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस में दुनिया की बेसबाती और उस के फ़ानी होने का बयान है और ज़िन्दगी बसर करने का एक उसूल बताया गया है कि दुनिया में इन्सान को किस ख़्याल से रहना चाहिये।

1269. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने दूसरी क़ौम से मुशाबहत पैदा की तो वह उन्ही में से है।" (इसे अबू दाउद ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(١٢٦٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

यह हदीस कुफ़्फ़ार से मुशाबहत की हुरमत की दलील है और इसी से उलमा ने ग़ैर मुस्लिमों का फ़ैशन अपनाने को मकरूह क़रार दिया है।

1270. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक दिन मैं नबी ﷺ के पीछे (खड़ा) था, आप ﷺ ने फ़रमाया: "ऐ लड़के! तू अल्लाह (के अहकाम) की हिफ़ाज़त कर, अल्लाह तआला तेरी निगहबानी करेगा, तू अल्लाह की तरफ़ ध्यान रख, तू उस को अपने सामने पायेगा और जब तू कुछ माँगे तो (सिर्फ़) अल्लाह तआला से माँग और जब तू मदद माँगे तो (बस) अल्लाह से मदद माँग" (तिर्मिज़ी ने इसे रिवायत किया है और हसन सहीह कहा है)

(١٢٧٠) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْماً فَقَالَ: «يَا غُلَامُ! احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में ख़ालिस तौहीद की बेहतरीन अन्दाज़ में तालीम दी गई है।

1271. सहल बिन साद ﷺ से रिवायत है कि एक आदमी नबी ﷺ की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे

(١٢٧١) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِيَ اللَّهُ، وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ. فَقَالَ: «ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا، يُحِبَّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ، يُحِبَّكَ النَّاسُ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَغَيْرُهُ، وَسَنَدُهُ حَسَنٌ.

ऐसा अमल बताईये कि जब मैं वह अमल करूँ तो अल्लाह मुझे अपना महबूब बना ले और लोग भी मुझ से मुहब्बत करें। आप ﷺ ने उस के जवाब में फ़रमाया: "दुनिया से बेनियाज़ और बेरग़बत हो जा अल्लाह तुझे महबूब रखेगा और लोगों के पास जो कुछ है उस से भी बेनियाज़ हो जा लोग भी तुझे महबूब रखेंगे और पसन्द करेंगे।" (इसे इब्ने माजा वग़ैरा ने रिवायत किया है और इस की सनद हसन है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में महबूब जहाँ बनने का गुर बतलाया गया है कि इन्सान दुनिया और दुनिया वालों से बेनियाज़ हो कर बस अल्लाह तआला ही का हो जाये और दुनिया की तमा और लालच में न पड़े।

(١٢٧٢) وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1272. साद बिन अबी वक़्क़ास رضي الله عنه से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को इरशाद फ़रमाते सुना "अल्लाह तआला ऐसे बन्दे को दोस्त और महबूब रखता है जो परहेज़गार, बेनियाज़ और गुमनाम हो।" (मुस्लिम)

(١٢٧٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ.

1273. अबू हुरैरा رضي الله عنه से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "आदमी का ला यानी चीज़ों को छोड़ देना उस के इस्लाम के अच्छा होने की दलील है" (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इसे हसन क़रार दिया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस को नबी ﷺ के इरशादात में जवामिउलकलिम की हैसियत हासिल है। दुनिया में इन्सान का मक़सदे हयात अल्लाह तआला की इबादत है, एक सच्चे मोमिन के ईमान का तक़ाज़ा है कि वह बेमक़सद और बेफ़ायेदा काम सरअंजाम ही न दे।

(١٢٧٤) وَعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مَلأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

1274. मिक़दाम बिन मादीकरिब رضي الله عنه से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "वह बद्तरीन बर्तन जो इन्सान भरता है वह उस का पेट है।" (इस की रिवायत तिर्मिज़ी ने की है और इसे हसन कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में बेसियार ख़ोरी को बद्तरीन ख़सलत क़रार दिया गया है।

1275. अनस ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "आदम का हर बेटा ख़ताकार हैं और बेहतरीन ख़ताकार वह है जो बहुत ज़्यादा तौबा करने वाले हों" (इसे तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इस की सनद मज़बूत है)

(١٢٧٥) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि हर आदमी ख़ता और गुनाह का इरितकाब करने वाला है, अम्बिया किराम के अलावा कोई भी इन्सान मासूम नहीं, मगर आदमियत का तक़ाज़ा है जब कभी ख़ता सरज़द हो फ़ौरन आदम अलैहिस्सलाम की तरह तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, शैतान की तरह गुनाह पर इसरार न करे।

1276. अनस ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ख़ामोशी हिक्मत व दानाई है लेकिन उस पर अमल पैरा होने वाले थोड़े ही होते हैं" (इसे बैहक़ी ने शुअबुल ईमान में कमज़ोर सनद के साथ रिवायत किया है और सहीह बात यह है कि यह लुक़मान हकीम का क़ौल है)

(١٢٧٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصَّمْتُ حِكْمَةٌ، وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ». أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. وَصَحَّحَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ لُقْمَانَ الحَكِيمِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में ख़ामोश रहने को हिक्मत व दानाई और अक़्लमंदी और दानिशमंदी क़रार दिया गया है।

4. बुरे अख़लाक़ व आदात से डराने और ख़ौफ़ दिलाने का बयान

٤ - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنْ مَسَاوِئِ الأَخْلَاقِ

1277. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अपने आप को हसद से बचाओ, इसलिये कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है" (इस की तख़रीज

(١٢٧٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالحَسَدَ، فَإِنَّ الحَسَدَ يَأْكُلُ الحَسَنَاتِ، كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الحَطَبَ».

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نحوه.

अबू दाउद ने की है और इब्ने माजा में भी अनस ﷺ से इसी तरह मरवी है)

फ़ायेदा:

हसद कबीरा गुनाह है, शैतान की पहली नाफ़रमानी हसद की बिना पर थी, क़ाबील ने हाबील (अपने भाई) को हसद की बिना पर क़त्ल किया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ उन के भाईयों की कारगुज़ारी इसी हसद के नतीजा में थी।

(١٢٧٨) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّما الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1278. उन्हीं (अबू हुरैरा ﷺ) से ही रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "किसी को पछाड़ देना बहादुर नहीं है, बहादुरी तो वह है जो गुस्सा में अपने आप को क़ाबू में रखे।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में अपने हरीफ़ और दुश्मन को माफ़ कर देना, उस से दरगुज़र करने की फ़ज़ीलत का बयान है कि आदमी ताक़त के बावजूद गुस्सा की हालत में मुक़ाबला करने वाले से इन्तिक़ामी कार्यवाही न करे और ऐसे नाज़ुक मौक़ा पर अपने आप पर क़ाबू रखे।

(١٢٧٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1279. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ज़ुल्म क़ियामत के दिन बहुत सी तारीकियों और अंधेरों का बाइस है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में ज़ुल्म से बचने का हुक्म है और ख़बरदार किया गया है कि इस दुनिया में जो ज़ुल्म करेगा वह क़ियामत के दिन बहुत से अंधेरों में भटकता फिरेगा।

(١٢٨٠) وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ. وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1280. जाबिर ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "ज़ुल्म से बचो, क्योंकि ज़ुल्म क़ियामत के दिन अंधेरे और तारीकियाँ होंगी, और बख़ीली से भी बचो, तुम से पहले गुज़रे हुये लोग इसी से हलाक हुये हैं।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में भी ज़ुल्म से मना किया गया है कि क़ियामत के दिन यह अंधेरों की शक्ल में सामने आयेगा।

1281. महमूद बिन लबीद ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सब से ज़्यादा डर तुम्हारे लिये मुझे शिर्क असग़र का है और वह है रियाकारी" (इमाम अहमद ने इसे हसन सनद के साथ रिवायत किया है)

(١٢٨١) وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ: الرِّيَاءُ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

1282. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुनाफ़िक़ की तीन निशानियाँ हैं, जब बात करे तो झूठ बोले और जब वादा करे तो वादा ख़िलाफ़ी करे और जब उस के पास अमानत रखी जाये तो उस में ख़यानत करे।" (बुख़ारी, मुस्लिम) और दोनों के यहाँ अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की रिवायत में है कि "जब लड़ता है तो गाली बकता है।"

(١٢٨٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: «وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ».

फ़ायेदा:

इस हदीस में मुनाफ़िक़ की चार अलामात बयान की गयी हैं और मुस्लिम में इन अलफ़ाज़ का इज़ाफ़ा भी है कि अगरचें वह नमाज़ भी पढ़ता हो और रोज़े भी रखता हो, और यह दावा भी करता हो कि मैं मुसलमान हूँ।

1283. इब्ने मसउद ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ है और इसे क़त्ल करना कुफ़्र है" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٢٨٣) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में मुसलमान का मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ क़रार दिया गया और "फ़िस्क़" आदमी का अल्लाह की इताअत से बाहर निकल जाने को कहते हैं, चूँकि इस्लाम में मुसलमान को गाली देना मना है और गाली देने वाला हुक्म इलाही से बाहर निकल जाता है, इसलिये ऐसे आदमी को फ़ासिक़ कहा गया है।

1284. अबू हुरैरा ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी बहुत बड़ा झूठ है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٢٨٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

ज़न्न को बहुत बड़ा झूठ इसलिये कहा गया है कि इन्सान अपने दिल ही दिल में गुमान व ज़न्न की परवरिश करता रहता है, फिर उसे ज़बान पर लाता है जिस की हक़ीक़त कुछ भी नहीं होती, इसलिये उलमा ने उसे तुहमत क़रार दिया है और तुहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, गोया ज़न्न का दूसरा नाम तुहमत है और तुहमत कबीरा गुनाह है।

(١٢٨٥) وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1285. माक़िल बिन यसार ؓ से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ﷺ को फ़रमाते हुये सुना "जिस बन्दे को हाकिम बना कर रईयत उस के हवाले कर दी जाये, अगर उसे ऐसी हालत में मौत आये कि रईयत और अवाम में इन्साफ़ न करता रहा हो, ख़यानत का इरितकाब करता रहा हो, तो ऐसे हाकिम पर अल्लाह तआला अपनी जन्नत हराम कर देता है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

सरबराहे ममलकत और अमीर को चाहिये कि अपनी रेआया के साथ हुस्न व सुलूक से पेश आये, हर एक को इन्साफ़ दे, किसी से नाइन्साफ़ी न करे और न दूसरे से नाइन्साफ़ी होने दे।

(١٢٨٦) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1286. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "या इलाही! मेरी उम्मत में से जो आदमी किसी काम का वाली और सरबराह बनाया जाये और वह लोगों को तकलीफ़ में डाल दे तो तू उस पर सख़्ती फ़रमा।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में ज़ालिम हुक्मरानों के हक़ में अल्लाह के रसूल ने बददुआ फ़रमायी है।

(١٢٨٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الوَجْهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1287. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जब तुम में से कोई लड़ाई करे तो मुँह पर मारने से परहेज़ करे।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि आपसी लड़ाई झगड़े में मारते वक़्त मुँह (चेहरा) को बचाना चाहिये।

(١٢٨٨) وَعَنْهُ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَوْصِنِي. قَالَ: «لَا تَغْضَبْ». فَرَدَّدَ مِرَاراً، وَقَالَ: «لَا تَغْضَبْ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1288. उन्हीं (अबू हुरैरा ﷺ) से मरवी है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह ﷺ से अर्ज़ किया मुझे कोई नसीहत फ़रमायें, आप ﷺ ने फ़रमाया: "गुस्सा मत किया करो" उस ने यही सवाल कई बार किया, आप ﷺ ने हर बार यही जवाब में फ़रमाया: "गुस्सा न किया करो" (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस में गुस्सा से बचने की ताकीद है, बहुत से ज़ालिमाना काम इन्सान गुस्सा में कर बैठता है और बाद में अकसर पछताता और परेशान होता है।

(١٢٨٩) وَعَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1289. ख़ौला अन्सारिया रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "कुछ लोग अल्लाह के माल में नाहक़ दख़ल अंदाज़ होते हैं, क़ियामत के दिन ऐसे लोगों के लिये जहन्नम की आग है।" (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस में नाहक़ अल्लाह का माल लेने वालों के लिये जहन्नम की वईद है।

(١٢٩٠) وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ، قَالَ: «يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّماً، فَلَا تَظَالَمُوا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1290. अबू ज़र ﷺ ने नबी ﷺ से रिवायत किया है, उन ख़बरों के बारे में जो आप ﷺ अल्लाह तआया से बयान फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "ऐ मेरे बन्दो! मैंने ज़ुल्म को अपने ऊपर हराम कर लिया है, और तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया है। लेहाज़ा तुम एक दूसरे पर ज़ुल्म न करो" (मुस्लिम)

(١٢٩١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ

1291. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम्हें मालूम है कि ग़ीबत किसे कहते हैं?" सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुमा अजमईन ने अर्ज़ किया अल्लाह और उस का रसूल ही बेहतर जानते हैं, आप ﷺ ने फ़रमाया: "ग़ीबत यह है कि तू

مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

अपने भाई का ज़िक्र बुराई से करे" किसी ने अर्ज़ किया जो बात मैं कहता हूँ अगर वह मेरे भाई में पायी जाये तो, आप ﷺ ने जवाब में फ़रमाया: "जो कुछ तुम अपने भाई के बारे में कहते हो अगर वह उस में पायी जाती है तो उस की तूने ग़ीबत की और अगर वह बात जो तुम उस के बारे में कहते हो उस में मौजूद ही नहीं तो उस पर तूने बुहतान तराशी की है।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में ग़ीबत की क़बाहत बयान हुई है, ग़ीबत बिलइत्तिफ़ाक़ हराम है और कबीरा गुनाह है, क़ुरआन मजीद में ग़ीबत करने को मुर्दा भाई के गोश्त खाने से तशबीह दी गयी है, क्योंकि ग़ीबत करने वाला अपने मुसलमान भाई की ग़ैर मौजूदगी में उस की इज़्ज़त पर हमला करता है और उस की दिल आज़ारी का सबब बनता है।

(١٢٩٢) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بيعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَهُنَا»، وَيُشِيرُ إِلَى صَدرِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، «بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1292. उन्हीं (अबू हुरैरा ﷺ) से ही रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "एक-दूसरे से हसद न करो और क़ीमतें न बढ़ाओ, एक दूसरे से बेरुख़ी न इख़्तियार करो, एक दूसरे की पीठ पीछे ग़ीबत न करो, एक दूसरे के सौदे पर सौदा न करो, अल्लाह के बन्दो! आपस में भाई-भाई बन जाओ, मुसलमान, मुसलमान का भाई है, न उस पर ज़ुल्म करता है और न उसे बे यार व मददगार छोड़ता है और न उसे हक़ीर ही समझता है" अपने सीना की तरफ़ तीन बार इशारा करके फ़रमाया: "तक़्वा यहाँ है, किसी आदमी के लिये बस इतना ही गुनाह काफ़ी है कि वह अपने मुसलमान भाई को हक़ीर समझे, हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का ख़ून, माल और आबरू हराम है।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में अच्छे मुस्लिम मुआशरे में अफ़राद में किसी तरह आपसी बरताव और रहन होना चाहिये, का जामिअ बयान है।

(١٢٩٣) وَعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الأَخْلَاقِ، وَالأَعْمَالِ، وَالأَهْوَاءِ، وَالأَدْوَاءِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَاللَّفْظُ لَهُ.

1293. कुतबा बिन मालिक ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ यह दुआईया कलिमात फ़रमाया करते थे "इलाही मुझे बुरे अख़लाक़, बुरे आमाल, बुरी ख़्वाहिशात और बुरी बीमारियों से बचा।" (इस को तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है और यह अलफ़ाज़ उसी के हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि बुरे अख़लाक़, बुरे आमाल, बुरी ख़्वाहिशात और बुरी बीमारियों से हर वक़्त अल्लाह से महफ़ूज़ रहने की दुआ करते रहना चाहिये, क्योंकि इन सब से अल्लाह की तौफ़ीक़ ही से बचा जा सकता है।

(١٢٩٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَازِحْهُ، وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِداً فَتُخْلِفَهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

1294. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अपने मुसलमान भाई से झगड़ा मत करो और न उस से मज़ाक़ करो और उस से ऐसा वादा भी न करो जिस की बाद में ख़िलाफ़ वर्ज़ी करो।" (इसे तिर्मिज़ी ने कमज़ोर सनद से रिवायत किया है)

(١٢٩٥) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: البُخْلُ وَسُوءُ الخُلُقِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

1295. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "दो ख़सलतें ऐसी हैं जो किसी मोमिन में जमा नहीं हो सकतीं, बुख़्ल और सू ख़ुल्क़ (बद ख़ुल्क़)" (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इस की सनद में कमज़ोरी है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि मोमिन कामिल बदख़ुल्क़ और बख़ील (कंजूस) नहीं हो सकता, ईमान तो हुस्न ख़ुलुक़ और एक दूसरे की ख़ैरख़्वाही का नाम है।

(١٢٩٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

1296. अबू हुरैरा ﷺ से मरवी है कि

عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى البَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ المَظْلُومُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "गाली-गलौच करने वाले दो आदमियों में से शुरू करने वाले पर गुनाह का बोझ है, यहाँ तक कि मज़लूम ज़्यादती न करे।" (मुस्लिम)

(١٢٩٧) وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ضَارَّ مُسْلِماً ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِماً شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ.

1297. अबू सिरमा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "जिस ने किसी मुसलमान को नुक़सान पहुँचाया, अल्लाह तआला उसे नुक़सान देगा और जिस ने किसी मुसलमान को मुसीबत में डाला, अल्लाह तआला उसे मुसीबत में डालेगा" (इस हदीस को अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे हसन क़रार दिया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में मुसलमान को तक्लीफ़ देने, अज़ियत पहुँचाने से ख़बरदार किया गया है कि जो आदमी किसी मुसलमान को तक्लीफ़ देता है, उस पर ज़ुल्म करता है और उस से बग़ैर किसी वजह से नाहक़ झगड़ा करता है, अल्लाह तआला उस पर मशक़्क़त नाज़िल कर देता है।

(١٢٩٨) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ الفَاحِشَ البَذِيءَ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

1298. अबू दरदा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बेशक अल्लाह तआला बुग़्ज़ रखते हैं, बदख़ू, फ़हश गो से" (इसे तिर्मिज़ी ने सहीह सनद से रिवायत किया है)

(١٢٩٩) وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - رَفَعَهُ -: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الفَاحِشِ، وَلَا البَذِيءِ». وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ.

1299. उन्ही (अबू दरदा) से अब्दुल्लाह बिन मसउद ؓ की एक मरफ़ूअ रिवायत में है "एक मोमिन बहुत तअन करने वाला, बहुत लानत करने वाला, फ़हशगोई करने वाला और बे हया नहीं होता।" (तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन कहा है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है और दार क़ुतनी ने इस के मौक़ूफ़ होने को तरजीह दी है)

फ़ायेदा:

इन दोनों अहादीस से मालूम हुआ कि एक मोमिन कामिल के लिये लायेक़ नहीं कि वह बदख़ू, फ़हशगो और लअन व तअन करने वाला हो।

(١٣٠٠) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

1300. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मरे हुये लोगों को गाली न दो, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया था उस तक पहुँच चुके हैं।" (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस में किसी भी मरने वाले को बुरा कहने और गाली देने से मना किया गया है, क्योंकि मुर्दे को गाली देने की वजह से उस के अपनों को तकलीफ़ पहुँच सकती है जो आपसी दुश्मनी और अदावत का बाइस बन सकती है, वैसे भी यह लग़्व और फुज़ूल सी बात है।

(١٣٠١) وَعَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1301. हुज़ैफ़ा ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "चुग़लखोर जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٣٠٢) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ». أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ. وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا.

1302. अनस ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने अपने गुस्से को रोक लिया अल्लाह तआला उस से अपना अज़ाब रोक लेगा।" (इसे तबरानी ने अल-औसत में रिवायत किया है, इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की हदीस इस की गवाह है जिसे इब्ने अबी दुनिया ने नक़ल किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में गुस्सा पर क़ाबू पाने की फ़ज़ीलत है, अपने मातहत लोगों की किसी ग़लती पर गुस्सा न खाना बल्कि उन्हें माफ़ कर देना अल्लाह तआला के अज़ाब से बचने का ज़रिया है।

(١٣٠٣) وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ خَبٌّ، وَلَا بَخِيلٌ، وَلَا سَيِّءُ المَلَكَةِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَفَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

1303. अबू बकर सिद्दीक़ ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "धोकाबाज़, कंजूस और बदअख़लाक़ आदमी जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।" (तिर्मिज़ी ने इस को रिवायत किया और उस ने इसे दो हदीसों की सूरत में अलग अलग बयान किया है और इस की सनद कमज़ोर है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में है कि धोका देने वाले, कंजूस और बदअख़लाक़ के बारे में फ़रमाया गया है कि वह जन्नत में नहीं जायेंगे, बल्कि वह अपने उन गुनाहों का ख़मियाज़ा भुगत कर ही जन्नत में जायेंगे।

(١٣٠٤) وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَسَمَّعَ حَدِيثَ قَوْمٍ، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». يَعْنِي الرَّصَاصَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1304. इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो कोई किसी क़ौम की बात सुनने की सई करे जबकि वह इसे नापसन्द करते हों तो क़ियामत के दिन उस के दोनों कानों में सीसा डाला जायेगा" आनुक का मायना सीसा है। (बुख़ारी)

फ़ायेदा:

इस हदीस में इस बात की मनाही है कि आदमी किसी दूसरे आदमी या क़ौम के राज़ और ख़ुफ़िया बातें जो दूसरे के सामने बयान करना वह नहीं चाहते, बड़े एहितमाम, तवज्जुह और कोशिश से सुनने की टोह में लगा रहे, ऐसे आदमी के कानों में क़ियामत के दिन पिघला हुआ सीसा डाला जायेगा, यह मजलिसी आदाब में से एक अदब है जिसे ख़्याल रखना चाहिये।

(١٣٠٥) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «طُوبَى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ». أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

1305. अनस ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "उस आदमी को मुबारक है जिस को अपने ऐब नज़र आयें और दूसरे लोगों के ऐब नज़र न आयें।" (इस रिवायत को बज़्ज़ार ने हसन सनद से रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में ऐसे आदमी की ख़ुशबख़्ती का ज़िक्र है जो अपने ऐबों से सरोकार रखता है, दूसरों के ऐब से उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती, अगर लोगों के ऐब उस के इल्म में आ जायें तो उन पर पर्दा डालता है।

(١٣٠٦) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ تَعَاظَمَ فِي نَفْسِهِ، وَاخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

1306. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो कोई अपने आप को बड़ा समझे और अकड़ कर चले, वह अल्लाह से ऐसी हालत में मुलाक़ात करेगा कि वह उस पर ग़ज़बनाक होगा" (हाकिम ने इसे रिवायत किया है और इस के रावी सिक़ा हैं)

फ़ायेदा:

इस हदीस में तकब्बुर और घमन्ड से चलने को अल्लाह की नाराज़गी और ग़ज़बनाकी का सबब क़रार दिया गया है, सच्ची बात यही है कि ऐसी चाल ऐसे लोग ही चलते हैं जिन के दिमाग़ में बड़ा होने का सौदा समाया रहता है।

(١٣٠٧) وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ.

1307. सहल बिन साद ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जल्दबाज़ी और उजलत पसन्दी शैतानी काम है।" (इस को तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इसे हसन क़रार दिया है)

(١٣٠٨) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الشُّؤْمُ سُوءُ الْخُلُقِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

1308. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बदअख़लाक़ी नहूसत है" (इस को अहमद ने रिवायत किया है, इस की सनद कमज़ोर है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि कोई नहूसत या मुसीबत जो इन्सान पर आती है उस का असल सबब बदअख़लाक़ी है, और यह भी कि बद्अख़लाक़ी ख़ुशअख़लाक़ी इन्सान के इख़्तियार में है अगर चाहे तो बदअख़लाक़ी की राह इख़्तियार कर ले और चाहे तो ख़ुशअख़लाक़ी की राह पसन्द कर ले, बदअख़लाक़ी नहूसत है और ख़ुशअख़लाक़ी का अन्जाम ख़ैर व बरकत है।

(١٣٠٩) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1309. अबू दरदा ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बिला शुब्हा लानत करने वाले क़ियामत के दिन न सिफ़ारिश करने वाले होंगे और न गवाही देने वाले।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला बहुत ज़्यादा लानत करने वाले लोगों की सिफ़ारिश कबूल नहीं फ़रमायेगा और न ऐसे लोगों की गवाही कबूल की जायेगी।

(١٣١٠) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ.

1310. मुआज़ बिन जबल ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो आदमी किसी मुसलमान को किसी गुनाह की आर दिलायेगा तो वह ख़ुद वह काम करके मरेगा" (इस को तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है

और इसे हसन कहा है, हालाँकि इस की सनद में इन्क़िताअ है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि किसी को बर सरेआम ऐब याद दिला कर उस की तज़लील और तहक़ीर करना गुनाह है और जो आदमी ऐसा करेगा वह अमल मुकाफ़ात के लिये भी तैयार रहे।

1311. बहज़ बिन हकीम अपने बाप से और उन्होंने अपने दादा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हिलाक़त है उस आदमी पर जो झूठी बातें सुना कर लोगों को हँसाये, उस पर हिलाकत है, फिर उस पर हिलाकत है" (इसे तीनों ने मज़बूत सनद के साथ रिवायत किया है)

(١٣١١) وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ، ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ». أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.

फ़ायेदा:

झूठ बोलना तो कुरआन व सुन्नत की रौशनी में वैसे ही हराम और गुनाह कबीरा है, मगर इस हदीस से मालूम हुआ कि झूठ बयान करके लोगों को हँसाना और उन की दिलचस्पी व दिल लगी का सामान मुहैया करना भी हराम है।

1312. अनस ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस की तूने ग़ीबत की हो उस का कफ़्फ़ारा यह है कि तू उस के लिये अल्लाह से मग़फिरत माँगे" (इसे हारिस बिन अबी उसामा ने कमज़ोर सनद से रिवायत किया है)

(١٣١٢) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَهُ أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ». رَوَاهُ الحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

फ़ायेदा:

यह हदीस दलील है कि ग़ीबत के गुनाह को दूर करने के लिये तौबा व इस्तिग़फ़ार काफ़ी है।

1313. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "बन्दों में अल्लाह के नज़दीक सब से मबग़ूज़ बन्दा वह है जो सब से ज़्यादा झगड़ालू हो" (मुस्लिम)

(١٣١٣) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

लड़ने झगड़ने में शिद्दत और सख़्ती करना शरीफ़ लोगों का काम नहीं, यह उन लोगों का काम है जो अल्लाह के नज़दीक सब से ज़्यादा मबग़ूज़ हैं, शिद्दत और सख़्ती दोनों हराम हैं मगर अपने हक़ को हासिल करने के लिये जायेज़ हद तक झगड़ना जायेज़ है।

5. अच्छे अख़लाक़ की तरग़ीब का बयान

٥ - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ

1314. अब्दुल्लाह बिन मसउद ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सच्चाई को लाज़िम पकड़ो कि सच नेकी की तरफ़ रहनुमाई करती है और आदमी हमेशा सच बोलता है और सच की तलाश में रहता है, यहाँ तक कि उसे अल्लाह के यहाँ सिद्दीक़ लिखा जाता है और झूठ से बचो, झूठ गुनाह की तरफ़ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की आग की तरफ़ ले जाता है और आदमी हमेशा झूठ बोलता रहता है और झूठ में कोशिश करता रहता है तो उसे अल्लाह के यहाँ झूठा लिखा जाता है" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٣١٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَإِنَّ البِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً، وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وإن الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1315. अबू हुरैरा ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "बदगुमानी से बचो, बदगुमानी सब से बड़ा झूठ है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٣١٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

दोनों अहादीस में झूठ से बचने और हमेशा सच्चाई को इख़्तियार करने का हुक्म है।

1316. अबू सईद ख़ुदरी ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "रास्तों (और गली कूचों) में बैठने से बचो, सहाबा ने अर्ज़ किया, रास्तों पर बग़ैर बैठे हमारा गुज़ारा नहीं, क्योंकि हम वहाँ बैठ कर बातें करते हैं, आप ﷺ ने फ़रमाया: "अगर तुम नहीं मानते हो तो रास्ता का हक़ अदा करो" उन्होंने अर्ज़ किया उस का हक़ क्या है? फ़रमाया: "आँखों को नीचे रखना, तकलीफ़ न देना और सलाम का जवाब देना, भलाई का हुक्म देना

(١٣١٦) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنَا، نَتَحَدَّثُ فِيهَا، قَالَ: «فَأَمَّا إِذَا أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ»، قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ: «غَضُّ البَصَرِ، وَكَفُّ الأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

और बुराई से मना करना।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में रास्तों में जहाँ से लोग गुज़रते हैं बैठना और क़िस्सा गोईयाँ करना ममनूअ है।

1317. मुआविया ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला जिस आदमी से भलाई और ख़ैर का इरादा फ़रमाता है उसे दीन की समझ अता फ़रमाता है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٣١٧) وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1318. अबू दरदा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अच्छे अख़लाक़ से ज़्यादा कोई और चीज़ तराज़ू में वज़नी नहीं है।" (इसे अबू दाउद और तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

(١٣١٨) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ شَيْءٍ فِي المِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि क़ियामत के दिन तराज़ू भी होंगे जिन में आमाल तौले और वज़न किये जायेंगे और तराज़ू में सब से वज़नी चीज़ इन्सान के अच्छे अख़लाक़ होंगे, इस से अच्छे और बेहतरीन अख़लाक़ की अहमियत का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है।

1319. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "हया (शर्म) ईमान का हिस्सा है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٣١٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الحَيَاءُ مِنَ الإِيمَانِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1320. अबू मसउद ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "पहली नुबूवत के कलाम में से लोगों को जो कुछ मिला है उस में से यह भी है कि जब तू शर्म न करे तो जो चाहे कर" (बुख़ारी)

(١٣٢٠) وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

फ़ायेदा:

पहले सुबूत के कलाम से मुराद वह बात है जिस पर सब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का इत्तिफ़ाक़

है, यह चीज़ उन की शरीअतों की तरह मंसूख़ नहीं हुई, इस हदीस से मालूम हुआ कि पहली शरीअतों की कुछ वातें ऐसी हैं जो मंसूख़ नहीं, उन में एक यह है कि "जव तुम शर्म व हया न करो तो जो चाहे करो" वेहयाई से रोकने का जव यह ज़रिया नहीं तो इन्सान वेहिजावी में जो चाहेगा करेगा।

(١٣٢١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا، كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ «لَوْ» تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1321. अबू हुरैरा ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मज़वूत मोमिन अच्छा, अल्लाह के यहाँ ज़्यादा महबूब है, ज़ईफ़ और कमज़ोर मोमिन से, हर मोमिन में भलाई व अच्छाई है, जो चीज़ तेरे लिये मुनाफ़ावख़्श है उस की हिर्स और लालच कर, मदद सिर्फ़ अल्लाह से माँग, आजिज़ और दरमाँदा बन कर न वैठ और अगर तुझे चीज़ हासिल हो तो इस तरह मत कहो कि अगर पुलाँ काम मैंने इस तरह किया होता तो उस से मुझे यह और यह फ़ायदे हासिल होते, बल्कि इस तरह कहा करो कि अल्लाह तआला ने अपनी तक़दीर में जो चाहा, क्योंकि लफ़्ज़ "लौ" यानी अगर शैतान के अमल का दरवाज़ा खोलता है।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में लफ़्ज़ "लौ" जिस के माने "अगर" के होते हैं, के इस्तिमाल से मना फ़रमाया गया है।

(١٣٢٢) وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا، حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1322. एयाज़ बिन हिमार ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह तआला ने मुझ पर वह्यी नाज़िल फ़रमायी है कि तवाज़ुअ व इन्किसारी करो, यहाँ तक कि कोई दूसरे पर ज़्यादती न करे और न कोई दूसरे पर फ़ख़्र करे।" (मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में तवाज़ुअ व इन्किसारी इख़्तियार करने का हुक्म दिया जा रहा है।

(١٣٢٣) وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ رَدَّ

1323. अबू दरदा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस आदमी ने

अपने भाई की ग़ैर मौजूदगी में उस की आबरू की हिफ़ाज़त की, अल्लाह तआला क़ियामत के दिन उस के चेहरे को जहन्नम की आग से महफ़ूज़ रखेगा।" (इस को तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और हसन कहा है और मुसनद अहमद में अस्मा बिन्ते यज़ीद रज़ि अल्लाहु अन्हा की हदीस भी इसी तरह है)

عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالغَيْبِ، رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ القِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نَحْوُهُ.

1324. अबू हुरैरा ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सदक़ा और ख़ैरात किसी माल में कमी नहीं करता और अल्लाह उस आदमी को जो दरगुज़र करता है, नहीं बढ़ाता मगर इज़्ज़त में और नहीं तवाज़ुअ करता कोई भी अल्लाह के लिये मगर अल्लाह तआला उस को बुलन्द करता है।" (मुस्लिम)

(١٣٢٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْداً بِعَفْوٍ إِلَّا عِزّاً، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ تَعَالَى». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में अच्छे अख़लाक़ की तीन चीज़ों का ज़िक्र है और तीनों अख़लाक़ फ़ाज़िला की जड़ हैं, और वह सदक़ा, अफ़्व व दरगुज़र और तवाज़ुअ हैं, जिस इन्सान में यह तीनों औसाफ़ पाये जायेंगे वह आदमी अल्लाह तआला का महबूब होगा और अल्लाह की मख़लूक़ भी उस से मुहब्बत करेगी।

1325. अब्दुल्लाह बिन सलाम ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "लोगो! सलाम को आम करो और सिला-रहमी करो और खाना खिलाओ, रात को क़ियाम करो जब दूसरे लोग सोते हों, जन्नत में सलामती के साथ दाख़िल हो जाओगे।" (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और सहीह कहा है)

(١٣٢٥) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ، وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلَامٍ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में जिन उमूर को मूजिबात जन्नत क़रार दिया गया है, उन में तीन का तअल्लुक़ इन्सानों के साथ आपसी प्यार और मुहब्बत से है और एक का अल्लाह तआला की इबादत से।

1326. तमीम दारी ﷺ से मरवी है कि

(١٣٢٦) وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "दीन (दीन इस्लाम) वअज़ व नसीहत का नाम है" तीन बार यह इरशाद फ़रमाया, हम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! यह नसीहत का हक़ किस के लिये है? फ़रमाया: "अल्लाह के लिये, उस की किताब के लिये और उस के रसूल के लिये और मुसलमानों के इमामों के लिये और उन के आम लोगों के लिये।" (मुस्लिम)

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»، ثَلَاثاً، قُلْنَا: لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «للهِ، وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1327. अबू हुरैरा ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो चीज़ अकसर जन्नत में जाने का सबब बनेगी वह अल्लाह का डर और हुस्न ख़ुलुक़ है।" (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(١٣٢٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الجَنَّةَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में तक़वा और अच्छे अख़लाक़ को इख़्तियार करने वालों को जन्नत में दाख़िल होने का मुज़दा सुनाया गया है, तक़वा के माने यह हैं कि अवामिर पर अमल करना और मनहियात व नवाही से रुक जाना।

1328. उन्हीं (अबू हुरैरा ؓ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम लोगों में रसाई माल के ज़रिये पैदा नहीं कर सकते, इसलिये तुम्हें चाहिये कि हुस्न ख़ुलुक़ और कुशादा रोई (ख़ुश अख़लाकी) से लोगों के अन्दर रसाई पैदा करो।" (इसे अबू याला ने रिवायत किया हैं और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(١٣٢٨) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الوَجْهِ وَحُسْنُ الخُلُقِ». أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

1329. उन्हीं (अबू हुरैरा ؓ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "मोमिन अपने मोमिन भाई का आईना है।" (इस को अबू दाउद ने रिवायत किया है, इस की सनद हसन है)

(١٣٢٩) وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيهِ المُؤْمِنِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

1330. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: “जो मोमिन लोगों से मेल-जोल रखता है और उन की तरफ़ से तकलीफ़ देने पर सब्र करता है, वह उस मोमिन से बेहतर और अच्छा है जो लोगों से मिलता जुलता नहीं और उन की तरफ़ से तकलीफ़ पहुँचने पर सब्र भी नहीं करता।” (इस हदीस को इब्ने माजा ने हसन सनद के साथ रिवायत किया है, और यह हदीस तिर्मिज़ी में भी है मगर उस ने सहाबी का नाम नहीं लिया)

(١٣٣٠) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا يُخَالِطُ النَّاسَ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ». أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَهُوَ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِيَّ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में उस आदमी को बेहतर क़रार दिया गया है जो लोगों में मिल जुल कर रहता है उन से मेल मुलाक़ात रखता है, दीन की तबलीग़ करता है, उन के दुख सुख में शरीक होता है, तबलीग़े दीन के सिलसिले से उन की तरफ़ से जो तक्लीफ़ और अज़ियत पहुँचती है उस को सब्र व तहम्मुल से बर्दाश्त करता है।

1331. इब्ने मसउद ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: “इलाही जिस तरह तूने मेरी तख़लीक़ को खूब अच्छा बनाया है, उस तरह मेरे अख़लाक़ को अच्छा और हसीन बना दे।” (इसे अहमद ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

(١٣٣١) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي، فَحَسِّنْ خُلُقِي». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

यह दुआ रसूलुल्लाह ﷺ आम तौर से आईना देखने के मौक़े पर किया करते थे।

6. ज़िक्र और दुआ का बयान

٦ - بَابُ الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ

1332. अबू हुरैरा ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: “अल्लाह तआला का इरशाद है कि मैं अपने बन्दे के उस वक़्त तक साथ रहता हूँ जब तक वह मुझे याद करता है और मेरे लिये उस के होठ हिलते

(١٣٣٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ». أَخْرَجَهُ ابْنُ

रहते हैं।" (इस को इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है और बुख़ारी ने इसे तालीक़न बयान किया है)

مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقاً.

फ़ायेदा:

इस हदीस में ज़िक्र की फ़ज़ीलत बयान हुई है।

1333. मुआज़ बिन जबल ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इब्ने आदम का कोई अमल अल्लाह की याद से बढ़ कर अज़ाबे इलाही से नजात देने वाला नहीं" (इसे इब्ने अबी शैबा और तबरानी ने हसन सनद के साथ रिवायत किया है)

(١٣٣٣) وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلاً أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ». أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में भी ज़िक्र इलाही की फ़ज़ीलत बयान हुई है कि ज़िक्र इलाही अज़ाबे इलाही से नजात का सब से बड़ा सबब है, जिस तरह ज़िक्र इलाही उख़रवी अज़ाब से बचाता है उसी तरह दुनयावी मुसीबत और परेशानी से भी महफ़ूज़ रखता है।

1334. अबू हुरैरा ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "कोई क़ौम किसी मजलिस में नहीं बैठती कि वह उस में अल्लाह का ज़िक्र करती हो, मगर फ़रिश्ते उन को घेर लेते हैं और उन को अल्लाह की रहमत ढाँक लेती है और अल्लाह तआला उन का ज़िक्र अपने यहाँ फ़रिश्तों में फ़रमाता है।" (मुस्लिम)

(١٣٣٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि अहले ज़िक्र की मजलिसें और इजतिमाआत बड़ी शान रखते हैं, हदीस में मज़कूर है कि ज़िक्र इलाही तमाम आमाल से बेहतर है।

1335. उन्हीं (अबू हुरैरा ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "नहीं बैठती कोई क़ौम किसी मजलिस में कि उन्होंने उस मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र किया और न

(١٣٣٥) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَسَنٌ.

नबी ﷺ पर दरूद भेजा मगर वह मजलिस उन के लिये क़ियामत के दिन बाइसे हसरत और नदामत होगी।" (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इसे हसन कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि हर मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र जरूर होना चाहिये और नबी ﷺ पर दरूद ज़रूर भेजना चाहिये, मगर दरूद व सलाम का जो रिवाज हमारे दौर में शुरू हुआ है, इस का वजूद दौरे रिसालत और दौरे सहाबा किराम रज़ि अल्लाहु अन्हुम अजमईन में नज़र नहीं आता।

1336. अबू अय्यूब ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जो कोई दस बार इन कलिमात को कहे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह एक है उस का कोई शरीक नहीं, बादशाहत उसी की है, सब तारीफ़ उसी के लिये है, सब भलाई उसी के हाथ में है, वही ज़िन्दा करता है, वही मारता है, वह हर चीज़ पर क़ादिर है" तो वह उस आदमी की तरह हो गया जिस ने औलादे इस्माईल से चार बेहतरीन और नफ़ीस तरीन ग़ुलामों को आज़ाद किया। (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٣٣٦) وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1337. अबू हुरैरा ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "जिस किसी ने सुब्हानल्लाह व बिहमदिही (पाक है अल्लाह अपनी तारीफ़ों के साथ) सौ बार कहा, उस की ख़तायें माफ़ कर दी जाती हैं, चाहे वह समुन्दर की झाग के बराबर ही क्यों न हों।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٣٣٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1338. जुवैरिया बिन्ते हारिस रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझ से फ़रमाया: "मैंने तेरे बाद चार कलिमे ऐसे

(١٣٣٨) وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ

अदा किये हैं कि अगर उन कलिमात का तेरे कलिमात से मुवाज़ना किया जाये जो तूने शुरू वक़्त से लेकर अब तक पढ़े हैं, तो यह कलिमात वज़न में बढ़ जायेंगे" वह कलिमात यह हैं "अल्लाह पाक है अपनी हम्द के साथ, अपनी मख़लूक़ की तादाद के बराबर, उस के नफ़्स की रज़ा और उस के अर्श के वज़न उस के कलिमात की रोशनाई के बराबर।" (मुस्लिम)

كَلِمَاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1339. अबू सईद खुदरी ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: (आने वाले अलफ़ाज़) बाक़ियात सालेहात हैं, यानी "अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, अल्लाह पाक है, बुलन्द शान वाला है और वही सब से बड़ा है और हर ख़ूबी अल्लाह के लिये है और बुराई से फिरने और नेकी की ताक़त अल्लाह की मदद के बग़ैर मुमकिन नहीं।" (इसे नसाई ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

(١٣٣٩) وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

1340. समुरा बिन जुन्दुब ؓ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अल्लाह के नज़दीक सब से महबूब और पसन्दीदा कलाम यह चार अलफ़ाज़ हैं, इन में से चाहे किसी से शुरू करे तुझे कोई नुक़सान नहीं पहुँचेगा, (वह यह हैं) अल्लाह पाक है, बुलन्द व बाला शान का मालिक है, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिये हैं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह सब से बड़ा है।" (मुस्लिम)

(١٣٤٠) وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَرْبَعٌ، لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1341. अबू मूसा अशअरी ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने मुझे मुख़ातब होकर

(١٣٤١) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ

ﷺ: «يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ! أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ؟ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ النَّسَائِيُّ: «وَلَا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ».

फ़रमाया: "ऐ अब्दुल्लाह बिन क़ैस! क्या मैं तुझे जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना न बताऊँ? जो यह है कि बुराई से मुँह मोड़ना और नेकी पर ज़ोर सिवाय अल्लाह की मदद के (मुमकिन) नहीं है।" (बुख़ारी, मुस्लिम) और नसाई में इतना इज़ाफ़ा है कि "अल्लाह के सिवा कोई पनाह नहीं"

फ़ायेदा:

इस हदीस में भी "ला हौला वला कूवत इल्ला बिल्लाह" की फ़ज़ीलत का बयान है।

(١٣٤٢) وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ العِبَادَةُ». رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.

1342. नुअमान बिन बशीर ؓ से मरवी है कि नबी ﷺ ने फ़रमाया: "बेशक दुआ ही इबादत है" (इसे चारों ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसे सहीह कहा है)

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، مَرْفُوعاً، بِلَفْظِ: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ».

और तिर्मिज़ी में अनस ؓ की रिवायत में "अद्दुआउ मुख़्खुल इबादह" के अलफ़ाज़ हैं, यानी दुआ मग़्ज़े इबादत है।

وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، رَفَعَهُ: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءِ». وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

और तिर्मिज़ी में अबू हुरैरा ؓ से मरवी है कि अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नहीं। (इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में दुआ को इबादत क़रार दिया गया है, इस का मतलब हुआ कि ग़ैरुल्लाह से जो दुआये बराये क़ज़ाये हाजात और मुशकिलात की जाती हैं वह गोया ग़ैरुल्लाह की इबादत करते हैं, इसी लिये ग़ैरुल्लाह से दुआ माँगना शिर्क है।

(١٣٤٣) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ لَا يُرَدُّ». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ.

1343. अनस ؓ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "अज़ान और इक़ामत के बीच दुआ रद नहीं की जाती" (इस को नसाई वग़ैरा ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान वग़ैरा ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

दुआ के कबूल होने के मुखतलिफ़ अवक़ात हैं, उन में एक वक़्त अज़ान और इक़ामत के बीच का वक़्त है, इसलिये नमाज़ी की उस वक़्त तवज्जुह अल्लाह तआला की तरफ़ होती है, वह नमाज़ के इन्तिज़ार में होता है, इसलिये उस वक़्त को फ़ुजूल बातों में ज़ाया नहीं करना चाहिये।

(١٣٤٤) وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْراً». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

1344. सलमान ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "तुम्हारा परवरदिगार बड़ा शर्म व हया वाला, सख़ी और करीम है, जब बन्दा उस के हुज़ूर में अपने हाथ फैलाता है तो उसे इस के हाथों को ख़ाली लौटाते शर्म आती है" (नसाई के सिवा चारों ने इसे रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि हाथ उठा कर दुआ करना जायेज़ है और यह आदाबे दुआ का एक अदब है।

(١٣٤٥) وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ، وَمَجْمُوعُهَا يَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

1345. उमर ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ जब दुआ के लिये हाथ उठाया करते तो उन को उस वक़्त तक वापस न लौटाते जब तक के चेहरे पर फेर न लेते। (इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है और इस के कई गवाह हैं, उन में एक अबू दाउद वग़ैरा के यहाँ इब्ने अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा की हदीस है और इन का मजमूआ तक़ाज़ा करता है कि यह हदीस हसन है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि दुआ माँगने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर मलना या फेर लेना चाहिये। मगर इस हदीस की सनद में हम्माद बिन ईसा जुहनी कमज़ोर रावी है, लेकिन इस के दूसरे गवाह मौजूद हैं, जिन की बिना पर हाफ़िज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को हसन क़रार दिया है, मगर अल्लामा अलबानी ने इस को कमज़ोर क़रार दिया है।

(١٣٤٦) وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ

1346. इब्ने मसउद ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया: "क़ियामत के दिन

सब से ज़्यादा मेरे क़रीब वह लोग होंगे जो मुझ पर ज़्यादा दरूद पढ़ने वाले होंगे।" (तिर्मिज़ी, इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

फ़ायेदा:

क़ियामत के दिन रसूलुल्लाह ﷺ की मुसाहबत और कुर्ब का ज़रिया आप ﷺ पर कसरत से दरूद शरीफ़ पढ़ना है।

1347. शद्दाद बिन औस ﵁ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "सैय्यदुल इस्तिग़फ़ार यह है कि बन्दा यूँ कहे ऐ अल्लाह! तू मेरा मालिक और मुरब्बी है, तेरे सिवा और कोई इलाह नहीं, तूने मुझे पैदा फ़रमाया और मैं तेरा बन्दा हूँ और अपनी बिसात भर तेरे अहद और वादे पर क़ायेम हूँ, जिस बुराई का मैं इरितकाब कर चुका हूँ उस से तेरी पनाह पकड़ता हूँ, तेरे जो मुझ पर एहसान हैं उन का मैं इक़रार करता हूँ, और तेरे सामने अपने गुनाहों का इक़रार करता हैं, तू मुझे माफ़ फ़रमा दे कि तेरे सिवा गुनाहों को माफ़ करने वाला और कोई भी नहीं है।" (बुख़ारी)

(١٣٤٧) وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ العَبْدُ: اللَّهُمَّ! أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ.

1348. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ इन कलिमात को सुब्ह और शाम कभी भी नहीं छोड़ते थे, ऐ इलाही! मैं तुझ से आफ़ियत का तलबगार हूँ, अपने दीन, अपनी दुनिया, अपने अहलो अयाल और अपने माल में। इलाही! मेरे ऐबों पर पर्दापोशी फ़रमा दे और मुझे अमन में रख, ख़ौफ़ व डर से और मेरे आगे, पीछे, दायें, बायें और ऊपर से हिफ़ाज़त फ़रमा और मैं तेरी अज़मत की पनाह लेता हूँ कि मैं नीचे से हिलाक़ किया जाऊँ। (इसे नसाई

(١٣٤٨) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدَعُ هٰؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ، حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، وَاحْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي». أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और हाकिम ने सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस में छ अतराफ़ से अल्लाह की पनाह तलब की गई है, क्योंकि इन्सान ऊपर, नीचे, दायें, बायें चारों तरफ़ से अपने दुश्मनों में घिरा हुआ है, यह दुश्मन इस के इन्सानों में से भी हैं और जिन्न व शैयातीन में से भी।

(١٣٤٩) وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1349. इब्ने उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाया करते थे "ऐ अल्लाह! मैं तेरी नेमत के ज़वाल से पनाह माँगता हूँ, तेरी अता करदा आफ़ियत के चले जाने और अज़ाब के अचानक नाज़िल होने और हर तरह की नाराज़गी और गुस्सा से पनाह माँगता हूँ" (मुस्लिम)

(١٣٥٠) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ العَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.

1350. अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इलाही! मैं तुझ से क़र्ज़ के ग़लबा, दुश्मन के ग़ालिब आने और दुश्मन के ख़ुश होने से तेरी पनाह माँगता हूँ" (नसाई ने इसे रिवायत किया है और हाकिम ने इसे सहीह क़हा है)

(١٣٥١) وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، الأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ. فَقَالَ: «لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ». أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

1351. बुरैदा ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ ने एक आदमी को यह कलिमात कहते हुये सुना, इलाही! मैं आप से सवाल करता हूँ इसलिये कि मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है और इबादत के लायेक़ तेरे सिवा कोई नहीं, तू तन्हा है और बेनियाज़ है, जिस से न कोई पैदा हुआ न वह किसी से पैदा हुआ और न कोई उस का हमसर व साझी है। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "इस आदमी ने अल्लाह तआला के उस मुबारक नाम के ज़रिये से माँगा है कि जब भी उस के ज़रिया माँगा जाये तो वह अता फ़रमाता है और जब

दुआ की जाती है तो उसे कबूल फ़रमाता है" (इसे अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से मालूम हुआ कि दुआ के वक़्त इन कलिमात को पढ़ना चाहिये, क्योंकि यह कबूलियते दुआ का ज़रिया है।

(١٣٥٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَصْبَحَ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ». وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ.

1352. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि जब सुब्ह होती तो रसूलुल्लाह ﷺ कहते "ऐ अल्लाह! तेरे ज़रिया से हम ने सुब्ह की और तेरे ज़रिया से शाम की और तेरे ही ज़रिया हमारी ज़िन्दगी है और तेरे ही ज़रिया हमारी मौत है, और तेरी ही तरफ़ दोबारा उठना है" जब शाम होती तब भी यह दुआ पढ़ते और "एलैकन्नुशूर" (तेरी तरफ़ उठाया जाना है) की बजाय "व एलैकल-मसीर" (तेरी तरफ़ वापस आना है) के अलफ़ाज़ अदा फ़रमाते। (इसे चारों अबू दाउद, तिर्मिज़ी, नसाई और इब्ने माजा ने रिवायत किया है)

फ़ायेदा:

इस हदीस से साबित हुआ कि जो इंआम भी इन्सान को हासिल है वह सब अल्लाह की तरफ़ से है, उस में किसी वली, किसी फ़रिश्ते यहाँ तक कि किसी नबी का भी दख़ल नहीं है।

(١٣٥٣) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1353. अनस ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ कसरत से यह दुआ माँगा करते थे "ऐ हमारे आक़ा व मौला! हमें दुनिया में भी भलाई अता फ़रमा और आख़िरत में भी भलाई से सुरख़ुरू फ़रमा और हमें आग के अज़ाब से बचा।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में जिस दुआ का ज़िक्र है उसे नबी ﷺ कसरत से पढ़ा करते थे, यह दुआ सब की जामेअ है।

1354. अबू मूसा अशअरी ﷺ से रिवायत है कि नबी ﷺ दुआ फ़रमाया करते थे "इलाही! मेरी ख़ता माफ़ फ़रमा दे, और मेरी नादानी व जिहालत के कामों को बख़्श दे, मेरे काम में मुझ से जो ज़्यादतियाँ हुईं उन को भी और जो कुछ मेरे बारे में तेरे इल्म में है उन सब को भी माफ़ फ़रमा दे, ऐ अल्लाह! मुझ से इरादतन या ग़ैर इरादी तौर पर जो कुछ सादिर हुआ उस की मग़फ़िरत फ़रमा दे, चाहे वह मेरी लग़ज़िश हो या इरादे से हो, यह सब मेरी ही तरफ़ से हुआ है। ऐ अल्लाह! जो कुछ मैं कर चुका हूँ या जो आइन्दा करूँगा और जो मेरा पोशीदा है या जो मुझ से ज़ाहिर हुआ है और जो कुछ भी मेरे बारे में तेरे इल्म में है वह सब बख़्श दे, तू ही पहले है और तू ही बाद में और तू ही हर चीज़ पर क़ुदरत रखने वाला है।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

(١٣٥٤) وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

फ़ायेदा:

इस तरह की जितनी दुआयें नबी ﷺ से साबित हैं यह आप ﷺ ने इम्तिसाले अम्र के लिये माँगी हैं, क्योंकि आप ﷺ तो मासूम अनिल-ख़ता थे, या उम्मत को तालीम देने की ग़र्ज़ से माँगी हैं।

1355. अबू हुरैरा ﷺ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाया करते थे "ऐ अल्लाह! मेरे लिये दीन दुरुस्त रखना, जिस में मेरे काम का बचाओ है, मेरे लिये मेरी दुनिया दुरुस्त फ़रमा जिस में मेरी ज़िन्दगी है और मेरे लिये मेरी आख़िरत दुरुस्त फ़रमा जिस की तरफ़ मुझे लौट कर जाना है, मेरी ज़िन्दगी को हर अमले ख़ैर की ज़्यादती का सबब बना और मौत को मेरे लिये हर बुराई से राहत बना देना।" (मुस्लिम)

(١٣٥٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ! أَصْلِحْ لِي دِينِيَ الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِيَ الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

फ़ायेदा:

इस दुआ में भी दीन व दुनिया और आख़िरत की भलाई की दरख़्वासत की जा रही है।

1356. अनस ﷺ से मरवी है कि रसूलुल्लाह ﷺ यह दुआ फ़रमाया करते थे "ऐ अल्लाह! जो इल्म तूने मुझे दिया है उसे मेरे लिये फ़ायदेमंद बना दे और मुझे ऐसा इल्म अता फ़रमा जो मेरे लिये नफ़ाबख़्श हो और मुझे नफ़ा वाला इल्म दे।" (इसे नसाई और हाकिम ने रिवायत किया है)

(١٣٥٦) وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي، وَارْزُقْنِي عِلْماً يَنْفَعُنِي». رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالحَاكِمُ.

और तिर्मिज़ी में अबू हुरैरा ﷺ से भी इसी तरह मरवी है, उस के आख़िर में इतना इज़ाफ़ा है "और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है और मैं अहले दोज़ख़ के हालात से पनाह माँगता हूँ" (इस की सनद अच्छी है)

وَلِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَحْوُهُ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «وَزِدْنِي عِلْماً. اَلْحَمْدُ للهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ». وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

फ़ायेदा:

इस हदीस में जो दुआ बयान की गई है इस में ऐसे इल्म के लिये दरख़्वासत की गई है जो दुनिया और आख़िरत दोनों में मुनाफ़ा बख़्श हो और सूदमंद हो, जो इल्म आख़िरत तबाह कर दे उस की दुआ करना मोमिन को ज़ेब नहीं देता।

1357. आइशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी ﷺ ने उन को यह दुआ सिखाई "इलाही! मैं तुझ से हर तरह की भलाई तलब करती हूँ, जल्दी वसूल होने वाली हो या देर से मिलने वाली, जिस को मैं जानती हूँ या नही जानती, और हर बुराई से मै तेरी पनाह माँगती हूँ, जल्दी आने वाली है या देर से, जिस का इल्म मुझे है या वह मेरे इल्म में नहीं है। ऐ अल्लाह! मैं तुझ से वह ख़ैर तलब करती हूँ जिस का तेरे बन्दे और नबी ने सवाल किया था और उस शर से पनाह माँगती हूँ जिस से तेरे बन्दे और नबी ने पनाह माँगी थी। ऐ अल्लाह! मैं तुझ से जन्नत का और ऐसे अमल और क़ौल का सवाल करती हूँ जो जन्नत से क़रीब करने वाले हैं और तेरी

(١٣٥٧) وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَهَا هٰذَا الدُّعَاءَ: «اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الخَيْرِ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الجَنَّةَ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِي خَيْراً».

أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.

पनाह तलब करती हूँ जहन्नम से और हर उस अमल और क़ौल से जो उस जहन्नम के क़रीब कर दे, और मैं बात का सवाल करती हूँ कि तूने जो फ़ैसला मेरे हक़ में किया है उस को मेरे हक़ में बेहतर बना दे।" (इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है और इब्ने हिब्बान और हाकिम ने इसे सहीह कहा है)

फ़ायेदा:

यह भी जामेअ तरीन दुआवों में से एक दुआ है, जिस में मुख़तलिफ़ चीज़ों की तलब और इस्तिआज़ा के बाद आख़िर में अर्ज़ की कि मैं हर उस भलाई का तलबगार हूँ, जिस की तलब रसूलुल्लाह ﷺ ने की है और हर उस बुराई से पनाह चाहती हूँ जिस से रसूलुल्लाह ﷺ ने पनाह चाही है, जिस में दुनिया और आख़िरत की कोई चीज़ बाक़ी नहीं रहती।

(١٣٥٨) وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ».

قَالَ مُصَنِّفُهُ - الشَّيْخُ الإِمَامُ العَالِمُ العَامِلُ العَلَّامَةُ قَاضِي القُضَاةِ شَيْخُ الإِسْلَامِ أَمْتَعَ اللَّهُ بِوُجُودِهِ الأَنَامَ - فَرَغَ مِنْهُ مُلَخِّصُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَجَرٍ فِي حَادِيَ عَشَرَ شَهْرِ رَبِيعِ الأَوَّلِ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ، حَامِداً للهِ تَعَالَىٰ وَمُصَلِّياً عَلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ وَمُكَرِّماً وَمُبَجِّلاً وَمُعَظِّماً.

1358. अबू हुरैरा ؓ कहते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया: "दो कलिमें हैं जो रहमान को बड़े प्यारे हैं, ज़बान पर हल्के हैं, तराज़ू में भारी हैं। (वह यह हैं) "सुब्हानल्लाहे व बिहमदिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम" "अल्लाह पाक है, साथ अपनी तारीफ़ के, अल्लाह पाक है, अज़मत वाला" (बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ायेदा:

इस हदीस में दो कलिमों का हल्का और वज़नी होना यह माने रखता है कि ज़बान से उन का अदा करना सहल और आसान है, कलिमे बड़ी आसानी से हर एक की ज़बान पर रवाँ हो जाते हैं, किसी दिक़्क़त का सामान नहीं करना पड़ता और उन के भारी होने का माने यह हैं कि जिस तरह नेकी के मुश्किल आमाल वज़न में भारी होंगे उसी तरह यह आसानी से पढ़े जाने वाले कलिमात भी तराज़ू पर भारी और वज़नी होंगे। इस हदीस से साबित हुआ कि क़ियामत के दिन आमाल का जिस्म होगा और आमाल को तौला और वज़न किया जायेगा।